रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102022-239301
CG-DL-E-03102022-239301

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 29 2022/ आश्विन 7, 1944
No. 473] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29 2022/ASVINA 7, 1944

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2022

सं. 1-सीए(5)/73/2022.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है।

73वीं वार्षिक रिपोर्ट

जब पूरा देश स्वतंत्रता के 75 वर्षों का उत्सव मान रहा है, उसी समय आईसीएआई को इस बात का गर्व महसूस हो रहा है कि वह राष्ट्र निर्माण में एक प्रमुख भागीदार है। पिछले 75 वर्षों के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े विकास की साक्षी रही है और आईसीएआई गर्व से यह कह सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति ने राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आईसीएआई की परिषद् को 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अपनी 73वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। 1 जुलाई, 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा संस्थान के प्रारंभ से चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति का अत्यधिक विकास हुआ है। संस्थान, जिसे केवल 1700 सदस्यों के साथ स्थापित किया गया था, 31 मार्च, 2022 को उसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 3,51,232 हो गई है। यह रिपोर्ट, परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2021-2022 के दौरान की महत्वपूर्ण गतिविधियों और साथ ही संस्थान के 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की प्रमुख विशिष्टियों को उपदर्शित करती है। परिषद्, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के समाज में विद्यमान वर्तमान सम्मान के लिए सदस्यों और छात्रों की सराहना करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति सदस्यों और छात्रों द्वारा एक साथ मिलकर उपदर्शित की गई उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और ईमानदारी के द्वारा हुई है।

रिपोर्ट के लिए अनुक्रमणिका

क्र.सं.	**विवरण**
1.	परिषद्
2.	परिषद् की समितियां
3.	संपरीक्षक
4.	स्थायी समिति
4.1	कार्यपालक समिति
4.2	वित्त समिति
4.3	परीक्षा समिति
4.4	अनुशासन निदेशालय
5.	तकनीकी और वृत्तिक विकास
5.1	लेखांकन मानक बोर्ड
5.2	संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड
5.3	बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा समिति
5.4	व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति
5.5	सतत वृत्तिक शिक्षा समिति
5.6	निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति
5.7	प्रत्यक्ष कर समिति
5.8	आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाह संबंधी समिति
5.9	अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड
5.10	नैतिक मानक बोर्ड
5.11	विशेषज्ञ सलाहकार समिति
5.12	वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड
5.13	जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति
5.14	आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड
5.15	अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति
5.16	उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति
5.17	पियर पुनर्विलोकन बोर्ड
5.18	वृत्तिक विकास समिति
5.19	लोक वित्त और शासकीय लेखाकंन संबंधी समिति
5.20	जन संपर्क समिति
5.21	अनुसंधान समिति
5.22	वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड
5.23	पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति
5.24	संपरीक्षा समिति
5.25	अंकीय पुन: इंजीनियरी और संपरिवर्तन समिति
5.26	प्रबंधन समिति
5.27	मूल्यांकन मानक बोर्ड
5.28	कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड
5.29	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति

5.30	महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति
5.31	एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति
6.	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति
7.	अन्य समितियों द्वारा क्रियाकलाप
7.1	प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति
7.2	उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति
7.3	विधिक निदेशालय
7.4	अवसंरचना विकास संबंधी समिति
7.5	अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति
7.6	अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस संबंधी कार्यकरण समिति
7.7	रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति
7.8	यूडीआईएन निदेशालय
7.9	प्रकाशन और सीडीएस निदेशालय
7.10	संपरीक्षा क्वालिटी निदेशालय के लिए केंद्र
7.11	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
7.12	एक्सबीआरएल
7.13	आईसीएआई – लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन
7.14	आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन
7.15	आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान
7.16	क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड
8.	अन्य मामले
8.1	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस - 1 जुलाई, 2022
8.2	केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय
8.3	संपादक बोर्ड
9.	सदस्य
9.1	सदस्यता
9.2	दीक्षांत समारोह 2021-22
9.3	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि
9.4	एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि
9.5	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि
10	अध्ययन बोर्ड
10.1	अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक)
10.2	छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड- प्रचालन)
11.	कैरियर परामर्श समिति
12.	प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं
13.	वित्त और लेखा
14.	अनुशंसा
	परिषद् की संरचना - (2022-23)
	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे

1. परिषद्

पच्चीसवीं परिषद् का गठन 12 फरवरी, 2022 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था । वर्तमान में, परिषद् 32 निर्वाचित सदस्यों और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए 8 सदस्यों से मिलकर बनी है । संस्थान फरवरी, 2022 में पश्चिमी क्षेत्र से परिषद् सदस्य सीए. सुनील कुमार पटौदिया की दुखद और असमय मृत्यु को देखा है । उक्त सदस्य की मृत्यु के कारण परिषद् में हुई आकस्मिक रिक्ति को सितंबर, 2022 में उप चुनाव के माध्यम से भर दिया गया है । 25वीं परिषद् की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है ।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 के निबंधनानुसार 12 फरवरी, 2022 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति से संबंधित विषयों के बारे में स्थायी और विभिन्न गैर-स्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों का गठन किया था । 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न स्थायी और अस्थायी समितियों/बोर्डों और समूहों की 324 बैठकें आयोजित की गई थीं ।

3. संपरीक्षक

मैसर्स रवि राजन एंड कं. एलएलपी और मैसर्स रे एंड रे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे । परिषद् उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी अनुशंसा दर्ज करती है ।

4. स्थायी समिति

4.1 कार्यपालक समिति

कार्यपालक समिति आईसीएआई की परिषद् की स्थायी समितियों में से एक है । इस समिति के कृत्यों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 175 के अधीन विहित किया गया है । समिति के कुछ कृत्य, आर्टिकल्ड और संपरीक्षा सहायकों तथा सदस्यों के नामों का रजिस्टर में नामांकन करने, नामों को हटाए जाने, नामों की पुन: प्रविष्टि करने, व्यवसाय प्रमाणपत्र को रद्द करने, लेखांकन वृत्ति से भिन्न किसी अन्य कारबार या व्यवसाय में नियोजित होने के लिए अनुमति प्रदान करने से संबंधित है । कार्यपालक समिति संस्थान की संपत्तियों, आस्तियों और निधियों की अभिरक्षक भी है और साथ ही वह आईसीएआई के कार्यालय के रख-रखाव के लिए भी उत्तरदायी है ।

4.2 वित्त समिति

वित्त समिति, आईसीएआई की स्थायी समितियों में से एक है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप आरंभ किया गया था । यह समिति, अन्य बातों के साथ, सत्य और सही लेखाओं को रखे जाने, वार्षिक बजट तैयार करने, निधियों के निवेश, निधियों से राजस्व और पूंजी, दोनों प्रकार के व्ययों के लिए आहरण करने से संबंधित और अनुषंगी गतिविधियों का नियंत्रण, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण करती है ।

4.3 परीक्षा समिति

आईसीएआई की परिषद् के परीक्षाओं से संबंधित सभी कृत्यों का निर्वहन परीक्षा समिति द्वारा किया जाता है । परीक्षा समिति देश भर में और साथ ही विदेशों में भी एक उत्तम रीति से चार्टर्ड अकाउंटेंसी की परीक्षाओं का संचालन करती है । इन परीक्षाओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(I) परीक्षाएं

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 847 केंद्रों पर 5 जुलाई, 2021 से 20 जुलाई, 2021 के दौरान तथा फाउंडेशन परीक्षा का संचालन 24, 26, 28 और 30 जुलाई, 2021 के दौरान सभी सामाजिक दूरी संनियमों का पालन करते हुए सुचारू रूप से किया गया था । उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रम – जुलाई, 2021 परीक्षाएं

	केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		दोनों समूहों/किसी एक समूह की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	8873	385	26413	7957	3798	25
मध्यवर्ती	60335	17563	45423	10082	20668	2169
फाइनल (पुराना)	12556	1348	17044	2194	3949	62
फाइनल (नया)	49358	9986	42203	7328	23981	2870

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फाउंडेशन, मध्यवर्ती (आईपीसी), मध्यवर्ती और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाओं का संचालन पूरे देश में और विदेशों में स्थित 966 केंद्रों (कुल केंद्र 978, जिनमें 12 केंद्र में परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया) में 5 दिसंबर, 2021 से 20 दिसंबर, 2021 के दौरान सभी सामाजिक दूरी संनियमों का पालन करते हुए तथा अन्य आज्ञापक कोविड संबंधी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए सुचारू रूप से किया गया था । उक्त फाउंडेशन, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती (आईपीसी) और फाइनल (पुराना और नया) परीक्षाएं देने वाले और उन्हें उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

मध्यवर्ती और फाइनल परीक्षा – 2021 परीक्षाएं

	केवल समूह 1 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		केवल समूह 2 की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले		दोनों समूहों/किसी एक समूह की परीक्षा देने वाले और उत्तीर्ण करने वाले	
	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले	परीक्षाएं देने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
मध्यवर्ती (आईपीसी)	7427	400	20289	3407	3295	30
मध्यवर्ती	79822	17387	62029	7327	31136	3598
फाइनल (पुराना)	11364	1284	14106	1909	3109	44
फाइनल (नया)	57254	12767	54144	16525	28988	4437

फाउंडेशन पाठ्यक्रम – जुलाई, 2021 और दिसंबर, 2021 परीक्षाएं

	परीक्षा में बैठने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
फाउंडेशन परीक्षा जुलाई, 2021	71967	19158
फाउंडेशन परीक्षा दिसंबर, 2021	110662	33510

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी) का आयोजन देश भर में सफलतापूर्वक जुलाई, 2021 और जनवरी, 2022 के दौरान किया गया था । उक्त परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

<u>सूचना प्रणाली संपरीक्षा निर्धारण परीक्षा (आईएसए-एटी) – जुलाई, 2021 और जनवरी, 2022</u>

	परीक्षा में बैठने वाले	उत्तीर्ण होने वाले
आईएसए - एटी, जुलाई, 2021 (पुराना कोर्स)	5161	1308
आईएसए - एटी, जुलाई, 2021 (नया कोर्स)	903	194
आईएसए - एटी, जनवरी, 2022 (पुराना कोर्स)	2465	1203

आईएसए - एटी, जनवरी, 2022 (नया कोर्स)	1182	247

बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन जुलाई और दिसंबर, 2021 के दौरान देश भर में कराया गया था । इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :-

बीमा और जोखिम प्रबंध तकनीकी परीक्षा - जुलाई 2021 और दिसंबर, 2021

	परीक्षा देने वाले	**उत्तीर्ण होने वाले**
आईआरएम - तकनीकी परीक्षा, जुलाई, 2021	36	05
आईआरएम - तकनीकी परीक्षा, दिसंबर, 2021	35	12

सदस्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन जुलाई और दिसंबर, 2021 के दौरान किया गया था । इस परीक्षा को देने वाले और उसे उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या निम्नानुसार थी :

अंतर्राष्ट्रीय कराधान – निर्धारण परीक्षा (आईएनटीटी-एटी) का सफलतापूर्वक आयोजन - जुलाई 2021 और दिसंबर, 2021

	परीक्षा देने वाले	**उत्तीर्ण होने वाले**
जुलाई, 2021 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	137	42
दिसंबर, 2021 में आयोजित आईएनटीटी – एटी	193	09

वर्ष के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस) परीक्षाओं का भी नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार आयोजन किया गया था :

सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी अग्रिम एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस)

परीक्षा की तारीख	**नगरों की संख्या**	**परीक्षा केंद्रों की संख्या**	**परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या**	**परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या**
14.04.2021	73	78	3110	3038
30.06.2021	73	116	9817	9760
21.08.2021	74	80	2939	2866
19.09.2021	74	78	2799	2554
23.10.2021	75	77	2822	2807
25.11.2021	74	82	4008	3975
25.02.2022	81	99	6802	6681
20.03.2022	76	80	3933	3911

संस्थान अपनी परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं में सतत आधार पर सुधार करता रहा है । इस सुधार के दौरान प्रमुख रूप से अधिकतम स्वचालन तथा प्रक्रिया की क्वालिटी का अनुरक्षण करते हुए उच्च मानकों को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है । परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में सकल रूप से सुधार प्रश्नपत्र निर्धारित करने के प्रक्रम से आरंभ करते हुए परिणामों की घोषणा तक की प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए किया जाता है, जिससे परीक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा और संतता, जो कि पिछले अनेक दशकों से सुविख्यात है, अक्षुण्ण बनी रहे तथा उसे और अधिक मजबूत तथा विकसित किया जा सके ।

आईसीएआई की परीक्षाएं आधारिक रूप से सीए पाठ्यचर्या के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक विषय के संबंध में अवधारणात्मक समझ और साथ ही व्यवहारिक प्रयोग की जांच करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे छात्र उनके सामने आने वाली नई चुनौतियों और वृत्ति के विभिन्न पणधारियों की आशाओं पर खरे उतर सकें । संस्थान की परीक्षा प्रक्रिया मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने हेतु अपना ध्यान केंद्रित करती है कि उन परीक्षाओं को अर्हित करने वाले छात्र एक पूर्ण रूपेण योग्य वृत्तिक हों ।

(II) छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध संबंधी वेब इंटरफेस :--

आईसीएआई ने एक छात्र परीक्षा जीवन चक्र प्रबंध परियोजना नामक एकीकृत वेब इंटरफेस प्रारंभ किया था, जिस पर सीए के छात्र

एकल उपयोक्ता पहचान और पासवर्ड का उपयोग करते हुए विभिन्न परीक्षा संबंधी सेवाओं तक पहुंच बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत द्वितीय अंक सूचियां/ उत्तीर्ण प्रमाणपत्र/प्रतिलिपियों, केंद्र/ माध्यम/समूह में परिवर्तन के लिए आवेदन, परीक्षा-दर-परीक्षा प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड करना, परिणामों की जांच करना और परिणाम के पश्चात् उत्तर-पुस्तिकाओं के सत्यापन/उनकी प्रमाणित प्रतियों को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना आदि भी हैं।

(III) डिजीटल कार्यशाला :--

नवंबर, 2020 की परीक्षाओं और जनवरी, 2021 की परीक्षाओं से भौतिक कार्यशालाओं को समाप्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर डिजीटल कार्यशालाओं को आरंभ किया गया है तथा इस नई पहल के अधीन जुलाई, 2021 और दिसंबर, 2021 की परीक्षाओं में लगभग 8500 परीक्षकों ने डिजीटल कार्यशालाओं में भाग लिया था। इसके परिणामस्वरूप, लागत में काफी भारी बचत हुई और साथ ही परीक्षकों को भी इस प्रक्रिया में सुगमता और आसानी हुई, जिन्हें अन्यथा भौतिक कार्यशाला में भाग लेने हेतु लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती थी।

(IV) विद्यमान और नए परीक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा :--

वर्ष 2021-22 में, विद्यमान परीक्षकों के लिए पहली बार पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से केवल ऐसे विद्यमान परीक्षकों को परीक्षा संबंधी समनुदेशन आबंटित किए जाएंगे, जो आज्ञापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। इसी प्रकार, ऐसे नए आवेदकों को भी उक्त आज्ञापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो परीक्षक के रूप में पैनल में सम्मिलित होने की वांछा करते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान बहुत बडी संख्या में परीक्षकों को पैनलबद्ध करने तथा परीक्षकों के डाटाबेस में वृद्धि करने हेतु एक बृहत्त अभियान चलाया गया था। इस अभियान के परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान 412 नए परीक्षकों और 616 विद्यमान परीक्षकों ने आज्ञापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की और उनके नामों को परीक्षक डाटाबेस में जोड़ा गया था।

(V) परीक्षकों के लिए वेबकास्ट :--

परीक्षकों के लिए वेबकास्ट के माध्यम से उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की गुणवता में वृद्धि करने और उनमें संगतता लाने के लिए जुलाई, 2021 तथा दिसंबर, 2021 की परीक्षाओं के लिए कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। यह आशा की जाती है कि यह पहल मूल्यांकन की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होगी।

(VI) परीक्षा कृत्यकारियों के लिए वेबकास्ट/परीक्षा केंद्रों और संपरीक्षकों के लिए वेबकास्ट :--

जुलाई, 2021 और दिसंबर, 2021 की परीक्षाओं के लिए संप्रेक्षकों, परीक्षा केंद्रों के लिए दिशा-निर्देशों संबंधी वेबकास्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। देश भर में तथा विदेशों में सीए परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआई ने जुलाई, 2021 और दिसंबर, 2021 की परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों और संप्रेक्षकों हेतु एक वेबकास्ट का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

(VII) नए परीक्षा केन्द्र : जुलाई, 2021 में केवल फाउंडेशन परीक्षाओं के छात्रों के लिए पाटन (गुजरात) और मालेगांव (महाराष्ट्र) में नए परीक्षा केंद्रों को खोला गया था। उक्त केंद्रों को दिसंबर, 2021 में कराई गई परीक्षाओं के लिए भी बनाए रखा गया था।

(VIII) मेडल और पुरस्कार : विभिन्न परीक्षाओं/प्रश्न-पत्रों और प्रवर्गों में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अव्वल रैंक धारकों को विभिन्न मेडल, पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए थे।

4.4 अनुशासन निदेशालय

अनुशासन निदेशालय, आईसीएआई के विनियामक खंड को सदस्यों के विरुद्ध "प्ररूप I में एक औपचारिक शिकायत" या किसी "सूचना" के माध्यम से प्राप्त अभिकथित वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोपों के मामलों के संबंध में अन्वेषण करने हेतु स्थापित किया गया है जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के मामलों में अन्वेषण प्रक्रिया और मामलों का संचालन) विनियम, 2007 में उपबंधित है।

अनुशासन तंत्र के अधीन आईसीएआई के अनुशासन निदेशालय को यह आज्ञापक कर्तव्य सौंपा गया है कि वह देश भर में स्थित उसके सदस्यों द्वारा की गई किन्हीं अभिकथित त्रुटियों/अनियमितताओं की जांच करे, जिससे न केवल सभी पणधारियों और साधारण जनता में वृत्ति के प्रति विश्वास अक्षुण्ण बना रहे अपितु साधारण रूप से वृत्ति के सदस्यों को स्वीकार्य वृत्तिक आचार के मानदंड उपलब्ध कराए जा सकें। हालांकि, अधिकांश सदस्य अपनी वृत्तिक विशेषज्ञता और अनुभव के माध्यम से समाज और विश्व को निस्वार्थ और समर्पित सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं फिर भी आईसीएआई के लिए सतत रूप से यह आवश्यक है कि वह अपने संतुलित अनुशासन तंत्र के माध्यम से

सावधानी बरते और नगण्य सदस्यों, जो असावधानीवश विधि का उल्लंघन कर बैठते हैं, को सही दिशा प्रदान करे ।

वर्ष 2006 में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों के निबंधनानुसार आईसीएआई के अनुशासन तंत्र में कतिपय महत्वपूर्ण और अत्यंत नवीन परिवर्तन हुए हैं, जो मुख्यत: अनुशासन संबंधी मामलों के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंधों में कार्यान्वित किए गए हैं, जिससे अनुशासन संबंधी मामलों के निपटान की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके । तदनुसार, आज की तारीख में अनुशासन तंत्र अपने दो अर्ध-न्यायिक निकायों, जिन्हें चार्टर्ड अकाउंटेट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार गठित किया गया था, के माध्यम से अपना कार्यकरण कर रहा है, अर्थात् :--

- धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड ; और
- धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति ।

अनुशासन तंत्र में अंतर्वलित प्रक्रियाओं को ऐसी रीति में विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो पारदर्शिता सुनिश्चित करती हैं और इस प्रकार इस क्षेत्र के पणधारियों और साधारण जनता के विश्वास में अभिवृद्धि करती हैं और साथ ही ऐसे सदस्यों को, जिन पर वृत्तिक और/या अन्य कदाचार के आरोप लगाए गए हैं, निष्पक्ष और साम्यापूर्ण न्याय उपलब्ध कराती हैं ।

व्यवसायियों और फर्मों की जवाबदेही में सुदृढ़ता लाने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि युक्तियुक्त समय के भीतर न्याय प्रदान किया जाता है, वर्ष 2022 में चार्टर्ड अकाउंटेट्स अधिनियम, 1949 का संशोधन किया गया है । यद्यपि, उस तारीख को अभी अधिसूचित किया जाना है, जिसको अनुशासन संबंधी उपबंध लागू होंगे, फिर भी यह सुनिश्चित करने हेतु उपाय आरंभ कर दिए गए हैं कि संशोधित अधिनियम में यथा परिकल्पित लोक जवाबदेही और न्याय का शीघ्र परिदान किया जाए ।

वर्तमान परिषद् वर्ष के दौरान अनुशासन समिति की चार खंडपीठों का गठन किया गया है, अर्थात् खंडपीठ I, खंडपीठ II, खंडपीठ III और खंडपीठ IV और अनुशासन बोर्ड की एक खंडपीठ का भी गठन किया गया है, जिससे निदेशक (अनुशासन) द्वारा तैयार की गई प्रथमदृष्ट्या राय पर विचार किए जाने के साथ-साथ जांच के अधीन मामलों के संबंध में भी शीघ्र निपटान की कार्यवाही की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त, धारा 21घ के अधीन अध्यक्ष, आईसीएआई की अध्यक्षता वाली अनुशासन समिति शेष बचे पुराने मामलों और ऐसे मामलों, जो उसे परिषद् द्वारा पुन: निर्दिष्ट किए जाते हैं, के संबंध में कार्यवाही करेगी ।

(I) विशिष्ट पहलें/उपलब्धियां :

- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के सदस्यों की प्रभावी भागीदारी के साथ ई-सुनवाईयों का सफलतापूर्वक आयोजन । वर्तमान कोविड महामारी की स्थिति में यह प्रक्रिया एक वरदान साबित हुई है और साथ ही इससे समय और लागत की भी बचत होती है तथा इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि मामले के पक्षकार कोविड महामारी के कारण अधिरोपित किए गए यात्रा संबंधी निर्बंधनों के संबंध में चिंता किए बिना अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के समक्ष उपस्थित हो सकें । ई-सुनवाईयों की प्रभाविकता स्पष्ट रूप से इसके माध्यम से निपटाए गए मामलों की संख्या में उपदर्शित होती है, जिनके संबंध में अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति की बैठकों में कार्यवाही की गई, जैसा कि पश्चातवर्ती पैराओं में कथन किया गया है । कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में लाकडाउन के बावजूद भारी संख्या में मामलों का निपटारा किया गया है ।
- अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चित किए गए अनुशासन संबंधी मामलों के ब्यौरों और साथ ही अन्य चीजों के साथ मामलों की वाद सूची को भी अनुशासन निदेशालय के समर्पित वेब पोर्टल पर रखा जा रहा है, जिससे विभिन्न पणधारियों के बीच और अधिक जागरुकता का सृजन किया जा सके और अनुशासन निदेशालय से संबंधित जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु एकल पटल उपलब्ध कराया जा सके ।
- अनुशासन निदेशालय के अभिलेखों के अंकीयकरण के लिए अनुशासन निदेशालय के भौतिक अभिलेखों को स्कैन किए जाने संबंधी कार्यवाही को प्रारंभ किया गया है ।
- आज की तारीख तक पुराने अनुशासन तंत्र (धारा 21ख के अधीन) के अधीन शेष बचे सभी मामलों की सुनवाई पूरी हो गई है और उक्त मामलों में निर्णय सुना दिया गया है, सिवाए एक मामले के, जो संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा मंजूर किए गए आस्थगन के कारण लंबित है ।

(II) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन अनुशासन बोर्ड

अनुशासन बोर्ड का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क के अधीन किया गया है

ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक और अन्य कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं और/या ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए भी जहां सदस्यों को निदेशक (अनुशासन) द्वारा प्रथमदृष्टया रूप से किसी कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है ।

अवधि के दौरान, अनुशासन बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर 51 बैठकें की थी, जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं । इन बैठकों में, बोर्ड ने 46 मामलों, जिनके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे, में अपनी जांच पूरी की थी । ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन बोर्ड द्वारा की गई बैठकों की संख्या	51
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन बोर्ड (धारा 21क के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी ।	160
ग)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामलों) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा जांच पूरी कर ली गई थी (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	46
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन बोर्ड द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन बोर्ड को निर्दिष्ट किया गया था)	58

(III) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन अनुशासन समिति

अनुशासन समिति का गठन आईसीएआई की परिषद द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख के अधीन किया गया है ताकि वह सदस्यों द्वारा वृत्तिक कदाचार के ऐसे मामलों पर विचार कर सके, जो केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची या पहली तथा दूसरी अनुसूची, दोनों के परिधि-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।

पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान, अनुशासन समिति (सभी खंडपीठों) ने 72 बैठकें की थी, जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा की गई बैठकें भी सम्मिलित हैं । पूर्वोक्त बैठकों के अनुक्रम के दौरान, समिति ने 127 मामलों में अपनी जांच पूरी की थी, जिसके अंतर्गत पूर्व वर्षों में उसे निर्दिष्ट किए गए मामले भी सम्मिलित थे । ऐसे मामलों के, जिनका अनुशासन समिति द्वारा विनिश्चय किया गया था, सांख्यिकी संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान

क्रम सं.	विशिष्टियां	मामलों की सं.
क)	पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति द्वारा की गई बैठकों की संख्या	72
ख)	ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन पर अनुशासन समिति (धारा 21ख के अधीन) द्वारा विचार किया गया था, जिनमें निदेशक (अनुशासन) की प्रथमदृष्टया राय प्राप्त की गई थी ।	154
ग)	उपरोक्त में से ऐसे शिकायत/सूचना संबंधी मामलों की संख्या, जिन्हें आगे और जांच के लिए अनुशासन समिति* द्वारा निर्दिष्ट किया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था) * ऐसे मामलों सहित, जो निर्दिष्ट किए गए हैं	127
घ)	ऐसे मामलों (शिकायत/सूचना संबंधी मामले) की संख्या, जिनमें अनुशासन समिति*	137

	द्वारा दंड दिया गया था (ऐसे मामलों सहित, जिन्हें पूर्व वर्षों के दौरान अनुशासन समिति को निर्दिष्ट किया गया था) *ऐसे मामलों सहित, जो निर्दिष्ट किए गए हैं	

(IV) धारा 21घ के अधीन अनुशासन समिति

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21घ के उपबंधों के अधीन कार्यरत अनुशासन समिति, 2006 में पूर्वोक्त अधिनियम में किए गए संशोधनों से पूर्व लंबित शेष मामलों के संबंध में जांच करती है और परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

ऐसे मामले, जिन पर पुराने अनुशासन तंत्र [धारा 21घ] के अधीन कार्यवाही की गई

1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के दौरान परिषद् और अनुशासन समिति के समक्ष रखे गए मामलों से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं।

चूंकि, अनुशासन समिति द्वारा वर्ष 2018 में ही शेष सभी मामलों के संबंध में सुनवाई पूरी कर दी गई थी तथा उनका निपटारा कर दिया गया था, इसलिए पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान समिति की किसी बैठक का आयोजन नहीं किया गया। पूर्वोक्त अवधि के दौरान अनुशासन समिति की दो रिपोर्टों (ऐसे मामलों से उद्भूत होने वाले, जिन्हें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वापस भेजा गया है) के संबंध में परिषद् द्वारा विचार किया गया था।

उपरोक्त दो रिपोर्टों में से एक मामले में प्रत्यर्थी को दूसरी अनुसूची के अधीन दोषी पाया गया है और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया गया है और उसे चार्टर्ड अकाउंटेट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(5) के अधीन उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाना है तथा दूसरे मामले में प्रत्यर्थी को पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची/अन्य कदाचार के अधीन दोषी पाया गया है।

इसके अतिरिक्त, पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कदाचार के संबंध में परिषद् द्वारा प्रत्यर्थी को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(4) (जैसी कि वह संशोधन से पूर्व विद्यमान थी) के अधीन सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक आदेश पारित किया गया है।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी)

लेखांकन मानक बोर्ड नए लेखांकन मानकों का सृजन करके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों का इस उद्देश्य के साथ पुनरीक्षण करके इस दिशा में सतत रूप से कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारतीय लेखांकन मानकों को अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के समरूप बनाना है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, लेखांकन मानक बोर्ड (एएसबी) द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख क्रियाकलापों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

(I) वित्तीय रिपोर्टिंग मानक :

- **इंड एएस का संशोधन –** आईसीएआई द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अधीन इंड एएस में सिफारिश किए गए निम्नलिखित संशोधनों को अधिसूचित किया गया है :
  - कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2021, जिन्हें तारीख 18 जून, 2021 को अधिसूचित किया गया था।
  - कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022, जिन्हें तारीख 23 मार्च, 2022 को अधिसूचित किया गया था।
- इंड एएस 8, लेखांकन नीतियां, लेखांकन प्राक्कलनों और त्रुटियां में परिवर्तन, इंड एएस 1, वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण, इंड एएस 12, आय-कर में संशोधन, इंड एएस 117, बीमा संविदाओं में संशोधन तथा इंड एएस में संपादकीय शुद्धियां, जैसा कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा सिफारिश की गई है।
- आईबीओआर चरण 2 : प्रतिस्थापन पश्च मुद्दों के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण में सीमित संशोधनों को जारी किया गया।
- वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक प्राधिकरण (एनएफआरए) को 17 पुनरीक्षित एएस प्रस्तुत किए गए।

- परिषद् वर्ष 2021-22 के दौरान इंड एएस कार्यान्वयन पहलों के भागरूप में तत्कालीन इंड एएस कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र (डीएलएच) मंच के माध्यम से इंड एएस संबंधी आनलाइन पाठ्यक्रम के बारह (12) बैचों का संचालन किया गया । इसके साथ ही इंड एएस 40, कृषि से संबंधित शैक्षिक सामग्री तथा भारतीय लेखांकन मानक : एक पर्यावलोकन (पुनरीक्षित संस्करण 2021) को भी जारी किया गया ।

(II) अंतर्राष्ट्रीय पहलें : दीर्घकालिक भागीदारियां स्थापित करना

- अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) और आईएफआरएस (आईसी) द्वारा जारी विभिन्न परामर्शी दस्तावेजों (उदभासन प्रारूपों/परिचर्चा पत्रों/अंतरिम कार्यसूची विनिश्चयों) के संबंध में टीका-टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया था ।
- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय चिंताओं का समाधान करने के लिए आईएएसबी परामर्शी दस्तावेजों के संबंध में विभिन्न आउटरीच बैठकों का आयोजन किया गया था, जिससे उद्योग तथा अन्य पणधारियों से भारतीय चिंताओं के प्रति समझ प्राप्त हो सके ।
- आईसीएआई ने 22-24 नवंबर, 2021 के दौरान वर्चुअल रूप से आयोजित बैठक, अर्थात्, तेरहवीं एओएसएसजी की वार्षिक बैठक में भाग लिया । पूर्व सभापति के रूप में भारत ने एओएसएसजी की अध्यक्षता श्रीलंका को सौंप दी । इस बैठक में एओएसएसजी के इक्कीस सदस्य मानक निर्धारकों और आईएएसबी से आए प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया । आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने आईएएस 7, नकद प्रवाहों संबंधी विवरण में अंतर्वलित मुद्दों के संबंध में कार्यसूची मद को प्रस्तुत किया ।
- आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान आयोजित की गई उभरती अर्थव्यवस्थाओं संबंधी समूह (ईईजी) की बैठकों, आईएफएएसएस की बैठकों और आईएफआरएस सलाहकार परिषद् (आईएफआरएस-एसी) की बैठकों में भाग लिया था ।

(III) विनियामक निकायों के साथ उत्तम संबंध बनाना

- बोर्ड, विभिन्न विनियामकों (कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि) द्वारा निर्दिष्ट लेखांकन संबंधी विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करके विनियामक निकायों के साथ उत्तम संबंध स्थापित करने के प्रति कार्य करता है और जहां कहीं उचित प्रतीत हुआ वहां सुसंगत विनियामकों के साथ विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(IV) इंड एएस कार्यान्वयन समर्थन

परिषद् वर्ष 2021-22 के दौरान इंड एएस कार्यान्वयन पहलों के भागरूप में तत्कालीन इंड एएस कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में निम्नलिखित क्रियाकलाप आरंभ किए गए थे :

- आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र (डीएलएच) मंच के माध्यम से इंड एएस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के बारह (12) बैचों का आयोजन किया गया । सभी 12 बैचों के लिए आनलाइन व्याख्यान सत्रों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, जिनमें लगभग 2218 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया ।

परिषद् वर्ष 2022-23 के दौरान इंड एएस कार्यान्वयन संबंधी क्रियाकलापों को एएसबी के तत्वाधान में पूरा किया जा रहा है ।

(V) वेबकास्ट/वेबीनार/आउटरीच बैठकें :

लेखांकन मानकों और एएसबी द्वारा विरचित इंड एएस के संबंध में जागरुकता का सृजन करने तथा उनसे संबंधित ज्ञान के अनिवार्य प्रसार के लिए विभिन्न वेबकास्टों/वेबीनारों/ आउटरीच बैठकों का आयोजन किया गया था ।

(VI) अन्य पहलें :

- सदस्यों और अन्य पणधारियों के फायदे के लिए एएसबी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए एक सामान्य मंच उपलब्ध कराने के लिए एक नई समर्पित वेबसाइट को तैयार और आरंभ किया गया है, जो www.asb.icai.org के रूप में है और जो आईसीएआई की वेबसाइट पर एएसबी के पृष्ठ पर उपलब्ध है ।
- एएसबी के सभी प्रकाशनों और एएस तथा इंड एएस से संबंधित सभी वीडियो व्याख्यानों को डिजीटल पठन केंद्र पर अपलोड किया गया है ।

(VII) जारी किए गए प्रकाशन :

- लेखांकन मानकों का सार-संग्रह (1 फरवरी, 2022 को यथा विद्यमान)

- भारतीय लेखांकन मानकों का सार-संग्रह (1 अप्रैल, 2022 को यथा विद्यमान)
- इंड एएस से संबंधित मार्गदर्शन सामग्री का ई-पाठ ।
- इंड एएस 34, अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित शैक्षिक सामग्री ।
- व्युत्पन्नी संविदाओं के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षित संस्करण 2021) ।
- लेखांकन मानक : सूक्ष्म गैर-कंपनी अस्तित्वों के लिए सुगम संदर्भिका ।
- गैर कारपोरेट अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों से संबंधित तकनीकी गाइड ।
- सीमित दायित्व भागीदारियों के वित्तीय विवरणों से संबंधित तकनीकी गाइड ।
- एएस 40, कृषि से संबंधित शैक्षिक सामग्री ।
- भारतीय लेखांकन मानक : एक पर्यावलोकन (पुनरीक्षित संस्करण 2021) ।

5.2 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (एएएसबी)

एएएसबी का प्रमुख कृत्य ऐसे नियोजन और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों को तैयार करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त हों और जो आईएफएसी के अंतर्राष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) द्वारा जारी स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों से भलीभांति समन्वित हों । एएएसबी अन्य प्राधिकृत साहित्य को भी तैयार करता है तथा उसे जारी करता है, जैसे कि संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पण और साथ ही वह अप्राधिकृत साहित्य को भी तैयार करके जारी करता है, जैसे कि मानकों से संबंधित कार्यान्वयन गाइडें, उद्योग विनिर्दिष्ट/जैनरिक तकनीकी गाइडें ।

(I) मंत्रालयों, विनियामकों को अभ्यावेदन/सुझाव

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने तारीख 18 फरवरी, 2022 को सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अधीन प्रस्थापित दस्तावेज में 'इश्यु की कीमत के आधार' खंड हेतु प्रकटनों से संबंधित एक परामर्श पत्र को जनसाधारण की टीका-टिप्पणियों हेतु जारी किया था । बोर्ड ने उक्त परामर्श पत्र पर विचार किया । बोर्ड ने उक्त परामर्श पत्र के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाओं को अंतिम रूप प्रदान कर दिया है और उन्हें सेबी को प्रस्तुत कर दिया गया है ।
- बोर्ड ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) से प्राप्त जी 20 पृष्ठभूमि पत्र तथा भ्रष्टाचार से जूझने हेतु संपरीक्षा की भूमिका में अभिवृद्धि किए जाने संबंधी उच्चस्तरीय सिद्धांतों के संबंध में आईसीएआई की प्रतिक्रिया को प्रस्तुत कर दिया है ।
- बोर्ड (वृत्तिक विकास समिति के साथ संयुक्त रूप से) ने भारतीय बैंक संगम को भारत में विभिन्न बैंकों से सीधे खाते में अतिशेष संबंधी अभिपुष्टियों को अभिप्राप्त करने में संपरीक्षकों के सामने आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान करने के लिए आईसीएआई के सुझावों के संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

(II) जारी किए गए प्रकाशन

बोर्ड ने साधारण रूप से सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए :

- कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(ड.) और नियम 11(च) के अधीन रिपोर्टिंग संबंधी कार्यान्वयन गाइड ।
- बैंकों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण, 2022 संस्करण ।
- संपरीक्षा मानक (एसए) 210, संपरीक्षा नियोजनों के निबंधनों को स्वीकार किया जाना संबंधी कार्यान्वयन गाइड ।
- संपरीक्षा मानक (एसए) 560, पश्चातवर्ती घटनाओं संबंधी कार्यान्वयन गाइड ।

(III) सदस्यों के लिए पहलें

- बोर्ड ने सदस्यों की जागरुकता और वृत्तिक प्रगति हेतु संपरीक्षा मानकों, बैंक संपरीक्षा और अन्य संपरीक्षा पहलुओं पर विभिन्न संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, वेबकास्टों, वर्चुअल सीपीई बैठकों और जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

- पूर्व वर्षों की भांति बोर्ड ने इस वर्ष भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षाओं से संबंधित सदस्यों की शंकाओं का समाधान करने हेतु विशेषज्ञों के एक ऑनलाइन पैनल का गठन किया। इस पैनल ने 1 अप्रैल, 2022 से 15 अप्रैल, 2022 तक की अवधि के दौरान सदस्यों की शंकाओं का समाधान किया।
- इस वर्ष बोर्ड ने संपरीक्षा पहलूओं के संबंध में कानूनी संपरीक्षा से संबंधित शंकाओं का समाधान करने हेतु एक विशेषज्ञ पैनल का भी गठन किया। उक्त पैनल के विशेषज्ञ 30 सितंबर, 2022 तक शंकाओं का समाधान करेंगे।
- बोर्ड ने समय-समय पर सदस्यों से प्राप्त संपरीक्षा के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विभिन्न शंकाओं के संबंध में उत्तर/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए।

(IV) अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- अध्यक्ष, एएएसबी और उपाध्यक्ष, एएएसबी ने 11-12 मई, 2022 के दौरान आयोजित आईएएएसबी – एनएसएस की वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
- उपाध्यक्ष, एएएसबी ने 3-4 मई, 2022 के दौरान पेरिस में आयोजित कम जटिल अस्तित्वों (एलसीई) की संपरीक्षा संबंधी तीसरे सम्मेलन के दौरान आयोजित पैनल सत्र में एक पैनलबद्ध सदस्य के रूप में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एएएसबी ने 12 नवंबर, 2021 को कम जटिल अस्तित्वों (एलसीई) की संपरीक्षा के लिए प्रस्तावित मानकों के संबंध में आईएफएसी – आईएएएसबी/सीएपीए/एसएएफए गोलमेज वर्चुअल वेबीनार में भाग लिया।
- उपाध्यक्ष, एएएसबी ने 12 नवंबर, 2021 को कम जटिल अस्तित्वों के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षाओं (एलसीई के लिए आईएसए) संबंधी प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के उदभासन प्रारूप पर आईएएएसबी – आईएएईआर में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एएएसबी और उपाध्यक्ष, एएएसबी ने 28 अक्तूबर, 2021 को आयोजित संयुक्त आईईएसबीए – आईएएएसबी एनएसएस की बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एएएसबी और उपाध्यक्ष, एएएसबी ने 12-13 मई, 2021 के दौरान आयोजित आईएएएसबी एनएसएस की बैठक में भाग लिया।
- अध्यक्ष, एएएसबी और उपाध्यक्ष, एएएसबी ने 12 मई, 2021 को आयोजित आईईएसबीए – आईएएएसबी एनएसएस की बैठक में भाग लिया।

5.3 बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा समिति (बीएफएसएंडआईसी)

बैंकिंग वित्तीय सेवाएं और बीमा समिति (बीएफएसएंडआईसी) आईसीएआई की गैर-स्थायी समितियों में से एक है, जिसका गठन देश में वित्तीय सेक्टर के विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाने और सदस्यों को स्वयं के लिए एक नया उत्कृष्ट स्थान सुनिश्चित करने हेतु सज्जित करने के लिए किया गया था। समिति स्वविवेकानुसार विनियामकों/ सरकार तथा वित्तीय सेक्टर के अन्य घटकों को अंत:निवेश उपलब्ध कराती है या जब कभी उससे अनुरोध किया जाता है तो वह सुधार हेतु नई पहलें करती हैं। समिति चल रहे वित्तीय सेक्टर संबंधी सुधारों के संदर्भ में तथा ऐसी परिस्थितियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट किस प्रकार उभरते आयामों में उनकी सहायता कर सकते हैं, जैसे प्रश्नों के संबंध में आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, आरबीआई आदि के साथ परस्पर क्रियाएं करती है।

समिति, आईसीएआई के सदस्यों के लिए बीमा और जोखिम प्रबंध संबंधी एक अर्हता-पश्च डिप्लोमा का भी संचालन करती है, जिससे सदस्यों को बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्र हेतु सज्जित किया जा सके ताकि वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटकों तथा साधारण जनता को बीमा तथा जोखिम प्रबंध संबंधी सलाहकारी सेवाएं उपलब्ध करा सकें।

पहलें:-

- समिति ने डीआईआरएम रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के लिए ऑनलाइन रूप से छह पात्रता परीक्षाओं का भी आयोजन किया, जिससे वे पाठ्यक्रम की अपेक्षा को पूरा करते हुए नवंबर, 2022 के पश्चात् आयोजित की जाने वाली तकनीकी परीक्षाओं में बैठने के लिए पात्र बन सकें।
- समिति ने ग्यारह वर्चुअल सीपीई बैठकों, एक आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, एक राष्ट्रीय सम्मेलन और नौ संगोष्ठियों का आयोजन किया है, जो वृत्तिक संगतता तथा दिलचस्पी के विषयों से संबंधित थी, जिनमें अन्यों के साथ, "नई श्रम विधियां : कारबार पर प्रभाव, वित्तीय सेवाएं और सीए के लिए उनकी संगतता", "हाल की प्रवृत्तियां और डाटा प्राइवेसी विधियों में विकास और वित्तीय सेवा सेक्टरों तथा सीए वृत्ति पर प्रभाव", "नए आरबीआई परिपत्र और एनबीएफसी संपरीक्षा",

"परियोजना वित्तपोषण रिपोर्ट तैयार करना", "कानूनी बैंक शाखा संपरीक्षा का पर्यावलोकन, नवीनतम आईआरएसी संनियम/परिपत्र और अग्रिमों के विश्लेषण में एक्सेल का उपयोग" जैसे विषय सम्मिलित थे।

- समिति ने सदस्यों और जनसाधारण के फायदे के लिए बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा सेक्टरों के संबंध में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करने संबंधी पहल की है।
- 27 मई, 2022 तक डीआईआरएम पाठ्यक्रम हेतु 5457 रजिस्ट्रीकरण हो चुके थे।

5.4 व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी)

व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक प्रावधानों के अधीन सृजित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति है। आईसीएआई की व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति (सीएमपी) का सृजन व्यवसायियों और सीए फर्मों को पुनरुजीवित करने के उद्देश्य से किया गया था और वह इस उद्देश्य के प्रति समर्पित प्रयास कर रही है।

आईसीएआई के विजन के अनुरूप समिति का प्रमुख उद्देश्य समेकन के माध्यम सीए फर्मों की सक्षमता का निर्माण करना तथा सदस्यों की वृत्तिक सक्षमता को विकसित और उन्नयन करके व्यवसायरत सदस्यों को सशक्त बनाना है।

आईसीएआई के सक्षमता रखने वाले कुशल वृत्तिकों का विकास करने के मिशन के अनुरूप समिति विभिन्न क्रियाकलाप करती है, जिससे सक्षम वृत्तिक न केवल भारत में अपितु विश्व भर में अपने ग्राहकों को उच्च स्तर की सेवाएं प्रदान कर सकें, जिसके लिए तकनीकी कौशल और साथ ही भिन्न-भिन्न संस्कृतियों का मूल्यांकन तथा वैश्विक आवश्यकताओं के प्रति आधारिक समझ अपेक्षित है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समिति कार्यशालाओं/सम्मेलनों/ संगोष्ठियों/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों/विचार-विमर्श सत्रों/ परस्पर क्रियाशील सत्रों का आयोजन करती है, जिससे ऐसे मार्गों और साधनों को विकसित किया जा सके, जिनसे व्यवसायरत सदस्यों के ज्ञान आधार में अभिवृद्धि हो ताकि वे एक दक्ष रीति में अपने व्यवसाय का प्रबंध करने में समर्थ हो सकें और साथ ही व्यवसाय के उभरते हुए तथा विशेषीकृत सेवा क्षेत्रों की पहचान करने में उनकी सहायता की जा सके।

समिति ने कौशल विकास, ज्ञान प्रबंधन, व्यक्तिगत/व्यवसायिक सुरक्षा/फायदों आदि के लिए फायदाप्रद उत्पादों और/या सेवाओं की व्यवस्था करने संबंधी एक पहल की है और साथ ही वह विभिन्न अस्तित्वों के सहयोग से ऐसे अन्य उत्पाद/सेवाओं को भी उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है, जिससे वृत्तिक विकास हो तथा सदस्यों के विकास को भी सुनिश्चित किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समिति ने सदस्यों के लिए निम्नलिखित पहलें की :

(I) आईसीएआई के सदस्यों के फायदे हेतु की गई पहलों की सूची :

- **बीमा उत्पाद :** समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए 10 बीमा उत्पादों के लिए करार किया है, जिनमें चिकित्सा बीमा, मोटर यान बीमा, गृह बीमा, निजी दुर्घटना बीमा, कार्यालय संरक्षा शील्ड बीमा सम्मिलित है, जिसके हेतु न्यू इंडिया एश्योरेंस के साथ करार किया गया, इसके अतिरिक्त, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह टर्म बीमा के लिए करार किया गया तथा स्वास्थ्य बीमा, टॉप अप बीमा, समूह पूर्ण सुरक्षा बीमा हेतु अन्य सुप्रसिद्ध प्राइवेट कंपनियों के साथ करार किया गया।
- **साफ्टवेयर उत्पाद :** तेजी से बदलती वृत्ति और पिछले कुछ समय से होने वाले आधुनिक प्रौद्योगिकी विकासों को ध्यान में रखते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र सारवान रूप से विस्तृत हुआ है और प्रौद्योगिकी को अंतर्वलित किए जाने के कारण सेवाओं का प्रदान किया जाना सुगम तथा त्रुटि रहित हो गया है। बट्टा प्राप्त दरों पर हमारे सदस्यों के लिए साफ्टवेयर की यह व्यवस्था उन्हें उनके कार्यालयों को युक्तियुक्त लागत पर स्वचालित बनाने में सहायक सिद्ध होगी। समिति ने ऐसे अनेक करार किए हैं, जहां नि:शुल्क साफ्टवेयर की प्रसुविधा का लाभ दो से तीन वर्ष की अवधि के लिए लिया जा सकता है।

  समिति ने 16 साफ्टवेयरों के लिए ठहराव किया है, जिनमें टेली, एकीकृत जीआरसी उत्पाद सूईट साफ्टवेयर, सिम्पलीफाइड प्रैक्टिस मैनेजमेंट साफ्टवेयर, व्यवसायियों हेतु पैपिलियो साफ्टवेयर, एक्सबीआरएल साफ्टवेयर, एंटी वायरस संरक्षा प्रसुविधा, जीएसटी वार्षिक विवरण साफ्टवेयर, आल इन वन लेखांकन साफ्टवेयर, इएफएफ फैक्टर साफ्टवेयर, टीडीएस साफ्टवेयर, सीओआरडीएल प्रैक्टिस मैनेजमेंट साफ्टेवयर, अनुसंधान मैपिंग साफ्टवेयर, आटोमेटिक अकाउंट कंफर्मेशंस एंड रिकन्सीलिऐशन साफ्टवेयर, जीएसटी साफ्टेवयर, जौहो लेखांकन साफ्टेवयर, काउंट मैजिक साफ्टेवयर सम्मिलित हैं।
- **प्रकाशन :** समिति ने प्रमुख प्रकाशकों तथा विधि गृहों के साथ करार किया है, जिसके अधीन हमारे सदस्य कर, वाणिज्यिक

कर और बजट संबंधी प्रकाशनों की व्यापक रेंज में से विशेष मिश्रित प्रकाशनों को बट्टा प्राप्त दरों पर प्राप्त कर सकेंगे ।

- **ऋण सुविधा :** समिति ने बैंक आफ बडौदा से सदस्यों हेतु आजीवन नि:शुल्क क्रेडिट कार्डों और भारतीय स्टेट बैंक से एसएमई वित्तपोषण के लिए प्रबंध किए हैं ।

- **स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं :** प्रमुख अस्पतालों जैसे कि मेदांता, मैक्स हेल्थ केयर आदि तथा नैदानिक और संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल परीक्षणों के लिए डाक्टर लाल पैथ लैब से आईसीएआई के सदस्यों को रियायती दरों का प्रस्ताव किया जा रहा है ।

- **वाणिज्यिक और यात्रा फायदे :** सैमसंग इलैक्ट्रानिक और ट्रेवल पोर्टल के साथ उत्पादों तथा सेवाओं को रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की अवधि को विस्तारित करने हेतु ठहराव किए गए हैं ।

ऊपर उल्लिखित सभी ठहरावों के ब्यौरे https://cmpbenifits.icai.org/ पर उपलब्ध हैं ।

(II) सक्षमता निर्माण संबंधी उपाय :

- **डिजीटल संपरीक्षा टूल का विकास :**

  यह अत्यंत आवश्यक है कि लघु और मध्यम व्यवसायियों को समुचित आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस किया जाए, जिससे उन्हें उनके उत्तरदायित्वों का और अधिक प्रभावी तथा दक्ष रूप से निर्वहन करने हेतु समर्थ बनाया जा सके । यह उल्लेख करना सुसंगत है कि एसएमपी के पास काफी सीमित मात्रा में वित्तीय संसाधन होते हैं और उनके पास उनके निमित ऐसे टूलों के विकास हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी का भी अभाव होता है और इसलिए यह एक अत्यंत सुसंगत उपाय होगा, यदि आईसीएआई स्वयं ऐसे टूलों और साफ्टवेयर का विकास करके उन्हें एसएमपी को उपलब्ध कराए । इससे व्यवसाय का मानकीकरण भी सुनिश्चित होगा । संपरीक्षा संबंधी टूल वृत्ति के लिए अत्यंत कारगर सिद्ध होंगे तथा वे सदस्यों के व्यवसाय के स्तर को ऊंचा करने में सहायता करेंगे ।

  समिति आईसीएआई के सदस्यों के फायदे के लिए ऐसे साफ्टवेयरों के उपापन की प्रक्रिया कर रही है और इस प्रक्रिया को सम्यक् अनुक्रम में पूरा किया जाएगा ।

  - **वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :**

    - **धन प्रबंधन और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (डब्ल्यूएमएफपी)**

      इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य संस्थान के सदस्यों को बेहतर वित्तीय दृष्टिकोण के संबंध में समझ उपलब्ध कराना है । चार्टर्ड अकाउंटेंटों को धन के प्रबंध से संबंधित आधारिक सिद्धांतों से अवगत कराने और साथ ही एक प्रभावी निवेश रणनीति तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करना इस पाठ्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है । यह पाठ्यक्रम व्यवहारिक प्रक्रियात्मक पहलूओं के संबंध में गहन अंतर ज्ञान प्रस्तावित करता है और साथ ही यह बहु आयामी वित्तीय परामर्शियों के रूप में उच्चस्तरीय सदस्यों को तैयार करता है तथा यह एसएमपी खंड और सीए फर्मों के सदस्यों में जागरुकता का भी सृजन करता है । (30 संरचित सीपीई घंटे)

    - **वर्किंग पेपर प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम –**

      इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य संस्थान के सदस्यों को व्यवसाय करने की सुगमता के संबंध में व्यापक उदभासन उपलब्ध कराना है । यह पाठ्यक्रम किसी सीए फर्म को वर्किंग पेपर प्रबंधन के पहलूओं के संबंध में व्यापक ज्ञान की प्रस्थापना करता है । (30 संरचित सीपीई घंटे)

    - **अपील तैयार करने, विलेख और दस्तावेजों का प्रारूपण तथा अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष अभ्यावेदन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम –**

      इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्थान के सदस्यों के सक्षमता स्तर में अभिवृद्धि करना और उन्हें व्यवहारिक प्रक्रियात्मक पहलूओं के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना । यह पाठ्यक्रम अपीलें तैयार करने, विलेखों और दस्तावेजों के प्रारूपण, अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने से संबंधित एक व्यापक ज्ञान आधार की प्रस्थापना करता है । (30 संरचित सीपीई घंटे)

    - **संचालित वर्चुअल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के ब्यौरे**

      समिति द्वारा संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के बैचों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम का नाम	संचालित बैचों की संख्या
धन प्रबंधन और वित्तीय योजना संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (डब्ल्यूएमएफपी)	4

वर्किंग पेपर प्रबंधन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	4
अपील तैयार करने, विलेख और दस्तावेजों का प्रारूपण तथा अपील प्राधिकारियों और कानूनी निकायों के समक्ष अभ्यावेदन संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1
योग	**9**

(III) सीए फर्मों की नेटवर्किंग तथा अन्य समेकन उपायों का संवर्धन

बहु अवस्थानों पर बेहतर वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सामूहिक संसाधन साझा करने हेतु सहयोग के लिए फर्मों की नेटवर्किंग की सुविधा को सीए फर्मों को उपलब्ध कराया गया है । समिति दो दिवसीय संगोष्ठी का संचालन करके ज्ञान के प्रसार द्वारा व्यवसायरत व्यक्तियों/सीए फर्मों के लिए कारपोरेट रूप में विलयन, नेटवर्किंग, निगम प्ररूप में व्यवहारों का संवर्धन कर रही है ।

(IV) समिति के सीपीई आयोजन

- **लाइव वेबीनार**

  समिति ने अपने व्यवसायरत सदस्यों के लिए बैंक संपरीक्षा, कंपनी अधिनियम, 2013 और संपरीक्षक की रिपोर्ट, आंतरिक संपरीक्षा में उभरते आयाम तथा नैतिक संहिता, जीएसटी और आंतरिक संपरीक्षा आदि विषयों के संबंध में 10 लाइव वेबीनारों का आयोजन किया था ।

- **वर्चुअल सीपीई बैठकें**

  कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए और इसे एक अवसर में परिवर्तित करते हुए समिति ने संस्थान के सदस्यों की सक्षमता निर्माण के लिए 74 वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया । इन बैठकों में जिन विषयों को सम्मिलित किया गया उनमें मुख्य रूप से सफलतापूर्वक संपरीक्षा व्यवसाय का निर्माण तथा धारा 148 के अधीन सूचना के विरुद्ध रिट याचिका, कब और किसलिए, पूंजी बाजार के माध्यम से अधिकतम धन का सृजन तथा अति आधुनिक स्टार्ट अप में सीए की भूमिका, आय-कर अधिनियम की धारा 147 के अधीन फेसलैस निर्धारण और पुन: निर्धारण तथा हाल ही की न्यायिक उदघोषणाएं तथा जीएसटी के संबंध में उनकी विवक्षाएं, सीए फर्मों के विकास के लिए रणनीतियां और समकालीन संपरीक्षा में गोईंग कन्सर्न प्रणाली का उपयोग, कोविड महामारी के दौरान और उसके पश्चात् प्रमुख संपरीक्षा प्रतिफल तथा शेयर संबंधी संव्यवहारों के संबंध में आय-कर विवक्षाएं, जीएसटी के अधीन मूल्यांकन संबंधी उपबंधों के संबंध में अंत:दृष्टि तथा अंतरण कीमत निर्धारण संपरीक्षाएं, सीएआरओ तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3, इंड एएस और जीएसटी, एसएमपी के लिए बीमा के माध्यम से जोखिम प्रबंध तथा अनुशासन संबंधी मामलों से सीख आदि जैसे विषय सम्मिलित थे ।

- **राष्ट्रीय सम्मेलन/राष्ट्रीय संगोष्ठी**

  समिति ने 14 राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन किया है । इनमें से एक का आयोजन भौतिक पद्धति से किया गया । इनमें जिन विषयों को सम्मिलित किया गया उनमें प्रमुख रूप से जीएसटी तथा नेटवर्किंग दिशानिर्देश, सुक्ष्म/लघु अस्तित्वों के लिए एमडीपी और लेखांकन मानक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, युवा सदस्यों, महिला सदस्यों के लिए परामर्शी कार्यक्रम आदि शामिल थे ।

5.5 सतत वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीईसी)

सतत वृत्तिक शिक्षा समिति (सीपीईसी) ने सदैव अपने वृत्तिक आधार को बढ़ावा देने के लिए अपने सदस्यों को पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पहलें की हैं । सीपीई समिति समाज की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाती है और उसके पश्चात् वृत्ति को उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तैयार करती है और इस प्रयोजन के लिए वह सदस्यों को ऐसे "समझदार अगुवा" बनने हेतु प्रोत्साहित करती है, जो अद्वितीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हों, नवीनता का संचार कर सकें तथा अपनी विशेषज्ञता और उद्योग के प्रति अपने परिप्रेक्ष्य के आधार पर अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सके ।

समिति इस बात पर भी दृढ़तापूर्वक विश्वास करती है कि आईसीएआई के सदस्यों को व्यवसाय के पारंपरिक क्षेत्रों से परे देखना चाहिए और कारबार तथा वृत्ति के नए क्षेत्रों की ईप्सा करते हुए उनके संबंध में खोजबीन करनी चाहिए और इस प्रकार सीपीई समिति विभिन्न कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, राष्ट्रीय सम्मेलनों, पृष्ठभूमि सामग्रियों के माध्यम से मार्गदर्शन उपलब्ध कराके अपने सदस्यों का मार्गदर्शन कर रही है और साथ ही साथ वह युवा और बहु आयामी वृत्तिकों को सीपीई कार्यक्रमों में वक्ता/समारोह के मास्टर के रूप में विकसित होने

हेतु प्रोत्साहित भी कर रही है ।

(I) सीपीई समिति की महत्वपूर्ण उपलब्धियां और नवीन पहलें

- **सीईसीएल एंड ईए के साथ संयुक्त रूप से सीपीई समिति द्वारा संकाय डाटाबेस के विकास हेतु "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" कार्यक्रम**

  सीईसीएल & ईए के साथ संयुक्त रूप से सीपीई समिति द्वारा "प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण" (आवासीय/गैर-आवासीय) कार्यक्रम का आयोजन पूरे भारत वर्ष में किया जा रहा है, जिससे संकाय को इस बात हेतु प्रशिक्षित किया जा सके कि वे स्थानीय स्तर पर समिति/प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं के कार्यक्रमों में क्वालिटी पठन उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बन सकें ।

- **सीपीई प्रादेशिक मानीटरी समितियों का पुनर्गठन और सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (सीपीई पीओयू) के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकें**

  समिति ने सभी पांच क्षेत्रों में प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं/सीपीई अध्ययन चैप्टरों/सीपीई अध्ययन सर्कलों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने/सामने आने वाली कठिनाईयों के संबंध में चर्चा करने हेतु वर्ष 2022-23 के लिए सीपीई प्रादेशिक मॉनिटरी समितियों का पुनर्गठन किया ।

- **सभी सीपीई पीओयू के लिए आईसीएआई सतत वृत्तिक पठन तंत्र ब्रोशर और वीसीएम दिशानिर्देशों के मैनुअल का जारी किया जाना और साथ ही सीपीई पीओयू के विभिन्न प्रवर्गों के लिए एक पृथक् विनिर्दिष्ट मैनुअल का जारी किया जाना**

  संरचित पठन तथा असंरचित पठन संबंधी क्रियाकलापों के माध्यम से सीपीई घंटों को पूरा करने के विभिन्न उपायों और तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक संपूर्ण पुस्तिका का विमोचन किया गया है, जिसमें सीपीई के महत्व, इसकी वैश्विक उपस्थिति, पीओयू के पठन नेटवर्क, सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों को लागू सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षाओं, आईसीएआई के प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों और अर्हता पश्च पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी भी अंतर्विष्ट है और साथ ही इसमें संबद्ध जानकारी तक सीधे पहुंच बनाने के लिए विभिन्न लिंक भी उल्लिखित किए गए हैं ।

- **सीपीई अध्ययन सर्कल और चैप्टरों द्वारा अरजिस्ट्रीकृत एओपी के सृजन के संबंध में निर्णय का कार्यान्वयन**

  आईसीएआई की परिषद् ने सीपीई समिति की सिफारिशों के आधार पर यह विनिश्चय किया है कि अब से सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन ऐसे पृथक् अस्तित्वों के माध्यम से किया जाएगा, जो व्यक्तियों के अरजिस्ट्रीकृत संगम (एओपी) हैं और जो सीपीई अध्ययन सर्कल और सीपीई अध्ययन चैप्टरों की विद्यमान संरचना को प्रतिस्थापित करेंगे ।

(II) सीपीई कथन

वैश्विक अपेक्षाओं और व्यवहारों के समरूप, 3 वर्ष के वर्तमान ब्लॉक (1.1.2020 से 31.12.2022) के लिए सदस्यों के विभिन्न प्रवर्गों को लागू सीपीई क्रेडिट घंटे निम्नानुसार हैं :--

सदस्यों का प्रवर्ग	सीपीई घंटों संबंधी अपेक्षा
(60 वर्ष से कम आयु के) सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र है (उन सभी सदस्यों को छोड़कर, जो विदेश में रह रहे हैं)	120 (जिसमें से कम से कम 60 सीपीई घंटे संरचनात्मक पठन के होने चाहिए) - प्रत्येक कलैंडर वर्ष में न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे संरचनात्मक पठन के
(60 वर्ष या अधिक) के सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र है ।	90 (या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक पठन) - प्रत्येक कलैंडर वर्ष में या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक पठन के न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे ।
(60 वर्ष से कम आयु के) सदस्य, जिनके पास व्यवसाय का प्रमाणपत्र नहीं है, और सभी सदस्य, जो विदेश में निवास कर रहे हैं (चाहे व्यवसाय का प्रमाणपत्र रखते हों या नहीं)	60 (या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक पठन) प्रत्येक कलैंडर वर्ष में या तो संरचनात्मक या असंरचनात्मक पठन के न्यूनतम 15 सीपीई क्रेडिट घंटे ।

(III) सीपीई समिति द्वारा सदस्यों और सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों (सीपीई पीओयू) के लिए आरंभ की गई आईटी पहलें

- **सीपीई पोर्टल (www.cpeicai.org)**

आईसीएआई की सीपीई का उक्त पोर्टल सदस्यों को सीपीई घंटे मंजूर किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया का प्रबंध करता है । इस वर्ष सीपीई पोर्टल के विभिन्न कृत्यों को अद्यतन बनाया गया और साथ ही सीपीई समिति ने एक आनलाइन सत्र "सीपीई समाधान" : एक सीपीई – प्रश्नोत्तर ई-समाधान मंच को भी आरंभ किया है, जो https://www.cpeicai.org/cpe-qna/ पर उपलब्ध है, जहां सदस्य सीपीई से संबंधित विभिन्न मुद्दों और विभिन्न तकनीकी विषयों के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं ।

- **आईसीएआई – आईसीई : आईसीएआई परस्पर क्रियाशील सीपीई संबल**

  सीपीई समिति ने सदस्यों और सीपीई पीओयू के बीच आईसीएआई – आईसीई के उपयोग के संबंध में जागरुकता का सृजन किया है, जो एक आईसीएआई परस्पर क्रियाशील सीपीई संबल है । सदस्य प्रत्येक सीपीई कार्यक्रम के लिए आईसीई पोर्टल https://ice.icai.org पर जा सकते हैं और वहां अपनी शंकाओं को कार्यक्रम से पूर्व या कार्यक्रम के दौरान दर्ज कर सकते हैं, जिनका उत्तर विषय से संबद्ध संकाय द्वारा समय की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए सत्र के दौरान दिया जाएगा ।

(IV) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के प्रति पहलें

- 3 और 4 दिसंबर, 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा एक वैश्विक फिनटेक कार्यक्रम "इन्फीनिटी फोरम" का आयोजन वर्चुअल पद्धति के माध्यम से किया गया था । आईएफएससीए एक एकीकृत विनियामक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है और जो भारत में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और आईएफएससी की वित्तीय संस्थाओं का विनियमन करता है । सीपीई समिति ने सदस्यों और छात्रों को "इन्फीनिटी फोरम" में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया । इस कार्यक्रम का उदघाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया और इसका आयोजन आईएफएससीए द्वारा भारत सरकार के तत्वाधान में और गिफ्ट सिटी तथा ब्लूमबर्ग के साथ भागीदारी में किया गया था ।
- भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मनाने तथा इस संबंध में विभिन्न समारोहों का आयोजन करने की भारत सरकार की देश व्यापक पहल - आजादी का अमृत महोत्सव के भागरूप में आईसीएआई ने राष्ट्र निर्माण में एक भागीदारी के रूप में अपनी सीपीई पीओयू के माध्यम से अखिल भारत आधार पर आनलाइन/आफलाइन पद्धति से विभिन्न सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

(V) सीपीई समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

- **आनलाइन सीपीई पठन श्रृंखला –** सीए भ्रातृसंघ के बीच ज्ञान के परस्पर आदान-प्रदान तथा उभरते हुए विषयों के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक उपयुक्त मंच उपलब्ध कराने की सीपीईसी की पहल के भागरूप में और सदस्यों को सुसंगत क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तनों के संबंध में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सीपीई समिति ने बीटिंग द मंडे ब्लूज तथा 360 लर्निंग सीरिज – वेडनेसडे – वर्ल्डस आफ विजडम नामक आनलाइन सीपीई कार्यक्रमों की दो पठन श्रृंखलाओं को पूरा किया । कुल 62 वर्चुअल सीपीई बैठकों (वीसीएम) का आयोजन किया गया है, जिनमें महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया गया, जैसे कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, उद्यमशीलता और स्टॉक मार्केट, एफसीआरए संबंधी अंतदृष्टि, आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई और आईबीसी की संपरीक्षा आदि ।

  समिति ने सदस्यों को संरचित सीपीई घंटे मंजूर करने हेतु सदस्यों के लिए वर्चुअल सीपीई बैठकों की एक अन्य सेटरडे श्रृंखला को भी आरंभ किया है । इस श्रृंखला के अधीन आईसीएआई के 14842 सदस्यों को कुल 30439 संरचित सीपीई घंटे प्रदान करते हुए समिति ने कुल 20 वीसीएम का आयोजन किया ।

- सीपीई समिति ने 11-13 जून, 2021 के दौरान "चुनौतियों को चुनौती देना" विषय पर एक तीन दिवसीय वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी संयुक्त मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की रायपुर और भिलाई शाखा के साथ बिलासपुर शाखा द्वारा की गई तथा इस सम्मेलन हेतु 3850 सदस्यों ने रजिस्ट्रीकरण किया था । इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ाई थी ।

- सीपीई समिति ने 28-30 दिसंबर, 2021 के दौरान "भारत का संविधान : आर्थिक विधियां तथा कराधान विधियां" विषय पर एक दो दिवसीय वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें सदस्यों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के संबंध में भारत के संविधान के सारभूत महत्व और संगतता के संबंध में अवगत कराया गया । इस कार्यक्रम की मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा द्वारा की गई तथा इस सम्मेलन हेतु 2400 से अधिक सदस्यों ने रजिस्ट्रीकरण किया था । इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती कार्यकारी माननीय मुख्य न्यायमूर्ति थे ।

- सीपीई समिति ने 26-27 नवंबर, 2021 के दौरान "अभ्युदय : एंगेज-एनविजन-एग्जिक्यूट" विषय पर एक दो दिवसीय वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी की भुवनेश्वर शाखा द्वारा की गई । विकास आयुक्त और अपर मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई तथा इस कार्यक्रम में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नाल्को सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे । इस आयोजन में माननीय अध्यक्ष, आईसीएआई ने भी वर्चुअल पद्धति से भाग लेकर उसकी शोभा बढाई थी ।

- पीएसयू में कार्यरत सदस्यों/पदधारियों के ज्ञान को सुदृढ़ बनाने के सीपीई समिति के प्रयासों के भागरूप में, सीपीई समिति ने लोक और शासकीय वित्त प्रबंध संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से 30 अक्तूबर, 2021 को "लोक उद्यमों का लेखांकन और संपरीक्षा विषय पर एक दिवसीय सीपीई कार्यशाला" का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की रांची, धनबाद और जमशेदपुर शाखाओं द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और इस कार्यशाला में बड़े पीएसयू के प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था, जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड, उत्तरी/पूर्वी/मध्य कोल फील्डस लिमिटेड, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आदि । इस कार्यक्रम में सीए. निहार एन. जम्बूसरिया, माननीय तत्कालीन अध्यक्ष, आईसीएआई ने भी वर्चुअल पद्धति से भाग लेकर उसकी शोभा बढाई थी ।

- सीपीई समिति ने 12-13 मार्च, 2022 के दौरान एक दो दिवसीय सीपीई राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की आगरा शाखा द्वारा की गई तथा इस कार्यक्रम में 200 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया ।

(VI) सदस्यों की शिक्षा और सक्षमता निर्माण

- **सीपीई समिति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आयोजित सीपीई कार्यक्रम –**

  सीपीई समिति ने सदस्यों के सशक्तिकरण हेतु तथा सदस्यों के कौशलों में अभिवृद्धि करके भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में उनके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए 132 भौतिक और वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

- **समिति के पीओयू द्वारा आयोजित सीपीई कार्यक्रमों के ब्यौरे –**

  आईसीएआई की सीपीई समिति के पास 645 सीपीई पीओयू का सुदृढ़ नेटवर्क आधार मौजूद है, जो देशों और विदेशों में फैला है तथा जो विभिन्न सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन करता है और इस प्रकार मुफसिल/दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले सदस्यों की सीपीई क्रियाकलाप करने में सहायता भी करता है ।

- **सदस्यों के फायदे के लिए आयोजित कुल सीपीई कार्यक्रम**

  - आईसीएआई की सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों द्वारा वृत्तिक दिलचस्पी के विभिन्न विषयों पर देश भर में सदस्यों के लिए कुल 9904 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया (जिसके अंतर्गत 2381 सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान भौतिक पद्धति से किया गया) ।

- **पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

  - केंद्रीय समितियों/ बोर्ड द्वारा विभिन्न विषयों, अर्थात् जीएसटी, फेमा, लेखांकन मानक, आय-कर अपील संबंधी कार्यवाहियां, सीएएटी उपकरणों का उपयोग करते हुए अग्रिम एक्सेल और डाटा डेशबोर्ड, डाटा/ न्यायालयीन विश्लेषण, एसएपी परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी संपरीक्षा, आईएसए और डाटा विश्लेषण संबंधी व्यवहारिक गाइड तथा माइक्रोसाफ्ट एक्सेल पावर टूल के साथ मानसदर्शन और पावर बी-1 के संबंध में 140 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया ।

  - **1.4.2021 से 30.6.2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय स्तर के सीपीई कार्यक्रमों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया**

क्रम सं.	आयोजित सीपीई कार्यक्रम की प्रकृति	(1.4.2021 से 30.6.2022)
1.	आईसीएआई के विभिन्न पीओयू द्वारा आयोजित लाइव वेबकास्ट/वेबीनार	218
2.	आईसीएआई की केंद्रीय समितियों द्वारा सदस्यों के लिए संचालित प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	155

3.	आईसीएआई की केंद्रीय समितियों द्वारा सदस्यों के लिए संचालित अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम	50
4.	आईसीएआई की राष्ट्रीय समितियों/बोर्डों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम, जिनकी मेजबानी आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं द्वारा की गई	80
5.	आनलाइन पद्धति में विदेशी भाषाएं – फ्रेंच और स्पेनिश	22
6.	आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों के बैच	12
7.	आईआईआईपीआई द्वारा आयोजित रजिस्ट्रीकरण-पूर्व शैक्षिक पाठ्यक्रमों के बैच	11

(VII) समाज का समर्थन – राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता

आईसीएआई भारत सरकार की पहलों का समर्थन करने तथा उनके प्रभावी कार्यकरण में सहायता करने के लिए सीपीई कार्यक्रम आयोजक इकाईयों के अपने सुदृढ़ नेटवर्क के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में विभिन्न अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है । इस वर्ष आयोजित किए गए प्रमुख सीपीई कार्यक्रमों में जीएसटी और जीएसटी संपरीक्षा, एमएसएमई, भारत में कारबार करने की सुगमता, स्टार्ट अप, नैतिक मानक, नैतिक संहिता, वृत्तिक नैतिकता, कंपनी अधिनियम, सीएआरओ 2020, निवेशक जागरुकता, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, रेरा, इंड एएस, संपरीक्षा संबंधी मानक, फेसलैस निर्धारण, ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, डिजीटल और क्रिप्टो मुद्रा, साफ्ट कौशल तनाव प्रबंध, जीवन शैली प्रबंध, जहां योग ही जीवन शैली है, कार्य और जीवन में संतुलन, कारबार, बैंकिंग और बीमा, वित्तीय सेवाएं, संवहनीयता, विमुद्रीकरण, कालाधन, बेनामी संव्यवहार और अप्रकटित आय सम्मिलित हैं ।

5.6 निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति (सीएलएंडसीजीसी)

निगम विधियां और निगम शासन संबंधी समिति के पास वृत्ति के सशक्तिकरण के साथ-साथ सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के साथ उचित निगम शासन के वर्धन और उसे सुकर बनाने की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाने का दृष्टिकोण है । समिति, सरकार के साथ विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए समन्यवकारी प्रयास कर रही है तथा निरंतर कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संवाद कर रही है और कंपनी अधिनियम, 2013 से संबंधित विभिन्न मुद्दों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रही है/सुझाव दे रही है/निरंतर इनपुट दे रही है । समिति का लक्ष्य निगम विधियों के संबंध में सदस्यों के ज्ञान को अद्यतन करना है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) एमसीए/सेबी को अभ्यावेदन/सुझाव/सिफारिशें

- **कंपनी अधिनियम, 2013**

  समिति कंपनी अधिनियम, 2013 के सहज कार्यान्वयन के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ नियमित रूप से संवाद करती है । समिति ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय को निम्नलिखित अभ्यावेदन/इनपुट/राय/सुझाव प्रस्तुत किए :

अभ्यावेदन

- सेबी द्वारा जारी स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित विनियामक उपबंधों के पुनर्विलोकन संबंधी परामर्श पत्र के संबंध में आईसीएआई की सिफारिशें ।
- कंपनी (संपरीक्षा और संपरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के उपबंधों के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का अनुरोध, जिससे संपरीक्षक की रिपोर्ट में अतिरिक्त अन्य विषयों को सम्मिलित किया जा सके ।
- विदेशी कंपनियों के निगमन के लिए विनियामक तथा प्रचालनात्मक ढांचे के संबंध में ब्यौरेवार अध्ययन ।
- "पणधारियों के साथ संवाद में अभिवृद्धि" से संबंधित एनएफआरए परामर्श पत्र तथा एनएफआरए के एकतरफा कार्यकरण के संबंध में आईसीएआई की चिंताएं ।
- "पणधारियों के साथ संवाद में अभिवृद्धि" से संबंधित एनएफआरए परामर्श पत्र के संबंध में आईसीएआई की टीका-टिप्पणियां और सिफारिशें ।
- एनएफआरए द्वारा "आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए विद्यमान लेखांकन मानकों का पुनरीक्षण : दृष्टिकोण पत्र

(2020)" को लौटाए जाने के संबंध में ।

- "सुक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों की कानूनी संपरीक्षा और संपरीक्षा मानकों" के संबंध में एनएफआरए द्वारा परामर्श पत्र जारी किया जाना ।
- एनएफआरए द्वारा "आईसीएआई द्वारा तैयार किए गए विद्यमान लेखांकन मानकों का पुनरीक्षण : दृष्टिकोण पत्र (2020)" को लौटाए जाने के संबंध में, और
- "सुक्ष्म, लघु और मध्यम कंपनियों की कानूनी संपरीक्षा और संपरीक्षा मानकों" के संबंध में एनएफआरए द्वारा परामर्श पत्र जारी किया जाना ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन स्वतंत्र निदेशकों के पारिश्रमिक संबंधी संरचना के पुनर्विलोकन के संबंध में आईसीएआई की सिफारिशें ।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 के अनुसार सर्वर को भारत में रखे जाने के संबंध में सुझाव तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ।
- अपलिखित कंपनियों की डाटा अपेक्षाओं के संबंध में अभ्यावेदन ।
- आईएफएससी कंपनियों को भारतीय रुपए की बजाए विदेशी मुद्रा में रिपोर्टिंग संबंधी अपेक्षाओं को शिथिल करना ।
- राष्ट्रीय भू-संपदा विकास परिषद् (एनएआरईडीसीओ) से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123(2) तथा आरईआईटी नियम, 2016 के अधीन लाभांश की संगणना और वितरण की पद्धति में विसंगति के संबंध में प्राप्त पत्र के संबंध में आईसीएआई के सुझाव ।

- **विभिन्न समितियों और समूहों की सदस्यता**
  - आईसीएआई, निगम शासन संबंधी राष्ट्रीय फाउंडेशन की शासी परिषद् (एनएफसीजी) का एक सदस्य है ।
  - आईसीएआई, कंपनी अधिनियम, 2013 को सरल बनाने से संबंधित सुझावों के परीक्षण के लिए उप समूह (2) का सदस्य है ।
  - आईसीएआई, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा गठित अनुसचिवीय मानक बोर्ड (एसएसबी) का सदस्य है ।
  - आईसीएआई, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के अन्वेषण मैनुअल के प्रारूपण परिशिष्ट के लिए समिति का एक सदस्य है ।
  - आईसीएआई, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कार्य को सरल बनाने हेतु कार्य समिति का सदस्य है ।
  - आईसीएआई, कंपनी (निक्षेप की स्वीकार्यता) नियम, 2014 के परीक्षण वाले समूह का एक सदस्य है ।
  - आईसीएआई, सेबी द्वारा गठित सीमित पुनर्विलोकन और संबंधित प्रक्रिया के विस्तार क्षेत्र संबंधी समूह का सदस्य है ।
  - आईसीएआई, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कंपनी विधि और निगम शासन समिति का एक सदस्य है ।
  - आईसीएआई, आईसीएसआई के अनुसचिवीय मानकों के विशेषज्ञ समूह का एक सदस्य है ।

(II) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को एमसीए 21 वी3 पोर्टल के सहज अंतरण तथा कार्यकरण में समर्थन प्रदान करना ।

वर्ष 2022-23 के दौरान सीएलएंडसीजीसी के लिए एमसीए की वी3 परियोजना के आरंभ को समर्थन प्रदान करना एक प्रमुख पहल रही है । यह अपनी तरह की ऐसी परियोजना है, जहां आईसीएआई सहज अंतरण को समर्थ बनाने के लिए दैनिक आधार पर निकटवर्ती रूप से एमसीए के साथ कार्य कर रहा है । वी3 वर्जन को शासन अपेक्षाओं के निबंधनानुसार तथा समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण रूप से समुन्नत किया गया है । यह एक बड़ें स्तर पर किया जाने वाला कारबार प्रक्रिया परिवर्तन है और इसलिए इसके कार्यान्वयन में अनेक चुनौतियां सम्मिलित हैं ।

इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- मार्च के पहले सप्ताह में एलएलपी प्ररूप फाइल किए जाने, एमसीए को मुद्दों की रिपोर्ट करने आदि के संबंध में उपयोक्ता की

स्वीकार्यता संबंधी परीक्षण ।

- एक गुगल लिंक स्थापित किया गया है, जहां सदस्य और उपयोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं ।
- एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के संबंध में एलएलपी फाइलिंग के विषय पर एमसीए के साथ पुनर्विलोकन बैठक ।
- आईसीएआई ने मार्च, 2022 से आज की तारीख तक 11 वेबीनारों का भी आयोजन किया है, जिनके हेतु 20,000 से अधिक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त हुए थे । प्राप्त हुई शंकाओं का समेकन किया गया है ।
- आईसीएआई ने दो चैट रूम सत्रों को समर्थ बनाया है, जहां सदस्यों को प्ररूप 11 के संबंध में उनकी समस्याएं प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जाता है, जिसे फाइल करने की अंतिम तारीख 30 मई, 2022 है ।
- एलएलपी फाइलिंग के लिए एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए मई, 2022 में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 वृत्तिकों की पहचान की गई तथा उन्हें देश के विभिन्न भागों में प्रशिक्षण चलाने (वर्चुअल पद्धति से) हेतु समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया ।
- शाखा के निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मई, 2022 में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष, आईसीएआई और संयुक्त सचिव, एमसीए ने आईसीएआई के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को, उनके क्षेत्र के बीच एलएलपी फाइलिंग संबंधी एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के संबंध में जागरुकता का सृजन करने तथा समय के अनुपालन हेतु शीघ्रतापूर्वक फाइल करने हेतु एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के सहज कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर संबोधित किया ।
- एलएलपी फाइलिंग संबंधी एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल के संबंध में देश भर में जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है । आज की तारीख तक ऐसे 14 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है ।
- एमसीए 21 वी3 से संबंधित सूचनाओं को परिचालित किया गया तथा उन्हें अद्यतन रूप से आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया – समिति ने एमसीए वी3 पोर्टल के संबंध में कतिपय आधारिक जानकारी को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर निम्नलिखित सूचनाओं को रखा है :
    - एमसीए वी3 पोर्टल से संबंधित आधारिक जानकारी ।
    - सूचना 1 - एमसीए वी3 पोर्टल में एओ कोड ।
    - सूचना 2 – संदाय संबंधी सबूत ।
    - सूचना 3 – रन (वी2 - रजिस्ट्रीकृत उपयोक्ता) – एफआईएल एलआईपी (वी3 – कारबार उपयोक्ता) ।
    - सूचना 4 – यदि एमसीए वी2 पोर्टल में डीएससी के माध्यम से रजिस्ट्रीकृत हैं तो एमसीए वी3 पोर्टल में किस प्रकार लॉगिन करे ।
    - डीएससी सहयोजन से संबंधित सूचना 5 ।
    - सूचना 6 - यदि "प्ररूप पहले ही फाइल कर दिया गया है" त्रुटि दर्शित होती है तो क्या कदम उठाए जाने हैं ।
    - त्रुटि संबंधी सूचना 7 : उपयोक्ता पहले से ही लाग्ड-इन है ।
    - त्रुटि संबंधी सूचना 8 : व्यवसायरत वृत्तिक के ब्यौरे विधिमान्य नहीं हैं ।

(III) कंपनी प्ररूपों को फाइल किए जाने के लिए एमसीए 21 वी3 का उपयोक्ता की स्वीकार्यता संबंधी परीक्षण

संयुक्त सचिव, एमसीए के अनुरोध पर आईसीएआई के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया है, जिसकी अगुवाई सीएलएंडसीजीसी के अध्यक्ष द्वारा की जा रही है और जो एमसीए 21 वी3 पोर्टल संबंधी कंपनी माड्यूल के सभी वेब प्ररूपों का व्यापक रूप से यूएटी आरंभ करेगा ।

(IV) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तारीख 21 मार्च, 2022 को जारी कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट के संबंध में आईसीएआई के सुझाव और सिफारिशें

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने, अन्य बातों के साथ, भारत में कारबार करने की वृहत्तर सुगमता को सुकर बनाने तथा उसका संवर्धन करने तथा कंपनी अधिनियम, 2013, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और तदधीन बनाए गए नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में सरकार को सिफारिशें करने हेतु कंपनी विधि समिति (सीएलसी) का

गठन किया है।

मंत्रालय ने विभिन्न पणधारियों से कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट (2022) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सुझावों को आमंत्रित किया है।

उक्त कंपनी विधि समिति की रिपोर्ट के संबंध में आईसीएआई के सुझावों और सिफारिशों को एमसीए को प्रस्तुत किया गया।

(V) संपरीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ करने तथा बेहतर निगम शासन के लिए एनईएसएल उपयोगिता तक पहुंच

राष्ट्रीय ई-शासन सेवा प्राइवेट लिमिटेड (एनईएसएल) एकमात्र ऐसी सूचना उपयोगिता है, जो रजिस्ट्रीकृत है तथा आईबीबीआई द्वारा विनियमित है, जहां सभी वित्तीय देनदार अपने ऋणों से संबंधित जानकारी को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में इसे आज्ञापक बनाया गया है। एनईएसएल में सीएलएंडसीजीसी द्वारा आयोजित एक बैठक में एक प्रस्तुतीकरण किया गया था।

समिति ने व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से इस पहल को आरंभ किया है। किसी ग्राहक कंपनी के संबंध में उसके देनदारों द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार, जो निगम देनदार की सहमति से प्रस्तुत की गई है, आय की सूचना से संबंधित संपूर्ण जानकारी सदस्यों को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

(VI) जांच सूचना सेवा के माध्यम से निगम सूचना तक पहुंच

आईसीएआई की सीएलएंडसीजीसी और सीएमपी ने एक संयुक्त पहल के भागरूप में जांच सूचना सेवा द्वारा उपलब्ध कराए गए एक आनलाइन मंच के साथ एक करार किया है, जिसके माध्यम से सुसंगत निगम जानकारी, जो एमसीए के अभिलेखों में उपलब्ध है, मांगे जाने पर सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। सभी निगमों के आधारिक ब्यौरों को नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है और केवल अनलॉक विकल्प का उपयोग करते हुए ब्यौरेवार खोज के लिए किसी सीए उपयोक्ता को रियायती दरों पर प्रभार का संदाय करना होगा।

(VII) सेबी द्वारा जारी स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित विनियामक उपबंधों के पुनर्विलोकन संबंधी परामर्श पत्र के संबंध में आईसीएआई की सिफारिशें

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 1 मार्च, 2021 को "स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित विनियामक उपबंधों के पुनर्विलोकन" संबंधी एक परामर्श पत्र जारी किया है, जिसमें अंतर्विष्ट विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में मतों की ईप्सा की गई है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के लिए पात्रता मानदंडों को व्यापक बनाना, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति/पुन: नियुक्ति तथा उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया, स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन और रजिस्ट्रीकरण में पारदर्शिता की अभिवृद्धि करना, बोर्डों/समितियों की संरचना को सुदृढ़ बनाना आदि है।

आईसीएआई की परामर्श पत्र के संबंध में ब्यौरेवार सिफारिशों को अप्रैल 2021 में सेबी को प्रस्तुत किया गया।

(VIII) ईओडीबी रैंकिग में सुधार करने के विचार से सरकार द्वारा निवेशकों के लिए विनियामक अनुमोदनों हेतु आवेदन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए की गई निवेशक समाशोधन प्रकोष्ठ (एकल पटल प्रणाली) संबंधी पहल के संबंध में सुझाव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारत में कारबार करने की सुगमता में सुधार करने के विचार से स्पाइस+ के माध्यम से कंपनी/विदेशी कंपनी के निगमन से संबंधित आधार पर पणधारियों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का समेकन करने से संबंधित कार्य कर रहा है। इस संबंध में विभिन्न ऐसे उपबंधों को अंतर्विष्ट करते हुए एक ब्यौरेवार दस्तावेज तैयार किया गया था, जो किसी विदेशी कंपनी पर लागू होते हैं और इसके अतिरिक्त उक्त दस्तावेज में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों, किसी विदेशी कंपनी के निगमन में आने वाले विवाद्यकों और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तथा विभिन्न देशों में दस्तावेजों की भिन्नता को भी सम्मिलित किया गया था। उक्त ब्यौरेवार दस्तावेज को एमसीए को प्रस्तुत किया गया है।

(IX) पणधारियों के साथ परस्पर संवाद में अभिवृद्धि किए जाने संबंधी राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा जारी परामर्श पत्र के संबंध में आईसीएआई की टीका-टिप्पणियां और सिफारिशें

एनएफआरए ने पणधारियों के साथ परस्पर संवाद में अभिवृद्धि किए जाने के संबंध में जून, 2021 में एक परामर्श पत्र जारी किया था, जिसके लिए एनएफआरए द्वारा एक तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन किया गया है, जो अन्य बातों के साथ, उसे उपयोक्ताओं, वित्तीय विवरणों को तैयार करने वाले व्यक्तियों तथा संपरीक्षकों के परिप्रेक्ष्य से उसे इनपुट उपलब्ध कराती है और साथ ही उसे ऐसी उपयुक्त पद्धतियों के संबंध में सलाह देती है, जिनका उपयोग लेखांकन और संपरीक्षा मानकों के अनुपालन के संबंध में जागरुकता का संवर्धन करने हेतु किया जा सकता है।

इस संबंध में, आईसीएआई ने जुलाई, 2021 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) द्वारा जारी पणधारियों के साथ परस्पर संवाद में अभिवृद्धि किए जाने संबंधी परामर्श पत्र के संबंध में आईसीएआई की टीका-टिप्पणियां और सिफारिशें प्रस्तुत की थी ।

(X) केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के निदेशकों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

समिति को लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय से केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के निदेशकों के लिए "संपरीक्षा समिति की प्रभाविकता" विषय पर सक्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ था ।

उद्योग की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा उनकी 290वीं रिपोर्ट, जो "सीपीएसई के बोर्डों का वृत्तिकरण" से संबंधित है, की गई सिफारिश के भागरूप में सीपीएसई की संपरीक्षा समिति के सदस्यों के कौशल सेट में वृद्धि किया जाना अपेक्षित है ।

इस दिशा में लोक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के निदेशकों के लिए "संपरीक्षा समिति की प्रभाविकता" विषय पर विभिन्न सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु सहयोग किया है ।

इस संबंध में समिति ने निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न पीएसयू के लगभग 300 स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया था :

- 22 दिसंबर, 2021 ;
- 28 जनवरी, 2022 ;
- 22 मार्च, 2022 ;

(XI) स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक तक पहुंच में अभिवृद्धि करने हेतु आईआईसीए के साथ नीतिगत संधि का पुनर्विलोकन

एमसीए ने आईआईसीए के सहयोग से दिसंबर, 2019 में स्वतंत्र निदेशक डाटा बैंक पोर्टल के संबंध में एक नई पहल को आरंभ किया था।

इस संबंध में, आईआईसीए ने "करार संबंधी पत्रों का आदान-प्रदान" (ईओएलए) के माध्यम से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अधीन वे दोनों एक साथ आएंगे तथा कतिपय विकास पहलों की पहचान करके तथा उनका कार्यान्वयन करके स्वतंत्र निदेशकों की संबद्ध विशेषज्ञताओं के विकास के संबंध में प्रगति को परस्पर साझा करेंगे । स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित निर्देश सामग्रियों को आईआईसीए की वेबसाइट पर मौजूद आईसीएआई के पृष्ठ पर उपलब्ध कराया गया है ।

(XII) समिति द्वारा संपरीक्षा स्वतंत्रता और जवाबदेही का संवर्धन किए जाने संबंधी परामर्श पत्र पर प्राप्त जनता की टीका-टिप्पणियों का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति का गठन

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने उसके द्वारा जारी, देश में संपरीक्षा स्वतंत्रता और जवाबदेही का संवर्धन किए जाने संबंधी परामर्श पत्र पर प्राप्त जनता की टीका-टिप्पणियों का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति का गठन किया है ।

आईसीएआई के अध्यक्ष इस समिति के एक सदस्य हैं और वे इसकी बैठकों में भाग ले रहे हैं । समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान विभिन्न बैठकों का आयोजन किया था ।

(XIII) विदेशी कंपनियों के निगमन के लिए विनियामक और प्रचालनात्मक ढांचे संबंधी ब्यौरेवार अध्ययन

सरकार ने निवेशकों के लिए विनियामक अनुमोदनों को प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने का विनिश्चय किया है और साथ ही सरकार अपेक्षित विनियामक मंजूरियां प्राप्त करने के लिए लगने वाले समय से सहबद्ध अनिश्चितता को न्यूनतम बनाने के लिए भी प्रयासरत है, जिससे भारत में कारबार आरंभ करने में अंतर्वलित सकल जोखिम को कम किया जा सके ।

इस संबंध में, विदेशी कंपनियों के संबंध में लागू विभिन्न उपबंधों, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों, किसी विदेशी कंपनी के निगमन में अंतर्वलित मुद्दों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और विभिन्न देशों में दस्तावेजों संबंधी अपेक्षाओं में भिन्नता को सम्मिलित करते हुए एक ब्यौरेवार दस्तावेज तैयार किया गया है । उक्त दस्तावेज को जून, 2021 में एमसीए को प्रस्तुत किया गया था ।

(XIV) प्रकाशन

- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के प्रभाग I, II और III से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पण ।
- भारत में विदेशी कंपनियों के निगमन संबंधी तकनीकी गाइड ।

- कोविड 19 महामारी के कारण विनियामक अनुपालनों के शिथिलीकरण संबंधी पुस्तिका – श्रृंखला 2 ।
- स्पाइस+ के माध्यम से कंपनियों के सुगम निगमन संबंधी तकनीकी गाइड ।

(XV) कारपोरेट विधियों से संबंधित सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए अद्यतन जानकारी

समिति वृत्तिक विकास के लिए सदस्यों हेतु नियमित रूप से अद्यतन जानकारी की श्रृंखला जारी करती है, जिसके अंतर्गत कारपोरेट विधियों पर अद्यतन जानकारी भी है ।

आईसीएआई की वेबसाइट पर 31 जनवरी, 2022 तक अद्यतन 41वां अंक अपलोड किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों के बीच जागरुकता के सृजन के लिए आईसीएआई की वेबसाइट पर विभिन्न उदघोषणाओं/ निगम विधियों को शासित करने वाले विभिन्न संशोधनों के विश्लेषण को तैयार करके अपलोड किया जाता है ।

(XVI) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई विभिन्न स्कीमों के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने वैश्विक महामारी के कारण आई बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनियों को अनुतोष प्रदान करने हेतु विभिन्न स्कीमों को आरंभ किया था । इस संबंध में, अपने सदस्यों और पणधारियों के फायदे के लिए समिति ने उपरोक्त स्कीमों से संबंधित निम्नलिखित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को तैयार किया तथा उन्हें आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड किया ।

ऐसी स्कीमों की सूची, जिनके लिए एफएक्यू को अपलोड किया गया है, निम्नानुसार है :

- एमसीए द्वारा तारीख 3.5.2021 को जारी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रभारों के सृजन या उपांतरण से संबंधित प्ररूपों को भरे जाने हेतु समय को शिथिल किए जाने संबंधी परिपत्र के संबंध में एफएक्यू - पुनरीक्षित ।
- एमसीए द्वारा तारीख 3.5.2021 को जारी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रभारों के सृजन या उपांतरण से संबंधित प्ररूपों को भरे जाने हेतु समय को शिथिल किए जाने संबंधी परिपत्र के संबंध में एफएक्यू ।
- एमसीए द्वारा 17.06.2021 को जारी कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन प्रभारों के सृजन या उपांतरण से संबंधित प्ररूप भरे जाने के लिए समय के विस्तारण संबंधी स्कीम संबंधी एफएक्यू ।

(XVII) कार्यक्रम/सम्मेलन/वेबकास्ट/पाठ्यक्रम

1	**राष्ट्रीय सम्मेलन**
i.	10 और 11 जून, 2022 के दौरान सीएलएंडसीजीसी द्वारा आयोजित कारपोरेट विधि संबंधी दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसकी मेजबानी ईआईआरसी द्वारा की गई
ii.	27 से 30 जून, 2021 के दौरान सीएलएंडसीजीसी द्वारा आयोजित कारपोरेट विधि संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसकी मेजबानी डब्ल्यूआईआरसी की मुंबई शाखा द्वारा की गई
iii.	14 से 17 जून, 2021 के दौरान सीएलएंडसीजीसी द्वारा आयोजित कारपोरेट विधि संबंधी राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन
2	**वर्चुअल सीपीई बैठकें**
i.	सीएलएंडसीजीसी आईसीएआई द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से एमसीए 21 वर्जन 3 पोर्टल पर एलएलपी के लिए ई-फाइलिंग की नई प्रक्रिया को समझने संबंधी वर्चुअल सीपीई बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया । समिति ने मार्च/अप्रैल और मई, 2022 के दौरान एलएलपी फाइलिंग के लिए एमसीए 21 वर्जन 3 के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 13 वीसीएम का आयोजन किया ।
ii.	समिति ने निगम विधियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर 13 वीसीएम और परस्पर क्रियाशील बैठकों का भी आयोजन किया ।
iii.	कंपनी अधिनियम, 2013/कारपोरेट विधियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर वर्चुअल सीपीई बैठकों की श्रृंखला • इस श्रृंखला के भागरूप में पहली वीसीएम का आयोजन 11 जून, 2021 को "कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन महिला निदेशकों सहित स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व" विषय पर किया गया । • इस श्रृंखला के भागरूप में दूसरी वीसीएम का आयोजन 18 जून, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 135 में हाल ही में किए गए संशोधनों तथा संबद्ध नियमों के विषय पर किया गया ।

	• इस श्रृंखला के भागरूप में तीसरी वीसीएम का आयोजन 25 जून, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन ऋण अग्रिमों, निक्षेपों तथा अंत:निगम ऋणों के विषय पर किया गया ।
3	**संगोष्ठी/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम/कार्यशाला आदि**
i.	समिति ने मार्च/अप्रैल और मई, 2022 में निगम विधियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर 12 संगोष्ठियों/पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों/कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया ।
4	**वेबीनार/वेबकास्ट**
i.	सीएलएंडसीजीसी, आईसीएआई द्वारा 11 अप्रैल, 2021 को "कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में किए गए संशोधनों का खंड-दर-खंड विश्लेषण और सीएआरओ 2020" विषय पर लाइव वेबीनार का आयोजन ।
ii.	सेबी द्वारा स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित विनियामक उपबंधों के पुनर्विलोकन के संबंध में जारी परामर्श पत्र के आलोक में स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका तथा परिचर्चा विषय पर सीएलएंडसीजीसी, आईसीएआई द्वारा आईआईसीए के सहयोग से तारीख 8 अप्रैल, 2021 को एक लाइव वेबकास्ट का आयोजन किया गया ।

5.7 प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) की प्रत्यक्ष कर समिति (डीटीसी) आईसीएआई की महत्वपूर्ण समितियों में से एक है, जो प्रत्यक्ष कर से संबंधित विषयों के संबंध में कार्यवाही करती है तथा सरकार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा अन्य उपयुक्त मंचों पर समय-समय पर प्रत्यक्ष कर से संबंधित विभिन्न विधायी संशोधनों तथा मुद्दों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करती है । समिति के मुख्य क्रियाकलापों में नए प्रकाशनों को निकालकर तथा विद्यमान प्रकाशनों का पुनरीक्षण करके, संगोष्ठियों, वेबीनारों, सम्मेलनों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा सदस्यों के कौशल में अभिवृद्धि करना सम्मिलित है ।

(I) समिति द्वारा प्रस्तुत किए अभ्यावेदन

समिति समय-समय पर सीबीडीटी को विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत करती रही है । सीबीडीटी के समक्ष उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण विषय निम्नानुसार हैं :

- स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के निवेश का संवर्धन करने और स्वास्थ्य देखभाल के लिए समर्पित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पर्याप्त रूप से निधियां जुटाने को सुकर बनाने के लिए कोई फायदाप्रद परिपत्र जारी करने या उपयुक्त संशोधन करने के मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- अधिकरण, अपील अधिकरण और अन्य प्राधिकरण (सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2020 की अनुसूची में संशोधन – चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अकाउंटेंट सदस्य बनने के लिए पात्रता हेतु लागू न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हता अवधि को कम करके दस वर्ष किए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि अधिवक्ताओं के मामले में न्यायिक सदस्य बनने के लिए पात्रता के संबंध में लागू है तथा अधिकरण सुधार (सुव्यवस्थितिकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021, तारीख 4 अप्रैल, 2021 में 50 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा को भी कम किए जाने की आवश्यकता है – के संबंध में कतिपय अभ्यावेदनों को प्रस्तुत किया गया था ।
- आईसीएआई की नई ई-फाइलिंग पोर्टल कृत्यकारिता के संबंध में चिंताओं को उपदर्शित करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना, जिसमें निर्धारितियों को एक ऐसा विकल्प उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है, जिससे सीए के नाम को हटाया जा सके (कारणों सहित) तथा किसी निर्धारिती को धारा 10(23ग) और 11 के अधीन एकसाथ आवेदन प्रस्तुत करने/उपचार की उपलब्धता में अंतर्वलित मुद्दों को भी सम्मिलित किया गया ।
- निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 के किसी उपबंध के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए शास्ति को समाप्त किए जाने के मुद्दे पर विचार करने के लिए अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संपरीक्षा रिपोर्टें प्रस्तुत किए जाने के संबंध में पणधारियों के समक्ष आय मुद्दों के संबंध में कतिपय अभ्यावेदनों का प्रस्तुत किया जाना ।
- धारा 119 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए प्ररूप सं. 10-झग को फाइल/प्रस्तुत करने (ऐसे निगम निर्धारितियों को लागू, जिन्होंने धारा 115खकक के अधीन कराधान की रियायती दर के लिए विकल्प लिया है) में हुए विलंब को क्षमा करने संबंधी मुद्दे पर विचार करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।

- आय-कर विभाग की वेबसाइट पर आय-कर अधिनियम, 1961 तथा आय-कर नियम, 1962 की ई-पुस्तकों को रखे जाने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- फेसलेस अपील स्कीम, 2020 के अधीन अपीलों के आदेश प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- सीआईटी (अपील) द्वारा जारी आदेशों के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल संबंधी पटल पर दोष सुधार/पुनरीक्षण को समर्थ बनाने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।
- प्ररूप सं. 3गघ के संबंध में आईसीएआई के अंत:निवेशों को प्रस्तुत किया जाना ।
- प्ररूप सं. 3गघ की आनलाइन ई-फाइलिंग उपयोगिता, जिसमें एक विशिष्ट खंड 35 अधिसूचित प्ररूप 3गघ के अनुरूप नहीं है, में सुधार करने का अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना ।

(II) मंत्रालय/सीबीडीटी के साथ बैठकें

- पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, डीटीसी के नेतृत्व में वित्त मंत्री, सीबीडीटी तथा इंफोसिस से एक दल के साथ 22 जून, 2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ई-फाइलिंग पोर्टल के संबंध में सामने आने वाली अनेक सारवान समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई थी । ई-फाइलिंग पोर्टल से संबंधित समेकित मुद्दों को अग्रिम रूप से विचारार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु सीबीडीटी को अग्रेषित कर दिया गया था । वित्त मंत्री ने आईसीएआई द्वारा दिए गए सुझावों/अंत:निवेशों की अनुशंसा की थी ।
- अध्यक्ष, डीटीसी की अध्यक्षता में आईसीएआई के पदधारियों और एडीजी (एस)–3 के नेतृत्व में सीबीडीटी के प्रणालियों संबंधी दल के पदधारियों के बीच 13.12.2021 को एक बैठक का आयोजन किया गया था । इस बैठक की आधारिक कार्यसूची, पोर्टल के सुचारू कार्यकरण हेतु समय-सीमा को भलीभांति समझना था तथा साथ ही आईसीएआई ने इस संबंध में भी चर्चा की थी कि उससे आगे और किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है । आईसीएआई के पदधारी आधारिक रूप से यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि पोर्टल कब तक सुचारू रूप से कार्य करना आरंभ कर देगा । उक्त बैठक में ई-फाइलिंग पोर्टल के संबंध में अनेक मुद्दों पर चर्चा की गई थी ।
- पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, तत्कालीन उपाध्यक्ष, आईसीएआई और अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिति, आईसीएआई ने संघ के माननीय वित्त राज्य मंत्री के साथ 5 अगस्त, 2021 को एक बैठक की थी, जिसमें प्रत्यक्ष कर तथा उनके संबंध में आगे की रणनीति के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था ।

(III) संघीय बजट के संबंध में क्रियाकलाप

- सरकार को आईसीएआई/डीटीसी/2021-22/आरईपी-12, तारीख 13 नवंबर, 2021 द्वारा एक बजट पूर्व ज्ञापन, 2022 प्रस्तुत किया गया था ।
- वित्त मंत्रालय को बजट पश्च ज्ञापन, 2022 प्रस्तुत किया जाना ।
- सीए जर्नल में बजट संबंधी लेखों का प्रकाशन ।

(IV) अन्य पहलें

- **प्रकाशन**
  - प्राप्त संदानों के विवरण से संबंधित हैड बुक
  - फर्मों के पुनर्गठन संबंधी तकनीकी गाइड
  - सीआईटी (ए)-भाग 1 और भाग 2 संबंधी तकनीकी गाइड – सीआईटी (ए) – भाग 2 के समक्ष अपील संबंधी तकनीकी गाइड से संबंधित बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न
  - वर्चुअल आईटीएटी कार्यवाहियों से संबंधित तकनीकी गाइड
- **हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कराधान संबंधी तकनीकी गाइड ।** प्रत्यक्ष करों से संबंधित विषयों जैसे कि सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर अधिसूचित परिपत्रों, अधिसूचनाओं, प्रैस विज्ञप्तियों, आदेशों आदि के संबंध में आईसीएआई की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना । समिति सीए जर्नल में सीबीडीटी द्वारा जारी महत्वपूर्ण परिपत्रों,

अधिसूचना, पैस विज्ञप्तियों, आदेशों आदि से संबंधित मासिक रूप से लेख भी प्रस्तुत करती है।

- **समिति द्वारा प्रत्यक्ष करों से संबंधित ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था।**

  सदस्यों को उनके वृत्तिक कर्त्तव्यों के बेहतर और प्रभावी रीति में निर्वहन करने में समर्थ बनाने हेतु उनके ज्ञान का संवर्धन करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डीटीसी ने क्रमश: जुलाई और अगस्त, 2021 के दौरान पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के दो बैचों का आयोजन किया था। उक्त पाठ्यक्रमों में 325 सदस्यों ने भाग लिया था।

- **मासिक आधार पर टैक्स टाइम्स जारी किया जाना।**

  समिति ने 1 जुलाई, 2021 से प्रत्येक मास के पहले दिन को टैक्स टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया है और इसका उद्देश्य सदस्यों को प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले नियमित संशोधनों, सीबीडीटी द्वारा समय-समय पर जारी नए परिपत्रों, अधिसूचनाओं आदि के संबंध में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना है।

(V) संगोष्ठियां/सम्मेलन/कर जागरुकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं

समिति ने इस अवधि के दौरान सभी सदस्यों और संबद्ध पणधारियों के बीच कर विधियों में हुए नए संशोधनों और सुसंगत विषयों के संबंध में जानकारी का प्रसार करने हेतु विभिन्न संगोष्ठियों, वेबीनारों, सम्मेलनों, और कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसका उद्देश्य वृत्तिकों के समक्ष आने वाली अस्पष्टताओं को दूर करके विभिन्न विषयों में स्पष्टता उपलब्ध कराना था।

समिति ने इस अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर से संबंधित विषयों पर विभिन्न संगोष्ठियों/सम्मेलनों/वेबकास्टों आदि का आयोजन किया :

- "आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के संबंध में, उच्चतम न्यायालय का निर्णय और आगे का मार्ग" विषय पर लाइव वेबकास्ट।
- "आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 148 में अंतर्वलित मुद्दे और आगे का मार्ग (उच्चतम न्यायालय का निर्णय) और उसकी विवक्षाएं" विषय पर लाइव वेबकास्ट।
- "पूर्त संस्थाएं – छूट तथा कराधान संबंधी नई विधि" विषय पर लाइव वेबकास्ट।
- "आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर संपरीक्षा के व्यवहारिक पहलूओं पर पैनल परिचर्चा" विषय पर लाइव वेबकास्ट।
- "आय-कर अधिनियम के अध्याय 6क के अधीन कटौतियां" विषय पर वीसीएम।
- "अध्याय 5 – आय को एकसाथ जोड़ना" विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठक (वीसीएम)।
- "गृह संपत्ति से आय" विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठक (वीसीएम)।
- "फेसलेस निर्धारण में अंतर्वलित मुद्दे" विषय पर लाइव वेबकास्ट।
- फेसलेस निर्धारण तथा कराधान विधियों में उभरता परिदृश्य तथा कर संबंधी मुकदमेबाजी विषय पर लाइव वेबकास्ट।
- "वित्त विधेयक, 2022 संबंधी वीसीएम", "संघीय बजट, 2022 का विश्लेषण" विषय पर वीसीएम।
- संघीय बजट, 2022 की प्रमुख विशिष्टियों (कराधान) को समझना – विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी वेबीनार।

5.8 आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाह संबंधी समिति (सीईसीएलएंडईए)

आर्थिक, वाणिज्यिक विधियों और आर्थिक सलाह संबंधी समिति (सीईसीएलएंडईए), संस्थान के "राष्ट्र निर्माण में भागीदारी" के प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप तथा भारत में आर्थिक विकास के प्रति अपना योगदान देने के विजन के अनुरूप ऐसे क्रियाकलाप करती है, जो सदस्यों को तकनीकी रूप से सुसज्जित करें/उनकी विशेषज्ञता के विस्तार क्षेत्र में अभिवृद्धि करें, जिससे उन्हें तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियों का फायदा उठाने में समर्थ बनाया जा सके और साथ ही सदस्यों को विभिन्न कारबार संबंधी सलाहकार और समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराने में भी समर्थ बनाया जा सके। अन्य बातों के साथ, समिति को प्राप्त आज्ञापक क्रियाकलापों में विश्लेषण का बहु कृत्यकारी कार्य, ज्ञान का प्रचार-प्रसार, नीति तैयार किए जाने के संबंध में विनियामकों को अंत:निवेश उपलब्ध कराना, समकालीन मुद्दों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों के क्षेत्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन करना सम्मिलित है।

आर्थिक समृद्धि की खोज में प्रगतिशील संगठनों को ऐसे सलाहकारों की आवश्यकता होती है, जिनका ध्यान भविष्य पर केंद्रित हो और

जो उनके समक्ष आने वाली जटिलताओं को दूर करने तथा एक सकारात्मक प्रभाव का सृजन करने में उनकी सहायता कर सके । आईसीएआई की सीईसीएलएंडईए चार्टर्ड अकाउंटेंटों को अपनी रणनीति तथा ऐसी नीतियां तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करती है, जो वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता के साथ विश्लेषणात्मक दूर दृष्टि का संयोजन करते हुए आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक मूल्यों का सृजन कर सकें । सीईसीएलएंडईए का प्रमुख कार्यक्षेत्र तकनीकी गाइडों, पृष्ठभूमि सामग्री/रिपोर्टों, गाइडों, टीका-टिप्पणियों, प्रतिनिर्देशों, प्रकाशनों आदि को तैयार करना तथा उनका प्रकाशन करना है और साथ ही वह आर्थिक विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसरों के संबंध में जागरुकता का भी सृजन करती है तथा समिति भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विककरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भिन्न उपायों का भी सुझाव देती है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

- **राष्ट्र निर्माण में भागीदारी**
    - वर्ष के दौरान समिति ने गृह मंत्रालय को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसके माध्यम से यह अनुरोध किया गया था कि पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से एफसीआरए वार्षिक विवरणी प्ररूप ग-4 को प्रस्तुत करने हेतु समय का विस्तारण मंजूर किया जाए ; प्ररूप ग-4 को आफलाइन रूप से प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए तथा उसे विलंब से/आफलाइन रूप से प्रस्तुत करने के लिए अधिरोपित शास्ति को समाप्त किया जाए ।
    - **आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी क्रियाकलाप :**

      भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मनाने के लिए भारत सरकार की देशव्यापी पहल – आजादी का अमृत महोत्सव के भागरूप में समिति ने सदस्यों और अन्य पणधारियों के फायदे के लिए अनेक वर्चुअल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके अंतर्गत एफडीआई, सेबी का अनुशासनिक और विनियामक तंत्र, खाद्य़ उद्योग में सीए की भूमिका, एमएसएमई अधिनियम के अधीन ऐसे संदायों की वसूली, जिनमें देरी हो गई है, भू-संपदा क्षेत्र, सिविल सेवाओं में भर्ती, अमेरिकी डालर का भविष्य और युद्ध का अर्थशास्त्र आदि विषय शामिल थे ।

- **सदस्यों की शिक्षा और सक्षमता निर्माण**
    - **असंरचित सीपीई घंटों को प्रदान किए जाने के लिए वेबीनार**

      कोविड 19 महामारी की स्थिति के पश्चात् सभी केंद्रीय समितियों ने केवल असंरचित सीपीई घंटे प्रदान करने के लिए वेबीनारों के आयोजन को जारी रखा । समिति ने कुल 8 वेबकास्टों का आयोजन किया, जिनके द्वारा आईसीएआई के सदस्यों को असंरचित सीपीई घंटे प्रदान किए गए ।
    - **संरचित सीपीई घंटों को प्रदान किए जाने के लिए वर्चुअल सीपीई बैठकें**

      समिति ने सदस्यों के लिए विभिन्न वीसीएम का आयोजन किया, जिनमें आर्थिक और वाणिज्यिक विधियों तथा आर्थिक सलाहकारी कृत्यों से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया गया, जैसे कि बेनामी और धन शोधन निवारण विधियां, रेरा, स्टार्ट अप के लिए कारबार योजना और अनुपालन, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), विलयनों और समामेलनों में अवसर, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन वार्षिक अनुपालन, फेमा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण, किस प्रकार निर्यात आरंभ करें तथा उसमें वृद्धि करें, निगम शासन, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 का पर्यावलोकन आदि । समिति द्वारा कुल 46 वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से आईसीएआई के 32,900 सदस्यों को कुल 69,177 संरचित सीपीई घंटे प्रदान किए गए ।

- **पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

  समिति ने निम्नलिखित आनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया :
    - जुलाई, 2021 में फेमा और एफडीआई संबंधी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का चौथा बैच : जिसमें 128 सदस्यों ने भाग लिया ।
    - अगस्त, 2021 में रेरा संबंधी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का तीसरा बैच : जिसमें 142 सदस्यों ने भाग लिया ।
    - अगस्त, 2021 में भू-संपदा क्षेत्र संबंधी पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का पहला बैच : जिसमें 110 सदस्यों ने भाग लिया ।

- **प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**
    - **धन-शोधन निवारण विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धन-शोधन निवारण विशेषज्ञ)**

- धन शोधन निवारण विधियों संबंधी आनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धन-शोधन निवारण विशेषज्ञ) – बैच 1 का आयोजन 5,6,9,10,11,12,15,16 और 18 जून, 2021 के दौरान किया गया ।
- धन शोधन निवारण विधियों संबंधी आनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (धन-शोधन निवारण विशेषज्ञ) – बैच 2 का आयोजन 1,2,3,6,7,8,9,10 और 17 सितंबर, 2021 के दौरान किया गया ।

○ **एडीआर (मध्यस्थता, मध्यक्ता और सुलह) संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 जून 2021 और 2, 3, 5, 6, 9 जुलाई 2021 के दौरान एडीआर (मध्यस्थता, मध्यक्ता और सुलह) संबंधी ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का बैच-2 ।

- **भौतिक संगोष्ठियां**

समिति ने 25 मई, 2022 तथा 11 जून, 2022 के दौरान क्रमश: वदोदरा और राजकोट में रेरा तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के विषय पर दो संगोष्ठियों का आयोजन किया ।

- **प्रकाशन**

समिति ने निम्नलिखित पृष्ठभूमि सामग्रियों को अद्यतन बनाया/का पुनरीक्षण किया :

- एडीआर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री ।
- एएमएल संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री - जिल्द 2 ।

- **अंतर्राष्ट्रीय और राज्य दिवसों संबंधी समारोह**

समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राज्य दिवसों के उपलक्ष्य में सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिससे हमारे भ्रातृसंघ के सदस्यों के ज्ञान का वर्धन करने के लिए आधुनिक ज्ञान के सर्वाधिक सुसंगत और समकालीन विषयों के संबंध में पठन और जागरुकता के सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जा सके :

○ 17 अप्रैल, 2022 को राजस्थान दिवस

○ 26 अप्रैल, 2022 को बौद्धिक संपदा अधिकार

○ 1 मई, 2022 को रेरा

○ 1 मई, 2022 को श्रमिक दिवस

○ 5 जून, 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस

○ 7 जून, 2022 को खाद्य सुरक्षा दिवस

- **प्राधिकरणों/विनियामकों के साथ कार्यक्रम**

समिति ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सहयोग से "प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता विधियां" विषय पर 27 मई, 2022 को आईसीएआई टावर, बांद्रा-कुर्ला काम्पलेक्स, मुंबई में एक संगोष्ठी का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई ।

- **विनिर्दिष्ट विषयों पर वर्चुअल आयोजनों की श्रृंखला**

समिति ने नीचे उल्लिखित क्षेत्रों के संबंध में व्यापक और केंद्रित पठन उपलब्ध कराने के लिए वर्चुअल आयोजनों की एक श्रृंखला का संचालन किया है :

○ अनुसंधान संबंधी वर्चुअल श्रृंखला

○ फेमा के प्रति व्यापक दृष्टिकोण

○ भू-संपदा क्षेत्र से संबंधित विधियां

सभी वर्चुअल सीपीई आयोजनों की रिकार्डिंग www.icaitv.com पर उपलब्ध है ।

5.9 अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी)

आईसीएआई ने सदस्यों के बीच ज्ञान तथा व्यवहारों के परस्पर आदान-प्रदान के माध्यम से अंकीय लेखांकन और आवश्वासन से संबंधित पहलूओं पर एक संसक्त वैश्विकरण रणनीति तैयार करने के लिए "अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड (डीएएबी)" की स्थापना की है। डीएएबी डिजीटल विश्व में लेखांकन और आश्वासन के क्षेत्र में अंतर्वलित मुद्दों की पहचान करने, उन पर विचार-विमर्श करने तथा उक्त मुद्दों को विशिष्ट रूप से दर्शित करने हेतु प्रयास कर रहा है। डीएएबी अपने लेखांकन तथा आश्वासन के संबंध में प्रौद्योगिकी के प्रभाव से संबंधित मुद्दों पर प्रास्थिति पत्रों और लेखों के माध्यम से ज्ञान का आधार विकसित कर रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट संबंधी प्रक्रिया स्वचालन, ब्लॉकचेन, क्लाउड संगणना और लेखांकन तथा आश्वासन संबंधी वृहत डाटा के भावी प्रभावों के संबंध में अवधारणा पत्रों को तैयार करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है । इसका प्रयोजन चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उनके ज्ञान में विस्तार करने और आज के डिजीटल युग में नए क्षेत्रों में उनके कौशलों को विकसित करने में सहायता करना है।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

- **सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम**

  बोर्ड द्वारा संचालित सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम (डीआईएसए) को वर्ष 2001 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा के क्षेत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के कौशल में वृद्धि करने के लिए आरंभ किया गया था, जिसके संबंध में मांग बढ़ती जा रही थी। डीआईएसए पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी, सूचना आश्वासन तथा सूचना प्रबंध विशेषज्ञता को समिश्रित करता है, जो किसी डीआईएसए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक भरोसेमंद सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार बनने तथा सूचना सुरक्षा आश्वासन सेवाओं के प्रदाता के रूप में स्वयं को विकसित करने में समर्थ बनाता है। वर्ष 2001 से आज की तारीख तक 32,162 से अधिक सदस्यों ने इस पाठ्यक्रम को अर्हित किया है। डीआईएसए का संचालन श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान और नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लिए भी किया गया था। अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड ने सूचना प्रणाली संपरीक्षा संबंधी अर्हता पश्च पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को भी अद्यतन किया है। उल्लिखित अवधि के दौरान कुल 44 वर्चुअल बैचों का आयोजन किया गया था।
- **न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  बोर्ड, "न्यायालयीन लेखांकन और कपट का पता लगाने संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" का संचालन करता है और आज की तारीख तक लगभग 10,715 सदस्यों ने इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया है । इस विशेषीकृत पाठ्यक्रम का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों की, लेखांकन, संपरीक्षा, सीएएटी/डाटा माइनिंग उपकरणों संबंधी कौशलों और कपट/त्रुटियों का पता लगाने संबंधी अन्वेषणात्मक कौशलों को अर्जित करने में सहायता करना है। उल्लिखित अवधि के दौरान इसके कुल 39 बैचों का आयोजन किया गया था।

(II) जारी किए गए प्रकाशन

- **न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषण मानकों संबंधी सार-संग्रह**

  बोर्ड ने अगस्त, 2021 में न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषण मानकों संबंधी सार-संग्रह को जारी किया, जिसमें 23 मानक अंतर्विष्ट हैं, जो आईसीएआई के सदस्यों को न्यायालयीन लेखांकन और अन्वेषणों के क्षेत्र में एक सिंहावलोकन उपलब्ध कराते हैं और साथ ही इस संबंध में भी जानकारी प्रदान करते हैं कि इन क्षेत्रों में किस प्रकार परियोजनाओं और समनुदेशनों को पूरा किया जाए तथा कार्य को किस प्रकार पूरा करके अंतिम रूप से निकाले गए निष्कर्षों को किस प्रकार सुसंगत पणधारियों को रिपोर्ट किया जाए।
- **निम्नलिखित विषयों पर अवधारणा पत्र**
  - रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन- लेखांकन वृत्ति के लिए अवसर और चुनौतियाँ (2021)
  - ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी- लेखांकन वृत्ति के लिए अंगीकरण और विवक्षाएं (2021)
  - प्रौद्योगिकी की एबीसीडी
  - इंटरनेट ऑफ थिंग्स – बेसिक्स एंड एप्लीकेशन संबंधी एक गाइड
  - क्लाउड कंप्यूटिंग संबंधी गाइड (जुलाई 2021)
- **बोर्ड ने आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर निम्नलिखित ई-पठन कैप्सूल पाठ्यक्रमों का शुभारंभ किया है**
  - माइक्रोसाफ्ट एक्सेल में डाटा समेकन और विश्लेषण
  - एक्सेल में टेबल तक टेबल डाटा
  - संख्याओं से परे एक्सेल
  - एक्सेल में लाजिकल्स टू लुकअप

- एक्सेल में पाइवॉट टेबल
- सूचना प्रणाली संपरीक्षा 3.0 संबंधी अर्हता पश्च पाठ्यक्रम पर गेमीफाइड श्रृंखला

(III) राष्ट्रीय न्यायलयीन विज्ञान विश्वविद्यालय (एनएफएसयू) के साथ न्यायलयीन लेखांकन और कपट अन्वेषण संबंधी संयुक्त महासभा का आयोजन

संस्थान ने गुजरात न्यायलयीन विज्ञान विश्वविद्यालय (जिसका नाम अब बदलकर राष्ट्रीय न्यायलयीन विज्ञान विश्वविद्यालय कर दिया गया है) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अधीन सहयोग के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत तथा एक पहल के रूप में बोर्ड 2 और 3 सितंबर, 2022 के दौरान गांधी नगर स्थित उनके कैम्पस में न्यायलयीन लेखांकन और कपट अन्वेषण संबंधी संयुक्त महासभा का आयोजन कर रहा है । इस महासभा का उद्देश्य न्यायलयीन लेखांकन, कपट का पता लगाना, डिजीटल न्यायलयीन विज्ञान और उक्त क्षेत्र में कार्यरत वृत्तिकों से संबंधित अन्य क्षेत्रों को विशिष्ट रूप से दर्शित करना है ।

- अंकीय लेखांकन और आश्वासन बोर्ड ने अंकीय लेखांकन तथा अन्वेषण मानकों के संबंध में पणधारियों के बीच बेहतर समझ तथा आउटरीच को सुनिश्चित करने के लिए न्यायलयीन लेखांकन तथा अन्वेषण मानकों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण तैयार करने के लिए विशेषज्ञों के एक समूह का सृजन किया है । यह समूह वित्तीय न्यायलयीन लेखांकन और कपट अन्वेषण में समुन्नत व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पाठ्यचर्या को अंतिम रूप दिए जाने संबंधी कार्य को भी पूरा करेगा ।
- बोर्ड ने क्रिप्टोकरेंसी के संबंध में अध्ययन करने के लिए भी एक समूह का सृजन किया है, जिसके द्वारा एक अवधारणा पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सभी पहलूओं को समाविष्ट किया जाएगा, जैसे कि विनियमन, कराधान संबंधी विषय, रणनीतियां, सुरक्षा संबंधी मुद्दे आदि ।

(IV) **बोर्ड द्वारा संचालित वेबीनार, वर्चुअल सीपीई बैठकें, कार्यपालक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सम्मेलन**

- **वेबीनार :**
  - बैंकों के लिए डाटा विश्लेषण और दस्तावेजीकरण
  - पिछले वर्षों के दौरान प्रगति और नीति – न्यायलयीन लेखांकन और अन्वेषण मानकों की आवश्यकता
- **वर्चुअल सीपीई बैठकें :**
  - क्लाउड तक की यात्रा – किस प्रकार प्रचार को वास्तविकता से पृथक् किया जा सकता है ।
  - आज के डिजीटल युग में आईटी प्रणाली संपरीक्षा और व्यवसाय के नए आयाम ।
  - प्रौद्योगिकी की एबीसीडी ।
  - साइबर सुरक्षा – व्यवसाय के नए अवसर ।
  - बिग डाटा और डाटा की निजता ।
  - आईएसए निर्धारण परीक्षा किस प्रकार उत्तीर्ण करें ।
  - न्यायलयीन विज्ञान में विश्व की अगुवाई – विश्व के प्रथम न्यायलयीन मानक ।
  - अंकीय न्यायलयीन और सूचना प्रणाली संपरीक्षा ।
  - परीक्षा से तुरंत पूर्व क्या करें – आईएसए परीक्षा के लिए पुनरीक्षण ।
  - अंकीय आश्वासन ।
  - चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रौद्योगिकी का सर्वोत्तम रूप से उपयोग ।
  - न्यायलयीन परिप्रेक्ष्य – एनपीए संकट : ऋण के खेल को समझना ।
  - ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी ।

- **कार्यपालक विकास कार्यक्रम**
    - माइक्रोसाफ्ट एक्सेल पावर उपकरणों और पावर बीआई के साथ डाटा विश्लेषण और प्रत्यक्षीकरण ।
    - सीएएटी उपकरणों का उपयोग करते हुए न्यायलयीन विश्लेषण ।
    - समुन्नत एक्सेल और डाटा डैश बोर्ड ।
    - आईएसए की व्यवहारिक गाइड ।
    - चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए डाटा विश्लेषण में अवसर ।
- **राष्ट्रीय सम्मेलन :**
    - 2 से 4 जुलाई, 2021 के दौरान आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की पुणे शाखा के साथ संयुक्त रूप से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ।
    - 15 से 17 जुलाई, 2021 के दौरान आईसीएआई की सीआईआरसी के साथ संयुक्त रूप से "लघु और मध्यम व्यवसायियों की दशा में कार्यालय का स्वचालन" विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन ।
    - 16 से 18 अगस्त, 2021 के दौरान अंकीय लेखांकन – लेखांकन वृत्ति का कायाकल्प विषय पर तीन दिवसीय वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन ।
    - 6, 7 और 8 अक्तूबर, 2021 के दौरान कालीकट शाखा के साथ प्रौद्योगिकी की एबीसीडी के विषय पर तीन दिवसीय वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन ।

5.10 नैतिक मानक बोर्ड (ईएसबी)

आईसीएआई ने अपनी नैतिक संहिता के प्रथम संस्करण को वर्ष 1963 में जारी किया था, जो उस समय 'आचार-संहिता' के नाम से जाना जाता था और उसमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटो को लोक हित में कार्य करने के उनके उत्तरदायित्व को पूरा करने में समर्थ बनाते थे । 'आचार-संहिता' अनिवार्य रूप से वृत्तिक नैतिक मानकों का एक ऐसा सेट था, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों के अन्य व्यक्तियों के साथ संबंधों का विनियमन करता था । 'आचार-संहिता' को पहली बार वर्ष 2001 में उस समय 'नैतिक संहिता' कहा गया, जब उसका नवां संस्करण सामने आया । इसके प्रथम संस्करण से ही संहिता को समय-समय पर निरंतर रूप से अद्यतन किया गया है, जिससे कि उसमें विधान में होने वाले परिवर्तनों, नैतिक और वृत्तिक मानकों में होने वाले परिवर्तनों के अनुरूप परिवर्तन किए जा सकें । सदस्यों के लिए वृत्तिक संहिता, नैतिक सिद्धांतों के आधार पर व्यवहार के अपेक्षित मानकों को विहित करती है और इसका आशय उन बातों को अधिकथित करना है, जिनकी समाज किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपेक्षा करता है । लेखांकन वृत्ति में लोक हित का सम्मिलित होना इसका एक अति विशिष्ट पहलू है । चार्टर्ड अकाउंटेंट का उत्तरदायित्व अनन्य रूप से अपने व्यष्टिक ग्राहक की या किसी नियोजक संगठन की अपेक्षाओं की पूर्ति करना नहीं है अपितु उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण पणधारी – साधारण जनता भी सम्मिलित है ।

आईसीएआई ने वर्ष 1975 में सदस्यों के लिए परिवर्तनशील स्थितियों और परिस्थितियों में नैतिक मानकों को तैयार करने के लिए नैतिक मानक बोर्ड का गठन किया था, जो उस समय नैतिक मानक समिति के रूप में ज्ञात थी । नैतिक मानक बोर्ड का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए नैतिक मानकों को अधिकथित करना, नैतिकता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों को समेकित करना, स्थानीय विधियों के अधीन रहते हुए चार्टर्ड अकाउंटेटों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता तथा संगतता में अभिवृद्धि करना तथा साधारण जनता के वृत्ति में विश्वास को सुदृढ़ करना है । नैतिक बोर्ड एक क्रियाशील और समकालीन नैतिक संहिता तैयार करने के प्रति कार्य करता है और वह 'उत्कृष्टता, स्वतंत्रता और सत्यनिष्ठा' के आदर्शों को सर्वोपरि रखते हुए सदस्यों के नैतिक व्यवहार की रूपरेखा तैयार करता है और साथ ही सदस्यों के सम्मान और हितों का संरक्षण भी करता है ।

(I) महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- सीए कनेक्ट पोर्टल (www.caconnect.icai.org) को तारीख 31 जुलाई, 2021 से कार्यरत बनाया गया है । सीए कनेक्ट पोर्टल घरेलू रूप से विकसित एक ऐसी प्रणाली है, जिसके माध्यम से सीए फर्मों/सीए व्यवसायियों को एक मंच पर सूचीबद्ध किया जाता है । यह पोर्टल ग्राहकों और चार्टर्ड अकांउटेंटों के बीच एक अनिवार्य पुल उपलब्ध कराता है ।
- उदभासन प्ररूप, प्रश्नोत्तरों को और अन्य उदघोषणाओं के संबंध में टीका-टिप्पणियां ।

  अंतर्राष्ट्रीय अकाउंटेंट्स फेडरेशन के अकाउंटेंटों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड (आईईएसबीए) द्वारा जारी विभिन्न उदघोषणाओं के संबंध में टीका-टिप्पणियों को ईएसबी को अग्रेषित किया गया था । उक्त टीका-टिप्पणियां निम्नलिखित

उदभासन प्रारूपों के संबंध में अग्रेषित की गई थी :

- संहिता में प्रस्तावित प्रौद्योगिकी संबंधी पुनरीक्षण ।
- सूचीबद्ध अस्तित्व और लोक हित अस्तित्व की परिभाषाओं में प्रस्तावित पुनरीक्षण ।

इसके अतिरिक्त, आईसीएआई के मतों को आईईएसबीए की बैठक में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और साथ ही उक्त मतों को आईईएसबीए–एनएसएस बैठक में भी प्रस्तुत किया गया था । वर्तमान स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ अभिसरण से संबंधित रिपोर्ट आईईएसबीए को भेजी गई है ।

(II) बोर्ड के क्रियाकलाप

- ईएसबी नियमित रूप से आईसीएआई के मासिक सीए जर्नल में 'नो यूअर ऐथिक्स' नामक एक जागरुकता स्तंभ उपलब्ध कराता है ।
- ईएसबी ट्विटर पर भी मौजूद है, जहां नियमित रूप से सदस्यों की जागरुकता के लिए पुनरीक्षित नैतिक संहिता से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों/मामलों को रखा जाता है । इसके पीछे ईएसबी का उद्देश्य सदस्यों द्वारा पुनरीक्षित नैतिक संहिता को उपयुक्त रूप से अपनाए जाने तथा उसके कार्यान्वयन के उद्देश्य की पूर्ति करना है ।
- ईएसबी ने नैतिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न विषयों पर भिन्न-भिन्न स्पष्टीकरणों तथा बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों को जारी किया है तथा वह नैतिक मुद्दों के विभिन्न विषयों पर वीडियो प्रस्तुतीकरणों को भी अपलोड करता है ।
- ईएसबी ने पुनरीक्षित नैतिक संहिता के उपबंधों के संबंध में सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए 10 वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों तथा वेबीनारों का आयोजन किया है । ईएसबी ने दो वैश्विक वर्चुअल संगोष्ठियों का भी आयोजन किया है, जिसमें अध्यक्ष, आईएफएसी और निदेशक, एशियान और प्रशांत अकाउंटेंटों की कान्फेड्रेशन (सीएपीए) को भी आमंत्रित किया गया ।
- ईएसबी ने जयपुर में नैतिक संहिता से संबंधित एक संकाय विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया है ।
- ईएसबी ने सदस्यों से संबंधित वृत्तिक नैतिकता के विषयों पर एक त्रैमासिक ई-न्यूज लैटर को भी आरंभ किया है ।
- ईएसबी ने सदस्यों द्वारा संपरीक्षक के रूप में उन्हें अनुचित रूप से हटाए जाने के विरुद्ध दर्ज की गई चार शिकायतों पर भी तैयार की गई प्रक्रिया के अनुसार जांच और विचार किया है तथा उसने इस संबंध में आवश्यक कदम भी उठाए हैं ।

(III) नैतिक मानक बोर्ड द्वारा कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

- व्यवसायरत किसी सदस्य को यह अनुमति प्राप्त नहीं है कि वह किसी ऐसी सोसाइटी का कानूनी संपरीक्षक नियुक्त किया जाए, जिसमें उसके स्वयं के कुटुंब का कोई सदस्य, अर्थात् पति या पत्नी या कोई आश्रित सदस्य सोसाइटी द्वारा शासित संस्थानों की प्रबंध समितियों में से किसी एक में कोई अवैतनिक पद धारण करता है ।
- परिषद् ने यह विनिश्चय किया है कि किसी संपरीक्षक की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए जब वह किसी ऐसे समुत्थान का ऋणी है, जिसके संबंध में परिषद् साधारण दिशानिर्देश, 2008 के अध्याय 10 के अधीन कार्यवाही की गई है, "संपरीक्षक" पद के अंतर्गत आंतरिक संपरीक्षक, समवर्ती संपरीक्षक या प्रबंध मंडल को रिपोर्ट देने वाला कोई संपरीक्षक सम्मिलित नहीं होगा । अन्य शब्दों में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऋणी होने के मानदंड/सीमा से संबंधित उपबंध केवल कानूनी संपरीक्षकों को लागू होंगे ।
- व्यवसायरत चार्टर्ड अकांउटेंट/चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों को वृत्तिक सेवाएं प्रदान करने हेतु जीईएम पोर्टल पर रजिस्टर करने की अनुमति प्राप्त है । पोर्टल पर प्रकाशित की जाने वाली जानकारी नैतिक संहिता के उपबंधों के अनुपालन में होनी चाहिए ।
- व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंटों को इस बात की अनुमति प्राप्त है कि वे प्रमुख (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) में "प्रबंध बोर्ड" का सदस्य बन सकें परंतु यह कि सदस्यों के कृत्य निदेशक के तत्समान होने चाहिए ।

5.11 विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी)

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य के प्रति अथक प्रयास करते हुए, अर्थात् किसी अस्तित्वों के वित्तीय कार्यों के संबंध में सत्य और निष्पक्ष मत प्रस्तुत करते समय अकाउंटेंट प्राय: कतिपय विनिर्दिष्ट मुद्दों का सामना करते हैं, जिसके लिए अस्तित्व के विनिर्दिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू लेखांकन ढांचे की अपेक्षाओं की गहन समझ और उसके संबंध में अनुसंधान अपेक्षित होता है । ऐसी परिस्थितियों का अनुमान लगाते हुए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा वर्ष 1975 में विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया

गया था, जिससे ऐसे सदस्यों की सहायता की जा सके, जिनके सामने इस प्रकार की चुनौतियां आती हैं तथा उनकी अस्तित्व - विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों के लागू होने संबंधी शंकाओं का समाधान किया जा सके। उसी समय से ईएसी लेखांकन, संपरीक्षा और संबद्ध मुद्दों पर सदस्यों और अन्य पणधारियों, जिनके अंतर्गत सरकार और विनियामक प्राधिकरण भी हैं, जैसे कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आदि, को सलाहकार सेवा नियमों के अनुसार स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ राय उपलब्ध करा रही है।

(I) विशेषज्ञ राय

नियम के अनुसार, समिति केवल लेखांकन और/या संपरीक्षा सिद्धांतों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराती है और वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों के विधिक निर्वचन संबंधी प्रश्न ही अंतर्वलित होता है। समिति ऐसे प्रश्नों का भी उत्तर उपलब्ध नहीं कराती है, जो संस्थान की अनुशासन समिति, विधि के किसी न्यायालय, आय-कर प्राधिकरणों या सरकार के किसी अन्य विभाग के समक्ष लंबित मामले से संबंधित हैं । ये नियम आईसीएआई की वेबसाइट पर https://www.icai.org/new_post.html?post_id=495&c_id=142 हाइपरलिंक के अधीन उपलब्ध हैं या उन्हें नई दिल्ली स्थित संस्थान के प्रधान कार्यालय से अभिप्राप्त किया जा सकता है।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा अभिव्यक्त रायें उपलब्ध कराए गए तथ्यों पर आधारित होती हैं और साथ ही सुसंगत विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा प्रश्न पूछे जाने की तारीख को विद्यमान लेखांकन/संपरीक्षा सिद्धांतों को विचार में लेते हुए समिति द्वारा राय को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। अत:, समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई रायों को उस तारीख के पश्चात् किए गए किन्हीं संशोधनों/अभिवृद्धियों के आलोक में विचार में लिया जाना चाहिए।

(II) ऐसी राय, जिन्हें अवधि के दौरान अंतिम रूप प्रदान किया गया है

समिति ने, 1.4.2021 से 20.06.2022 तक की अवधि के दौरान विभिन्न लेखांकन संबंधी मुद्दों पर 53 रायों को अंतिम रूप प्रदान किया था।

(III) रायों का सार-संग्रह/ज्ञान का प्रसार

समिति द्वारा उपलब्ध कराए गई रायों में अंतर्विष्ट लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन को साधारण रूप से सदस्यों और अन्य पणधारियों तक पहुंचाने के लिए समिति द्वारा दी गई रायों को आवधिक रूप से एक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित किया जाता है, अर्थात् 'रायों का सार-संग्रह'। अब तक रायों के सार-संग्रह की 41 जिल्दों का प्रकाशन किया गया है। इन जिल्दों का व्यापक रूप से वृत्तिकों द्वारा प्रतिनिर्देश किया जाता है तथा अवलंब लिया जाता है। सुगम संदर्भ हेतु इन रायों को संकलित किया गया है तथा आईसीएआई की वेबसाइट पर एक खोज एप्लीकेशन के रूप में रखा गया है।

(IV) किए गए क्रियाकलापों के ब्यौरे

1.4.2021 से 30.06.2022 की अवधि के दौरान निम्नलिखित विषयों पर रायों को अंतिम रूप प्रदान किया गया :

- किसी परियोजना के निर्माण के लिए अनिवार्य रूप से उपगत किए जाने के लिए आवश्यक अप्रत्यक्ष व्ययों के संबंध में व्यय का लेखांकन संबंधी उपचार। (इसमें 9 राय सम्मिलित हैं)
- नकद प्रवाह विवरण में गैर-चालू आस्ति में परिवर्तन की प्रस्तुति।
- अनिवार्य रूप से संपरिवर्तनीय डिबेंचरों (सीसीडी) के लिए बैकस्टॉपिंग ठहराव हेतु लेखांकन संबंधी उपचार।
- किसी परियोजना के कार्यान्वयन चरण के दौरान जनशक्ति लागत का आबंटन।
- पॉलिसीधारकों की निधि में धारित अनुषंगियों/सहयोगियों में निवेश का उपचार।
- पट्टे पर दी गई भूमि पर ड्रेजिंग और रिक्लेमेशन (साइट ग्रेडिंग) लागत का उपचार।
- ऊर्जा की अतिरिक्त अपेक्षाओं के आयात हेतु सुविधाओं के संनिर्माण का लेखांकन संबंधी उपचार।
- लॉकडाउन अवधि के दौरान उधार लागतों का पूंजीकरण।
- ऐसे उप-उत्पादों, जिनका मूल्यांकन नहीं किया गया है, की सूची का मूल्यांकन।
- वर्ष-दर-वर्ष आधार पर अंतिम खान समापन योजना का प्राक्कलन तथा लेखा बहियों में उसके संबंध में उपचार।
- सरकारी अनुदानों का लेखांकन संबंधी उपचार।
- इंड एएस 115 के अधीन वॉलेट उपयोक्ताओं को दिए गए प्रोत्साहन का उपचार।
- राज्य सरकार से वहनीयता अंतर निधि के रूप में प्राप्त ब्याज मुक्त ऋण का लेखांकन संबंधी उपचार।

- नए यूरिया संयंत्र की स्थापना के लिए गठित किसी नई कंपनी, जो संनिर्माणाधीन चरण पर है, की दशा में अनुसंधान व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इंड एएस के अधीन लेखांकन संबंधी उपचार ।
- बैंकों में अधिशेष निधि के परिनियोजन से अर्जित ब्याज की प्रस्तुति ।
- ऐसी कंपनी, जो कोई मूल कंपनी है, द्वारा अपनी स्टेप-डाउन अनुषंगी कंपनी की ओर से बैंकों/आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को जारी निगम गारंटी (गारंटी विलेख) के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लेखांकन संबंधी उपचार ।
- किसी विशिष्ट परियोजना में उपयोग के लिए ग्राहकों द्वारा वित्तपोषित आस्तियों का लेखांकन संबंधी उपचार ।
- एएस 12 के अधीन प्राप्त अनुदान का लेखांकन संबंधी उपचार ।
- ऐसी कंपनी, जो कोई मूल कंपनी है, द्वारा अपनी स्टेप-डाउन अनुषंगी कंपनी की ओर से जारी निगम गारंटी (गारंटी विलेख) के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में लेखांकन संबंधी उपचार ।
- कंपनी के स्वामित्वाधीन न आने वाली आस्तियों पर उपगत व्यय का लेखांकन संबंधी उपचार ।
- कारबार क्रियाकलापों का प्रचालन क्रियाकलापों या निवेश क्रियाकलापों के रूप में वर्गीकरण ।
- डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन सम्मिलित कर्मचारी फायदों के लिए लेखांकन ।
- अंतर्निहित गुडविल में हानिकरण के अप्रत्यावर्तन के कारण पृथक् वित्तीय विवरणों में अनुषंगी कंपनी में निवेश के संबंध में हानिकरण का अप्रत्यावर्तन ।
- लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे और उससे संबंधित ऋण लागत के पूंजीकरण के अधीन अर्जन लागत का उपचार ।
- मूल कंपनी द्वारा अनुषंगी कंपनी में निवेशों के अर्जन के लिए प्राप्त किए गए उधारों के संबंध में उपगत उधार संबंधी लागतों का लेखांकन संबंधी उपचार ।
- संनिर्माण परियोजनाओं में बीमा प्रीमियम का पूंजीकरण ।
- किसी अस्तित्व का अनुषंगी कंपनी या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकरण और उसका समेकन ।
- पट्टेदार की पुस्तकों में स्थायी पट्टे का लेखांकन संबंधी उपचार ।
- भूमि पट्टे का वर्गीकरण ।
- कर्मचारी भविष्य निधि न्यास के वित्तीय विवरणों में अवक्रमित निवेशों के लिए लेखांकन संबंधी उपचार ।
- कर्मचारी फायदा न्यास के अवक्रमित निवेशों के लिए मापमान संबंधी उपबंध और उनके संबंध में लेखाकंन उपचार ।
- योजना में परिवर्तन के कारण समूह मेडिक्लेम बीमा कवरेज स्कीम (परिभाषित फायदा योजना) के अधीन कंपनी के दायित्व में परिवर्तन का लेखांकन संबंधी उपचार ।
- चालू आस्तियों - अन्य चालू आस्तियों के अधीन ए लिमिटेड को दिए गए अग्रिम की प्रस्तुति ।
- वाहक पौधों के लिए लेखांकन ।
- चालू पूंजी संकर्मों और साथ ही आधुनिकीकरण संकर्म की दशा में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की एक मद के रूप में पारेषण लाइनों और सब-स्टेशनों के पूंजीकरण का समय ।
- सूची या संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के रूप में 'ट्रैक आफ स्टॉक' का वर्गीकरण ।
- नकद प्रवाह विवरणों में प्रोदभूत ब्याज की प्रस्तुति ।
- कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 की कंपनी (जो अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की कंपनी है) के संबंध में एएस 108 - 'प्रचालन खंड' का लागू होना ।
- केंद्रीय पारेषण उपयोगिता (सीटीयू) की हैसियत में बिलिंग, संग्रहण और संवितरण (बीसीडी) से संबंधित संव्यवहारों का लेखा संबंधी उपचार ।
- इंड एएस 14 का लागू होना और 'विनियामक आस्थगित खातों' के संबंध में आस्थगित कर दायित्वों की प्रस्तुति ।
- लाभ और हानि विवरण में स्क्रैप की सूची में परिवर्तनों का प्रकटन ।
- कंपनी के वित्तीय विवरणों में छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों में दबावग्रस्त निवेशों का लेखांकन संबंधी उपचार ।
- दर विनियमों के अनुसार उदभूत होने वाले टू-अप मूल्य का लेखांकन संबंधी उपचार ।
- ऐसी साम्या लिखतों, जिनकी किसी सक्रिय बाजार में कोट की गई बाजार कीमत उपलब्ध नहीं है, में निवेशों के उचित मूल्य को मापने के लिए मूल्यांकन तकनीक में से एक के रूप में 'शुद्ध बही मूल्य' पद्धति को अपनाना ।
- विलंबित संदाय प्रभारों का लेखांकन संबंधी उपचार ।

5.12 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी)

वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड (एफआरआरबी) वर्ष 2002 में अपने सृजन के पश्चात् से ही भारत में विद्यमान वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों के सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड विभिन्न उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन करता है, जिससे यह विनिश्चित किया जा सके कि वे विभिन्न लागू कानूनों, लेखांकन मानकों और संपरीक्षा संबंधी मानकों की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं। बोर्ड में आईसीएआई की केंद्रीय परिषद् के सदस्य और भारत सरकार के नामनिर्देशिती सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक वर्ष बोर्ड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

वर्ष की उपलब्धियां :

(I) किए गए पुनर्विलोकन (स्व:विवेकानुसार या विशेष रूप से चुने गए मामलों का पुनर्विलोकन)

अप्रैल, 2021 से जून, 2022 की अवधि के दौरान बोर्ड ने स्व:विवेकानुसार चुने गए या विशेष मामलों के रूप में लिए गए 61 मामलों का पुनर्विलोकन किया था। इसके अंतर्गत, 5 ऐसे वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन किया गया, जिन्हें विशेष मामलों के रूप में लिया गया था और साथ ही इंड एएस वित्तीय विवरणों के 44 मामलों का भी पुनर्विलोकन किया गया था। इन कुल 61 मामलों में से 8 मामलों को संबद्ध विनियामकों और निदेशक, अनुशासन को आगे और कार्रवाई हेतु निर्दिष्ट किया गया था तथा 42 मामलों में बोर्ड ने उद्यम के संपरीक्षक को सलाह जारी करने का विनिश्चय किया था।

बोर्ड द्वारा विचार किए गए तथा अंतिम रूप दिए गए मामलों की संख्या	आईसीएआई के निदेशक (अनुशासन) को आगे और कार्रवाई करने हेतु निर्दिष्ट मामलों की संख्या, जहां गंभीर अननुपालन पाए गए	विनियामकों को निर्दिष्ट मामले (एमसीए और आरबीआई)	ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें संपरीक्षकों को सलाह जारी की गई है
61	8	7	42

(II) समाज के प्रति योगदान - राष्ट्र के लिए प्रतिबद्धता

विनियामकों का समर्थन करने और साथ ही वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता लाने के अपने प्रयास में एफआरआरबी ने वर्ष के दौरान विशेष मामलों के रूप में विभिन्न उद्यमों के 27 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उनके संबंध में संपरीक्षकों की रिपोर्ट का पुनर्विलोकन किया है जिन्हें विनियामकों द्वारा मीडिया की रिपोर्टों और प्राप्त हुए निर्देशों के आधार पर निर्दिष्ट किया था और जो पुनर्विलोकन के विभिन्न प्रक्रमों पर हैं।

- **विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट मामलों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति**
  - भारत निर्वाचन आयोग ने एफआरआरबी से यह अनुरोध किया था कि वह कम से कम छह राष्ट्रीय राजनैतिक दलों और मान्यताप्राप्त दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं का पुनर्विलोकन आरंभ करे, जिनकी आय/व्यय 10 करोड़ रुपए से अधिक है। तदनुसार, भारत निर्वाचन आयोग बोर्ड को प्रत्येक वर्ष ऐसे राजनैतिक दलों के वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं को अग्रेषित करता है। पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान एक राजनैतिक दल के एक वार्षिक संपरीक्षित लेखाओं को एफआरआरबी को अग्रेषित किया गया है।
  - भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से आईसीएआई को ऐसी सीए फर्मों की एक सूची प्राप्त हुई थी जिनकी "पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के संपरीक्षकों के रूप में असंतोषप्रद कार्यपालन" के रूप में पहचान की गई थी। एफआरआरबी ने ऐसे 6 समुत्थानों के एक साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन आरंभ किया है, जिनकी संपरीक्षा उक्त सूची में सम्मिलित किए गए संपरीक्षकों द्वारा की गई है और यह पुनर्विलोकन के भिन्न-भिन्न प्रक्रमों पर है।
  - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) से प्राप्त परिसमापनाधीन कंपनियों की सूची के आधार पर बोर्ड ने चुनी गई 17 सूचीबद्ध कंपनियों का भी पुनर्विलोकन आरंभ किया है।

(III) एफआरआरबी के वेब पोर्टल का शुभारंभ : एफआरआरबी के कार्य का नियम आधारित विश्लेषण का उपयोग करते हुए स्वचालन

बोर्ड ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान एक पोर्टल का शुभारंभ किया है, जो ऐसी अनेक प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाता है, जिनमें अन्यथा स्वयं कार्य करना होता था। स्वचालन के दृष्टिकोण की अवधारणा इस उद्देश्य से तैयार की गई कि पुनर्विलोकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके और अधिक प्रभावी बनाया जाए। इस पोर्टल की प्रमुख विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

- नियम आधारित विश्लेषणों का उपयोग करते हुए एक्सबीआरएल वित्तीय विवरणों के आधार पर सामान्य अननुपालनों की प्रणालीगत रूप से पहचान को समर्थ बनाना ।
- विभिन्न पुनर्विलोकन स्तरों के बीच एफआरआरबी के कार्य प्रवाह के स्वचालन को समर्थ बनाना ।
- बोर्ड द्वारा पाए गए अननुपालनों के निक्षेपागार को बनाए रखना ।
- पुनर्विलोकन कार्य की मॉनिटरिंग ।
- एफआरआरबी के सभी प्रकाशनों को अद्यतन बनाना तथा उनके संबंध में प्रकीर्ण कार्य करना – जर्नल में एफआरआरबी के लेख, वीडियो और पूर्ववर्ती आयोजनों/वेबकास्टों संबंधी प्रस्तुतियां, एफआरआरबी के आगामी आयोजनों की सूची तकनीकी पुनर्विलोककों के लिए पैनल में सम्मिलित होने संबंधी प्ररूप और अन्य अनेक अनुषंगी कार्य ।

  समयावधि और काल के अनुसार बोर्ड भारत में वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों को सुदृढ़ बनाने में सहायता करेगा, जो संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में पणधारियों के विश्वास का संवर्धन करेगा ।

(IV) प्रकाशन : जर्नल में लेख

संस्थान के सदस्यों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों को पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए सामान्य अननुपालनों से अवगत कराने के विचार से बोर्ड ने 'विभिन्न रिपोर्टिंग बाध्यताओं का अननुपालन' विषय पर सीए जर्नल में लेखों की एक श्रृंखला का प्रकाशन आरंभ किया है । इसे ध्यान में रखते हुए संस्थान के जर्नल 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' के अप्रैल, 2022, मई, 2022 और जून, 2022 के अंकों में 'इंड एएस वित्तीय विवरणों में पाए गए अननुपालन' शीर्षक वाले तीन लेखों का प्रकाशन किया गया है । इन लेखों में तुलन-पत्र के घटकों से संबंधित बोर्ड के संप्रेक्षणों को सम्मिलित किया गया है, अर्थात् आस्तियां, साम्या और दायित्व । हमें यह सूचित करते हुए हर्ष महसूस हो रहा है कि एफआरआरबी की अद्यतन जानकारी (आईसीएआई जर्नल में) की अंतर्वस्तु को पाठकों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई है ।

(V) ट्विटर हैंडल – एफआरआरबी

सदस्यों के बीच एफआरआरबी के द्वारा पाए गए अननुपालनों के संबंध में जागरुकता का प्रसार करने और उसके संबंध में विनियामक को नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अगस्त, 2020 में एफआरआरबी के लिए एक ट्विटर अकाउंट का सृजन किया गया, जिस पर 'डिड यू नो' शीर्ष से एक श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसके आज की तारीख तक 3200 फोलोअर्स हैं । आज की तारीख तक लेखांकन मानकों से संबंधित अनुपालनों के संबंध में पाई गई त्रुटियों के संबंध में 241 ट्वीट जारी किए गए हैं ।

(VI) वेबीनार/संगोष्ठियां/वीसीएम

- **वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सूचीबद्ध कंपनियों से प्रत्याशाओं से संबंधित एफआरआरबी – एनआईएसएम (सेबी) वेबीनार**

  एफआरआरबी ने राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एनआईएसएम) – सेबी के साथ संयुक्त रूप से आईसीएआई भवन, बीकेसी, मुंबई में 1 सितंबर, 2021 को 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सूचीबद्ध कंपनियों से प्रत्याशाएं' विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया था । कार्यपालक निदेशक, सेबी, संकायाध्यक्ष, एनआईएसएम, उपाध्यक्ष, एनएसई, अध्यक्ष, आईसीएआई और पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई ने अपनी सम्मानित उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढाई थी और उन्होंने उक्त वेबीनार में भाग लेने वाले व्यक्तियों से अपने अनुभवों तथा बुद्धिमत्ता को साझा किया था । इस वेबीनार में अध्यक्ष, एफआरआरबी और पूर्व अध्यक्ष और सदस्य, एफआरआरबी ने भी भाग लिया था । इस वेबीनार का उद्देश्य सदस्य और साथ ही अन्य पणधारियों के बीच एफआरआरबी द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए सामान्य अननुपालनों के संबंध में जागरुकता का सृजन करना था । इस कार्यक्रम में 1200 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था और इस कार्यक्रम को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी ।

- **'वित्तीय रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के सामान्य रूप से पाए जाने वाले अननुपालन' विषय पर कार्यक्रम**

  रिपोर्टिंग के क्षेत्र में अनिवार्य मुद्दों के संबंध में सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने और साथ ही उन्हें बोर्ड द्वारा वित्तीय विवरणों के पुनर्विलोकन के दौरान पाए गए सामान्य अननुपालनों से अवगत कराने के विचार से विभिन्न वेबीनारों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- **वर्चुअल सीपीई बैठकें**

  एफआरआरबी ने 8-9 अक्तूबर, 2021 के दौरान तथा 21 अगस्त, 2021 को "लेखांकन मानकों के संबंध में सामान्य रूप से

पाए जाने वाले अननुपालन" विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआईकी क्रमश: विशाखापट्टनम और गांधीधाम शाखा द्वारा की गई।

- **संगोष्ठी/कार्यक्रम**

  "वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहारों" के संबंध में गांधी नगर, हिम्मतनगर, पालनपुर, मेहसाणा, जालंधर, अमृतसर, बठिंडा, भुज, कच्छ, भरूच, वदोदरा, राजकोट, गोवा, नई दिल्ली, सोनीपत, जबलपुर, सूरत, रतलाम और भोपाल में संगोष्ठियों और जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में भागीदारों ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, एफआरआरबी ने 12-13 मई, 2022 के दौरान मुंबई में टीआर तथा एफआरआरजी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया था, जिसे अत्यधिक अनुशंसा प्राप्त हुई थी।

5.13 जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी एंड आईडीटीसी)

आईसीएआई की जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति (जीएसटी एंड आईडीटीसी), अपनी समृद्ध बौद्धिक क्षमता तथा तकनीकी गुणवत्ताओं के माध्यम से भारत में एक निष्पक्ष और साधारण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था स्थापित करने में सरकार का समर्थन करने के लिए प्रसिद्ध है। जीएसटी के कार्यान्वयन के दौरान समिति के सहयोग को सरकार द्वारा अभिस्वीकृति प्रदान की गई है। समिति को सदस्यों के साथ उसके गहरे संबंधों के कारण व्यापक रूप से सराहना प्राप्त होती है। वर्ष के दौरान समिति ने अपने कृत्यकरण के विस्तार क्षेत्र के दोनों क्षेत्रों, अर्थात् सरकार के साथ भागीदारी करना और सदस्यों को सशक्त बनाने के क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से योगदान दिया है।

राष्ट्र निर्माण में सरकार के साथ भागीदारी

(I) सरकार को तकनीकी अंत:निवेश प्रस्तुत किया जाना

- "जीएसटीआर–1, जीएसटीआर-2क, जीएसटीआर-2ख और जीएसटीआर-3ख विवरणियों और एकीकरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन, रजिस्ट्रीकरण और प्रतिदाय के संबंध में हाल में हुए परिवर्तन, नए कृत्यकारी और अपेक्षित उपकरण तथा आगे और सुधार के लिए उपलब्ध कृत्यकारियों में परिवर्तन" विषयों पर जीएसटीएन की परामर्श समिति को सुझाव प्रस्तुत किए गए थे।
- सीएसआर व्यय के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय की अनुज्ञेयता के संबंध में 3 जून, 2021 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को अंत:निवेश प्रस्तुत किए गए थे।
- कठिनाईयों को दूर किया जाना आदेश, 2022 के संबंध में 29 जून, 2022 को सरकार को कतिपय ऐसे मामलों के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें कठिनाईयों को दूर किए जाने संबंधी आदेशों को जारी किया गया था।

(II) सरकार को अभ्यावेदनों का प्रस्तुत किया जाना

- परिपत्र संख्या 162/18/2021-जीएसटी, तारीख 25 दिसंबर, 2021 में दिए गए परिदृश्यों में समय-सीमा के अवधारण के संबंध में 7 अक्तूबर, 2021 को सीबीआईसी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए 2 वर्ष की अवधि की संगणना करते समय आरंभिक दिन को गणना में न लिया जाए।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 31 मार्च, 2022 को या उससे पूर्व फाइल की गई जीएसटी वार्षिक विवरणी और जीएसटी सुमेलन विवरण के संबंध में संदेय विलंब शुल्क को समाप्त करने के संबंध में 24 फरवरी, 2022 को सीबीआईसी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था।
- जीएसटी परिषद् ने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यों के मंत्रियों और राज्य आयुक्तों को, उनके राज्यों की जीएसटी विधि में चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा जीएसटी संपरीक्षा कराए जाने की अपेक्षा को बनाए रखने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।
- सभी राज्य आयुक्तों को 2017-18 तथा 2018-19 की कर अवधियों के लिए राज्य कर आयुक्त कार्यालय, महाराष्ट्र द्वारा विवरणी की संवीक्षा के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के समरूप 2017-18 तथा 2018-19 की कर अवधियों के लिए विवरणी संवीक्षा से संबंधित विधिक मुद्दों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए।

(III) संघीय बजट की समर्थकारी कार्यसूची

- **बजट पश्च ज्ञापन, 2022 :** 10 मार्च, 2022 को संघीय बजट 2022-23 में अंतर्विष्ट अप्रत्यक्ष कर प्रस्तावों के संबंध में सुझावों

को अंतर्विष्ट करने वाला एक बजट पश्च ज्ञापन, 2022 सरकार को प्रस्तुत किया गया था ।

- **बजट-पूर्व ज्ञापन, 2022 :** समिति ने 29 नवंबर, 2021 को वर्ष 2022-23 के लिए कर प्रस्तावों को तैयार करते समय सरकार के विचारार्थ एक बजट-पूर्व ज्ञापन, 2022 प्रस्तुत किया था, जिसमें सारवान और साथ ही प्रक्रियात्मक जीएसटी विधियों में अंतर्वलित मुद्दों के संबंध में सुझाव अंतर्विष्ट थे ।

(IV) जीएसटी संपरीक्षा एसओपी तथा मध्य प्रदेश मैनुअल का पुनर्विलोकन

वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश से प्राप्त अनुरोध के आधार पर समिति ने जीएसटी संपरीक्षा एसओपी तथा मैनुअल का पुनर्विलोकन किया तथा उसे विभाग को प्रस्तुत किया ।

(V) जोनल/राज्य स्तर पर सरकार की शिकायत समाधान समिति

वर्ष के दौरान सीए. राजेन्द्र कुमार पी., अध्यक्ष ने तमिलनाडु शिकायत समाधान समिति द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया और सीए. चन्द्रशेखर वी. चिताले ने पुणे शिकायत समाधान समिति द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लिया ।

(VI) राष्ट्रीय और राज्य नेताओं, प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकें

समिति केंद्र और राज्य सरकारों, दोनों से निरंतर संपर्क करते हुए प्रयास कर रही है तथा ऐसे उपायों और मार्गों के संबंध में परिचर्चा कर रही है, जिनके माध्यम से समिति नीति और जीएसटी के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से उन्हें समर्थन उपलब्ध करा सकती है ।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर समिति ने अन्य केंद्रीय परिषद् सदस्यों के साथ सीबीआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य जीएसटी आयुक्तों और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बैठकें की और उन्हें जीएसटी तथा अप्रत्यक्ष कर समिति द्वारा जीएसटी के संबंध में की गई विभिन्न पहलों से अवगत कराया और साथ ही उन्होंने राज्यों को इस बात के लिए अनुरोध किया कि वे अपने अधिकारियों की सक्षमता निर्माण को सुदृढ़ करने के लिए समिति की विशेषज्ञता का उपयोग कर सकते हैं ।

(VII) राज्य सरकारों के जीएसटी अधिकारियों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

समिति ने राज्य सरकारों के वाणिज्यिक कर विभागों/जीएसटी विभागों के पदधारियों की सक्षमता निर्माण के लिए निम्नलिखित आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया :

- 18 अप्रैल, 2022 को इंदौर में मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग के लिए जीएसटी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के स्तर से लेकर संयुक्त सचिव के स्तर तक के 178 पदधारियों ने भाग लिया । आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मध्य प्रदेश ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया ।

- 19 अप्रैल, 2022 को भोपाल में मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग के लिए जीएसटी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के स्तर से लेकर संयुक्त सचिव के स्तर तक के 196 पदधारियों ने भाग लिया । उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, मध्य प्रदेश ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया ।

- 25 से 29 अप्रैल, 2022 के दौरान बिहार के वाणिज्यिक कर विभाग के लिए जीएसटी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा सेक्टर पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया और जिसमें सहायक आयुक्त स्तर से लेकर संयुक्त आयुक्त के स्तर तक के लगभग 100 पदधारियों ने भाग लिया । बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया ।

- 23 और 24 मई, 2022 के दौरान भुवनेश्वर में सीटी और जीएसटी कमीशनरी, ओडिशा के वाणिज्यिक कर विभाग के लिए जीएसटी संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाणिज्यिक कर विभाग के कर आयुक्त और जीएसटी अधिकारी से अपर आयुक्त के स्तर तक के 211 पदधारियों ने भाग लिया । सीटी और जीएसटी आयुक्त, ओडिशा ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उदघाटन किया ।

  उपरोक्त सभी कार्यक्रमों को उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों से सराहना प्राप्त हुई थी ।

(VIII) निगमों और अन्य अस्तित्वों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

- **टीएएफई के पदधारियों के लिए जीएसटी संबंधी आधारिक पाठ्यक्रम :** 15 अक्तूबर से 19 नवंबर, 2021 के दौरान ट्रैक्टर्स एंड फार्म्स इक्युप्मेंट लिमिटेड (टीएएफई) के पदधारियों के लिए जीएसटी संबंधी एक आनलाइन आधारिक पाठ्यक्रम का

आयोजन किया गया । इस पाठ्यक्रम को जीएसटी की चुनी गई अवधारणाओं के संबंध में आधारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था ।

- **संकाय विकास कार्यक्रम :** 9 से 14 अगस्त, 2021 के दौरान स्कूल आफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज़, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम के संकाय सदस्यों के लिए जीएसटी संबंधी एक आनलाइन संकाय विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।

(IX) ई-पहलें :

- **10 बिन्दु जीएसटी श्रृंखला – जीएसटी संबंधी ज्ञान के प्रसार के प्रति एक नई पहल :** समिति द्वारा सभी पणधारियों के बीच जीएसटी के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से "10 बिन्दु जीएसटी श्रृंखला" नामक एक लघु वीडियो श्रृंखला को तैयार किया गया है । ये वीडियो समिति की वेबसाइट और आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र पर उपलब्ध हैं ।
- **लाइव वेबकास्ट :** समिति ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जीएसटी में अंतर्वलित विभिन्न समकालीन विषयों के संबंध में 5 लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया, जिसमें 4000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त, 8 दिसंबर, 2021 को संस्थान के साथ भागीदारी करते हुए करदाता सेवाओं का महानिदेशालय, मुंबई जोनल यूनिट (डीजीटीएस एमजेडयू) द्वारा "अग्रिम विनिर्णय संबंधी सीमाशुल्क प्राधिकरण" विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया ।
- **जीएसटी संबंधी आईसीएआई न्यूज लैटर :** वर्ष के दौरान आईसीएआई – जीएसटी संबंधी न्यूज लैटर के दो संस्करणों का प्रकाशन किया गया है । सामान्य व्यवहार के अनुसार इनमें से प्रत्येक संस्करण की 3000 प्रतियों को मुद्रित किया गया तथा उन्हें संसद् सदस्यों, जीएसटी परिषद् सदस्यों, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों तथा सरकारी पदधारियों को अग्रेषित किया गया ।
- **अप्रत्यक्ष कर/जीएसटी संबंधी अद्यतन जानकारी :** सदस्यों को इस क्षेत्र में तेजी से होने वाले परिवर्तनों से लगातार अवगत कराने के विचार से आईडीटी/जीएसटी से संबंधित अद्यतन जानकारी, जिसमें ऐसे परिवर्तनों के सार को उस समय अंतर्विष्ट किया जाता है, जिस समय सीबीआईसी द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना/परिपत्र/आदेश/अनुदेश जारी किया जाता है, समिति द्वारा तैयार किया जाता है तथा उसे समिति की वेबसाइट पर रजिस्ट्रीकृत 48276 उपयोक्ताओं को मेल किया जाता है और साथ ही उसे समिति की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है ।
- **ई-प्रकाशन – सदस्यों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक उपकरण :** समिति ने अपने सभी प्रकाशनों, जीएसटी न्यूज लैटर के सभी अंकों आदि को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसे किसी भी पणधारी द्वारा नि:शुल्क रूप से डाउनलोड किया जा सकता है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ऐसे प्रकाशनों की कुल 47576 प्रतियों को विभिन्न पणधारियों द्वारा डाउनलोड किया गया ।
- **माल और सेवा कर संबंधी ई-पठन** : समिति ने डिजीटल पठन केंद्र पर जीएसटी संबंधी ई-पठन को शुभारंभ किया है, जिसमें जीएसटी के विभिन्न महत्वूपर्ण पहलुओं को सम्मिलित किया गया है । यह सुविधा सभी सदस्यों को नि:शुल्क रूप से उपलब्ध है जो उनके द्वारा किसी भी समय तथा कहीं से भी पठन को सुकर बनाता है । इस ई-पठन हेतु 11,335 सदस्यों ने ग्राहकी प्राप्त की है ।
- **समिति की वेबसाइट :** समिति के पास https://idtc.icai.org/ पोर्टल पर अपनी वेबसाइट उपलब्ध है, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए एकल समाधान के रूप में कार्य करती है, जो अप्रत्यक्ष कर और जीएसटी के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं । इस वेबसाइट के 48276 उपयोक्ता सबसक्राइबर है और औसतन समिति की वेबसाइट को प्रतिदिन 400 से अधिक उपयोक्ता देखते हैं ।

(X) अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- **"ईयू वेट में आपूर्ति का स्थान" विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठकें (वीसीएम) :** समिति ने 29 अगस्त, 2021 को "ईयू वेट में आपूर्ति का स्थान" विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया था, जिसमें 270 सदस्यों ने भाग लिया । इस वीसीएम को सुश्री फातिमा गोविया, एक पुर्तगाली अर्थशास्त्री द्वारा संबोधित किया गया ।
- **प्रगतिशील वेट के संबंध में वेबीनार :** समिति ने 9 जून, 2022 को प्रगतिशील वेट के संबंध में एक वेबीनार का आयोजन किया, जिसमें 1400 सदस्यों ने भाग लिया । इस वेबीनार को प्रोफेसर रिटा डे ला फेरिया, स्कूल आफ लॉ में टैक्स लॉ की

अध्यक्ष, लीड्ज़ विश्वविद्यालय ने संबोधित किया ।

(XI) प्रकाशन – एक अनुसंधान पहल :

वर्ष के दौरान समिति ने जीएसटी संबंधी दो उपयोगी प्रकाशनों को तैयार किया, जिनमें व्यवहारिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसके अतिरिक्त समिति ने 4 विद्यमान प्रकाशनों को पुनरीक्षित भी किया है, जिनके अंतर्गत जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री भी है और जो निम्नानुसार हैं :

- इनपुट कर प्रत्यय संबंधी व्यवहारिक एफएक्यू – नया प्रकाशन ।
- आपूर्ति और कराधेयता संबंधी व्यवहारिक एफएक्यू – नया प्रकाशन ।
- जीएसटी संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री (बीजीएम) – पुनरीक्षित ।
- जीएसटी के अधीन प्रतिदाय संबंधी हैंडबुक – पुनरीक्षित ।
- जीएसटी के अधीन रजिस्ट्रीकरण संबंधी हैंडबुक – पुनरीक्षित ।
- जीएसटी के अधीन ब्याज, विलंब शुल्क और शास्तियों संबंधी हैंडबुक – पुनरीक्षित ।

(XII) कार्यक्रम और पाठ्यक्रम

- **वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम :**

  वर्ष के दौरान कोविड 19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का संचालन ऑनलाइन रूप से किया गया था, जिससे सदस्यों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया जा सके । इस पाठ्यक्रम के कुल 10 बैचों का वर्चुअल रूप से आयोजन किया गया था, जिसमें 1346 सदस्यों ने भाग लिया था ।

  इसके अतिरिक्त, जीएसटी संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए 4 निर्धारण परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन ऑनलाइन रूप से 25 अप्रैल, 2021, 5 सितंबर, 2021, 16 जनवरी, 2022 और 8 मई, 2022 के दौरान किया गया था । उपरोक्त निर्धारण परीक्षाओं में कुल 1471 सदस्यों को उत्तीर्ण घोषित किया गया था ।

- **जीएसटी संबंधी वर्चुअल सीपीई बैठकें और अन्य सीपीई आयोजन**

  समिति ने रिपोर्ट की अवधि के दौरान 44 वर्चुअल सीपीई बैठकों और अन्य सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें 23000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया ।

5.14 आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड (आईएएसबी)

वर्तमान समय में कारबार परिदृश्य अधिकाधिक जटिल तथा जोखिम भरा होता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक संपरीक्षा के महत्व में वृद्धि हुई है और साथ ही उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है । संगठनों के लिए अपनी दक्षता में सुधार करने तथा प्रचालनों की प्रभाविकता में अभिवृद्धि करने, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को बढ़ाने तथा विनियमों के साथ अनुपालन का संवर्धन करने हेतु आंतरिक संपरीक्षा क्रियाकलाप अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं । इन परिस्थितियों को विचार में लेते हुए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड आईसीएआई और उसके सदस्यों को क्रियाशील मानक निर्धारण और आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर, जिसके अंतर्गत जोखिम प्रबंध और शासन से संबंधित मार्गदर्शन भी है, सतत समर्थन उपलब्ध कराना है और साथ ही इस मिशन के अंतर्गत बोर्ड आधुनिक अध्ययन और शिक्षण भी प्रदान करता है, जिससे सदस्यों को नवीन और प्रभावी समाधान उपलब्ध कराके उनकी सहायता की जा सके और इस प्रकार बोर्ड सभी पणधारियों की आवश्यकताओं की व्यापक रूप से पूर्ति करता है ।

बोर्ड उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी साहित्य को निकालने में अथक रूप से कार्य कर रहा है, जिन्हें वह आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों तथा तकनीकी गाइडों /अध्ययनों / मैनुअलों के रूप में जारी करता है और जो आंतरिक संपरीक्षकों की उनके ग्राहकों और/या नियोजकों को प्रभावी और दक्ष आंतरिक संपरीक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध होते हैं ।

(I) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए)

आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) आंतरिक संपरीक्षकों के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों के संहिताकरण को उपलक्ष्यित करते हैं । ये मानक कार्यपालन संबंधी बैंचमार्कों के रूप में भी कार्य करते हैं क्योंकि वे सदस्यों द्वारा निष्पादित की जाने वाली आंतरिक संपरीक्षा और

अन्य आश्वासन सेवाओं में सर्वोत्तम व्यवहारों का प्रतिनिधित्व करते हैं । ये मानक आंतरिक संपरीक्षकों की ग्राहकों और/या नियोजकों को प्रभावी और दक्ष आंतरिक संपरीक्षा सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता करने हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित होते हैं ।

ये सिद्धांत आधारित मानक सदस्यों को एक उच्च मूल्यों वाले विश्वसनीय सलाहकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थन प्रदान करेंगे और साथ ही उन्हें वृत्ति का विशेषज्ञ बनाने में सहायता भी करेंगे । आंतरिक संपरीक्षा मानक बोर्ड आंतरिक संपरीक्षा संबंधी निम्नलिखित मानकों को जारी करने हेतु कार्यवाहियां कर रहा है :

- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 130, जोखिम प्रबंध
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 520, सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग में संपरीक्षा
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 530, वित्तीय पक्षकार सेवा प्रदाता
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 140, शासन
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 150, विधियों और नियमों का अनुपालन
- आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक (एसआईए) 250, शासन का प्रभार धारण करने वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मानक अभी प्रारूपण के प्रक्रम पर हैं ।

- एसआईए 340, संपरीक्षा समनुदेशनों का निष्पादन करना/संपरीक्षा प्रक्रियाओं का संचालन करना (क्षेत्र संकर्म)
- एसआईए 380, आश्वासन रिपोर्टें जारी करना
- एसआईए 510, कपट और अनियमितताएं
- एसआईए 540, संबद्ध पक्षकार संव्यवहार
- एसआईए 550, शासकीय ढांचे की संपरीक्षा
- एसआईए 560, जोखिम प्रबंध ढांचे की संपरीक्षा
- एसआईए 610, संपरीक्षा समनुदेशनों में क्वालिटी आश्वासन
- एसआईए 620, सकल क्वालिटी नियंत्रण और सुधार प्रक्रिया
- एसआईए 630, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन
- एसआईए 640, पियर पुनर्विलोकन और तृतीय पक्षकार निर्धारण
- एसआईए 650, वृत्तिक शिक्षा
- एसआईए 710, प्रचालनात्मक पुनर्विलोकनों का संचालन
- एसआईए 720, विशेष प्रयोजन रिपोर्टिंग
- एसआईए 730, बजट और योजना का पुनर्विलोकन
- एसआईए 740, कर्मचारिवृंद और प्रबंध मंडल के कार्यपालन का पुनर्विलोकन
- एसआईए 810, पदों की शब्दावली

(II) उद्योग विनिर्दिष्ट और साधारण आंतरिक संपरीक्षा गाइड

बोर्ड ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया था :

- आंतरिक संपरीक्षा जांच सूची ।
- खनन और निष्कर्षण उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- चीनी उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- शैक्षिक संस्थाओं की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।

- कपड़ा उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- बीपीओ उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- खुदरा उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- अपशिष्ट प्रबंधन की संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- गैर-लाभकारी संगठनों की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।
- होटल उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड ।

(III) बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

आईसीएआई का आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक बोर्ड, सदस्यों को बैंकों द्वारा अधिकथित प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन करने में संव्यवहारों की आंतरिक जांच और अन्य सत्यापन करने में बैंकों के प्रयास को अनुपूरित करने तथा बैंकों में समवर्ती संपरीक्षा प्रणाली की प्रभाविकता में सुधार करने, समवर्ती संपरीक्षा रिपोर्टों की गुणवत्ता और उसके अंतर्गत आने वाले विषयों में सुधार करने तथा बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा की जटिलताओं को समझने में सदस्यों को समर्थ बनाने के लिए बैंकों की समवर्ती संपरीक्षा संबंधी एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है । बोर्ड ने इस अवधि के दौरान बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा पर वर्चुअल सर्टिफिकेट कोर्स के 20 बैचों का आयोजन किया था और लगभग 3,580 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक यह पाठ्यक्रम पूरा किया है।

(IV) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बोर्ड "आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम" की पाठ्यचर्या संरचना का पुनरीक्षण कर रहा है, जिसका, उसमें नए विषयों और सूचना प्रौद्योगिकी को पूर्णरूपेण समाविष्ट करते हुए, पूर्णतया सुधार किया गया है । इसके अतिरिक्त, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के ई-पठन संबंधी सभी माड्यूलों की वीडियो रिकार्डिंग पूरी कर ली गई है और उन्हें संस्थान के ई-पठन मंच पर अपलोड कर दिया गया है । बोर्ड वर्तमान में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी स्किल इंडिया पाठ्यक्रम तथा समवर्ती संपरीक्षा संबंधी स्वयं की इच्छानुसार चलने वाले पाठ्यक्रमों का आयोजन करने की योजना बना रहा है । उसके पश्चात्, बोर्ड इस पाठ्यक्रम से संबंधित बैचों की समय-सूची को अंतिम रूप प्रदान करेगा ।

(V) आंतरिक संपरीक्षा संबंधी जागरुकता संबंधी कार्यक्रम, संगोष्ठियां, सम्मेलन और वेबीनार

सदस्यों के बीच ज्ञान के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के विचार से बोर्ड ने इस अवधि के दौरान, महामारी की स्थिति के कारण वर्चुअल पद्धति के माध्यम से 60 वर्चुअल सीपीई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिनकी विशिष्ट थीम – "प्रौद्योगिकी आंतरिक संपरीक्षा परीक्षा के समर्थनकारी उपकरण के रूप में", "आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक – एक पर्यावलोकन", "आंतरिक संपरीक्षा ए से जेड", "आंतरिक संपरीक्षा - एसएमपी का मार्गदर्शन", "आंतरिक संपरीक्षा की पुन: कल्पना – संगतता के लिए दौड", "आंतरिक संपरीक्षा – 360 डिग्री व्यू", "आंतरिक संपरीक्षा – प्रवृत्तियां और चुनौतियां", "आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक – क्वालिटी के बैंचमार्क", "आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में वैश्विक प्रवृत्तियां" और "आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक – सुधारों के साथ कदम मिलाकर चलना" जैसे विषयों को सम्मिलित करती थी ।

5.15 अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति (साईटैक्स)

(I) सरकार को प्रतिवेदन/उसके साथ परस्पर संवाद

- सीबीडीटी को अभ्यावेदन – जिसके माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण की ईप्सा की गई ।
- सीबीडीटी को अभ्यावेदन – जिसके माध्यम से नए ई-फाइलिंग पोर्टल के स्थानांतरित हो जाने के कारण सामने आए मुद्दों के परिणामस्वरूप प्ररूप 15गक/15गख को प्रस्तुत किए जाने में हुए विलंब के संबंध में शिथिलीकरणों की ईप्सा की गई ।
- बजट पूर्व ज्ञापन, 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित सुझावों का प्रस्तुत किया जाना ।
- बजट-पश्च ज्ञापन, 2022 में सम्मिलित किए जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित बजट-पश्च सुझावों का प्रस्तुत किया जाना ।
- अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति और श्री जे.बी. महापात्रा, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ई-फाइलिंग पोर्टल में भौतिक रूप से भरे गए प्ररूप सं. 15गक/15गख को अपलोड

करने की सुविधा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

(II) विभिन्न विषयों पर प्रारूप ओईसीडी/यूएन पत्रों के संबंध में अभ्यावेदन/सुझाव

- वैश्विक कार्यान्वयन ढांचा (स्तंभ-2) के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश ।
- स्तंभ-1 की रकम क के अधीन विस्तार क्षेत्र संबंधी देशी विधान के लिए प्रारूप आदर्श नियम - आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश ।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश – क्रिप्टो-आस्ति रिपोर्टिंग ढांचे के संबंध में प्रश्नोत्तर और स्तंभ-1 की रकम क के अधीन क्षेत्र संबंधी देशी विधान के लिए सामान्य रिपोर्टिंग मानक प्रारूप आदर्श नियम ।
- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश – स्तंभ 1 की रकम क के अधीन निष्कर्ष्णात्मक अपवर्जन ।
- स्तंभ 1 के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश – रकम क : विनियमित वित्तीय सेवा अपवर्जन ।
- बीईपीएस 2.0 स्तंभ 1 के संबंध में लोक परामर्श के भागरूप में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) को अंत:निवेश – रकम क के लिए कर निश्चितता ढांचा और रकम क से संबंधित मुद्दों के लिए कर निश्चतता ।

(III) अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/वेबकास्ट

- **संगोष्ठी**
    - 4 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की देहरादून शाखा द्वारा की गई ।
- **राष्ट्रीय सम्मेलन**
    - 2 अगस्त से 5 अगस्त, 2021 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की नागपुर शाखा द्वारा की गई ।
    - 6 जनवरी से 8 जनवरी, 2022 के दौरान वीसीएम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (12 घंटे) का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी द्वारा की गई ।
    - 21 अप्रैल से 23 अप्रैल, 2022 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति, आईसीएआई द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद् द्वारा की गई ।
- **लाइव वेबीनार**
    - 29 अप्रैल, 2021 को "भारत से बाहर निवासियों द्वारा तथा भारत में अनिवासियों द्वारा सेवाओं/आस्तियों पर आय (वेतन, गृह संपत्ति और पूंजी अभिलाभ) का कराधान" विषय पर लाइव वेबीनार का आयोजन ।
    - 13 मई, 2021 को "साम्याकरण उदग्रहण – देशी और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन ।
    - 28 मई, 2021 को "कालाधन अधिनियम – विनियमों को स्पष्ट करना तथा अनुपालन" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन ।
    - 10 जून, 2021 को "पैनल परिचर्चा – तकनीकी सेवाओं के लिए फीस (एफटीएस) – अवधारणाएं और विवाद" विषय पर लाइव वेबीनार का आयोजन ।
    - 25 जून, 2021 को "रॉयल्टी के रहस्य को सुलझाना – कर संबंधी परिप्रेक्ष्य" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन ।

- 8 जुलाई, 2021 को "अंत:गामी निवेश – फेमा और अंतर्राष्ट्रीय कराधान परिप्रेक्ष्य" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 23 जुलाई, 2021 को "बर्हिगामी निवेश – फेमा और अंतर्राष्ट्रीय कराधान परिप्रेक्ष्य" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 13 अगस्त, 2021 को "प्ररूप सं. 15गक/15गख - मुद्दे और चुनौतियां" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 26 अगस्त, 2021 को "डीटीएए पर एमएलआई का प्रभाव" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 23 सितंबर, 2021 को "डिजीटल कराधान – ओईसीडी के प्रस्तावों पर परिचर्चा" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 22 अक्तूबर, 2021 को "डिजीटल विश्व में अंतरण कीमत निर्धारण के क्षेत्र में रूपनिर्देशन में परिवर्तन" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 24 नवंबर, 2021 को "डिजीटल अर्थव्यवस्था में कर संबंधी चुनौतियां – भारतीय परिप्रेक्ष" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 1 फरवरी, 2022 को प्रत्यक्ष कर समिति और जीएसटी तथा अप्रत्यक्ष कर समिति के साथ संयुक्त रूप से संघीय बजट – 2022-23 के कर संबंधी विशिष्ट प्रस्तावों के संबंध में लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 7 फरवरी, 2022 को "संघीय बजट – 2022 (कराधान) की प्रमुख विशिष्टियों को समझना" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।
- 19 अप्रैल, 2022 को "डिजीटल संव्यवहारों के संबंध में भारत में कर विधियों में हाल ही की घटनाओं का प्रभाव और स्तंभ 1 और 2 के संबंध में ओईसीडी के प्रस्ताव – अधिकारिता संबंधी मुद्दे, कर संबंधी घटनाएं और टीडीएस संबंधी उपबंध" विषय पर पैनल परिचर्चा संबंधी लाइव वेबीनार का आयोजन।

- **वर्चुअल सीपीई बैठकें**
  - आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति ने 19 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी एक वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एनआईआरसी की सोनीपत शाखा द्वारा की गई।
  - आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति ने 6 जुलाई, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी एक वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी द्वारा की गई।
  - आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति ने 10 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी एक वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा द्वारा की गई।
- **कार्यशालाएं**
  - 24 जुलाई, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति, आईसीएआई ने अनिवासी भारतीयों के लिए कराधान, अनिवासी भारतीयों के लिए स्रोत पर कर कटौती संबंधी उपबंध तथा प्ररूप 15गक और 15गख के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एनआईआरसी की कुरुक्षेत्र शाखा द्वारा की गई।
  - 9 और 10 नवंबर, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी समिति, आईसीएआई ने अंतर्राष्ट्रीय कराधान के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा द्वारा की गई।
  -

(IV) अंतर्राष्ट्रीय कराधान में अर्हता-पश्च डिप्लोमा

समिति ने, अंतर्राष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के निम्नलिखित बैचों का संचालन किया :

आनलाइन पद्धति के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा

बैच सं.	बैच का स्थान	बैच के प्रारंभ होने की तारीख	भाग लेने वालों की संख्या	प्रास्थिति
छठा	आनलाइन	19.07.2021	195	पूरा किया गया
सातवां	आनलाइन	4.10.2021	127	पूरा किया गया
आठवां	आनलाइन	7.03.2022	168	पूरा किया गया
नौवां	आनलाइन	20.06.2022	140	अभी चल रहा है

(V) अन्य पहलें

- समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत निर्धारण विषयों पर ऑनलाइन पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला का संचालन किया है :
    - अंतर्राष्ट्रीय कराधान संबंधी आधारिक जानकारी ।
    - दोहरा कराधान अपवंचन करार ।
    - धारा 195 के अधीन करों को प्रतिधारित करना ।
    - यूएन/ओईसीडी/भारत के नियमों के प्रतिनिर्देश से अंतरण कीमत निर्धारण का पर्यावलोकन ।
- समिति ने नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में ई-पठन माड्यूलों को जोड़ा है :
    - अंतर्राष्ट्रीय कराधान का पर्यावलोकन
    - अंतरण कीमत निर्धारण संबंधी दस्तावेजीकरण और प्रारूपण
    - अनिवासियों के कराधान संबंधी आधारिक जानकारी
    - अनिवासियों के संबंध में माने जाने वाले उपबंध – आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 9 का पर्यावलोकन
    - महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति
    - अनिवासियों के लिए उपधारणात्मक कराधान
    - पूंजी अभिलाभ – अनिवासियों और विदेशी कंपनियों के लिए विशेष छूटें
    - विदेशी कर प्रत्यय – अवधारणा और उपयोजन
- अंतर्राष्ट्रीय कराधान में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की पृष्ठभूमि सामग्री का पुनरीक्षण आरंभ किया गया ।
- समिति ने अपने नए प्रकाशन "स्थायी स्थापन की आधारिक जानकारी – भारतीय परिप्रेक्ष्य" को जारी किया है ।
- समिति ने डीएलएच पोर्टल पर श्रव्य सुविधा के साथ निम्नलिखित ई-पुस्तकों को अपलोड किया है :
    - स्थायी स्थापन की आधारिक जानकारी – भारतीय परिप्रेक्ष्य
    - अनिवासियों का कराधान
    - सीमा पार के संव्यवहार और निवेश
    - बीईपीएस कार्ययोजना और बहुपार्श्विक लिखत (एमएलआई) संबंधी तकनीकी गाइड
- 21 और 22 जनवरी, 2022 के दौरान आयोजित आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए "सीमा पार डिजीटल संव्यवहारों में अभिवृद्धि – एक दक्ष कराधान प्रणाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास" विषय पर एक लेख का योगदान दिया गया ।
- आईसीएआई के सदस्यों को, उन्हें इस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में नवीनतम जानकारी से अवगत कराने के लिए

अंतर्राष्ट्रीय कराधान और अंतरण कीमत निर्धारण के विषय पर नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई ।

5.16 उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी)

उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमआईएंडबी) उद्योग तथा कारबार में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों और आईसीएआई के बीच निकट संबंधों का प्रोत्साहित करने तथा उनमें अभिवृद्धि करने हेतु सतत प्रयास करती है । इस प्रयास का समर्थन करने के लिए सीएमआईएंडबी सदस्यों के फायदे के लिए ज्ञान को समृद्ध बनाने वाले विभिन्न सम्मेलनों, उद्योग बैठकों और आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है । सीएमआईएंडबी के प्रमुख क्रियाकलापों में सदस्यों के हित में कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों और आईसीएआई जॉब पोर्टल के माध्यम से युवा और अनुभव प्राप्त, दोनों प्रकार के चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराना, कारबार और उद्योग में लगे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करने के लिए गौरवशाली आईसीएआई पुरस्कारों का आयोजन करना, वृत्तिक दिलचस्पी के विषयों में सामान्य प्रकाशन जारी करना, सीपीई अध्ययन सर्कलों का सृजन करना, आदि सम्मिलित हैं । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान किए गए प्रमुख क्रियाकलापों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

नियोजन कार्यक्रम

(I) नए अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम :

कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन सीएमआईएंडबी का एक प्रमुख प्रयास है, जिसके माध्यम से वह नए अर्हित सीए (एनक्यूसीए) तथा भर्ती करने वाली कंपनियों को समान मंच पर लेकर आती है । यह कार्यक्रम संभाव्य नियोजकों और युवा सदस्यों को परस्पर क्रिया करने और विभिन्न संगठनों में नियोजन प्राप्त करने की संभावना का पता लगाने का अवसर उपलब्ध कराता है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के 53वें, 54वें और 55वें संस्करण का आयोजन किया गया । कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का 55वां संस्करण कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के 28 वर्ष लंबे इतिहास में सर्वाधिक सफल कार्यक्रम रहा है ।

कैम्पस नियोजन कार्यक्रमों के 53वें, 54वें और 55वें संस्करण के संक्षिप्त सांख्यिकी ब्यौर निम्नानुसार हैं :--

	53वां कैम्पस नियोजन कार्यक्रम अप्रैल-मई, 2021	**54वां कैम्पस नियोजन कार्यक्रम सितंबर-अक्तूबर, 2021**	**55वां कैम्पस नियोजन कार्यक्रम फरवरी-मार्च, 2022**
अर्हित सीए की संख्या	2682	10165	14046
रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	1807	7451	10197
भाग लेने वाली कंपनियों की कुल संख्या	32	113	173
साक्षात्कार लेने वाले दलों की संख्या	96	345	504
प्रस्थापित नौकरियों की संख्या	1054	4757	730
अभ्यर्थियों द्वारा स्वीकार की गई नौकरियों की संख्या	701	3716	5538
प्रस्थापित अधिकतम वेतन (कंपनी को कुल लागत)	15.04 लाख रुपए प्रतिवर्ष	देशी नौकरी के लिए 22.98 लाख रुपए प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नौकरी के लिए 33.22 लाख रुपए प्रति वर्ष	देशी नौकरी के लिए 30.30 लाख रुपए प्रति वर्ष
न्यूनतम वेतन	बड़े केंद्रों के लिए 5.5 लाख रुपए प्रति वर्ष और छोटे केंद्रों के लिए 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष	बड़े केंद्रों के लिए 5.5 लाख रुपए प्रति वर्ष और छोटे केंद्रों के लिए 4.5 लाख रुपए प्रति वर्ष	बड़े केंद्रों के लिए 6 लाख रुपए प्रति वर्ष और छोटे केंद्रों के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष
औसत वेतन	8.69 लाख रुपए प्रति वर्ष	10.30 लाख रुपए प्रति वर्ष	10.57 लाख रुपए प्रति वर्ष

(II) अनुभव प्राप्त सीए के लिए कैरियर उत्थान कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी वर्ष 2016 और उसके बाद से प्रत्येक वर्ष वृत्ति में कम से कम एक वर्ष का अनुभव रखने वाले अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंटों को नियोजन अवसर उपलब्ध कराने के लिए कैरियर उत्थान कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है और इन कार्यक्रमों के लिए संगठनों से कोई भाग लिए जाने संबंधी फीस प्रभारित नहीं की जाती है।

	छठा संस्करण –जून, 2021	**सातवां संस्करण – जून, 2022**
रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की संख्या	6680	2241
भाग लेने वाले नियोजक संगठनों की संख्या	53	98
प्रस्थापित रिक्तियों की संख्या	1931	4654
स्वीकार की गई नौकरियों की संख्या	806	82*

* ये प्रस्ताव अभी पूरे नहीं हुए हैं और सभी केंद्रों पर सभी कंपनियों ने अपना नियोजन कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं किया है।

(III) सरकारी और अन्य संगठनों को उपलब्ध कराई गई नियोजन सेवाएं

सीएमआईएंडबी मंत्रालयों और अन्य संगठनों से उनकी नौकरी से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु प्राप्त होने वाली अध्यपेक्षाओं के संबंध में तुरंत कार्रवाई करती है और उन्हें नियोजन के लिए उपलब्ध अभ्यर्थियों के पूल से उनके लिए सर्वाधिक उचित अभ्यर्थी प्राप्त करने में उनकी सहायता करती है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में युवा वृत्तिकों का नियोजन
- प्रादेशिक निदेशक का कार्यालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, चेन्नई में युवा वृत्तिकों का नियोजन
- वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली में युवा वृत्तिकों का नियोजन
- भारत निर्वाचन आयोग
- हुडको
- आईसीएआई की समितियां

(IV) रैंक धारकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम

- **एमडीपी के तीन बैचों का संचालन**

  सीए फाइनल रैंक धारकों के लिए आईआईएम, लखनऊ के सहयोग से एमडीपी के चौथे, पांचवें और छठें बैच का आयोजन किया गया। चौथे और पांचवें बैच के लिए अध्यापन के 30 घंटों के लिए आईआईएम, लखनऊ को प्रत्येक भागीदार के संबंध में 45,000 रुपए की फीस का संदाय किया गया, जब कि छठे बैच के लिए 60 घंटों के कुल अध्यापन हेतु प्रत्येक भागीदार के संबंध में 75,000 की फीस का संदाय किया गया, जिसमें से 20 प्रतिशत फीस सामान्य वर्ग के छात्रों से प्रभारित की गई थी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों से कोई फीस प्रभारित नहीं की गई।

(V) मध्यम स्तर के प्रबंधकों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम

मध्यम स्तर के प्रबंधकों के लिए 7 अगस्त से 29 अगस्त, 2021 की अवधि में सप्ताहांतों के दौरान "प्रबंधकीय प्रभाविकता : विकास उन्मुख बुद्धिमता का विकास" थीम के साथ विशेष रूप से तैयार किए गए प्रबंध विकास कार्यक्रम के दो बैचों का आयोजन किया गया, जिसमें 17 सदस्यों ने भाग लिया और 28 सितंबर से 19 अक्तूबर, 2021 की अवधि के दौरान पुन: इसका आयोजन किया गया, जिसमें 11 सदस्यों ने भाग लिया। पश्चातवर्ती बैच को 15 संरचित सीपीई घंटे प्रदान किए गए थे।

(VI) कार्यपालक विकास कार्यक्रम

कार्यकरण वर्ष 2021-22 के दौरान सीएमआईएंडबी ने एक नई पहल आरंभ की थी, जिसके द्वारा फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी छात्रों को नि:शुल्क रूप से ईडीपी में भाग लेने का अवसर प्रदान किया गया था। भारत और विदेशों के सुविख्यात वक्ताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रारंभ में उक्त कार्यक्रम को फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अंतिम दो बैचों के लिए ही आयोजित करने का विनिश्चय किया गया था किंतु इसकी उपयोगिता को ध्यान को रखते हुए इसे अंतिम दस बैचों के लिए खोले जाने का विनिश्चय किया गया था। पुनर्विलोकनाधीन अवधि के दौरान 11 बैचों का संचालन किया गया है।

(VII) कारबार नेतृत्व विकास कार्यक्रम

कार्यकरण वर्ष 2021-22 के दौरान सीएमआईएंडबी ने एक अन्य नई पहल आरंभ की थी, जिसके अधीन ऐसे सदस्यों के लिए कारबार नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो उद्योग में सीएफओ/निदेशक / वरिष्ठ कृत्यकारियों के रूप में नियोजित हैं । "संपरिवर्तनशील और समावेशी नेतृत्व" शीर्षक वाले इस ढाई घंटे के कार्यक्रम का आयोजन किया गया । वर्ष के दौरान, वरिष्ठ स्तर के कृत्यकारियों, सीएफओ/निदेशक स्तर के कृत्यकारियों के कुल 4 बैचों का संचालन किया गया ।

(VIII) स्वतंत्र निदेशकों के लिए मास्टर कार्यक्रम

सीएमआईएंडबी ने कार्यकरण वर्ष 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के लिए मास्टर कार्यक्रम का आयोजन करके एक और नई पहल की है । वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के तीन बैचों का संचालन किया गया ।

(IX) 15वें आईसीएआई पुरस्कार और लीडरशिप शिखर सम्मेलन, 2022

समिति ने 2 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में अपने 15वें आईसीएआई पुरस्कार और लीडरशिप शिखर सम्मेलन, 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन किया था । इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री देवुसिंह चौहान, माननीय संचार राज्य मंत्री थे, जिन्होंने पुरस्कारों का वितरण किया । इस अवसर की शोभा पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों और आईसीएआई की शासी परिषद् के सदस्यों ने बढ़ाई, जिनमें अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उद्योग और कारबार में लगे सदस्यों संबंधी समिति सम्मिलित थे ।

फाइल किए गए कुल 177 नामांकनों में से 30 पुरस्कार विजेताओं का चयन एक ज्यूरी द्वारा किया गया, जिसकी बैठक का आयोजन 21 जनवरी, 2022 को मुंबई में आईपीसीए लेबोरेटेरिज की अध्यक्षता में की गई थी । उसी दिन एक लीडरशीप शिखर सम्मेलन, 2022 का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि एमडी और सीईओ, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, जिन्होंने इस समारोह की अध्यक्षता की थी ।

(X) संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुति

राज्य सभा सचिवालाय से 31 अगस्त, 2021 को एक संसूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जिसमें 31 संसद् सदस्य सम्मिलित हैं और जिसके अध्यक्ष संसद् सदस्य, राज्य सभा हैं, ने भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, अर्थात् नागर विमानन, सड़क, पोत परिवहन, सत्कार, सांस्कृतिक धरोहर और संस्कृति, के लिए स्थापित अनुतोष और संपरीक्षा संबंधी उपायों की प्रभाविकता संबंधी मतों/अंत:निवेशों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का विनिश्चय किया है ।

उपरोक्त उद्योगों में से कुछ में वरिष्ठ पद धारण करने वाले सदस्यों की एक बैठक 6 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें इस विषय पर विचार-विमर्श किया गया था । उक्त सदस्य और साथ ही अन्य अनेक सदस्यों को इस विषय में उनके लिखित मत प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है । एकत्रित मतो के आधार पर अध्यक्ष ने 9 सितंबर, 2021 को संसदीय स्थायी समिति के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण किया था ।

(XI) आयोजित कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, समकालीन विषयों पर संगोष्ठियां, वेबकास्ट, परस्पर क्रियाशील बैठकें, सीएफओ बैठकें, वीएसएम आदि जैसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिनमें से अनेक कार्यक्रमों का आयोजन वर्चुअल पद्धति से किया गया था, अर्थात् "चार्टर्ड अकाउंटेंट्स : विकास के गियर" शीर्षक वाली टीवी वार्ता की एक श्रृंखला, जिसके 13 ऐपिसोडों को जी बिजनेस टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था, निवेशों का संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्यक्रमों, उद्योग विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों, सीएफओ बैठकों और अन्य कार्यक्रमों आदि का भी वर्चुअल पद्धति से आयोजन किया गया था ।

(XII) उद्योग में लगे सदस्यों के लिए नए सीपीई अध्ययन सर्कल

सीएमआईएंडबी ने तारीख 4.5.2022 को आईसीएआई के उद्योग में लगे सदस्यों के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड संबंधी पूर्वी क्षेत्र सीपीई अध्ययन सर्कल और 30.06.2022 को लार्सन एंड टूबरो इनफोटेक लिमिटेड के लिए मुंबई सीपीई अध्ययन सर्कल का सृजन किया था ।

(XIII) उद्योग में लगे सदस्यों का डाटा प्रबंध

सीएमआईएंडबी ने एसएसपी द्वारा बनाए रखे गए डाटा बेस में उद्योग में लगे सदस्यों के संबंध में उनके पदनाम और संगठन के नाम को सम्मिलित करने संबंधी एक पहल की है । सीएमआईएंडबी, प्रबंध समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर और उसके पश्चात् परिषद् द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार सदस्यों और छात्र सेवाओं संबंधी निदेशालय को शीघ्रताशीघ्र एक स्वसेवा पोर्टल के माध्यम से उक्त निदेशों का पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है ।

(XIV) नए अर्हित सदस्यों के लिए मनोचिकित्सा परीक्षा

कार्यकरण वर्ष, 2021-22 के दौरान एक मनोचिकित्सा परीक्षा की परिकल्पना की गई थी, विशेष रूप से ऐसे युवा सदस्यों के लिए, जो अपनी पहली नौकरी की वांछा कर रहे हैं क्योंकि अनेक भावी नियोजक नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व, मनोदृष्टि और कार्य की परिस्थितियों के लिए उनकी साधारण उपयुक्तता की जांच करने हेतु मनोचिकित्सा परीक्षा का संचालन करते हैं। इसलिए, इसे महत्वपूर्ण समझा गया था कि नौकरी हेतु साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी किसी मनोचिकित्सा परीक्षा में अंतर्निहित महीन बातों को समझ सकें और इस प्रकार ऐसी परीक्षाओं में सफल हो सकें । अत:, सीएमआईएंडबी ने मैसर्स एसएचएल के साथ ऐसे अभ्यर्थियों को मनोचिकित्सा परीक्षा उपलब्ध कराने के लिए करार किया है, जिन्होंने जुलाई, 2021 या उसके पश्चात् सीए फाइनल परीक्षाओं को अर्हित किया है । सीएमआईएंडबी ने 100 रुपए प्रति लॉगिन की दर से 5000 लॉगिन का क्रय किया है और उन्हें अभ्यर्थियों को नि:शुल्क रूप से उपलब्ध कराया है । सितंबर-अक्तूबर, 2021 में कराए गए कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के 54वें संस्करण तक 3,995 लॉगिन का उपयोग कर लिया गया था । 55वें संस्करण के दौरान 2,079 अभ्यर्थियों ने उक्त लॉगिन का उपयोग किया है । 56वें और 57वें लॉगिन हेतु 4,000 नए लॉगिन का क्रय उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर किया जा रहा है ।

5.17 पियर पुनर्विलोकन बोर्ड (पीआरबी)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की परिषद् ने मार्च, 2002 में पियर पुनर्विलोकन बोर्ड की स्थापना के साथ भारत में पियर पुनर्विलोकन तंत्र की अवधारणा को स्थापित किया था । अपनी स्थापना के पश्चात् से ही बोर्ड समाधानप्रद रूप से प्रगतिशील कार्य कर रहा है और वह सतत रूप से सदस्यों को उनके द्वारा प्रदान की जा रही आश्वासन सेवाओं की दक्षता में अभिवृद्धि करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहा है ।

पियर पुनर्विलोकन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्थान के सदस्य आश्वासन सेवा समनुदेशनों को पूरा करते समय (क) यथालागू तकनीकी, वृत्तिक और नैतिक मानकों, जिसके अंतर्गत उनसे संबंधित अन्य विनियामक अपेक्षाएं भी हैं, का अनुपालन करते हैं और (ख) उनके द्वारा दी जाने वाली आश्वासन सेवाओं की गुणवत्ता को पर्याप्त रूप से उपदर्शित करने के लिए दस्तावेजीकरण सहित समुचित प्रणालियां सुस्थापित हैं । किसी व्यवसायी इकाई के पियर पुनर्विलोकन का संचालन, पियर पुनर्विलोकक के रूप में ज्ञात एक स्वतंत्र मूल्यांकक द्वारा किया जाता है ।

बोर्ड के प्रयास की दो विनियामकों द्वारा मान्यता की अपेक्षाओं का नीचे कथन किया गया है :--

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध अस्तित्वों के लिए 1 अप्रैल, 2010 से यह आज्ञापक बना दिया है कि संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत सीमित पुनर्विलोकन/कानूनी संपरीक्षा रिपोर्ट केवल उन संपरीक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, जिन्होंने स्वयं को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अध्यधीन किया है और जो संस्थान के 'पियर पुनर्विलोकन बोर्ड' द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण कर रहे हैं ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने भी पियर पुनर्विलोकन बोर्ड के कार्य को मान्यता प्रदान की है ; अब वह आवेदन प्ररूप में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों से उनकी पियर पुनर्विलोकन प्रास्थिति के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे मांगता है, ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए संपरीक्षा आबंटित की जा सके । इसके अतिरिक्त, पिछले कुछ वर्षों से सीएंडएजी वार्षिक रूप से आईसीएआई से उन फर्मों के ब्यौरे मांग रहा है, जिन्हें पियर पुनर्विलोकन बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।

(I) व्यवसायरत यूनिटों का पियर पुनर्विलोकन :

बोर्ड पियर पुनर्विलोकन तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने और साथ ही अधिकाधिक फर्मों को पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के अधीन लाने के लिए सतत प्रयास कर रहा है । पिछले 20 वर्षों के दौरान सृजित की गई जागरुकता के स्तर के कारण हमारे सदस्यों द्वारा प्रदान की जा रही अधिप्रमाणन सेवाओं की गुणवत्ता में सकल सुधार हुआ है । पियर पुनर्विलोकन बोर्ड ने 30 जून, 2022 तक 14049 मामलों पर विचार किया है और पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र जारी किए हैं ।

(II) पियर पुनर्विलोकन आज्ञा – रोल आउट

आईसीएआई ने अस्तित्वों के विनिर्दिष्ट वर्ग को आश्वासन सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कतिपय प्रवर्ग की फर्मों के लिए पियर

पुनर्विलोकन तंत्र को आज्ञापक बनाया है, जो संपरीक्षा की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने में दूरगामी सहायता प्रदान करेगा। एक ब्यौरेवार कार्ययोजना अधिकथित की गई है, जो व्यवसायी यूनिटों को चार वर्गों में वर्गीकृत करती है तथा पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के कार्यान्वयन को विहित करती है। इसका कार्यान्वयन चरणबद्ध रीति में 1 अप्रैल, 2022 से आरंभ किया गया, जिसमें ऐसी व्यवसायी यूनिटों (फर्मों) को सम्मिलित किया गया है, जिन्होंने ऐसे उद्यमों की कानूनी संपरीक्षा हाथ में ली है, जिनकी साम्या या ऋण प्रतिभूति को भारत या विदेशों में सूचीबद्ध किया गया है।

अगले तीन वर्षों के दौरान, उक्त कार्ययोजना का रोल आउट शनै-शनै स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों से भिन्न कंपनियों को आश्वासन सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सभी फर्मों को सम्मिलित करेगा और साथ ही ऐसी फर्मों को भी उसके अधीन लाया जाएगा, जो पब्लिक सेक्टर बैंकों की शाखाओं की संपरीक्षाओं का संचालन कर रही हैं। इस संबंध में, एक ब्यौरेवार उदघोषणा बोर्ड की वेबसाइट https://www.icai.org/post/peer-review-mandate-roll-out-revised पर रखी गई है।

(III) पियर पुनर्विलोककों का प्रशिक्षण और उन्हें पैनलबद्ध करना

- **पियर पुनर्विलोककों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम**

  बोर्ड सदस्यों को पियर पुनर्विलोककों के रूप में पैनलबद्ध करने हेतु सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है। ये प्रशिक्षण सत्र सदस्यों को पियर पुनर्विलोकन का संचालन करने की पद्धति के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के दौरान बोर्ड ने भौतिक रूप से गुवाहाटी और राजपुर में दो पियर पुनर्विलोकन प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वर्चुअल पद्धति से नौ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

- **पियर पुनर्विलोककों को पैनलबद्ध किए जाने के लिए ऑनलाइन परीक्षा**

  - बोर्ड के ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया है और जो पियर पुनर्विलोकक बनने हेतु पात्र हैं, पियर पुनर्विलोककों के रूप में पैनलबद्ध करने के लिए प्रत्येक मास आनलाइन परीक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। अभी तक कुल 953 सदस्यों ने बोर्ड द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन परीक्षा को उत्तीर्ण किया है।

  - आईसीएआई के डीएलएच मंच के माध्यम से ई-प्रमाणपत्रों को सृजित किया गया था, जिन्हें सदस्यों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। प्रमाणपत्रों की एक प्रति, बोर्ड के प्रकाशनों, अर्थात् पियर पुनर्विलोकन संबंधी विवरण ; सलाहों संबंधी हैडबुक और पियर पुनर्विलोकन मैनुअल की प्रति के साथ ऐसे सदस्यों को भेजी गई थी, जिन्होंने आज की तारीख तक पैनलबद्ध किए जाने संबंधी परीक्षा को उत्तीर्ण किया है।

  - ऐसे सदस्यों के संदेहों को दूर करने के लिए, जो इस ऑनलाइन परीक्षा में बैठना चाहते हैं, एफएक्यू की एक प्रति आईसीएआई की वेबसाइट https://resource.cdn.icai.org/64784prb-faq-mocktest.pdf के पियर पुनर्विलोकन पृष्ठ पर रखी गई है।

(IV) सदस्यों के लिए वीसीएम

बोर्ड ऐसे सदस्यों के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जो पियर पुनर्विलोकन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं और ये कार्यक्रम उन्हें उनकी फर्म का पियर पुनर्विलोकन कराने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस संबंध में बोर्ड ने वर्चुअल पद्धति के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया :

- 22 मई, 2021 को "फर्मों के लिए अंतरभूत मूल्यों का सृजन" विषय पर एक वीसीएम का आयोजन किया गया।

- 24 जुलाई, 2021 से 28 अगस्त, 2021 की अवधि के दौरान वीसीएम की निम्नलिखित 7 श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया। इन वीसीएम को व्यवसायिक फर्मों के लिए विशिष्ट रूप से एसक्यूसी 1 और सर्वोत्तम व्यवहारों का अनुपालन करते हुए सकल आश्वासन नियोजन प्रक्रिया के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ तैयार किया गया था।

क्रम सं.	विषय	तारीख
1	सीए फर्म के रूप में किस प्रकार उन्नति करें	24.07.2021
2	नियोजन दलों को समनुदेशन और नियोजन संबंधी कार्यपालन	28.07.2021
3	लघु और मध्यम व्यवसायियों के लिए संपरीक्षा संबंधी दस्तावेजीकरण	4.08.2021
4	लेखांकन और संपरीक्षा मानकों का अनुपालन	11.08.2021

5	सुगम संदर्भिका – अन्य आश्वासन सेवाएं	18.08.2021
6	फर्मों का स्वचालन – समय की आवश्यकता	25.08.2021
7	क्यूआरबी ; एफआरआरबी ; टीएक्यूआरबी तथा पीआरबी को समझना	28.08.2021

- भारत की आजादी का अमृत महोत्सव, जो प्रगतिशील भारत की 75 वर्षों की स्वतंत्रता, भारतीयों के गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों का समारोह मनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है, के भागरूप में बोर्ड ने 16 नवंबर, 2021 को "वृत्ति की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के लिए पियर पुनर्विलोकन का महत्व" विषय पर एक वर्चुअल सीपीई बैठक का आयोजन किया था।

(V) प्रश्नोत्तरों और नमूना चुनने के मानदंडों का पुनरीक्षण

बोर्ड ने व्यवसायी यूनिटों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रश्नोत्तरों पर विचार किया है तथा उनका पुनरीक्षण किया है। उसके भाग ख का पुनरीक्षण किया गया है, जिससे स्वयं प्रश्नोत्तरों में प्रक्रियाओं और नीतियों का निर्माण किया जा सके, जिससे व्यवसायी यूनिटों के लिए यथासंभव रूप से केवल हां/नहीं में उत्तर का उल्लेख करना सुगम हो जाए। इस खंड के विस्तार क्षेत्र को केवल एसक्यूसी 1 मार्गदर्शन और एक्यूएमएम तक निर्बंधित किया गया है। बोर्ड ने पुनर्विलोककों के लिए नमूना चुनने के मानदंडों का भी पुनरीक्षण किया है।

(VI) नए स्थापित व्यवसायी यूनिटों का पियर पुनर्विलोकन

बोर्ड ने हाल ही में यह विनिश्चय किया है कि नए स्थापित व्यवसायी यूनिटों या ऐसे व्यवसायी यूनिटों, जो काफी लंबे समय से विद्यमान है किंतु जो पूर्व में अधिप्रमाणन समनुदेशन नहीं कर रहे थे, का पियर पुनर्विलोकन भागीदारों के पूर्ववृत्तों के आधार पर और अधिप्रमाणन कृत्य के निर्वहन हेतु व्यवसाय यूनिट द्वारा घोषित नीति पैरामीटरों के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें पियर पुनर्विलोकन प्रमाणपत्र की लघु अवधि की विधिमान्यता को अनुबंधित किया जाना चाहिए।

5.18 वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी)

वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी) की स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी, जिसका उद्देश्य हमारे संस्थान के सदस्यों के कौशल सेटों की विद्यमान और नए क्षेत्रों के अनुरूप अभिवृद्धि करना है। समिति, नए-नए क्षेत्रों में वृत्तिक अवसरों की पहचान करने के अपने प्रयासों के अंतर्गत सरकारों, विनियामक प्राधिकारियों आदि से परस्परर क्रियाएं करती है, जिसके अधीन उनसे यह अनुरोध किया जाता है कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता का लाभ उठाएं और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उपयोग करें।

(I) विभिन्न विनियामकों और मंत्रालयों के साथ बैठकें :

- **3 मार्च, 2022 को श्री एम.के. जैन, डिप्टी गर्वनर, आरबीआई के साथ बैठक**

  3 मार्च, 2022 को आईसीएआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी गवर्नर, आरबीआई के साथ एक बैठक की, जिसमें बैंकों के वित्तपोषित और गैर-वित्तपोषित उदभासन की संपरीक्षा को प्रस्तावित रूप से 90 प्रतिशत से 70 प्रतिशत कर दिए जाने के संबंध में अंतर्वलित विभिन्न चिंताओं पर विचार-विमर्श किया गया।

- **माननीय वित्त राज्य मंत्री के साथ 8 मार्च, 2022 को बैठक**

  माननीय वित्त राज्य मंत्री के साथ 8 मार्च, 2022 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बैंक शाखा संपरीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में प्रस्तावित कमी किए जाने तथा वृत्ति को प्रभावित करने वाले अन्य विषयों के संबंध में चर्चा की गई थी।

- **भारत के माननीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ 25 मार्च, 2022 को बैठक**

  भारत के माननीय नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ 25 मार्च, 2022 को एक बैठक आयोजन किया गया था, जिसमें वृत्ति के परस्पर हितों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था, जिसके अंतर्गत पीएसयू के संपरीक्षकों के लिए संपरीक्षा फीस में वृद्धि करना और इंड एएस के क्षेत्र में सीएंडएजी कार्यालय के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना भी है।

- **उप सीएंडएजी के साथ बैठक**

  उप सीएंडएजी के साथ 25 मार्च, 2022 को एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके साथ सीएजी के साथ पैनलबद्ध किए जाने संबंधी प्रक्रिया के संबंध में ब्यौरेवार विचार-विमर्श किया गया था।

- **माननीय सीवीसी के साथ बैठक**

  8 अप्रैल, 2022 को माननीय सीवीसी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें आईसीएआई ने समुचित दिशानिर्देशों को जारी किए जाने संबंधी एक अनुरोध प्रस्तुत किया था, जिससे निविदाओं में वृत्तिक समनुदेशनों की न्यूनतम फीस को उल्लिखित किया जा सके और साथ ही न्यूनतम लागत पद्धति की बजाए क्वालिटी और लागत आधारित चयन की पद्धति का उपयोग करते हुए कानूनी संपरीक्षा सेवाएं समनुदेशित की जा सकें। इसके साथ ही आईसीएआई ने बैठक के दौरान मंत्रालय को सभी राज्यों में सहकारिताओं के लिए एकसमान ढांचा तैयार करने में समर्थन किए जाने संबंधी करार भी किया।

- **आईएएस, सचिव, सहकारिता मंत्रालय के साथ बैठक**

  17 मई, 2022 को आईएएस, सचिव, सहकारिता मंत्रालय के साथ एक बैठक की गई थी। बैठक के दौरान आईसीएआई ने मंत्रालय के लिए एक अद्यतन लेखांकन और प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करने और साथ ही मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया था।

- **आरबीआई के माननीय गर्वनर के साथ बैठक**

  3 नवंबर को आरबीआई के माननीय गर्वनर के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें बैंक संपरीक्षाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा की गई।

- **उप गर्वनर, आरबीआई और कार्यपालक निदेशक, आरबीआई के साथ बैठक**

  3 नवंबर, 2021 को मुंबई में उप गर्वनर, आरबीआई और कार्यपालक निदेशक, आरबीआई के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ, एससीए के लिए नए संनियम, संपरीक्षा की क्वालिटी में अभिवृद्धि – आईसीएआई की पहलें, कानूनी संपरीक्षा फीस का पुनरीक्षण, पारिश्रमिक के वर्ग के अधीन न आने वाली समवर्ती संपरीक्षा फीस, शाखा संपरीक्षकों की नियुक्ति में विसंगतियां, बैंक शाखा संपरीक्षा का महत्व, आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई।

  इसी प्रकार आईसीएआई ने 8 नवंबर, 2021 को मुंबई में आरबीआई के कार्यपालक निदेशक के साथ आयोजित बैठक के दौरान इसी प्रकार की चिंताओं को उठाया था।

- **निदेशक, आरबीआई के साथ बैठक**

  निदेशक, आरबीआई के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिन्होंने फीस में वृद्धि किए जाने संबंधी हमारे अनुरोध का पूर्ण समर्थन करने का वचन दिया और इस बात पर भी सहमति प्रदान की कि वे इस विषय पर गर्वनर, आरबीआई के साथ चर्चा करेंगे।

- **अध्यक्ष, भारतीय बैंक संगम के साथ बैठक**

  अध्यक्ष, भारतीय बैंक संगम के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आईसीएआई ने फीस में पुनरीक्षण किए जाने की आवश्यकता के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण किया।

- **उप सीएंडएजी के साथ बैठक**

  पीडीसी युक्तियुक्त रूप से पीएसयू संपरीक्षाओं के लिए कीमत निर्धारण का पुनरीक्षण करने के संबंध में सीएंडएजी के कार्यालय के साथ कार्यवाही कर रही है। इस संबंध में 2.12.2021 को उप सीएंडएजी के साथ एक बैठक की गई, जिसमें सभी पीएसयू संपरीक्षा फीसों के ब्यौरों को एकत्रित करने और उसके पश्चात् कोई कार्रवाई करने से पूर्व वर्तमान फीस संरचना का विश्लेषण करने संबंधी अवधारण किया गया है।

(II) 24 दिसंबर, 2021 को आरबीआई के साथ आयोजित गोलमेज बैठक के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार-विमर्श

आरबीआई और आईसीएआई के बीच 28 जून, 2022 को आयोजित संरचित आवधिक परस्पर क्रिया की पहली बैठक के दौरान वृत्तिक संगतता और नीतिगत महत्व के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही, भारत में तथा विश्व भर में संपरीक्षा और लेखांकन के क्षेत्र में हुई हाल ही की घटनाओं पर भी बैठक के दौरान विचार-विमर्श किया गया।

(III) व्यवसायरत सदस्यों के लिए वृत्ति अवसरों का सृजन

- **विभिन्न प्राधिकारियों को पैनल प्रस्तुत करना**

  अन्य प्राधिकारियों/अभिकरणों को चार्टर्ड अकाउंटेंटों/फर्मों का पैनल उपलब्ध कराया गया है । 1 जून, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान प्रस्तुत किए गए पैनलों की एक सूची नीचे दी गई है :

  - 7 मई, 2021 को भारतीय ओवरसीज बैंक को पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 11 मई, 2021 को गृह मंत्रालय, सीमा सुरक्षा बल को दिल्ली में स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों का पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 12 मई, 2021 को आईडीबीआई बैंक को मुंबई में स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों का पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 24 मई, 2021 को भारतीय ओवरसीज बैंक को बैंक शाखा संपरीक्षकों का पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 23 जून, 2021 को उप महाप्रबंधक (निरीक्षण और संपरीक्षा), भारतीय इंडियन बैंक, निगम कार्यालय, निरीक्षण विभाग को पैनल का प्रस्तुत किया जाना ।
  - 23 अगस्त, 2021 को पुलिस उप अधीक्षक, सीबीआई/एसीबी, लखनऊ को पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 28 सितंबर, 2021 को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, जम्मू-कश्मीर, श्रीनगर/जम्मू को पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 16 अक्तूबर, 2021 को पुलिस अधीक्षक, मध्य रेंज, सर्तकता और भ्रष्टाचार निवारण निदेशालय, संख्या 293, एमकेएन रोड, अलन्दूर, चेन्नई – 600016 को पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 8 फरवरी, 2022 को नाबार्ड को पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 27 मई, 2022 को प्रबंधक, पर्यवेक्षण विभाग, आरबीआई, भुवनेश्वर को पैनल प्रस्तुत किया जाना ।
  - 30 जून, 2022 को (आरईजी-डीआरओ), भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को पैनल प्रस्तुत किया जाना ।

- **निविदाओं के संबंध में पीडी पोर्टल पर वृत्तिक अवसर**

  पीडीसी द्वारा विकसित पीडी पोर्टल (www.pdicai.org), आईसीएआई के सदस्यों को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है, जो उनके ज्ञान और इस प्रकार उनके व्यवसाय को समृद्ध करने के लिए आवश्यक हो और साथ ही उनके ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं भी उपलब्ध कराता है । इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान कुल 1443 निविदाओं को पीडी पोर्टल पर अपलोड किया गया था, जो कानूनी संपरीक्षा, आंतरिक संपरीक्षा और अन्य परामर्शी सेवाओं से संबंधित थीं ।

(IV) अन्य क्रियाकलाप

- **पीडी प्रकाशनों का पुनरीक्षण :**

  समिति ने अपने निम्नलिखित विद्यमान प्रकाशनों का पुनरीक्षण किया है ।

  - एनपीओ के लिए बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
  - एफसीआरए विधियां और एनपीओ के लेखांकन संबंधी तकनीकी गाइड
  - "चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसरों के संबंध में त्वरित अंत:दृष्टि"
  - वृत्तिक सेवाओं को प्रदान किया जाना – ऐसी सभी जानकारी, जो आपको ज्ञात होनी चाहिए (संस्करण 2021 और 2022)

- **आईआईएम के साथ समझौता ज्ञापन**

  आईसीएआई ने चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विभिन्न आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए आईआईएम अहमदाबाद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं । आईआईएम अहमदाबाद के साथ इस समझौता के अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न आवासीय पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया है ।

- **सहकारिता संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  पीडीसी ने सदस्यों के सहकारिता के क्षेत्र में वृत्तिक विकास को बढावा देने के लिए सहकारिता संबंधी प्रमाणपत्र **पाठ्यक्रम** का आयोजन किया । यह पाठ्यक्रम 18 जून, 2022 को पूरा हुआ था ।

- **पब्लिक सेक्टर बैंकों में कानूनी शाखा संपरीक्षकों संबंधी पुनरीक्षित संनियमों के संबंध में आईसीएआई के सुझाव**

  आरबीआई ने भागीदारों की संख्या, सीए की संख्या, वृत्तिक कर्मचारिवृंद, बैंक संपरीक्षा अनुभव, फर्म की ख्याति और विभिन्न प्रवर्गों में संपरीक्षा फर्मों को आबंटित की जाने वाली शाखाओं की संख्या के संबंध में प्रवर्गवार अनुबंधों के संबंध में पब्लिक सेक्टर बैंकों में कानूनी शाखा संपरीक्षकों के पुनरीक्षित संनियमों के संबंध में आईसीएआई से उसके मतों और सुझावों की ईप्सा की थी ताकि आरबीआई इस विषय की जांच कर सके। इस मामले पर ब्यौरेवार परिचर्चा करने के लिए पीडीसी द्वारा एक समर्पित एमईएफ समूह का सृजन किया गया और उक्त समूह ने अवधि के दौरान 4 बैठकों का आयोजन किया। इसके पश्चात् उक्त संनियमों के संबंध में पीडीसी में चर्चा की गई और तत्पश्चात परिषद् से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें फरवरी, 2022 में आरबीआई को अग्रेषित किया गया।

- **बैंकों के एमडी और सीईओ, ईडी (संपरीक्षा और लेखाओं के प्रभारी), सीएफओ के साथ परस्पर क्रियाशील बैठकें**

  वृत्तिक विकास समिति ने 8 अक्तूबर, 2021 को ताज महल पैलेस होटल, गेटवे आफ इंडिया, मुंबई में बैंकों के एमडी और सीईओ, ईडी (संपरीक्षा और लेखाओं के प्रभारी), सीएफओ के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का भी आयोजन किया। इस परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन बैंकों के उच्च प्रबंध मंडल और विनियामकों के साथ किया गया था ताकि वृत्ति के प्रति उनकी प्रत्याशाओं को समझा जा सके तथा बैंकों की कानूनी संपरीक्षा की प्रभाविकता में वृद्धि करने तथा संपरीक्षकों और उस अस्तित्व, जिसकी संपरीक्षा की जा रही है, के बीच खाई को पाटने के लिए सुझावों को एकत्रित किया जा सके।

- **केंद्रीय कानूनी संपरीक्षकों की बैठक**

  9 फरवरी, 2022 और 21 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बैंकों से बडी संख्या में एससीए ने व्यक्तिगत रूप से तथा वर्चुअल रूप से भाग लिया। उक्त बैठक में बैंक संपरीक्षाओं से संबंधित हित के सभी विषयों पर चर्चा की गई।

- **राज्य स्तरीय समन्वयन समिति (एसएलसीसी)**

  आरबीआई द्वारा वर्ष के दौरान 40 से अधिक एसएलसीसी बैठकों का आयोजन किया गया, जिनमें आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

5.19 लोक वित्त और शासकीय लेखाकंन संबंधी समिति (सीपीएंडजीएफएम)

आईसीएआई ने अपने मिशन और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लोक वित्त और शासकीय लेखाकंन संबंधी समिति (सीपीएंडजीएफएम) का गठन किया है, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों की लेखांकन सुधारों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन और लोक वित्त संबंधी बेहतर प्रबंध को सुकर बनाने में सहायता करने का अथक प्रयास करती है। समिति मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न टियरों में वित्त से संबंधित पदधारियों की सक्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है और इसके लिए समिति विभिन्न उपाय करती है, जैसे कि कार्यशालाओं का आयोजन, सुसंगत ई-प्रशिक्षण माड्यूलों को विकसित करना आदि। इसके अतिरिक्त, समिति स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) को भी तैयार करती है। चार्टर्ड अकाउंटेंटों को कारपोरेट सेक्टर से परे अपनी वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराके तथा साधारण जनता के लिए कार्य करके अपनी सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने संबंधी आईसीएआई की यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इस प्रकार वह राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की अपनी भूमिका के प्रति खरा उतरता है।

(I) निकाले गए प्रकाशन :

- स्थानीय निकायों के लिए 'निवेशों के लिए लेखांकन' संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
- 'लोक वित्त प्रबंध में वृत्तिक अकाउंटेंटों की भूमिका' संबंधी ई-पुस्तक
- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों का सारांश (एएसएलबी)
- स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक (एएसएलबी) एक दृष्टि में

(II) स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों (एएसएलबी) को तैयार करना :

आईसीएआई द्वारा निम्नलिखित एएसएलबी जारी किए गए :

- एएसएलबी 35, 'समेकित वित्तीय विवरण'

- एएसएलबी 37, 'संयुक्त ठहराव'
- एएसएलबी 38, 'अन्य अस्तित्वों में हितों का प्रकटन'

एएसएलबी 40, 'अस्तित्व संयोजन' का प्रारूप आईसीएआई की परिषद् के विचाराधीन है ।

(III) प्रस्तुत की गई तकनीकी टीका-टिप्पणियां :

- अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) के निम्नलिखित प्रारूपों के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई :
  - उदभासन प्रारूप 75, 'पट्टे'
  - उदभासन प्रारूप 76, अवधारणात्मक ढांचे में प्रस्तावित अद्यतन परिवर्तन : अध्याय 7, वित्तीय विवरणों में आस्तियों और दायित्वों का मापमान
  - उदभासन प्रारूप 77, 'मापमान'
  - उदभासन प्रारूप 78, 'संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई)'
  - उदभासन प्रारूप 79, 'विक्रय के लिए धारित गैर-चालू आस्तियां और बंद कर दिए गए प्रचालन'
  - उदभासन प्रारूप 80, 'आईपीएसएएस, 2021 में सुधार'
  - 'रणनीति और संकर्म कार्यक्रम – 2019-2023, मध्य अवधि संकर्म कार्यक्रम संबंधी परामर्श' विषय पर परामर्श पत्र
  - उदभासन प्रारूप 81, 'अवधारणात्मक ढांचे को अद्यतन बनाना : अध्याय 3, गुणवत्ता वाचक विशिष्टियां और अध्याय 5, वित्तीय विवरणों के घटक'
- निम्नलिखित जीएएसएबी दस्तावेजों/प्रारूप मानकों के संबंध में टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की गई :
  - नियत आस्तियों के लिए लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण
  - प्रारूप नीतिगत विकास योजना (एसडीपी) 2022-25
  - आईजीएएस 2 : सहायता अनुदान का लेखांकन संबंधी उपांतरित उदभासन प्रारूप
  - "आरक्षित निधियों" संबंधी प्रारूप मानक
  - "सम्यक् प्रक्रिया" संबंधी पुनरीक्षित प्रारूप
  - प्रारूप "लोक आस्तियों के विनिवेश संबंधी प्रकटन"
  - प्रारूप "पूर्वावधि समायोजन"

(IV) प्रशिक्षण कार्यक्रम :

समिति द्वारा निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

- 9 और 10 जून, 2022 के दौरान शहरी स्थानीय निकायों के पदधारियों के लिए 'यूएलबी में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही' विषय पर एक दो दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न यूएलबी के 150 से अधिक पदधारियों ने भाग लिया ।
- एनएचपीसी के पदधारियों के लिए :
  - 8 से 10 सितंबर, 2021 के दौरान "निगम शासन : निगम विधियां, सेबी दिशानिर्देश, सूचीबद्ध किए जाने संबंधी बाध्यताएं और भेदिया व्यापार संहिता" विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
  - 15 से 17 नवंबर, 2021 के दौरान "परियोजना प्रबंध, वित्त और मूल्यांकन" विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

- 4 मई से 7 मई, 2021 के दौरान कर्नाटक राज्य के यूएलबी के पदधारियों के लिए "दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली" विषय पर आईसीएआई की एसआईआरसी की बंगलौर शाखा के साथ संयुक्त रूप से 4 दिवसीय वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

(V) वेबीनार/वीसीएम

- एकेएएम क्रियाकलापों के अधीन समिति द्वारा निम्नलिखित वेबीनारों का आयोजन किया गया :
  - 18 मई, 2022 को 'शहरी स्थानीय निकायों के लिए नवीन वित्तीय रणनीति'
  - 19 अप्रैल, 2022 को 'स्थानीय निकायों हेतु कार्य करने वाले सीए के लिए आज्ञा'
  - 22 मार्च, 2022 को 'शहरी स्थानीय निकायों को स्वावलंबी और स्वसंवहनीय बनाना'
  - 23 फरवरी, 2022 को 'शासन में उत्तम शासन प्रणाली – शासकीय वित्तीय रिपोर्टिंग और प्रबंध में पारदर्शित और जवाबदेही'
- 30 अक्तूबर, 2021 को रांची में लोक उद्यमों का लेखांकन और संपरीक्षा विषय पर सीपीई समिति के साथ संयुक्त रूप से एक दिवसीय सीपीई कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की धनबाद, रांची और जमशेदपुर शाखा द्वारा की गई।
- समिति ने ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के साथ भागीदारी करते हुए 23 से 27 अगस्त, 2021 के दौरान "सरकार की कल्याण स्कीमों का वित्तीय प्रबंध, ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करना" विषय पर एक पांच दिवसीय वेबीनार श्रृंखला का आयोजन किया । सचिव, डीओआरडी (मुख्य अतिथि), डीजी, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (माननीय अतिथि) ने इस वेबीनार का उदघाटन किया । उक्त वेबीनार श्रृंखला को ग्रामीण स्थानीय निकायों के पदधारियों/कर्मचारिवृंद और आईसीएआई के सदस्यों द्वारा लाइव रूप से देखा गया ।
- 5 जून, 2021 को स्थानीय निकायों के पदधारियों के लिए "संपरीक्षा, टैली और सुमेलन तथा दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली" विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया । इस वेबीनार में 20 से अधिक राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के 150 से अधिक स्थानीय निकायों के पदधारियों ने भाग लिया ।
- 14 मई, 2021 को "ई पंचायत और वृत्तिकों की भूमिका" विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया गया, जिसके तुरंत पश्चात् सदस्यों के फायदे के लिए एक प्रश्नोत्तर सत्र का भी अनुवर्ती रूप से आयोजन किया गया ।

(VI) स्थानीय निकायों के लिए ई-पठन माड्यूल

समिति ने 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान आईसीएआई टीवी पर निम्नलिखित ई-व्याख्यानों को रखा है :

- शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में संपत्ति कर प्रणाली में सुधार करना
- पीआरआई द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुदानों का प्रभावी उपयोजन
- यूएलबी के लिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रभाव

(VII) लोक वित्त और शासकीय लेखांकन संबंधी पाठ्यक्रम

- अवधि के दौरान उक्त प्रमाणपत्र के 11 ऑनलाइन बैचों को पूरा किया गया, जिनमें सात आनलाइन परीक्षाएं भी संचालित की गई ।
- आईसीएआई के सदस्यों के लिए आईसीएआई के डीएलएच मंच पर स्वविवेकानुसार चलने वाले पाठ्यक्रम (आनलाइन) का शुभारंभ

(VIII) इस अवधि के दौरान विभिन्न केंद्रीय/राज्य सरकारों के प्रमुखों के साथ बैठकों का आयोजन :

क्रम सं.	गणमान्य व्यक्ति का नाम	तारीख
1	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और श्री आर डी चौहान, सीसीए, एमओआरडी	6 मई, 2022

2	अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	26 अप्रैल, 2022
3	उप सीएंडएजी और अध्यक्ष, जीएएसएबी	22 अप्रैल, 2022
4	महानिदेशक, स्थानीय निकाय, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय	8 मार्च, 2022
5	विशेष सचिव, नीति आयोग	17 जनवरी, 2022
6	आईएएस, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार	27 दिसंबर, 2021
7	संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय	5 जुलाई और 14 दिसंबर, 2021
8	उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय	1 जुलाई और 17 दिसंबर, 2021
9	आईएएस, प्रधान प्रचालन समन्वय विशेषज्ञ, एशियाई विकास बैंक	14 जून, 2021

(IX) नीति आयोग के साथ परियोजना

सीपीएंडजीएफएम और आईसीएआई एआरएफ ने नीति आयोग के साथ मिलकर "प्रोदभवन लेखांकन पद्धति को अंतरण : शहरी स्थानीय निकायों के लिए आदर्श और पाठ" विषय पर एक अध्ययन आरंभ किया । अध्ययन हेतु दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और दिल्ली केन्टोनमेंट बोर्ड का चयन किया गया है । राज्यों का चयन उनके द्वारा किए गए सुधारों के परिपक्वता स्तर और साथ ही भौगोलिक वितरण के आधार पर किया गया है ।

(X) सरकार और अन्यों की सहायता – पीएसई असम को उपलब्ध कराई गई सहायता

अध्यक्ष, सीपी एंड जीएफएम और केंद्रीय परिषद् सदस्य, आईसीएआई को असम सरकार द्वारा गठन एक कार्यबल में नामनिर्दिष्ट किया गया है, जो असम पीएसई के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने तथा उसमें अंतर्वलित कानूनी अनुपालनों के संबंध में सलाह देने तथा उनकी मॉनिटरिंग का कार्य करेगा । उक्त कार्यबल की चार बैठकों का आयोजन सितंबर, 2021 के दौरान किया गया था ।

(XI) सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी अंत:निवेश

शहरी विकास प्राधिकरणों (यूडीए) में पारदर्शिता और उनकी जवाबदेही में अभिवृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन तथा अनेक सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों और साथ ही ग्रामीण स्थानीय निकायों के पदधारियों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए और साथ ही समय-समय पर उन्हें स्थानीय निकायों ने प्रोदभवन लेखांकन के कार्यान्वयन के संबंध में उनके अपने-अपने नगरपालिक अधिनियमों में संशोधन करने तथा यूएलबी में प्रोदभवन लेखांकन और एएसएलबी के कार्यान्वयन के संबंध में अग्रणी परियोजनाएं आरंभ करने के लिए अनुरोध भी प्रस्तुत किए गए थे ।

(XII) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर), हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को विकसित करने तथा सक्षमता निर्माण उपायों में अभिवृद्धि करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीएंडपीआर) ने 24 मार्च, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके अधीन ऐसी परियोजनाओं को विकसित और उनका निष्पादन किया जाएगा, जो जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार करें और साथ ही ग्रामीण विकास स्कीमों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाएं ।

(XIII) अन्य पहलें

सचिवालय ने आईसीएआई के जर्नल के क्रमश: अप्रैल, 2021 और मई, 2021 के अंकों के लिए "स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना – चार्टर्ड अकाउंटेटों के लिए मार्ग प्रशस्त करना" तथा "लोक वित्त प्रबंध के क्षेत्र में सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना" नामक लेखों का सहयोग दिया था ।

5.20 जन संपर्क समिति (पीआरसी)

जनसंपर्क समिति का उद्देश्य विभिन्न मार्गों और उपायों के माध्यम से, जिन्हें सीए अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत उपयुक्त समझा जाए, एक अतिविशिष्ट लेखांकन निकाय और भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के लिए एकमात्र विनियामक प्राधिकरण के रूप में आईसीएआई की छवि को विकसित करना, उसे सुदृढ बनाना तथा उसमें अभिवृद्धि करना है । पीआर समिति बेहतर संबंधों को स्थापित

करने के लिए विभिन्न पहलें करती है और बेहतर नेटवर्किंग अवसर उपलब्ध कराती है और साथ ही उसका उद्देश्य आईसीएआई की छवि को ऊंचा उठाने हेतु बोद्धात्मक खाई को भरने के लिए अनेक उपाय करना भी है ।

महत्वपूर्ण पहलें/उपलब्धियां

(I) आजादी का अमृत महोत्सव (एकएएम) को मनाए जाने के प्रति किए गए क्रियाकलाप

भारत सरकार की भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मनाने की पहल "आजादी का अमृत महोत्सव" के भाग रूप में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) सक्रिय रूप से अखिल भारत स्तर पर मिश्रित पद्धति के माध्यम से सक्रिय रूप से विभिन्न क्रियाकलापों में भाग ले रहा है और साथ ही विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन भी कर रहा है । ये क्रियाकलाप देश के स्वतंत्रता संग्राम का स्मरण करने और अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धाजंलि देने की परपंरा के अनुरूप हैं और साथ ही वह नए और सुदृढ भारत के विकास को भी विशिष्ट रूप से दर्शित करते हैं ।

आईसीएआई **आजादी का अमृत महोत्सव (एकएएम)** क्रियाकलापों के माध्यम से जनता के एक बड़े वर्ग को संबद्ध क्षेत्रों में हुए हाल ही के विकासों के संबंध में जागरुक बनाने के प्रति अपना योगदान दे रहा है । किए गए क्रियाकलाप ऐसे नए विचारों और नई शपथों से उदभूत होते हैं, जिनमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप समर्थनकारी संभावनाएं अंतर्निहित हैं । एकएएम के अधीन आईसीएआई द्वारा सितंबर, 2021 से ही संगोष्ठियों और कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया है । आईसीएआई की ओर से पीआर समिति कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ पूर्वोक्त क्रियाकलापों के साथ समन्वय कर रही है ।

इस पहल को अग्रसर करते हुए आईसीएआई ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय के आईकोनिक सप्ताह समारोह में अति उत्साह से भाग लिया ।

(II) 7 जून, 2022 को एमसीए का आईकोनिक दिवस कार्यक्रम

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 7 जून, 2022 को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 'आईकोनिक दिवस' समारोह का आयोजन किया । इस कार्यक्रम का उदघाटन माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री ने माननीय कारपोरेट कार्य राज्यमंत्री और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री (प्रभारी) और योजना राज्य मंत्री (प्रभारी) तथा अन्य सरकारी वरिष्ठ पदधारियों की उपस्थिति में किया ।

आईसीएआई ने भी उक्त कार्यक्रम में भाग लिया और वह निम्नलिखित क्रियाकलापों के साथ निकट रूप से सहबद्ध था :

- **"निगम शासन और राष्ट्र निर्माण में वृत्तिकों की भूमिका" विषय पर तकनीकी सत्र**

  इस सत्र की अध्यक्षता संयुक्त सचिव, एमसीए द्वारा की गई । इस सत्र की समन्वयक सुश्री मिथलेश, लागत सलाहकार (लागत संपरीक्षा शाखा) कारपोरेट कार्य मंत्रालय थी ।

- **पैनल –** अध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, आईसीएसआई, अध्यक्ष, आईसीओएआई

- **निवेशकों की शपथ**

  वित्त मंत्री ने विज्ञान भवन से एक निवेशक शपथ ग्रहण की, जिसे भारत में 75 अवस्थानों से देखा गया । इन 75 अवस्थानों में 25 अवस्थान सभी पांच क्षेत्रों में स्थित आईसीएआई की शाखाएं थी ।

- **आईसीएआई स्टाल**

  विज्ञान भवन में आईसीएआई को अन्य वृत्तिक निकायों के साथ एक स्टाल आबंटित की गई थी । माननीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री ने इस स्टाल का दौरा किया । अध्यक्ष, आईसीएआई ने उपाध्यक्ष, आईसीएआई के साथ सभी गणमान्य व्यक्तियों को आईसीएआई की पहलों के संबंध में जानकारी दी । उपयुक्त प्रकाशनों को स्टाल में प्रदर्शित किया गया था तथा डब्ल्यूसीओए, 2022 का संवर्धन करने वाले श्रव्य-दृश्य तथा एकेएएम के समर्थन में आईसीएआई द्वारा किए गए क्रियाकलापों की झलकें दिखलाने वाले वीडियो को चलाया गया ।

(III) आईसीएआई आईकोनिक दिवस समारोह – 8 जून

संस्थान द्वारा नई दिल्ली में "आईकोनिक दिवस" संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इन समारोह के दौरान पौधा रोपण अभियान से जन जागरुकता अभियान तथा वित्तीय और कर साक्षरता के संबंध में जागरुकता का सृजन करने से एमएसएमई को सुदृढ करने, आर्थिक पुनरुथान के लिए रणनीतियों, महिला सशक्तिकरण और हमारे ग्रह को संवहनीय बनाने के लिए व्यवहारिक विचारों, जैसे विषयों पर वेबीनारों के आयोजन तक व्यापक रेंज के क्रियाकलापों का आयोजन किया गया । मुख्य समारोह की तैयारी के रूप में आईसीएआई द्वारा अप्रैल, मई, 2022 के दौरान निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए :

- "जन जागरुकता" – वित्तीय और कर साक्षरता के संबंध में जागरुकता का सृजन (एफएंडटीएल)
- पदयात्रा
- नुक्कड़ नाटक
- "गो ग्रीन" – अखिल भारतीय पौधा रोपण अभियान
- वृहत्त कैरियर परामर्श अभियान, 2022 तथा स्वतंत्रता संग्राम पर व्याख्यान
- आईसीएआई संवहनीयता संबंधी चुनौती लें – आनलाइन प्रतिस्पर्धा
- सीए छात्र योग्यता खोज, 2022

(IV) आईकोनिक दिवस – 8 जून, 2022 को आयोजित संगोष्ठियों और कार्यक्रमों की झलकियां

- एमएसएमई और स्टार्ट अप संबंधी समिति द्वारा "भारतीय उद्यम संबंधी इको प्रणाली को सुदृढ़ करना, उसके लिए निधियां जुटाना और उसे वित्तपोषित करना" विषय पर संगोष्ठी
- प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति द्वारा "आर्थिक पुनरुथान के लिए रणनीतियां" विषय पर संगोष्ठी
- संवहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड द्वारा "हरित क्रांति तथा हमारे ग्रह को संवहनीय बनाने के लिए व्यवहारिक विचार" विषय पर संगोष्ठी
- "महिला – सशक्तिकरण से उत्कृष्टता – समकालीन परिप्रेक्ष्य" विषय पर संगोष्ठी

नई दिल्ली में आयोजित समारोह का उदघाटन मुख्य अतिथि माननीय संसद् सदस्य (राज्य सभा) द्वारा किया गया तथा उक्त समारोह में सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया ।

"आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के भागरूप में नई दिल्ली में "राष्ट्रीय स्तर की सीए छात्र वक्तृता प्रतियोगिता" का आयोजन भी किया गया । माननीय संसद् सदस्य (लोक सभा) ने सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस समारोह की शोभा को बढ़ाया । इस समारोह में बहन शिवानी, ब्रह्मकुमारी द्वारा "भारत को विश्व गुरु बनाने में युवाओं की भूमिका" विषय पर एक प्रेरणात्मक सत्र प्रस्तुत किया गया ।

पीआर समिति ने आईकोनिक दिवस से संबंधित संपूर्ण क्रियाकलापों का समन्वयन और आयोजन किया ।

(V) एकेएएम और "आईकोनिक दिवस" समारोह का संवर्धन

- आईसीएआई के "एकेएएम" के संवर्धन के प्रति दिए गए योगदान का देशभर में प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके प्रचार किया गया था ।
- आईसीएआई के "वित्तीय और कर साक्षरता अभियान" तथा आजादी के अमृत महोत्सव के भागरूप में किए गए अन्य क्रियाकलापों का देश के प्रमुख नगरों में चल रहे एफएम चैनलों के माध्यम से प्रचार किया गया ।
- भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण के प्रति आईसीएआई के योगदान के संबंध में एक एवी तैयार किया गया और उसे विभिन्न मंचों पर चलाया गया ।

(VI) सीए दिवस – 1 जुलाई, 2021

सीए दिवस, 2021 के संबंध में मुद्रण/इलैक्ट्रानिक/रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया ।

(VII) आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) – 21 जून, 2022

आईसीएआई ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी पांच प्रादेशिक परिषदों और 166 शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से मनाया । 21 जून, 2022 को "कार्य जीवन संतुलन के लिए योग" विषय पर एक अन्य सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों को संबोधित किया ।

सभी प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं से, उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई के वीडियो संदेश को साझा किया गया । उक्त संदेश को आईसीएआई की वेबसाइट और सभी सोशल मीडिया मंचों पर रखा गया ।

आईसीएआई द्वारा 8वें आईडीवाई समारोह का संवर्धन करते हुए विभिन्न कलात्मक सृजनों को भी सभी सोशल मीडिया मंचों पर रखा गया।

(VIII) आईसीएआई का 72वां वार्षिक समारोह

72वें वार्षिक महोत्सव के संबंध में प्रमुख वित्तीय दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन को जारी करके मुद्रण मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया।

- **आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के संबंध में श्रव्य-दृश्य वीडियो –** उक्त एवी में वर्ष 2021-22 के दौरान आईसीएआई की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को सम्मिलित करते हुए समिति द्वारा तैयार किया गया था और इसे वार्षिक समारोह के दौरान चलाया गया।

(IX) दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्तियों से बुद्धिमता का खजाना (पूर्व अध्यक्षों के भाषण 1949-2021) – 5वां संस्करण 2021

समिति ने, दूरदर्शिता रखने वाले व्यक्तियों से बुद्धिमता का खजाना – नामक प्रकाशन को पुनरीक्षित करने की पहल की है, जिसे वर्ष 2020 अंतिम बार अद्यतन किया गया था। इस प्रकाशन में आईसीएआई के पूर्व अध्यक्षों के वार्षिक समारोह के दौरान दिए गए अद्यतन भाषणों को सम्मिलित करते हुए प्रकाशित किया गया है।

(X) आईसीएआई ईयर बुक, 2021-22

संस्थान/समितियों/विभागों/प्रादेशिक कार्यालयों/शाखाओं द्वारा वर्ष के दौरान की गई पहलों और उनकी उपलब्धियों को समाविष्ट करते हुए एक व्यापक दस्तावेज "ईयर-बुक : 2021-22" नामक प्रकाशन के रूप में निकाला गया था।

(XI) "वित्तीय और कर साक्षरता अभियान" – वर्ष 2021 का प्रचार

सीए वृत्ति के पास, अपनी वृत्तिक विशेषज्ञता और समाज के सभी वर्गों तक सुगम पहुंच के कारण एक ऐसी इको प्रणाली के निर्माण में निभाने हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो सभी व्यक्तियों के बीच वित्तीय और कर साक्षरता का संवर्धन करे। आईसीएआई ने वित्तीय ज्ञान – आईसीएआई का अभियान के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का संवर्धन करने का अभियान आरंभ किया है। इस अभियान की मुख्य विशिष्टि यह है कि शिक्षा को स्पष्ट भाषा, दृष्टांतों और ऐसे वीडियो का उपयोग करते हुए विभिन्न देशी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, जिससे उसे आसानी से समझा जा सके तथा समाज का प्रत्येक वर्ग उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ सके।

जनसंपर्क समिति ने प्रकाशनों और पत्रिकाओं में विज्ञापनों का प्रकाशन करके वित्तीय और कर साक्षरता अभियान के संबंध में जागरुकता के सृजन का प्रचार-प्रसार किया था। इसके अतिरिक्त, रेडियो, जो आज के युग में लोकप्रिय माध्यम है, का उपयोग करते हुए समिति ने लक्ष्यित श्रोताओं तक अपनी पहुंच बनाई थी।

(XII) वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 2022 – 20-22 जनवरी, 2022

आईसीएआई के वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का निम्नलिखित माध्यमों से संवर्धन किया गया :

मुद्रण मीडिया : प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापनों को प्रकाशित किया गया, जिससे जागरुकता का सृजन किया जा सके और ब्रांड का निर्माण हो।

आडियो विजुअल : वर्ष के दौरान, "आईसीएआई की प्रमुख उपलब्धियों" के संबंध में अवधारणा को तैयार किया गया तथा एक एवी वीडियो को विकसित किया गया। उसे समारोह के वर्चुअल मंच पर चलाया गया।

सोशल मीडिया : सम्मेलन का सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से भी प्रचार किया गया।

(XIII) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के साथ वेबीनार

पीआर समिति ने जुलाई, 2021 मास के दौरान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) के सहयोग से "वृत्तिक सेवा प्रदाताओं के लिए अवसर" विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया, जिसमें अध्यक्ष, आईएफएससीए और प्रधान, विकास, आईएफएससीए ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आईसीएआई के साथ वेबीनार में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबोधित किया।

इस वेबीनार का आईसीएआई के सभी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से प्रचार किया गया।

(XIV) चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वर्चुअल स्वास्थ्य जागरुकता अभियान

कोविड 19 महामारी के कारण वृत्तिकों के कार्यों की परिस्थितियों और उनकी जीवन शैली में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। ये सभी

जीवन शैली परिवर्तन ऐसे विभिन्न जोखिमों से सहबद्ध हैं, जिनके कारण गंभीर बीमारियों उत्पन्न हो सकती हैं । अधिकांश मामलों में इन रोगों का तब तक निदान नहीं हो पाता है जब तक कि वे अत्यंत गंभीर रूप धारण न कर लें, इसलिए सदस्यों के बीच स्वास्थ्य संबंधी जागरुकता और ज्ञान का संवर्धन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

इस तथ्य को जानकारी में लेते हुए पीआर समिति ने सीआईआरसी की रांची शाखा के साथ "चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वर्चुअल स्वास्थ्य जागरुकता अभियान" विषय पर एक वेबीनार का आयोजन किया । इस वेबीनार का आयोजन 28 जनवरी, 2022 को "गुर्दे के कैंसर के संबंध में जागरुकता" के विषय पर किया गया था । इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया ।

(XV) आईसीएआई ब्रांड निर्माण

आईसीएआई और सीए वृत्ति के ब्रांड निर्माण के लिए समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं – समाचार/कारबार/इन फ्लाइट पत्र-पत्रिकाओं आदि में नियमित विज्ञापनों का प्रकाशन किया गया । आईसीएआई द्वारा की गई विभिन्न पहलों और सीए पाठ्यक्रमों के संबंध में प्रमुख विशिष्टियों का विज्ञापन प्रकाशित करके व्यापक रूप से प्रचार किया गया ।

(XVI) अन्य पहलें

- संस्थान द्वारा की गई सभी प्रमुख पहलों का मुद्रण/इलैक्ट्रानिक और आनलाइन मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी संवर्धन किया गया ।
- प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके मीडिया को सतत रूप से पाठ्यचर्याओं के संबंध में नवीनतम घटनाओं, वृत्ति, विदेशी प्रतिनिधि मंडलों के दौरों, अन्य क्रियाकलापों और आयोजनों आदि के बारे में अवगत कराया गया ।
- समिति ने लेखों और साथ ही परस्पर क्रियाशील बैठकों/राष्ट्रीय/प्रादेशिक स्तर पर प्रैस विज्ञप्तियां जारी करके तथा विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से आज के परिवर्तनशील संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंट वृत्ति में अंतर-निहित संभावना और विस्तार क्षेत्र का संवर्धन किया ।
- ईआर कार्यों के भागरूप में समिति ने आईसीएआई की विभिन्न संगोष्ठियों/ कार्यक्रमों/ आयोजनों के लिए प्रिंट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में उपयुक्त प्रचार किया ।

5.21 अनुसंधान समिति

अनुसंधान समिति भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सबसे अधिक पुरानी तकनीकी समितियों में एक है, जिसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी । अनुसंधान समिति का मुख्य उद्देश्य, वृत्ति द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यवर्धन करने के विचार से अनुसंधान का सृजन करना और अनुसंधान संस्कृति का समर्थन करना है ।

अनुसंधान समिति का प्रमुख उद्देश्य वृत्ति और साधारण रूप से राष्ट्र के फायदे को ध्यान में रखते हुए लेखांकन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य करना तथा संस्थागत सक्षमता को मजबूत बनाना है । अनुसंधान समिति वृत्ति में अनुसंधान और नवीनता लाए जाने संबंधी क्रियाकलापों का संवर्धन करने के लिए अपनी विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों आदि के माध्यम से एक अनुकूल वातावरण तैयार करने का भी प्रयास करती है । समिति अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक वैश्विक अनुसंधान का संवर्धन करने के लिए ज्ञान का आदान-प्रदान करने और रणनीतियां विकसित करने के प्रति समर्पित है । समिति सतत आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में समवर्ती विषयों पर अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाएं आरंभ करती है, जिन्हें साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणों, तकनीकी गाइडों, अध्ययनों, मोनोग्राफों आदि के रूप में प्रकाशित किया जाता है ।

(I) प्रगतिशील परियोजनाएं

समिति निम्नलिखित विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रही है :

- पूंजी आरक्षितियों के उपयोजन संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण ।
- वृत्तिक उपेक्षा और आपराधिक कार्य के बीच महीन अंतर को समझना ।
- वित्त और कर साक्षरता स्टार्ट अप संबंधी अनुसंधान प्रस्ताव ।

(II) पुरस्कार

- **वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार**

  इन पुरस्कारों को वर्ष 1958 से वार्षिक रूप से प्रदान किया जा रहा है । विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में पुरस्कार विजेताओं का चयन एक

3 टियर ठोस मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है : सर्वप्रथम प्रारंभिक मूल्यांकन तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा किया जाता है, जिसके पश्चात् शील्ड पैनल द्वारा सूचीबद्ध वार्षिक रिपोर्टों का पुनर्विलोकन किया जाता है और इनका अंतिम पुनर्विलोकन एक बाहरी ज्यूरी द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2020-21 की प्रतिस्पर्धा के लिए ज्यूरी की बैठक सीएमडी, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड की अध्यक्षता में बुलाई गई थी। वर्ष 2020-21 के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने हेतु पुरस्कार समारोह का आयोजन 9 फरवरी, 2022 को किया गया था । इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय पृथ्वी विज्ञान और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय के राज्य मंत्री थे । इस समारोह के दौरान कुल 25 पुरस्कार – 4 स्वर्ण शील्ड, 10 रजत शील्ड और 11 पट्टिकाएं प्रदान की गईं ।

- **आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कार**

इस पुरस्कार को विश्व की सबसे बड़ी सीमा पार प्रतिस्पर्धा के रूप में माना जा सकता है, जिसका उद्देश्य विश्व भर के अनुसंधान अध्येताओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें मान्यता प्रदान करना तथा नवीनता और मूल्यवान सृजन को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान अध्ययनों को पूरा करने में उनके योगदान की अनुशंसा करना है । इस पुरस्कार का आयोजन लेखांकन, संपरीक्षा, वित्त, अर्थशास्त्र और कराधान के क्षेत्रों में अनुसंधान क्रियाकलापों में दिए गए योगदान को मान्यता तथा अभिस्वीकृति प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।

अध्यक्ष, आईएफएसी की अध्यक्षता में आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पुरस्कारों, 2021 संबंधी ज्यूरी की एक बैठक का आयोजन किया गया था । ज्यूरी के अन्य सदस्यों में उपाध्यक्ष, आईएफएसी, अध्यक्ष, एफसीएम, अध्यक्ष, ईएफएए, उपाध्यक्ष, एएफए, अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई सम्मिलित थे । पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह का आयोजन 31 अगस्त, 2021 को किया गया था, जिसमें श्री रमेश बैस, माननीय राज्यपाल, झारखंड ने उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ाई थी । इस वर्ष चार प्रवर्गों में कुल 14 पुरस्कार प्रदान किए गए ।

(III) स्कीमें

- **आईसीएआई की डाक्टरेट संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम**

यह स्कीम संस्थान के ऐसे सभी सदस्यों के लिए खुली है, जो पीएचडी पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं और जो आवेदन की अंतिम तारीख को 40 वर्ष से अधिक आयु के नहीं है । आईसीएआई की डाक्टरेट संबंधी छात्रवृत्ति स्कीम का उद्देश्य उत्कृष्ट शैक्षिक रिकार्ड वाले पात्र अभ्यर्थियों को, जिनमें संपरीक्षा, कराधान, वाणिज्य, प्रबंध और लेखांकन अनुशासन जैसे अनुसंधान के क्षेत्रों में शैक्षिक अनुसंधान करने की प्रवृत्ति और प्रतिबद्धता है, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है । उनका योगदान न केवल कारबार व्यवहारों के प्रति होता है अपितु वह लोक नीति और शासन के क्षेत्र तक भी विस्तारित होता है । इस स्कीम के अधीन प्रत्येक वर्ष पांच अध्येताओं को अधिकतम तीन वर्ष के लिए पचास हजार रुपए प्रति मास छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ।

- **आईसीएआई अनुसंधान परियोजना स्कीम**

यह स्कीम संस्थान के ऐसे सदस्यों के लिए खुली है, जिनके पास व्यवसाय या नियोजन में 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है । दस लाख रुपए की अधिकतम रकम को प्रतिपूर्ति व्यय के रूप में प्रदान किया जाएगा । आवेदकों को, अनुसंधान समिति द्वारा अनुसंधान परियोजना के अनुमोदन के पश्चात् अपनी अनुसंधान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए छह मास का समय दिया जाएगा । यह स्कीम पूरे वर्ष खुली रहती है ।

(IV) वर्ष के दौरान जारी किए गए प्रकाशन

- कर्मचारियों में ऊर्जा की कमी के संबंध में वैज्ञानिक ध्यान के प्रभावों का मूल्यांकन : एक बहु राष्ट्रीय अध्ययन
- अनुशासन संबंधी मामला अध्ययनों का सार संग्रह

(V) वर्ष के दौरान आयोजित वर्चुअल सीपीई बैठकें / वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलन / वेबीनार / संगोष्ठियां

अनुसंधान समिति ने वर्ष के दौरान 4 वेबीनारों, 36 वर्चुअल सीपीई बैठकों, 2 वर्चुअल राष्ट्रीय सम्मेलनों और 3 संगोष्ठियों का आयोजन किया, जिनमें अनेक समकालीन विषयों को सम्मिलित किया गया, जैसे कि वाणिज्यिक और कर सलाह में विधिक अनुसंधान पद्धतियों का महत्व, लेखांकन अनुसंधान के उभरते क्षेत्र, अनुसंधान प्रश्नोत्तरों को तैयार करने संबंधी गाइड अनुसंधान में साहित्य का पुनर्विलोकन किए जाने संबंधी व्यापक गाइड, आईएफआरएस तथा एकीकृत रिपोर्टिंग की संगतता के मूल्य की परीक्षा करने हेतु अनुसंधान अध्ययन

प्रत्यक्ष कर और लाफर कर्व के बीच संबंधों पर अनुसंधान निष्कर्ष, चीन, भारत और कोरिया में चौथी औद्योगिक क्रांति के दौरान कर प्रशासन के अंकीयकरण के संबंध में अनुसंधान निष्कर्ष, अनुसंधान पद्धति के मूलभूत कारक, लेखांकन, वित्त और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में परिमाणात्मक अनुसंधान की बारीकियां, सांख्यिकी अनुसंधान करने के लिए उपकरणों और तकनीकों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना, लेखांकन और वित्त के क्षेत्र में अनुसंधान का भविष्य, डाटा संग्रहण पद्धतियों को लागू करने का महत्व, अनुसंधान में नमूना प्राप्त करने का सिद्धांत, लेखांकन के संबंध में अनुसंधान पत्र संबंधी अनुसंधान निष्कर्षों का आदान-प्रदान तथा कार्बन क्रेडिट संव्यवहारों में अंतर्वलित कराधान मुद्दे, अनुसंधान में डाटा विश्लेषण का महत्व, प्ररूप 3गघ की जटिलताओं के संबंध में अनुसंधान निष्कर्षों का आदान-प्रदान और आगे की कार्य योजना आदि ।

(VI) अनुसंधान पद्धतियों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान पद्धति के क्षेत्र में सक्षमता निर्माण – कारबार डाटा विश्लेषण में सांख्यिकी परीक्षा का उपयोग – प्रवर्तकों को माडयूल और अग्रिम माडयूल

अनुसंधान पद्धति के क्षेत्र में सक्षमता के निर्माण के उद्देश्य से अनुसंधान समिति ने कारबार डाटा विश्लेषण में सांख्यिकी परीक्षा का उपयोग – प्रवर्तकों को माडयूल और अग्रिम माडयूल विषय पर क्रमश: अप्रैल, 2021 और जुलाई, 2021 के दौरान एक पांच दिवसीय अनुसंधान पद्धति संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था । इस प्रशिक्षण कार्यकम को सहसंबंधों, प्रतीपगमन और कारक विश्लेषण जैसे सांख्यिकी परीक्षणों का कारबार डाटा के विश्लेषण में उपयोग किए जाने के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया था । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कारबार अनुसंधान, कारबार अनुसंधान प्रक्रिया के प्रक्रमों, स्केलिंग, सिद्धांत, उसकी किस्मों और त्रुटियों के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया था, जो भाग लेने वाले सदस्यों को भावी अनुसंधान अध्ययन करने में समर्थ बनाएंगे ।

(VII) वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति ने "निधि की ट्रेल, पृष्ठभूमि जांचों और विभिन्न मामला अध्ययनों के माध्यम से बैंककारी प्रणाली के डाटा में अंतर्वलित मुद्दों को समझना" विषय पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) यूनिट के अन्वेषण अधिकारियों के लिए 13 मई, 2021 को एक प्रशिक्षण कार्यकम का आयोजन किया था । समिति ने सितंबर, 2021 मास के दौरान एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के अधिकारियों के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया था ।

5.22 वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी)

फरवरी, 2020 में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा संयुक्त राष्ट्र वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी), 2030 हेतु किसी इकाई की प्रगति के बारे में गैर-वित्तीय सूचना को मापने और प्रकट करने हेतु विस्तृत, वैश्विक रूप से समतुलनीय और समझने योग्य मानकों को विरचित करने के मिशन हेतु वहनीय रिपोर्टिंग मानक बोर्ड (एसआरएसबी) का गठन किया गया है । बोर्ड वहनीय रिपोर्टिंग, एकीकृत रिपोर्टिंग हेतु संपरीक्षा मार्गदर्शन के विकास के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए अवसरों की पहचान करने तथा उन्हें विकसित करने तथा सदस्यों और अन्य पणधारियों के ज्ञान में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा अभिवृद्धि करने हेतु पर्याप्त उपाय करके अपना कार्यकरण कर रहा है ।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) जारी किए गए प्रकाशन

- **कारबार उत्तरदायित्व तथा वहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री – पुनरीक्षित संस्करण 2021**

  बोर्ड ने कारबार उत्तरदायित्व तथा वहनीयता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संबंधी पृष्ठभूमि सामग्री नामक प्रकाशन का पुनरीक्षित संस्करण निकाला है । उक्त पृष्ठभूमि सामग्री के माध्यम से बीआरएसआर की तुलना में गुणवत्ता वाचक सूचना, आश्वासन पहलूओं संबंधी प्रकटनों तथा सर्वोत्तम व्यवहारों का अपनाया जाना, जैसे विषयों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है ।

- **वहनीय विकास लक्ष्य – लेखापालों द्वारा वहनीय विश्व का निर्माण-भाग 2**

  वहनीय विकास लक्ष्य – लेखापालों द्वारा वहनीय विश्व का निर्माण-भाग 2 नामक प्रकाशन में छह एसडीजी (एसडीजी 6 से एसडीजी 11) का पर्यावलोकन और संबद्ध पहलू अंतर्विष्ट हैं । यह प्रकाशन सदस्यों और अन्य पणधारियों को आर्थिक और पर्यावरण संबंधी अनिश्चितताओं को कम करने के लिए और साथ ही कारोबारियों को सिद्धांत से कार्य में संपरिवर्तन के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए नवीन समाधानों का पता लगाने और उन्हें तैयार करने में सहायता कर रहा है, जिससे

वहनीय विकास की अवधारणाओं को समाविष्ट किया जा सके ।

- **वहनीय विकास लक्ष्य – लेखापालों द्वारा वहनीय विश्व का निर्माण-भाग 3**

  वहनीय विकास लक्ष्य – लेखापालों द्वारा वहनीय विश्व का निर्माण नामक प्रकाशन के भाग 3 में छह एसडीजी (एसडीजी 12 से एसडीजी 17) का पर्यावलोकन अंतर्विष्ट है । इस प्रकाशन का उद्देश्य सदस्य और पणधारियों की संगठनों द्वारा पूर्विकता वाले एसडीजी लक्ष्यों की पूर्ण रेंज की पहचान करने और उनके संबंध में कार्रवाई करने में सहायता करना है, जो उनके प्रचालनों और मूल्य श्रृंखला में सम्मिलित होते हैं ।

- **आईसीएआई जर्नल – "कारबार उत्तरदायित्व और वहनीयता रिपोर्टिंग" विषय पर अगस्त, 2021 संस्करण**

  आईसीएआई के जर्नल का अगस्त, 2021 संस्करण जारी किया गया है और वह "कारबार उत्तरदायित्व और वहनीयता रिपोर्टिंग" विषय पर आधारित है । इसमें सम्मिलित किए गए लेखों के प्रमुख विषय – वहनीयता रिपोर्टिंग परिपक्वता का निर्माण – एसआरएमएम वर्जन 1.0, एसडीजी कार्यसूची – सक्रिय दशक में भागीदारियां, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों का वहनीय विकास लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बिठाना, रिपोर्टिंग ढांचा और सेबी का बीआरएसआर संबंधी परिपत्र, बीआरएसआर तथा प्रकटन संबंधी चुनौतियां और ईएसजी तथा वहनीयता – बोर्ड की ओवर साइट आदि से संबंधित थे ।

(II) विनियामकों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ बैठकें/परस्पर क्रियाएं

- **सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज संबंधी तकनीकी समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संबंध में सेबी को अपनी टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत किया जाना ।**

  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) संबंधी एक तकनीकी समूह (टीजी) का गठन किया और उसमें अध्यक्ष, एसआरएसबी को नामांकित किया गया, उक्त समूह का उद्देश्य गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) और लाभकारी सामाजिक उद्यमों (एफपीई) को एसएसई के साथ जोड़ने के लिए ढांचा विकसित करना है, जिसके अंतर्गत लाभकारी सामाजिक निवेश/उद्यमों को परिभाषित करना, वित्तीय, शासन, प्रचालनात्मक कार्यपालन से संबंधित प्रकटन अपेक्षाओं को विहित करना तथा उसके सामाजिक प्रभाव का पता लगाना भी है । तकनीकी समूह ने कतिपय प्रमुख सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत कर दी है ।

- **आईएफआरएस फाउंडेशन कांस्टीट्यूशन में प्रस्तावित लक्ष्यित संशोधनों संबंधी उदभासन प्रारूप पर आईएफआरएस फाउंडेशन को टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत किया जाना ।**

  आईएफआरएस फाउंडेशन न्यासियों ने अंतर्राष्ट्रीय वहनीयता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) द्वारा आईएफआरएस वहनीयता मानकों को निर्धारित करने की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु आईएफआरएस फाउंडेशन कांस्टीट्यूशन में प्रस्तावित लक्ष्यित संशोधनों संबंधी उदभासन प्रारूप का प्रकाशन किया है । बोर्ड ने उक्त प्रारूप के संबंध में आईएफआरएस फाउंडेशन को टीका-टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय पहलें

- आईएफएसी ने एसआरएसबी द्वारा जारी "वहनीयता रिपोर्टिंग परिपक्वता मॉडल (एसआरएमएम) वर्जन 1.0" के संबंध में मई, 2021 में एक लेख का प्रकाशन किया था ।

- अध्यक्ष, आईसीएआई और अध्यक्ष, एसआरएसबी ने वहनीयता संबंधी पहलों के संबंध में सफलतापूर्वक सहयोग हेतु पीएएफए और यूएनसीटीएडी के साथ बैठकें की थी ।

- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने 3 अगस्त, 2021 को 'आईएफएसी और वहनीयता संबंधी जेजु समूह आश्वासन गोलमेज बैठक' में भाग लिया और उन्होंने भारतीय परिप्रेक्ष्य से अपने मतों को प्रस्तुत किया । उक्त बैठक में जापान, कोरिया, सिंगापुर, चीन, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था । इस बैठक का उद्देश्य उस सीमा को समझना था, जिस तक कंपनियां उनके वहनीयता संबंधी प्रकटनों को रिपोर्ट कर रही हैं तथा आश्वासन प्राप्त कर रही हैं, किस प्रकार के आश्वासन मानकों का उपयोग किया जा रहा है और कौन सी कंपनियां आश्वासन सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं ।

सम्मेलनों में भाग लिया जाना

- अध्यक्ष, एसआरएसबी ने एसोसिएटिड चैम्बर आफ कार्मस एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचैम) द्वारा 6-7 मई, 2021 को 'वित्तीय रिपोर्टिंग और नियंत्रण : हाल की घटनाएं, समकालीन मुद्दे और चुनौतियां' विषय पर आयोजित एक दो दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया था ।

- अध्यक्ष, एसआरएसबी, उपाध्यक्ष, एसआरएसबी ने 16 जून, 2021 को वर्चुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्ल्डवाइड (सीएडब्ल्यू) – वहनीयता सम्मेलन में भाग लिया ।

(III) सक्षमता निर्माण संबंधी पहलें

- **कारबार उत्तरदायित्व और वहनीय रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  बोर्ड ने कारबार उत्तरदायित्व और वहनीय रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के 10 बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिनमें 800 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया । इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य कारबार उत्तरदायित्व और वहनीयता रिपोर्टिंग के वर्तमान विनियामक ढांचे को समझना, भारतीय कंपनियों द्वारा किए गए प्रकटनों का विश्लेषण करना, आश्वासन पहलूओं को समझना तथा अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम व्यवहार पर विचार-विमर्श करना है ।

- **वेबीनार/वर्चुअल सीपीई बैठकें**

  - वर्तमान मानकों और संपरीक्षा ढांचे तथा वहनीयता रिपोर्टों संबंधी आश्वासनों, मुद्दे और चुनौतियों तथा इस क्षेत्र में क्वालिटी और आश्वासन व्यवहारों की संगतता का संवर्धन करने हेतु विचार-विमर्श करने के लिए "संपरीक्षा और वहनीयता रिपोर्टों संबंधी आश्वासन – प्रमुख मुद्दे और लागू मानक" विषय पर वेबीनार का आयोजन ।

  - वहनीयता रिपोर्टिंग के वर्तमान परिदृश्य के संबंध में चर्चा करने, निगमों को उच्च स्तर की परिपक्वता हासिल करने में सहायता करने हेतु एक उपकरण के रूप में एसआरएमएम वर्जन 1.0 को अपनाने तथा विनियामकों की महत्वपूर्ण भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, लेखांकन निकायों और निगम के नेतृत्व द्वारा एसआरएमएम वर्जन 1.0 का संवर्धन और कार्यान्वयन जैसे विषयों पर विचार करने के लिए "वहनीयता रिपोर्टिंग परिपक्वता माडल एसआरएमएम वर्जन 1.0" विषय पर एक वैश्विक वेबीनार का आयोजन ।

  - विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कारबारों द्वारा पृथ्वी को बचाने हेतु एसडीजी लक्ष्यों को पूर्विकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता, ऐसे मार्गों, जिनमें कारबार पारिस्थितिकी तंत्र की पुन: स्थापन करने हेतु निवेश कर सकते हैं, एसडीजी में अधिकाधिक दिलचस्पी का सृजन करने के संबंध में अकाउंटेंटों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका और साथ ही एसडीजी कार्यपालन के संबंध में योजना बनाने तथा उसके संबंध में रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की मॉनीटरिंग करने की आवश्यकता के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए "धरती माता की सुरक्षा – कारबार व्यवहारों और रिपोर्टिंग में एसडीजी को एकीकृत करना" विषय पर एक वेबीनार का आयोजन ।

  - वहनीय विकास और पर्यावरण रूप से सुरक्षित अर्थव्यवस्था के संबंध में विनियामकों की भूमिका और महत्व के संबंध में विचार-विमर्श करने तथा राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान नीतिगत ढांचे तथा उसमें अंतर्वलित विभिन्न चुनौतियों के संबंध में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए "विनियामकों की प्रमुख भूमिका – पर्यावरण रूप से सुरक्षित अर्थव्यवस्था की ओर कदम" विषय पर एक वेबीनार का आयोजन ।

  - वहनीयता संबंधी कार्यसूची को त्वरित बनाना : वृत्तिक अकाउंटेंटों के लिए अवसर विषय पर एक वैश्विक वर्चुअल वहनीयता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कारबार द्वारा वहनीय व्यवहारों को अपनाए जाने की आवश्यकता, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के प्रति संपरिवर्तन करने हेतु सहयोगात्मक प्रयास, संतुलित वैश्विक वहनीयता रिपोर्टिंग प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रयासों को सुदृढ़ करने तथा वहनीयता संबंधी कार्यसूची को अग्रसर करने में अकाउंटेंटों की प्रमुख भूमिका जैसे विषयों पर परिचर्चा की गई थी ।

  - "स्थिरता रिपोर्टिंग - उभरते मुद्दे और अंतर्दृष्टि" पर वेबिनार व्यवसाय के संदर्भ में व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्टिंग के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्यों के लिए स्थिरता और आवश्यकता के महत्व पर जोर देने के लिए।

  - सदस्यों और अन्य पणधारियों को इस वैश्विक कार्यसूची के प्रति योगदान देने हेतु प्रोत्साहित करने तथा हमारे ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए वहनीय बनाने के लिए "हरित क्रांति लाने और हमारे ग्रह को वहनीय बनाने के लिए व्यवहारिक विचार" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन ।

(IV) वहनीयता के क्षेत्र में जागरुकता का सृजन करने के लिए की गई पहलें

- आईसीएआई की वहनीयता संबंधी चुनौती को स्वीकार करें ।

- अखिल भारतीय पौधा रोपण अभियान – गो ग्रीन ।
- आईसीएआई का वहनीयता संबंधी साक्षरता अभियान ।

  आईसीएआई के वहनीयता संबंधी साक्षरता अभियान के भागरूप में बोर्ड ने निम्नलिखित को तैयार किया है :

  - 17 वहनीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से प्रत्येक पर वीडियो ।
  - जागरुकता वीडियो – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वहनीय पारिस्थितिकीय तंत्र स्थापित करने में भूमिका ।
  - जागरुकता वीडियो - वहनीय पारिस्थितिकीय तंत्र स्थापित करने में सामान्य घरों की भूमिका ।
- "हमारे ग्रह को वहनीय बनाने के लिए साधारण उपायों" संबंधी एक कारपोरेट फिल्म ।
- कार्बन फुटप्रिंट संबंधी चुनौती ।

(V) पुरुस्कार

- आईसीएआई वहनीय रिपोर्टिंग पुरुस्कार
- आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय वहनीय रिपोर्टिंग पुरुस्कार

(VI) सामाजिक संपरीक्षा मानक

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सितंबर, 2021 में सामाजिक स्टाक एक्सचेंज (एसएसई) के लिए एक ढांचे की रुपरेखा को जारी किया था, जिसके अनुसार एसएसई प्रतिभूति बाजार में सामाजिक उद्यमों द्वारा निधियां जुटाने को सुकर बनाने हेतु विद्यमान स्टॉक एक्सचेंजों का एक पृथक् खंड होगा । इसके अतिरिक्त एसएसई पर रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों के लिए सामाजिक संपरीक्षा आज्ञापक होगी । इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कि आईसीएआई के पास एक कानूनी निकाय होने के कारण संपरीक्षकों का विनियमन करने के लिए आवश्यक अवसंरचना सहित अनुभव और विशेषज्ञा तथा मूल क्षमता विद्यमान है, इसलिए आईसीएआई को सामाजिक संपरीक्षा मानकों का विकास करने तथा सामाजिक संपरीक्षकों के अनुप्रमाणन हेतु पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या तैयार करने का कार्य सौंपा गया है ।

बोर्ड सामाजिक संपरीक्षा मानकों और क्षेत्र निर्दिष्ट सामाजिक संपरीक्षा मानकों, जिन्हें दृष्टांत सूची के 15 क्षेत्रों और उप क्षेत्रों के लिए वर्गीकरण के संबंध में सामाजिक उद्देश्यों के क्षेत्रों के रूप में उल्लिखित किया गया है (सामाजिक स्टाक एक्सचेंज संबंधी सेबी तकनीकी समूह रिपोर्ट), के लिए एकल व्यापक ढांचे का विकास कर रहा है । इसमें सामाजिक प्रभाव की संपरीक्षा के विभिन्न संबद्ध क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है उदाहरणार्थ गरीबी, पोषण, जलवायु परिवर्तन आदि । सामाजिक संपरीक्षा के लिए प्रारूप ढांचे और प्रारूप सामाजिक संपरीक्षा मानक (एसएएस) 2 "शिक्षा, नियोज्यता और आजीविका" को सेबी के परामर्श से अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, अन्य 14 सामाजिक संपरीक्षा मानकों को विशेष समूह के समर्थन से तैयार करने की प्रक्रिया की जा रही है ।

5.23 पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीएफएमएंडआईपी)

पूंजी बाजार और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति (सीएफएमएंडआईपी) (जो पूर्व में पूंजी बाजार और निवेशक संरक्षण समिति के रूप में ज्ञात थी) सरकार/विनियामकों को प्रस्तुत किए जाने हेतु, पूंजी बाजार से संबंधित विभिन्न विधेयकों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों और अन्य दस्तावेजों के संबंध में सुझाव उपलब्ध कराती है । इसके अतिरिक्त, यह समिति विभिन्न मुद्दों के संबंध में नियमित रूप से एमसीए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), सेबी, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, गैर वित्त कंपनियों – एनबीएफसी (आरबीआई का गैर बैंककारी वित्त कंपनियों संबंधी विभाग), वायदा बाजार आयोग और स्टॉक एक्सचेंजों से वित्तीय बाजारों, सीए की भूमिका और निवेशकों के संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर नियमित रूप से परस्पर क्रिया करती है ।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी

साधारण जनता के बीच जागरुकता का सृजन करने और निवेशकों की संरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से समिति विभिन्न संसाधन व्यक्तियों (आरपी) तथा आईसीएआई के विभिन्न कार्यक्रम आयोजक यूनिटों, अर्थात् शाखाओं, प्रादेशिक परिषदों, अध्ययन सर्कलों के माध्यम से कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण, (आईईपीएफए) के तत्वाधान में निवेशक जागरुकता कार्यक्रमों (आईएपी) का आयोजन करती है । वर्ष 2021-22 के दौरान सीएफएमआईपी ने साधारण जनता के लिए 117 आईएपी का आयोजन किया था । समिति ने जुलाई, 2021 के दौरान संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किए

जाने संबंधी एक पांच दिवसीय कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधन व्यक्तियों के वित्तीय बाजारों के क्षेत्र में तथा आईएपी के आयोजन हेतु निवेशकों के लिए सुसंगत अन्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के संबंध में कौशल और ज्ञान को अद्यतन बनाना था।

(II) सदस्यों के लिए पहलें

मर्चेंट बैंकर के रूप में नए वृत्तिक अवसर

समिति ने सेबी के समक्ष यह अनुरोध करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं कि प्रवर्ग 4 को पुन: स्थापित किया जाए, जिससे चार्टर्ड अकाउंटेंट सेबी (मर्चेंट बैंकर) विनियम, 1992 के तत्कालीन प्रवर्ग 4 के अधीन मर्चेंट बैंकर के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो सके। यह पहल हमारे सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध कराएगी।

प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

हमारे सदस्यों के कौशल में अभिवृद्धि करने और उन्हें उपयुक्त रूप से सशक्त करने के लिए समिति विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, व्युत्पन्नियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, स्टाक का आधारभूत और तकनीकी विश्लेषण, जिसके अंतर्गत साम्या अनुसंधान भी है, संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तथा वित्तीय बाजारों और प्रतिभूति विधियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यकम का आयोजन करती है।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति ने डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से विदेशी मुद्रा और खजाना प्रबंध संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, व्युत्पन्नियों संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, स्टाक का आधारभूत और तकनीकी विश्लेषण, जिसके अंतर्गत साम्या अनुसंधान भी है, संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के सात आनलाइन बैचों का संचालन किया, जिनमें आईसीएआई के 581 सदस्यों ने नामांकन किया।

(III) सदस्यों के वृत्तिक संवर्धन के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठियां / कार्यशालाएं/ वेबकास्ट/आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (आरआरसी)

कोविड 19 महामारी फैल जाने के कारण वृत्तिकों की भूमिका में पूर्णरुपेण परिवर्तन हो गया है। इस अद्वितीय परिस्थिति के संबंध में हमारे में से किसी के द्वारा भी कोई अनुमान नहीं लगाया गया था। वर्तमान परिस्थिति हमारे से यह आशा करती है कि हम जागरुक बनकर चुनौतियों की पहचान करें और नए अवसरों का सृजन करें ताकि हम एक वृत्तिक के रूप में विकास कर सकें। समय की आवश्यकता को मान्यता प्रदान करते हुए, समिति ने सदस्यों के बीच विभिन्न वर्चुअल सीपीई बैठकों और वेबीनारों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया है। वित्तीय बाजारों और निवेशकों के संरक्षण संबंधी समिति ने वर्ष के दौरान 42 वर्चुअल सीपीई बैठकों, 06 वेबीनारों, 08 राष्ट्रीय सम्मेलनों/संगोष्ठियों और 03 आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आईसीएआई की शाखाओं के सहयोग से सफलतापूर्वक आयोजन किया।

5.24 संपरीक्षा समिति

संस्थान की संपरीक्षा समिति का गठन संस्थान की परिषद् द्वारा शासित होता है। संपरीक्षा समिति, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सत्य और उचित हैं, संस्थान की वित्तीय सूचना की रिपोर्टिंग प्रक्रिया और प्रकटन का पुनर्विलोकन करती है। यह समिति संस्थान की विभिन्न इकाईयों के लिए संपरीक्षकों की नियुक्ति करती है, संपरीक्षा रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करती है, अनुवर्ती कार्रवाई करती है और संस्थान की विभिन्न इकाईयों के संपरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई की सिफारिश करती है। यह संस्थान की विभिन्न इकाईयों हेतु संपरीक्षकों की नियुक्ति करते समय स्वतंत्रता और ईमानदारी को सुनिश्चित करती है। संपरीक्षा समिति, उसकी प्रत्येक प्रादेशिक परिषदों में अवस्थित पांच प्रादेशिक संपरीक्षा समितियों के माध्यम से प्रचालन करती है।

5.25 अंकीय पुन: इंजीनियरी और संपरिवर्तन समिति (डीआरएंडटीसी)

आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र - आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र ज्ञान का एक ऐसा एकल स्रोत है, जो सदस्यों और छात्रों के लिए वृत्तिक और शैक्षिक दोनों प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक केंद्रीय भांडागार के रूप में कार्य करता है। https://learning.icai.org/iDH/icai/

आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र – अंतर्राष्ट्रीय संसाधन गेटवे, आईसीएआई और भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और इस दिशा में वह तकनीकी विशेषज्ञता और नवीनतम घटनाओं के संबंध में ज्ञान को साझा करके तथा लेखांकन के क्षेत्र में कम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के वृत्तिक कौशलों और सक्षमताओं में अभिवृद्धि करके सतत रूप से प्रयास कर रहा है। https://learning.icai.org/committee/irg/

स्किल इंडिया पहल के तत्वधान में स्किल इंडिया हब लेखांकन और संबद्ध क्षेत्रों में मंत्रालयों और शासकीय निकायों के लिए सर्वोत्तम रूप से अनुकूल सक्षमताओं और क्षमताओं के निर्माण के लिए आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र का उपयोग कर रहा है।

https://learning.icai.org/committee/skill-india/

आईसीएआई की मोबाइल ऐप आईसीएआई नाउ और आईसीएआई के सोशल मीडिया मंच आईसीएआई के कार्यक्रमों, आईसीएआई की प्रमुख उपलब्धियों और पहलों को बिना किसी लागत के आईसीएआई के छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

https://www.icai.org/mobile/

https://www.icai.org/followus

आईसीएआई के अखिल भारतीय अवस्थानों पर आईसीएआई के अभिलेखों का अंकीयकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन, आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों और आंतरिक पणधारियों के लिए सेवा परिदान की ऑनलाइन पद्धतियों को सुकर बनाया गया।

(I) क्रियाकलाप

- **आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र** - आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र ज्ञान का एक ऐसा एकल स्रोत है, जो सदस्यों और छात्रों के लिए वृत्तिक और शैक्षिक दोनों प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक केंद्रीय भांडागार के रूप में कार्य करता है।
    - बहु प्ररूपों में वृत्तिक और शैक्षिक अंतर्वस्तु
    - प्रत्येक विशिष्ट पाठक खंड के लिए विनिर्दिष्ट रूप से तैयार अंतर्वस्तु
    - ज्ञान साझा करने संबंधी नियोजनों के माध्यम से पियरों के साथ परस्पर क्रिया के लिए मंच
    - वृत्तिक और शैक्षिक पठन, दोनों के लिए ज्ञान का एकल स्रोत निक्षेपागार
    - प्रौद्योगिकी सिनेपेट का प्रसार करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग
    - प्रकाशनों, मार्गदर्शन टिप्पणों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान का अंतरण
    - आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र लिंक https://learning.icai.org/iDH/icai/
- **आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र – अंतर्राष्ट्रीय संसाधन गेटवे**
    - आईसीएआई डिजिटल पठन केंद्र को लेखांकन वृत्ति के छात्रों और सदस्यों के लिए एक उत्तम वैश्विक निक्षेपागार बनाना।
    - आईसीएआई और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, तकनीकी विशेषज्ञता और ज्ञान का सबसे कम विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझा किया जाना, जिससे उनके वृत्तिक कौशलों तथा लेखांकन के क्षेत्र में क्षमताओं का विकास किया जा सके।
    - भारतीय लेखांकन सेवाओं और ब्रांड का वैश्विक रूप से संवर्धन।
    - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वैश्विक रूप से वैश्विक अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न देशों के साथ राजनयिक संबंधों में सुधार करना https://learning.icai.org/committee/irg/

(II) स्किल इंडिया पहल के तत्वाधान में स्किल इंडिया हब लेखांकन और संबद्ध क्षेत्रों में मंत्रालयों और शासकीय निकायों के लिए सर्वोत्तम रूप से अनुकूल सक्षमताओं और क्षमताओं के निर्माण के लिए आईसीएआई के डिजिटल पठन केंद्र का उपयोग कर रहा है। यह हब अपने पणधारियों को उत्तम रीति में समृद्ध और मूल्यवान अंतर्वस्तु उपलब्ध कराता है, जिससे उनके सतत वृत्तिक विकास में कोई बाधा न आए और उन्हें समकालीन व्यवहारों तथा क्षेत्र संबंधी नवीनताओं के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त होती रहे। https://learning.icai.org/committee/skill-india/

(III) आईसीएआई की मोबाइल ऐप आईसीएआई नाउ और आईसीएआई के सोशल मीडिया मंच आईसीएआई के कार्यक्रमों, आईसीएआई की प्रमुख उपलब्धियों और पहलों को बिना किसी लागत के आईसीएआई के छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आईसीएआई ने किसी भी स्थान से और किसी भी समय अपने पणधारियों से जुड़े रहने के लिए जोर-शोर से सोशल मीडिया को

अपनाया है। आईसीएआई के पणधारी नवीनतम समाचारों, महत्वपूर्ण उदघोषणाओं, प्रैस विज्ञप्तियों और अद्यतन जानकारी प्राप्त करने और साथ ही साथी सदस्यों से परस्पर क्रिया करने तथा वृत्तिक संगतता के विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए आईसीएआई को उसके आईसीएआई फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कू और टेलीग्राम पृष्ठों को फॉलो कर सकते हैं। आईसीएआई की सोशल मीडिया नेटवर्किंग की उपस्थिति सतत रूप से समृद्ध हो रही है और उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 16,72,377 (13 जून, 2022 को यथा विद्यमान) हो गई है। अंकीय पुन: इंजीनियरी और संपरिवर्तन समिति के समर्थ मार्गदर्शन में फॉलोअर्स की संख्या तीन गुणा हो गई है और वर्ष 2022-23 के दौरान और अधिक फॉलोअर्स की जुड़ने की संभावना है।

मंच	फॉलोअर्स/सब्सक्राबर/ लाइकों की संख्या (13 जून, 2022 को यथाविद्यमान)	लिंक https://www.icai.org/followus
ट्विटर	3,36,200	https://twitter.com/theicai
फेसबुक	1,21,350	https://www.facebook.com/theicai
यू ट्यूब	3,66,412	https://www.youtube.com/icaiorgtube
लिक्डइन	6,16,347	https://www.linkedin.com/school/theicai/
इंस्टाग्राम	1,51,416	https://www.instagram.com/icaiorg/
टेलीग्राम	66,046	https://www.kooapp.com/profile/theicai/
कू	14,606	https://t.me/theicai

आईसीएआई की मोबाइल ऐप आईसीएआई नाउ और आईसीएआई के सोशल मीडिया मंच आईसीएआई के कार्यक्रमों, आईसीएआई की प्रमुख उपलब्धियों और पहलों को बिना किसी लागत के आईसीएआई के छात्रों, सदस्यों और अन्य पणधारियों के बीच लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

इस ऐप को पांच लाख से अधिक उपयोक्ताओं द्वारा डाउनलोड किया गया है। इस ऐप को ऐप स्टोर पर 4.3/5 की रेटिंग प्राप्त है और वह शीर्ष 100 नि:शुल्क शिक्षा प्रवर्ग में सूचीबद्ध है।

डाउनलोड के लिए लिंक https://www.icai.org/mobile/

(IV) आईसीएआई के अखिल भारतीय अवस्थानों पर आईसीएआई के अभिलेखों का अंकीयकरण

- आईसीएआई के प्रधान कार्यालय और आईसीएआई के प्रादेशिक कार्यालयों में विद्यमान दस्तावेजों की सभी हार्ड प्रतियों का अंकीयकरण।
- इन अभिलेखों का परिरक्षण करना और उन्हें क्षति से बचाना।
- ये अभिलेख किसी भी समय और कहीं से भी उपलब्ध हो सकेंगे।
- सभी पणधारियों को दक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगने वाले समय में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।

(V) दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन

- स्कैन की गई पीडीएफ फाइलों को अपलोड करने की व्यवस्था करना ।
- 100% वेब ब्राउजर आधारित साफ्टवेयर।
- आईसीएआई के उपयोक्ता मानक वेब ब्राउजर का उपयोग करते हुए दस्तावेजों तक पहुंच बना सकते हैं।
- सभी पणधारियों को दक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगने वाले समय में कमी लाने में सहायता प्राप्त होगी।

(VI) आईसीएआई के सदस्यों, छात्रों और आंतरिक पणधारियों के लिए सेवा परिदान की ऑनलाइन पद्धतियों को सुकर बनाया गया

- प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों और छात्रों को आनलाइन पद्धति के माध्यम से व्याख्यान उपलब्ध कराना।
- आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से कहीं से भी और किसी भी समय पठन का संवर्धन करना।
- महामारी के समय में वर्चुअल बैठकों और वेबकास्टों की नई पद्धतियों का शुभारंभ करके आईसीएआई के समय की बचत सुनिश्चित होती है।
- यह सुनिश्चित होता है कि आईसीएआई का सेवा प्रदाता तंत्र रुकेगा नहीं।

- आईसीएआई के शासन में इन वर्चुअल बैठक पद्धतियों से महत्वपूर्ण फायदे प्राप्त हुए हैं।

5.26 प्रबंधन समिति

परिषद् की अस्थायी समिति के रूप में 2015 में गठित प्रबंधन समिति के लिए, शाखाओं के गठन, विदेश में चैप्टरों की स्थापना, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ एमओयू/एमआरए, आईसीएआई के केंद्रीय संपरीक्षकों की नियुक्ति, संस्थान के वार्षिक लेखे, केंद्रीय सरकार और अन्य विनियामक निकायों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में संशोधनों के प्रस्तावों, तद्धीन विरचित नियमों और विनियमों, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं विषयक मामले, सदस्यों/सीए फर्मों/ एलएलपी/ विलयनों/ निर्विलयनों/नेटवर्किंग संबंधित विषयों और प्रशासनिक तथा नीतिगत विवक्षाओं वाली संस्थान की अन्य समितियों/विभागों से प्राप्त प्रस्तावों तथा जब कभी अपेक्षित हो, इसकी सिफारिशें परिषद् को करने से संबंधित विषयों पर विचार करने संबंधी कार्य करना आज्ञापक हैं।

5.27 मूल्यांकन मानक बोर्ड

मूल्यांकन मानक बोर्ड का विजन भारत में विद्यमान मूल्यांकन मानकों (आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018) को सर्वोत्तम वैश्विक व्यवहारों के समरूप बनाना है। इस विजन की पूर्ति हेतु बोर्ड का उद्देश्य भारत और भारत से बाहर, दोनों जगह आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में जागरुकता का सृजन करना तथा उनके कार्यान्वयन को संवर्धित करना है। ज्ञान के प्रचार-प्रसार के अलावा बोर्ड, अपने विजन की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा ली गई पहलों के संबंध में सरकार के साथ निकट रूप से कार्यकरण भी कर रहा है।

महत्वपूर्ण उपलब्धियां और पहलें

(I) सरकार के साथ विधि निर्माण प्रक्रिया को सुकर बनाना

- **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ सहयोग**

  बोर्ड सक्रिय रूप से भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ विनियामक पहलूओं के संबंध में कार्य कर रहा है, जिससे मूल्यांकन वृत्ति के संबंध में जागरुकता का सृजन किया जा सके।

  बोर्ड ने वर्ष के दौरान वेबकासटों और वीसीएम का आयोजन किया, जिनमें बोर्ड ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के वरिष्ठ अधिकारियों को उक्त वेबकास्टों/वीसीएम को संबोधित करने तथा अपने परिप्रेक्ष्य को सदस्यों से साझा करने हेतु आमंत्रित किया :

  - 23 अप्रैल, 2021 को "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन संबंधी मुद्दे" विषय पर एक वेबकास्ट को मुख्य महाप्रबंधक, आईबीबीआई ने संबोधित किया।
  - 11 जुलाई, 2021 को वरिष्ठ आईबीबीआई पदधारियों द्वारा "मूल्यांकन रिपोर्टों के पियर पुनर्विलोकनों में किए गए संप्रेक्षणों से सीख" विषय पर एक वीसीएम का आयोजन किया।

- **कारपोरेट कार्य मंत्रालय की आईसीएलएस अकादमी के साथ संयुक्त रूप से आईसीएलएस अधिकारियों के लिए मूल्यांकन पाठ्यक्रम का संचालन**

  भारत कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) अकादमी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि आईसीएआई आईसीएलएस अधिकारियों के लिए मूल्यांकन संबंधी इन सर्विस कार्यक्रम का संचालन करे। इस संबंध में, छह दिन की अवधि का एक ब्यौरेवार माड्यूल तैयार किया गया है, जिसमें 20 अधिकारियों के एक बैच को सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार, शीघ्र ही मूल्यांकन संबंधी इन सर्विस कार्यक्रमों को आरंभ किया जाएगा।

(II) सरकार/कारपोरेट कार्य मंत्रालय/अन्य अभिकरणों को प्रस्तुति

- **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से प्राप्त पत्र, जिसके द्वारा आरभिक जांच पड़ताल के संबंध में जानकारी हेतु अनुरोध किया गया था, के प्रत्युत्तर में उत्तर का भेजा जाना।**

  आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड को 26 अप्रैल, 2022 को सीबीआई से एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें 28 अप्रैल, 2022 तक उक्त पत्र का उत्तर देने का अनुरोध किया गया था।

  इस संबंध में बोर्ड ने 28 अप्रैल, 2022 को भारत में टेलीकाम टावर कंपनियों के मूल्यांकन संबंधी एक संक्षिप्त टिप्पण को

प्रस्तुत किया था और इस तथ्य को साझा किया था कि वर्तमान में टेलीकाम टावर उद्योग के मूल्यांकन के संबंध में आईसीएआई के पास कोई दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं है।

बोर्ड ने "टेलीकाम टावर उद्योग में कारबार के मूल्यांकन संबंधी दिशानिर्देश" को तैयार किया तथा 8 जून, 2022 को उसे सीबीआई को अग्रेषित किया गया। इन दिशानिर्देशों में सकल टेलीकाम उद्योग, जिसके अंतर्गत टेलीकाम प्रचालक और टेलीकाम टावर उद्योग, कारबार मूल्यांकन पद्धति प्रयुक्त मूल्यांकन दृष्टिकोण तथा पद्धतियां, टेलीकाम टावर उद्योग का पूर्व इतिहास तथा भावी प्रवृत्तियां और इस उद्योग के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भी थे, का अध्ययन सम्मिलित किया गया था।

- **स्टार्ट अप, स्केल अप और विकास कंपनियों के लिए पूंजी उपलब्ध कराए जाने और निवेश संबंधी निवेशों को बढ़ावा देने के संबंध में 'कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों के सुव्यवस्थीकरण' संबंधी आईवीसीए की 2021-22 की प्रस्तुति के संबंध में सिफारिशें।**

  कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से यह अनुरोध किया था कि वह 'कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों के सुव्यवस्थीकरण' विषय तथा स्वतंत्र पक्षकारों के बीच संव्यहारों में उचित बाजार मूल्य सिद्धांत को लागू किए जाने संबंधी प्रगतिशील दृष्टिकोण के विषयों की, जिन्हें स्टार्ट अप इको सिस्टम के वित्तपोषण संबंधी वित्त की स्थायी समिति की 12वीं रिपोर्ट (2019-20) में सम्मिलित किया गया था, समीक्षा करे और उनके संबंध में उसे सुझाव प्रस्तुत करे।

  स्टार्ट अप, स्केल अप और विकास कंपनियों के लिए पूंजी उपलब्ध कराए जाने और निवेश संबंधी निवेशों को बढ़ावा देने के संबंध में 'कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों के सुव्यवस्थीकरण' संबंधी आईवीसीए की 2021-22 की प्रस्तुति के संबंध में आईसीएआई की सिफारिशों को सम्मिलित करते हुए एक ब्यौरेवार पत्र तैयार किया गया था तथा उसे 18 अगस्त, 2021 को कारपोरेट कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया था।

- **प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) द्वारा जारी मूल्यांकन और गुडविल सर्वेक्षण के संबंध में आईसीएआई के अंत:निवेशों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को प्रस्तुत किया जाना।**

  भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से 8 फरवरी, 2022 को एक ई-मेल प्राप्त हुई थी, जिसमें भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान से यह अनुरोध किया गया था कि वह प्रतिभूति आयोगों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के संबंध में अपने अंत:निवेशों को साझा करे, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन और गुडविल पर प्रश्नोत्तर भी सम्मिलित थे।

  आईसीएआई ने 23 फरवरी, 2022 को सेबी को मूल्यांकन और गुडविल दोनों विषयों पर अपने अंत:निवेश उपलब्ध कराए थे।

(III) मूल्यांकनों को अनिवार्य करने तथा आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अंगीकृत करने के संबंध में विनियामकों/बैंकों को अभ्यावेदन

बोर्ड निम्नलिखित विनियामकों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाने संबंधी कार्यवाही कर रहा है, जिसके माध्यम से उनसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा किए जाने वाले मूल्यांकनों को उनकी अपनी-अपनी विधियों और विनियमों के अधीन आज्ञापक बनाए और साथ ही उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अपनाए :

- **कारपोरेट कार्य मंत्रालय –** इंड एएस के अधीन मूल्यांकन रिपोर्ट को आज्ञापक बनाने का अनुरोध, जहां रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा जारी की जाने वाली पृथक् मूल्यांकन रिपोर्ट अपेक्षित है और साथ ही ऐसे मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अपनाए जाने का अनुरोध।

- **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड –** विनियमों के अधीन मूल्यांकन को आज्ञापक बनाने का अनुरोध तथा सेबी द्वारा जारी अन्य अपेक्षाओं आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के अनुसार पूरे किए जाने का अनुरोध।

- **भारतीय रिजर्व बैंक –** अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों को पैनलबद्ध किए जाने की प्रक्रिया के दौरान सम्मिलित न किए जाने का अनुरोध तथा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अपनाने का अनुरोध।

- **भारतीय स्टेट बैंक -** अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानकों को पैनलबद्ध किए जाने की प्रक्रिया के दौरान सम्मिलित न किए जाने का

अनुरोध तथा रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों द्वारा मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अपनाने का अनुरोध।

- **केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड –** आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आज्ञापक मूल्यांकन को किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा कराए जाने को आज्ञापक बनाने का अनुरोध तथा ऐसे मूल्यांकन के लिए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अपनाने का अनुरोध।

(IV) व्यवसाय के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में मूल्यांकन के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए प्रमुख विश्वविद्यालयों और प्रमुख प्रबंधन संस्थानों से जुड़ना और सहयोग करना तथा छात्रों और युवा वृत्तिकों के बीच आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 का संवर्धन और कार्यान्वयन करना।

बोर्ड ने व्यवसाय के उभरते हुए क्षेत्र के रूप में मूल्यांकन के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए भारत के 14 प्रमुख विश्वविद्यालयों और प्रमुख प्रबंधन संस्थानों से जुड़ने और उनके साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया है तथा साथ ही वह छात्रों और युवा वृत्तिकों के बीच आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 का संवर्धन और कार्यान्वयन करने के प्रति प्रक्रियाएं कर रहा है।

बोर्ड इन संस्थानों में मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानकों के विभिन्न पहलूओं के संबंध में छात्रों के लिए कार्यक्रम/संगोष्ठियों/वेबकास्टों का आयोजन करने की योजना बना रहा है।

(V) अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों को सहयोग और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बैठकें/सभाएं

- **अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक परिषद्, यूके का सदस्य**

  आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक परिषद् का एक सक्रिय सदस्य है।

- **आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के आउटरीच के लिए साफा देशों के साथ परस्पर क्रियाएं**

  साफा देशों के बीच एकसमान मूल्यांकन मानक स्थापित किए जाने और साथ ही आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के अंगीकरण का संवर्धन किए जाने के विचार से 30 जुलाई, 2021 को आयोजित साफा लेखांकन मानक समिति की बैठक में एक प्रस्तुतिकरण किया गया था।

  इस प्रस्तुतिकरण को अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि साफा बोर्ड अपनी अगली साफा बैठक में आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अपनाए जाने के विषय में विचार करेगा।

- **आईसीएआई द्वारा जारी आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 की आउटरीच के लिए 8 मार्च, 2022 को आयोजित सीए मालदीवस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में एक प्रस्तुति।**

  मूल्यांकन मानक बोर्ड ने 8 मार्च, 2022 को मालद्वीव के महा संपरीक्षक और सीए मालदीवस के अध्यक्ष के नेतृत्व में सीए मालदीवस के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक में एक प्रस्तुतिकरण किया था । यह प्रस्तुतिकरण आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में किया गया था, जिसमें आईसीएआई मूल्यांकन मानकों, 2018 को तैयार किए जाने की यात्रा का संक्षिप्त वर्णन किया गया तथा मूल्यांकन क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई।

  इस प्रस्तुतिकरण को काफी सराहना प्राप्त हुई थी और यह विनिश्चय किया गया था कि सीए मालदीवस आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 को अपनाए जाने पर विचार करेगा। आईसीएआई ने मूल्यांकन के क्षेत्र में सीए मालदीवस के साथ निकटवर्ती रूप से कार्य करने का भी प्रस्ताव किया और साथ ही मालदीवस में मूल्यांकन वृत्ति को आगे और सुदृढ़ बनाने हेतु सहयोग करने का भी प्रस्ताव किया।

- **नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेट्स संस्थान के सदस्यों के लिए 9 जून से 12 जून, 2022 के दौरान आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में चार दिवसीय महासभा का आयोजन**

- आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेट्स संस्थान (आईसीएएन) के सहयोग से नेपाल के चार्टर्ड अकाउंटेट्स संस्थान के सदस्यों के लिए 9 जून से 12 जून, 2022 के दौरान आईसीएआई के मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में चार दिवसीय महासभा का आयोजन किया। इस महासभा का आयोजन आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और साथ ही प्रतिभूतियों और वित्तीय आस्तियों के मूल्यांकन में अंतर्वलित व्यवहारिक और प्रक्रियात्मक अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए किया गया था।

(VI) आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 के संबंध में ई-पठन माड्यूलों/पाठ्यक्रमों को तैयार किया जाना और आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर अपलोड किया जाना

ई-पठन पाठ्यक्रमों में प्रत्येक मानक के संबंध में मशीन आडियो, बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा स्वनिर्धारण हेतु बहु विकल्प प्रश्नों के साथ एक परस्पर क्रियाशील प्रस्तुति भी अंतर्विष्ट है । आईसीएआई के डिजीटल पठन केंद्र पर सदस्यों के पठन और फायदे के लिए 10 पाठ्यक्रमों को अपलोड किया गया है और इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने पर 1 संरचित सीपीई घंटे का क्रेडिट प्रदान किया जाएगा ।

(VII) प्रकाशन

वर्ष 2022-23 के दौरान

वर्ष 2022-23 के दौरान मूल्यांकन मानक बोर्ड ने मूल्यांकन की वृत्ति में नियोजित सदस्यों और अन्य पणधारियों के लिए महत्व के विषयों पर तीन प्रकाशनों को जारी किया है ।

- **बुकलेट : मूल्यांकन – "वस्तु-सूची का मूल्यांकन – लेखांकन की तुलना में मूल्यांकन पहलू" विषय पर वीसीएमएटीक्यू श्रृंखला 15**

  मूल्यांकन : वीसीएमएटीक्यू की बुकलेट श्रृंखला के अधीन जारी 14 श्रृंखलाओं की कड़ी को आगे बढाते हुए बोर्ड ने बुकलेट : मूल्यांकन – "वस्तु-सूची का मूल्यांकन – लेखांकन की तुलना में मूल्यांकन पहलू" विषय पर वीसीएमएटीक्यू श्रृंखला 15 को जारी करने की योजना तैयार की है । उपरोक्त विषय पर 12 अप्रैल, 2022 को आयोजित एक लाइव वीसीएम के दौरान उठाए गए प्रश्नों के आधार पर बोर्ड ने 1 जुलाई को बुकलेट के रूप में उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को जारी किया है ।

- **प्रकाशन – आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड और आईसीएआई आरवीओ द्वारा जारी टेलीकाम टावर उद्योग कारबार के मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड**

  इस तकनीकी गाइड में सकल टेलीकाम उद्योग के संबंध में अध्ययन को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत टेलीकाम प्रचालक और टेलीकाम टावर उद्योग, कारबार मूल्यांकन पद्धति, प्रयुक्त मूल्यांकन दृष्टिकोण और पद्धतियां, टेलीकाम टावर उद्योग का पूर्व इतिहास और भावी प्रवृत्तियां और साथ ही इस उद्योग के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक भी हैं । यह प्रकाशन 1 जुलाई को जारी किया गया ।

- **प्रकाशन – आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड और आईसीएआई आरवीओ द्वारा प्रकाशित "मूल्यांकन वृत्तिकों की अंतर्दृष्टि श्रृंखला – VII"**

  इस प्रकाशन का उद्देश्य मूल्यांककों को मूल्यांकन के क्षेत्र में अनुभवी वृत्तिकों द्वारा अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्रदान करना है । इस प्रकाशन में अनिवार्य मूल्यांकन विषयों और उभरते मुद्दों जैसे कि ऋण मूल्यांकन, अमूर्त मूल्यांकन और ईएसजी मूल्यांकन आदि पर ध्यान केंद्रित करते हुए वृत्तिक मूल्यांककों द्वारा लिखे गए विभिन्न लेख अंतर्विष्ट हैं । यह प्रकाशन भी अन्य छह श्रृंखलाओं की भांति विभिन्न मूल्यांकन विषयों पर लिखे गए लेखों का संकलन है, जिन्हें इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लेखबद्ध किया गया है । यह प्रकाशन 1 जुलाई को जारी किया गया ।

वर्ष 2021-22 के दौरान

वर्ष 2021-22 के दौरान मूल्यांकन मानक बोर्ड ने मूल्यांकन की वृत्ति में सदस्यों और अन्य पणधारियों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर 21 प्रकाशनों को जारी किया है ।

- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 1 - अस्वीकरण, मूल्यांकन रिपोर्ट में परिसीमाएं - क्या वे वास्तविक भी हैं ?
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 2 - क्या डीसीएफ कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल्यांकन के लिए सबसे लोकप्रिय पद्धति है ?
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 3 – क्या डीसीएफ आय-कर अधिनियम के अधीन शेयरों के मूल्यांकन की एकमात्र पद्धति है ?
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 4 – लघु धृति मूल्यांकन : प्राय: असंतोषप्रद ?
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 5 - मूल्यांकन रिपोर्टें - क्या करें और क्या न करें - उनका किस सीमा तक पालन किया जाता है ?

- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 6 – मूल्यांकन की तारीख, मूल्यांकन रिपोर्ट की तारीख और इन दोनों तारीखों के बीच की घटनाएं !
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 7 - मूल्यांकन संबंधी न्यायिक घोषणाओं से सीख – ये निर्णय और निष्कर्ष अब कहां तक प्रासंगिक हैं ?
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 8 - मूल्यांकन रिपोर्टों के पियर पुनर्विलोकन के संप्रेक्षणों से सीख
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 9 - ईएसओपी मूल्यांकन - मॉडल और मुद्दे
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 10 - स्टार्टअप्स का मूल्यांकन
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 11 - ब्रांड मूल्यांकन – यह किस प्रकार मूल्य को प्रभावित करता है ?
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 12 – मूल्यांकन में सम्यक् तत्परता
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 13 - जटिल प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
- मूल्यांकन : वीसीएम एटीक्यू सीरीज 14 - उचित मूल्य – क्रय मूल्य आबंटन
- प्रकाशन : "मूल्यांकन : वृत्तिकों की अंतर्दृष्टि श्रृंखला - 6"
- प्रकाशन : रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों संबंधी हैंडबुक
- बुकलेट : "विभिन्न विधियों के अधीन मूल्यांकन की ट्रिगर तारीखों का कैलेंडर"
- प्रकाशन : मूल्यांकन में बट्टा प्राप्त दरों के प्राक्कलन संबंधी अवधारणा पत्र
- प्रकाशन का विमोचन : "वस्तु-सूची" संबंधी अवधारणा पत्र
- बुकलेट : "एलआईबीओआर संपरिवर्तन - मूल्यांकन गाइड"
- प्रकाशन का विमोचन : "मूल्यांकन में न्यायिक उदघोषणाएं"

(VIII) कार्यक्रम/ सम्मेलन/ वेबकास्ट/ पाठ्यक्रम

वर्ष 2021-22 के दौरान

- **"मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018" के संबंध में चार दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड ने एक ऐसी पठन पद्धति के माध्यम से, जो अवधारणाओं को उपयोजनों के साथ मिश्रित करती है, सदस्यों को आस्तियों तथा दायित्वों के मूल्यांकन में विशेषज्ञता अर्जित करने में सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018" के संबंध में चार दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया था।

क्रम सं.	वीसीएम/प्रशिक्षण कार्यक्रम	निम्नलिखित तारीख को आयोजित	स्थान
1.	प्रथम बैच का आयोजन : मूल्यांकन मानक बोर्ड, आईसीएआई द्वारा, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की नासिक शाखा द्वारा की गई	2 जून से 5 जून, 2021	वर्चुअल
2.	दूसरे बैच का आयोजन : मूल्यांकन मानक बोर्ड, आईसीएआई द्वारा, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की नागपुर शाखा द्वारा की गई	27 जुलाई से 30 जुलाई, 2021	वर्चुअल

- **मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा 23 मई, 2021 को "मूल्यांकन विशेषज्ञों के साथ रविवार" नामक लाइव वीसीएम/वेबकास्ट श्रृंखला का शुभारंभ, 30 जून, 2021 तक छह वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन और अन्य अनेक की योजना का तैयार किया जाना।**

आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा 23 मई, 2021 को "मूल्यांकन विशेषज्ञों के साथ रविवार" नामक वेबकास्ट श्रृंखला का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रत्येक रविवार को मूल्यांकन की वृत्ति के लिए महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में वृत्ति के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की जाती है। आयोजित की गई वीसीएम/वेबकास्टों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

- सीरीज 1 - अस्वीकरण, मूल्यांकन रिपोर्ट में परिसीमाएं - क्या वे वास्तविक भी हैं ?

- सीरीज 2 - क्या डीसीएफ कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन मूल्यांकन के लिए सबसे लोकप्रिय पद्धति है ?
- सीरीज 3 – क्या डीसीएफ आय-कर अधिनियम के अधीन शेयरों के मूल्यांकन की एकमात्र पद्धति है ?
- सीरीज 4 – लघु धृति मूल्यांकन : प्राय: असंतोषप्रद ?
- सीरीज 5 - मूल्यांकन रिपोर्टें - क्या करें और क्या न करें - उनका किस सीमा तक पालन किया जाता है ?
- सीरीज 6 – मूल्यांकन की तारीख, मूल्यांकन रिपोर्ट की तारीख और इन दोनों तारीखों के बीच की घटनाएं !
- सीरीज 7 - मूल्यांकन संबंधी न्यायिक घोषणाओं से सीख – ये निर्णय और निष्कर्ष अब कहां तक प्रासंगिक हैं ?
- सीरीज 8 - मूल्यांकन रिपोर्टों के पियर पुनर्विलोकन के संप्रेक्षणों से सीख
- सीरीज 9 - ईएसओपी मूल्यांकन - मॉडल और मुद्दे
- सीरीज 10 - स्टार्टअप्स का मूल्यांकन
- सीरीज 11 - ब्रांड मूल्यांकन – यह किस प्रकार मूल्य को प्रभावित करता है ?
- सीरीज 12 – मूल्यांकन में सम्यक् तत्परता
- सीरीज 13 - जटिल प्रतिभूतियों का मूल्यांकन
- सीरीज 14 - उचित मूल्य – क्रय मूल्य आबंटन
- आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा 23 अप्रैल, 2021 को "दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन मूल्यांकन संबंधी मुद्दे" विषय पर लाइव वेबकास्ट का आयोजन ।
- आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) संबंधी क्रियाकलाप : 26 अक्तूबर, 2021 को "आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018 और मूल्यांकन रिपोर्ट में अस्वीकरण, केवियट और परिसीमाओं संबंधी दिशानिर्देश" विषय पर लाइव वेबकास्ट का आयोजन ।
- लाइव वीसीएम : 10 जुलाई, 2021 को "मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018" विषय पर आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा वर्चुअल सीपीई बैठक (वीसीएम) का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की विशाखापट्टनम शाखा द्वारा की गई ।

वर्ष 2022-23 के दौरान

- 28 मई, 2022 को आईसीएआई भवन, तिरुवंतपुरम् में "मूल्यांकन और आईसीएआई मूल्यांकन मानक, 2018" विषय पर आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी की तिरुवंतपुरम् शाखा द्वारा की गई ।
- आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) संबंधी क्रियाकलाप – 12 अप्रैल, 2022 को आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा आईसीएआई के लेखांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से "वस्तु-सूची का मूल्यांकन – लेखांकन की तुलना में मूल्यांकन पहलू" विषय पर एक वीसीएम का आयोजन ।
- आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) संबंधी क्रियाकलाप – 19 अप्रैल, 2022 को आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड द्वारा आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से "मूल्यांकन – आईबीसी, 2016 के अधीन प्रमुख पहलू" विषय पर एक वीसीएम का आयोजन ।

5.28 कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन बोर्ड (टीएक्यूआरबी)

विभिन्न (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) कराधान विधियों के अधीन अनुपालन की रिपोर्टिंग में सुधार करने के लिए कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन वर्ष 2018 में संस्थान द्वारा किया गया है । यह अनुकल्पना की गई है कि बोर्ड द्वारा किए गए पुनर्विलोकन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के अधीन विहित विभिन्न रिपोर्टों को प्रमाणित करते समय सदस्य अधिक सावधानी और तत्परता बरतेंगे तथा दीर्घ समय में उनके द्वारा की गई संपूर्ण रिपोर्टिंग तथा प्रमाणीकरण में सुधार होगा ।

(I) परिषद् वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान चयनित कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन की प्रास्थिति

बोर्ड ने परिषद् वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए 100 कंपनियों का चयन स्वप्रेरणा से क्रमश: निर्धारण वर्ष 2017-18 और 2019-20 के संबंध में उनकी कर संपरीक्षा रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के लिए किया । इस संबंध में 189 कर संपरीक्षा रिपोर्टें कर संपरीक्षकों से प्राप्त हुई हैं । इन रिपोर्टों में से 185 रिपोर्टों का प्रारंभिक पुनर्विलोकन बोर्ड के पास पैनलबद्ध तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा पूर्ण किया गया है । इनमें से 172 प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टें उन रिपोर्टों को द्वितीयक पुनर्विलोकन के लिए विभिन्न बोर्ड सदस्यों के समन्वय के अधीन गठित कराधान संपरीक्षा गुणवत्ता पुनर्विलोकन समूहों को सौंपा गया है । इन समूहों की रिपोर्टों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है ।

पुनर्विलोकनों के आधार पर :

- सदस्यों को इस संबंध में सलाह जारी की जा रही है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की त्रुटियों को दोहराया न जाए ।
- कर संपरीक्षा रिपोर्ट ई-फाइलिंग उपयोगिता में परिवर्तनों के लिए सीबीडीटी को संप्रेक्षित किए जाने हेतु सुझावों की पहचान की गई है ।
- ऐसे सुझावों की पहचान की गई है, जिन्हें कर संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण के आगामी संस्करण में सम्मिलित किया जा सकता है ।
- सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने के प्रयोजन के लिए कर संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितिताओं तथा किए गए अननुपालनो की पहचान की गई है ।

(II) सदस्यों के लिए पहलें

- **वेबीनार**

सदस्यों के बीच जागरुकता का सृजन करने के लिए बोर्ड ने निम्नलिखित लाइव वेबीनारों का आयोजन :

- 25.05.2021 (मंगलवार) को "धारा 44कख – प्ररूप सं. 3गक/सं. 3गख – सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितताएं"
- 16.06.2021 (बुधवार) को "धारा 44कख- प्ररूप संख्या 3गक/3गख के संबंध में आयोजित वेबीनार के दौरान उठाई गई शंकाओं का समाधान"
- 21.07.2021 (बुधवार) को "सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितताएं – प्ररूप सं. 3गघ का खंड 1-15"
- 09.08.2021 (सोमवार) को " सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितताएं - प्ररूप सं. 3गघ का खंड 16-30" -
- 24.08.2021 (मंगलवार) को " सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितताएं - प्ररूप सं. 3गघ का खंड 30क-44"
- 12.10.2021 (मंगलवार) को "कर संपरीक्षा अनुपालनों का महत्व - करदाता, राजस्व और चार्टर्ड एकाउंटेंट - पैनल चर्चा"
- 04.06.2022 (शनिवार) को "आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर संपरीक्षा के व्यावहारिक पहलुओं पर पैनल चर्चा"

इन वेबीनारों को सदस्यों से अत्यधिक सराहना प्राप्त हुई थी ।

- **संगोष्ठियां**

- 25.08.2021 को – कर संपरीक्षा रिपोर्ट में सामान्य त्रुटियां और कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की प्रत्याशाएं विषय पर संगोष्ठी, जिसकी मेजबानी टीएक्यूआरबी द्वारा आईसीएआई की ईआईआरसी की कटक शाखा के साथ की गई ।
- 29.08.2021 को धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा रिपोर्ट और उसमें सामान्य रूप से पाई जाने वाली अनियमितताएं विषय पर संगोष्ठी, जिसकी मेजबानी टीएक्यूआरबी द्वारा आईसीएआई की ईआईआरसी की सिलीगुड़ी शाखा के साथ की गई ।

- **अनुकूलन कार्यक्रम**
    - 14.05.2021 को कराधान संपरीक्षा क्वालिटी पुनर्विलोकन समूह के सदस्यों के लिए एक अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन।
- **चार्टर्ड अकाउंटेंट के जर्नल में लेख का योगदान**
    - स्ट्रेंथनिंग टैक्स ऑडिट - एन्हांसिंग रिपोर्टिंग क्वालिटी नामक एक लेख का प्रकाशन चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के मई, 2021 संस्करण में किया गया।

ऊपर वर्णित किए गए उपायों से यह आशा की जाती है कि वे सदस्यों द्वारा की जाने वाली कर संपरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करेंगे।

5.29 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति (सीआईएंडबीसी)

आईसीएआई की दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी समिति का गठन दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता विधियों पर विशेष बल देने के लिए किया गया है। यह एक उभरता हुआ क्षेत्र है तथा इसने सदस्यों के लिए एक नए वृत्तिक अवसर का सृजन किया है। समिति का उद्देश्य विधि के व्यवहारिक पहलुओं तथा प्रक्रिया पर बड़े पैमाने पर सदस्यों में दिवाला समाधान के क्षेत्र में व्यवहारों तथा सदस्यों के बीच इस नए क्षेत्र तथा विधि की प्रक्रियाओं तथा व्यवहारिक पहलूओं के संबंध में जागरुकता लाना तथा सदस्यों को शिक्षित करना है।

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की ओर

- आईसीएआई भारत सरकार द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के कार्यान्वयन के पुनर्विलोकन हेतु स्थायी समिति के रूप में गठित दिवाला विधि समिति के सदस्य के रूप में योगदान दे रहा है।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन सीमापार दिवाला के संबंध में तारीख 24 नवंबर, 2021 की अपनी सूचना के माध्यम से जनता से टीका-टिप्पणियों को आमंत्रित किया था। इस संबंध में, आईसीएआई द्वारा अपने सुझावों को विनिर्दिष्ट रूप से उपलब्ध कराए गए वेब लिंक पर अपलोड किया गया था।
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन निगम दिवाला समाधान और परिसमापन ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में तारीख 23 दिसंबर, 2021 की अपनी सूचना के माध्यम से जनता की टीका-टिप्पणियों को आमंत्रित किया था। इस संबंध में, आईसीएआई द्वारा अपने सुझावों को विनिर्दिष्ट रूप से उपलब्ध कराए गए वेब लिंक पर अपलोड किया गया था।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 15 फरवरी, 2022 को किसी निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया में वृत्तिकों के नियोजन और नियुक्ति के संबंध में एक परिचर्चा पत्र जारी किया था और उसने सीआईआरपी (निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमों के विनियम 27 में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में जनता से टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की थी। इस संबंध में, आईसीएआई द्वारा अपने सुझावों को आईबीबीआई के पोर्टल पर अपलोड किया गया था।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 31 मार्च, 2022 को "शिकायत समाधान और प्रवर्तन तंत्र का पुनर्विलोकन" विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया था और उसने उसके संबंध में जनता से इलैक्ट्रानिक रूप में टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की थी। इस संबंध में, आईसीएआई द्वारा अपने सुझावों को आईबीबीआई के पोर्टल पर अपलोड किया गया था।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 8 अप्रैल, 2022 को "सूचना उपयोगिता की प्रभाविकता में अभिवृद्धि" विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया था और उसने उसके संबंध में जनता से इलैक्ट्रानिक रूप में टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की थी। इस संबंध में, आईसीएआई द्वारा अपने सुझावों को आईबीबीआई के पोर्टल पर अपलोड किया गया था।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 13 अप्रैल, 2022 को निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया में होने वाले विलंबों में कमी लाने से संबंधित मुद्दों के विषय पर एक परिचर्चा पत्र जारी किया था और उसने उसके संबंध में जनता से इलैक्ट्रानिक रूप में टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की थी। इस संबंध में, आईसीएआई द्वारा अपने सुझावों को आईबीबीआई के पोर्टल पर अपलोड किया गया था।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने 9 जून, 2022 को दिवाला वृत्तिक के पारिश्रमिक के विषय पर

एक परिचर्चा पत्र जारी किया था और उसने उसके संबंध में जनता से इलैक्ट्रानिक रूप में टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की थी। इस संबंध में, आईसीएआई द्वारा अपने सुझावों को आईबीबीआई के पोर्टल पर अपलोड किया गया था।

(II) समिति द्वारा प्रकाशनों को जारी किया जाना

- **आईबीसी के अधीन महत्वपूर्ण विषयों पर सुगम और सरल पुस्तिकाएं**
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन ऋण स्थगन संबंधी पुस्तिका।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन समाधान योजना संबंधी पुस्तिका।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन निगम ऋणियों के निजी प्रतिभू संबंधी पुस्तिका।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन आईपी के संबंध में किए जाने वाले और न किए जाने वाले कार्यों संबंधी पुस्तिका।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन दावों संबंधी पुस्तिका।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन परिसमापन प्रक्रिया और स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका।
  - दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन प्री पैकेज दिवाला समाधान प्रक्रिया संबंधी पुस्तिका।
- समिति ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के सहयोग से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के संबंध में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्नों संबंधी एक प्रकाशन (पुनरीक्षित जनवरी, 2022 संस्करण) निकाला है।

(III) आईबीसी मामला विधियों संबंधी अद्यतन जानकारी

आईबीसी मामला विधियों संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित आधार पर उपलब्ध कराए जाने संबंधी इस वर्ष की गई पहल के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, एनसीएलएटी और एनसीएलटी द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर दिए गए निर्णयों के आधार पर महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित विश्लेषण को सम्मिलित करते हुए समिति ने मार्च 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान 13 अद्यतन प्रकाशनों को निकाला है।

(IV) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के महत्व को तथा उसमें विद्यमान वृत्तिक अवसरों को ध्यान में रखते हुए समिति ने साधारण रूप से सदस्यों के फायदे के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ किया है।

समिति ने अभी तक आनलाइन पद्धति से इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के चार बैचों का संचालन किया है। समिति द्वारा उक्त प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीसरे और चौथे बैच का संचालन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के सहयोग से किया गया है।

(V) आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा हेतु तैयारी करने संबंधी समिति द्वारा आईबीसी से संबंधित तीन दिवसीय/चार दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन

आईबीबीआई सीमित दिवाला परीक्षा हेतु तैयारी करने संबंधी समिति द्वारा एक तीन दिवसीय/चार दिवसीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की विभिन्न शाखाओं द्वारा की गई।

(VI) विशेषीकृत पाठ्यक्रम : आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान के साथ संयुक्त रूप से सीमित दिवाला परीक्षा के लिए तैयारी कराए जाने संबंधी वर्चुअल पाठ्यक्रम

समिति ने आईआईआईपीआई के साथ संयुक्त रूप से सीमित दिवाला परीक्षा के लिए तैयारी कराए जाने संबंधी वर्चुअल पाठ्यक्रम के चार बैचों का संचालन किया है।

(VII) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

समिति और आईआईआईपीआई ने संयुक्त रूप से 27, 28 और 29 अगस्त, 2021 के दौरान आनंद, गुजरात में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी

द्वारा की गई ।

(VIII) आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) के साथ संयुक्त रूप से आईबीसी सभा (हाईब्रिड) का आयोजन

समिति ने 9 अक्तूबर, 2021 को आईसीएआई के भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) के साथ संयुक्त रूप से आईबीसी सभा (हाईब्रिड) का भौतिक-सह-वर्चुअल पद्धति में आयोजन किया ।

(IX) वेबकास्ट/वर्चुअल सीपीई बैठकें (वीसीएम)

समिति ने, आईबीसी के पर्यावलोकन और उसकी यात्रा तथा संहिता के अधीन सीए के लिए वृत्तिक अवसर, आईबीसी में हाल ही में हुए परिवर्तन और संहिता के अधीन सीए के लिए वृत्तिक अवसर, आईबीसी के अधीन निगम ऋणदाताओं के निजी प्रतिभू संबंधी विषयों पर लाइव वेबकास्टों/वर्चुअल सीपीई बैठकों का आयोजन किया था, इसके अतिरिक्त, आईबीसी के अधीन एमएसएमई के लिए पैकेज पूर्व दिवाला समाधान प्रक्रिया, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 से संबंधित नवीनतम घटनाओं, आईबीसी के अधीन दिवाला समाधान और परिसमापन के अधीन कंपनियों के लिए कराधान संबंधी पहलू, मूल्यांकन-आईबीसी 2016 के अधीन प्रमुख पहलू, आईबीसी के अधीन स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया – महत्वपूर्ण पहलू, आईबीसी के अधीन परिसमापन प्रक्रिया – महत्वपूर्ण पहलू, आईबीसी के अधीन समाधान योजना – महत्वपूर्ण पहलू के संबंध में पैनल परिचर्चा का आयोजन किया गया था और साथ ही दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संबंधी एक दो दिवसीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था । आईबीसी संबंधी समिति द्वारा एक वीसीएम श्रृंखला का भी आयोजन किया गया था, अर्थात् निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी), पैकेज पूर्व दिवाला, दबावग्रस्त आस्तियों में अवसर और दबावग्रस्त आस्तियों का वित्तपोषण+ समाधान योजना और परिसमापन ।

5.30 महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी)

महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की एक गैर-स्थायी समिति है, जिसका सृजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन किया गया । महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) का सृजन वर्ष 2014 में किया गया था और उसके पश्चात् से वह महिला सदस्य सशक्तिकरण संबंधी समूह या महिला सदस्य सशक्तिकरण निदेशालय जैसे नामों के अधीन महिला सदस्यों के लिए कार्य कर रही है ।

राष्ट्र निर्माण में एक सच्चे भागीदार के रूप में आईसीएआई ने अपनी महिला सदस्यों के सशक्तिकरण के लिए योजनाएं, नीतियां और उपाय विरचित और कार्यान्वित करने के लिए एक समर्पित महिला सदस्य सशक्तिकरण समिति (डब्ल्यूएमईसी) की स्थापना की है । डब्ल्यूएमईसी विशेष रूप से क्षमता निर्माण पहलों, कौशल विकास क्रियाकलापों, विभिन्न रोजगार के अवसरों के बारे में जागरुक करके तथा अन्य समान साधनों के माध्यम से महिला सदस्यों की क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कार्य करती है ।

डब्ल्यूएमईसी ने वर्ष 2021-22 के लिए "बेहतर कल के लिए डिजीटल सशक्तिकरण" की थीम को अपनाया था और वर्ष 2022-23 के लिए समिति ने "महिला वृत्तिक – सशक्तिकरण से उत्कृष्टता" की थीम को अपनाया है और इसके अधीन वह आईसीएआई के सतत सहयोग और प्रोत्साहन से महिला चार्टर्ड अकाउंटेंटों को उनकी पूर्ण संभावनाओं के साथ उनके द्वारा वृत्तिक व्यवसाय, नियोजन, उद्यमशीलता या अन्य क्षेत्रों में चुनी गई वृत्तिक भूमिकाओं में प्रभावी रूप से कृत्य करने हेतु समर्थ बनाने के मिशन से कार्य कर रही है ।

(I) वर्ष 2021-22 के लिए डब्ल्यूएमईसी के क्रियाकलाप

- समिति ने निम्नलिखित डब्ल्यूएमईसी प्रकाशन निकाले हैं – "महिला निदेशकों की भूमिका" संबंधी पुनरीक्षित पुस्तिका, वृत्तिक विकास के लिए डिजीटल ब्राडिंग संबंधी पुनरीक्षित पुस्तिका, पीओएसएच अधिनियम और एसडीजी 5 संबंधी पुस्तिकाएं, नए युग के सदस्यों के लिए समकालीन वृत्तिक अवसर और महिला कल्याण के लिए फायदाप्रद राज्य नीतियां ।
- चूंकि जून, 2021 की सीए फाइनल परीक्षा में सभी लड़कियों ने ही, नए और पुराने, दोनों पाठ्यक्रमों में शीर्ष रैंक प्राप्त किया था इसलिए एक नवीन पहल के रूप में डब्ल्यूएमईसी ने शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली लड़कियों से परस्पर क्रिया की और उनसे यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया कि उन्होंने परीक्षा की तैयारी करने हेतु क्या रणनीति अपनाई थी और उनकी भविष्य की योजनाएं क्या है । इस संबंध में, अन्य छात्राओं और महिला सदस्यों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के लिए महिला पोर्टल पर अंतदृष्टि और प्रक्रिया को अपलोड किया गया ।
- समिति ने आईसीएआई जर्नल के अक्तूबर, 2021 अंक में "लेखांकन वृत्ति में महिलाओं का सशक्तिकरण" विषय पर एक लेख भी प्रकाशित किया ।

- आईसीएआई की डब्ल्यूएमईसी ने कतिपय स्वतंत्र निदेशकों से बातचीत की, जो भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बोर्डों में रहे हैं और उन्होंने स्वतंत्र निदेशकों की बदलती भूमिका को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। कंपनियों के बोर्डों में विद्यमान ऐसे सफल स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त हुई सीख/अनुभवों को ऐसी महिला सदस्यों के मार्गदर्शन हेतु पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जो पहले से ही निदेशक की हैसियत में कार्य कर रही हैं या कार्य करने की इच्छुक हैं।

- आईसीएआई महिला पोर्टल : यह पोर्टल डब्ल्यूएमईसी के अधीन कार्य कर रहा है और वह महिला सदस्यों की सहायता करता है, जिससे कि वे हमारी वृत्ति और अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दे सकें और साथ ही अपनी घरेलू प्रतिबद्धताओं को भी सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। 'महिला सदस्यों के लिए पोर्टल' हमारी महिला सदस्यों को एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराता है, जिसके द्वारा वे अपनी अपेक्षाओं को सामने रख सकती हैं और वे उनके लिए उपलब्ध कार्यकरण विकल्पों के अनुसार "घर से कार्य/अंशकालिक नौकरी करने" में समर्थ हो सकती हैं। डब्ल्यूएमईसी ने इस महिला पोर्टल का नवीनीकरण किया और इसमें अनेक नई विशिष्टियों और अतिरिक्त जानकारी को जोड़ा, जिससे महिला सदस्यों की जानकारी को अद्यतन बनाया जा सके। इस पोर्टल पर वीसीएम के दौरान सम्मिलित किए गए विभिन्न तकनीकी विषयों के संबंध में एफएक्यू, महिला सदस्यों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के लिए विभिन्न सफलता कहानियां भी सम्मिलित हैं, जिनसे प्रेरित होकर महिला सदस्य उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती हैं। इस पोर्टल पर सदस्यों के लिए आईसीएआई के मंच पर उपलब्ध वृत्तिक अवसरों का भी उल्लेख किया गया है तथा महत्वपूर्ण उपयोगी वेबसाइटों के लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय महिला आयोग, स्टार्ट अप इंडिया, आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र आदि।

- आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी पहल : भारत की आजादी के 75 वर्षों का समारोह मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा परिकल्पित देशव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी पहल के भागरूप में समिति ने विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी विषयों पर पांच कार्यक्रम/वीसीएम का आयोजन किया, जिनमें आत्मनिर्भर भारत, विश्व गुरु भारत आदि जैसी थीम के विषय सम्मिलित थे।

- महिला सदस्यों की सफलता की कहानियां : महिला सदस्यों को जीवन में और अधिक उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने और उन्हें प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए समिति ने महिला सदस्यों से उनकी सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया है। आज की तारीख तक डब्ल्यूएमईसी को देश भर से महिलाओं से ऐसी अनेक कहानियां प्राप्त हुई है। ऐसी महिला सीए की ये सफलता की कहानियां, जो वृत्ति के भीतर और वृत्ति से बाहर अपने कार्यक्षेत्र में ऊपर तक पहुंची, महिला पोर्टल पर रखी गई हैं।

- समिति ने "सेतु श्रृंखला – महिला सदस्यों की उपस्थिति को व्यवसाय के क्षेत्र में महसूस कराना तथा उसे परिलक्षित करना" के अधीन वीडियो अपलोड किए हैं, जो महिला सदस्यों के ज्ञान तथा सकल आत्मविश्वास को समृद्ध बनाते हैं। समिति ने वित्त परियोजना, आय-कर अधिनियम की आधारिक जानकारी, अप्रत्यक्ष करों, आनलाइन रूप से विवरणी फाइल किया जाना, आय-कर अधिनियम के अधीन शास्तिक उपबंध, लेखा और संपरीक्षा और नैतिक शास्त्र के व्यवहारिक पहलूओं आदि जैसे अनिवार्य विषयों को सम्मिलित करते हुए सेतु श्रृंखला से संबंधित वीसीएम का भी आयोजन किया।

- समिति ने महिला सदस्यों के लिए वैश्विक मंचों पर उपलब्ध विभिन्न वृत्तिक अवसरों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने और महिला सदस्यों को साधारण रूप से प्रोत्साहित करने के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विख्यात व्यक्तियों के साथ 25 से अधिक वेबीनारों/कार्यक्रमों का आयोजन किया है। समिति ने "महिला सदस्यों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए वृत्तिकों के लिए वैश्विक सक्षमता निर्माण पहल – अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य" विषय पर भी एक वेबीनार का आयोजन किया, जिसमें जेआईसीपीए – जापान, पीआईसीपीए – फिलीपिंस और पीएओडीसी आईएफएसी से अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं को आमंत्रित किया गया।

(II) वर्ष 2022-23 के लिए डब्ल्यूएमईसी के क्रियाकलाप – (30 जून, 2022 तक)

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2022 : अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2022 अर्थात् 8 मार्च, 2022 के समारोह के भागरूप में डब्ल्यूएमईसी ने निम्नलिखित क्रियाकलाप किए :

  - समिति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष वीसीएम का आयोजन किया। इस वीसीएम की थीम "महिला वृत्तिक – सशक्तिकरण से उत्कृष्टता" थी। इस वीसीएम को संबोधित करने वाले प्रख्यात वक्ताओं में सीए. भावना दोशी, सीए. आर.एम. विशाखा, सीए. भवानी बालासुब्रमणयन और सीए. संगीता शंकरन सुमेश सम्मिलित थी।

  - अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई की वीडियो बाइट को रिकार्ड किया गया तथा साधारण रूप से

पणधारियों के फायदे के लिए उन्हें महिला पोर्टल पर अपलोड किया गया । उन्हें भारत में स्थित सभी शाखाओं को भी अग्रेषित किया गया ताकि वे उसे महिला सदस्यों हेतु विशेष रूप से आयोजित कार्यक्रमों के दौरान टेलीकास्ट करें, जिससे देश भर में महिला सदस्यों को प्रोत्साहन और प्रेरणा प्राप्त हो ।

- एक जानकारी प्रदान करने वाले सोशल मीडिया क्रिएटिव का सृजन किया गया और उसे संस्थान के सोशल मीडिया मंचों पर अपलोड किया गया तथा महिला सदस्य सशक्तिकरण संबंधी समिति ने महिला सदस्यों के सशक्तिकरण के लिए आईसीएआई की एक पहल के रूप में उसका जोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया ।

- स्काई हाई – सिम्पोजियम : समिति स्काई हाई सिम्पोजियम के अधीन विभिन्न सत्रों का आयोजन करती है । स्काई हाई सिम्पोजियम वीसीएम की एक श्रृंखला है, जिसका आयोजन प्रत्येक बुधवार को महिला सदस्यों के फायदे के लिए किया जाता है । स्काई हाई सिम्पोजियम के अधीन ऊपर कथित तारीख तक 12 वीसीएम का आयोजन किया जा चुका है । आवश्यक सत्रों में जीएसटी अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों, वित्त अधिनियम में संशोधनों, नया सीएआरओ, 2020, लेखांकन और इंड एएस में अवसर, तनाव के स्तर को किस प्रकार झेलें आदि जैसे विषयों को सम्मिलित किया गया ।

- आजादी का अमृत महोत्सव – आईकोनिक दिवस समारोह : महिला सदस्य सशक्तिकरण संबंधी समिति ने 8 जून, 2022 को ललित होटल, नई दिल्ली में आईकोनिक दिवस समारोह के भागरूप में "महिलाएं – सशक्तिकरण से उत्कृष्टता तक – समकालीन परिप्रेक्ष्य" विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया । इस संगोष्ठी को प्रख्यात वक्ताओं द्वारा संबोधित किया गया, जिनमें सुश्री तलवी कुमार, कार्यपालक निदेशक – मल्टी आर्गन हार्ववेस्टिंग ऐड नेटवर्क (मोहन) फाउंडेशन – दिल्ली एनसीआर और डा. बोरनाली भंडारी – सीनीयर फैलो ऐट नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च (एनसीएईआर) सम्मिलित थे ।
- समिति ने आईसीएआई की समितियों/विभागों में एसडीजी 5 के अनुरूप लैंगिक समता लाने के लिए पदाभिधानों में परिवर्तन (चेयर मैन से चेयर पर्सन) करने की सिफारिश की और परिषद् द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है । चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17 में अपेक्षित संशोधनों को पहले ही परिषद् को अग्रेषित कर दिया गया है । इस संबंध में प्रस्ताव को अध्यक्ष, आईसीएआई के अनुमोदन के पश्चात् केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा ।

5.31 एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति

एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई का पर्यावलोकन

एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने संबंधी समय की आवश्यकता को महसूस करते हुए आईसीएआई की परिषद् ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति का आईसीएआई की एक प्रमुख गैर-स्थायी समिति के रूप में गठन किया है । इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारतीय एमएसएमई के लिए वहनीय ढांचे का विकास करके सक्षमता निर्माण उपायों को कार्यान्वित करना है ।

(I) एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई की पहलें

- **आईसीएआई एमएसएमई इको सिस्टम**

  एमएसएमई के लिए सक्षमता निर्माण उपायों में अभिवृद्धि करने के विचार से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से एमएसएमई इको सिस्टम से संबंधित विभिन्न पहलों की व्यवस्था करता है ।

- **अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस**

  एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति ने भारत के एमएसएमई की विभिन्न आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए तथा उन आवश्यकताओं को पूरा करने में सीए भ्रातृसंघ द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की केंद्रीय थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए 27 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के उपलक्ष्य में "एमएसएमई के लिए कारबार समाधान प्रदाता के रूप में सीए. : आत्मनिर्भर भारत" विषय पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया ।

  इस विशेष अवसर पर समारोहों को मनाने के लिए, आईसीएआई ने अपनी शाखाओं के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का आयोजन किया, जिसमें एमएसएमई की स्थानीय आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई केंद्रीय और राज्य स्कीमों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किए गए ।

  राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे और सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, ने अपनी सम्मानित उपस्थिति द्वारा इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा उन्होंने ली-मेरिडियन, नई

दिल्ली में सीए भ्रातृसंघ को संबोधित किया ।

एमएसएमई के सक्षमता निर्माण उपायों का संवर्धन करने के विचार से भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, गोवा और तमिलनाडु राज्यों के संबंध में राज्य विनिर्दिष्ट विभिन्न पुस्तकों का विमोचन किया तथा 27 जून, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आईसीएआई एमएसएमई यात्रा और आईसीएआई एमएसएमई सेतु तथा आईसीएआई एमएसएमई साथी कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

- **एमएसएमई एक्सचेंज**

एमएसएमई एक्सचेंज की अवधारणा को एमएसएमई के विकास और वहनीयता के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न आयामों के मूल्यवान सृजन हेतु एक उत्तम मंच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है । यह मंच उत्कृष्ट नेटवर्किंग, ज्ञान को साझा करने, कौशल विकास, शंकाओं के समाधान संबंधी अवसरों तथा एमएसएमई इको सिस्टम के संघटकों को विशेषज्ञ मार्गदर्शन की प्रस्तावना करता है ।

इस क्षेत्र के तीन मुख्य स्तंभ निम्नानुसार हैं :

- **सीए सेवा एक्सचेंज**

एमएसएमई की विशेषीकृत आवश्यकताओं का समाधान करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट संबंधी समिति के माध्यम से चार्टर्ड अकांउटेंटों की विशेषज्ञ सेवाओं को माउस के एक क्लिक के साथ एमएसएमई की पहुंच के भीतर लाने की पहल की है ।

सीए सेवा एक्सचेंज एक ऐसा मंच है, जिसके माध्यम से कोई भारतीय एमएसएमई आईसीएआई एमएसएमई इको सिस्टम के साथ रजिस्टर कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न विशेषज्ञ सेवाओं की तलाश कर सकता है ।

- **एमएसएमई सहायता पटल**

एमएसएमई सहायता पटल समिति द्वारा आईसीएआई एमएसएमई एक्सचेंज के अधीन की गई महत्वपूर्ण पहलों में से एक है, जिसके माध्यम से आईसीएआई के सदस्यों के एक बड़े पूल की विशेषज्ञता को एमएसएमई के स्थानीय नगर में उसके द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया गया है ।

शाखाएं और प्रादेशिक परिषदें, जो आईसीएआई के विस्तार खंड हैं, शाखा परिसरों में एमएसएमई सहायता पटल को सुकर बनाएंगे, जहां समर्पित विशेषज्ञ (अर्हित और अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट), स्थानीय एमएसएमई समूहों के मुद्दों का समाधान करेंगे ।

- **एमएसएमई इल्युमिनेशन**

एमएसएमई इल्युमिनेशन आईसीएआई एमएसएमई एक्सचेंज के अधीन समिति द्वारा की गई एक अन्य पहल है, जिसके माध्यम से आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत एमएसएमई के सामने आने वाले किसी विनिर्दिष्ट मुद्दे के संबंध में विशेषज्ञ सलाह उपलब्ध कराई जाती है । एमएसएमई अपने सामने आने वाले मुद्दों को एक साधारण रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ऑनलाइन रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं ।

पाक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें एमएसएमई के सामने आने वाले सामान्य मुद्दों का समाधान विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा । एमएसएमई विशेषज्ञ राय की ईप्सा करते हुए इन कार्यक्रमों के दौरान विशेषज्ञों के साथ परस्पर क्रियाएं कर सकेंगे ।

- **आईसीएआई एमएसएमई यात्रा**

इन कार्यक्रमों को 75 दिन – 75 कार्यक्रमों की स्कीम के भागरूप में तैयार किया गया है और इन समारोह का आयोजन अगस्त, सितंबर, अक्तूबर और नवंबर, 2022 मासों के दौरान किया जाएगा । आईसीएआई एमएसएमई यात्रा का आरंभ मुंबई में अगस्त, 2022 में आयोजित किए जाने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ किया जाएगा और उसके पश्चात् यह यात्रा 12000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा को विभिन्न राज्यों से होते हुए तय करेगी और इस यात्रा के दौरान एमएसएमई के लिए तैयार की गई सरकारी स्कीमों और एमएसएमई संबंधी अन्य प्रयासों के संबंध में लोगों को जागरुक बनाया जाएगा । इन कार्यक्रमों का आशय पणधारियों की अधिकतम भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए और साधारण जनता के बीच देश के सभी भागों तक इन 75 दिवसों के समारोह को पहुंचाना है ।

- **आईसीएआई एमएसएमई सेतु कार्यक्रम**

  भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) अपनी एमएसएमई और स्टार्ट संबंधी समिति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और देश में विद्यमान उनके समूहकारियों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में अभिवृद्धि करके और साथ ही उनके सक्षमता निर्माण के लिए एक प्रमुख रणनीति के रूप में 75 दिनों में 75 नगरों में 75 कार्यक्रम संबंधी स्कीम के साथ आईसीएआई और संभावी एमएसएमई के बीच प्रगाढ़ संबंध स्थापित करने की पहल कर रहा है । इस कार्यक्रम में राज्य मुख्य प्रचालक की भूमिका निभाएगें और यह कार्यक्रम एमएसएमई इको सिस्टम के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी स्कीमों और एमएसएमई के उनकी आवश्यकताओं का समर्थन करते हुए प्राप्त किए जाने वाले सहयोग तथा उनके अभिसरण की सहायता से सुधार के लिए अप्रबंधनीय प्रतिफलों की पहचान करेंगे तथा प्रगति का अनुमान लगाएंगे ।

- **आईसीएआई एमएसएमई साथी**

  एमएसएमई और स्टार्ट संबंधी समिति, आईसीएआई ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने तथा उनके सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के नवीनतम आईटी उपकरणों का उपापन किया है । समिति ने 'आईसीएआई एमएसएमई साथी' नामक अपनी शंका समाधान प्रणाली हेतु इन एआई और एमएल उपकरणों का कार्यान्वयन किया है । यह प्रणाली काफी कम समय में एमएसएमई के लिए एक उत्तम समाधान प्रदाता मंच के रूप में साबित हुई है ।

- **आईसीएआई एमएसएमई पोर्टल**

  आईसीएआई ने नेटवर्किंग, ज्ञान को साझा करने, शंकाओं के समाधान संबंधी तंत्र और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए एक समर्थ इको सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए एक समर्पित पोर्टल को आरंभ किया है, जहां कोई एमएसएमई चार्टर्ड अकाउंटेंटों की विशेषज्ञता का फायदा ले सकता है ।

- **एमएसएमई संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

  इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आशय चार्टर्ड अकाउंटेंटों को वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंटों को सुसज्जित करना और साथ ही राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करने के लिए स्वयं एमएसएमई के क्षेत्र में प्रवेश करना है । ये प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आईसीएआई के सदस्यों को एमएसएमई क्षेत्र के लिए कारबार समाधान प्रदाताओं के रूप में समर्थ बनाएगा ।

- **एमएसएमई संबंधी राज्य विनिर्दिष्ट पुस्तकें**

  समिति, एमएसएमई राज्य विनिर्दिष्ट पुस्तकों का विमोचन कर रही है । इन पुस्तकों में एमएसएमई स्कीमों, एमएसएमई के लिए सुसंगत औद्योगिक स्कीमों, विभिन्न स्कीमों के अधीन प्रोत्साहन, विभिन्न स्कीमों के अधीन उपलब्ध सहायिकियों, विनिर्दिष्ट राज्य में विभिन्न समूहों में उपलब्ध स्कीमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है । इन पुस्तकों में नए उद्यमियों को उनकी नई स्थापित फर्मों के प्रभावी संगठन में सहायता करने तथा विनिर्दिष्ट राज्य में विद्यमान उनकी फर्मों में उद्यमशील आशयों को समाविष्ट करने तथा विनिर्दिष्ट राज्य में सीए के लिए उपलब्ध अवसरों के संबंध में अंत:दृष्टि उपलब्ध कराई गई है ।

- **एमएसएमई संबंधी राज्य विनिर्दिष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम**

  समिति एमएसएमई संबंधी राज्य विनिर्दिष्ट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आरंभ करने की योजना बना रही है । उक्त पाठ्यक्रम राज्य विनिर्दिष्ट एमएसएमई और औद्योगिक स्कीमों, विनिर्दिष्ट राज्य में उपलब्ध विभिन्न स्कीमों के अधीन उपलब्ध प्रोत्साहनों/सहायिकियो के संबंध में ज्ञान के आधार में अभिवृद्धि करेगा । समिति ने हाल ही में 9 अक्तूबर से 23 अक्तूबर, 2021 की अवधि के दौरान (संप्ताहातों पर) महाराष्ट्र औद्योगिक नीति के संबंध में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का संचालन किया था ।

(II) पहलें - स्टार्ट-अप

- **आईसीएआई स्टार्ट-अप गेटवे :**

  स्टार्ट-अप के सक्षमता निर्माण उपायों का संवर्धन करने के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से स्टार्ट-अप संबंधी विभिन्न पहलों को आरंभ किया है :

  - **स्टार्ट-अप मंथन**

    एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति ने 31 अगस्त, 1 सितंबर, और 2 सितंबर, 2021 के दौरान एक तीन दिवसीय स्टार्ट-अप मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया था । **स्टार्ट-अप मंथन** एक स्टार्ट-अप शिखर सम्मेलन है, जहां

स्टार्ट-अप समुदाय, भागीदार, यूनिकोर्न प्रभावक, स्थापक, निवेशक, नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों और उद्यमियों ने स्टार्ट-अप, उद्यम पूंजी, कृत्रिम बुद्धिमता, फिनटेक और अन्य अनेक संबद्ध विषयों पर आयोजित परिचर्चाओं में भाग लिया था।

पूर्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और सीए. निर्मल जैन, संस्थापक और अध्यक्ष, आईआईएफएल ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लिया और उन्होंने स्टार्ट-अप मंथन के दौरान सीए भ्रातृसंघ को संबोधित भी किया।

- **स्टार्ट-अप पोर्टल, अर्थात् https://startup.icai.org/**

समिति ने घटकों, अर्थात् स्टार्ट-अप, चार्टर्ड अकाउंटेंट (कारबार परामर्शी), मार्गदर्शकों, उद्यम पूंजीवादी और इनक्यूबेशन केंद्रों के बीच विभिन्न एक्सचेंज सेवाओं को सुकर बनाने के लिए **https://startup.icai.org/** के रूप में एक समर्पित स्टार्ट-अप पोर्टल तैयार किया है।

इस वेब पोर्टल की विशिष्टियों में मार्गदर्शकों द्वारा स्टार्ट-अप को मार्गदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराना तथा हमारे पोर्टल पर उनको पैनलबद्ध करना, उद्यम पूंजीवादियों द्वारा स्टार्ट-अप को वित्तपोषण उपलब्ध कराना तथा हमारे पोर्टल पर उनको पैनलबद्ध करना, कारबार परामर्शी के रूप में आईसीएआई के सदस्यों द्वारा आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत स्टार्ट-अप को विभिन्न कारबार परामर्शी सेवाएं, जैसे कि निगम विधि, मूल्यांकन, अप्रत्यक्ष विधि आदि उपलब्ध कराना, आईसीएआई स्टार्ट-अप इको सिस्टम के साथ सहबद्ध होने के लिए हित की अभिव्यक्ति, अन्य सदस्यों को प्रेरित तथा उत्साहित करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंटों की स्टार्ट-अप संबंधी सफलताओं की कहानियां और स्टार्ट-अप इको सिस्टम के संबंध में और अनेक प्रकार की विशिष्टियां उपलब्ध हैं।

- **स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केंद्र**

आईसीएआई के भीतर स्टार्ट-अप इको सिस्टम के विकास को अग्रसर करने के विचार से हमने स्टार्ट-अप इनक्यूबेशन केंद्रों की पहचान की है तथा उन्हें तैयार किया है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों की उद्यमशील मनोवृत्ति और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के सामर्थ्यों के संवर्धन के प्रति स्टार्ट-अप प्रस्तावों को सुकर बनाया जा सके।

- **स्टार्ट-अप संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम**

इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आशय चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा स्टार्ट-अप को वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने और साथ ही स्वयं स्टार्ट-अप के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु सुसज्जित करना है, जिससे राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता की जा सके। यह प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आईसीएआई के सदस्यों को स्टार्ट-अप क्षेत्र के लिए कारबार समाधान प्रदाता के रूप में समर्थ बनाएगा।

- **स्टार्ट-अप संबंधी मास्टर क्लास**

इस मास्टर क्लास का आशय चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा स्टार्ट-अप को वृत्तिक सेवाएं उपलब्ध कराने और साथ ही स्वयं स्टार्ट-अप के क्षेत्र में प्रवेश करने हेतु सुसज्जित करना है, जिससे राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति में सहायता की जा सके। 2 फरवरी से 5 फरवरी, 2022 के दौरान एंजेल इन्वेस्टिंग संबंधी 4 दिवसीय मास्टर क्लास का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आईसीएआई के सदस्यों को स्टार्ट-अप क्षेत्र के लिए कारबार समाधान प्रदाता के रूप में समर्थ बनाना था।

- **बीआईएल – रायरसन टेक्नॉलाजी स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर फाउंडेशन और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के बीच स्टार्ट-अप की सक्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन**

एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई ने स्टार्ट-अप की सक्षमता निर्माण के लिए एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से बीआईएल – रायरसन टेक्नॉलाजी स्टार्ट-अप इनक्यूबेटर फाउंडेशन और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की पहल आरंभ की। उक्त ठहराव का उद्देश्य स्टार्ट-अप का संवर्धन करना तथा भारत सरकार के उद्यमशीलता को विकसित करने के विजन का समर्थन करना तथा स्टार्ट-अप इको सिस्टम के परस्पर एकीकरण संबंधी ठहराव के लिए एक नवीन संस्कृति स्थापित करना है।

- **आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन केंद्र और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के बीच स्टार्ट-अप की सक्षमता निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन**

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने अपनी एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति के माध्यम से स्टार्ट-अप की सक्षमता निर्माण के लिए आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है । उक्त ठहराव का उद्देश्य स्टार्ट-अप का संवर्धन करना तथा भारत सरकार के उद्यमशीलता को विकसित करने के विजन का समर्थन करना तथा स्टार्ट-अप इको सिस्टम के परस्पर एकीकरण संबंधी ठहराव के लिए एक नवीन संस्कृति स्थापित करना है । उक्त समझौता ज्ञापन पर 25 मार्च, 2022 को आयोजित परिषद् की 410वीं बैठक के दौरान अध्यक्ष, आईसीएआई, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, अध्यक्ष, एमएसएमई और स्टार्ट-अप संबंधी समिति, आईसीएआई और आईसीएआई के अन्य परिषद् सदस्यों तथा आईआईएम लखनऊ एंटरप्राइज इनक्यूबेशन केंद्र के कार्मिकों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए तथा उसका आदान-प्रदान किया गया ।

(III) अन्य पहलें

- **समिति द्वारा कार्यबल और समूहों का गठन**

  समिति ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप की सक्षमता निर्माण के लिए प्रादेशिक मानीटरी समूह, राज्यवार कार्यबलों और शाखा स्तरीय कार्यबलों का गठन किया ।

- **आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एमएसएमई की सक्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन**

  समिति आईसीएआई और संबद्ध राज्य सरकारों के बीच परस्पर हित के क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास के संबंध में नीति निर्धारण और अनुसंधान के क्षेत्र में जानकारी और अनुभवों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने, विनिर्दिष्ट राज्य में एमएसएमई की सक्षमता निर्माण के लिए प्रयासों हेतु ज्ञान आधार उपलब्ध कराने, विनिर्दिष्ट राज्य में एमएसएमई के विकास के लिए अनुकूलतम क्षेत्रों और अवसरों की पहचान करने के लिए औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षणों और साध्यता अध्ययनों के विकास पर जोर देने, विनिर्दिष्ट राज्य में एमएसएमई एक्सचेंज कार्यक्रम उपलब्ध कराने, अर्थात् एमएसएमई सहायता पटल, एमएसएमई इल्यूमिनेशन और सीए एक्सचेंज सेवाएं, परस्पर हित के क्षेत्रों में एमएसएमई के विकास के लिए कोई अन्य प्रयास करने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके एमएसएमई के सक्षमता निर्माण संबंधी प्रयासों को जारी रखेगी ।

- **विश्वविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, विख्यात संगठनों और अन्य अस्तित्वों के साथ समझौता ज्ञापन**

  समिति इनक्यूबेशन केंद्रों की स्कीम को सुकर बनाएगी और साथ ही वह इस उद्देश्य के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों, आईआईएम, आईआईटी, राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, विख्यात संगठनों और अन्य अस्तित्वों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करेगी ।

- **समिति के कार्यक्रम**

  समिति ने पूरे वर्ष के दौरान वर्चुअल और भौतिक रूप से एमएसएमई इको सिस्टम और स्टार्ट-अप गेटवे से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है ।

6. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवा विकास और डब्ल्यूटीओ संबंधी समिति (सीडीआईटीएंडडब्ल्यूटीओ)

(I) राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के प्रति पहलें

सरकार का समर्थन और सहायता करना

- 22 अप्रैल, 2021 को "भारत में वित्तीय सुधार और उभरते अवसर" विषय पर भारत के दूतावास, टोक्यो द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) के सहयोग से और जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (जेट्रो) के समर्थन से भारत-जापान वित्तीय सिम्पोजियम में भाग लेना ।
- संयुक्त सचिव, एमओसी, भारत-यूके मुक्त व्यापार करार के साथ अभिवर्धित व्यापार भागीदारी (12 जुलाई 2021 को) बैठक तथा अनुवर्ती इनपुट ।
- संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ 2 नवंबर, 2021 को चैम्पियन सेवा क्षेत्र स्कीम (सीएसएसएस) के कार्यान्वयन की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए बैठक का आयोजन, जिसमें कार्यकारी सचिव ने सचिवालय के साथ भाग लिया ।
- 5 नवंबर, 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए व्यापार नीति मंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए तकनीकी द्विपक्षीय डीवीसी

संबंधी एक वर्चुअल बैठक का आयोजन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया गया, जिसमें सचिवालय के साथ कार्यकारी सचिव ने भाग लिया था।

- 3 दिसंबर 2021 को अपर सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर पणधारियों की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति सचिवालय ने भाग लिया।
- 14 मार्च, 2022 को संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ कनाडा एफटीए और ऑस्ट्रेलिया एफटीए के संबंध में बैठक।
- 14 मार्च, 2022 को संयुक्त सचिव, एमसीए के साथ चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना (सीएसएसएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन।
- 29 अप्रैल, 2022 को संयुक्त सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ आईसीएआई की चैंपियन क्षेत्र संबंधी पहलों के संबंध में बैठक का आयोजन।

सरकार को अभ्यावेदन/तकनीकी अंत:निवेश (कराधान क्षेत्रों से भिन्न)

- भारत-स्पेन संयुक्त आर्थिक आयोग (जेईसी) का 12वां सत्र।
- लेखांकन सेवाओं में ओईसीडी सेवा व्यापार निर्बंधनकारी सूचकांक (एसटीआरआई) संबंधी ओईसीडी में सुधार और साथ ही वर्चुअल बैठक के आयोजन संबंधी डैशबोर्ड और डीएमईओ एसटीआरआई टेम्पलेट का भरा जाना।
- जापान के साथ लेखांकन सेवाओं के संबंध में एमआरए/एमओयू।
- भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स कैलेंडर 2021 के लिए कार्यसूची मद संबंधी कार्ययोजना और ब्रिक्स देशों में वृत्तिक सेवाओं में सहयोग की कार्ययोजना के संबंधी में प्रस्तुति।
- भारतीय मानकों के विकास के लिए 12 चैम्पियन क्षेत्रों की पहचान और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में पहचान।
- चीन में लेखांकन सेवाएं।
- विदेशी व्यापार बाधाएं, 2021 संबंधी यूएसटीआर रिपोर्ट।
- जापान सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र में निवेश और वित्तीय/आस्ति प्रबंध कंपनियों को आकर्षित करने के लिए किए गए व्यापक उपायों के संबंध में भारत के लिए उपलब्ध अवसरों पर टीका-टिप्पणियां।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को अंतर-मंत्रालययी बैठक के लिए कार्ययोजना संबंधी अद्यतन जानकारी अग्रेषित की गई।
- विश्व व्यापार संगठन में सेवाओं के व्यापार में सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) के लिए भारत का अधिमानी व्यवहार।
- चैम्पियन सेक्टर के अधीन लेखांकन और संबद्ध सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए आईसीएआई की 11 स्कीमों को अद्यतन बनाना।
- भारत-चिली अधिमानी व्यापार करार (पीटीए) को दूसरी बार विस्तारित करना।
- भारत-तुर्की आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी संयुक्त समिति (जेसीईटीसी)।
- भारत-यूके मुक्त व्यापार करार।
- 9 सितंबर 2021 को भारत-स्विट्जरलैंड संयुक्त आर्थिक आयोग के 18वें सत्र का आयोजन।
- आगामी द्विपक्षीय बातचीत के लिए व्यापार और वहनीय विकास चैप्टर के संबंध में पणधारियों परामर्श।
- भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) वार्ता - सेवा में व्यापार।
- वृत्तिक सेवाओं में व्यापार में सहयोग के लिए ब्रिक्स ढांचे संबंधी दस्तावेज़ (12 अगस्त, 2021)।
- भारत-कोस्टा रिका संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेटको) की पहली बैठक के आयोजन के लिए कार्यसूची मद।
- सेवाओं के क्षेत्र में भारत-यूरोपीय संघ बीटीआईए वार्ता - यूरोपीय संघ में भारतीय सेवा आपूर्तिकर्ताओं के सामने आने वाले प्रमुख प्रश्न/चुनौतियां।
- भारत-यूएई एफटीए - सेवाओं में व्यापार।
- भारत-मॉरीशस सीईसीपीए।
- लेखांकन में एमआरए।
- भारत-वियतनाम व्यापार संबंधी संयुक्त उप आयोग (जेएससीटी) की 5वीं बैठक।
- डिजिटल व्यापार संबंधी एफटीए वार्ता - डिजिटल व्यापार संबंधी चैप्टर के लिए मॉडल पाठ।
- भ्रष्टाचार विरोधी ब्रिक्स कार्यकरण समूह (डब्ल्यूजीएसी) 2022 के लिए चीन के प्रस्ताव।
- भारत-कंबोडिया व्यापार और निवेश संबंधी संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजीटीआई)
- संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ बैठक।
- भारत-ब्रुनेई संयुक्त व्यापार समिति की दूसरी बैठक के लिए कार्यसूची मदें।
- भारत-कनाडा व्यापार और निवेश संबंधी वार्षिक मंत्रालय स्तर की वार्ता की 5वीं बैठक के लिए कार्यसूची मद।

- भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच 2022 ।
- भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक सहयोग विश्व व्यापार संगठन भागीदारी (सीईपीए) वार्ता - सेवाओं में व्यापार ।
- मध्य अक्टूबर, 2021 से मई, 2022 की अवधि के लिए व्यापार मानीटरी रिपोर्ट ।
- ओईसीडी के अधीन संभाव सुधार उपायों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ का सृजन - सेवा व्यापार निर्बंधनकारी सूचकांक ।
- भारत-कनाडा ईपीटीए/सीईपीए : वृत्तिक सेवाओं पर प्रस्तुति ।
- सेवाओं के व्यापार पर भारत-यूके एफटीए वार्ता - भारतीय वृत्तिकों के सामने आने वाली बाधाएं ।
- मध्य अक्टूबर, 2021 - मई, 2022 की अवधि के लिए व्यापार मानीटरी रिपोर्ट ।
- भारत-मॉरीशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी करार (सीईसीपीए) ।
- भारत-घाना संयुक्त व्यापार आयोग (जेटीसी) ।
- जी20 एसीडब्ल्यूजी प्रश्नावली – लोक भागीदारी और भ्रष्टाचार रोधी शिक्षा कार्यक्रम ।
- चल रही भारत-यूके एफटीए वार्ता के लिए डिजिटल व्यापार चैप्टर ।
- भारत-आस्ट्रेलिया और भारत-कनाडा एफटीए संबंधी वृत्तिक निकाय ।
- भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच 2022 ।

(II) सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें

सदस्यों के बीच विदेशी भाषा का संवर्धन

आईसीएआई ने भारत में विदेशी दूतावासों के शासकीय सांस्कृतिक भाषा केंद्रों के साथ अपने सदस्यों और छात्रों के लिए विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों को आरंभ किए जाने के संबंध में ठहराव किए हैं, जिससे उन्हें विदेशी अवसरों के प्रति और अधिक स्वीकार्य बनाया जा सके। आज की तारीख तक आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों की प्रास्थिति निम्नानुसार है :

- इंस्टीट्यूटो सर्वेन्टिस, स्पेनीश दूतावास सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से आनलाइन स्पेनीश भाषा पाठ्यक्रम – ए1.1 स्तर पर 506 अभ्यर्थियों के साथ 24 बैच और ए1.2 स्तर पर 108 अभ्यर्थियों के साथ 11 बैच ।
- एलायंस फ्रेन्केशे डे दिल्ली फ्रैंच भाषा पठन पाठ्यक्रम - ए1 स्तर पर 250 अभ्यर्थियों के साथ 10 बैच ।
- द जापान फाउंडेशन के माध्यम से आनलाइन जापानी भाषा संबंधी पाठ्यक्रम - ए1 काटसूडो स्तर पर 222 अभ्यर्थियों के साथ 11 बैच और ए1 रिकाई स्तर पर 49 अभ्यर्थियों के साथ 3 बैच ।
- आनलाइन कारबार अंग्रेजी भाषा पाठ्यक्रम - 337 अभ्यर्थियों के साथ 13 बैच ।

आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों से विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के संबंध में अधिमानता की ईप्सा करने हेतु सर्वेक्षण

5 मार्च, 2022 को आईसीएआई के सदस्यों और छात्रों के लिए एक सर्वेक्षण आरंभ किया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 15 अप्रैल, 2022 थी, जिस तक उन्हें कोई विदेशी भाषा पढ़ने हेतु अपनी अधिमानता प्रस्तुत करनी थी। 970 सदस्यों/छात्रों ने विदेशी भाषा पढ़ने के संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत की थी, जिससे आईसीएआई को विदेशी भाषा पाठ्यक्रम के भावी बैचों को प्रारंभ करने में सहायता प्राप्त होगी।

विदेशी भाषा को अधिमानत: 2022-23

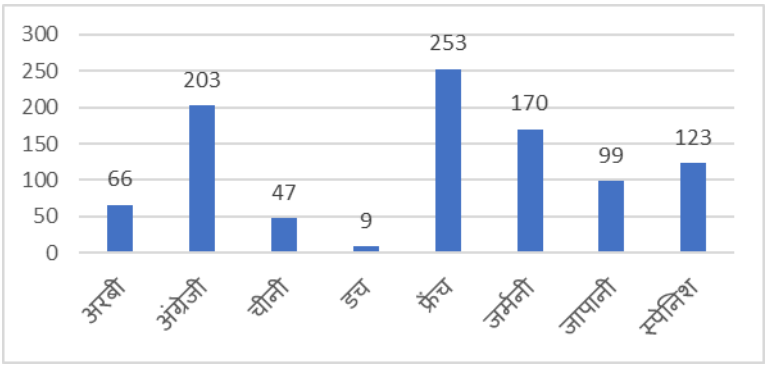

(III) सदस्यों के लिए सक्षमता निर्माण कार्यक्रम

उपरोक्त पहलों के अलावा समिति ने अवधि के दौरान निम्नलिखित वेबीनारों का आयोजन किया :

- शनिवार, 19 जून, 2021 को 'नई विदेश व्यापार नीति के युग में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भूमिका' विषय पर लाइव वेबीनार ।
- 29 मार्च, 2022 को "एंटी डंपिंग : चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए वृत्तिक अवसर" विषय पर लाइव वेबीनार ।
- 12 अप्रैल, 2022 को "भारत में कारबार करने की सुगमता का संवर्धन करने संबंधी पहलें " विषय पर इन्वेस्ट इंडिया के साथ संयुक्त रूप से लाइव वेबीनार ।
- 2 मई, 2022 को "वैश्विक रूप से लेखांकन आउटसोर्सिंग में अवसरों का दोहन" विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठक ।
- 14 जून, 2022 को सेवा निर्यात संवर्धन परिषद् (एसईपीसी) के सहयोग से "भारत को – वैश्विक बाजारों के लिए लेखांकन और वित्तीय केंद्र बनाना" विषय पर वर्चुअल सीपीई बैठक ।

(IV) प्रकाशन

समिति के दो प्रकाशनों का पुनरीक्षण

- लेखांकन प्रक्रिया आउटसोर्सिंग – प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में एक अंत:दृष्टि ।
- "भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए विदेशों में वृत्तिक अवसर" एक संक्षिप्त अंत:दृष्टि ।

7. अन्य समितियों द्वारा क्रियाकलाप

7.1 प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति (सीएमए)

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति का मुख्य उद्देश्य सदस्यों को प्रबंध और कारबार वित्त के क्षेत्रों में बुद्धिमत्ता, विशेषज्ञता और गहन जानकारी प्राप्त करने में समर्थ बनाना है । प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति प्रबंध लेखांकन और अन्य सहबद्ध विषयों के संबंध में पाठ्यक्रमों/वेबीनारों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन करके समुन्नत ज्ञान और विशेषीकृत प्रशिक्षण प्रदान करती है । प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति (सीएमए) ने अपने कृत्यों/क्रियाकलापों तथा अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व के निर्वहन को इस प्रकार सुव्यवस्थित किया है कि वे सदस्यों को सशक्त बनाने के लक्ष्य के प्रति भलीभांति सुमेलित हैं ।

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति से संबंधित क्रियाकलाप/पहलें

(I) पीक्यूसी के सक्रिय दिग्दर्शन – प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ)

समिति ने, संस्थान के सदस्यों के बीच वित्त की बारीकियों से संबंधित गहन जानकारी का प्रसार करने के लिए वर्ष 2019 में पीक्यूसी – प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) को आरंभ किया था । इस पाठ्यक्रम को विशेष रूप से अत्यधिक व्यवहारिक और सरलीकृत रीति में प्रबंध और कारबार वित्त के सैद्धांतिक और साथ ही व्यवहारिक पहलूओं के संबंध में गहन और व्यापक ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है ।

अर्हता-पश्च पाठ्यक्रम – लगभग एक वर्ष का प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ), जिसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है :

- 80 घंटे के कक्षा प्रशिक्षण सत्रों ।
- 80 घंटे के ई-पठन सत्रों ।
- एक सप्ताह का आवासीय/ तीन सप्ताहांतों का ऑनलाइन कार्यक्रम
- आईसीएआई के परीक्षा विभाग द्वारा 0.25 अंकों के ऋणात्मक अंकन के साथ परीक्षा ।

पीक्यूसी-डीएमबीएफ पाठ्यचर्या एक व्यापक पाठ्यचर्या है और इसमें 6 विषयों को सम्मिलित किया गया हैं, जिन्हें आगे 34 मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है :

- विषय 1 : रणनीतिक प्रबंधन
- विषय 2 : पूंजी संरचना और निवेश प्रबंधन
- विषय 3 : पूंजी और वित्तीय बाजार
- विषय 4 : विदेशी मुद्रा और खजाना
- विषय 5 : मूल्यांकन, विलय और अर्जन तथा पुनर्गठन

- विषय 6 : बैंकिंग और जोखिम प्रबंधन

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए पूरे भारत वर्ष में आनलाइन पद्धति के माध्यम से पीक्यूसी - प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) के अपने तीसरे बैच के संबंध में उदघोषणा की और उसका संचालन किया। इससे पूर्व समिति ने ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने पूर्ववृत्ती पाठ्यक्रम, अर्थात् कारबार वित्त में मास्टर संबंधी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को अर्हित किया था, संपरिवर्तन उपबंध स्कीम के अधीन पीक्यूसी - प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) के दूसरे बैच का भी आयोजन किया था।

(II) जेबीआईएमएस के सहयोग से आईसीएआई के उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में डीएमबीएफ पाठ्यक्रम के तीसरे बैच के लिए दो दिवसीय आवासीय कार्यक्रम

प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति ने 20 जून, 2022 से 22 जून, 2022 के दौरान जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज (जेबीआईएमएस), मुंबई के सहयोग से पीक्यूसी - प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) के तीसरे बैच के अभ्यर्थियों के साथ भौतिक परस्पर क्रिया करने के विचार से आईसीएआई के उत्कृष्टता केंद्र, हैदराबाद में पीक्यूसी - प्रबंध और कारबार वित्त संबंधी डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीएमबीएफ) के तीसरे बैच को समर्पित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु तीन दिवसीय आवासीय कार्यक्रम का आयोजन किया था। आईसीएआई का उत्कृष्टता केंद्र अति आधुनिक सुविधाओं से लैस है और इस कार्यक्रम के दौरान विख्यात संकाय की सुविधा को निरंतर उपलब्ध कराया गया तथा अभ्यर्थियों के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन के अधीन गहन परिचर्चाओं का आयोजन किया गया।

(III) आईसीएआई की प्रबंध लेखांकन संबंधी समिति द्वारा 8 जून, 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) संबंधी संगोष्ठी – आईकोनिक दिवस समारोह का हाइब्रिड पद्धति में आयोजन

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा परिकल्पित देशव्यापी पहल – आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के भागरूप में सीएमए ने 8 जून, 2022 को ललित होटल, नई दिल्ली में हाईब्रिड पद्धति से 'आर्थिक पुनरुथान के लिए रणनीतियां' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। उप प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई ने पूरे राष्ट्र से एकत्रित हुए विख्यात सदस्यों को संबोधित किया।

7.2 उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस)

इस समिति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है, आईसीएआई के उद्यमों में लगे सदस्यों और लोक सेवा में लगे सदस्यों के बीच अंतरापृष्ठ स्थापित करना, जिससे आईसीएआई की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी उनके विजन और परिप्रेक्ष्य को विचार में लिया जा सके और साथ ही हमारे सदस्यों के लिए नए-नए क्षेत्रों और अवसरों की खोज की जा सके।

समिति को प्रारंभिक रूप से वर्ष 2011 में, लोक सेवा में लगे संस्थान के सदस्यों और सफल सीए उद्यमियों को आईसीएआई के क्रियाकलापों में सम्मिलित करने और उनके योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित किया गया था। इससे लोक सेवा और उद्यमी सदस्यों के साथ परस्पर क्रियाओं में वृद्धि होगी और उन्हें संस्थान के क्रियाकलापों से संबंधित मुख्य धारा में लाया जा सकेगा। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसे सदस्यों को संस्थान के क्रियाकलापों में सम्मिलित किया जाए, जो उद्यमियों के रूप में अत्यंत सफल हैं और लोक सेवा में प्रमुख पद धारण कर रहे हैं तथा उनके समृद्ध अनुभव, बुद्धिमता और ज्ञान को वृत्ति की बेहतरी के लिए उपयोग किया जा सके।

(I) 27-29 अगस्त, 2021 को उदयपुर, राजस्थान में लोक सेवा में सीए सदस्यों की आवासीय बैठक

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस) प्रत्येक वर्ष लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों की आवासीय बैठक का आयोजन करती है, जिसका उद्देश्य लोक सेवा में आईसीएआई के सदस्यों से संस्थान की ऐसे सदस्यों के विशिष्ट खंड के संबंध में की जा रही पहलों को पुन: संरचित करने के लिए ऐसे सदस्यों के सुझाव प्राप्त किए जा सकें और साथ ही राष्ट्र महत्व के ऐसे विषयों की पहचान की जा सके, जिनमें आईसीएआई अनुसंधान और अद्यतन कार्य आरंभ कर सकता है।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस) ने 27-29 अगस्त, 2021 के दौरान ताज फतेह प्रकाश, उदयपुर (राजस्थान) में लोक सेवा में सीए सदस्यों की एक आवासीय बैठक का आयोजन किया था। इस आवासीय बैठक में लगभग 40 सदस्यों (संसद् सदस्य, न्यायपालिका के सदस्य, अपील प्राधिकरणों के सदस्य, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस) ने भाग लिया था। इन सदस्यों में 4 संसद् सदस्य, 7 न्यायपालिका और अपील प्राधिकरणों के सदस्य, 9 आईएएस, 1 आईएफएस, 5 आईपीएस, 13 आईआरएस और अन्य सदस्य सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, आईसीएआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने भी इस बैठक में भाग लिया था।

इस बैठक के उद्घाटन सत्र में उदयपुर के मेवाड़, माननीय संसद् सदस्य और संघ के पूर्व मंत्री, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा और माननीय संसद् सदस्य, लोकसभा ने भाग लेकर उसकी शोभा बढ़ाई ।

(II) 24-26 जून 2022 के दौरान ऊटी (तमिलनाडु) में लोक सेवा में सीए सदस्यों की आवासीय बैठक

सीएमईपीएस समिति ने 24-26 जून, 2022 के दौरान ऊटी में लोक सेवा में सीए सदस्यों की एक आवासीय बैठक का आयोजन किया था, जिसमें राजनीति/न्यायपालिका, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, लागत और अन्य विनियामक सेवाओं के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से 51 सदस्यों ने भाग लिया था ।

इस आवासीय बैठक की शोभा माननीय पूर्व उप सभापति, राज्य सभा और संघ के पूर्व अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा और ऋषिहुड विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति, माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय, माननीय अधिवक्ता, भारत का उच्चतम न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कार्यवाहक न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, माननीय तकनीकी सदस्य, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, माननीय सदस्य (तकनीकी), नेशनल कंपनी विधि अधिकरण ने उसमें भाग लेकर बढाई ।

इस बैठक के दौरान शिक्षा एवं प्रशिक्षण की स्कीम में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई । इसके अतिरिक्त, इस बैठक में आर्थिक विकास और लेखांकन वृत्ति, कारबार में वहनीयता को स्थापित करने में अकाउंटेंटों की भूमिका, बेहतर विश्व के लिए वृत्ति : बदलती वृत्ति, विश्वास, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिए प्राथमिकताएं और प्रभावी प्रवर्तन प्रणाली का महत्व, पैनल परिचर्चा – सुदृढ़ शासन स्थापित किए जाने के प्रति कार्यकरण, पैनल परिचर्चा - शासन को मूल्य सृजन पर केंद्रित करना, पैनल परिचर्चा – विश्वास को बनाए रखना तथा उसमें अभिवृद्धि करना, आगे की कार्ययोजना तथा पैनल परिचर्चा – सीए वृत्ति की गैर-वित्तीय रिपोर्टिंग के विकास में भूमिका के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ।

(III) 17 जुलाई, 2021 को "सिविल सेवकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सफलता की कहानियां" विषय पर वेबकास्ट

सीएमईपीएस समिति ने 17 जुलाई, 2021 को **"**सिविल सेवकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सफलता की कहानियां**"** विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया । इस वेबकास्ट का उदघाटन माननीय संसद् सदस्य**,** राज्य सभा के शुभ हाथों से हुआ। इस वेबकास्ट के दौरान वक्ताओं ने **"**आदर्श – लोक प्रशासन और नीति बनाए जाने संबंधी सुधारों में सीए**"** विषय पर पैनल परिचर्चा में भाग लिया । पैनल में शामिल प्रमुख वक्ताओं में आईएएस, विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, आईएएस (सेवानिवृत्त), मुख्य आयुक्त, हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग और आईएएस, कलेक्टर, दक्षिणी गोवा सम्मिलित थे । पैनल वक्ताओं ने संस्थान के एक सदस्य से सिविल प्रशासनिक सेवाओं के बारे में चर्चा की और यह भी बताया कि किस प्रकार उक्त यात्रा ने राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं के प्रभावी परिदान में सहायता प्राप्त हुई । उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया और साथ ही ऐसे सदस्यों और छात्रों को अपनी सफलता के मंत्र के बारे में भी बताया, जो वृत्ति के लिए सिविल सेवाओं में प्रवेश करना चाहते हैं ।

(IV) 23 जनवरी, 2022 को "लोक सेवा में अवसर" विषय पर वेबकास्ट का आयोजन

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति (सीएमईएंडपीएस) ने 23 जनवरी 2022 को "लोक सेवा में अवसर" विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया । इस वेबकास्ट को लोक सेवा के क्षेत्र से दो सुविख्यात वक्ताओं ने संबोधित किया, अर्थात् अपर निजी सचिव, वित्त राज्य मंत्री और आईसीओएएस, उप निदेशक, राष्ट्रीय भेषजी कीमत निर्धारण प्राधिकरण, दोनों वक्ताओं ने सिविल सेवाओं में हमारी वृत्ति के सदस्यों के लिए उभरते अवसरों के मुद्दे पर चर्चा की ।

(V) 8 अप्रैल, 2022 को "सिविल सेवकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सफलता की कहानियां" विषय पर वेबकास्ट

सीएमईपीएस समिति ने 8 अप्रैल 2022 को **"**सिविल सेवकों के रूप में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की सफलता की कहानियां**"** विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया था । इस वेबकास्ट में वक्ताओं द्वारा "लोक प्रशासन और नीति बनाए जाने संबंधी सुधारों में सीए" विषय पर संबोधन प्रस्तुत किए गए । इस वेबकास्ट के प्रमुख पैनल वक्ताओं में आईएएस, सचिव पंचायत राज, ग्रामीण विकास और उच्च शिक्षा, आईपीएस महानिरीक्षक, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, गृह मंत्रालय, भारत सरकार और आईएएस उत्पाद-शुल्क आयुक्त और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब निवेश संबंधी ब्यूरो सम्मिलित थे । पैनल वक्ताओं ने संस्थान के एक सदस्य से सिविल प्रशासनिक सेवाओं के बारे में चर्चा की और यह भी बताया कि किस प्रकार उक्त यात्रा ने राष्ट्र के लिए उनकी सेवाओं के प्रभावी परिदान में सहायता प्राप्त हुई । उन्होंने

अपने अनुभवों को भी साझा किया और साथ ही ऐसे सदस्यों और छात्रों को अपनी सफलता के मंत्र के बारे में भी बताया, जो वृत्ति के लिए सिविल सेवाओं में प्रवेश करना चाहते हैं।

(VI) 10 मई, 2022 को "कारबार माडल संबंधी नवीनता : सृजनशीलता से उद्यमशीलता विशेषज्ञता" विषय पर वेबकास्ट का आयोजन

सीएमईपीएस समिति ने 10 मई 2022 को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सिविल सेवकों के रूप में सफलता की कहानियों पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया था । इस वेबकास्ट की शोभा आईसीएआई के ऐसे सदस्यों द्वारा बढ़ाई गई, जो सफल उद्यमी हैं और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सफल सीए उद्यमी तक की अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया । इस वेबकास्ट में वक्ताओं ने " कारबार माडल संबंधी नवीनता : सृजनशीलता से उद्यमशीलता विशेषज्ञता" विषय पर पैनल परिचर्चा में भाग लिया । प्रमुख पैनल वक्ताओं में सह-संस्थापक और समूह के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मेक माई ट्रिप लिमिटेड, संस्थापक, मीनू क्रिएशन और सह-संस्थापक और मुख्य निवेश रणनीतिकार शामिल थे । पैनल वक्ताओं ने संस्थान के सदस्य से प्रबुद्ध व्यक्तियों तक की अपनी यात्रा के बारे में चर्चा की, जिसमें हमारे सम्मानित सदस्यों ने अपनी अंतर्दृष्टि, यात्रा और अनुभवों को साझा किया, जो निश्चित रूप से हमें राष्ट्र निर्माण में एक सच्चा भागीदार बनने के प्रति सतत रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा ।

(VII) 9-10 अप्रैल 2022, 16-17 अप्रैल 2022, 23-24 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल-1 मई 2022 को ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों और सीए छात्रों के लिए सिविल सेवा अनुकूलन और परामर्शी कार्यक्रम (4 सप्ताहांतों की ऑनलाइन कक्षाएं) का आयोजन, जो सिविल सेवा में जाने के इच्छुक हैं ।

उद्यमों और लोक सेवा में लगे सदस्यों संबंधी समिति ने 9-10 अप्रैल 2022, 16-17 अप्रैल 2022, 23-24 अप्रैल 2022 और 30 अप्रैल-1 मई 2022 को ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्यों और सीए छात्रों के लिए आनलाइन सिविल सेवा अनुकूलन और परामर्शी कार्यक्रम, जो 4 सप्ताहांतों के लिए था और जिसमें प्रत्येक सप्ताहांत में 2 घंटे की ऑनलाइन कक्षाएं सम्मिलित थी, का आयोजन किया, जो सिविल सेवा में जाने के इच्छुक हैं । इस अनुकूलन कार्यक्रम का उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षाओं में सम्मिलित विषयों के संबंध में विख्यात संकायों द्वारा एक पर्यावलोकन उपलब्ध कराना है, जो सीए सदस्यों और छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित करेगा और जो उन्हें पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु के बारे में आधारिक जानकारी उपलब्ध कराएगा । इस अनुकूलन कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय संसद् सदस्य द्वारा अध्यक्ष आईसीएआई, उपाध्यक्ष आईसीएआई, अध्यक्ष सीएमईपीएस, उपाध्यक्ष आईसीएआई की उपस्थिति में किया गया । उद्घाटन सत्र में संकायों ने भी भाग लिया, जिनमें आईआरएस और आईएएस तथा अन्य शामिल थे ।

इस अनुकूलन कार्यक्रम के लिए 3000 से अधिक सदस्यों और छात्रों ने रजिस्ट्रीकरण किया था । इस अनुकूलन कार्यक्रम व्यापक रूप से सिविल सेवा परीक्षा के पर्यावलोकन और उक्त परीक्षा के लिए किस प्रकार तैयारी शुरू करें, आरंभिक परीक्षा – ब्यौरेवार पर्यावलोकन, एनसीईआरटी की रणनीति, आधारिक और समुन्नत पुस्तक सूची, समय-सूची टिप्पण तैयार करना, दृष्टिकोण और पुनरीक्षण संबंधी रणनीति, करंट अफेयर्स और समाचार पत्र पढ़ने संबंधी दृष्टिकोण, जीएस मेन्स के प्रति दृष्टिकोण और उत्तर लेखन रणनीति तथा टिप्स, वाणिज्य और लेखांकन और साक्षात्कार हेतु तैयारी करने के लिए मार्गदर्शन आदि शामिल था ।

(VIII) 6 मई 2022 को होटल ली मेरिडियन, जनपथ, नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखा सेवा में सीए सदस्यों की एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन ।

समिति ने 6 मई 2022 को होटल ले मेरिडियन, जनपथ, नई दिल्ली में भारतीय लागत लेखा सेवा में सीए सदस्यों की एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन किया । समिति ने भारतीय लागत लेखा सेवा में नियोजित सभी सीए सदस्यों को आमंत्रित किया था । इस बैठक में 24 सदस्यों ने भौतिक रूप से और 6 सदस्यों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया । इस परस्पर क्रियाशील बैठक में लागत लेखा सेवा के वरिष्ठ सदस्य, अर्थात् अपर मुख्य सलाहकार, प्रधान सलाहकार लागत, सलाहकार लागत ने भाग लेकर उसकी शोभा बढ़ाई थी, जिन्होंने बैठक के दौरान शासकीय कारबार का चार्टर्ड अकाउंटेंटों के माध्यम से वृत्तिकीकरण किए जाने के मुद्दे पर तथा भारतीय लागत लेखा सेवा में चार्टर्ड अकाउंटेंट की बढ़ती भूमिका के संबंध में परिचर्चा की । इस परस्पर क्रियाशील बैठक के दौरान भारतीय लागत लेखा सेवा में सीए सदस्यों के लिए और अधिक वृत्तिक अवसरों के सृजन संबंधी विभिन्न उपायों पर भी चर्चा की गई । इस बैठक के दौरान एक अन्य प्रमुख मुद्दे पर भी चर्चा की गई कि लागत लेखा सेवा में सीए की भूमिका को किस प्रकार बढ़ावा दिया और साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों तथा मंत्रालयों में सीए के लिए अवसरों की पहचान करने पर भी चर्चा की गई ।

7.3 विधिक निदेशालय

1.4.2021 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21(6) (2006 के संशोधन से पूर्व यथा विद्यमान) के अधीन निपटाए गए मामलों की कुल संख्या 6 है, इन 6 प्रतिनिर्देश मामलों में से उच्च न्यायालयों ने 4 मामलों में परिषद् की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और शेष दो मामलों में उच्च न्यायालय ने परिषद् की

सिफारिश को मानने से इंकार कर दिया है।

31.03.2022 को विभिन्न मंचों में लंबित मामलों की कुल संख्या निम्नानुसार है

क्रम सं.	मामले की प्रकृति	लंबित मामलों की संख्या
1.	**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम**, 1949 **की धारा 21(5) (2006 के संशोधन से पूर्व यथा विद्यमान) के अधीन फाइल किए गए निर्देश मामले, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं**	163
	निर्देश मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई विशेष इजाजत याचिका (एसएलपी)/अपील, जो उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं	4
2.	चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के अधीन अनुशासन कार्रवाई से उदभूत होने वाली फाइल की गई रिट याचिकाएं	204
3.	**विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित गैर अनुशासन संबंधी मामलों से संबंधित न्यायालय के मामले**	132
4.	**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम**, 1949 **की धारा 24 के उल्लंघन से उदभूत होने वाले मामले, जो विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं**	23
5.	**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम**, 1949 **की धारा 24क के उल्लंघन से उदभूत होने वाले मामले, जो विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं**	2
6.	**चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (संशोधन) अधिनियम**, 2006 **द्वारा यथा संशोधित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम**, 1949 **की धारा 22क के अधीन गठित अपील प्राधिकरण के समक्ष लंबित अपीलें (चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम**, 1949 **की धारा 22छ के अधीन संस्थान के सदस्यों द्वारा फाइल की गई)**	88
	मामलों की कुल संख्या	616

विधिक निदेशालय द्वारा निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए थे :

- छात्रों द्वारा उच्चतम न्यायालय में जुलाई, 2021 में सीए परीक्षा कराए जाने के संबंध में अनेक रिट याचिकाएं फाइल की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संस्थान को समय-सूची के अनुसार परीक्षाओं का संचालन करने की अनुमति प्रदान की थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करते हुए परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।
- भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में मतों को संसदीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।
- चार्टर्ड अकांउटेंट्स (संशोधन) अधिनियम, 2022 तथा नियमों और विनियमों के प्रारुपण में सहायता की।
- आईसीएआई ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक अन्य अंतरण याचिका फाइल की थी, जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय से यह अनुरोध किया गया था कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षाओं की अधिकतम संख्या के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में अंतरित किया जाए। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में फाइल की गई अंतरण याचिकाओं की कुल संख्या बढ़कर 4 हो गई, जिनमें 128 व्यष्टि सदस्य अंतर्वलित हैं।
- विधिक रायों, अध्ययनों और रिपोर्टों के रूप में प्रभावी विधिक सहायता को उपलब्ध कराना, जैसा कि समय-समय पर संस्थान की परिषद्/कार्यपालक समिति/ विभिन्न गैर-स्थायी समितियों और विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।
- आईसीएआई के हित को ठोस रूप से सुनिश्चित करने के लिए संस्थान के प्रशासनिक कार्यकरण से उदभूत होने वाली विधि के सारवान और प्रक्रियात्मक प्रश्नों की विविध श्रृंखला पर उपयुक्त विधिक सलाह उपलब्ध कराना, जैसा कि प्रचालनात्मक विभागों द्वारा अपेक्षा की जाए।
- आईसीएआई के प्रचालन विभागों और विभिन्न समितियों द्वारा अपेक्षा किए गए अनुसार संविदाओं, निविदाओं, दस्तावेजों

और अन्य विधिक दस्तावेजों के पुनर्विलोकन, उनके संबंध में बातचीत, उनके प्रारूपण और विधीक्षा संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण और पर्यावलोकन करना ।

- नीतियों की विरचना में विधिक बिन्दुओं पर विचार करने के लिए विभिन्न स्थायी और गैर-स्थायी समितियों, अध्ययन समूहों और कार्यबलों में अपेक्षा किए गए अनुसार सेवा प्रदान करना ।
- जब कभी आवश्यक हो, विधिक उपचारों का अवलंब लेने के विषयों में सलाह देना और प्राप्त हुई विधिक सूचनाओं का उत्तर तैयार करने में प्रचालन विभागों और समितियों की सहायता करना ।

महत्वपूर्ण मामले

- **उच्चतम न्यायालय द्वारा संस्थान को जुलाई, 2021 सीए परीक्षाओं का संचालन करने की अनुमति**

उच्चतम न्यायालय में जुलाई, 2021 में सीए की परीक्षाओं के संचालन के संबंध में अनेक रिट याचिकाएं फाइल की गई थी । माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 640/202, अनुभा श्रीवास्तव सहाय बनाम भारत संघ और अन्य में संस्थान को सुसंगत अवधि के दौरान कतिपय सुविधाओं को छोड़े जाने तथा लॉकडाउन के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों का समुचित ध्यान रखते हुए कतिपय निदेशों के साथ समय-सूची के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति प्रदान की थी । माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों का अनुपालन करते हुए परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया गया था ।

- **उच्चतम न्यायालय ने आईसीएआई द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षाओं की अधिकतम संख्या के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में अंतरित किए जाने हेतु फाइल की गई अंतरण याचिकाओं को अनुमति प्रदान की ।**

आय-कर अधिनियम, 1961 1961 की धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा संबंधी मामलों की अधिकतम संख्या से अधिक मामले लिए जाने पर सदस्यों के विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई आरंभ किए जाने के विरुद्ध सदस्यों द्वारा अनेक रिट याचिकाएं फाइल की गई थी तथा उन्होंने इस संबंध में अंतरिम आदेश भी प्राप्त किए थे । मूलत: संस्थान द्वारा तारीख 8.8.2008 को इस आधार पर निर्बंधन अधिरोपित करते हुए जारी किए गए दिशानिर्देशों को चुनौती दी गई थी कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन प्रतिभूत व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन करते हैं ।

मद्रास, केरल, मध्य प्रदेश और अन्य राज्य उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए विरोधी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने उच्चतम न्यायालय में अंतरण याचिकाएं फाइल की थी, जिससे विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को उच्चतम न्यायालय में अंतरित किया जा सके तथा विभिन्न मामलों में अंतर्वलित एकसमान जटिल मुद्दे का उच्चतम न्यायालय द्वारा एकसाथ समाधान करके मुकदमेबाजी को समाप्त किया जा सके ।

उच्चतम न्यायालय की एक तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने उच्चतम न्यायालय द्वारा फाइल की गई सभी याचिकाओं को स्वीकार किया तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित संबंधित रिट याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में अंतरित किया । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इस तथ्य को स्पष्ट किया कि भिन्न-भिन्न रिट याचिकाओं में पारित किए गए अंतरिम आदेश तब तक लागू बने रहेंगे जब तक कि उच्चतम न्यायालय कोई निर्णय पारित नहीं कर देता । अपना निर्णय सुनाते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार संप्रेक्षण किया :

"संस्थान द्वारा जारी आक्षेपित दिशानिर्देश, जिन्हें उच्च न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई है तथा उक्त दिशानिर्देशों के परिणामस्वरूप चार्टर्ड अकाउंटेंटों के विरुद्ध आरंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाहियां एक लोक महत्व का मुददा है, जो न केवल चार्टर्ड अकाउंटेंटों को प्रभावित करता है अपितु ऐसे नागरिकों को भी प्रभावित करता है, जिन्हें अनिवार्य संपरीक्षा अभिप्राप्त करनी है । हमारा यह समाधान हो गया है कि विधि को स्थापित करने और कर वृत्तिकों तथा नागरिकों में अनिश्चितता को समाप्त करने हेतु यह उपयुक्त होगा कि रिट याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय को अंतरित किया जाए ताकि इस विषय पर विधि के संबंध में प्राधिकृत उदघोषणा की जा सके ।"

- **दिल्ली उच्च न्यायालय में लागत लेखा संस्थान के विरुद्ध उसके द्वारा 'आईसीएआई' के संक्षिप्त नाम के अवैध उपयोग के संबंध में सिविल वाद फाइल किया जाना**

इस विवाद्यक के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए, आईसीएआई के हर संभव प्रयास के बावजूद लागत लेखा संस्थान 'आईसीएआई' के संक्षिप्त नाम का अप्राधिकृत और अविधिपूर्ण उपयोग कर रहा है । अत:, आईसीएआई ने लागत लेखा संस्थान द्वारा आईसीएआई के अधिकारों का उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध तथा अपने अधिकारों की संरक्षा करने के लिए 'आईसीएआई' के संक्षिप्त नाम के उपयोग के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल वाद फाइल किया है, यह

उल्लेखनीय है कि आईसीएआई ने अपने पक्ष में उक्त उपयोग के संबंध में रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न विद्यमान किया है।

आईसीएआई अपने कानूनी अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।

7.4 अवसंरचना विकास संबंधी समिति (आईडीसी)

अवसंरचना विकास संबंधी समिति का सृजन वर्ष 2014 में संस्थान की एक गैर-स्थायी समिति के रूप में किया गया था। वर्ष 2014 से, आईसीएआई ने एक ठोस अवसंरचना नीति स्थापित की है, जो वित्तीय विवेक और अनुशासन को सुनिश्चित करती है। इस वर्ष समिति ने शाखाओं और प्रादेशिक परिषदों/कार्यालयों के लिए अवसंरचना नीति को पुन: रचित किया है। यह नीति इस बात को परिभाषित करती है कि किस प्रकार की प्रसुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, स्थानीय अवसरंचना समितियों की संरचना कैसी हो, भूमि/भवन के अर्जन की नीति और प्रक्रिया, संकेतात्मक क्षेत्र, प्रधान कार्यालय से अनुज्ञेय अनुदान, संस्थान के भीतर विभिन्न प्राधिकारियों में निहित शक्तियां और उनका प्रत्यायोजन। चूंकि नीति स्वयं वित्तीय शक्तियों को परिभाषित करती है इसलिए वर्ष 2014 के पश्चात् से सभी अवसंरचना परियोजनाएं वित्त समिति की बजाए आईडीसी द्वारा अनुमोदित की जा रही हैं। अवसंरचना नीति को विरचित किए जाने के समय से ही आईसीएआई ने निम्नलिखित परियोजनाओं को आरंभ किया है :

नई अवसंरचना का क्रय	**अनुमोदित संनिर्माण संबंधी प्रस्ताव**
कन्नूर, जालंधर, जबलपुर, गोवा, गुरुग्राम, मुरादाबाद, पाली, आगरा, गोरखपुर, करनाल, किशनगढ़, लातूर, पटियाला, उज्जैन, रतलाम, चेंगलपट्टू, अहमदाबाद, कोटा, एर्नाकुलम और सीओई चेन्नई (1.19 एकड़) और हिमाचल प्रदेश	अजमेर, सूरत, हुबली, भोपाल, राजमहेंद्रवरम, उत्कृष्टता केंद्र जयपुर, बठिंडा, बरेली, जोधपुर, रायपुर, कन्नूर, ग़ज़ियाबाद, गोवा, मुरादाबाद, गुटूंर, आगरा, गुरुग्राम, रोहिणी, रतलाम, पटियाला, किशनगढ़, उज्जैन, पाली, सीओई कोलकाता, बंगलूरु उपहार में प्राप्त संपत्ति और अहमदाबाद

आईसीएआई द्वारा अभी तक स्थापित कुल 166 शाखाओं में से, 101 शाखाओं के पास अपने स्वयं के परिसर हैं, जिनके अंतर्गत 13 ऐसी शाखाएं (जो वर्तमान में किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) भी हैं, जिन्होंने भूमि का उपापन किया है और जहां या तो उन्होंने संनिर्माण आरंभ कर दिया है या होने वाला है। 14 शाखाओं (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं) ने भूमि का उपापन कर लिया है, जहां या तो संनिर्माण कार्य आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है। 52 शाखाओं के पास अपने स्वयं की भूमि या भवन नहीं है। 30 जून, 2022 तक क्षेत्रवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**टिप्पणियां**					
		डब्ल्यूआईआरसी	**एसआईआरसी**	**ईआईआरसी**	**सीआईआरसी**	**एनआईआरसी**	**योग**
1.	शाखाओं की कुल संख्या	**35**	**45**	**13**	**49**	**24**	**166**
2.	अपने स्वयं का परिसर रखने वाली शाखाओं की संख्या	21	34	6	30	10	**101**
3.	ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास भूमि है और जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो किराए के परिसरों से कार्यकरण कर रही हैं)	1	1	0	6	5	**13**
4.	ऐसी शाखाओं की संख्या, जिनके पास अपने परिसर के अलावा ऐसी भूमि भी है जिस पर संनिर्माण या तो आरंभ हो गया है या आरंभ होने वाला है (जो अपने स्वयं के परिसरों से कार्यकरण कर	4	3	1	5	1	**14**

	रही हैं)						
5.	ऐसी शाखाओं की कुल संख्या, जिनके पास न तो भूमि है और न ही भवन	13	10	7	13	9	**52**

7.5 अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति (आईएसी)

(I) विदेशों में वृत्तिक अवसरों की मान्यता के लिए आईएसी की पहलें

अंतर्राष्ट्रीय रूप से अपनी उपस्थिति को उपदर्शित करने के लिए आईसीएआई, सदस्यों की अर्हताओं को परस्पर रूप से मान्यता प्रदान करने के लिए वैश्विक लेखांकन निकायों के साथ अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करार कर रहा है। ये करार दो लेखांकन संस्थाओं के बीच कार्यकारी संबंधों की स्थापना करते हैं। ये करार वैश्विक रूप से कारबार के लिए दोनों ओर से नए आयामों को आरंभ करने के लिए वृत्तिकों के आदान-प्रदान में वृद्धि करने की ओर आगे बढ़ाया गया एक कदम हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आईसीएआई ने निम्नलिखित विदेशी निकायों के साथ अर्हता संबंधी परस्पर करार किए हैं :

- **सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्हता संबंधी परस्पर करार का नवीकरण**

  आईसीएआई ने 29 जुलाई, 2021 को सीपीए ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्हता संबंधी परस्पर करार का पांच वर्ष की आगे और अवधि के लिए नवीकरण किया है। संघ के मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 अप्रैल, 2021 आईसीएआई और सीपीए ऑस्ट्रेलिया के बीच एमआरए के नवीकरण को अनुमोदित किया था। इस नवीकरण समारोह में महामहिम श्री मनप्रीत वोहरा, आस्ट्रेलिया में भारत के माननीय उच्चायुक्त ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर सुश्री मेरान एच केल्सल, अध्यक्ष, बोर्ड, सीपीए ऑस्ट्रेलिया, श्री एंड्रयू हंटर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीपीए ऑस्ट्रेलिया ने आईसीएआई के नेतृत्व के साथ उपस्थित हुए थे। इस नवीकरण के साथ, आईसीएआई और सीपीए ऑस्ट्रेलिया, दोनों एक-दूसरे की अर्हता को मान्यता प्रदान करते रहेंगे तथा वे एक-दूसरे को प्रशिक्षण भी देगें, तथा एक ब्रिजिंग तंत्र को विहित करते हुए एक-दूसरे के सदस्यों का स्वागत करेंगे। यह एमआरए दोनों पक्षों के सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों में अभिवृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।

- **चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ समझौता ज्ञापन**

  आईसीएआई ने 10 सितंबर, 2021 को आयोजित एक वर्चुअल समारोह में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (सीए एएनजेड) के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आईसीएआई की ओर से इस अवसर पर सीए. निहार एन. जम्बुसरिया, अध्यक्ष, आईसीएआई मौजूद थे तथा सीए एएनजेड की ओर से सुश्री नाइव्स वोटिका रेडमेन, अध्यक्ष, सीए एएनजेड, सुश्री एनसिली वान आनसिलिन, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), सीए एएनजेड और श्री सीमोन ग्रांट, समूह कार्यपालक, अधिवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय, सीए एएनजेड उपस्थित हुए थे। यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के सदस्यों के लिए बढे हुए वृत्तिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा।

  ऐसे विदेशी संस्थानों की सूची नीचे दी गई है, जिनके साथ वर्तमान में आईसीएआई के अर्हता संबंधी परस्पर ठहराव विद्यमान हैं :

  - इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स इन आयरलैंड (सीपीए आयरलैंड)।
  - साऊथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (एसएआईसीए)।
  - सीपीए कनाडा।
  - इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू)।
  - इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल (आईसीएएन)
  - मलेशियाई इंस्टीट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एमआईसीपीए)
  - सीपीए आस्ट्रेलिया।
  - चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।

इसके अतिरिक्त, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (सीएएएनजेड) और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) ने आईसीएआई के सदस्यों के लिए अग्रणी पाथवे कार्यक्रमों की प्रस्थापना की है । ये प्रस्थापना द्विपक्षीय अर्हता संबंधी परस्पर मान्यता हेतु करारों के अलावा एकपक्षीय प्रस्थापना है ।

(II) आईसीएआई की वैश्विक उपस्थिति में अभिवृद्धि

- **आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों और प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से वैश्विक रूप से सीए ब्रांड का संवर्धन**

आईसीएआई के पास 44 विदेशी चैप्टर और 33 प्रतिनिधि कार्यालय हैं, जो विश्व भर में फैले हैं और जो उसे बेहतर रूप से भारतीय सीए की वैश्विक ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करके सदस्यों की बेहतर रूप से सेवा करने को समर्थ बनाते हैं ; इसके अतिरिक्त उनका प्रयोजन और अधिक वृत्तिक अवसरों का सृजन करना और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के प्रति सहायता करना है । आईसीएआई ने पूरे विश्व के 48 देशों के 77 शहरों में अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है । इस अवधि के दौरान आईसीएआई ने 5 नए चैप्टरों का शुभारंभ किया, अर्थात् यूएसए (शिकागो), यूएसए (डेलस), घाना (अकरा), मारीशस (पोर्ट लुईस) और दक्षिणी अफ्रीका (जोहान्सबर्ग) । 11 प्रतिनिधि कार्यालयों को भी आरंभ किया गया, अर्थात् हनोई, हो ची मिन्ह, जर्मनी (म्यूनिख), फिनलैंड (हेलसिंकी), गैबॉन (लिब्रेविल), आइवरी कोस्ट (आबिदजान), आंग थोंग (थाईलैंड), स्वीडन (स्टॉकहोम), डेनमार्क (कोपेनहेगन), जॉर्डन (अम्मान) और नीदरलैंड्स (आइंडहोवन) ।

विदेशों में प्रतिनिधि कार्यालय वहां खोले जाते हैं जहां वर्तमान में आईसीएआई चैप्टरों का सृजन नहीं किया जा सकता और इस प्रकार आईसीएआई विदेशों में स्थित अपने सदस्यों को एकसाथ लाकर तथा उन तक प्रभावी पहुंच को समर्थ बनाकर अपने सदस्यों को प्रभावी सेवा उपलब्ध कराता है और इस प्रकार वह 'भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों' की एक 'ब्रांड' के रूप में छवि को विश्व भर में मजबूत करने में सहायता करता है तथा भारतीय चार्टर्ड अकांउटेंटों के लिए अधिकाधिक वृत्तिक अवसरों के सृजन में योगदान देता है ।

- **आईसीएआई के सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर पुरस्कार, 2022**

वर्ष 2013 से अंतर्राष्ट्रीय कार्य संबंधी समिति (आईएसी) प्रत्येक वर्ष विदेशों में स्थित अपने चैप्टरों के लिए आईसीएआई के सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर पुरस्कारों का आयोजन कर रही है, जिसका उद्देश्य 'भारतीय सीए' की ब्रांड छवि में अभिवृद्धि करने में चैप्टर का प्रबंध करने वाली समिति के प्रयासों की सराहना करना है और साथ ही इस बात के लिए भी उसकी अनुशंसा की जाती है कि वह सदस्यों को नेटवर्किंग हेतु एक मंच उपलब्ध करा रहा है और इस प्रकार विदेशी जमीन पर सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना का सृजन कर रहा है । ये पुरस्कार चैप्टरों के विशिष्ट प्रयासों और उदाहरणात्मक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वृत्ति के विस्तार क्षेत्र में निरंतर बढ़ोतरी कर रहे हैं । सर्वोत्तम विदेशी चैप्टर का चयन समय-समय पर यथा अनुमोदित परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है ।

अधिकाधिक चैप्टरों को उत्तम कार्यपालन करने हेतु प्रोत्साहित करने और साथ ही आईसीएआई के चैप्टरों को आगामी डब्ल्यूसीओए 2022 के सफल आयोजन के प्रति योगदान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष सर्वोत्तम चैप्टर पुरस्कार के लिए मूल्यांकन मानदंड को पुनरीक्षित किया गया है ।

- **अंतर्राष्ट्रीय निकायों में आईसीएआई का प्रतिनिधित्व**
    - सीए. प्रफुल पी. छाजेड, आईसीएआई के पूर्व अध्यक्ष को एशिया और प्रशांत अकाउंटेंटों की कांफेड्रेशन (कापा) के उपाध्यक्ष के रूप में नवंबर, 2021 से आरंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया गया है ।
    - सीए. (डा.) देबाशीष मित्रा, अध्यक्ष, आईसीएआई को नवंबर, 2021 से आरंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्डवाइड (सीएडब्ल्यू) के बोर्ड सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।
    - सीए. निहार एन. जम्बुसरिया, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई को 1 जनवरी, 2022 से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (साफा) के उपाध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।
    - सीए. राजेश शर्मा, पूर्व परिषद् सदस्य, आईसीएआई को 1 जनवरी, 2022 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए आईएफएसी के लघु और मध्यम व्यवसायी (एसएमपी) सलाहकारी समूह के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।
    - सीए. संजीव कुमार चौधरी, पूर्व परिषद् सदस्य, आईसीएआई को 1 जनवरी, 2022 से आरंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए अकाउंटेंटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिक मानक बोर्ड के सदस्य के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट किया गया है ।
    -

- **आईसीएआई की ब्रांड साम्या का वैश्वीकरण**

एशियान फेडरेशन आफ अकाउंटेंट की सहबद्ध सदस्यता

आईसीएआई ने अपनी वैश्विक आउटरीच में विस्तार करने तथा एशियान क्षेत्र में कदम जमाने के लिए एशियान फेडरेशन आफ अकाउंटेंट की सहबद्ध सदस्यता को प्राप्त किया है। एशियान फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (एएफए) की स्थापना मार्च, 1977 में की गई थी। ताकि वह ऐसे देशों, जो दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगम (एशियान) का भाग हैं, के राष्ट्रीय लेखांकन निकायों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का प्रयोजन सिद्ध कर सके। एएफए की सदस्यता आईसीएआई को एशियान क्षेत्र में स्थित वृत्तिक निकायों के साथ निकट रूप से जुडने में समर्थ बनाएगी और साथ ही वह उनकी अधिकारिताओं में विद्यमान पीओए के माध्यम से आईसीएआई की ऐसी पहलों का संवर्धन करेगी, जो वैश्विक रूप से संगत है।

निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संगठनों/मंचों की सूची है, जिनमें से आईसीएआई एक सदस्य है :-

- इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स - संस्थापक
- एशियाई और प्रशांत लेखाकारों का फेडरेशन - संस्थापक
- दक्षिण एशियाई लेखाकार फेडरेशन - संस्थापक
- एशियन ओशनिक मानक निर्धारक समूह - संस्थापक
- अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक मंच (आईएफएएसएस)
- चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ल्डवाइड
- एशियान फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स
- पैन अफ्रीकन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स
- एडिनबर्ग समूह
- उभरती अर्थव्यवस्था समूह
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन मानक परिषद
- एकीकृत रिपोर्टिंग परिषद
- एक्सबीआरएल अंतर्राष्ट्रीय
- आईएफआरएस फाउंडेशन

- **आईसीएआई का दौरा करने वाले प्रतिनिधि मंडल**
  - **सीए मालदीवस से प्रतिनिधिमंडल का दौरा**

श्री हुसैन नियाजी, मालदीवस के महालेखापरीक्षक और सीए मालदीवस के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 8 मार्च, 2022 को आईसीएआई का दौरान किया।

सीए मालदीवस ने परीक्षा, पाठ्यचर्या संरचना, अनुशासन तंत्र, पियर पुनर्विलोकन सदस्य और छात्र सेवाओं, वृत्तिक विकास आदि के क्षेत्रों में आईसीएआई के कार्यकरण के संबंध में गहन जानकारी प्राप्त करने और साथ ही आईसीएआई द्वारा किए जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण क्रियाकलापों, विशेषरूप से वहनीयता, न्यायालीन लेखांकन, मूल्यांकन मानक, डिजीटल पठन केंद्र के संबंध में आईसीएआई द्वारा की जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों के संबंध में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए आईसीएआई का समर्थन का अनुरोध किया है। प्रतिनिधि मंडल ने आईसीएआई द्वारा इस संबंध में किए गए प्रयासों की सराहना की।

सीए मालदीवस ने आईसीएआई और मालदीवस के संस्थान के बीच लेखांकन ज्ञान के संवर्धन, मालदीवस में वृत्तिकों के वृत्तिक और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को स्थापित करके मालदीवस में लेखांकन वृत्ति के विकास के लिए आईसीएआई के समर्थन की ईप्सा की थी।

  - **आईसीएआई और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के पदधारियों के बीच बैठक**

आईसीएआई और इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के पदधारियों, अर्थात् सुश्री

वंदना सक्सेना पोरिया, भारतीय सलाहकार, आईसीएईडब्ल्यू, जिन्होंने भौतिक रूप से आईसीएआई का दौरान किया और श्री डग विटिंग्टन, वरिष्ठ वैश्विक कारबार विकास प्रबंधक, आईसीएईडब्ल्यू और श्री डेनियल वेस्टली, वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कारबार विकास प्रबंधक, आईसीएईडब्ल्यू, जिन्होंने वर्चुअल पद्धति से बैठक में भाग लिया, के साथ तारीख 9 मार्च, 2022 को एक बैठक का आयोजन किया गया ।

इस बैठक में आईसीएआई और आईसीएईडब्ल्यू के बीच समझौता ज्ञापन, जो 2 अक्तूबर, 2022 को समाप्त हो रहा है, के नवीकरण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया । आगामी अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस, जिसकी मेजबानी आईसीएआई द्वारा की जा रही है, के संबंध में भी वक्ताओं से संबंधित अवसरों तथा प्रायोजन संबंधी अवसरों के संबंध में चर्चा की गई और साथ ही आईसीएईडब्ल्यू के प्रतिनिधि मंडल द्वारा उक्त कांग्रेस में भाग लेने तथा अपनी अधिकारिता क्षेत्र में डब्ल्यूसीओए का संवर्धन करने के संबंध में भी वार्ताएं की गई ।

कुछ सुसंगत विषयों जैसे कि वहनीयता, मूल्यांकन और उस प्रकार के अन्य विषयों के संबंध में संयुक्त अनुसंधान/अध्ययन और संयुक्त कार्यक्रमों/वेबीनारों को आयोजित करने की संभावना पर भी विचार-विमर्श किया गया । आईसीएआई और आईसीएईडब्ल्यू ने पूर्व में परस्पर सहयोग करते हुए "वित्त संबंधी कृत्यों में स्वचालन : भारत और यूके से सीख" शीर्षक वाले एक अध्ययन का संयुक्त रूप से प्रकाशन किया था ।

- **सीपीए आस्ट्रेलिया से एक प्रतिनिधि मंडल का आईसीएआई का दौरा**

श्री लेसी लियो, महाप्रबंधक – उभरते बाजार, सीपीई आस्ट्रेलिया ने 18 अप्रैल, 2022 को आईसीएआई के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली का दौरा किया । आईसीएआई की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा श्री एंड्रयू हंटर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सीपीए आस्ट्रेलिया के नेतृत्व में सीपीए आस्ट्रेलिया के एक दल से 21 अप्रैल, 2022 को एक कांफ्रेस काल के माध्यम से वार्ता की थी । दोनों संस्थानों ने, उनके बीच पिछले 12 वर्षों से हस्ताक्षरित अर्हता को परस्पर मान्यता दिए जाने संबंधी करार के फायदों के संबंध में चर्चा की गई और साथ ही दोनों संस्थानों के परस्पर हित के विषयों पर संयुक्त अध्ययन करने तथा प्रकाशन निकालने के संबंध में भी वार्ताएं की गई ।

- **इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल (आईसीएएन) से एक प्रतिनिधि मंडल का दौरा**

श्री युद्ध राज ओली, अध्यक्ष, आईसीएएन और सीए. संजय कुमार सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, आईसीएएन के नेतृत्व में आईसीए नेपाल के एक प्रतिनिधि मंडल ने जून, 2021 में आईसीएआई की परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में अंतरदृष्टि प्राप्त करने के लिए आईसीएआई का दौरा किया । आईसीएआई ने अपनी परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को उनके साथ साझा किया और आईसीएएन से यह प्रतिबद्धता की वह उसकी परीक्षा प्रक्रिया के अंकीयकरण में सहायता करेगा । यह उल्लेखनीय है कि इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल को आईसीएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी समर्थन के साथ स्थापित किया गया था । अध्ययन सामग्रियों के विकास, पाठ्यचर्या के विकास, प्रशिक्षण संरचना आदि के संबंध में आईसीए नेपाल को समर्थन प्रदान किए जाने से आरंभ हुई समर्थन की यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि पियर पुनर्विलोकन, आईएसए पाठ्यक्रम, सतत वृत्तिक शिक्षा प्रक्रिया, परीक्षा प्रक्रिया, आईसीएआई सदस्यों के डिजीटल पठन केंद्र तक पहुंच आदि में अभी भी जारी है, जैसा कि समय-समय पर आईसीए नेपाल द्वारा अध्यपेक्षा की जाती है ।

(III) तकनीकी सहयोग संबंधी करार

आईसीएआई ऐसे देशों, जिनमें लेखांकन अवसंरचना विद्यमान नहीं है, को तकनीकी सहयोग का ढांचा उपलब्ध कराने हेतु भी सहबद्ध है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, आईसीएआई ने निम्नलिखित निकायों के साथ तकनीकी सहयोग संबंधी करारों पर हस्ताक्षर किए हैं ।

- **भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और कतर फाइनेंशल सेंटर अथारिटी (क्यूएफसीए) के बीच वर्चुअल रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संबंधी समारोह**

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) और कतर फाइनेंशल सेंटर अथारिटी (क्यूएफसीए) ने कतर में लेखांकन वृत्ति और उद्यमशीलता संबंधी आधार को सुदृढ बनाने के लिए दोनों संस्थानों द्वारा मिलकर एक साथ कार्य करने के उद्देश्य से परस्पर सहयोग का संवर्धन करने के लिए 28 जून, 2021 को आयोजित एक वर्चुअल समारोह के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।

आईसीएआई की ओर से आईसीएआई के अध्यक्ष सीए. निहार एन. जम्बुसरिया, आईसीएआई के उपाध्यक्ष सीए. (डा.)

देबाशीष मित्रा ने समारोह को संबोधित किया । श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने विशेष अतिथि के रूप में इस समारोह को संबोधित किया तथा डा. दीपक मित्तल, भारत के कतर राज्य में माननीय राजदूत ने भी अपनी उपस्थिति से इस समारोह की शोभा बढाई । इस समारोह में केंद्रीय परिषद् सदस्यों सीए. दयानिवास शर्मा, सीए. अनिकेत एस तलाटी, श्री विजय कुमार झालानी (सरकार के नामनिर्देशिती), सीए. अनुज गोयल, सीए. डा. संजीव सिंघल, सीए. चन्द्रशेखर वसंत चिताले, सीए. दुर्गेश कुमार काबरा और सीए. मनु अग्रवाल ने भी भाग लिया । क्यूएफसीए की ओर से श्री कमल नाजी, मुख्य परियोजना अधिकारी, युसूफ मोहम्मद अल-जैदा, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, क्यूएफसीए ने भी अपना संबोधन प्रस्तुत किया ।

यह समझौता ज्ञापन आईसीएआई के मध्य-पूर्व तथा कतर में मौजूद लगभग 6000 सदस्यों के लिए अवसरों/संभाव्यताओं में वृद्धि करेंगे और साथ ही उन्हें कतर और भारत की अर्थव्यवस्थाओं के विकास में समर्थन करने हेतु एकसाथ मिलकर कार्य किए जाने के लिए बेहतर रूप से मान्यता प्राप्त होगी ।

- **आईसीएआई और चेम्बर आफ आडिटर्स आफ द रिपब्लिक आफ अजरबाइजान (सीएएआर) के बीच किए जाने वाले समझौता ज्ञापन का संघ के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तारीख 8 सितंबर, 2021 को आयोजित संघ के मंत्रिमंडल की बैठक में आईसीएआई और चेम्बर आफ आडिटर्स आफ द रिपब्लिक आफ अजरबाइजान (सीएएआर) के बीच किए जाने वाले समझौता ज्ञापन को अनुमोदन प्रदान किया गया । आईसीएआई और सीएएआर, दोनों ही संस्थान संपरीक्षा, वित्त और लेखांकन वृत्ति के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को सुदृढ करने का आशय रखते हैं ।

- **आईसीएआई और पीआईबीआर, पौलेंड के बीच किए जाने वाले समझौता ज्ञापन का संघ के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में तारीख 1 दिसंबर, 2021 को आयेाजित संघ के मंत्रिमंडल की बैठक में आईसीएआई और पोलिश चैम्बर आफ स्टेट्यूटरी आडिटर्स (पीआईबीआर) के बीच किए जाने वाले समझौता ज्ञापन को अनुमोदन प्रदान किया गया । यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच सदस्य प्रबंध, वृत्तिक नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, सतत वृत्तिक विकास, वृत्तिक लेखांकन, प्रशिक्षण, संपरीक्षा की क्वालिटी की मानीटरी, लेखांकन संबंधी ज्ञान का संवर्धन, वृत्तिक और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को स्थापित करेगा ।

- **2 दिसंबर, 2021 को आईसीएआई और इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आफ रशिया (आईपीएआर) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर संबंधी समारोह**

आईसीएआई ने 2 दिसंबर, 2021 को आयोजित किए गए एक वर्चुअल समारोह के दौरान इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आफ रशिया (आईपीएआर) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच सदस्य प्रबंध, वृत्तिक नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, सतत वृत्तिक विकास, वृत्तिक लेखांकन, प्रशिक्षण, संपरीक्षा की क्वालिटी की मानीटरी, लेखांकन संबंधी ज्ञान का संवर्धन, वृत्तिक और बौद्धिक विकास के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को स्थापित करना है । इस समारोह में डा. असीम वोहरा, प्रथम सचिव – व्यापार खंड, रुस में स्थित भारत के दूतावास ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढाई थी । आईसीएआई की ओर से सीए. निहार एन. जम्बुसरिया, अध्यक्ष, आईसीएआई और सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, कार्यकारी सचिव, आईसीएआई इस समारोह में उपस्थित हुए थे । आईपीएआर की ओर से श्री गैन्नेडी ओर्स्तोवस्की, उपाध्यक्ष, आईपीएआर, रूस और सुश्री एवगिनिया कोपोसोवा, निदेशक आईपीएआर, रूस ने इस कार्यक्रम में भाग लिया । यह करार भारत-रूस के 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित 28 समझौता ज्ञापनों/द्विपक्षीय सहयोग संबंधी करारों में से एक है ।

- **कालेज और बैंकिग एंड फाइनेशनल स्टीडीज, ओमान के साथ समझौता ज्ञापन का नवीकरण**

आईसीएआई और कालेज और बैंकिग एंड फाइनेशनल स्टीडीज, ओमान के बीच विद्यमान समझौता ज्ञापन का 31 मार्च, 2022 को नवीकरण किया गया । इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ओमान के भीतर लेखांकन, वित्तीय और संपरीक्षा संबंधी ज्ञान आधार को सुदृढ करने के लिए दोनों संस्थानों द्वारा एकसाथ मिलकर कार्य करना है । आईसीएआई और सीबीएफएस के बीच उक्त समझौता ज्ञापन, जो वर्ष 2008 से दोनों संस्थानों के बीच सफलतापूर्वक विद्यमान है, ने ओमान और खाडी क्षेत्र में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के ब्रांड की वैश्विक उपस्थिति के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है । यह उल्लेखनीय है कि ओमान में 500 से अधिक भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं और वहां स्थित आईसीएआई के चैप्टर में 300 से अधिक रजिस्ट्रीकृत सदस्य विद्यमान हैं ।

ऐसे संस्थानों की सूची निम्नानुसार है, जिनके साथ आईसीएआई के, उन संस्थानों के देशों में लेखांकन वृत्ति के संस्थागत विकास के लिए तकनीकी सहयोग संबंधी करार विद्यमान हैं :

- चेम्बर आफ आडिटर्स आफ द रिपब्लिक आफ अजरबाइजान (सीएएआर) के साथ समझौता ज्ञापन
- पोलिश चैंबर आफ स्टेट्यूटरी आडिटर्स (पीआईबीआर) के साथ समझौता ज्ञापन
- कॉलेज फार बैंकिंग एंड फाइनेशनल स्टडीज (सीबीएफएस) ओमान के साथ समझौता ज्ञापन
- इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आफ रशिया (आईपीएआर) के साथ समझौता ज्ञापन
- कतर फाइनेशल सेंटर (क्यूएफसी) के साथ समझौता ज्ञापन
- सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंस - पापुआ न्यू गिनी (सीपीए पीएनजी) के साथ समझौता ज्ञापन
- हायर कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, (एचसीटी) यूएई के साथ समझौता ज्ञापन
- वेरेनिगिंग वैन रजिस्टरकंट्रोलर्स (वीआरसी), नीदरलैंड्स के साथ समझौता ज्ञापन
- सीपीए अफगानिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन
- सऊदी आर्गनाइजेशन आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स (एसओसीपीए) के साथ समझौता ज्ञापन
- कुवैत अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन (केएएए) के साथ समझौता ज्ञापन
- इंस्टिट्यूट आफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स आफ केन्या (आईसीपीएके) के साथ समझौता ज्ञापन
- नेशनल बोर्ड ऑफ अकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स, तंजानिया के साथ समझौता ज्ञापन
- बहरीन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (बीआईबीएफ) के साथ समझौता ज्ञापन
- इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ नेपाल (आईसीएएन) के साथ समझौता ज्ञापन

सीए मालदीवस और आईसीए नाइजीरिया के साथ किए जाने वाले समझौता ज्ञापन को आईसीएआई की परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(IV) आईसीएआई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

- **20-22 जनवरी, 2022 के दौरान "अकाउंटेंटों द्वारा एक डिजीटल और वहनीय अर्थव्यवस्था का सृजन" विषय पर आईसीएआई का वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन**

  आईसीएआई ने 20-22 जनवरी, 2022 के दौरान "अकाउंटेंटों द्वारा एक डिजीटल और वहनीय अर्थव्यवस्था का सृजन" विषय वर्चुअल पद्धति से आईसीएआई के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मेलन में विषय भर से 3000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिन्होंने प्रतिनिधियों के उत्तम अनुभव हेतु विशेष रूप से सृजित एक अति आधुनिक वर्चुअल मंच के माध्यम से इस सम्मेलन में भाग लिया था ।

  इस तीन दिवसीय बृहत्त अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वप्रथम एक उदघाटन सत्र को सम्मिलित किया गया, जिसके पश्चात् 17 तकनीकी सत्रों और 6 समकालीन सत्रों का आयोजन किया गया, जिन्हें 80 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने संबोधित किया । इस सम्मेलन का उद्देश्य वहनीय विकास के महत्व को विशिष्टतापूर्वक दर्शित करना था तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास के प्रति प्रौद्योगिकी के सहयोग की आवश्यकता पर बल देना था ।
  इस सम्मेलन का उदघाटन श्री नितिन गडकरी, संघ के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किया, जो इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे । इस सम्मेलन को सुश्री स्मृति ईरानी, संघ की माननीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा श्री एलन जॉनसन, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स ने सम्मानित अतिथि के रूप में संबोधित किया ।

(V) समझौता ज्ञापन/एमआरए भागीदारों के साथ कार्यक्रम

- **सीपीए आस्ट्रेलिया और आईसीएईडब्ल्यू के साथ जागरुकता सत्रों का आयोजन**

  आईसीएआई, समय-समय पर सीपीए आस्ट्रेलिया और आईसीएईडब्ल्यू के सहयोग से, उनके साथ हस्ताक्षरित अर्हता की परस्पर मान्यता संबंधी करारों की आज्ञा के अधीन संयुक्त रूप से जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिससे सदस्यों को इन एमआरए के अधीन उपलब्ध स्कीमों और अन्य फायदों के प्रति जागरुक बनाया जा सके । इस प्रकार के कार्यक्रमों को सदस्यों से अत्यधिक सराहना प्राप्त होती है । सीपीए आस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन प्रत्येक मास में एक बार किया जा रहा है ।

- **आईसीएआई द्वारा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ 11 अगस्त, 2021 को "वित्तीय कृत्यों में स्वचालन" विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन**

आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति और अंकीय लेखांकन तथा आश्वासन मानक बोर्ड ने यह समझने के लिए कि एमएसएमई ने किस प्रकार कोविड 19 महामारी के प्रकोप को झेला और उससे बाहर आएं और वे स्वचालन परिप्रेक्ष्य से कार्यकरण के किस प्रकार के समाधानों को अपना रहे हैं, इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ संयुक्त रूप से 11 अगस्त, 2021 को "वित्तीय कृत्यों में स्वचालन" विषय पर एक वेबकास्ट का आयोजन किया । इस कार्यक्रम को सुश्री करस्टीन गिलन, प्रमुख रिपोर्ट लेखक, आईसीएईडब्ल्यू, श्री दीनानाथ खोलकर, उपाध्यक्ष और वैश्विक प्रमुख, विश्लेषण और अंतदृष्टि, टाटा परामर्शी सेवाएं, श्री राहुल बोथरा, मुख्य वित्त अधिकारी, स्वीगी ने आईसीएआई के नेतृत्व के साथ संबोधित किया ।

- **कतर फाइनेशनल सेंटर के साथ सहयोग से वेबीनार का आयोजन, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई**

आईसीएआई ने 16 दिसंबर, 2021 को कतर फाइनेशनल सेंटर के साथ सहयोग से "कतर – आपका कैरियर गंतव्य" थीम पर एक वेबीनार का आयोजन किया, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी द्वारा की गई । यह वेबीनार भारत और कतर के बीच सहयोग की दिशा में एक ओर कदम था, जिसे आईसीएआई और क्यूएफसी के बीच 28 जून, 2021 को हस्ताक्षरित परस्पर सहयोग संबंधी करार के अधीन उठाया गया । इस वेबीनार ने ऐसे सदस्यों के ज्ञान आधार को समृद्ध बनाया, जो कतर जाने के इच्छुक हैं ।

- **आयरलैंड में आईसीएआई के सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों के संबंध में 4 मई, 2022 को सीपीए आयरलैंड के सहयोग से एक वेबीनार का आयोजन**

आईसीएआई के सदस्यों के बीच आयरलैंड में विद्यमान विभिन्न वृत्तिक अवसरों के संबंध में जागरुकता का सृजन करने के लिए आयरलैंड में आईसीएआई के सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों के संबंध में 4 मई, 2022 को सीपीए आयरलैंड के सहयोग से एक वेबीनार का आयोजन किया गया । इस समारोह का आयोजन आईसीएआई और सीपीए के बीच हस्ताक्षरित एमआरए के अधीन किया गया । यह सीपीए आयरलैंड द्वारा आयोजित किए जाने वाला पहला वेबीनार था । इस समारोह में महामहिम श्री अखिलेश मिश्रा और सीए. अनिकेत सुनील तलाटी, उपाध्यक्ष, आईसीएआई ने उपस्थित होकर उसकी शोभा बढाई । सीपीई आयरलैंड की ओर से इस समारोह में श्री ऐमोन सिगिंन्स, मुख्य कार्यपालक, सीपीए आयरलैंड – आईसीएआई और सीपीए आयरलैंड के बीच एमआरए, सुश्री केरोलीन मोलोनी, कारबार विकास कार्यपालक, सीपीए आयरलैंड, सुश्री कैलसी लार्किंग, कारबार विकास प्रबंधक, वीजा फर्स्ट और सीए. सचिन गुप्ता, अध्यक्ष, आईसीएआई का आयरलैंड चैप्टर ने भाग लिया ।

(VI) वेबीनार

समिति ने साधारण रूप से वृत्ति के फायदे के लिए तथा उन्हें उनके ज्ञान आधार तथा कौशल सेटों को समुन्नत करने का अवसर प्रदान करने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों/वेबीनारों का आयोजन किया ।

27 जून, 2021 को आईसीएआई द्वारा साफा ग्लोबल एसएमपी वेबीनार की मेजबानी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने अंतर्राष्ट्रीय एसएमपी दिवस के उपलक्ष्य में 27 जून, 2021 को "कोविड पश्च युग में डिजीटल एसएमपी का निर्माण" विषय पर साफा ग्लोबल एसएमपी वेबीनार की मेजबानी की । इस कार्यक्रम को निहार एन. जंबुसरिया, अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. (डॉ.) देबाशीष मित्रा, उपाध्यक्ष आईसीएआई, सीए. सतीश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, लघु और मध्यम व्यवसायियों संबंधी समिति, साफा, श्री ए.के.एम. डेलवर हुसैन, अध्यक्ष, साफा ने संबोधित किया । श्री क्लॉस बर्ट्राम, उपाध्यक्ष, आईएफएसी एसएमपी सलाहकार समूह ने वेबीनार में "परिवर्तनशील विश्व में एसएमपी का डिजीटल संपरिवर्तन" विषय पर एक प्रस्तुतिकरण किया ।

वेबीनार में "एसएमपी का समर्थन और सेवा : क्षेत्रीय निकायों की भूमिका" विषय पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया जिसका संचालन सीए. (डॉ.) संजीव सिंघल, अध्यक्ष, व्यवसाय में लगे सदस्यों संबंधी समिति, आईसीएआई ने किया और इस पैनल परिचर्चा में सीए. सतीश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, साफा की एसएमपी समिति, श्री सल्वाडोर मरिन, अध्यक्ष, यूरोपीय फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स एंड आडिटर्स फार एसएमई (ईएफएए), श्री पानायोटिस अलमानोस, अध्यक्ष, फेडरेशन आफ मेडिट्रेनियन सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स (एफसीएम), सुश्री अल्ता प्रिंसलू, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पैन अफ्रीकन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (पाफा), श्री ऑकी प्रतामा, कार्यकारी निदेशक, एशियान फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स (एएफए), सुश्री हिना उस्मानी, सदस्य, साफा की एसएमपी समिति

और श्री तिशन सुबासिंघे, सदस्य, साफा की एसएमपी समिति ने भाग लिया ।

यह वेबीनार श्री हेनायके बंडारा, उपाध्यक्ष, साफा और सीए. प्रसन्ना कुमार डी, उपाध्यक्ष, व्यवसायरत सदस्यों संबंधी समिति, आईसीएआई द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुआ ।

- **साफा वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम : छात्रों को भविष्य हेतु तैयार करना, जिसकी मेजबानी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा की गई**

  आईसीएआई ने, साफा सदस्य निकायों के छात्रों के लिए साफा वर्चुअल प्रशिक्षण कार्यक्रम : छात्रों को भविष्य हेतु तैयार करना, की मेजबानी की । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उदघाटन सत्र का आयोजन 7 अगस्त, 2021 को किया गया और उसमें निहार एन. जंबुसरिया, अध्यक्ष, आईसीएआई, सीए. (डॉ.) देबाशीष मित्रा, उपाध्यक्ष, आईसीएआई, श्री ए.के.एम. डेलवर हुसैन, अध्यक्ष, साफा, श्री हेनायके बंडारा, उपाध्यक्ष, साफा और सीए. जय छैरा, अध्यक्ष, साफा की शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी संबंधी समिति ने भाग लिया, जिसके पश्चात् 7 और 13 अगस्त को तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया । इस सत्र में विश्व भर से 1000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया ।

- **17-18 नवंबर, 2021 को "वहनीयता संबंधी कार्यसूची को बढावा देना : वृत्तिक अकाउंटेंटों के अवसर" विषय पर एक आईसीएआई वैश्विक वर्चुअल वहनीय शिखर सम्मेलन का आयोजन**

  आईसीएआई की अंतर्राष्ट्रीय कार्य समिति वहनीयता रिपोर्टिंग मानक बोर्ड ने विश्व भर में उभरते वहनीयता रिपोर्टिंग के इको सिस्टम के संबंध में गहन रूप से विचार करने तथा भारतीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्यों को एक साथ लाने के अपने प्रयास के भागरूप में संयुक्त रूप से 17-18 नवंबर, 2021 को "वहनीयता संबंधी कार्यसूची को बढावा देना : वृत्तिक अकाउंटेंटों के अवसर" विषय पर एक आईसीएआई वैश्विक वर्चुअल वहनीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया । इस शिखर सम्मेलन द्वारा एक ऐसा मंच उपलब्ध कराया गया, जहां कारबारों द्वारा वहनीय व्यवहारों का अंगीकार किए जाने की आवश्यकता, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में संपरिवर्तित होने हेतु परस्पर सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता, एक सुमेलित वैश्विक वहनीयता रिपोर्टिंग प्रणाली के निर्माण के प्रति प्रयासों को सुदृढ करने की आवश्यकता तथा वहनीयता संबंधी कार्यसूची को बढावा देने में अकाउंटेंटों की महत्वपूर्ण भूमिका के संबंध में विचार-विमर्श किया गया । इस शिखर सम्मेलन में 4 तकनीकी सत्र सम्मिलित थे, जिनके दौरान अनिवार्य विषयों पर पैनल परिचर्चाओं का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वक्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए ।

7.6 अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस संबंधी कार्यकरण समिति (डब्ल्यूसीओए)

अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए), जिसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार किया जाता है, लोकप्रिय रूप से "लेखांकन वृत्ति के ओलम्पिक्स" के रूप में जानी जाती है और यह अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (आईएफएसी) के तत्वाधान में वृत्तिक अकाउंटेंटों के अतिविशिष्ट वैश्विक कार्यक्रमों में से एक है । अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस लेखांकन वृत्ति से संबंधित एक वैश्विक संगठन है, जिसमें 180 संगठन उसके सदस्यों और सहबद्ध संगठनों के रूप जुडे हैं, जो 135 देशों और अधिकारिताओं में फैले हैं ।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, भारत में 18-21 नवंबर, 2022 के दौरान "विश्वास समर्थकारी वहनीयता का निर्माण" विषय पर आयोजित की जाने वाली 21वीं अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस का गौरवशाली मेजबान है ।

डब्ल्यूसीओए, जिसका इतिहास वर्ष 1904 से आरंभ हुआ, इस कांग्रेस के 118 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है और यह देश के लिए एक गर्व का क्षण है । इस कांग्रेस का आयोजन हाईब्रिड पद्धति से कराया जाएगा, जिसमें 6000 से अधिक प्रतिनिधि भौतिक रूप से और 10000 से अधिक प्रतिनिधि वर्चुअल रूप से पूरे विश्व से भाग लेंगे ।

डब्ल्यूसीओए का उद्देश्य वैश्विक एकता को बढावा देना तथा वृत्तिक अकाउंटेंटों के बीच भाईचारे की भावना की वृद्धि करना है । यह कांग्रेस अर्थशास्त्र, वित्त, प्रौद्योगिकी और कारबार के क्षेत्र में विद्यमान प्रबुद्ध नेताओं को सुनने का तथा विश्व भर के अन्य लेखांकन और वित्तीय वृत्तिकों के साथ विचारों का आदान-प्रदान करने तथा वृत्ति में समकालीन मुद्दों तथा प्रवृत्तियों पर परस्पर संवाद करने का अवसर उपलब्ध कराती है ।

21वीं विश्व कांग्रेस की "वहनीयता समर्थनकारी विश्वास का निर्माण" थीम को समुदायों के समर्थन में विश्वास के निर्माण में लेखांकन वृत्ति की भूमिका और सतत प्रयास तथा वृत्ति द्वारा एक वहनीय अर्थव्यवस्था के निर्माण, जो भविष्य के लिए आवश्यक है, के प्रति किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है ।

7.7 रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति (एसपीपीएंडएमसी)

रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति (एसपीपीएंडएमसी), भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की गैर-स्थायी समितियों में से एक है, जिसका सृजन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के विनियामक उपबंधों के अधीन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य एक प्रमुख रूप से केंद्रित और क्रियाशील संस्थान के रूप में आईसीएआई को रणनीति और अन्य उभरते क्षेत्रों में विकसित करने और एक व्यापक आधार प्रदान करने हेतु लेखांकन वृत्ति की मूल सक्षमताओं की पहचान करना, उन पर ध्यान केंद्रित करना, उनकी खोज करना, उनके संबंध में विचार-विमर्श करना तथा उन्हें विकसित करना है। समिति अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु लेखांकन वृत्ति के समावेशक विकास के लिए नीतिगत योजनाएं तैयार करती है और इस प्रक्रिया के दौरान वह पणधारियों को सशक्त बनाती है।

एसपीपीएमसी, आईसीएआई के मूल कृत्यों हेतु एक नीतिगत योजना तैयार करने वाली और मार्गदर्शक इकाई के रूप में कार्य करती है और वह इस संबंध में रणनीति तैयार करती है कि किस प्रकार भारत और आईसीएआई की उपस्थिति को अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुदृढ किया जाए। समिति का उद्देश्य वैश्विक संदर्भ में आईसीएआई की संगतता को बनाए रखने तथा उसका संवर्धन करने के लिए वैश्विक संगठनों के साथ मिलकर कार्य करना और भारतीय आईसीए के अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और हैसियत में सतत रूप से सुधार करना है।

(I) वर्ष 2021-22 के दौरान समिति के क्रियाकलाप :

समिति ने 31 जनवरी, 2022 को "सीए फर्मों में उत्तराधिकार योजना – एक परिप्रेक्ष्य" विषय पर एक लाइव वीसीएम का संचालन किया। इस लाइव वीसीएम के दौरान सम्मिलित किए गए सत्रों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :

- उत्तराधिकार योजना के माध्यम से मूल्य का सृजन ; और
- लघु फर्मों के लिए उत्तराधिकार योजना में चुनौतियां।

इस वीसीएम को सदस्यों से उत्साहवर्धन प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। इस कार्यक्रम में लगभग 3000 सदस्यों ने भाग लिया और अनेक सदस्यों ने वक्ताओं से अनेक प्रकार की शंकाओं को अग्रेषित किया।

(II) वर्ष 2022-23 के दौरान 30 जून, 2022 तक समिति के क्रियाकलाप

5 अप्रैल, 2022 को आईसीएआई परिसर बीकेसी, मुंबई में रणनीति, परिप्रेक्ष्य योजना और मानीटरी समिति (एसपीपीएंडएमसी) की छठी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय परिषद् के सभी सदस्यों को भविष्य के लिए संस्थान की रणनीति के संबंध में विचार-विमर्श करने तथा योजना बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उक्त बैठक के दौरान विभिन्न अंत:निवेश और कार्ययोजना बिन्दुओं के संबंध में सुझाव तथा ऐसी पहलों के संबंध में सिफारिशें प्राप्त हुई थी, जिन्हें वृत्ति और राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में सफल दक्षता और योगदान में सुधार करने के लिए विभिन्न समितियों/बोर्डों/विभागों/निदेशालयों द्वारा विचार में लिया जा सकता है।

7.8 यूडीआईएन निदेशालय

यूडीआईएन निदेशालय, चूंकि सीए के नाम से नकली अधिप्रमाणन पत्र विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकारी विभागों को धोखा दे रहे थे, जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए उन पर विश्वास कर रहे थे और इस प्रकार राष्ट्रीय खजाने को हानि हो रही थी इसलिए आईसीएआई ने एक अद्वितीय अवधारणा को आकार देकर एक अग्रणी पहल की है, जिसे "अद्वितीय दस्तावेज पहचान संख्या (यूडीआईएन) – अधिप्रमाणन की मुद्रा" नाम प्रदान किया गया है। इस अवधारणा के माध्यम से विनियामक और पणधारी वास्तविक समय आधार पर माउस के एक साधारण क्लिक द्वारा दस्तावेजों की सत्यतता को स्थापित करने में समर्थ होंगे, जो इस प्रकार के दुरुपयोगों को समाप्त करेगा तथा सीए वृत्ति के भरोसे और विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करेगा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा वर्ष 2019 में यूडीआईएन के क्रियान्वयन और इस संबंध में प्रगति की तथा वास्तविक समय आधार पर उसके दैनिक कार्यकरण की मानीटरी करने के लिए यूडीआईएन निदेशालय को गठित किया गया है। उससे पूर्व यह कार्य वृत्तिक विकास समिति द्वारा किया जाता था।

(I) विनियामकों, बैंकों और पणधारियों द्वारा - यूडीआईएन

- विभिन्न सरकारी विभाग और पणधारी दस्तावेजों की सत्यता का सत्यापन करने के लिए सक्रिय रूप से यूडीआईएन पोर्टल की सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं। हाल ही में, लोक संकर्म विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह सूचित किया है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने, उनकी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोली लगाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले खंड (ख), प्ररूप 2 (वित्तीय क्षमता का पता लगाने) में यूडीआईएन के उल्लेख को आज्ञापक बनाया है। हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों, जैसे कि पश्चिमी बंगाल सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें प्राप्त होने वाले दस्तावेजों की अधिप्रमाणिकता के सत्यापन हेतु यूडीआईएन पद्धति को मान्यता प्रदान की है।

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सीए द्वारा जारी उनके प्ररूपों/ प्रमाणपत्रों में यूडीआईएन के उल्लेख के लिए उपबंध किया है। इसी प्रकार, अनेक राज्यों के भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने सीए द्वारा जारी प्ररूपों/ प्रमाणपत्रों के संबंध में यूडीआईएन उपलब्ध कराने हेतु उपबंध को सम्मिलित किया है।
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्ररूप 15गख सहित सभी आईटी प्ररूपों संबंधी ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूडीआईएन के प्रपुंज अद्यतन की सुविधा को उपलब्ध कराया है। भारतीय बैंकों के संगम ने सभी बैंकों को यह संसूचित किया है कि वे उन्हें प्रस्तुत किए जाने वाले सीए द्वारा प्रमाणित किए जाने वाले सभी प्रमाणपत्रों में यूडीआईएन के उल्लेख पर बल दें।
- बैंक आफ बडौदा में एसबीए संपरीक्षा रिपोर्ट, घोष और जिलानी समिति रिपोर्ट, सभी प्रमाणपत्रों के अग्रेषण पत्रों तथा एसबीए से एलएफएआर के लिए चार भिन्न-भिन्न यूडीआईएन को सम्मिलित करने की अपेक्षा का पुनरीक्षण किया है तथा उसने एसबीए द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बैंक संपरीक्षा रिपोर्ट के लिए केवल एकल यूडीआईएन को स्वीकार किया है।

(II) सदस्यों के लिए पहलें

- सदस्यों के सामने आने वाली कठिनाईयों को कम करने के लिए, 31 दिसंबर, 2021 तक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों/रिपोर्टों पर हस्ताक्षर की तारीख से 15 दिन की बजाए 30 दिन के भीतर यूडीआईएन के सृजन को अनुमति प्रदान की है। 1 सितंबर, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 के बीच हस्ताक्षरित दस्तावेजों के लिए दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों /रिपोर्टों पर हस्ताक्षर की तारीख से 30 दिन के भीतर यूडीआईएन के सृजन की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त, 1 जनवरी, 2022 को या उसके पश्चात् हस्ताक्षरित दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों /रिपोर्टों के लिए यूडीआईएन के सृजन के मूल दिशानिर्देश, अर्थात् दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की तारीख से 15 दिन के भीतर यूडीआईएन का सृजन लागू किया गया था।
- यूडीआईएन के सृजन के लिए समय-सीमा को संपरीक्षा मानकों तथा क्वालिटी नियंत्रण मानकों के साथ सुमेलित करने के उद्देश्य से परिषद् ने 17 सितंबर, 2021 को आयोजित अपनी 405वीं बैठक में यह विनिश्चय किया था कि अब से यूडीआईएन सृजन करने की समय-सीमा, प्रमाणपत्रों/रिपोर्टों/ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिन की बजाए 60 दिन होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसे दस्तावेजों के लिए, जहां संबद्ध विनियामक (विनियामकों) / या अन्य पणधारियों ने हस्ताक्षर के तुरंत पश्चात् या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यूडीआईएन की अपेक्षा की है वहां सदस्य को ऐसा यूडीआईएन तदनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। यूडीआईएन पोर्टल पूरी तरह उक्त कार्यकरण का समर्थन करता है तथा सदस्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के 60 दिन के भीतर सुचारू रूप से यूडीआईएन का सृजन करने में समर्थ हैं।
- सदस्यों को यूडीआईएन को अद्यतन करने के संबंध में ई-फाइलिंग पोर्टल पर अनुपालनों की पूर्ति हेतु समर्थ बनाने के लिए ऐसे सभी प्ररूपों, जिनमें यूडीआईएन का सृजन निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती रूप से संभव था, के संबंध में निर्धारण वर्ष 2010-11 के प्रारंभ के पश्चात् से अनुमति प्रदान की गई थी। तथापि, ऐसे प्ररूपों के लिए, जिनके संबंध में यूडीआईएन के सृजन को 2010-11 से पूर्व अनुमति प्रदान की गई थी, यथास्थिति को बनाए रखा गया है।
- 1 फरवरी, 2022 से यूडीआईएन के सृजन के लिए फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफआरएन) को एक अनिवार्य क्षेत्र बनाया गया है। एफआरएन को आज्ञापक बनाने का प्रयोजन फर्मों को उसके भागीदारों द्वारा पश्चातवर्ती रूप से उसके ग्राहकों के निमित्त सृजित कुल यूडीआईएन को समेकित करने हेतु समर्थ बनाना है।
- यूडीआईएन पोर्टल में सदस्यों के लिए एक प्रावधान सम्मिलित किया गया है, जिसमें वे यूडीआईएन पोर्टल पर संपरीक्षा और आश्वासन कृत्यों के प्रवर्ग के अधीन कानूनी बैंक शाखा संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षा रिपोर्ट हेतु यूडीआईएन का सृजन करते समय परिवर्तन संबंधी ज्ञापन (एमओसी) के मूल्य को उपलब्ध कराएंगे। तथापि, पोर्टल पर सम्मिलित यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक के ब्यौरे संरक्षित रहते हैं। यूडीआईएन पोर्टल पर एमओसी के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आज्ञापक है तथा पूर्ण रूप से कूटरचित है। यह किसी तृतीय पक्षकार सत्यापनकर्ता द्वारा देखी नहीं जा सकती।
- आय-कर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूडीआईएन को अविधिमान्य ठहराए जाने की अनेक घटनाओं को देखते हुए यूडीआईएन पोर्टल पर कतिपय प्रौद्योगिकी परिवर्तन किए गए हैं। सदस्यों को यह सलाह दी गई थी कि वे अपने ऐसे यूडीआईएन को अद्यतन बनाएं, जिन्हें पूर्व में ई-फाइलिंग पोर्टल द्वारा अविधिमान्य ठहराया गया था। सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष में और प्ररूप झघ में 13 मई, 2022 से 31 मई, 2022 तक एक समय का शिथिलीकरण प्रदान किया है, जिसे उसके पश्चात् 30 जून, 2022 तक विस्तारित किया गया था। इस शिथिलीकरण में आय-कर निर्धारितियों को अपने तत्संबंधी यूडीआईएन को ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइल करके विधिमान्यकरण की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु समर्थ बनाया था। सीबीडीटी ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर यूडीआईएन को अद्यतन करने की अंतिम तारीख को निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए बढाकर 30 सितंबर, 2022 कर दिया है।

(III) यूडीआईएन का प्रभाव

यूडीआईएन के कार्यान्वयन के पश्चात्, दुष्कृत्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अनेक दुर्व्यवहारों की संख्या कम हो रही है क्योंकि उनका भेद खुल गया है। पणधारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं जिनमें सीए के नाम से गैर-सीए द्वारा किए जा रहे कपटों का पता लग रहा है। यूडीआईएन को केवल सीए द्वारा हस्ताक्षर किए जाने संबंधी सत्यतता को स्थापित करने के लिए विनियामकों/पणधारियों द्वारा सत्यापित किया जा रहा है।

चूंकि, सभी व्यवसायरत सीए के लिए यह आज्ञापक है कि वे उनके द्वारा जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेजों के लिए यूडीआईएन का सृजन करें, इसलिए 5 जुलाई, 2022 को 1.33 लाख से अधिक सीए ने यूडीआईएन पोर्टल पर रजिस्ट्रीकरण किया है और उनके द्वारा 5 जुलाई, 2022 तक 3.70 करोड़ से अधिक यूडीआईएन का सृजन किया गया।

(IV) कार्यक्रम और प्रकाशन

- 22 जून, 2021 को साउथ एशियन फेडरेशन आफ अकाउंटेंट्स (साफा) के सदस्य निकायों के यूडीआईएन क्रियान्वयन संबंधी कार्यबल की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया।
- 24 जून, 2021 को यूडीआईएन में व्यवहारिक मुद्दे – प्रश्नोत्तर, विषय पर एक वीसीएम का आयोजन किया गया। लगभग 5000 सदस्यों ने इस कार्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण किया था और इसे 4500 से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया।
- 12 मई, 2022 को यूडीआईएन में व्यवहारिक मुद्दे – प्रश्नोत्तर, विषय पर एक वीसीएम का आयोजन किया गया, जिसे 12000 से अधिक सदस्यों द्वारा देखा गया।
- 4 फरवरी, 2022 को यूडीआईएन निदेशालय द्वारा यूडीआईएन संबंधी रिपोर्ट (2021-22) और यूडीआईएन संबंधी एफएक्यू के तीसरे संस्करण को वार्षिक समारोह के दौरान निकाला/पुनरीक्षित किया गया।

7.9 प्रकाशन और सीडीएस निदेशालय

संस्थान का प्रकाशन निदेशालय मुख्य रूप से निम्नलिखित तीन क्षेत्रों के संबंध में कार्य करता है :

- छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री का मुद्रण और सदस्यों से संबंधित प्रकाशन।
- केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रकाशनों का विक्रय और वितरण।
- स्टॉक लेखा, विक्रय लेखा को बनाए रखना और स्टॉक को सुमेलित करना।

(I) निकाले गए नए प्रकाशन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 के दौरान प्रकाशन निदेशालय ने अध्ययन बोर्ड और अन्य समितियों की ओर से विभिन्न नए प्रकाशनों का मुद्रण किया, जिन्हें सीडीएस पोर्टल पर भी रखा गया।

(II) केंद्रीयकृत वितरण प्रणाली

जुलाई, 2017 से आईसीएआई के सभी प्रकाशन, जिनमें अध्ययन सामग्री, पुनरीक्षण प्रश्न-पत्र और सदस्यों से संबंधित प्रकाशन सम्मिलित हैं, को केंद्रीय वितरण प्रणाली पोर्टल (www.icai-cds.org) के माध्यम से केंद्रीयकृत रूप से रजिस्ट्रीकृत छात्रों तथा सीडीएस पोर्टल पर क्रय आदेश देने वाले व्यक्तियों को प्रेषित किया जा रहा है। सीडीएस पोर्टल पर विभिन्न प्रकार के अनुस्मारक भी विद्यमान हैं, जैसे टाई, कफलिंक और लेपल पिन।

(III) छात्रों से संबंधित प्रकाशन

अवधि	रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकें	विक्रय की गई पुस्तकें
1.4.2021 से 31.3.2022	पुस्तकों की किस्म – 113 रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा – 2479136	पुस्तकों की किस्म– 301 विक्रय हेतु प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा – 104688
1.4.2022 से	पुस्तकों की किस्म – 69 रजिस्ट्रीकरण के प्रति प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा	पुस्तकों की किस्म– 117

30.6.2022	– 583233	विक्रय हेतु प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा – 14959

(IV) सदस्यों से संबंधित प्रकाशन और स्मृति चिह्न

अवधि	सदस्य प्रकाशन	स्मृति चिह्न
01-04-2021 to 31-03-2022	पुस्तकों की किस्म - **266** विक्रय हेतु प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा - **9599**	स्मृति चिह्न की किस्म - **18** विक्रय हेतु प्रेषित स्मृति चिह्नों की कुल मात्रा – **2858**
01-04-2021 to 30-06-2022	पुस्तकों की किस्म - **209** विक्रय हेतु प्रेषित पुस्तकों की कुल मात्रा - **3321**	स्मृति चिह्न की किस्म - **15** विक्रय हेतु स्मृति चिह्न पुस्तकों की कुल मात्रा - **443**

(V) भावी प्रयास

निदेशालय के भावी प्रयासों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- आदेश की गई सामग्री के परिदान के लिए टर्न अराउंड समय में कमी लाना ।
- सीडीएस पोर्टल का उन्नयन ।

7.10 संपरीक्षा क्वालिटी निदेशालय के लिए केंद्र

आईसीएआई ने अनेक वर्षों से उच्च क्वालिटी वाली वित्तीय सूचना उपलब्ध कराने, बाजार अनुशासन को सुकर बनाने तथा विभिन्न पणधारियों के विश्वास को सुदृढ बनाने में लेखांकन वृत्ति द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका तथा स्वयं को एक सुदृढ विनियामक के रूप में पुन:स्थापित किया है । आईसीएआई क्वालिटी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंडों का उपयोग करने वाले प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट और उभरते क्षेत्रों में सदस्यों के सतत वृत्तिक विकास हेतु एक सुदृढ व्यवस्था के माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंटों की अंतर्निहित क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है । यह मानक निर्धारण और प्रवर्तन के एक मजबूत ढांचे के माध्यम से वित्तीय रिपोर्टिंग और आश्वासन कृत्यों की क्वालिटी में निरंतर सुधार भी कर रहा है । आईसीएआई वित्तीय रिपोर्टिंग कपटों का पता लगाने के लिए विभिन्न पणधारियों की प्रत्याशाओं की पूर्ति में संपरीक्षकों की प्रास्थिति में सुधार करने के लिए एक आवश्यक निकाय के रूप में सामने आया है । ऐसे परिवर्तनशील समय के दौरान वर्ष 2020 में यह उपयुक्त समझा गया कि एक संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी केंद्र (सीएक्यू) का गठन किया जाए, जो एक ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, जो निवेशकों के विश्वास को आगे और बढाए तथा साधारण रूप से जनता के विश्वास को विकसित करे । सतत रूप से सर्वोत्तम उपलब्ध वैश्विक व्यवहारों के अनुरूप लेखांकन वृत्ति हेतु मानदंड स्थापित करने के अपने सतत अभियान के भागरूप में आईसीएआई ने वैश्विक मानकों को भारतीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अभिसरित किया है । इस वृत्ति का भविष्य संस्थान की स्वयं में परिवर्तन करने, स्वयं का सुधार करने और बदलती परिस्थितियों में स्वयं को ढालने के सामर्थ्य पर निर्भर करता है, जो विभिन्न सुधारों का एक केंद्रीय घटक है ।

पहलें

30 जून, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान निदेशालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं :

भाग क

- "कार्यपालक मास्टर कार्यक्रम – नए युग के संपरीक्षक" विषय पर आनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीन बैचों का संचालन । इस पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु को सदस्यों से अनुशंसा प्राप्त हुई है और इसे अच्छी प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं ।
- फर्मों के लिए, उनकी परिपक्वता के विद्यमान स्तर का निर्धारण करने के लिए संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल वर्जन 1.0 को आरंभ किया गया तथा एक्यूएमएम वर्जन 1.0 के संबंध में आउटरीच और पैनल परिचर्चाओं का आयोजन किया गया ।
- एक्यूएमएम वर्जन 1.0 संबंधी जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन ।
- संकाय के आधार में अभिवृद्धि करने के लिए एक्यूएमएम वर्जन 1.0 के संबंध में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने संबंधी दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ।
- एक्यूएमएम वर्जन 1.0 के संबंध में बेहतर समझ तथा निर्वाचनात्मक खंडों के संबंध में और अधिक स्पष्टता उपलब्ध कराने के लिए उससे संबंधित कार्यान्वयन गाइड का विमोचन ।
- क्वालिटी कैफे सत्र – संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी एक मासिक वर्चुअल श्रृंखला का शुभारंभ ।

- संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी ढांचे के विकास हेतु प्रक्रियाएं ।
- कोलाबा, मुंबई में संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी केंद्र के विकास के लिए परियोजना का आरंभ ।

भाग ख

- **"कार्यपालक मास्टर कार्यक्रम – नए युग के संपरीक्षक"**

  "कार्यपालक मास्टर कार्यक्रम – नए युग के संपरीक्षक" विषय पर आनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के तीन बैंचों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया । इस पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों ने इस पाठ्यक्रम की सराहना की है । इस पाठ्यक्रम की अंतर्वस्तु को दो भागों में तैयार किया गया है – भाग क – लेखांकन और आश्वासन शासन संबंधी आधारिक जानकारी और भाग ख – लेखांकन और अनुपालन में डिजीटल युग । यह पाठ्यक्रम मानक के 'क्या', 'कहां', 'कब', 'क्यों' और 'कौन' तथा प्रौद्योगिकी के 'कैसे' के बीच एक महीन संतुलन को बनाए रखा गया है ।

- **संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल वर्जन 1.0**

  - **संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल (एक्यूएमएम) संबंधी आउटरीच कार्यक्रम**

    संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल वर्जन 1.0 से संबंधित विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ, जयपुर, पुणे तथा अहमदाबाद में किया गया ।

  - **संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल वर्जन 1.0 (एक्यूएमएम व. 1.0) जारी किया जाना**

    संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल वर्जन 1.0 (एक्यूएमएम व. 1.0) आईसीएआई द्वारा आरंभ किया गया एक सक्षमता निर्माण उपाय है तथा इस परिपक्वता माडल का उद्देश्य एकमात्र स्वामी और संपरीक्षा फर्मों को उनकी संपरीक्षा परिपक्वता के वर्तमान स्तर का स्व:मूल्यांकन करने में, ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने, जहां सक्षमताएं उत्तम हैं या विद्यमान नहीं है और उसके पश्चात् परिपक्वता के उच्चतर स्तर को प्राप्त करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने हेतु समर्थ बनाना है । अभी तक यह सिफारिशात्मक चरण में है और उसके पश्चात् यह परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से आज्ञापक बन जाएगा ।

  - **एक्यूएमएम व. 1.0 संबंधी कार्यान्वयन गाइड का विमोचन**

    संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी केंद्र ने फर्मों को एक्यूएमएम का उपयोग करते हुए उनके वर्तमान परिपक्वता स्तर का मूल्यांकन करने में सहायता करने के लिए एक्यूएमएम व. 1.0 संबंधी कार्यान्वयन गाइड का विमोचन किया है । यह गाइड फर्मों के स्तर पर एक्यूएमएम के कार्यान्वयन के लिए खंडवार ब्यौरे मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है ।

  - **एक्यूएमएम व. 1.0 संबंधी जागरुकता कार्यक्रम**

    सीएक्यू ने प्रादेशिक परिषदों/शाखाओं को सदस्यों के फायदे के लिए संपरीक्षा क्वालिटी परिपक्वता माडल वर्जन 1.0 संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं ।

  - **एक्यूएमएम व. 1.0 के संबंध में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधी दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम**

    सीएक्यू ने जागरुकता कार्यक्रमों के लिए संकाय आधार में अभिवृद्धि करने के लिए एक्यूएमएम व. 1.0 के संबंध में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण संबंधी दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ।

- **क्वालिटी कैफे सेशन**

  संपरीक्षाओं की क्वालिटी के संबंध में उभरते हुए मुद्दों को देखते हुए संपरीक्षा क्वालिटी केंद्र ने एक क्वालिटी कैफे सेशन के संचालन का विनिश्चय किया है, जो संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी एक वर्चुअल श्रृंखला (वीसीएम) है, जिसमें वेबकास्टों की एक श्रृंखला के माध्यम से संपरीक्षा क्वालिटी के प्रमुख घटकों के संबंध में विचार-विमर्श किया जाता है ।

  अवधि के दौरान, संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी निम्नलिखित सत्रों का आयोजन किया गया है :

  - 30 अप्रैल, 2022 को संपरीक्षों की स्वतंत्रता : संपरीक्षा क्वालिटी की आधारशिला ।
  - 28 मई, 2022 को संपरीक्षा दस्तावेजीकरण – रक्षक ।
  - 25 जून, 2022 को संपरीक्षा रिपोर्टिंग ।

- **संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी ढांचे का विकास**

संपरीक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञों को सम्मिलित करने वाले एक समूह का गठन संपरीक्षा क्वालिटी केंद्र के तत्वाधान में किया गया है, जो संपरीक्षा क्वालिटी ढांचे के विकास को सुकर बनाएगा । इस ढांचे को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आईएएएसबी द्वारा जारी ढांचे की रुपरेखा के अनुसार विकसित किया गया है ।

- संपरीक्षा क्वालिटी का पर्यावलोकन उपलब्ध कराना ।
- नियोजन और संपरीक्षा फर्मों के प्रत्येक स्तर पर संपरीक्षा क्वालिटी के प्रमुख घटकों को विहित करना ।
- संपरीक्षा क्वालिटी के संबंध में जागरुकता के स्तरों को ऊपर उठाना तथा उसके महत्वपूर्ण घटकों को समझना ।
- संपरीक्षा क्वालिटी के अभिवर्धन के लिए मार्गों या तकनीकों का सुझाव देना ।
- संपरीक्षा क्वालिटी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों का समर्थन और संवर्धन ।

- **कोलाबा, मुंबई में संपरीक्षा क्वालिटी संबंधी केंद्र की परियोजना का विकास**

संपरीक्षा क्वालिटी केंद्र यह विश्वास करता है कि नए युग के पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र संपरीक्षा क्वालिटी में सुधार लाने के लिए संपरीक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान तथा नवीनता के उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सीएक्यू को प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक उपकरण है । यह प्रस्तावित किया गया है कि मुंबई में विश्व स्तर की अनुसंधान अवसंरचना के साथ एक सीएक्यू को स्थापित किया जाए ।

7.11 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना के अधिकार को अंतर्निहित रूप से संविधान द्वारा गारंटी प्रदान की गई है । तथापि, भारत के नागरिकों को अधिकार के रूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु एक व्यवहारिक व्यवस्था की स्थापना करने के विचार से भारतीय संसद् ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को अधिनियमित किया था ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का आधारिक उद्देश्य नागरिकों को सशक्त करना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन करना है ।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), जो संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन स्थापित एक कानूनी निकाय है, जो कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में परिकल्पित किए गए अनुसार एक लोक प्राधिकारी है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों और केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्देश के अनुपालन में संस्थान द्वारा अपने अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी (एफएए) और पारदर्शिता अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है ।

आईसीएआई के आरटीआई प्रकोष्ठ को छात्रों, सदस्यों, अन्य पणधारियों तथा नागरिकों से बडी संख्या में आरटीआई प्राप्त हो रही हैं और उनका समयानुसार उत्तर प्रदान किया जाता है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन प्रकटन

इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के निबंधनों के अनुसार संस्थान द्वारा आवश्यक प्रकटन किए गए हैं और उन्हें संस्थान की वेबसाइट www.icai.org पर रखा गया है और उसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है ।

वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान, कुल 1,18,342 (एक लाख अठारह हजार तीन सौ बियालीस) आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें ऐसे आवेदन भी सम्मिलित हैं, जिनमें आईसीएआई द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष 38 सुनवाईयों में भाग लिया गया है और प्रथम अपील अधिकारी से प्राप्त हुए बड़ी संख्या में आदेशों का प्रत्युत्तर दिया गया है ।

अतिरिक्त रूप से आईसीएआई अंत:विभागीय संसूचनाओं को भी बडी संख्या में आरंभ किया गया है, जिससे आरटीआई आवेदक तथा आरटीआई आयोग को दिए जाने वाले उत्तरों को तैयार करते समय तथ्य तथा सूचना को अभिनिश्चित किया जा सके ।

7.12 एक्सबीआरएल

आईसीएआई द्वारा एक्सबीआरएल इंडिया को एक धारा 25 (जो वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तत्समान है) की

कंपनी के रूप में निगमन, को सुकर बनाया है । इस कंपनी के मुख्य उद्देश्य में, अन्य बातों के साथ, भारत में इलेक्ट्रॉनिक कारबार रिपोर्टिंग के मानक के रूप में एक्सबीआरएल के अपनाए जाने का संवर्धन और प्रोत्साहन करना है, यह कार्य वर्गीकरणों के विकास, एक्सबीआरएल संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाकर पूरा किया जाता है । इसके साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सबीआरएल की बढ़ती महता को ध्यान में रखते हुए, एक्सबीआरएल इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक्सबीआरएल फाइलिंग को सुकर बनाने तथा उसके संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने हेतु एक्सबीआरएल इंटरनेशनल इंक की सदस्यता प्राप्त की है । एक्सबीआरएल इंडिया को एक्सबीआरएल इंटरनेशनल की भारतीय अधिकारिता के रूप में स्थापित किया गया है ।

वर्तमान में, एक्सबीआरएल इंडिया कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के लिए एक्सबीआरएल वर्गीकरणों का विकास और अनुरक्षण कर रहा है ।

(I) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा एक्सबीआरएल फाइलिंग संबंधी अपेक्षाएं

वर्तमान में वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दो वर्गीकरण लागू हैं :

- इंड एएस वर्गीकरण
- विद्यमान एएस आधारित ।

इन दोनों वर्गीकरणों को वर्ष के दौरान दो बार अद्यतन किया गया, अर्थात् पहली बार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागू संशोधनों को विचार में लेते हुए और उसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2021-22 को लागू संशोधनों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें एमसीए को प्रस्तुत किया गया । वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वर्गीकरणों को निम्नलिखित संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अद्यतन किया गया :

- अनुसूची 3 में संशोधन
- कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश में संशोधन
- एएस/इंड एएस में संशोधन
- अन्य साधारण सुधार

(II) आउटरीच कार्यक्रम

वर्ष के दौरान निम्नलिखित वेबीनारों का आयोजन किया गया :

- 15 जून, 2021 को "इंड एएस वर्गीकरण में संशोधन का उदभासन प्रारूप (वित्तीय वर्ष 2020-21)" विषय पर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन
- 24 अगस्त, 2021 को "डिजीटल रिपोर्टिंग : एक्सबीआरएल और विकसित होती अवधारणाएं" विषय पर वेबीनार का आयोजन
- 6 जनवरी, 2022 को "एक्सबीआरएल वर्गीकरण में संशोधनों संबंधी उदभासन प्रारूप : 2021-22" विषय पर वेबीनार का आयोजन

(III) प्रस्तुत टीका-टिप्पणियां/ सूत्रीकरण

- आईएफआरएस वर्गीकरण के उदभासन प्रारूप, अर्थात् "आईएफआरएस वर्गीकरण को अद्यतन बनाना, 2021 : आईएफआरएस 17 और आईएफआरएस 9 को प्रारंभिक रूप से लागू करना – तुलनात्मक जानकारी" के संबंध में टीका-टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया ।
- आईएफआरएस फाउंडेशन ने साधारण जनता की टीका-टिप्पणियों हेतु वहनीयता रिपोर्टिंग संबंधी वर्गीकरण का एक प्रारूप प्रकाशित किया है । इस संबंध में, भारत के परिप्रेक्ष्य से प्रारूप का पुनर्विलोकन करने और उसके संबंध में टीका-टिप्पणियां तैयार करने के लिए आईसीएआई के वहनीयता रिपोर्टिंग और मानक बोर्ड (एसआरएसबी) के साथ संयुक्त रूप से अध्ययन समूह का गठन किया गया ।

7.13 आईसीएआई – लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (एआरएफ)

आईसीएआई – लेखांकन अनुसंधान फाउंडेशन (आईसीएआई एआरएफ) की स्थापना जनवरी, 1999 में की गई थी और इसे लेखांकन वृत्ति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, पठन, शिक्षा और समझ का प्रसार करने के लिए एक अकादमी के रूप में विकसित किया गया । पिछले वर्ष के दौरान आईसीएआई एआरएफ द्वारा की गई परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- **भारतीय रेल :** पिछले एक वर्ष के दौरान पूरे किए गए कार्य
    - भारतीय रेल के प्रोदभवन आधारित एफएस (एबीएफएस) संबंधी इंड एएस के लागू होने संबंधी ढांचा ।
    - भारतीय रेल द्वारा विभिन्न अनुषंगी, सहबद्ध कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में 31 मार्च, 2017 तक किए गए निवेशों का सुमेलन करने हेतु अग्रणी अध्ययन ।
    - वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए भारतीय रेल का एबीएफएस ।

  और फाउंडेशन निम्नलिखित के संबंध में कार्य कर रहा है :

    - 31.03.2017 को उत्तरी रेल के रॉलिंग स्टॉक डाटा को रेल बोर्ड के साथ सुमेलित किए जाने संबंधी अग्रणी अध्ययन ।
    - उत्तरी रेल की पट्टाधृत आस्तियों और स्वामित्व वाली आस्तियों की पहचान करने हेतु तंत्र विकसित करने हेतु अग्रणी अध्ययन ।
    - 31 मार्च, 2017 को एफए–13 में प्राप्त सीडब्ल्यूआईपी डाटा पर आधारित उत्तर रेल द्वारा नियंत्रण में लिए जाने हेतु एफएआर को अंतरण तथा सीडब्ल्यूआईपी के समाशोधन हेतु ढांचा विकसित करने के लिए अग्रणी अध्ययन ।
    - वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय रेल का एबीएफएस ।
    - भारतीय रेल को विस्तारित आईटी उपयोजनों का विकास, परीक्षण और उनका रोल आउट ।

  सभी प्रदायों के संबंध में कार्य चल रहा है और उसे शीघ्र ही पूरा किए जाने की संभावना है ।

  साथ ही उक्त करार के अनुलग्नक के रूप में आईसीएआई एआरएफ ने उपरोक्त वर्षों के लिए भारतीय रेल के एबीएफएस को पूरा किया है ।

- **नीति आयोग के लिए एक अध्ययन :** आईसीएआई, आईसीएआई एआरएफ के साथ नीति आयोग के लिए/तत्वाधान में **प्रोदभवन लेखांकन के प्रति अंतरण : शहरी स्थानीय निकायों के लिए माडल और पठन** विषय पर एक अध्ययन कर रहा है । रिपोर्ट जारी करने के लिए अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

- **सीपीए पीएनजी के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग और वित्तीय जोखिम प्रबंध संबंधी अध्ययन सामग्री तैयार करना –** हमने वित्तीय जोखिम प्रबंध संबंधी सभी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा दी है । आईएफआरएस फाउंडेशन से अनुमति के संबंध में सीपीए पीएनजी से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अंतर्वस्तु समावेशन से अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है ।

7.14 आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा सृजित एक धारा 8 प्राइवेट कंपनी है, जिसका गठन कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के अनुसरण में और उससे आनुषंगिक कृत्यों को करने के लिए रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों या मूल्यांकक सदस्यों को उसके सदस्य के रूप में नामांकित और उनका विनियमन करने के लिए किया गया था ।

(I) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे), जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है :

- आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन अपनी सदस्यता के आधार को व्यापक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इसके साथ ही अपने मूल्यांकक सदस्यों के लिए एक 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम का संचालन भी कर रहा है, जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त है तथा संगठन शैक्षिक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री को भी तैयार कर रहा है ।
- इस दिशा में, 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान, आईसीएआई आरवीओ ने देश भर में 50 घंटे के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 12 ऑनलाइन बैचों का संचालन किया है ।
- आज की तारीख तक इस शैक्षिक पाठ्यक्रम के कुल 57 बैचों का संचालन किया गया है ।
- 30 जून, 2022 तक आईसीएआई आरवीओ द्वारा उसके 50 घंटे के शैक्षिक पाठ्यक्रम के अधीन 3664 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

(II) आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रम (50 घंटे), जो रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक बनने के लिए एक पूर्व शर्त

है, की ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन :

- कोविड-19 महामारी के फैल जाने के कारण भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा जारी तारीख 29 मार्च, 2022 के दिशानिर्देश द्वारा 30 सितंबर, 2022 तक ऑनलाइन पद्धति से शैक्षिक पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।
- उल्लिखित अवधि के दौरान, आईसीएआई आरवीओ ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के 12 ऑनलाइन बैचों का संचालन किया है और 600 से अधिक सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(III) आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण :

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने आस्ति वर्ग की प्रतिभूतियों या वित्तीय आस्तियों के लिए 30 जून, 2022 तक कुल 1893 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों का रजिस्ट्रीकरण किया है, जिनमें से 946 रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक आईसीएआई आरवीओ के सदस्य हैं।

(IV) आईसीएआई आरवीओ पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ और उसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना

आईसीएआई आरवीओ ने अपनी पठन प्रबंध प्रणाली का शुभारंभ किया है, जो एक ई-पठन मंच है, जो ऐसी अध्ययन सामग्री के रूप में, जो बहु विकल्प वाले प्रश्नोत्तरों को अंतर्विष्ट करने वाली मोक परीक्षा द्वारा संपूरित है, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यचर्या की विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करती है। यह पठन प्रबंध प्रणाली ऐसे सदस्यों हेतु, जो आईसीएआई आरवीओ के प्राथमिक सदस्य हैं, आईबीबीआई मूल्यांकक परीक्षा की तैयारी को सुकर बनाती है।

एलएमएस को नियमित आधार पर नई प्रस्तुतियों और प्रश्नों के माध्यम से अद्यतन बनाया जा रहा है।

(V) प्रकाशन

आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन ने आईसीएआई के मूल्यांकन मानक बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं :

वर्ष 2021-22 के लिए :

- मूल्यांकन : वृत्तिक अंत:दृष्टि (श्रृंखला VI)
- रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों संबंधी हैडबुक
- आईसीएआई और आईसीएआई आरवीओ द्वारा निकाला गया मूल्यांकन में प्राक्कलित बट्टा प्राप्त दरों संबंधी अवधारणा पत्र
- वस्तु सूची मूल्यांकन संबंधी अवधारणा पत्र
- मूल्यांकन संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षित 2021 संस्करण)
- एलआईबीओआर संपरिवर्तन – मूल्यांकन गाइड
- विभिन्न विधियों के अधीन मूल्यांकन की ट्रिगर तारीखों का कैलेंडर

(VI) सतत शैक्षिक कार्यक्रम

आईसीएआई आरवीओ ने अपने सतत शैक्षिक कार्यक्रमों के भागरूप में 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान अपने रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 56 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

(VII) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए सॉफ्ट कौशलों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीएआई आरवीओ ने 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों को व्यवसाय प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु सॉफ्ट कौशलों संबंधी 6 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

(VIII) "आत्मनिर्भर भारत" थीम के अधीन आईसीएआई आरवीओ द्वारा आयोजित वेबकास्ट

आईसीएआई आरवीओ ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा परिकल्पित देशव्यापी पहल आजादी का अमृत महोत्सव के भागरूप में "आत्मनिर्भर भारत" थीम के अधीन विभिन्न लाइव वेबकास्टों का आयोजन किया था। आयोजित वेबकास्टों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

- 26 नवंबर, 2021 को हानिकरण परीक्षण और मूल्यांकन ।
- 10 दिसंबर, 2021 को केविएट, परिसीमा और अस्वीकरण संबंधी दिशानिर्देश ।
- 3 जून, 2022 को वर्ष 2021-22 के लिए मूल्यांकन रिपोर्टों के पियर पुनर्विलोकन के संप्रेक्षणों से सीख ।
- 17 जून, 2022 को मूल्यांकन में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांककों के लिए सर्वोत्तम व्यवहार ।

7.15 आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई)

आईसीएआई का भारतीय दिवाला वृत्तिक संस्थान (आईआईआईपीआई) ने वर्ष 2021-22 को सफलतापूर्वक पूरा किया है । संस्थान को भारत के पहले दिवाला वृत्तिक अभिकरण के रूप में 28 नवंबर, 2016 को दिल्ली में माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था । आईआईआईपीआई ने भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से, जिनके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, लागत लेखापाल, अधिवक्ता और प्रबंध संबंधी वृत्तिक भी हैं, सदस्यों को अपनी ओर आकर्षित किया है । आईआईआईपीआई ने अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों से एक ओर पणधारियों की क्षमता निर्माण/ज्ञान आधार को व्यापक बनाने के लिए नेटवर्किंग की है और दूसरी ओर उसने आईबीसी के विधिक और व्यवसाय संबंधी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए मूल्यवर्धित नीति विषयक अंत:निवेश उपलब्ध कराएं हैं ।

31 मार्च, 2022 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल 4069 दिवाला वृत्तिकों में से 2551 वृत्तिक आईआईआईपीआई से संबंधित हैं और इस प्रकार, उनका प्रतिशत बढ़कर 62.69 हो गया है । आईआईआईपीआई के सदस्यों ने अभी तक सीआईआरपी/परिसमापन/स्वैच्छिक परिसमापन के कुल समनुदेशनों में से 75% से अधिक मामलों में कार्यवाही की है, जिनके अंतर्गत बहुत बड़े-बड़े मामले भी हैं ।

आईपीए के बीच सदस्यता का वितरण

तारीख 31.03.2022 को रजिस्ट्रीकृत सदस्यों की आईपीए-वार प्रास्थिति											
क्रम सं.	**आईपीए का नाम**	**31 मार्च 2018**	**%**	**31 मार्च 2019**	**%**	**31 मार्च 2020**	**%**	**31 मार्च 2021**	**%**	**30 जून 2022**	**%**
क	**आईआईआईपीआई**	1100	60.71	1518	61.71	1860	61.71	2184	62.05	2551	62.69
ख	**आईपीए आईसीएसआई**	562	31.02	738	30.00	903	29.96	1025	29.12	1142	28.07
ग	**आईपीए आईसीएमएआई**	150	8.28	204	8.29	251	8.33	311	8.84	376	9.24
	आईबीबीआई के साथ रजिस्ट्रीकृत कुल सदस्य	**1812**	**100**	**2460**	**100**	**3014**	**100**	**3520**	**100**	**4069**	**100.00**

(I) सक्षमता निर्माण संबंधी पहलें :

किसी भी वृत्ति में वृत्तिक सदस्यों के सक्षमता निर्माण के लिए वार्तालाप और परिचर्चाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं । दिवाला वृत्ति के संदर्भ में ये और अधिक आवश्यक हो जाती हैं, जो बहुविध पणधारियों को प्रभावित करती हैं और जिसे सर्वाधिक जटिल वृत्तियों में से एक माना जाता है । किसी दिवाला वृत्तिक के कंधों पर एक महत्वपूर्ण स्तंभ की भांति महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व टिके होते हैं और जो कभी-कभी निगमों के जीवन को बचाने की प्रक्रिया के दौरान अत्यंत क्रंतिक हो जाते हैं । इस पृष्ठभूमि में यह कहा जा सकता है कि एक बड़ी सीमा तक आईबीसी का कार्यपालन आईपी के सक्षमता निर्माण से सीधा जुड़ा होता है । आईआईआईपीआई ने इस कार्य गति को बनाए रखने और साथ ही पणधारियों की प्रत्याशाओं पर खरे उतरने के लिए उनकी सक्षमता निर्माण हेतु अनेक पहलों का भी आरंभ करने का प्रयास करता रहा है । संस्थान द्वारा की गई प्रमुख पहलें निम्नानुसार हैं :

- अनुसंधान और अध्ययनों के माध्यम से, जिनमें सदस्यों और अन्य पणधारियों ने भाग लिया हो, सर्वांगीण ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना । पिछले कुछ वर्षों के दौरान संस्थान ने निम्नलिखित अध्ययनों को पूरा किया है और उन्हें सदस्यों / पणधारियों के साथ साझा किया है :
    - समूह दिवाला के विधिक और सारवान पहलू : व्यवहारिक अनुभवों से सीख ।
    - सीआईआरपी के दौरान सीओसी आचार के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों की सिफारिश ।

- पीपीआईआरपी से पूर्व के दौरान और उसके पश्चात् आईपी की भूमिका ।
- पीपीआईआरपी ढांचे संबंधी एफएक्यू ।
- आईपी के लिए नैतिक संहिता संबंधी पृष्ठभूमि मार्गदर्शन ।
- आईपी द्वारा क्वालिटी नियंत्रण संबंधी पृष्ठभूमि मार्गदर्शन ।
- लघु आकार के आईपी की भूमिका को सुदृढ़ बनाना तथा उसमें अभिवृद्धि करना ।

इस संवेग को अग्रसर करते हुए अनेक संबद्ध विषयों जैसे कि आईबीसी के अधीन मूल्यांकन में सर्वोत्तम व्यवहार, व्यष्टिक दिवाला समाधान (पीजी से सीडी) में सर्वोत्तम व्यवहार और भूमिकाएं, अपवंचन संव्यवहारों के परिणामों में सुधार आदि के संबंध में अनेक और अध्ययनों को किया जा रहा है/ किए जाने की योजना बनाई जा रही है । इसके अतिरिक्त, उभरते हुए न्याय शास्त्र तथा संबद्ध क्षेत्रों में लक्ष्यित अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक समर्पित अनुसंधान निधि का सृजन किया जा रहा है ।

- आईपी द्वारा सीआईआरपी के ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करने, आईपी, विनियामकों और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय संस्थानों के साथ वैश्विक व्यवहारों के संबंध में पस्सपर क्रियाओं को सुकर बनाने के माध्यम से सक्षमता निर्माण । इन क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित थे :
  - 26 मार्च, 2022 को भारत में आईबीसी और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन । उपरोक्त सम्मेलन के पैनल में संघ के मंत्री और यूएसए, यूके, सिंगापुर तथा आस्ट्रेलिया के व्यवसायी शामिल थे ।
  - सीमापार दिवाला, पूर्व पैकेज दिवाला आदि विषयों पर ब्रिटिश परिषद् के साथ मिलकर कार्यक्रमों का आयोजन ।
  - उद्योग से पणधारियों के साथ परस्पर संपर्क का निर्माण करने के उपाय के रूप में सीआईआई, जो एक प्रमुख उद्योग संगम है, डब्ल्यूएएसएमई, जो एमएसएमई के लिए एक वैश्विक संगम है और साथ ही मीडिया वर्टिकल, ईटी-सीएफओ के सहयोग से बहुविध ज्ञान के आदान-प्रदान संबंधी वेबीनारों का आयोजन किया गया था ।
- सदैव परिवर्तनशील चुनौतियों का सामना करने हेतु वृत्तिक सदस्यों को सुसज्जित करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के तीन प्रवर्गों को तैयार किया गया है । ये निम्नानुसार हैं : (i) गोईंग कंर्सन के रूप में सीआईआरपी क्रियाकलापों के अध्यधीन सीडी प्रबंधन, (ii) विधिक कौशल (प्रारूपण, न्यायिक प्रक्रियाओं आदि), प्रदान करना, और (iii) अपवंचन संव्यवहारों का प्रबंध करने के लिए न्यायालयिक कौशल । अभी तक, इन कार्यक्रमों के अनेक बैचों का संचालन किया गया है ।
- भावी वृत्तिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए 'एलआईई प्रेपरेटरी क्लास रूम (वर्चुअल कार्यक्रम)' को नई पाठ्यचर्या के अनुरूप तथा उसे व्यवहारिक अंतरदृष्टियों के साथ व्यापक आधार उपलब्ध कराने के लिए नए सिरे से तैयार किया गया है । आईबीसी-आईसीएआई समिति के साथ संयुक्त रूप से इन प्रशिक्षण कक्षाओं के अनेक बैचों का सप्ताहांत या सप्ताह के दौरान कक्षाओं के आयोजन के माध्यम से संचालन किया गया है ।
- अक्तूबर, 2020 में 'समाधान वृत्तिक' नामक त्रैमासिक पियर पुनर्विलोकन अनुसंधान जर्नल का विमोचन किया गया और तब से इसे त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । इस जर्नल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से, इसके दिवाला और धन शोधन अक्षमता मामलों में व्यापक ज्ञान स्रोत, अनुभव और अनुसंधान के लिए अनुशंसा प्राप्त हो रही है ।
- आईबीसी से संबंधित न्याय शास्त्र के संबंध में अद्यतन जानकारी का प्रसार बहु प्ररूपों के माध्यम से किया जाता है, अर्थात् साप्ताहिक न्यूज-लैटर और मामला विधि कैप्सूल । सफल समाधान संबंधी मामला अध्ययनों को संबद्ध समाधान वृत्तिक के सहयोग से तैयार किया जाता है तथा उसे जर्नल में प्रकाशित किया जाता है/वेबसाइट पर रखा जाता है ।
- आईआईआईपीआई ने अपने सभी सदस्यों, जिनके अंतर्गत अन्य निकायों के सदस्य भी हैं, को समकालीन विषयों, जिनमें प्रौद्योगिकी, लोक हित, नैतिकता, सफल मामला अध्ययन, सीआईआरपी और परिसमापन के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहार, मानीटरी के दौरान सामने आए सामान्य मुद्दे और अनुशासन कार्यवाहियां आदि शामिल हैं, पर वेबीनारों की श्रृंखला के माध्यम से ज्ञान और पठन प्रदान कर रहा है । इसके अतिरिक्त, आईबीबीआई के परामर्श से उभरते न्याय शास्त्र तथा विनियामक परिवर्तनों के संबंध में अनेक गोलमेज सम्मेलनों का भी आयोजन किया गया ।
- आईआईआईपीआई ने (i) सीआईआरपी, (ii) परिसमापन, (iii) स्वैच्छिक परिसमापन, (iv) निजी प्रतिभू और (v) प्रीपैक के क्षेत्रों में वृत्तिक प्रकृति की शंकाओं के संबंध में उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के लिए अपने सदस्यों को समर्थ बनाने हेतु अपनी

वेबसाइट पर 'परिचर्चा मंच' नामक एक विशिष्टि को आरंभ किया है।

- आईआईआईपीआई ने 25 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में अपने पांचवें स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह के रूप में नई दिल्ली में एक भौतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। संघ के माननीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और लोक वितरण तथा टैक्सटाइल मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह की शोभा बढ़ाई । इस समारोह के दौरान आईआईआईपीआई सफल सीआईआरपी मामला अध्ययनों से संबंधित एक प्रकाशन का भी विमोचन किया।
- आईआईआईपीआई ने 26 मार्च, 2021 को आईबीबीआई के साथ संयुक्त रूप से "भारत में आईबीसी और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य" विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (वर्चुअल) का आयोजन किया। संघ के माननीय मंत्री, श्रम और नियोजन मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मामले में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दिवाला और शोधन अक्षमता विधेयक, 2015 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने आईबीसी के अधिनियमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- सम्मेलन के दौरान तीन प्रकाशनों का विमोचन किया गया, अर्थात् पियर पुनर्विलोकन नीति, क्वालिटी नियंत्रण तंत्र संबंधी पृष्ठभूमि मार्गदर्शन और नैतिक संहिता संबंधी पृष्ठभूमि मार्गदर्शन। दिवाला समाधान अब ईमानदारी और स्वतंत्रता का पर्यावाची बन गया है। ये तीन दस्तावेज आईपी को विधि के अनुसार परिणाम प्रस्तुत करने में तथा अक्षरक्ष: रूप से पणधारियों की अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे।

(II) दिवाला वृत्तिकों के कार्यपालन की मानीटरी

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उपविधियां और दिवाला वृत्तिक अभिकरणों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 के अनुसार आईआईआईपीआई से यह अपेक्षा की गई है कि वह वृत्तिक सदस्यों के वृत्तिक क्रियाकलापों तथा आचार की मानीटरी करे और यह सुनिश्चित करे कि वे संहिता, नियमों, विनियमों और तदधीन जारी दिशानिर्देशों, उपविधियों, आचार संहिता तथा शासी बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। दिवाला वृत्तिकों की मानीटरी, निगम दिवाला समाधान प्रक्रिया और परिसमापन प्रक्रिया के संबंध में सतत आधार पर की जाती है। ऐसे सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही हैं, जिन्होंने लागू उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।

(III) जीआरसी/अनुशासन तंत्र

आईआईआईपीआई को 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान 11 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और शिकायत समाधान समिति ने इस अवधि के दौरान कुल 26 शिकायतों (जिसमें पूर्व वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतें भी सम्मिलित थी) का समाधान किया है और 30 जून, 2022 को 3 जीआरसी मामले लंबित हैं। इसके अतिरिक्त, आईआईआईपीआई ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान 100 (एक सौ) अनुशासनिक कार्यवाहियों को आरंभ किया था और 30 जून, 2022 तक 95 (पिचानवे) मामलों का निपटारा कर दिया गया था।

7.16 क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी)

केंद्रीय सरकार ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28क के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंटों द्वारा देश में प्रदान की जा रही सेवाओं की क्वालिटी का पुनर्विलोकन करने के लिए तारीख 28 जून, 2007 को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड (क्यूआरबी) का गठन किया था तथा बोर्ड की पुनर्विलोकन प्रक्रिया देश में उत्तम और पारदर्शी वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के विकास में योगदान देती है।

क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के अधीन निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा :

- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में परिषद् को सिफारिशें करना ;
- संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पुनर्विलोकन करना, जिसके अंतर्गत संपरीक्षा सेवाएं भी हैं ;
- संस्थान के सदस्यों को सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने तथा विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं के पालन हेतु मार्गदर्शित करना ; और
- संस्थान के सदस्यों या फर्मों द्वारा विभिन्न वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं के गैर-अनुपालन के मामलों को इसकी

समीक्षा के दौरान अनुशासन निदेशालय को इसकी जांच के लिए अग्रेषित करने के लिए ।

तथापि, वर्ष 2018 में केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के सृजन के साथ क्यूआरबी के आज्ञापक कार्यों में परिवर्तन हुआ है । पुनरीक्षित आज्ञा के अनुसार वर्तमान में क्यूआरबी एनएफआर नियम, 2018 के नियम 3(1) के अधीन विहित अवसीमा के नीचे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, असूचीबद्ध प्राइवेट कंपनियों की संपरीक्षा का चयन करने के लिए प्राधिकृत है और साथ ही वह एनएफआरए द्वारा क्यूआरबी को निर्दिष्ट अस्तित्वों की संपरीक्षा क्वालिटी का पुनर्विलोकन भी करेगा ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान क्यूआरबी ने भारत में 23 अस्तित्वों की 24 संपरीक्षाओं की क्वालिटी का पुनर्विलोकन पूरा किया है । इन पूरे किए गए 24 पुनर्विलोकनों में से क्यूआरबी ने 22 मामलों में संपरीक्षा सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए संबद्ध संपरीक्षा फर्मों को सलाह जारी की है और साथ ही उन्हें यह सलाह भी दी गई है कि वे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (ग) की अपेक्षाओं के निबंधनानुसार विभिन्न कानूनी और अन्य विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अन्य दो मामलों को बंद कर दिया गया था ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ण) के अधीन परिषद् के कृत्यों में से एक कृत्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख के खंड (क) के अधीन क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की सिफारिशों पर विचार करना भी है तथा उनके संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे इसकी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाएंगे ।

उपरोक्त उपबंधों के अनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान परिषद् को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 28ख(क) के अधीन दो प्रतिनिर्देश संस्थान के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के संबंध में क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड से प्राप्त हुए थे । उनके संबंध में की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :--

- आईसीएआई की अनुशासन तंत्र के अधीन आगे और अन्वेषण करने के लिए निदेशक (अनुशासन) को निर्दिष्ट प्रतिनिर्देशों की संख्या – शून्य
- प्रतिनिर्देशों की संख्या, जहां तकनीकी पुनर्विलोकक की टिप्पणियां सदस्यों/फर्मों को सलाह के रूप में जारी किए जाने का निर्णय लिया गया - शून्य ।
- प्रतिनिर्देशों की संख्या, जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया – शून्य ।
- परिषद् के विचार हेतु लंबित प्रतिनिर्देशों की संख्या – शून्य ।

8. अन्य मामले

8.1 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए) दिवस - 1 जुलाई, 2022

1 जुलाई, 2022 अर्थात् सीए दिवस को आईसीएआई ने अपनी गौरवान्वित विद्यमानता के 73 वर्षों को पूरा किया । मुख्य समारोह का आयोजन सिरीफोर्ट सभागार में किया गया । वृत्ति के लिए यह अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण था जब भारत के माननीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में भाग लिया और श्री राजेश वर्मा, आईएएस, सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सम्मानित अतिथि के रूप में इस समारोह में भाग लिया । मुख्य अतिथि और सम्मानित अतिथि ने बड़ी संख्या में उपस्थित हुए तथा वेबकास्ट के माध्यम से समारोह में जुड़े सदस्यों और छात्रों को संबोधित किया । समारोह के भागरूप में 2 घंटे के सीपीई कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें भारत के अपर महा सॉलिसिटर जनरल (उच्चतम न्यायालय) ने "भारत में जीएसटी के लिए आगे का मार्ग" विषय पर व्याख्यान दिया । "पूर्त न्यासों का कराधान" विषय पर एक और व्याख्यान दिया गया ।

इस अवसर पर, 5 क्षेत्रीय परिषदों और 166 शाखाओं के व्यापक नेटवर्क का उपयोग करते हुए चालू वर्ष के दौरान लगभग 10,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखते हुए एक राष्ट्रीय बृहत वृक्षारोपण अभियान भी आरंभ किया गया । इससे पूर्व प्रात: कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री ने परिषद् और देश भर से आए सदस्यों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस पर संबोधित किया तथा संस्थान के मुख्यालय के सामने के लॉन में ध्वजारोहण समारोह भी आयोजित किया गया ।

8.2 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

संस्थान का केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय उसके पणधारियों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है । इसका उद्देश्य, आईसीएआई के वर्तमान और भावी सदस्यों/छात्रों, अनुसंधान अध्येताओं और पदधारियों को प्रारंभिक और द्वितीय मुद्रण और गैर-मुद्रण सामग्रियों का व्यापक और अद्यतन संग्रह उपलब्ध कराना है । पुस्तकालय ने समितियों, विभागों में जानकारी प्रदान करने और मूल्यवान सूचना का प्रसार करने के वृहत्तर उत्तरदायित्व को ग्रहण किया है । यह इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुस्तकों, ई-पुस्तकों, जर्नलों, पत्रिकाओं, ऑनलाइन डाटाबेसों, मुद्रित समाचारपत्रों और साथ ई-समाचारपत्रों के माध्यम से करता है । केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय विभिन्न

समितियों के कार्य के लिए अपेक्षित जर्नलों और पुस्तकों को उपलब्ध कराने तथा उन्हें अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी है।

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय पूर्णतया कंप्यूटरीकृत है और वह लिबर्टी-एक पुस्तकालय प्रबंधन साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य करता है। पुस्तकालय की सामग्रियों, जिनके अंतर्गत पुस्तकों, जर्नलों और लेखों का डाटा बेस भी है, के लिए विषय, लेखक, शीर्षक, टापिक, कुंजी शब्द और प्रकाशक के माध्यम से खोज की जा सकती है। ये अभिलेख पुस्तकालय में इंटरनेट ऑनलाइन सर्विस www.icai.org पर "सेंट्रल काउंसिल लाइब्रेरी" पुस्तकों, जर्नलों, लेखों आदि के लिए पुस्तकालय में ऑनलाइन सर्च ओपीएसी लिबर्टी के अधीन उपलब्ध हैं।

संस्थान के जर्नल के स्तंभ "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" के अधीन लेखांकन वृत्ति से सुसंगत लेखों की अनुक्रमणिका को प्रत्येक मास 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल में प्रकाशित किया जाता है। यह उल्लेखनीय है कि "अकाउंटेंट्स ब्राउजर" पूर्ववर्ती लेखों के अभिलेखागार के साथ महत्वपूर्ण/वृत्तिक लेखों की एक अनुक्रमणिका है। पुस्तकालय की निर्देश सेवा विभिन्न शोधकर्ताओं और अध्येताओं, संकाय और छात्रों तथा सदस्यों को प्रदान की जाती है।

पुस्तकालय द्वारा अनेक ऑन लाईन डाटाबेस भी अर्जित किए गए हैं जिनके ब्यौरे https://www.icai.org/post/central-council-library पर उपलब्ध हैं। पुस्तकालय ने इन ऑनलाइन ज्ञान डाटाबेसों को केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय में प्रतिष्ठापित किया है और सदस्यों, संकाय और अनुसंधान अध्येताओं द्वारा अपेक्षित सामग्री की तलाश को सुकर बनाने के लिए इन तक केवल आंतरिक रूप से पहुंच बनाई जा सकती है। पुस्तकालय द्वारा अनेक ई-जर्नलों की ग्राहकी भी प्राप्त की गई है। केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय के क्रमश: प्रधान कार्यालय और नोएडा कार्यालय में स्थित पुस्तकालयों में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान जोड़े गए नए संसाधनों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय (मुख्यालय)

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	27
2.	ऑनलाइन संसाधन	18
3.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या	50

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय, सेक्टर 62, नोएडा

क्रम सं.	शीर्षक	आंकड़े
1.	जर्नल (मुद्रण) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय	10
2.	ऑनलाइन संसाधन	14
3.	अवधि के दौरान जोड़ी गई पुस्तकों की संख्या	78

केंद्रीय परिषद् पुस्तकालय नियमित रूप से अपने संसाधनों को अद्यतन बना रहा है ताकि वृत्तिक सदस्यों, छात्रों, संकायों और अन्य पणधारियों को नवीनतम और अद्यतन जानकारी और सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

8.3 संपादक बोर्ड

संपादक बोर्ड भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की एक गैर-स्थायी समिति है जिसका उद्देश्य सदस्यों को नियमित रूप से वृत्तिक ज्ञान, वृत्ति से हितबद्ध अन्य विषयों पर एक संरचित रीति में 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट' जर्नल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना है। जर्नल की पहुंच और प्रभाव का अनुमान इसके परिचालन से संबंधित आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो आज के दिन 3,50,000 से अधिक है, जिसमें ई-जर्नल और मुद्रित प्रतियां, दोनों सम्मिलित हैं।

यह जर्नल आईसीएआई की ज्ञान क्षमता का पहचान चिन्ह है और वह सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं को एक सुदृढ़ ब्रांड साम्या के साथ संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आज द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल सर्वोत्तम वृतिक जर्नलों में से एक है। संपादक बोर्ड विभिन्न विषयों और मुद्दों पर आईसीएआई के सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों की विभिन्न विषयों और मुद्दों पर जानकारी को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादक बोर्ड निरंतर प्रयासरत है और साथ ही वह आईसीएआई और वृत्ति के संबंध में नए विचारों, परिप्रेक्ष्यों तथा विभिन्न नवीनतम घटनाओं के संबंध में सूचना का भी प्रचार-प्रसार करता है।

1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के दौरान संपादक बोर्ड द्वारा प्राप्त की गई अत्यधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :

राष्ट्र निर्माण में भागीदारी संबंधी पहलें

संपादक बोर्ड ने अपने मासिक जर्नल, द चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ ही अन्य माध्यमों से वृत्तिक ज्ञान का प्रसार करके और साथ ही वैश्विक प्रवृत्तियों तथा उभरते व्यवहारों का प्रचार-प्रसार करके अपने घटकों की सक्षमता और सामर्थ्य में अभिवृद्धि करके राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के प्रति सतत रूप से कार्य कर रहा है। इस संबंध में, की गई महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :-

(I) लेखों के माध्यम से ज्ञान को समृद्ध बनाना :

अवधि के दौरान, विभिन्न और समकालीन वृत्तिक मुद्दों से संबंधित बड़ी संख्या में लेखों को आईसीएआई के जर्नल में सम्मिलित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जर्नल में वृत्तिक हित के अन्य नियमित फीचरों को भी सम्मिलित किया गया था। सदस्यों को नवीनतम वृत्तिक ज्ञान से अवगत कराने के आशय से आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई, जीएसटी, वहनीयता और अन्य तकनीकी विषयों के संबंध में विशेष अंक निकाले गए थे।

(II) 'आई गो ग्रीन विद आईसीएआई' पहल :

आईसीएआई के बहु आयामी वहनीयता अभियान के भागरूप में, सदस्यों और द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अन्य पाठकों को जर्नल के इलैक्ट्रानिक पाठों का विकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया था और इसी दौरान जर्नल की हार्ड प्रति के मुद्रण को बंद कर दिया गया था। आईसीएआई का यह डिजीटल पाठ अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में सदस्यों ने ई-जर्नल का विकल्प लिया है। मुद्रित प्रतियों की संख्या में महत्वपूर्ण रूप से कमी आई है और इन प्रतियों की संख्या, जो अप्रैल, 2021 में 1,07,979 थी, मार्च, 2022 में कम होकर मात्र 85,537 रह गई है।

सदस्यों/छात्रों के लिए पहलें

संपादक बोर्ड, अपने मासिक जर्नल द चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से सदस्यों और छात्रों के ज्ञानवर्धन और वृत्तिक विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नानुसार हैं :

(III) **द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल में क्वालिटी अंतर्वस्तु को सम्मिलित किया जाना :**

- **विषयों की व्यापक रेंज को सम्मिलित किया जाना :** अवधि के दौरान, आईसीएआई जर्नल के अंकों में विभिन्न नवीन और समकालीन मुद्दों के अधीन 145 लेखों का प्रकाशन किया गया। इसके अतिरिक्त, जर्नल में अन्य नियमित फीचरों को भी सम्मिलित किया गया था, जिनमें आईसीएआई और इसके क्रियाकलापों, जो आईसीएआई की विभिन्न समितियों के समन्वयन के साथ किए गए थे, के संबंध में अद्यतन जानकारी को सम्मिलित किया गया था।

  जुलाई, 2021 के आईसीएआई के जर्नल के अंक को कलेक्टर्स संस्करण के रूप में निकाला जाना : सीए दिवस के उपलक्ष में जुलाई, 2021 के अंक को कलेक्टर्स संस्करण के रूप में निकाला गया था। इस विशेष अंक में व्यापक रूप से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा लेखांकन वृत्ति के संबंध में जर्नल हेतु विशेष रूप से लिखे गए 10 लेखों का प्रकाशन करके समारोह की भावना में अभिवृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त, जर्नल में 12 महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से सीए दिवस से संबंधित प्रेरक संदेशों को भी प्रकाशित किया गया था, जिनमें भारत के माननीय उपराष्ट्रपति; माननीय अध्यक्ष, लोक सभा; भारत के माननीय गृह मंत्री; माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री; माननीय शिक्षा मंत्री; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री; माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री; माननीय संसद सदस्य, राज्य सभा और जी 7 और जी 20 के लिए प्रधान मंत्री के शेरपा सम्मिलित थे।

  जुलाई 2021 अंक का मुख्य आकर्षण था - अध्यक्ष, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से साक्षात्कार को सम्मिलित करते हुए बातचीत के अंश, वैश्विक लेखांकन निकायों के नेताओं से पांच लेख, जिनमें आईईएसबीए, आईएफएसी के अध्यक्ष, एसएमपी सलाहकार समूह, आईएफएसी के अध्यक्ष, पीएआईबी सलाहकार समूह के अध्यक्ष के लेख सम्मिलित थे। अंक में पांच पूर्व अध्यक्षों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करने वाले लेख भी शामिल किए गए थे।

- **जर्नल का अद्यतन विधिक जानकारी संबंधी भाग :** जर्नल में मामला संबंधी रिपोर्टों को शीर्ष टिप्पणों के साथ प्रकाशित किया गया था। इसके साथ ही मामला विधियों के संपूर्ण विवरणों को संस्थान की वेबसाइट पर समिति के पृष्ठ के अधीन ऑनलाइन रूप से प्रकाशित किया गया था।

(IV) सदस्यों और छात्रों की सुविधा हेतु - द चार्टर्ड अकाउंटेंट जर्नल के अंकीय पाठों के अनेक रूपों का उन्नयन

- **पीडीएफ प्ररूप में जर्नल :** पाठकों के लिए और अधिक तथा वैकल्पिक सुविधाओं को आरंभ करने, विशिष्ट रूप से अंतर्वस्तु-वार पृथक् डाउनलोड के लिए जर्नल को पीडीएफ प्ररूप में वेबसाइट पर रखे जाने को जारी रखा गया है। जुलाई, 2002 के आगे से अंकीय जर्नल के पिछले सार संग्रह आईसीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- **डिजीटल पठन केंद्र पर जर्नल :** जर्नल के इलैक्ट्रानिक पाठ को, जो ऑनलाइन रूप से उपयोक्ता मित्र ई-पत्रिका के रूप में आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.org पर उपलब्ध है, को और अधिक समुन्नत किया गया था तथा उसे डिजीटल पठन केंद्र के भाग रूप में सम्मिलित किया गया था। इससे आईसीएआई के वहनीयता अभियान को समर्थन देने के अलावा आईसीएआई की पठन प्रबंध प्रणाली के माध्यम से ज्ञान के प्रसार में सहायता प्राप्त हुई थी। फिल्प पुस्तक के रूप में भी ई-जर्नल को वेबसाइट पर रखा जाता है, जिसमें सौंदर्यबोधी रूप से आकर्षक अंतर्वस्तु उपलब्ध कराई जाती है।
- **जर्नल हाईलाईट ईमेलर्स :** जर्नल के प्रत्येक अंक की विशिष्टियों को संक्षिप्त रूप में तथा जर्नल में सम्मिलित अध्यक्ष के संदेश को सभी सदस्यों को ई-मेल किया जाता है।
- **मोबाइल पर जर्नल :** यह ई-जर्नल अब मोबाइल पर भी उपलब्ध है तथा यह आईओएस (आई पैड/आई फोन आदि) और एंड्रयाड युक्तियों के समनुरूप है। इस जर्नल तक पहुंच को http://www.icai.org/ के अधीन 'ई-जर्नल' टैब पर सुकर बनाया जा सकता है। यह ई-जर्नल आईसीएआई मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान आईसीएआई द्वारा 23,357 नए सदस्यों को दर्ज किया गया था, जिससे 1 अप्रैल, 2022 को आईसीएआई की कुल सदस्यता संख्या 3,50,438 हो गई है।

पिछले वर्ष सम्मिलित किए गए 4,254 अध्येता सदस्यों की तुलना में 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 5,826 सहबद्ध सदस्यों को अध्येता सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया गया।

1 अप्रैल, 2022 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहबद्ध (2)	स्तंभ (1) और (2) का योग
पूर्णकालिक व्यवसाय में	91421	56394	147815
अंशकालिक व्यवसाय में	2177	4845	7022
जो व्यवसाय में नहीं हैं	15965	179636	195601
योग	109563	240875	350438

9.2 दीक्षांत समारोह 2021-22

संस्थान नवंबर, 2008 से नए नामांकित सदस्यों को सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। तथापि, कोविड 19 महामारी और केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जनता के एकत्रित होने पर लगाए गए निर्बंधनों के कारण वर्ष 2020 में दीक्षांत समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका था।

वर्ष 2021-22 के दौरान, आईसीएआई ने सफलतापूर्वक 'दीक्षांत समारोह, 2021' का आयोजन किया था, जिसमें नवंबर, 2019 से अगस्त, 2021 के दौरान नामांकित नए सदस्यों को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह का आयोजन 11 स्थानों, अर्थात् मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, कानपुर, इंदौर, जयपुर और दिल्ली में किया गया।

9.3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि

दिसम्बर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कल्याण निधि ऐसे जरूरतमंद व्यक्तियों को, जो संस्थान के सदस्य हैं या रहे हैं और उनके आश्रितों को, उनके भरण पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा आदि की उभरती अत्यावश्यकताओं को पूरा करने के लिए विहित मानदंडों को पूरा किए जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

कोविड 19 महामारी के दौरान, संस्थान ने जरुरतमंद पात्र सदस्यों या उनके आश्रितों, जो विपत्ति में थे, की सहायता करने का प्रयास

किया तथा कोरोना रोग के उपचार के लिए वित्तीय सहायता को जारी किया और साथ ही मृतक सदस्यों के आश्रितों को एक समय अनुग्रहपूर्वक/मासिक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई ।

निधि की वित्तीय और अन्य विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31 मार्च, 2021 को कुल आजीवन सदस्य	1,38,835
2.	31 मार्च, 2022 को कुल आजीवन सदस्य	1,39,875
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31 मार्च, 2022 को यथाविद्यमान)	1040

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

		31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)	**31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान (रुपए)**
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	11,91,64,000	3,96,56,000
2.	वर्ष के दौरान निधि में अधिशेष	(9,00,10,000)	(1,35,82,000)
3.	निधि का अतिशेष	(3,47,93,000)	5,52,17,000
4.	कोरपस का अतिशेष	20,27,10,000	22,71,03,000

9.4 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2022 को निधि के आजीवन सदस्यों की संख्या 10,578 है । साधारण निधि के पास 31 मार्च, 2021 को 70,12,000 रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2022 को 76,74,000 रुपए का अतिशेष विद्यमान है ।

9.5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि (सीएएसबीएफ)

आईसीएआई के साथ रजिस्ट्रीकृत छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लक्ष्य और उद्देश्यों से अगस्त, 2008 में इस निधि की स्थापना की गई थी । साधारण निधि के पास 31 मार्च, 2021 को 15,87,36,000 रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2022 को 16,52,75,000 रुपए का अतिशेष विद्यमान है ।

सदस्यों के आंकड़े 1.4.2022 को यथाविद्यमान

अध्येता :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	91421
	अंशकालिक व्यवसाय में	2177
	जो व्यवसाय में नहीं है	15965
		109563
सहबद्ध :	पूर्णकालिक व्यवसाय में	56394
	अंशकालिक व्यवसाय में	4845
	जो व्यवसाय में नहीं है	179636
		240875
कुल सदस्यता :		350438

	अध्येता				सहबद्ध				
	व्यवसाय में				व्यवसाय में				
क्षेत्र	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं है	योग	पूर्णकालिक	अंशकालिक	जो व्यवसाय में नहीं है	योग	सकल योग
पश्चिमी	26939	580	4441	31960	18908	1684	63283	83875	115835
दक्षिणी	19205	593	3761	23559	9862	1080	36123	47065	70624
पूर्वी	8207	166	1418	9791	3748	337	13278	17363	27154
मध्य	18891	343	2346	21580	12798	783	32690	46271	67851
उत्तरी	18179	495	3999	22673	11078	961	34262	46301	68974
योग	**91421**	**2177**	**15965**	**109563**	**56394**	**4845**	**179636**	**240875**	**350438**

10. अध्ययन बोर्ड-

10.1 अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक)

प्रमुख पहलें

(I) ऐसे छात्रों के लिए सीए पाठ्यक्रम फीस की छूट, जिन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया है

संस्थान की परिषद् ने सभी सीए पाठ्यक्रमों के सभी स्तरों, जिसके अंतर्गत आईसीआईटीएसएस [सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त (आईटी) और अनुकूलन कार्यक्रम] और एआईसीटीएसएस [उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी से युक्त (उन्नत आईटी) और प्रबंध तथा संपर्क कौशल (एमसीएस) पाठ्यक्रम] सम्मिलित हैं, के लिए ऐसे छात्रों को रजिस्ट्रीकरण फीस से छूट प्रदान की है, जिन्होंने कोविड 19 महामारी के दौरान अपने किसी माता-पिता को खो दिया है। इस छूट हेतु उन्हें सीए पाठ्यक्रम हेतु रजिस्ट्रीकरण करते समय अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 की अवधि के लिए लागू है।

(II) आईसीएआई के मृतक सदस्य के बालकों के लिए सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों के लिए रजिस्ट्रीकरण पाठ्यक्रम फीस में 75% रियायत

संस्थान की परिषद् ने 1 अप्रैल, 2022 से आईसीएआई के मृतक सदस्य के बालकों, जो सीए पाठ्यक्रम कर रहे हैं, सीए पाठ्यक्रमों के सभी स्तरों के लिए रजिस्ट्रीकरण पाठ्यक्रम फीस में 75% रियायत इस शर्त के अधीन रहते हुए मंजूर की है कि कुटुंब की वार्षिक आय पांच लाख रुपए है या पांच लाख रूपए से कम है। रजिस्ट्रीकरण फीस के अलावा अन्य सभी फीसों का संदाय फायदा लेने वाले छात्र को करना होगा।

(III) जम्मू-कश्मीर, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों और उत्तर-पूर्व राज्यों के छात्रों/अभ्यर्थियों के लिए सीए पाठ्यक्रम के सभी स्तरों के लिए रजिस्ट्रीकरण पाठ्यक्रम फीस में 75% रियायत

संस्थान की परिषद् ने 31 मार्च, 2025 तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रों और उत्तर-पूर्व राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में निवास कर रहे छात्रों/अभ्यर्थियों, जो सीए पाठ्यक्रम कर रहे हैं, को सीए पाठ्यक्रमों के सभी स्तरों के लिए रजिस्ट्रीकरण पाठ्यक्रम फीस में 75% रियायत को नवीकृत किया है। परिषद् ने 75% फीस रियायत की स्कीम को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रजिस्टर करने वाले छात्रों को भी 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान विस्तारित किया गया है।

(IV) शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी प्रस्तावित स्कीम

परिषद् ने 18 मार्च, 2021 को आयोजित अपनी 400वीं बैठक में शिक्षा और प्रशिक्षण के पुनर्विलोकन संबंधी समिति (सीआरईटी) के सृजन को अनुमोदन प्रदान किया है। सामान्यत: दस वर्षों की बजाए सात वर्ष के पश्चात् समय से पूर्व सीआरईटी को मुख्य रूप से इस

कारण से गठित किया गया है क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंटों के आशयित कौशलों में कृत्रिम बुद्धिमता के उभरते क्षेत्र सहित अन्य अनेक नवीन उन्नतियों के कारण परिवर्तन किया जाना अनिवार्य हो गया है और कोविड 19 पश्च परिदृश्य ने हमारी विद्यमान शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने की रीति में पुनर्विलोकन को आवश्यक बना दिया है और साथ ही वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के आरंभ होने के परिणामस्वरूप सुसंगत वैश्विक पाठ्यचर्या को विकसित करने की आवश्यकता भी महसूस हो रही है तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के कार्यान्वयन के कारण भी लेखांकन क्षेत्र संबंधी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जाना आवश्यक हो गया है। इसके अलावा, वर्तमान समय में निगम शासन और कारबार नैतिकता पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है तथा कार्बन लेखांकन, सीएसआर लेखांकन और संपरीक्षा तथा पर्यावरण संबंधी रिपोर्टिंग जैसे नए क्षेत्र भी खुल रहे हैं इसलिए इस समिति का गठन अनिवार्य हो गया था।

एमसीए ने 26 मई, 2022 को शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी प्रस्तावित स्कीम तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियमों के प्रारूप संशोधनों को सैद्धांतिक रूप से अनुमति प्रदान कर दी थी। वेबसाइट पर रखी गई एक उदघोषणा के माध्यम से 1 जुलाई, 2022 तक परिषद् के विचारार्थ साधारण जनता से प्रस्तावित स्कीम के संबंध में पणधारियों से सुझाव/आक्षेप तथा साधारण जनता से टीका-टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी प्रस्तावित स्कीम के बारे में जागरुकता का प्रसार करने के लिए आउटरीच बैठकों का आयोजन किया गया था तथा पणधारियों से उनके विचार आमंत्रित किए गए। 83 शाखाओं द्वारा 103 आउटरीच बैठकों का आयोजन किया गया।

इसके अतिरिक्त, सदस्यों और छात्रों के लिए पृथक् रूप से 9 जून, 2022 को राष्ट्रीय आउटरीच बेबीनारों का आयोजन किया गया। क्रमश: 14 जून, 2022 तथा 19 जून, 2022 को आईसीएआई के पूर्व अध्यक्षों तथा आईसीएआई के विदेशी चैप्टरों के साथ वर्चुअल आउटरीच बैठकों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, सभी पणधारियों को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित स्कीम के संबंध में 28 जून, 2022 को एक राष्ट्रीय आउटरीच बैठक का आयोजन किया जाना भी प्रस्तावित है। 1 जुलाई, 2022 तक आनलाइन प्ररूप के माध्यम से पणधारियों से 24,780 टीका-टिप्पणियां प्राप्त हुई थी।

छात्रों के लिए पहलें

(I) नि:शुल्क लाइव कोचिंग कक्षाएं

अध्ययन बोर्ड ने छात्रों को उनके पठन प्रयासों की सहायता करने के उद्देश्य से 1 जुलाई, 2020 से नि:शुल्क लाइव कोचिंग कक्षाओं का आयोजन आरंभ किया है।

समय-सूची और समय

पाठ्यक्रम	सत्र I	सत्र II
फाउंडेशन	प्रात: 11.00 बजे - दोपहर 1.00 बजे	दोपहर 2.00 बजे – सायं 4.00 बजे
मध्यवर्ती	प्रात: 7.00 AM बजे - प्रात: 9.30 बजे	सायं 6.00 बजे – रात्रि 8.30 बजे
फाइनल	प्रात: 7.00 बजे – प्रात: 10.00 बजे	सायं 6.00 बजे – रात्रि 9.00 बजे

उल्लेखनीय फीचर

- कक्षाओं तक लाइव पहुंच बनाई जा सकती है या उन्हें हाथ में रखी जाने वाली युक्ति जैसे कि स्मार्ट फोन, लैपटाप, आई पैड, टैबलेट आदि के माध्यम से किसी भी जगह से बाद में देखा जा सकता है क्योंकि रिकार्ड किए गए व्याख्यान उपलब्ध हैं।
- रिकार्ड किए गए व्याख्यान असीमित पहुंच के साथ।
- विख्यात विषय विशेषज्ञों के साथ सत्र।
- टिप्पणों/समनुदेशनों/एमसीक्यू के पृथक् खंड।
- लाइव कक्षाओं के दौरान संदेहों के बारे में पूछे और संकाय शंकाओं का समाधान करेगा।
- परीक्षा उन्मुख केंद्रित दृष्टिकोण।

कक्षाएं जूम वीडियो कांफ्रेसिंग ऐप का उपयोग करते हुए संचालित की जाती हैं और उन्हें आईसीएआईसीए के यू ट्यूब चैनल पर और साथ ही आईसीएआई बीओएस मोबाइल ऐप और उपयोक्ता मित्र रीति में लाइव कोचिंग कक्षा वेब पोर्टल पर छात्रों के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

लाइव कक्षाओं को देखे जाने संबंधी आंकड़े निम्नानुसार हैं :

पाठ्यक्रम	आज की तारीख तक ऐसे छात्रों की संख्या, जिन्होंने व्याख्यानों को देखा है
फाउंडेशन*	361163

मध्यवर्ती (बैच-5)	109316
फाइनल (बैच-4)	204232

* फाउंडेशन (बैच 4) जून, 2022 प्रयास ।

(II) आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप

अध्ययन बोर्ड (ए), आईसीएआई द्वारा 1 जुलाई, 2021 को आईसीएआई-बीओएस मोबाइल ऐप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया, जो एकल क्लिक के साथ सभी पठन सामग्रियां प्राप्त करने के लिए एकल समाधान है । आज की तारीख तक 2.3 लाख से अधिक छात्रों ने इस मोबाइल ऐप को इंस्टाल किया है और अपना प्रश्न पूछें वर्ग के अधीन 6647 विषय विनिर्दिष्ट शंकाओं के संबंध में उत्तर उपलब्ध कराए गए हैं ।

(III) बीओएस ज्ञान पोर्टल में सुधार

बोर्ड ने अपने बीओएस ज्ञान पोर्टल का उन्नयन किया है । नया बीओएस ज्ञान पोर्टल अब निर्बाध पाठ्यक्रम तथा प्रश्न-पत्र-वार लाइव और रिकार्ड किए गए व्याख्यानों, पाठ्यचर्या, उदघोषणाओं, अध्ययन सामग्रियों, पुनरीक्षण, परीक्षा पत्रों, मोक परीक्षा पत्रों, अनुसूचियों, महत्वपूर्ण समाचारों, छात्र जर्नल, अन्य पोर्टल आदि तक पहुंच के लिए एकल मंच उपलब्ध कराता है । बीओएस ज्ञान पोर्टल के समुन्नत वर्जन को 1 जुलाई, 2022 को आरंभ किया गया था ।

(IV) व्यवहारिक प्रशिक्षण के निर्धारण हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा

कोविड 19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में केंद्र आधारित परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जा सका था । अत:, यह विनिश्चय किया गया था कि घर से ही व्यवहारिक प्रशिक्षण निर्धारण का संचालन किया जाए, इस श्रृंखला में प्रथम दस परीक्षाओं का आयोजन अक्टूबर, 2020 से मई, 2022 के दौरान किया गया, जिनमें 1,50,000 छात्रों ने दोनों स्तरों पर भाग लिया था ।

(V) डिजीटल पठन केंद्र संबंधी ई-पुस्तकें

बोर्ड ने आईसीएआई डिजीटल पठन केंद्र के माध्यम से सीए पाठ्यक्रम के सभी तीन स्तरों के लिए श्रव्य समर्थित ई-पुस्तकों को जारी किया है । अब छात्र पुस्तकों को पढ़े बिना विषयों के पाठ को सुगमता से सुन सकते हैं ।

(VI) सुगम संदर्भ कैप्सूल

वर्ष 2017 से छात्र जर्नल में प्रकाशित किए जा रहे इन कैप्सूलों को मध्यवर्ती तथा फाइनल स्तर के छात्रों के लिए समूहवार और प्रश्नपत्र-वार सुगम संदर्भ कैप्सूलों के रूप में संकलित किया गया है और उन्हें संस्थान की वेबसाइट पर बीओएस ज्ञान पोर्टल के अधीन वेब पर रखा गया है ।

(VII) प्रकाशनों/अध्ययन सामग्रियों का जारी किया जाना

- एमसीक्यू और मामला परिदृश्य संबंधी पुस्तिकाएं
- फाइनल स्तर के लिए मामला अध्ययन डाइजेस्ट
- छात्र जर्नल की रजत जयंती

(VIII) कार्यक्रम

- **अध्ययन बोर्ड (शैक्षिक) ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया :**
    - 25 अप्रैल, 2022 (सोमवार) को मई, 2022 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए "सीए परीक्षा का सामना कैसे करें – योजना, तैयारी और कार्यपालन" विषय पर लाइव वेबीनार का आयोजन ।
    - 23 जनवरी, 2022 को "छात्रों के साथ वार्ता में आईसीएआई" विषय पर लाइव वेबीनार का आयोजन ।
    - 31 अगस्त, 2021 को फाउंडेशन, मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए "परीक्षाओं में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने हेतु पढ़ने संबंधी रणनीति" विषय पर लाइव वेबकास्ट का आयोजन । इस वेबकास्ट का उद्देश्य सीए पाठ्यक्रम के अभ्यर्थियों को एक परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण अपनाए जाने के संबंध में अंत:दृष्टि प्रदान करना था, जिससे वे तदनुसार अपने अध्ययनों का प्रबंध कर सकें ।

- 27 अगस्त, 2021 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के साथ संयुक्त रूप से आईबीसी, 2016 के अधीन कैरियर अवसरों पर वेबीनार का आयोजन ।

10.2 छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन)

चार्टर्ड अकाउंटेंसी का वृत्तिक पाठ्यक्रम सैद्धांतिक शिक्षा की एक सुदृढ़ नींव पर खड़ा है, जिसे व्यवहारिक प्रशिक्षण का समुचित रूप से सम्मिलित किया गया है । छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (एसएसईबी) का चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्रों को विश्व स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु गठित किया गया है, जो शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व का समग्र रूप से विकास करे । एसएसईबी सीए छात्रों को सक्षमता और वृत्तिक कौशल सेटों से लैस करने हेतु अनुकूलन, सूचना प्रौद्योगिकी, समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध तथा संसूचना संबंधी कौशल पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है, जिनकी कारबार गृहों द्वारा अपेक्षा की जाती है ताकि वे उनके कारबार को समृद्ध बना सकें । बोर्ड आईटी और साफ्ट कौशलों में प्रशिक्षण देने के अलावा अन्य विभिन्न क्रियाकलापों का भी आयोजन करता है, जैसे कि सम्मेलनों, संगोष्ठियों, राष्ट्रीय योग्यता खोज प्रतिस्पर्धाओं, छात्र समारोह, खेलकूद के क्रियाकलाप आदि ताकि छात्रों में अनिवार्य स्किल सेटों का संचार करके उनके सकल आत्मविश्वास के स्तर में अभिवृद्धि की जा सके । छात्रवृत्ति प्रक्रिया के अंकीयकरण का आईसीएआई की मध्यवर्ती और फाइनल पाठ्यक्रमों के छात्रों के लिए 1 अप्रैल, 2021 को शुभारंभ किया गया था । छात्र अब स्वसेवा पोर्टल (एसएसबी) पर लॉगिन करके आनलाइन रूप से छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन कर सकते हैं । छात्रों के लिए आनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया को सुकर बनाया जाएगा ।

प्रमुख पहलें

(I) सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2021 – वक्तृता प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता

छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड - प्रचालन) ने सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2021 का आयोजन किया, जिसमें वक्तृता और क्विज प्रतियोगिताएं सम्मिलित थी । वक्तृता और क्वीज प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रथमत: शाखा स्तर पर किया गया तथा शाखा स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदों द्वारा द्वितीय स्तर पर आयोजित प्रादेशिक स्तर की वक्तृता और क्विज प्रतियोगिताओं में भाग लिया । अंतत: बोर्ड ने 28 अगस्त, 2021 को पुरी (ओडिशा) में सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2021 के ग्रांड फिनाले का आयोजन किया, जिसमें प्रादेशिक स्तरीय वक्तृता और क्विज प्रतियोगिताओं के 40 विजेताओं (प्रत्येक क्रियाकलाप के 20 विजेताओं) ने भाग लिया, इसके अतिरिक्त, सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2021 के ग्रांड फिनाले (वक्तृता और क्विज प्रतियोगिता) के विजेताओं ने 6 और 7 नवंबर, 2021 के दौरान वर्चुअल पद्धति से आयोजित साफा, वक्तृता और क्वीज प्रतियोगिताओं में आईसीएआई के प्रतिनिधियों के रूप में भाग लिया । वक्तृता प्रतियोगिता के ग्रांड फिनाले के विजेताओं ने साफा वक्तृता प्रतियोगिता में पहला और दूसरा स्थान अर्जित किया ।

(II) सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2022 (चरण 2) – वाद-विवाद प्रतियोगिता और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता (पीपीटी)

28 अगस्त, 2021 को आयोजित सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2021 - वक्तृता प्रतियोगिता और क्विज प्रतियोगिता – चरण 1 ग्रांड फिनाले की अपार सफलता तथा शाखा स्तरीय, प्रादेशिक स्तरीय प्रतियोगिताओं के प्रति छात्रों के उत्साह को ध्यान में रखते हुए, छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2022 (चरण 2) – वाद-विवाद प्रतियोगिता और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता (पीपीटी) का आयोजन करने का विनिश्चय किया । शाखा स्तरीय वाद-विवाद प्रतियोगिता और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता प्रतियोगिता का आयोजन 15 से 31 अक्तूबर, 2021 के दौरान किया गया । प्रादेशिक स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रादेशिक परिषदों द्वारा 27 दिसंबर, 2021 से 3 जनवरी, 2022 के दौरान किया गया तथा सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2022 (चरण 2) का आयोजन बोर्ड द्वारा 16 जनवरी, 2022 को हैदराबाद में किया गया, जहां वाद-विवाद प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों और सर्वोत्तम प्रस्तुतिकर्ता के 15 विजेताओं ने अपनी-अपनी प्रादेशिक परिषदों का प्रतिनिधित्व किया ।

(III) आईसीआईटीएसएस और एआईसीआईटीएसएस पाठ्यक्रम

सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम (आईसीआईटीएसएस), जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा अनुकूलन पाठ्यक्रम (ओसी) सम्मिलित हैं और सूचना प्रौद्योगिकी तथा साफ्ट कौशलों संबंधी समुन्नत एकीकृत पाठ्यक्रम (एआईसीआईटीएसएस), जिसमें समुन्नत सूचना प्रौद्योगिकी (समुन्नत आईटी) तथा प्रबंध और संसूचना कौशल (एमसीएस) पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं, जिनमें से प्रत्येक पाठ्यक्रम 15 दिवस की अवधि का है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटकों में से है, जिसे प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के क्रमश: मध्यवर्ती और फाइनल स्तर के छात्र पूरा करते हैं ।

1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2022 की अवधि के दौरान आईसीआईटीएसएस और एआईसीएआईटीएसएस पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित

छात्रों के ब्यौरे निम्नानुसार है :

पाठ्यक्रम	पीओयू की संख्या	बैचों की संख्या	छात्रों की संख्या
एमसीएस पाठ्यक्रम	130	1232	47608
समुन्नत आईटीटी	130	1330	44878
सूचना प्रौद्योगिकी	148	1635	55171
अनुकूलन पाठ्यक्रम	146	1433	56654
सकल योग		5630	204311

(IV) आर्टिकल नियोजन और औद्योगिक प्रशिक्षण पोर्टल - छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन)

सीए विनियम, 1988 के विनियम 51 का संशोधन किया गया है और औद्योगिक प्रशिक्षण की अवधि को, जो पूर्व में 9 से 12 मास थी, बढ़ाकर 9 से 18 मास कर दिया है, जिससे छात्रों को "उद्योगों के लिए तैयार वृत्तिकों" के रूप में सज्जित किया जा सके और साथ ही छात्रों को सशक्त करने के लिए एक समर्पित आर्टिकल नियोजन और औद्योगिक प्रशिक्षण पोर्टल को भी आरंभ किया गया है । यह पोर्टल आर्टिकल सहायकों और उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षुओं के रूप में नियोजित करने की वांछा करने वाली कंपनियों के लिए एक उत्तम गंतव्य है । यह मंच छात्रों और कंपनियों को एक-दूसरे से परस्पर क्रिया का अवसर उपलब्ध कराता है, जिससे कंपनियां और छात्र एक-दूसरे का चयन कर सकें । यह पोर्टल ऐसे उद्योगों को आनलाइन अनुमोदन प्रदान करता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियमों के अनुसार सीए बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने की वांछा करते हैं ।

(V) उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर और हैदराबाद में 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रमों का आयोजन

कोविड 19 महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात् छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड) ने उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर और हैदराबाद में 4 सप्ताह के आवासीय कार्यक्रमों के 63वें, 64वें, 65वें और 66वें बैचों का संचालन किया तथा आगामी 67वें और 68वें बैचों का संचालन उत्कृष्टता केंद्र, जयपुर और हैदराबाद में 4 जुलाई, 2022 से आरंभ किया जाएगा । इस 4 सप्ताह के आवासीय पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करने के लिए बोर्ड की सिफारिश पर परिषद् ने पहले तीन मास (मई, जून और जुलाई, 2022) के लिए उक्त पाठ्यक्रम के लिए नियत 48000 रुपए की विद्यमान फीस पर 75% की रियायत देने का अनुमोदन किया है । परिषद् के अनुमोदन के आधार पर पहले तीन मास (मई, जून और जुलाई, 2022) के लिए उक्त पाठ्यक्रम हेतु रजिस्टर करने वाले छात्रों से केवल 12000 रुपए की फीस प्रभारित की गई ।

(VI) सीए छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण माड्यूल

ऐसे सीए छात्रों, जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं, व्यावहारिक प्रशिक्षण के व्यावहारिक पहलूओं के संबंध में सहायता प्रदान करने तथा उसके मानकीकरण संबंधी एक पहल के रूप में छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने प्रत्येक रविवार प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक लाइव वेबीनारों की एक श्रृंखला को आयोजित करने का विनिश्चय किया । ऐसे प्रथम लाइव वेबीनार का आयोजन 8 मई, 2022 को किया गया और 30 जून, 2022 तक ऐसे 8 लाइव वेबीनारों का आयोजन किया गया है । लाइव वेबीनारों के दौरान विख्यात विषय विशेषज्ञों को छात्रों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिनमें विभिन्न विषयों, अर्थात् माड्यूल संबंधी व्यवहारिक प्रशिक्षण – जीएसटी रजिस्ट्रीकरण, माड्यूल 2 – पेन के संबंध में संपूर्ण जानकारी, माड्यूल 1 – जीएसटीआर 1, माड्यूल 1 – आय-कर पोर्टल का मार्गदर्शित दौरा, माड्यूल 2 – इनपुट कर प्रत्यय तथा लेखांकन श्रृंखला, माड्यूल – आईटीआर 1 – वेतन भाग, माड्यूल – जीएसटीआर पोर्टल पर इनपुट कर प्रत्यय का सुमेलन, माड्यूल "गृह संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय" विषयों को चर्चा हेतु चुना गया ।

(VII) सीए छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने 29 और 30 जनवरी, 2022 को कोलकाता में सीए छात्रों के लिए भौतिक-सह-वर्चुअल पद्धति में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी थीम "लक्ष्य निर्धारित करें, प्रयास करें, पूर्ति करें" थी, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी और ईआईसीएएसए द्वारा की गई थी । इस सम्मेलन ने विश्व भर से लगभग 6500 प्रतिभागियों को आकर्षित किया और साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेखा निकायों से 243 छात्र प्रतिनिधि मंडलों ने भी भाग लिया और इस प्रकार आईसीएआई के सीए छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इतिहास में यह सर्वाधिक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने वाला सम्मेलन बन गया । इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में श्री विवेक गुप्ता, विधान सभा सदस्य और मुख्य संपादक, संमार्ग समाचार-पत्र, कोलकाता ने भाग लिया था और श्री मनिंदर सिंह, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, अध्यक्ष, आईसीएआई और उपाध्यक्ष, आईसीएआई के साथ सम्मानित अतिथियों के रूप में इस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे । इस कार्यक्रम में चार विकास सत्र सम्मिलित थे, जिनमें जीवंत और विख्यात वक्ताओं को आमंत्रित किया गया था । इस कार्यक्रम में केंद्रीय परिषद् सदस्य और आईसीएआई की ईआईआरसी और

ईआईसीएएसए प्रबंध समिति के सदस्यों ने भाग लिया था । इस सम्मेलन में अन्य लेखांकन निकायों के छात्रों ने भी भाग लिया था, अर्थात् श्रीलंका के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के 11 छात्रों, बांग्लादेश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के 7 छात्रों, पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान के 223 छात्रों और दुबई, संयुक्त अरब अमीरात के 4 छात्रों ने भाग लिया था । यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एक बहुत बड़ी सफलता थी ।

(VIII) आजादी का अमृत महोत्सव – आईकोनिक दिवस संबंधी समारोह

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मनाते हुए छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) में सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2022 (वक्तृता प्रतियोगिता) के ग्रांड फिनाले का आयोजन किया था, जिसमें प्रादेशिक स्तर की वक्तृता प्रतियोगिताओं के 20 विजेताओं ने भाग लिया था । वक्तृता प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रथमत: शाखा स्तर पर किया गया तथा शाखा स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदों द्वारा द्वितीय स्तर पर आयोजित प्रादेशिक स्तर की वक्तृता प्रतियोगिताओं में भाग लिया । अंतत: बोर्ड ने सीए छात्र राष्ट्रीय योग्यता खोज, 2021 के ग्रांड फिनाले का आयोजन किया, जिसमें प्रादेशिक स्तरीय वक्तृता प्रतियोगिताओं के 20 विजेताओं ने भाग लिया । इसके उदघाटन सत्र को श्री राहुल कासवान, माननीय संसद् सदस्य, भारत सरकार ने संबोधित किया । वक्तृता प्रतियोगिता के ग्रांड फिनाले के पश्चात् दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक एक प्रेरणात्मक सत्र का आयोजन किया गया, जिसे ब्रह्म कुमारी ने संबोधित किया । उन्होंने "भारत को विश्व गुरु बनाने में युवाओं की भूमिका" विषय पर वार्तालाप किया । ग्रांड फिनाले के तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए तथा सभी भाग लेने वाले व्यक्तियों, जो प्रादेशिक स्तर के विजेता थे, को प्रतिभागी प्रमाणपत्र प्रदान किए गए और यह आयोजन बड़े स्तर पर सफल सिद्ध हुआ था ।

(IX) छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल

छात्र क्रियाकलाप संबंधी पोर्टल छात्रों की, प्रादेशिक परिषदों और शाखाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न छात्र संबंधी कार्यक्रमों हेतु रजिस्टर करने में सहायता करता है । यह कार्यक्रम आयोजक इकाईयों और छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) के स्तर पर छात्र क्रियाकलापों के प्रणालीगत प्रबंध में सहायता करता है । रिपोर्ट की अवधि के दौरान, इस पोर्टल पर 1355 कार्यक्रमों को रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

(X) छात्रवृत्ति प्रक्रिया और छात्रवृत्ति अनुदान के वितरण की प्रक्रिया को डिजीटल बनाना

आईसीएआई के मध्यवर्ती और फाइनल के छात्रों के लिए 1 अप्रैल, 2021 को छात्रवृत्ति प्रक्रिया को डिजीटल बनाने की पहल का शुभारंभ किया गया था । छात्र स्व:सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर लॉगइन करके छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन रूप से आवेदन कर सकते हैं । छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के चयन के लिए मानवीय हस्तक्षेप के बिना पूर्णतया ऑनलाइन रूप से आवेदन प्रस्तुत किए जाने को सुकर बनाया जाएगा । स्वचालित छात्रवृत्ति प्रक्रिया के अधीन 1.4.2021 से 30.06.2022 की अवधि के दौरान कुल 7043 छात्रों को फायदा प्रदान किया गया और त्रैमासिक आधार पर छात्रवृत्ति किस्तों के माध्यम से छह करोड़ रूपए की राशि को जारी किया गया है ।

(XI) सीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन और सीए छात्र सम्मेलन

छात्र कौशलों में अभिवृद्धि करने संबंधी बोर्ड (अध्ययन बोर्ड – प्रचालन) ने पूरे भारत वर्ष में छात्र सम्मेलनों का आयोजन किया था । कोविड 19 महामारी के कारण छात्र सम्मेलनों का आयोजन सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्चुअल पद्धति/भौतिक पद्धति/वर्चुअल-सह-भौतिक पद्धति के माध्यम से किया गया । वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड द्वारा 4 राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी की अहमदाबाद शाखा, बडौदा शाखा, चंडीगढ़ शाखा, आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा, सलेम शाखा, गाजियाबाद शाखा, गोवा शाखा, नागपुर शाखा, पुणे शाखा और आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की विजयवाड़ा शाखा द्वारा की गई । इन सम्मेलनों में लगभग चौदह हजार छात्रों ने भाग लिया था ।

11. कैरियर परामर्श समिति

(I) आईसीएआई वाणिज्यिक क्विज, 2021 :

कैरियर परामर्श समिति ने 5 सितंबर, 2021 को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ सफलतापूर्वक आईसीएआई वाणिज्य क्विज 2021 (आनलाइन) का आयोजन किया :

- छात्रों के कौशल, सामर्थ्य और ज्ञान को मापने के लिए ।
- छात्रों में योग्यता की पहचान करने और उन्हें वाणिज्य शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने ।
- छात्रों के बीच उपलब्धि की भावना का विकास करने ।

इस क्विज का संचालन आनलाइन रूप से निम्नानुसार 4 विभिन्न स्तरों पर छात्रों के लिए किया गया :

- स्तर 1 : नौवीं कक्षा
- स्तर 2 : दसवीं कक्षा
- स्तर 3 : ग्यारहवीं कक्षा
- स्तर 4 : बारहवीं कक्षा

21 राष्ट्रों से 32000 से अधिक छात्रों ने इस क्विज प्रतियोगिता के लिए रजिस्ट्रीकरण कराया । यह क्विज एक बड़ी सफलता थी ।

(II) आईसीएआई वाणिज्य जादूगर, 2021 :

स्तर 1 के लिए 16 जनवरी, 2022 को तथा स्तर 2 के लिए 30 जनवरी, 2022 को आईसीएआई वाणिज्य जादूगर, 2021 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । आईसीएआई वाणिज्य जादूगर, 2021 के लिए कुल 17790 अभ्यर्थियों ने रजिस्टर किया । दोनों स्तरों के लिए आनलाइन परीक्षा कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और स्नातक के छात्रों के लिए आयोजन किया गया ।

(III) विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ परस्पर क्रियाशील बैठक

समिति ने आईसीएआई के नेतृत्व और देश भर के 50 से अधिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों और उप प्रधानाचार्यों के साथ एक परस्पर क्रियाशील बैठक का आयोजन करके 5 सितंबर, 2021 के अध्यापक दिवस संबंधी समारोह को मनाया । इस बैठक का उद्देश्य छात्रों के बीच वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करना तथा उन्हें आईसीएआई के विजन के संबंध में संसूचित करना था ताकि वे परस्पर फायदे के लिए संस्थान से सहबद्ध होकर निकट रूप से कार्य करें तथा अपने-अपने विद्यालयों और महाविद्यालयों में कैरियर परामर्श संबंधी क्रियाकलापों का आयोजन करें ।

(IV) समझौता ज्ञापन

समिति ने तेलगांना और पंजाब राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए हैं । इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य सरकारी और सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले उच्चतर और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रों के बीच वाणिज्य शिक्षा का संवर्धन करने के लिए पक्षकारों के बीच सहयोग स्थापित करना है ।

(V) कैरियर परामर्श संबंधी समिति की नई परस्पर क्रियाशील वेबसाइट

समिति की नई परस्पर क्रियाशील वेबसाइट को तैयार किया गया है और उसे 4 फरवरी, 2022 को आईसीएआई के वार्षिक दिवस के अवसर पर आरंभ किया गया । इस वेबसाइट पर गणमान्य व्यक्तियों के वीडियो और उद्धरणों को रखा गया है, जिससे छात्रों को प्रेरित किया जा सके ।

यह वेबसाइट https://ccg.icai.org/ पर देखी जा सकती है ।

(VI) आयोजित किए गए वर्चुअल वृहत कैरियर परामर्शी कार्यक्रम

क्रम सं.	शहर	प्रतिभागियों की संख्या	आयोजन की तारीख
1	मुंबई	15000	19-12-2021
2	दिल्ली	51453	20-12-2021
3	दिल्ली	77180	16-12-2021
4	पुणे	2000	28-08-2021
5	चेन्नई	7000	28-08-2021
6	चेन्नई	30000	09-04-2021

(VII) विद्यालयों और महाविद्यालयों में कैरियर परामर्श कार्यक्रमों (वर्चुअल-सह-भौतिक) का आयोजन :

समिति ने अपनी 36 शाखाओं और आईसीएआई की प्रादेशिक परिषदों के माध्यम से 12 फरवरी, 2021 से 11 फरवरी, 2022 की

अवधि के दौरान 567 कैरियर परामर्श कार्यक्रमों का आयोजन किया था । इन कैरियर परामर्श सत्रों के दौरान इनमें लगभग 105599 छात्रों ने भाग लिया ।

12. प्रादेशिक परिषदें और उनकी शाखाएं

आईसीएआई की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं, अर्थात् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद्, जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में स्थित हैं । इस समय इसके पास पूरे भारत में 166 शाखाएं हैं ।

सर्वोत्तम प्रादेशिक परिषद्, प्रादेशिक परिषद् की सर्वोत्तम शाखा, सर्वोत्तम छात्र संघ और छात्र संघ की सर्वोत्तम शाखा के लिए पुरस्कार :

ये पुरस्कार आईसीएआई द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं । ये पुरस्कार सकल कार्यपालन और स्थापित संनियमों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं । वर्ष 2021 के लिए ये शील्डें 4 फरवरी, 2022 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी ।

क्रम सं.	विवरण	इकाई का नाम	पुरस्कार
1	**सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय परिषद**	पश्चिमी भारत क्षेत्रीय परिषद	एसआईआरसी के साथ संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार
		दक्षिणी भारत क्षेत्रीय परिषद	डब्ल्यूआईआरसी के साथ संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार
		उत्तर भारत क्षेत्रीय परिषद	सीआईआरसी के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार
		मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद	एनआईआरसी के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार
2	**सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ**	पश्चिमी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ	एसआईसीएएसए के साथ संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार
		दक्षिणी भारत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र संघ	डब्ल्यूआईसीएएसए के साथ संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार
3	**क्षेत्रीय परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (वृहत श्रेणी)**	आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की अहमदाबाद शाखा	प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई के सीआईआरसी की इंदौर शाखा	डब्ल्यूआईआरसी की पुणे शाखा के साथ संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार
		डब्ल्यूआईआरसी की पुणे शाखा	सीआईआरसी की इंदौर शाखा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार
4	**क्षेत्रीय परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (बड़ी शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई की एसआईआरसी की एर्नाकुलम शाखा	प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई की एसआईआरसी की विजयवाड़ा शाखा	द्वितीय पुरस्कार
5	**क्षेत्रीय परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मध्यम शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई के एनआईआरसी की अमृतसर शाखा	प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई की डब्ल्यूआईआरसी की औरंगाबाद शाखा	द्वितीय पुरस्कार
		आईसीएआई की सीआईआरसी की भिलाई शाखा	द्वितीय पुरस्कार
		आईसीएआई की ईआईआरसी की सिलीगुड़ी शाखा	द्वितीय पुरस्कार
6	**क्षेत्रीय परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (लघु शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई की एनआईआरसी की सोनीपत शाखा	प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई की एसआईआरसी की सलेम शाखा	द्वितीय पुरस्कार

7	**क्षेत्रीय परिषद की सर्वश्रेष्ठ शाखा (सूक्ष्म शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई की एसआईआरसी की शिवाकाशी शाखा	प्रथम पुरस्कार
8	**छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (वृहत शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की अहमदाबाद शाखा	प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की पुणे शाखा	द्वितीय पुरस्कार
9	**छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (बड़ी शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई की एसआईसीएएसए की एर्नाकुलम शाखा	प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई की एसआईसीएएसए की कोझीकोड शाखा	द्वितीय पुरस्कार
10	**छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (मध्यम शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की राजकोट शाखा	आईसीएआई के डब्ल्यूआईसीएएसए की वडोदरा शाखा के साथ संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की वडोदरा शाखा	आईसीएआई के डब्ल्यूआईसीएएसए की राजकोट शाखा के साथ संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई के एसआईसीएएसए की जोधपुर शाखा	आईसीएआई की सीआईसीएएसए की मैंगलोर शाखा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार
		आईसीएआई के एसआईसीएएसए की मैंगलोर शाखा	आईसीएआई की सीआईसीएएसए की जोधपुर शाखा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार
11	**छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (लघु शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई की सीआईसीएएसए की सलेम शाखा	प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई की एनआईसीएएसए की अमृतसर शाखा	आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की औरंगाबाद शाखा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार
		आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की औरंगाबाद शाखा	आईसीएआई की एनआईसीएएसए की अमृतसर शाखा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार
12	**छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा (सूक्ष्म शाखा प्रवर्ग)**	आईसीएआई की एसआईसीएएसए की शिवाकाशी शाखा	प्रथम पुरस्कार
		आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की नांदेड़ शाखा	पिंपरीचिंचवाड शाखा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार
		आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की पिंपरीचिंचवाड शाखा	आईसीएआई की डब्ल्यूआईसीएएसए की नांदेड़ शाखा के साथ संयुक्त रूप से द्वितीय पुरस्कार

II. विकेन्द्रीकृत कार्यालय

आईसीएआई की परिषद् ने, त्वरित और व्यक्तिगत सेवा के मूल्य को मान्यता प्रदान करते हुए, जिन्हें विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, निम्नानुसार रूप से 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों की स्थापना की है :

मुंबई चेन्नई कोलकाता कानपुर नई दिल्ली

13. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2022 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा, जो परिषद द्वारा सम्यकत: अनुमोदित है, इसमें इसके पश्चात् प्रकाशित किए गए हैं।

14. अनुशंसा

परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन गठित संस्थान के बोर्डों/समितियों में सहयोजित सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट हुए थे, प्रादेशिक परिषदों, उनकी शाखाओं और उनके सदस्यों तथा गैर-सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने वर्ष 2021-22 के दौरान परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में परिषद् की सहायता की, के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2021-22 के दौरान केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए।

परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक पहलों में केंद्रीय और विभिन्न प्रादेशिक राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है।

परिषद्, आईसीएआई के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान और उसके पश्चात् उनके द्वारा किए गए निष्ठापूर्ण और समर्पित प्रयासों के लिए उनकी अनुशंसा करती है।

सांख्यिकी एक दृष्टि में

सदस्य रजिस्ट्रीकरण

(1 अप्रैल, 2007 से)

सारणी 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1 अप्रैल, 2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1 अप्रैल, 2008	सहयुक्त	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	अध्येता	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	योग	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1 अप्रैल, 2009	सहयुक्त	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	अध्येता	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	योग	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1 अप्रैल, 2010	सहयुक्त	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	अध्येता	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	योग	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1 अप्रैल, 2011	सहयुक्त	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	अध्येता	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	योग	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1 अप्रैल, 2012	सहयुक्त	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	अध्येता	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	योग	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1 अप्रैल, 2013	सहयुक्त	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	अध्येता	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	योग	74368	44938	21073	32933	43794	217106

1 अप्रैल, 2014	सहयुक्त	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	अध्येता	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	योग	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1 अप्रैल, 2015	सहयुक्त	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	अध्येता	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	योग	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1 अप्रैल, 2016	सहयुक्त	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	अध्येता	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	योग	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1 अप्रैल, 2017	सहयुक्त	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	अध्येता	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	योग	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1 अप्रैल, 2018	सहयुक्त	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	अध्येता	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	योग	97419	55013	24518	48588	56655	282193
1 अप्रैल, 2019	सहयुक्त	72296	34352	15547	33522	37129	192857
	अध्येता	28747	21437	9418	18337	20895	98841
	योग	101043	55789	24965	51859	58024	291698
1 अप्रैल, 2020	सहयुक्त	74285	38405	15735	38453	40877	207755
	अध्येता	28860	21495	9295	19017	20816	99483
	योग	103145	59900	25030	57470	61693	307238
1 अप्रैल, 2021	सहयुक्त	79234	42606	16436	41589	43479	223344
	अध्येता	30022	22393	9485	20199	21638	103737
	योग	109256	64999	25921	61788	65117	327081
1 अप्रैल, 2022	सहयुक्त	83875	47065	17363	46271	46301	240875
	अध्येता	31960	23559	9791	21580	22673	109563
	योग	115835	70624	27154	67851	68974	350438

सदस्य

(1 अप्रैल, 1950 से)

सारणी 2

वर्ष (को यथाविद्यमान)	**सहयुक्त**	**अध्येता**	**योग**
1 अप्रैल, 1950 को	1,120	569	1,689
1 अप्रैल, 1951 को	1,285	672	1,957
1 अप्रैल, 1961 को	4,059	1,590	5,649
1 अप्रैल, 1971 को	7,901	3,326	11,227
1 अप्रैल, 1981 को	16,796	8,642	25,438
1 अप्रैल, 1991 को	36,862	22,136	58,998
1 अप्रैल, 2001 को	51,603	44,789	96,392
1 अप्रैल, 2002 को	54,666	47,064	1,01,730
1 अप्रैल, 2003 को	60,619	49,637	1,10,256

1 अप्रैल, 2004 को	63,384	52,707	1,16,091
1 अप्रैल, 2005 को	68,052	55,494	1,23,546
1 अप्रैल, 2006 को	73,778	57,168	1,30,946
1 अप्रैल, 2007 को	81,049	58,792	1,39,841
1 अप्रैल, 2008 को	84,193	61,288	1,45,481
1 अप्रैल, 2009 को	89,682	63,918	1,53,600
1 अप्रैल, 2010 को	94,991	66,525	1,61,516
1 अप्रैल, 2011 को	1,01,636	68,974	1,70,610
1 अप्रैल, 2012 को	1,21,142	71,371	1,92,513
1 अप्रैल, 2013 को	1,42,473	74,633	2,17,106
1 अप्रैल, 2014 को	1,52,476	77,203	2,29,679
1 अप्रैल, 2015 को	1,60,708	79,266	2,39,974
1 अप्रैल, 2016 को	1,71,327	82,010	2,53,337
1 अप्रैल, 2017 को	1,81,585	88,722	2,70,307
1 अप्रैल, 2018 को	1,90,104	92,089	2,82,193
1 अप्रैल, 2019 को	1,92,857	98,841	2,91,698
1 अप्रैल, 2020 को	2,07,755	99,483	3,07,238
1 अप्रैल, 2021 को	2,23,344	1,03,737	3,27,081
1 अप्रैल, 2022 को	2,40,875	1,09,563	3,50,438

रजिस्ट्रीकृत छात्र

(31 मार्च, 2010 से)

वर्ष के दौरान	**फाउंडेशन/सीपीटी**		**पीसीसी/आईपीसीसी/मध्यवर्ती**			**फाइनल/नया फाइनल**		**एटीसी**	**योग**
	फाउंडेशन	**सीपीटी**	**पीसीसी**	**आईपीसीसी एवं आईपीसीसी**	**मध्यवर्ती**	**फाइनल**	**नया फाइनल**		
2009-10	-	1,67,073	1,860	80,745	-	24,172	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	1,55,217	329	67,984	-	57,175	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	1,61,712	-	85,053	-	47,515	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	1,61,084	-	1,02,406	-	45,102	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	1,54,742	-	96,285	-	39,348	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	1,41,241	-	66,570	-	36,950	-	881	2,45,642
2015-16	-	1,25,140		77,962	-	31,669	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	1,07,392		81,886	-	27,611	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	73,804	-	22,657	63,693	26,291	14,056	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	-	-	53,654	-	27,966	-	1,26,668
2019-20	63,228	-	-	-	87,949	-	67,090	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	-	-	46,563	-	26,366	-	1,82,897
2021-22	1,21,365	-	-	-	69,967	-	32,527	-	2,23,899

परिषद् की संरचना - (2022-23)

परिषद् के सदस्य

अध्यक्ष	**निर्वाचित सदस्य**	
सीए. (डा.) देबाशिष मित्रा	सीए. (डॉ.) राजकुमार सत्यनारायण अदुकिया	मुंबई
	सीए. छाजेड पीयूष सोहनराजजी*	मुंबई
	सीए. चिताले चंद्रशेखर वसंत	पुणे
	सीए. विशाल दोशी	वडोदरा
उपाध्यक्ष	सीए. दुर्गेश कुमार काबरा	मुंबई
सीए. अनिकेत सुनील तलाटी	सीए. धीरज कुमार खंडेलवाल	मुंबई
	सीए. पुरुषोत्तमलाल हुकमीचंद खंडेलवाल	अहमदाबाद
	सीए. मंगेश पांडुरंग किनारे	ठाणे
	सीए. प्रीति सावला	मुंबई
	सीए. उमेश रामनारायण शर्मा	औरंगाबाद
	सीए. अनिकेत सुनील तलाटी	अहमदाबाद
	सीए. दयानिवास शर्मा	हैदराबाद
	सीए. श्रीधर मुप्पाला	हैदराबाद
	सीए. प्रसन्ना कुमार डी.	विशाखापट्टनम
	सीए. राजेन्द्र कुमार पी.	चेन्नई
परिषद् के सचिव	सीए. कोथा एस श्रीनिवास	बेंगलुरु
सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव	सीए. श्री प्रिया कुमार	चेन्नई
	सीए. रंजीत कुमार अग्रवाल	कोलकाता
	सीए. सुशील कुमार गोयल	कोलकाता
	सीए. (डा.) देबाशिष मित्रा	गुवाहाटी
	सीए. रोहित रुवतिया	जयपुर
	सीए. अभय कुमार छाजेड	भोपाल
	सीए. अनुज गोयल	गाजियाबाद
	सीए. ज्ञान चंद्र मिश्रा	वैशाली
	सीए. प्रकाश शर्मा	जयपुर
	सीए. केमिशा सोनी	इंदौर
	सीए. संजय कुमार अग्रवाल	नई दिल्ली
	सीए. (डॉ.) राज चावला	नई दिल्ली
	सीए. हंस राज चुघ	नई दिल्ली
	सीए. प्रमोद जैन	नई दिल्ली
	सीए. चरणजोत सिंह नंदा	नई दिल्ली
	सीए. (डा.) संजीव कुमार सिंघल	नई दिल्ली
सरकार के नामनिर्देशिती	श्री संजय कुमार, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय	नई दिल्ली
	श्री ऋत्विक रंजनम पाण्डेय, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय	नई दिल्ली
	श्री मनोज पांडे, संयुक्त सचिव, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	नई दिल्ली
	सुश्री रितिका भाटिया, प्रधान निदेशक (वाणिज्य-2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय	नई दिल्ली
	श्री राकेश जैन, आईए और एएस, उप. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सेवानिवृत्त)	जयपुर
	डॉ. पी.सी. जैन, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एसआरसीसी, दिल्ली	नई दिल्ली

विश्वविद्यालय
अधिवक्ता विजय कुमार झालानी नई दिल्ली

श्री चन्द्र वाधवा सीएमए, पूर्व अध्यक्ष (आईसीओएआई) नई दिल्ली

** सितंबर 2022 में हुए उप-चुनाव में पश्चिमी भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से 25 वीं परिषद के लिए चुने गए और इसे 27 सितंबर, 2022 को भारत के राजपत्र में, असाधारण दिनांकित में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 54-बीवाईई-ईएल (1)/9/2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है। ।*

रे एंड रे
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

स्वतंत्र संपरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

परिषद्, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट

राय

हमने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ("संस्थान") के संलग्न वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2022 को यथा विद्यमान तुलनपत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियों के संक्षिप्त विवरण को सम्मिलित करने वाले वित्तीय विवरणों संबंधी टिप्पणों की संपरीक्षा की है ।

हमारी राय में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पूर्वोक्त वित्तीय विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार सभी सारवान अपेक्षाओं को पूरा करते हुए तैयार किए गए हैं और वे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए संस्थान के वित्तीय कार्यपालन और उसके नकद प्रवाह के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं ।

राय के लिए आधार

हमने अपनी संपरीक्षा को आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार पूरा किया है, उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक के उत्तरदायित्वों संबंधी खंड में वर्णित किया गया है । हम ऐसी नैतिक अपेक्षाओं, जो वित्तीय विवरणों की हमारी संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, के अनुसार संस्थान से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं के अनुसार अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है । हम यह विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा अभिप्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य हमारी राय का आधार प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं ।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधमंडल का उत्तरदायित्व

संस्थान का प्रबंधमंडल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार, इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें उचित रूप से प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे आंतरिक नियंत्रण आवश्यक हैं, जिन्हें प्रबंधमंडल अवधारित करे, जिससे ऐसे वित्तीय विवरणों के तैयार किए जाने को समर्थ बनाया जा सके, जो सारवान मिथ्या कथनों, चाहे वे किसी कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण, से मुक्त हैं ।

इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, प्रबंधमंडल, एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने संबंधी संस्थान के सामर्थ्य का निर्धारण करने, यथा लागू प्रकटन करने, गोईंग कर्न्सन से संबंधित विषयों का निर्धारण करने और लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार का उपयोग करने के लिए तब तक उत्तरदायी है जब तक कि प्रबंधमंडल का आशय या तो संस्थान का परिसमापन करना है या उसके प्रचालनों को बंद करना है या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प उपलब्ध नहीं है ।

प्रबंधमंडल संस्थान की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यावलोकन करने के लिए उत्तरदायी है ।

वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में युक्तियुक्त आश्वासनों को प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण सकल रूप से सारवान मिथ्या कथनों से मुक्त हैं, चाहे वे कपट के कारण हों अथवा किसी त्रुटि के कारण और ऐसी संपरीक्षा संबंधी रिपोर्ट को जारी करना है, जिसमें हमारी राय सम्मिलित हो । युक्तियुक्त आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं करता है कि एसए के अनुसार की गई संपरीक्षा सदैव सारवान कथनों का उस समय पता लगाने में समर्थ होगी, जब वे विद्यमान होते हैं । मिथ्या कथन, कपट या त्रुटि, किसी भी कारण से उदभूत हो सकते हैं और उन्हें उस समय सारवान समझा जाता है, यदि व्यष्टिक रूप से या सकल रूप से उनसे

युक्तियुक्त रूप से यह प्रत्याशा की जा सकती है कि वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए जाने वाले उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करेंगे ।

एसए के अनुसार की जाने वाली संपरीक्षा के भागरूप में, हम अपने वृत्तिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूर्ण संपरीक्षा के दौरान वृत्तिक संदेहों को भी बनाए रखते हैं । हम :

- कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में सारवान मिथ्या कथनों की पहचान करते हैं और उनसे संबंधी जोखिमों का निर्धारण करते हैं, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में संपरीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं को तैयार और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे संपरीक्षा संबंधी साक्ष्य अभिप्राप्त करते हैं, जो हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों । किसी कपट के परिणामस्वरूप होने वाले किसी सारवान मिथ्या कथन की पहचान न करने का जोखिम किसी त्रुटि के परिणामस्वरूप आए सारवान मिथ्या कथन से कहीं अधिक है, क्योंकि कपट में दुरभिसंधि, जालसाजी, साशय लोप, मिथ्या प्रस्तुतियां या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना अंतर्वलित हो सकती है ।

- संपरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ को प्राप्त करते हैं, जिससे ऐसी संपरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार किया जा सके, जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हैं, किंतु जो संस्थान के आंतरिक नियंत्रण की प्रभाविकता के संबंध में राय अभिव्यक्त करने के प्रयोजन के लिए अभिप्रेत नहीं है ।

- प्रयुक्त की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते हैं और प्रबंधमंडल द्वारा दिए गए लेखांकन प्राक्कलनों और संबद्ध प्रकटनों के औचित्य का भी मूल्यांकन करते हैं ।

- प्रबंधमंडल द्वारा लेखांकन के गोईंग कर्न्सन के आधार के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं तथा प्राप्त किए गए संपरीक्षा संबंधी साक्ष्यों के आधार पर यह तय करते हैं कि क्या किन्हीं घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चतता विद्यमान है, जो एक गोईंग कर्न्सन के रूप में बने रहने के संस्थान के सामर्थ्य के संबंध में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है । यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता विद्यमान है तो हम से यह अपेक्षा की जाती है कि हम हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबद्ध प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को उपांतरित करें । हमारे निष्कर्ष, हमारी संपरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक हमारे द्वारा प्राप्त किए गए संपरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं । तथापि, भावी घटनाएं या परिस्थितियां यह प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं कि संस्थान एक गोईंग कर्न्सन के रूप में अपना कार्यकरण जारी रखना बंद कर दे ।

हम ऐसे व्यक्तियों से परस्पर संपर्क करते हैं, जिन्हें अन्य विषयों के साथ संपरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार क्षेत्र, समय और महत्वपूर्ण संपरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित विषयों को शासित करने का प्रभार सौंपा गया है, जिसके अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में ऐसी कोई महत्वपूर्ण कमियां भी हैं, जिनकी हम हमारी संपरीक्षा के दौरान पहचान करते हैं ।

अन्य विषय

(क) संस्थान ने भारत में और विदेशों में बड़ी संख्या में अध्ययन सर्कलों और अध्ययन चैप्टरों को प्राधिकृत किया है । संस्थान ने हमें यह निवेदन किया है कि चूंकि ये अध्ययन सर्कल/चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं इसलिए उनके लेखाओं को समेकित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

(ख) हमने संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और विदेशी शाखाओं सहित उनकी शाखाओं (जो एकीकृत रूप में शाखाओं के नाम से ज्ञात हैं) के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरण कुल 1,06,771 लाख रुपए की कुल आस्तियों, 10,670 लाख रुपए का कुल राजस्व और 31 मार्च, 2022 को कुल 3,769 लाख रुपए के नकद और बैंक अतिशेषों को उपदर्शित करते हैं । इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा अन्य संपरीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्टें प्रबंधमंडल द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं । इन वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय, जहां तक उसका संबंध इन शाखाओं के संबंध में सम्मिलित की गई रकमों और प्रकटनों से है, पूर्णतया उन अन्य संपरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है ।

वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय और नीचे दी गई विनियामक अपेक्षाओं को, अन्य संपरीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और उनकी रिपोर्टों तथा प्रबंधमंडल द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे विश्वास के आधार पर अन्य मामलों के संबंध में उपांतरित नहीं किया गया है ।

अन्य विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि :

क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

ख) हमारी राय में, जहां तक लेखा बहियों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केंद्रों, छात्र संघों, प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं से समुचित और पर्याप्त विवरणियां प्राप्त हुई हैं ;

ग) इस रिपोर्ट से संबंधित संस्थान का तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, लेखा बहियों के अनुरूप है ।

कृते रे एंड रे
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 301072ई

ह./
सीए. अनिल पी. वर्मा
भागीदार, सदस्यता सं. 090408
यूडीआईएन : 22090408एक्यूजेडीएफबी5038

स्थान : नई दिल्ली ।
तारीख : 30.08.2022

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002
यूडीआईएन : 22516002एक्यूजेआईक्यूएच9069

स्थान : नई दिल्ली ।
तारीख : 30.08.2022

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110 002
तुलन पत्र

(लाख रुपए में)

	विशिष्टियां	टिप्पण सं.	31 मार्च, को यथा विद्यमान	
			2022	2021
I	**निधियों के स्रोत :**			
	i. अधिशेष और उद्दिष्ट निधियां			
	क आरिक्षितियां और अधिशेष	3	1,63,899	1,46,155
	ख उद्दिष्ट निधियां	4	1,16,048	1,03,828
	ii. गैर चालू दायित्व			
	क अन्य दीर्घकालिक दायित्व	5	1,838	1,483
	ख दीर्घकालिक प्रावधान	6	29,718	27,597
	iii. चालू दायित्व			
	क व्यापार संबंधी देय	7	6,730	6,386
	ख अन्य चालू दायित्व	8	24,708	16,383
	ग अल्पकालिक प्रावधान	6	1,376	1,165
	योग		**3,44,317**	**3,02,997**
II	**निधियों का उपयोजन**			
	i. गैर चालू आस्तियां			
	क संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9	67,369	62,949
	ख अमूर्त आस्तियां	10	414	43
	ग चालू पूंजी संकर्म	11	3,569	6,292
	घ गैर-चालू निवेश	12	1,84,307	1,38,342
	ङ अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	13	5,806	5,665

	च	दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	14	3,774	3,869
	छ	अन्य गैर चालू आस्तियां	15	5,096	3,852
	ii. चालू आस्तियां				
	क.	चालू निवेश	12	14,432	11,004
	ख.	अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	13	38,627	39,160
	ग.	वस्तु-सूचियां	16	801	431
	घ.	नकद और नकद समतुल्य	17	11,042	23,515
	ङ.	अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	14	4,351	4,237
	च.	अन्य चालू आस्तियां	15	4,729	3,638
	योग			**3,44,317**	**3,02,997**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 27 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं ।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	**सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा**	**सीए. अनिकेत सुनील तलाती**	**सीए. (डा.) देबाशिष मित्रा**
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते रे एंड रे
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 301072ई

ह./-
सीए. अनिल पी. वर्मा
भागीदार, सदस्यता सं. 090408
नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

आय और व्यय लेखा

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां		**टिप्पण सं.**	**31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए**	
			2022	**2021**
I	**आय**			
	क) फीस	18	67,642	52,848
	ख) संगोष्ठियां	19	2,319	1,694
	ग) अन्य आय	20	18,853	16,926
	कुल आय		**88,814**	**71,468**
II	**व्यय**			
	क) संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम	21	2,593	1,186
	ख) कर्मचारी फायदा व्यय	22	14,913	13,677
	ग) मुद्रण और लेखन सामग्री		5,246	3,706
	घ) परीक्षकों और परामर्शियों को संदत्त वृत्तिक फीस		10,511	8,652
	ङ) अवक्षयण और परिशोधन व्यय	9-10	3,648	3,291
	च) अन्य व्यय	23	22,753	19,729
	कुल व्यय		**59,664**	**50,241**
III	**शुद्ध अधिशेष (I-II)**		**29,150**	**21,227**
IV	**निधियों/आरक्षितियों को विनियोग:**			
	क) शिक्षा निधि [देखें टिप्पण 2.06(ii)]		7,164	5,456
	ख) कर्मचारी कल्याण निधि [देखें टिप्पण 2.06(iii)]		94	92
	ग) उद्दिष्ट निधियां और अन्य निधियां (व्ययों का शुद्ध)		6,879	6,352

	घ) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आरक्षितियां [देखें टिप्पण 2.06(vi)]		1,462	939
	ङ) सिंकिंग निधि [देखें टिप्पण 2.06(vii)]		2,075	2,248
	च) अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस (डब्ल्यूसीओए), 2022 [देखें टिप्पण 24.15]		-	1,500
	छ) साधारण आरक्षिती		11,476	4,640
	योग		**29,150**	**21,227**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 27 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं ।

परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	**सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा**	**सीए. अनिकेत सुनील तलाती**	**सीए. (डा.) देबाशिष मित्रा**
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते रे एंड रे
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 301072ई

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. अनिल पी. वर्मा
भागीदार, सदस्यता सं. 090408

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

नकद प्रवाह विवरण

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां		**31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए**	
		2022	**2021**
I.	**प्रचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	पूर्वावधि समायोजनों के पश्चात् शुद्ध अधिशेष	29,150	21,227
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		
	- अवक्षयण और परिशोधन संबंधी व्यय	3,648	3,291
	- ऐसे प्रावधान, जो अब अपेक्षित नहीं हैं, अपलिखित	(22)	(131)
	- कर्मचारी सेवानिवृत्ति फायदों के लिए प्रावधान	1,862	1,577
	- शाखा कर्मचारी स्कीम के लिए प्रावधान	700	700
	- संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	38	35
	- अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	294	-
	- आरक्षितियों को अंतरित सुमेलन प्रभाव	180	1,151
	- ब्याज संबंधी आय	(15,762)	(14,155)
	- सदस्यों से प्राप्त प्रवेश फीस, जिसे सीधे आरक्षिती को आबंटित किया गया है	462	386
	कार्यकरण पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन अधिशेष	**20,550**	**14,081**
	कार्यकरण पूंजी में परिवर्तन :		
	प्रचालन संबंधी आस्तियों में (वृद्धि)/कमी के लिए समायोजन :		
	- वस्तु सूचियां	(370)	49
	- दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	134	(757)
	- अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	(446)	19
	- अन्य चालू आस्तियां	(1,535)	(199)
	प्रचालन संबंधी दायित्वों में वृद्धि/(कमी) के लिए समायोजन		
	- अन्य दीर्घकालिक दायित्व	355	(629)
	- दीर्घकालिक प्रावधान	(230)	(3,449)
	- व्यापार संबंधी देय	366	1,573
	- अन्य चालू दायित्व	8,329	(3,873)
		27,153	**6,815**
	आय-कर (संदत्त)/प्राप्त (शुद्ध)	(39)	733
	प्रचालन क्रियाकलापों से हुई आय (अ)	**27,114**	**7,548**
II.	**निवेश संबंधी क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	- गैर-चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	(45,965)	(28,585)

	- चालू निवेशों का विक्रय/मोचन/(क्रय)	(3,428)	(2,995)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर संबंधी पूंजी व्यय [सीडब्ल्यूआईपी सहित (शुद्ध)]	(5,729)	(3,098)
	- संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विक्रय से आगम	9	110
	- अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	392	28,069
	- प्राप्त ब्याज आय	14,962	13,473
	निवेश संबंधी क्रियाकलापों में (प्रयुक्त) नकद (आ)	**(39,759)**	**6,974**
III.	**वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	- भवनों के लिए प्राप्त संदान	-	1
	- प्राप्त अभिदाय	172	76
	- प्राप्त/(प्रयुक्त) अन्य निधि	-	168
	वित्तीय क्रियाकलापों से नकद (इ)	**172**	**245**
	नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+आ+इ)	(12,473)	14,767
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य	23,515	8,748
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**11,042**	**23,515**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और संलग्न टिप्पण 1 से 27 वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

टिप्पण : नकद और नकद समतुल्य हाथ में नकदी तथा बैंकों में अतिशेष को उपदर्शित करते हैं (टिप्पण सं. 17 देखें)।

ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव

ह./-
सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा
सचिव

ह./-
सीए. अनिकेत सुनील तलाती उपाध्यक्ष

ह./-
सीए. (डा.) देबाशिष मित्रा
अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में
कृते रे एंड रे
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 301072ई

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. अनिल पी. वर्मा
भागीदार, सदस्यता सं. 090408
नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पण

1. साधारण जानकारी

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ("संस्थान या आईसीएआई"), जिसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है, को 1 जुलाई, 1949 को संसद् के एक अधिनियम, अर्थात् चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अधीन भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वृत्ति का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। उक्त अधिनियम के निबंधनों के अनुसार संस्थान की परिषद् को, संस्थान के कार्यों के प्रबंध का कार्य सौंपा गया है। इस प्रयोजन के लिए, परिषद् ने कुल 5 प्रादेशिक परिषदों, अर्थात् मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चैन्नई और नई दिल्ली में प्रत्येक में एक परिषद्, 5 विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, 2 उत्कृष्टता केंद्रों, 164 शाखाओं और दुबई तथा सिंगापुर में 2 विदेशी कार्यालय का भी गठन किया है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण

2.01 लेखांकन का आधार

वित्तीय विवरणों को, जिनमें तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण, उन पर टिप्पणों के साथ सम्मिलित हैं, भारत में साधारण रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के अनुसार तैयार किया जाता है। यहां भारतीय जीएएपी में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक और अन्य उदघोषणाएं सम्मिलित हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक कि अन्यथा कथित न हो, गोईंग कन्सर्न संबंधी ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन तथा प्रोदभवन आधार पर तैयार किया जाता है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां, पूर्व वर्ष में अपनाई गई नीतियों से संगत हैं।

2.02 प्राक्कलनों का उपयोग

भारतीय जीएएपी के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति प्रबंध मंडल से यह अपेक्षा करती है कि वे ऐसे प्राक्कलन और पूर्वानुमान करें, जो वर्ष के दौरान आस्तियों और दायित्वों की रिपोर्ट की गई रकमों (जिसके अंतर्गत आकस्मिक दायित्व भी

हैं) और आय और व्यय की रिपोर्ट की गई रकमों हेतु विचार में लिए जाते हैं । प्रबंध मंडल यह विश्वास करता है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं । वास्तविक परिणाम उन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों तथा प्राक्कलनों के बीच अंतर को ऐसी अवधियों में मान्यता प्रदान की जाती है, जिनमें परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है/ वे कार्यान्वित किए जाते हैं ।

2.03 वस्तु-सूचियां

वस्तु-सूचियों में प्रकाशन, अध्ययन सामग्रियां, लेखन सामग्रियां और अन्य भंडारों की वस्तु-सूचियां सम्मिलित होती हैं । इन वस्तु-सूचियों का मूल्यांकन प्रथम आगम, प्रथम जावक ("एफआईएफओ") पद्धति के आधार पर, जिसके दौरान जहां आवश्यक समझा जाए, अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के पश्चात् संगणित निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य के आधार पर किया जाता है ।

लागत में माल को विक्रय के बिन्दु पर लाने संबंधी सभी प्रभार सम्मिलित होते हैं, जिसके अंतर्गत अन्य उदग्रहण, प्रवहन बीमा और अनुषंगी प्रभार भी हैं ।

2.04 नकद और नकद समतुल्य

नकद में, हाथ में नकदी और बैंकों में मांगदेय निक्षेप अंतर्विष्ट हैं । नकद समतुल्य ऐसे अल्पकालिक अतिशेष हैं (जिनकी मूल परिपक्वता, उनके अर्जन की तारीख से तीन मास या उससे कम की अवधि है), जो अत्यधिक रूप से चल निवेश हैं, जिन्हें सुगम रूप से नकद की ज्ञात रकमों में परिवर्तित किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं ।

2.05 नकद प्रवाह विवरण

नकद प्रवाहों को अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें गैर-नकद प्रकृति के संव्यवहारों के प्रभावों और पूर्ववर्ती या भावी नकद प्राप्तियों या संदायों में किसी आस्थगन या प्रोदभवनों के लिए शुद्ध अधिशेष को समायोजित किया जाता है । संस्थान के प्रचालन, निवेश और वित्तपोषण संबंधी क्रियाकलापों से होने वाले नकद प्रवाहों को उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है ।

2.06 आरक्षितियों में विनियोग और उद्दिष्ट निधियों को आबंटन

i) भवनों के लिए प्राप्त संदानों को सीधे अवसंरचना आरक्षिती खाते में जमा किया जाता है ।

ii) दूरस्थ शिक्षा फीस के 25 प्रतिशत, जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50 प्रतिशत से अधिक न हो, शिक्षा निधि को अंतरित किया जाता है ।

iii) सदस्यता फीस (वार्षिक और व्यवसाय प्रमाणपत्र संबंधी फीस) के 0.75 प्रतिशत को प्रोदभवन आधार पर कर्मचारी कल्याण निधि को अंतरित किया जाता है ।

iv) उद्दिष्ट निधियों से शिक्षा आरक्षिती खाते को निम्नलिखित अंतरण किए जाते हैं :

(क) अनुसंधान भवन निधि लेखांकन से	लेखांकन अनुसंधान भवन निधि से संबंधित भवन निधियों में अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 100 प्रतिशत
(ख) शिक्षा निधि से	नियत आस्तियों से संबंधित अभिवृद्धियों की लागत (कटौतियों का शुद्ध, यदि कोई हों) का 50 प्रतिशत

v) उद्दिष्ट निधियों के निवेश से होने वाली आय को उद्दिष्ट निधियों में जोड़ा जाता है । इस आय को, संबद्ध उद्दिष्ट निधियों के प्रारंभिक अतिशेष के आधार पर, भारित औसत का आधार बनाते हुए आबंटित किया जाता है ।

vi) वर्ष के दौरान प्राप्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी)/उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फीस के 25 प्रतिशत को कंप्यूटरों तथा अन्य आईटीटी केंद्र अवसंरचना के प्रतिस्थापन हेतु अन्य आरक्षितियों में अंतरित किया जाता है ।

vii) वर्ष के लिए अवक्षयण के समतुल्य राशि (आईटीटी आरक्षिती को अंतरित रकम को छोड़कर) को आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन हेतु सिंकिंग निधि में अंतरित किया जाता है ।

2.07 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब यह संभावना हो कि मद से सहबद्ध भावी आर्थिक फायदे संस्थान को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का कथन संचयी अवक्षयण और संचयी हानिकरण हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में उसकी क्रय कीमत, किन्हीं व्यापार बट्टों और छूटों के शुद्ध, आयात शुल्कों और अन्य करों (कर प्राधिकारियों से पश्चातवर्ती रूप से वसूलनीय से भिन्न) सहित सम्मिलित होती है, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाले व्यय से प्रत्यक्षत: जोड़ा जा सकता है। आशयित उपयोग हेतु आस्ति को तैयार किए जाने की तारीख तक अर्हित संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अर्जन के संबंध में होने वाले अन्य अनुषंगी व्ययों और उसके संबंध में लिए गए उधारों पर ब्याज का भी पूंजीकरण किया जाता है।

2.08 अमूर्त आस्तियां

अमूर्त आस्तियों का कथन, संचयी परिशोधन और संचयी हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर किया जाता है। किसी अमूर्त आस्ति की लागत में, उसकी क्रय लागत, छूट और बट्टों के शुद्ध के रूप में सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लगने वाले आयात शुल्क और अन्य कर (उनसे भिन्न, जो पश्चातवर्ती रूप से कर अधिकारियों से वसूलनीय होते हैं), किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग हेतु तैयार करने के लिए होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत भी है तथा किसी आस्ति को उसके आशयित उपयोग के लिए तैयार करने हेतु होने वाली कोई प्रत्यक्ष लागत, अन्य अनुषंगी व्यय और आशयित उपयोग के लिए आस्ति के तैयार होने की तारीख तक अर्हित आस्तियों के अर्जन के मद्दे लिए गए उधारों पर ब्याज भी है। अमूर्त आस्तियों के क्रय/उनके पूर्ण होने के पश्चात् उनसे संबंधित पश्चातवर्ती व्यय को केवल उस दशा में पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्ययों के परिणामस्वरूप उसके पूर्व में निर्धारित कार्यपालन संबंधी मानक से परे ऐसी आस्ति से होने वाले किन्हीं भावी फायदों में वृद्धि होती है।

2.09 चालू पूंजी संकर्म

ऐसी आस्तियों के, जो उनके आशयित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, संनिर्माण पर उपगत व्यय को, चालू पूंजी संकर्म के अधीन हानिकरण, यदि कोई हों, को घटाकर लागत पर संगणित किया जाता है। इस लागत में, सामग्रियों की क्रय लागत सम्मिलित होती है, जिसके अंतर्गत लागतों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े आयात-शुल्क और गैर-प्रतिदेय कर भी हैं।

2.10 अवक्षयण और परिशोधन

क) आस्तियों के संबंध में अवक्षयणीय रकम आस्ति की लागत या लागत के रूप में प्रतिस्थापित अन्य रकम है।

संपत्ति/संयंत्र और उपस्कर पर अवक्षयण को संस्थान की परिषद् द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति पर उपलब्ध कराया जाता है।

	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वर्ग	**अवक्षयण की दर**
i)	भवन	5%
ii)	लिफ्ट, इलैक्ट्रिकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग	10%
iii)	कंप्यूटर	60%
iv)	फर्नीचर और फिक्सचर	10%
v)	वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
vi)	वाहन	20%
vii)	पुस्तकालय की पुस्तकें	100%

ख) पट्टाधृत भूमि का परिशोधन पट्टे की अवधि या उसके उपयोगी जीवन, इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है।

ग) अर्मूत आस्तियों का परिशोधन उनके प्राक्कलित उपयोगी जीवन के आधार पर तीन वर्ष तक स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया जाता है।

2.11 राजस्व मान्यता

राजस्व को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

i) छात्रों से प्राप्त दूरस्थ शिक्षा फीस को संबद्ध पाठ्यक्रम की अवधि के आधार पर अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है।

ii) कक्षा प्रशिक्षण फीस में प्रबंध और संसूचना कौशल पाठ्यक्रम ("एमसीएस"), सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("आईसीआईटीएसएस"), उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी और साफ्ट कौशलों संबंधी एकीकृत पाठ्यक्रम ("एआईसीआईटीएसएस") और अनुकूलन कार्यक्रम ("ओपी") के लिए प्राप्त फीस सम्मिलित होती है। कक्षा प्रशिक्षण और कोचिंग कक्षाओं संबंधी आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, जब सेवाओं को प्रदान किया जाता है और संबंद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

iii) परीक्षा फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है।

iv) संगोष्ठी फीस को उस समय राजस्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब संस्थान संबद्ध सेवा प्रदान करता है, अर्थात् जब संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है।

v) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाण-पत्र और उसे पुन: स्थापित करने की फीस भी सम्मिलित है) और प्रवेश फीस से मिलकर बनने वाली सदस्यता फीस को निम्नानुसार मान्यता प्रदान की जाती है :

(क) वार्षिक सदस्यता फीस (जिसके अंतर्गत व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए फीस भी है) को उस समय आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जब वह वर्ष के दौरान शोध्य हो जाती है। सदस्य के नाम को पुन: प्रविष्ट करने संबंधी फीस को, उसके प्राप्त होने पर मान्यता प्रदान की जाती है।

(ख) प्रवेश फीस :

अध्येता सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है ; सहबद्ध सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को प्रवेश दिए जाने के समय एकत्रित प्रवेश फीस के एक-तिहाई भाग को उस वर्ष की प्रवेश संबंधी आय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और शेष भाग को अवसंरचना आरक्षिती में मान्यता प्रदान की जाती है।

vi) छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस को उस समय मान्यता दी जाती है, जब छात्र को पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान किया जाता है।

vii) अर्हता-पश्च पाठ्यक्रमों और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के राजस्वों को उस अवधि में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें सेवाएं दी जाती हैं।

viii) विनिर्दिष्ट निदेश के साथ प्राप्त अभिदायों को केवल उस निधि के भाग रूप में माना जाता है।

2.12 अन्य आय

क) प्रकाशन के विक्रय से होने वाली आय को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब जोखिम और पुरस्कारों को क्रेता को अंतरित किया जाता है, जो सामान्यत: माल के परिदान के समय होता है। इस आय में, प्राप्त हुआ यह प्राप्य प्रतिफल, बट्टों का शुद्ध और अन्य विक्रय संबंधी कर (यदि कोई हों) सम्मिलित हैं।

ख) छात्र न्यूज लैटर और जर्नल के अभिदाय से होने वाली आय को अभिदाय की अवधि के अनुसार अनुपातत: मान्यता प्रदान की जाती है।

ग) कैम्पस साक्षात्कारों और विशेषज्ञ सलाहकार फीस से होने वाली आय को उस समय मान्यता दी जाती है, जब सेवाएं प्रदान की जाती हैं और संबद्ध लागतों को उपगत किया जाता है।

घ) ब्याज संबंधी आय को अनुपात आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है।

2.13 निवेश

क) संस्थान के निवेशों में केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में लिखतें, भारत में अधिवासी राष्ट्रीयकृत बैंकों में सावधि निक्षेप और लाभ न कमाने वाले अस्तित्वों के शेयर सम्मिलित होते हैं।

ख) निवेशों को एएस 13, निवेशों के अनुसार चालू और दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । चालू निवेश वे हैं, जिन्हें सुगमता से वसूल किया जा सकता है और उन्हें, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि तक धारित करने का आशय रखा जाता है। दीर्घकालिक निवेश कोई ऐसा निवेश है, जो चालू निवेश से भिन्न है।

ग) निवेशों को प्रारंभिक रूप से लागत पर लेखबद्ध किया जाता है और इस लागत में अर्जन की लागतें, जैसे दलाली, फीस और शुल्क सम्मिलित होते हैं। क्रय के समय संदत्त प्रोदभूत ब्याज का मुजरा ब्याज की प्रथम प्राप्ति के विरुद्ध किया जाता है ।

घ) केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जारी घरेलू सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में निवेश का उपयोग मुक्त रूप से परिषद् के विवेक पर उपलब्ध हैं, सिवाय उद्दिष्ट निधियों के योग की सीमा तक।

ङ) प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को चालू निवेशों को लागत और उचित मूल्य के निम्नतर पर अग्रनीत किया जाता है । दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर अग्रनीत किया जाता है। तथापि, मूल्य में कमी के लिए प्रावधान को सम्मिलित किया जाता है, जिससे निवेशों के मूल्य में अस्थायी से भिन्न किसी कमी को मान्यता प्रदान की जा सके । क्रय के समय संदत्त प्रीमियम का परिशोधन निवेशों की शेष परिपक्वता की अवधि हेतु किया जाता है । प्रीमियम के परिशोधन को 'निवेशों से ब्याज' शीर्ष के अधीन आय के प्रति समायोजित किया जाता है।

2.14 विदेशी मुद्रा संव्यवहार

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को, संव्यवहार की तारीख को लागू विनिमय दरों पर लेखांकित किया जाता है।

तुलन-पत्र की तारीख को बकाया विदेशी मुद्रा धनीय मदों को वर्ष के अंत में विद्यमान दरों पर पुन: कथित किया जाता है। संस्थान की गैर-धनीय मदों का लेखांकन ऐतिहासिक लागत पर किया जाता है।

विदेशी मुद्रा धनीय आस्तियों और दायित्वों के समाधान/पुनर्कथन पर उदभूत होने वाले विनिमय संबंधी अंतरों को आय और व्यय के विवरण में आय और व्यय के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

2.15 कर्मचारी फायदे

कर्मचारी फायदों में भविष्य निधि, उपदान निधि, प्रतिपूरित अनुपस्थिति, दीर्घ सेवा पुरस्कार, पेंशन स्कीम और सेवा-पश्च चिकित्सीय फायदे सम्मिलित हैं।

i) **अल्पकालिक कर्मचारी फायदे**

अल्पकालिक कर्मचारी फायदों (जैसे कि वेतन, भत्ते, अनुग्रह आदि) की बट्टा रहित रकम को, कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बदले संदत्त किए जाने की आशा की जाती है, जिसे वर्ष के दौरान उस समय मान्यता प्रदान की जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। अल्पकालिक कर्मचारी फायदे संभावी रूप से उस अवधि के अंत के बारह मास के पश्चात् उत्पन्न होते हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक प्रतिपूरित अनुपस्थिति की लागत को निम्नानुसार लेखांकित किया जाता है :

क) एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो उनकी भावी प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की हकदारी में वृद्धि करती हैं ; और

ख) गैर-एकत्रित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों की दशा में, जब अनुपस्थितियां दर्ज की जाती हैं।

ii) **नियोजन पश्च फायदे**

नियोजन पश्च फायदे कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऐसे फायदे हैं, जो सेवा समापन फायदों से भिन्न हैं और जो नियोजन के पूरा होने के पश्चात् संदेय होते हैं। नियोजन पश्च फायदों का लेखांकन, सुसंगत योजनाओं के वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसे कि उन्हें या तो परिभाषित फायदा योजना (डीबीपी) या परिभाषित अभिदाय योजना (डीसीपी) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नियोजन पश्च फायदा योजनाएं, जहां संस्थान किसी पृथक् अस्तित्व या निधि को किन्हीं नियत अभिदायों का संदाय करता है और वह उस दशा में किन्हीं अन्य अभिदायों को करने की बाध्यताओं के अधीन नहीं होगा

यदि पृथक् अस्तित्व या निधि के पास चालू और पूर्व अवधि में कर्मचारी की सेवा से संबंधित सभी कर्मचारी फायदों का संदाय करने के लिए पर्याप्त आस्तियां विद्यमान नहीं हैं । दूसरी ओर, डीसीपी के रूप में वर्गीकृत योजनाओं से भिन्न नियोजन पश्च फायदा योजनाओं को डीबीपी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

परिभाषित फायदा योजनाएं

क) उपदान (वित्तपोषित)

उपदान और सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन के रूप में परिभाषित फायदा योजनाओं के लिए, फायदे उपलब्ध कराने की लागत का अवधारण प्रक्षेपित यूनिट प्रत्यय पद्धति का उपयोग करते हुए किया जाता है, जिसके दौरान प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है । बीमांकिक अभिलाभों और हानियों को उस अवधि के आय और व्यय विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसमें वे उदभूत होते हैं । पूर्व सेवा संबंधी लागत को, फायदों के पहले से ही निहित किए जाने की सीमा तक तुरंत मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें अन्यथा फायदों के निहित हो जाने तक की औसत अवधि के अनुसार सीधी कटौती पद्धति के आधार पर परिशोधित किया जाता है । मान्य ठहराई गई सेवानिवृत्ति फायदे संबंधी बाध्यता, गैर-मान्यताप्राप्त पूर्व सेवा लागत के लिए यथा समायोजित परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य को उपदर्शित करती है, जिसमें से स्कीम संबंधी अस्तियों के उचित मूल्य को घटा दिया गया हो । इस परिगणना के पारिणामिक कोई आस्ति, पूर्व सेवा लागत धन उपलब्ध प्रतिदायों और स्कीमों में भावी अभिदायों में कमी के वर्तमान मूल्य तक सीमित है । उपदान संबंधी दायित्व को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्तपोषित किया जाता है ।

ख) भविष्य निधि

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान भविष्य निधि न्यास ('न्यास') को भविष्य निधि स्कीम के मद्दे किए गए अभिदाय को चालू वर्ष के लिए परिभाषित फायदा योजना के रूप में विचार में लिया जाता है और उसे एक ऐसे व्यय के रूप में प्रभारित किया जाता है, जो किए जाने के लिए अपेक्षित अभिदाय की रकम पर आधारित है, जब पात्र कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं । इस न्यास का प्रबंध संस्थान द्वारा निर्वाचित शासी निकाय द्वारा किया जाता है और वह ऐसे दावों का समाधान करता है, जब कभी वे उदभूत होते हैं । भविष्य निधि न्यास के बीमांकिक दायित्व के उदभूत किसी कमी और मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के दौरान निवेश से फायदों में किसी कमी का न्यास द्वारा दावा किया जाता है तथा उसका संदाय संस्थान द्वारा किया जाता है ।

इन परिभाषित फायदा बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य को लेखांकन मानक (एएस) – 15, कर्मचारी फायदे के अनुसार एक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्याकंनकर्ता द्वारा अभिनिश्चित किया जाता है ।

ग) पेंशन स्कीम (गैर वित्तपोषित)

संस्थान अपने पात्र कर्मचारियों को पेंशन के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है । तुलन-पत्र की तारीख को इस बाध्यता के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है ।

घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति-पत्नी को सेवानिवृत्ति पश्च चिकित्सा स्कीम फायदा

संस्थान अपने कर्मचारियों को चिकित्सा स्कीम के रूप में कर्मचारी फायदों की प्रस्थापना करता है ।

ङ) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी फायदे – प्रतिपूरित अनुपस्थिति (गैर वित्तपोषित)

ऐसी प्रतिपूरित अनुपस्थितियां, जिनकी उस अवधि के अंत के पश्चात् बारह मास के भीतर उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, जिसमें कर्मचारी द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं को तुलन-पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर परिभाषित फायदा बाध्यता के वर्तमान मूल्य पर एक दायित्व के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है ।

2.16 पट्टे

संस्थान लेखांकन और प्रकटन प्रयोजनों के लिए पट्टों को वित्त और प्रचालन पट्टें के रूप में वर्गीकृत करता है । ऐसे पट्टों को, जहां संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । ऐसे पट्टों को, जहां पट्टाकर्ता और न कि संस्थान स्वामित्व संबंधी सभी जोखिम और पुरस्कारों को सारवान रूप से स्वीकार करता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ।

प्रचालन पट्टों के अधीन पट्टा किरायों को पट्टे की अवधि के अनुसार सीधे कटौती पद्धति के आधार पर आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है । वित्तीय पट्टे की दशा में, आस्तियों को पट्टाकृत आस्ति के उचित मूल्य और न्यूनतम

पट्टा संदाय के वर्तमान मूल्य के निम्नतर पर पूंजीकृत किया जाता है । पट्टा संबंधी संदायों को वित्तीय प्रभार और पट्टा दायित्व के पुन: संदाय के बीच परिशोधित किया जाता है । पट्टाधृत आस्तियों का अवक्षयण पट्टे की अवधि या आस्ति के उपयोगी जीवन के निम्नतर पर किया जाता है ।

2.17 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा अमूर्त आस्तियों का हानिकरण

प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को आस्तियों के अग्रेषण मूल्य को हानिकरण हेतु पुनर्विलोकित किया जाता है । यदि हानिकरण का कोई संकेत विद्यमान होता है तो ऐसी आस्तियों की वसूलनीय रकम को प्राक्कलित किया जाता है और हानिकरण को उस समय मान्यता प्रदान की जाती है, यदि इन आस्तियों की अग्रनीत रकम उनकी वसूलनीय रकम से अधिक हो जाती है । वसूलनीय रकम, वह शुद्ध विक्रय कीमत और उनके उपयोग मूल्य दोनों में से उच्चतर है । उपयोग मूल्य की गणना, भावी नकद प्रवाहों को एक समुचित बट्टा कारक के आधार पर बट्टा देते हुए उनके वर्तमान मूल्य के आधार पर की जाती है । जब इस बात का कोई संकेत प्राप्त होता है कि किसी आस्ति के लिए पूर्ववर्ती लेखांकन अवधियों के दौरान मान्यता प्रदान किया गया हानिकरण अब विद्यमान नहीं है या उसमें कोई कमी आई है तो ऐसे हानिकरण की वापसी को आय और व्यय के विवरण में मान्यता प्रदान की जाती है ।

2.18 आय पर कर

वर्ष के दौरान संस्थान को आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन आय-कर से छूट के लिए पुन: रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त हुआ है । इस प्रकार, आय-कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है और आस्थगित कर आस्ति और दायित्व के लिए किसी प्रावधान को आवश्यक नहीं समझा गया है ।

2.19 प्रावधान और आकस्मिकताएं

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किन्हीं पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप संस्थान की कोई बाध्यता विद्यमान है और इस बात की संभावना है कि ऐसी बाध्यता को पूरा करने के लिए संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में कोई विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता है ।

आकस्मिक दायित्व ऐसी संभाव्य बाध्यता है, जो किन्हीं पूर्व घटनाओं से उदभूत होती है और जिसकी विद्यमानता की पुष्टि एक या अधिक अनिश्चित ऐसी भावी घटनाओं के घटित या घटित न होने पर निर्भर हो सकती है, जो पूर्णतया संस्थान के नियंत्रणाधीन नहीं है या जो कोई ऐसी वर्तमान बाध्यता है, जो किसी पूर्व घटना से उदभूत हुई है, किंतु जिसे या तो इस कारण से कि यह संभाव्य नहीं है कि उस बाध्यता को पूरा करने के लिए आर्थिक फायदों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का बर्हिगमन अपेक्षित होगा या इस कारण से कि बाध्यता को पूरा करने के लिए किसी रकम का विश्वसनीय प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, मान्यता प्रदान नहीं की गई है । आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया जाता है और उन्हें मान्यता प्रदान नहीं की जाती है ।

आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता प्रदान की जाती है और न ही उनका प्रकटन किया जाता है ।

टिप्पण # 3. आरक्षितियां और अधिशेष

(रुपए लाख में)

विशिष्टियां	साधारण		शिक्षा		अवसंरचना		अन्य*		योग	
	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	**85,650**	**77,976**	**46,842**	**46,130**	**6,962**	**6,673**	**6,701**	**5,594**	**1,46,155**	**1,36,373**
जोड़ें: आय और व्यय लेखा से विनियोग	11,476	4,640	-	-	-	-	1,462	939	**12,938**	5,579
साधारण आरक्षिती, अवसंरचना आरक्षिती और	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अन्य आरक्षिती से/(को) अंतरण										
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	(335)	1,785	4,164	712	-	-	335	-	**4,164**	2,497
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें (टिप्पण सं. 2.11(v)(ख) देखें)	-	-	-	-	462	386	-	-	**462**	386
भवन के लिए प्राप्त संदान	-	-	-	-	-	1	-	-	**-**	1
(उपयोग)/परिवृद्धियां	(19)	1,249	-	-	24	(98)	175	168	**180**	1,319
वर्ष के अंत में अतिशेष	**96,772**	**85,650**	**51,006**	**46,842**	**7,448**	**6,962**	**8,673**	**6,701**	**1,63,899**	**1,46,155**

अन्य आरक्षितियों में, पुस्तकालय आरक्षिती, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (आईटीटी) आरक्षिती और विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिती आदि सम्मिलित हैं।

टिप्पण : #4. उद्दिष्ट निधियां

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	**31 मार्च को यथाविद्यमान**	**अनुसंधान निधियां**	**लेखांकन अनुसंधान भवन निधि**	**शिक्षा निधि**	**मेडल और पुरस्कार निधि**	**छात्रों की छात्रवृत्ति निधि**	**सदस्य कल्याण निधि**	**कर्मचारी कल्याण निधि**	**आस्तियों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए सिंकिंग निधि**	**अन्य निधियां**	**योग**
वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष	**2022**	**3,140**	**1,082**	**47,085**	**341**	**11,043**	**-**	**1,236**	**28,335**	**11,566**	**1,03,828**
	2021	**2,886**	**997**	**39,221**	**289**	**10,231**	**3,384**	**1,070**	**24,149**	**8,374**	**90,601**
आय और व्यय के विवरण से विनियोग	2022			7,164				94	2,075	-	9,333
	2021			5,456				92	2,248	1,500	9,296
आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण	2022	-	-	(4,164)	-	-	-	-	-	-	(4,164)
	2021	-	-	(712)	-	-	(3,384)	-	-	1,599	(2,497)
वर्ष के दौरान प्राप्त अभिदाय/ परिवृद्धियां	2022	-	-	-	37	1	-	-	-	134	172
	2021	-	-	-	46	-	-	-	-	30	76
वर्ष के दौरान आय और व्यय के विवरण के माध्यम से विनियोग की गई ब्याज आय	2022	242	105	3,649	22	825	-	96	2,178	179	7,296
	2021	254	85	3,120	23	817	-	85	1,938	72	6,394

वर्ष के दौरान उपयोजित	2022	-	-	-	(22)	(378)	-	(16)	-	(1)	(417)
	2021	-	-	-	(17)	(5)	-	(11)	-	(9)	(42)
वर्ष के अंत में अतिशेष	**2022**	**3,382**	**1,187**	**53,734**	**378**	**11,491**	**-**	**1,410**	**32,588**	**11,878**	**1,16,048**
	2021	**3,140**	**1,082**	**47,085**	**341**	**11,043**	**-**	**1,236**	**28,335**	**11,566**	**1,03,828**

टिप्पण : 1. 1,16,048 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 1,03,828 लाख रुपए) की उद्दिष्ट निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों में धारित किया गया है (टिप्पण 12 और 13 देखें)

(रुपए लाख में)

टिप्पण #5 : अन्य दीर्घकालिक दायित्व	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2022	**2021**
अग्रिम में प्राप्त फीस		
i) शिक्षा फीस	**1,8317**	1,4749
ii) जर्नल का अभिदाय		
योग	**1,838**	**1,483**

टिप्पण #6 : प्रावधान	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	दीर्घकालिक	**दीर्घकालिक**	**अल्पकालिक**	**अल्पकालिक**
कर्मचारी फायदों के लिए प्रावधान				
क) नियोजन पश्च फायदे				
i) उपदान	**497**	704	**48**	81
ii) पेंशन	**16,530**	15,023	**667**	506
iii) भविष्य निधि (टिप्पण 2(ख) देखें)	**178**	178	**-**	-
ख) छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	**5,410**	5,059	**661**	578
ग) शाखा कर्मचारियों के लिए प्रावधान (टिप्पण 24.12 देखें)	**5,600**	4,900	**-**	-
घ) वेतन पुनरीक्षण के लिए प्रावधान (टिप्पण 24.14 देखें)	**1,503**	1,733	**-**	-
योग	**29,718**	**27,597**	**1,376**	**1,165**

टिप्पण #7 : व्यापार संबंधी देय	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान**	
	2022	**2021**
व्यापार संबंधी देय :		
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के कुल बकाया शोध्य (टिप्पण 24.18 देखें)	**1,410**	1,015
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से भिन्न के कुल बकाया शोध्य	**5,320**	5,371
योग	**6,730**	**6,386**

(रुपए लाख में)

टिप्पण #8 : अन्य चालू दायित्व		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान	
		2022	2021
क)	**अग्रिम में प्राप्त फीस**		
i)	सदस्यता फीस	**1,352**	1,054
ii)	शिक्षा फीस	**11,984**	10,191
iii)	परीक्षा फीस	**7,322**	1,140
iv)	जर्नल अभिदाय	**16**	17
v)	अर्हता पश्च पाठयक्रम फीस	**152**	455
vi)	प्रमाणपत्र पाठयक्रम फीस	**106**	118
vii).	संगोष्ठी फीस :		
	क) संगोष्ठी सदस्य	**129**	133
	ख) संगोष्ठी छात्र	**55**	45
viii)	कक्षा प्रशिक्षण फीस	**779**	242
ix)	कोचिंग कक्षा फीस	**102**	71
x)	अन्य फीस	**126**	68
	कुल योग (क)	**22,123**	**13,534**
ख)	**अन्य दायित्व**		
i)	पूंजी मदों के लिए देय	**40**	44
ii)	देय भविष्य निधि और वृत्तिक कर (टिप्पण 24.12 देखें)	**139**	146
iii)	प्रतिधारण कर	**699**	473
iv)	संदेय जीएसटी	**437**	787
v)	प्रतिभूति और जमा किया गया बयाना धन	**567**	711
vi)	संदेय प्रतिधारण धन	**131**	94
vii)	अन्य	**572**	594
	कुल योग (ख)	**2,585**	**2,849**
	योग (क+ख)	**24,708**	**16,383**

टिप्पण#9संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

(लाख रुपए में)

विशिष्टियां	सकल ब्लॉक					अवक्षयण ब्लॉक				
	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	वर्ष के प्रारंभ में लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ के संचयी अवक्षयण	वर्ष के लिए प्रभारित	वर्ष के दौरान अंतरण/विलोपन	वर्ष के अंत में संचयी अवक्षयण	वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य
पूर्ण स्वामित्व	2022	18,671	931	-	**19,602**	-	-	-	**-**	**19,602**

वाली भूमि	2021	21,090	433	(2,852)	**18,671**	-	-	-	**-**	**18,671**
पट्टाधृत भूमि	2022	10,352	2,494	-	**12,846**	1,063	363	-	**1,426**	**11,420**
	2021	7,518	100	2,734	**10,352**	939	149	(25)	**1,063**	**9,289**
भवन	2022	40,897	3,122	-	**44,019**	12,198	1,823	-	**14,021**	**29,998**
	2021	40,644	253	-	**40,897**	10,635	1,563	-	**12,198**	**28,699**
लिफ्ट, इलैक्ट्रीकल प्रतिष्ठापन और फीटिंग्स	2022	2,416	292	(12)	**2,696**	1,487	114	(4)	**1,597**	**1,099**
	2021	2,436	-	(20)	**2,416**	1,391	108	(12)	**1,487**	**929**
कंप्यूटर	2022	7,458	88	(37)	**7,509**	6,603	512	(61)	**7,054**	**455**
	2021	7,261	233	(36)	**7,458**	5,779	859	(35)	**6,603**	**855**
फर्नीचर और फिक्सचर	2022	5,360	538	(20)	**5,878**	2,900	274	(11)	**3,163**	**2,715**
	2021	5,043	331	(14)	**5,360**	2,667	245	(12)	**2,900**	**2,460**
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	2022	6,092	371	(30)	**6,433**	4,063	329	(11)	**4,381**	**2,052**
	2021	5,878	235	(21)	**6,092**	3,755	323	(15)	**4,063**	**2,029**
वाहन	2022	138	15	-	**153**	121	4	-	**125**	**28**
	2021	138	-	-	**138**	117	4	-	**121**	**17**
पुस्तकालय की पुस्तकें	2022	1,089	14	(2)	**1,101**	1,089	14	(2)	**1,101**	**-**
	2021	1,081	13	(5)	**1,089**	1,081	13	(5)	**1,089**	**-**
योग	**2022**	**92,473**	**7,865**	**(101)**	**1,00,237**	**29,524**	**3,433**	**(89)**	**32,868**	**67,369**
	2021	**91,089**	**1,598**	**(214)**	**92,473**	**26,364**	**3,264**	**(104)**	**29,524**	**62,949**

टिप्पण -क) पट्टाधृत भूमि में भूमि और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा इंद्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली (विद्यमान प्रधान कार्यालय के साथ लगी) में भूमि के प्लाट के लिए संदत्त 6.17 लाख रुपए सम्मिलित है। कार्यालय उक्त भूमि के संबंध में करार ज्ञापन और पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए प्राधिकरण से अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

टिप्पण -ख) जनवरी, 2013 में डीएमआरसी ने आईसीएआई भवन, फरीदाबाद के 225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली एक भूमि का अधिग्रहण किया था, जिसके लिए फरीदाबाद शाखा ने डीएमआरसी द्वारा अधिग्रहण की प्रतिपूर्ति के रूप में शाखा की बगल में भूमि हेतु अनुरोध किया है। आईसीएआई की एनआईआरसी की फरीदाबाद शाखा डीएमआरसी और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

टिप्पण -ग) अन्य बातों के साथ, वर्ष के अवक्षयण में पूर्व वर्ष में भवनों/पट्टाधृत भूमि के संबंध में अवक्षयण/परिशोधन से संबंधित 341 लाख रुपए की राशि सम्मिलित है।

(रुपए लाख में)

टिप्पण #10. अमूर्त आस्तियां	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2022	**2021**
वर्ष के प्रारंभ में लागत	**836**	796
परिवृद्धियां	**583**	40
अंतरण/विलोपन	**(19)**	-
वर्ष के अंत में लागत	**1,400**	**836**
वर्ष के प्रारंभ में परिशोधन	**793**	766
वर्ष के लिए प्रभार	**215**	27
अंतरण/विलोपन	**(22)**	-
वर्ष के अंत में परिशोधन	**986**	**793**
वर्ष के अंत में शुद्ध बही मूल्य	**414**	**43**
वर्ष के प्रारंभ में शुद्ध बही मूल्य	**43**	**30**

टिप्पण #11. चालू पूंजी संकर्म	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021
प्रारंभिक अतिशेष	**6,292**	4,816
जोड़े : वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	**1,219**	1,800
घटाएं : वर्ष के दौरान पूंजीकृत/ समायोजित रकम	**(3,942)**	(324)
अंतिम अतिशेष	**3,569**	**6,292**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : #12. निवेश*		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2022	2021	2022	2021
		गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क.	**केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियां**				
	कोट की गई प्रतिभूतियां				
	1. 7.80% भारत सरकार 2021	**-**	-	**-**	2,501
	2. 7.40% भारत सरकार 2035 (1)	**532**	534	**-**	-
	3. 7.40% भारत सरकार 2035 (2)	**540**	543	**-**	-
	4. 8.83% सरकारी स्टॉक 2041	**1,247**	1,259	**-**	-
	5. 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (1)	**1,260**	1,272	**-**	-
	6. 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (2)	**1,260**	1,272	**-**	-
	7. 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (3)	**6,375**	6,438	**-**	-
	8. 9.23% भारत सरकार 23/12/2043 (4)	**2,535**	-	**-**	-
	9. 8.17% सरकारी स्टॉक 2044	**5,758**	5,791	**-**	-
	10. 7.16% भारत सरकार 2050	**1,079**	1,082	**-**	-
	11. 8.24% सरकारी स्टॉक 10-11-2033	**5,752**	5,816	**-**	-
	12. 8.30% जीएस 2042 (1)	**4,086**	4,114	**-**	-
	13. 8.30% जीएस 2042 (2)	**1,751**	1,763	**-**	-
	14. 8.30% भारत सरकार-2040	**5,211**	5,250	**-**	-
	15. 7.69% भारत सरकार 17/06/2043	**3,338**	3,354	**-**	-
	16. 7.26% जीएसईसी 14 जनवरी 2029	**7,864**	7,917	**-**	-
	17. 7.57% जीएस 2033	**5,470**	5,512	**-**	-
	18. 8.33% भारत सरकार 2036 (1)	**1,177**	1,189	**-**	-
	19. 8.33% भारत सरकार 2036 (2)	**2,236**	2,260	**-**	-
	20. 8.24% भारत सरकार 2033	**576**	582	**-**	-
	21. 7.73% भारत सरकार 2034	**559**	564	**-**	-
	22. 7.69% भारत सरकार 2043	**2,745**	-	**-**	-
	23. 8.17% भारत सरकार 2044	**2,893**	-	**-**	-
	24. 8.30% भारत सरकार 2042	**2,324**	-	**-**	-
	25. 8.33% भारत सरकार 2036 (3)	**2,851**	-	**-**	-
	26. 8.30% भारत सरकार 2042 (1)	**1,160**	-	**-**	-
	27. 8.30% भारत सरकार 2042 (2)	**581**	-	**-**	-
	28. 8.83% भारत सरकार 2041 (1)	**1,214**	-	**-**	-
	29. 8.83% भारत सरकार 2041 (2)	**1,820**	-	**-**	-
	30. 6.67% भारत सरकार 2050 (1)	**2,468**	-	**-**	-
	31. 6.67% भारत सरकार 2050 (2)	**2,874**	-	**-**	-

32.	6.67% भारत सरकार 2050 (3)	**1,886**	-	**-**	-
33.	6.67% भारत सरकार 2050 (4)	**967**	-	**-**	-
34.	6.67% भारत सरकार 2050 (5)	**7,138**	-	**-**	-
35.	6.67% भारत सरकार 2050 (6)	**2,885**	-	**-**	-
36.	6.67% भारत सरकार 2050 (7)	**4,636**	-	**-**	-
37.	6.67% भारत सरकार 2050 (8)	**1,391**	-	**-**	-
38.	6.67% भारत सरकार 2050 (9)	**4,635**	-	**-**	-
39.	6.76% भारत सरकार 2061	**972**	-	**-**	-
40.	7.72% भारत सरकार 2049	**5,466**	-	**-**	-
	उप कुल योग - 1	**1,09,512**	**56,512**	**-**	**2,501**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : #12. निवेश*	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
कोट न की गई प्रतिभूतियां				
1 8.00% भारत सरकार कराधेय बंधपत्र - संचयी	**11,200**	11,200	**-**	-
2 8% बचत (कराधेय) बंधपत्र 2003-गैर संचयी	**44,000**	44,000	**-**	-
उप कुल योग - 2	**55,200**	**55,200**	**-**	**-**
बही मूल्य (क) (1+2)	**1,64,712**	**1,11,712**	**-**	**2,501**
बाजार मूल्य				
कोट की गई	**1,05,782**	55,718	-	2,502
कोट न की गई (बही मूल्य)	**55,200**	55,200	-	-
	1,60,982	**1,10,918**	**-**	**2,502**

टिप्पण : #12. निवेश	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
ख. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां				
कोट की गई प्रतिभूतियां:				
1. 8.39% राजस्थान उदय एसडीएल 2022	**-**	-	**-**	1,509
2. 8.44% उत्तर प्रदेश उदय 2023	**-**	1,002	**1,001**	-
3. 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	**3,027**	3,038	**-**	-
4. 8.45% कर्नाटक एसडीएल 2024	**2,018**	2,025	**-**	-
5. 8.45% पंजाब एसडीएल 2023	**-**	2,529	**2,514**	-
6. 8.49% आंध्र प्रदेश पी एसडीएल 2020	**-**	-	**-**	-

7. 8.62% महाराष्ट्र एसडीएल 2023	-	506	503	-
8. 8.75% पश्चिमी बंगाल जीएस 2022	-	-	-	503
9. 7.79% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022	-	-	-	997
10. 6.94% ओड़िशा एसडीएल 2021	-	-	-	1,495
11. 7.93% छत्तीसगढ़ एसडीएल 2024	1,508	1,512	-	-
12. 8.18% हरियाणा एसडीएल उदय 2024	45	46	-	-
13. 8.21 हरियाणा उदय 2022	-	-	-	1,496
14. 8.25 उत्तर प्रदेश उदय बंधपत्र 2023	502	505	-	-
15. 8.27 राजस्थान एसडीएल एसपीएल2023	193	194	-	-
उप कुल योग - 1	**7,293**	**11,357**	**4,018**	**6,000**

(रुपए लाख में)

टिप्पण : #12. निवेश	**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	गैर-चालू	**गैर-चालू**	**चालू**	**चालू**
16. 8.37% ओड़िशा एसडीएल 2022	-	1,001	1,000	-
17. 8.39 राजस्थान उदय 2022	-	-	-	1,498
18. 8.45% गुजरात एसडीएल 2023	2,526	2,545	-	-
19. 8.86% पंजाब एसडीएल 2022	-	1,006	1,002	-
20. 8.90% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2022	-	2,510	2,503	-
21. 8.92% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2022	-	1,006	1,002	-
22. 8.95% असम एसडीएल 2022	-	1,510	1,503	-
23. 8.97% बिहार एसडीएल 2022	-	504	502	-
24. 9.01% कर्नाटक एसडीएल 2024	512	518	-	-
25. 9.01% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2022	-	504	501	-
26. 9.04% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2021	-	-	-	502
27. 9.13% गुजरात एसडीएल 9/5/2022	-	2,412	2,401	-
28. 9.18% पंजाब एसडीएल 2021	-	-	-	503
29. 8.51% उत्तर प्रदेश उदय 2023	743	747	-	-
30. 6.61% मध्य प्रदेश एसडीएल 2037	495	-	-	-
31. 6.68% हरियाणा एसडीएल	2,441	-	-	-
32. 7.88% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2031	1,077	-	-	-
33. 6.80% जम्मू-कश्मीर एसडीएल 2035	502	-	-	-
34. 6.99% पश्चिमी बंगाल एसडीएल 2036	508	-	-	-
35. 7.08% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2035	1,008	-	-	-
36. 7.43% हरियाणा 09/03/2041	505	-	-	-
37. 6.96% तमिलनाडु एसडीएल 2056	975	-	-	-
उप कुल योग - 2	**11,292**	**14,263**	**10,414**	**2,503**
बही मूल्य (ख)	**18,585**	**25,620**	**14,432**	**8,503**
बाजार मूल्य	**18,743**	**27,174**	**14,716**	**8,777**

देखें टिप्पण संख्या-24.08

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 12: निवेश	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021	2022	2021
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
ग. समनुषंगियों की साम्या लिखतों में निवेश (पूर्ण समादत्त)				
i. आईसीएआई का दिवाला वृत्तिक संस्थान 100 रुपए प्रत्येक के 10,00,000 सामान्य शेयर	1,000	1,000	-	-
ii आईसीएआई रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक संगठन निवेश	10	10	-	-
बही मूल्य (ग)	1,010	1,010	-	-
योग (क+ख+ग)	1,84,307	1,38,342	14,432	11,004

टिप्पण : # 13 अन्य निधियों के लिए धारित आस्तियां	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021	2022	2021
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
बैंकों में सावधि निक्षेप	5,806	5,665	38,627	39,160
योग	5,806	5,665	38,627	39,160

टिप्पण # 14 ऋण और अग्रिम (अप्रतिभूत, उत्तम माने गए)	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021	2022	2021
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क) प्रतिभूति निक्षेप	71	79	385	388
ख) स्रोत पर कर कटौती	2,028	1,989	-	-
ग) इनपुट कर प्रत्यय	-	-	1,951	2,330
घ) सदस्यों से प्राप्त अग्रिमों पर जीएसटी	-	-	277	278
ङ) अन्य ऋण और अग्रिम				
i कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	1,431	1,421	-	-
ii अन्य प्राप्य	244	380	1,811	1,276
घटाएं : संहेदास्पद प्राप्यों के लिए प्रावधान	-	-	(73)	(35)
योग	3,774	3,869	4,351	4,237

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 15 : अन्य आस्तियां	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021	2022	2021
	गैर-चालू	गैर-चालू	चालू	चालू
क) प्रोदभूत ब्याज				
i) बैंक के साथ सावधि जमा पर	-	-	574	626
ii) निवेश पर	4,821	3,612	3,370	2,330
iii) कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	260	240	-	-
ख) पूर्व संदत्त व्यय	15	-	785	682
योग	5,096	3,852	4,729	3,638

टिप्पण # 16 : वस्तु-सूचियां (निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय मूल्य पर)	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021
क) प्रकाशन और अध्ययन सामग्रियां	1,045	386
घटाएं : अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	(294)	-
ख) लेखन सामग्रियां और भंडार	50	45
योग	801	431

टिप्पण # 17 : नकद और नकद समतुल्य	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021
क) हाथ में नकदी	22	24
ख) बैंकों में बचत और चालू खातों में अतिशेष	7,020	8,491
ग) ऐसे सावधि निक्षेप, जिनकी परिपक्वता में तीन मास से कम समय है	4,000	15,000
योग	11,042	23,515

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 18 : फीसें	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021
क) दूरस्थ शिक्षा	28,655	21,824
ख) छात्र पंजीकरण	765	607
घटाएं:-सीएएसबीएफ में योगदान टिप्पण 24.03 देखें	(189)	(182)
ग) कक्षा प्रशिक्षण	8,567	7,533
घ) कोचिंग	590	557
ङ) परीक्षा	15,942	9,493
च) सदस्यता	13,267	12,944
घटाएं :- ई-जर्नल पर बट्टा	(1,397)	(1,225)
छ) प्रवेश : देखें टिप्पण संख्या 2.11 (v)(ख)	164	130

ज)	अर्हतापश्च पाठयक्रम	**458**	299
झ)	प्रमाणपत्र पाठयक्रम	**820**	868
	योग	**67,642**	**52,848**

टिप्पण # 19: संगोष्ठी आय		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2022	**2021**
क)	सदस्य	**1,534**	1,324
ख)	छात्र	**212**	159
ग)	अन्य	**573**	211
	योग	**2,319**	**1,694**

(रुपए लाख में)

टिप्पण # 20 : अन्य आय		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2022	**2021**
क)	ब्याज आय		
	i. अन्य निधियों में धारित बैंक निक्षेप पर	**2,085**	2,395
	ii. निवेशों से	**6,308**	5,278
	iii. उद्दिष्ट निधियों में धारित निवेशों से	**7,296**	6,394
	iv. कर्मचारियों को दिए गए ऋणों पर	**73**	88
ख)	प्रकाशनों का विक्रय	**1,055**	1,000
ग)	न्यूजलेटर	**112**	118
घ)	जर्नल अभिदाय	**36**	30
ङ)	कैम्पस साक्षात्कार	**1,359**	289
च)	विशेषज्ञ सलाहकार फीस	**61**	50
छ)	अनापेक्षित प्रावधानों का अपलेखन	**22**	131
ज)	प्रकीर्ण आय	**355**	377
झ)	आय समर्थन सेवाएं	**6,149**	6,048
	घटाएं :- व्यय समर्थन सेवाएं	**(6,149)**	(6,048)
ञ)	पूर्वावधि आय	**91**	776
	योग	**18,853**	**16,926**

टिप्पण # 21: संगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम		**निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान**	
		2022	**2021**
क)	सदस्य	**1,969**	949
ख)	छात्र	**535**	197
ग)	छात्र क्रियाकलाप व्यय	**89**	40
	योग	**2,593**	**1,186**

टिप्पण # 22 : कर्मचारी फायदा संबंधी व्यय	निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
	2022	2021
क) वेतन, पेंशन और अन्य भत्ते	13,885	12,622
ख) भविष्य निधि और अन्य निधियों को अभिदाय	885	889
ग) कर्मचारिवृंद कल्याण व्यय	143	166
योग	14,913	13,677

(रुपए लाख में)

(टिप्पण # 23 : अन्य व्यय		निम्न वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान	
		2022	2021
क)	डाक और टेलीफोन	2,962	2,378
ख)	किराया, दरें और कर	7,078	6,499
ग)	घरेलू यात्रा	854	794
घ)	विदेशों से संबद्ध व्यय		
	i) विदेश यात्रा	26	-
	ii) विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	691	651
	iii) अन्य	70	63
ङ)	मरम्मत और अनुरक्षण	3,144	2,877
च)	कक्षा प्रशिक्षण व्यय	2,649	1,919
छ)	कोचिंग कक्षा व्यय	81	62
ज)	विज्ञापन और प्रचार	265	166
झ)	बैठक व्यय	156	215
ञ)	योग्यता छात्रवृत्ति	128	167
ट)	संपरीक्षा फीस : प्रधान कार्यालय	15	15
	अन्य कार्यालय	60	45
ठ)	उद्दिष्ट निधियों से संदाय	417	42
ड)	व्ययों पर जीएसटी	1,299	1,133
ढ)	संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	38	35
ण)	अप्रचलित प्रकाशन स्टॉक के लिए प्रावधान	294	-
त)	संदान व्यय	-	1,500
थ)	पूर्वावधि व्यय	373	196
द)	निर्वाचन व्यय	1,017	-
ध)	अन्य व्यय	1,136	972
योग		22,753	19,729

लेखांकन मानकों के अधीन प्रकटन

24. वित्तीय विवरणों से संबंधित अतिरिक्त टिप्पण

24.01 आकस्मिक दायित्व और प्रतिबद्धताएं :

(लाख रुपए में)

क. आकस्मिक दायित्व	**2021-22**	**2020-21**
i) संस्थान के विरूद्ध ऐसे दावे, जिन्हें ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है	**2,084**	**2,600**

ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में, संस्थान को अपर महानिदेशक, माल और सेवाकर सतर्कता से वार्षिक फीस, व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस, प्रवेश फीस, संगोष्ठी फीस और कोचिंग कक्षा फीस आदि के संबंध में सेवाकर के संदाय के लिए 15,797 लाख रुपए की मांग संबंधी दो कारण बताओ सूचनाएं प्राप्त हुई । संस्थान की यह राय है कि वह सेवाकर का दायी नहीं है और उसने अप्रैल, 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं. 3957/2019 फाइल की । अपर महानिदेशक, डीजीसीईआई, कोच्चि ने अक्तूबर, 2019 में पूर्वोक्त रिट याचिका में प्रति शपथपत्र फाइल किया था और उसके विरुद्ध संस्थान ने दिसंबर, 2019 में प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया था । कोविड 19 महामारी के कारण यह मामला न्यायालय के समक्ष बार-बार स्थगित हुआ और उसके पश्चात् जुलाई, 2022 में इसकी सुनवाई की गई, जिसके दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिए कि प्रत्यर्थी को चार सप्ताह के भीतर प्रति शपथ पत्र और उसके पश्चात् प्रत्युत्तर शपथ पत्र फाइल किया जाना चाहिए तथा अगली सुनवाई 19 दिसंबर, 2022 के लिए नियत की गई है ।

ख. पूंजी प्रतिबद्धताएं :

	2021-22	**2020-21**
पूंजी प्रतिबद्धताएं (अग्रिमों का शुद्ध)	**7,560**	**4,996**

24.02 टिप्पण # 14 दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों के अधीन अन्य प्राप्यों में, नागपुर में भू-संपत्ति के अर्जन के लिए मूल और अनुपूरक करारों के रद्द हो जाने के कारण, स्टाम्प शुल्क के लिए 243.75 लाख रुपए के प्रतिदेय प्राप्य सम्मिलित हैं, जिसे संयुक्त जिला रजिस्ट्रार (जेडीआर), नागपुर द्वारा नामंजूर कर दिया गया है । संस्थान ने, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, पुणे के समक्ष महाराष्ट्र स्टाम्प शुल्क अधिनियम की धारा 53 के अधीन, जेडीआर, नागपुर द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए दो अपील फाइल की हैं, जो अंतिम अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं । संस्थान को यह सलाह दी गई है कि स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए उनके पास उत्तम विधिक मामला है ।

24.03 छात्रों से, छात्र रजिस्ट्रीकरण फीस के मद्दे प्राप्त फीस में से, 1 अप्रैल, 2009 के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक छात्र के लिए 250 रुपए प्रति छात्र की एक राशि को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स छात्र कल्याण निधि में जमा किया जा रहा है ।

24.04 सदस्यों से चार्टर्ड अकाउंटेंट कल्याण निधि (सीएबीएफष) के मद्दे प्राप्त अभिदायों को संदेयों के रूप में लेखबद्ध किया जाता है और इसी प्रकार उसके निमित्त संदत्त वित्तीय सहायता के दावों के संबंध में सदस्यों को धन का वितरण किया जाता है और उसे प्राप्यों के रूप में लेखबद्ध किया जाता है । सीएबीएफ के लेखाओं का नियमित रूप से समाधान किया जाता है ।

24.05 प्रमाणपत्र/अर्हता पश्च पाठ्यक्रम/डिप्लोमा पाठ्यक्रम के आरंभ होने से पूर्व उसके रद्द हो जाने की दशा में संदत्त फीस के 10% की कटौती की जाती है और ऐसी दशा में, जहां पाठ्यक्रम आरंभ हो गया है वहां सदस्य को पाठ्यक्रम के शेष भाग को पश्चातवर्ती बैचों के माध्यम से पूरा करने का विकल्प देने के पश्चात् फीस का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाता है ।

24.06 संस्थान ने, "परिवर्तन परियोजना" के रूप में निर्दिष्ट एक परियोजना को आरंभ करके अपने संपूर्ण गतिविधियों के अंकीयकरण के लिए एक प्रक्रिया को आरंभ किया । इस प्रयोजन के लिए, संस्थान ने एक वैश्विक रूप से ख्यातिप्राप्त परियोजना प्रबंध परामर्शी के द्वारा पर्यवेक्षित एक वैश्विक एकीकृत सेवा प्रदाता (विक्रेता) को नियुक्त किया था, जिसकी कुल लागत 3,981 लाख रुपए है । 31 मार्च, 2015 तक 867 लाख रुपए की राशि उपगत की गई है ।

चूंकि एकीकृत सेवा प्रदाता ने, उसे विस्तारित समय सीमाएं प्रदान करने के पश्चात् भी अपेक्षा के अनुसार अंकीयकरण का विकास कार्य नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप संस्थान ने संविदा को रद्द कर दिया था और जून, 2015 मास में 295 लाख रुपए की बैंक प्रत्याभूति का प्रत्याह्वान और नकदीकरण किया था तथा 572 लाख रुपए की शेष रकम को 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया गया था ।

विक्रेता ने फरवरी, 2017 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके द्वारा संस्थान से 807 लाख रुपए के संदाय की अपेक्षा की गई थी, जिसके अंतर्गत नकदीकरण की गई बैंक गारंटी की रकम भी सम्मिलित थी, जिसे संस्थान द्वारा नामंजूर कर दिया गया है और सेवा प्रदाता के साथ करार को समाप्त कर दिया गया। संविदा को समाप्त करने के पश्चात् से विक्रेता से किसी प्रकार की कोई संसूचना प्राप्त नहीं हुई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, संस्थान ने विक्रेता को तारीख 31.10.2018 की एक विधिक सूचना भेजी है, जिसमें उससे, परियोजना का निष्पादन न किए जाने के मद्दे संस्थान को हुई हानि के प्रति लागू ब्याज सहित 2140.79 लाख रुपए की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई थी। विक्रेता ने अपने तारीख 20.03.2019 के प्रत्युत्तर द्वारा यह दावा किया है कि संस्थान का दावा समय द्वारा वर्जित है। विधिक सलाहकार से प्राप्त हुई राय विचाराधीन है।

24.07 पूर्व वर्षों में सृजित विभिन्न आरक्षित निधियों और उद्दिष्ट निधियों का और संबद्ध उद्दिष्ट निवेशों का ब्यौरेवार पुनर्विलोकन आरंभ किया गया है ताकि संस्थान की वर्तमान अपेक्षाओं और कार्यकरण के अनुसार इन निधियों को पुन: संरचित किया जा सके, जो अभी जारी है।

24.08 शासकीय प्रतिभूतियों में कोट किए गए निवेशों को दीर्घकाल हेतु किया गया है। इन बंधपत्रों का बाजार मूल्य दैनिक आधार पर ऊपर-नीचे होता है और चूंकि संस्थान का आशय दीर्घकाल तक इन प्रतिभूतियों को धारण करने का है, इसलिए इन प्रतिभूतियों के मूल्य में इनकी लागत के प्रति अस्थायी कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि प्रबंध मंडल को यह विश्वास है कि दीर्घकाल में इन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य इनकी लागत से अधिक होगा।

24.09 वर्ष के दौरान किए गए अंत:यूनिट समाधान संबंधी ब्यौरेवार प्रक्रिया के आधार पर 19 लाख रुपए (1249 लाख रुपए) और 24 लाख (98 लाख रुपए) के प्रभाव को टिप्पण संख्या 3 में क्रमश: साधारण आरक्षिति और अवसंरचना आरक्षिति में अंतरित किया गया है। आस्तियों और दायित्वों संबंधी अंत:यूनिट लेखाओं की दशा में समाधान न हुए अंतरों का कुल योग नामे में 413 लाख रुपए तथा जमा में 466 लाख रुपए है। 53 लाख रुपए के शुद्ध अंतर को व्यापार संबंधी व्ययों में 'अंत:शाखा के लिए प्रावधान' के अधीन सम्मिलित किया गया है।

24.10 प्रबंध मंडल के मतानुसार, अध्ययन सर्कल, अध्ययन चैप्टर और विदेशी चैप्टर पृथक् अस्तित्व हैं और उनके लेखाओं का समेकन नहीं किया जाता है।

24.11 प्रधान कार्यालय और शाखाओं में नियत आस्तियों के भौतिक सत्यापन और बही अतिशेषों के साथ उनके सुमेलन के लिए कार्यवाही की जा रही है।

24.12 शाखा कर्मचारी स्कीम 2006 को नई शाखा कर्मचारी स्कीम 2014 से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसे केंद्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है किंतु अभी उसका कार्यान्वयन नहीं किया गया है और वह पुनरीक्षणाधीन है। वर्ष 2014-15 से, इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष 700 लाख रुपए का प्रावधान लेखाओं में किया जा रहा है, जिनका योग 31 मार्च 2022 को 5600 लाख रुपए हो गया है। इस प्रावधान में कमी/आधिक्य का अवधारण उस समय किया जाएगा जब पुनरीक्षित स्कीम को पूर्णतया कार्यान्वित किया जाएगा।

कुछ शाखाओं में शाखा कर्मचारियों से भविष्य निधि संदाय की कटौती की है। आय-कर विभाग से 5 प्रादेशिक भविष्य निधि न्यास के रजिस्ट्रीकरण का अनुमोदन लंबित रहने के दौरान 132 लाख रुपए (122 लाख रुपए) की रकम, जो भविष्य निधि की रकम और नियोजक के बराबर के संदाय और ब्याज से मिलकर बनी है, को भविष्य निधि न्यास में जमा नहीं किया जा सका था। तथापि, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए 123 लाख रुपए (110 लाख रुपए) के सावधि निक्षेप को, जिस पर 5.40% की दर पर ब्याज देय है, उद्धिष्ट किया गया है।

24.13 अपात्र इनपुट कर प्रत्यय, छूट प्राप्त प्रदायों के कारण उदभूत इनपुट प्रत्यय को 'जीएसटी संबंधी व्ययों' शीर्ष के अधीन आय और व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है।

24.14 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उपदान और छुट्टी नकदीकरण के मद्दे संदेय 1503 लाख रुपए की रकम अतिशेष है, जिसकी संगणना अभी की जा रही है।

24.15 वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गए प्राक्कलनों के अनुसार, 2018-19 से 2020-21 तक के अधिशेष से 4500 लाख रुपए (प्रत्येक वर्ष 1500 लाख रुपए) की रकम का विनियोग नवंबर, 2022 में आयोजित की जाने वाली अकाउंटेंटों की विश्व कांग्रेस के आयोजन संबंधी वित्तीय अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस संबंध में कोई विनियोग नहीं किया गया है।

24.16 कतिपय इकाईयों के लिए भूमि की पट्टा अवधि का अवसान हो गया है, जिसके नवीकरण के लिए उपाय किए जा रहे हैं। सुसंगत प्राधिकारियों से अभिपुष्टि प्राप्त होने के पश्चात् नवीकरण पट्टा प्रीमियम शोध्य हो जाएगा।

24.17 चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 197(5) द्वारा यथा अपेक्षित बजट प्राक्कलनों के साथ वास्तविक आय-व्यय का तुलनात्मक विश्लेषण तैयार किए जाने हेतु उपाय किए जा रहे हैं।

24.18 वर्ष के दौरान, सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन से संबंधित प्रक्रिया, जिसे पूर्व में आरंभ किया गया था, के भागरूप में संस्थान को प्रधान कार्यालय स्थित कतिपय विक्रेताओं से जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें उनकी प्रास्थिति को सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन अधिसूचित प्राधिकारी के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रेता के रूप में दर्शित किया गया है।

सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार हैं :

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**31 मार्च, 2022 को यथा विद्यमान**
1	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को **शोध्य मूलधन** और जो वर्ष के अंत पर असंदत्त रह गया है	1,410
2	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को **शोध्य ब्याज** और जो वर्ष के अंत पर असंदत्त रह गया है	0.40
3	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को **संदत्त मूलधन**, जो वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे विद्यमान था	213
4	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अधीन से भिन्न **संदत्त ब्याज**, जो वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे विद्यमान था	शून्य
5	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अधीन **संदत्त ब्याज**, जो वर्ष के दौरान नियत तारीख से परे विद्यमान था	शून्य
6	एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रदाताओं को पहले से किए गए संदायों के लिए **शोध्य और संदेय ब्याज**	0.40
7	**इसके अतिरिक्त, पूर्व वर्षों के लिए शेष शोध्य और संदेय ब्याज**	शून्य

शाखाओं और अन्य अवस्थानों पर विद्यमान विक्रेताओं के लिए, विक्रेताओं की पहचान आदि को स्थापित करने के लिए पहले ही उपाय आरंभ कर दिए गए हैं और प्रक्रिया पूरा होने के पश्चात् शीघ्र ही उनका अनुपालन किया जाएगा।

25. कर्मचारी फायदे

परिभाषित अभिदाय योजनाएं

संस्थान ने भविष्य निधि में अभिदाय के मद्दे 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 740 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 831 लाख रुपए) की राशि को मान्यता प्रदान की है।

संस्थान ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित परिभाषित फायदा योजनाएं प्रदान की हैं

उपदान	वित्तपोषित
सेवानिवृत्ति पश्च पेंशन	गैर-वित्तपोषित
क्षतिपूरित अनुपस्थिति	गैर-वित्तपोषित

25.01 उपदान योजना से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं

(लाख रुपए में)

	वर्णन	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
1.	**बाध्यता के आरंभिक और अंतिम अतिशेषों का समाधान**				
	क. वर्ष के आरंभ में बाध्यता	**4,480**	**4,003**	3,905	3,298
	ख. चालू सेवा लागत	**449**	**429**	279	266
	ग. ब्याज लागत	**284**	**257**	272	239
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(422)**	**180**	208	442
	ङ. संदत्त फायदे	**(541)**	**(389)**	(661)	(340)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यता	**4,250**	**4,480**	4,003	3,905
2.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**				
	क. वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3,694**	**4,171**	3,513	2,277
	ख. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**256**	**268**	303	188
	ग. बीमांकिक अभिलाभ/ (हानि)	**13**	**6**	(57)	4
	घ. संस्थान द्वारा किया गया अभिदाय	**141**	**49**	961	1,045
	ङ. संदत्त फायदे	**(399)**	**(800)**	(549)	(1)
	च. वर्ष के अंत पर योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3,705**	**3,694**	4,171	3,513
3.	**योजना, आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य का समाधान**				
	क. बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	**4,250**	**4,480**	4,003	3,905
	ख. योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**3,705**	**3,694**	4,171	3,513
	ग. तुलन पत्र आस्ति/(दायित्व) में मान्यता प्रदान की गई रकम	**(545)**	**(786)**	168	(392)
4.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. चालू सेवा लागत	**449**	**429**	279	266
	ख. ब्याज लागत	**284**	**257**	272	239
	ग. योजना आस्तियों पर प्रत्याशित आय	**(256)**	**(268)**	(303)	(188)
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**(435)**	**174**	265	438
	ङ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**42**	**592**	513	755
5.	**निवेशों के ब्यौरे**	**निवेश का प्रतिशत**	**निवेश का प्रतिशत**	निवेश का प्रतिशत	निवेश का प्रतिशत
	क. अन्य – भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधियां	**100**	**100**	100	100
6.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.20%**	**6.75%**	6.75%	7.62%

(लाख रुपए में)

	वर्णन	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
	ख. योजना आस्तियों से आय की प्राक्कलित दर (प्रतिवर्ष)	**7.16%**	**7.07%**	7.80%	7.65%
	ग. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल/डीए : 10%**	**मूल/डीए : 10%**	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3% : डीए 6%

	घ. संनिघर्षण दर	**2%**	**2%**	2%	2%
	ङ नश्वरता सूची	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा

25.2 सेवानिवृत्ति के बाद की योजना का विवरण (जारी..)

	वर्णन	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
1.	**बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान**				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	**15,529**	**14,840**	12,363	11,890
	ख. ब्याज लागत	**1,027**	**980**	920	874
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**1,304**	**351**	2,085	79
	घ. संदत्त फायदे	**(664)**	**(642)**	(528)	(480)
	ङ वर्ष के अंत में बाध्यताएं	**17,196**	**15,529**	14,840	12,363
2.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान**				
	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**17,196**	**15,529**	14,840	12,363
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकम	**(17,196)**	**(15,529)**	(14,840)	(12,363)
3.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. ब्याज लागत	**1,027**	**980**	920	874
	ख. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**1,304**	**351**	2,085	79
	ग. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**2,331**	**1,331**	3,005	953
4.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.25%**	**6.75%**	7.60%	7.50%
	ख. नश्वरता सूची	**एलआईसी 2012-14 अंततोगत्वा**	एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा	एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा	एलआईसी 1996-98 अंततोगत्वा

25.3 कर्मचारी लाभ (जारी..)

छुट्टी नकदीकरण का विवरण

(लाख रुपए में)

	वर्णन	**2021-22**	**2020-21**	**2019-20**	**2018-19**
1.	**बाध्यता के प्रारंभिक और अंतिम अतिशेषों में समाधान**				
	क. वर्ष के प्रारंभ में बाध्यता	**5,638**	**5,535**	5,104	4,137
	ख. चालू सेवा लागत	**403**	**397**	410	221
	ग. ब्याज लागत	**369**	**366**	374	301
	घ. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**10**	**(434)**	39	851
	ङ संदत्त फायदे	**(349)**	**(226)**	(392)	(406)
	च. वर्ष के अंत में बाध्यताएं	**6,071**	**5,638**	5,535	5,104
2.	**योजना आस्तियों और बाध्यताओं के उचित मूल्य में समाधान**				

	क. बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**6,071**	**5,638**	5,535	5,104
	ख. तुलन-पत्र आस्ति/(दायित्व) में मानी गई रकमे	**(6,071)**	**(5,638)**	(5,535)	(5,104)
3.	**वर्ष के दौरान माने गए व्यय**				
	क. चालू सेवा लागत	**403**	**397**	410	221
	ख. ब्याज लागत	**369**	**366**	374	301
	ग. बीमांकिक (अभिलाभ)/हानि	**10**	**(434)**	39	851
	घ. वर्ष के दौरान माने गए व्यय	**782**	**329**	823	1,373
4.	**पूर्वानुमान**				
	क. बट्टा दर (प्रतिवर्ष)	**7.20%**	**6.75%**	6.75%	7.62%
	ख. वेतन में वृद्धि की दर	**मूल/डीए : 10%**	**मूल/डीए : 10%**	मूल 3% : डीए 6%	मूल 3%: डीए 6%
	ग. संनिघर्षण दर	**2%**	**2%**	2%	2%
	घ. नश्वरता सूची	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	**आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा**	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा	आईएएल 2012-14 अंततोगत्वा

26. खंड रिपोर्टिंग

संस्थान के प्रचालन "चार्टर्ड अकाउंटेंसी की वृत्ति के विनियमन" तक सीमित हैं और यह मुख्यत: भारत में प्रचालन करता है। अत:, इसके सभी प्रचालन, लेखांकन मानक (एएस) - 17 खंड रिपोर्टिंग के अर्थांतगर्त एकल खंड के अंतर्गत आते हैं।

27. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को, जहां कहीं उन्हें चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के तत्समान बनाने के लिए, जहां कहीं आवश्यक है, पुन: समूहित/पुन: वर्गीकृत किया गया है।

ह./-	ह./-	ह./-	ह./-
सीए. सुदीप श्रीवास्तव	**सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा**	**सीए. अनिकेत सुनील तलाती**	**सीए. (डा.) देबाशिष मित्रा**
संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी सम तारीख की निर्दिष्ट रिपोर्ट में

कृते रे एंड रे
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 301072ई

ह./-
सीए. अनिल पी. वर्मा
भागीदार, सदस्यता सं. 090408

कृते रवि राजन एंड कं. एलएलपी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म रजि. सं. 009073N/N500320

ह./-
सीए. दीपक गुप्ता
भागीदार, सदस्यता सं. 516002

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./297/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2022

No.1-CA(5)/73/2022.—In pursuance of sub-Section (5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949, a copy of the audited accounts and the Report of Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) for the year ended 31st March 2022 is hereby published for general information.

73rd Annual Report

As the Country is celebrating its 75 years of Independence, the ICAI also feels proud to be a major Partner in Nation Building. During the past 75 years, India has witnessed treamendous growth in its economy and ICAI can very prodly

say that Chartered Accountancy Profession has played a vital role in Nation's growth. The Council of ICAI takes immense pleasure in presenting its 73nd Annual Report for the year ended 31st March 2022. At the time of inception of the Institute on 1st July 1949 by an Act of Parliament, the Chartered Accountancy profession was founded with about 1,700 members. The Institute has reached at 3,51,232 members as on 31st March, 2022. This Report highlights the important activities of the Council and its various Committees during the year 2021-2022, besides the accounts of the Institute for the year ended on 31st March 2022. The Council acclaims its members and students for the respect which the Chartered Accountancy profession commands today in the society. This has been achieved through excellence, independence and integrity displayed by the members and students all along.

Index to the Report

S. No.	Particulars
1.	The Council
2.	Committees of the Council
3.	Auditors
4.	Standing Committees
4.1	Executive Committee
4.2	Finance Committee
4.3	Examination Committee
4.4	Disciplinary Directorate
5.	Technical and professional Development
5.1	Accounting Standards Board
5.2	Auditing and Assurance Standards Board
5.3	Banking Financial Services and Insurance Committee
5.4	Committee for Members in Practice
5.5	Continuing Professional Education Committee
5.6	Corporate Laws and Corporate Governance Committee
5.7	Direct Taxes Committee
5.8	Committee on Economic, Commercial Laws and Economic Advisory
5.9	Digital Accounting and Assurance Board
5.10	Ethical Standards Board
5.11	Expert Advisory Committee
5.12	Financial Reporting Review Board
5.13	GST and Indirect Taxes Committee
5.14	Internal Audit Standards Board
5.15	Committee on International Taxation
5.16	Committee for Members in Industry and Business
5.17	Peer Review Board
5.18	Professional Development Committee
5.19	Committee on Public and Government Financial Management
5.20	Public Relations Committee
5.21	Research Committee
5.22	Sustainability Reporting Standards Board
5.23	Committee on Financial Markets and Investors' Protection
5.24	Audit Committee
5.25	Digital Re-Engineering and Transformation Committee
5.26	Management Committee
5.27	Valuation Standards Board
5.28	Taxation Audits Quality Review Board
5.29	Committee on Insolvency and Bankruptcy Code
5.30	Women Members Empowerment Committee
5.31	Committee on MSME & Start-up
6.	Committee for Development of International Trade, Services and WTO
7.	Activities by other Committees
7.1	Committee on Management Accounting
7.2	Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services
7.3	Legal Directorate
7.4	Infrastructure Development Committee
7.5	International Affairs Committee
7.6	Organising Committee on World Congress of Accountants
7.7	Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee

7.8	UDIN Directorate
7.9	Publication & CDS Directorate
7.10	Centre for Audit Quality Directorate
7.11	Right to Information Act, 2005
7.12	XBRL
7.13	ICAI- Accounting Research Foundation
7.14	ICAI Registered Valuers Organisation
7.15	Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI
7.16	Quality Review Board
8.	Other Matters
8.1	Chartered Accountants' (CA) Day – 1st July, 2022
8.2	Central Council Library
8.3	Editorial Board
9.	Members
9.1	Membership
9.2	Convocation 2021-22
9.3	Chartered Accountants' Benevolent Fund
9.4	S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund
9.5	Chartered Accountants Student's Benevolent Fund
10	Board of Studies
10.1	Board of Studies (Academic)
10.2	Students Skills Enrichment Board
11.	Committee on Career Counselling
12.	Regional Councils and their Branches
13.	Finance and Accounts
14.	Appreciation
	Composition of the Council (2022-2023)
	Audited Annual Accounts

1. THE COUNCIL

The Twenty-Fifth Council was constituted on 12th February 2022 for a period of three years. It comprises of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government. The Institute observed the sudden and untimely death of one of the Council Member CA. Sunil Kumar Patodia from Western region in February 2022. The casual vacancy to the Council has been filled by bye-election held in September 2022. Composition of the 25th Council is shown separately.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949 constituted; on 12th February 2022; various Standing and Non-Standing Committees/Boards and Groups to deal with the matters concerning the profession of Chartered Accountancy. During the year ended 31st March 2022, 324 meetings of various Standing and Non-Standing Committees / Boards and Groups of the Council were held.

3. AUDITORS

M/s. Ravi Rajan & Co. LLP and M/s. Ray & Ray were the joint auditors of the Institute for the financial year 2021-22. The Council wishes to place on records its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

Executive Committee is one of the Standing Committees of the Council of ICAI. The functions of this Committee have been prescribed under the Regulation 175 of Chartered Accountants Regulations, 1988. Some of these functions are relating to articled and audit assistants and enrolment, removal, restoration of members from the Register, cancellation of certificate of practice, permission to engage in any other business or occupation other than profession of accountancy. Executive Committee is also the custodian of the property, assets and funds of the Institute beside maintenance of the Institute's offices.

4.2 Finance Committee

This Finance Committee is one of the Standing Committees of the Council of ICAI which came into existence consequent to the amendments to the Chartered Accountants Act, 1949 by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. This Committee controls, implements and supervises the activities related with and incidental, inter alia, to

maintenance of true and correct accounts, formulation of annual budget, investment of the funds, and disbursements from the funds for expenditure – both Revenue and Capital nature.

4.3 Examination Committee

All functions of the Council of ICAI relating to the Exams are being performed by the Examination Committee. The Committee conducted the Chartered Accountancy Exams through out the Country as well as abroad in flawless manner. The details of the examinations are given below;

(I) Examination

The Chartered Accountants, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Old and New) were smoothly conducted all over the country and abroad in 847 centres with social distancing norms and following the Covid Guidelines from 5th July 2021 to 20th July 2021 and Foundation Examination was held on 24th, 26th, 28th and 30th July 2021. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Old and New) and passed, were as follows:

Intermediate and Final Course- July 2021 Examinations

	Appeared and Passed Group I only		Appeared and Passed Group II only		Appeared and Passed Both Groups/ Either of the Groups	
	Appeared	**Passed**	**Appeared**	**Passed**	**Appeared**	**Passed**
Intermediate (IPC)	8873	385	26413	7957	3798	25
Intermediate	60335	17563	45423	10082	20668	2169
Final (Old)	12556	1348	17044	2194	3949	62
Final (New)	49358	9986	42203	7328	23981	2870

The Chartered Accountants Foundation, Intermediate (IPC), Intermediate and the Final (Old and New) were smoothly conducted all over the country and abroad in 966 (Total Centres were 978 out of which no exams was held at 12 centres) centres with social distancing norms and following the Covid Guidelines from 5th December 2021 to 20th December 2021. The total numbers of candidates, who appeared in the said Foundation, Intermediate, Intermediate (IPC) and the Final (Old and New) and passed, were as follows:

Intermediate and Final Course - December 2021 Exams

	Appeared and Passed Group I only		Appeared and Passed Group II only		Appeared and Passed Both Groups/ Either of the Groups	
	Appeared	**Passed**	**Appeared**	**Passed**	**Appeared**	**Passed**
Intermediate (IPC)	7427	400	20289	3407	3295	30
Intermediate	79822	17387	62029	7327	31136	3598
Final (Old)	11364	1284	14106	1909	3109	44
Final (New)	57254	12767	54144	16525	28988	4437

Foundation Course -July 2021 and December 2021 Examinations

	Appeared	Passed
Foundation Examination, July 2021	71967	19158
Foundation Examination, December 2021	110662	33510

Information Systems Audit Assessment Test (ISA -AT) for post qualification course was held successfully in July 2021 and January 2022 all over the country. The total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were as follows:

Information Systems Audit Assessment Test (ISA -AT)- July 2021 and January 2022

	Appeared	Passed
ISA – AT, July, 2021 (Old Course)	5161	1308
ISA – AT, July, 2021 (New Course)	903	194
ISA – AT, January 2022 (Old Course)	2465	1203
ISA – AT, January 2022 (New Course)	1182	247

Insurance and Risk Management Technical Examination was held successfully in July and December, 2021 all over the country. The total numbers of candidates, who appeared in these examinations and passed, were as follows:

Insurance and Risk Management Technical Examination -July 2021 and December 2021

	Appeared	Passed
IRM – Technical Examination, July, 2021	36	5
IRM – Technical Examination, December, 2021	35	12

International Taxation-Assessment Test (INTT-AT) for members was held successfully in July and December 2021. The total numbers of candidates, who appeared and passed in this examination, were as follows:

International Taxation-Assessment Test (INTT-AT)- July 2021 and December 2021

	Appeared	Passed
INTT – AT held in July 2021	137	42
INTT – AT held in December 2021	193	9

During the year Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS) were successfully conducted as per details given below:

Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS)

Date of Test	No. of Cities	No. of Exam Centres	No. of Students appeared	No of students passed
14.04.2021	73	78	3110	3038
30.06.2021	73	116	9817	9760
21.08.2021	74	80	2939	2866
19.09.2021	74	78	2799	2554
23.10.2021	75	77	2822	2807
25.11.2021	74	82	4008	3975
25.02.2022	81	99	6802	6681
20.03.2022	76	80	3933	3911

The Examination Process of the Institute has been improving on continues basis. The main focus of the improvement is towards maximum automisation and maintating quality of the process to its very high standards. The overall improvement in the Examination Process undertakes from the question paper setting up to declaration of results so that the integrity and sanctity of the examination system, which is well known for the past many decades, are maintained and further strengthened and developed.

The examinations of ICAI basically focuses on the conceptual understanding as well as practical application of each of the topics covered in the CA curriculum so that the students could meet the upcoming challenges and expectations of the stakeholders of the profession. The Institute's examination process focuses to ensure that those who are qualifying are well groomed professionals.

(II) Web-Interface on Students Exam Life Cycle Management

ICAI embarked on an integrated web-interface called Student Exam Life Cycle Management Project, where CA students using a single user ID and password, can access various examination related services, including application for duplicate marksheets / pass certificates/transcripts, change of centre/medium/group, downloading admit cards, checking results, and applying for verification/seeking certified copies of answer books post result etc. from exam to exam.

(III) Digital Workshop

Since Nov 2020 Exams & January 2021 exams, Physical workshop has been discontinued and Digital Workshop has been introduced whereby approx. 8500 examiners attended the Digital Workshop in July 2021 and Dec 2021 Exams. This resulted in huge cost savings as well as ease and convenience for examiners who otherwise had to travel long distance to attend the physical workshop.

(IV) Eligibility Test for Existing and New Examiners

In the year 2021-22; eligibility test were first time introduced for existing examiners whereby only those existing examiners will be allotted examinership assignment who pass the mandatory eligibility test. Similarly new applicants have to pass the mandatory eligibility test who wants to empanel as an examiner. A massive exercise was carried out in year 2021-22 to empanel large number of examiners and expand the examiners database. As a result of the exercise;

412 new examiners and 616 existing examiners passed the mandatory eligibility test during the year 2021-22 and were added into the examiners database.

(V) Webcast for Examiners

Programme(s) for enhancing the quality & consistency of evaluation of answer books through webcast for examiners were successfully conducted for July 2021 and December 2021 Examinations. This initiative is expected to go a long way in improving the quality of evaluation.

(VI) Webcast For Examination Functionaries/Webcast For Centres & Observers

Webcast on guidelines for observers, examination centres, were successfully done for July 2021 and December 2021 Examinations. In order to ensure smooth conduct of CA Examinations across the country and abroad, ICAI has successfully conducted a webcast for all the Examination Centres, and Observers in July and December 2021 Examinations.

(VII) New Examination Centres

New Examination Centre were opened in Patan (Gujarat) and Malegaon (Maharashtra) in July 2021 only for the students of Foundation Examinations. The same was continued in December 2021 as well.

(VIII) Medals and Awards

Various Medals, Awards and Certificates were distributed to the top rank holders for scoring highest marks in different exams/papers and categories.

4.4 Disciplinary Directorate

The Disciplinary Directorate, the regulatory wing of ICAI, has been established to investigate into matters of Professional and/or Other Misconduct alleged against members, received either in the form of a "Formal Complaint in Form I" or through the "Information" route as provided under the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases), Rules, 2007.

Under the disciplinary mechanism, a mandatory duty has been cast upon the Disciplinary Directorate of ICAI to look into any alleged lapses/irregularities committed by its members across the country so that not only the stakeholders and public at large continue to repose its trust on the profession but also provide a yardstick of acceptable professional conduct to the members of the profession at large. While, most of the members of the profession are providing selfless dedicated services through their professional expertise and experience to the society and world at large, yet through its robust Disciplinary mechanism there is a constant need to caution and to correct the negligible few who inadvertently fall on the wrong side of the law.

In terms of the amendments made in the Chartered Accountants Act, 1949 in the year 2006, the disciplinary mechanism of ICAI underwent certain important and path-breaking changes in the provisions of procedures for conduct of disciplinary cases so as to speed up the process of disposal of disciplinary cases. Accordingly, as on date, the disciplinary mechanism functions through its two quasi-judicial arms constituted as per the provisions of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 namely:

- Board of Discipline under Section 21A and
- Disciplinary Committee under Section 21B.

The disciplinary mechanism and the processes involved are designed in such a manner which ensures transparency and thereby, enhances the confidence of the stakeholders and the public at large and at the same time, provides fair and equitable justice to the members charged with allegations of Professional and/or Other Misconduct.

In order to strengthen the accountability of the practitioners and firms and to ensure that justice is delivered in a reasonable span of time, the Chartered Accountants Act, 1949 has been amended in 2022. Although, the date with effect from which the disciplinary provisions shall be applicable is yet to be notified, yet, steps have already been initiated to ensure that public accountability and speedier disposal of justice as envisaged in the amended Act are put into place.

During the current Council year, four Benches of the Disciplinary Committee i.e. Bench I, Bench II, Bench III and Bench IV and one Bench of the Board of Discipline were constituted to have an expeditious disposal of cases under enquiry apart from the consideration of the Prima Facie Opinion formed by the Director (Discipline). In addition, the Disciplinary Committee under Section 21D headed by the President, ICAI was also constituted to look into any residual old cases that are/may be referred back.

(I) Salient initiatives/achievements

- Successful conduct of E-hearings with the effective participation of the members of the Board of Discipline/ Disciplinary Committee. It has acted as a boon during the current pandemic situation as besides being time and cost-effective, it has ensured that parties to the case appear before the Board of Discipline/Disciplinary Committee without having to worry about the COVID induced travel restrictions. The effectiveness of e-hearing is clearly reflected in the volume of cases that has been disposed off in the meetings of the Board of Discipline and Disciplinary Committee as stated in subsequent paras. Significant disposal has been achieved despite the lockdown in different states of the country during the second wave of Covid 19.
- The details of disciplinary cases decided by the Board of Discipline/Disciplinary Committee as well as the Cause list of cases amongst other things are also being hosted on the dedicated web portal of Disciplinary Directorate so as to create more awareness amongst various stakeholders and to provide a one stop point for dissemination of information pertinent to the Disciplinary Directorate.
- For digitisation of the records of Disciplinary Directorate, the scanning of the physical records of the Disciplinary Directorate has been initiated.
- As on date, all residual cases under old Disciplinary mechanism (under Section 21D) stands heard and concluded barring one which is pending on account of stay granted by the concerned Hon'ble Court.

(II) Board of Discipline under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949

The Board of Discipline has been constituted by the Council of ICAI under Section 21A of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of professional and other misconduct by members falling under First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and/or cases wherein the members are held prima facie NOT guilty of any misconduct by Director (Discipline).

During the period under review, the Board of Discipline held 51 meetings at various places including meetings through video conference. In these meetings, the Board concluded its enquiry in 46 cases, including cases which had been referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Board of Discipline is given below:

Period from 1st April, 2021 to 30th June, 2022

Sl. No.	Particulars	No. of Cases
a)	No. of meetings of the Board of Discipline held during the aforesaid period	51
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Board of Discipline (under Section 21A) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed	160
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years)	46
d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Board of Discipline (including those cases, which were referred to the Board of Discipline during the earlier years.	58

(III) Disciplinary Committee under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949

The Disciplinary Committee has been constituted by the Council of ICAI under Section 21B of the Chartered Accountants Act, 1949 so as to look into matters of professional misconduct by members which fall within the purview of Second Schedule or both First and Second Schedules to the Chartered Accountants Act, 1949.

During the period under review, Disciplinary Committee (all benches) held 72 meetings including meetings through video conference. During the course of the aforesaid meetings, the Committee concluded its enquiry in 127 cases, which included cases referred to it in previous years. The statistical break-up of the cases decided by the Disciplinary Committee is given below:

Period from 1st April, 2021 to 30th June, 2022

Sl. No.	Particulars	No. of Cases
a)	No. of meetings of the Disciplinary Committee held during the aforesaid period	72
b)	Number of Complaint/Information cases considered by the Disciplinary Committee (under Section 21B) wherein prima facie opinion of the Director (Discipline) was formed	154
c)	Number of cases (Complaint/Information cases) in which enquiry was completed by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years). *including cases which have been referred	127

d)	Number of cases (Complaint/Information) in which punishment has been awarded by the Disciplinary Committee* (including those cases, which were referred to the Disciplinary Committee during the earlier years. *including cases which have been referred	137

(IV) Disciplinary Committee under Section 21D

The Disciplinary Committee functioning under the provisions of Section 21D of the Chartered Accountants Act, 1949 conducts enquiry and submits its report to the Council in respect of residual cases pending prior to the amendments made in the aforesaid Act in 2006.

Cases dealt with under the Old Disciplinary Mechanism [Section 21D]

Statistics of cases placed before the Council and the Disciplinary Committee during the period from 1st April, 2021 to 30th June, 2022 is given below.

Since all the residual cases were already heard and concluded by the Disciplinary Committee in 2018, during the period under review, no meeting of this Committee was held. During the aforesaid period, 2 Reports of the Disciplinary Committee (arising out of matters being remanded back by Hon'ble Supreme Court) were considered by the Council.

Out of the above 2 Reports, in one case, Respondent has been found guilty under the Second Schedule and/or other misconduct to be referred to High Courts under Section 21(5) of the Chartered Accountants Act, 1949 and in other case, the Respondent has been found guilty under the First Schedule and the Second Schedule/other misconduct.

Further, in respect of misconduct falling under First Schedule, an order has been passed by the Council after providing an opportunity of hearing to the Respondent under Section 21(4) of the Chartered Accountants Act, 1949 (unamended).

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board (ASB)

The Accounting Standards Board has been constantly working in this direction by formulating new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time with the objective to bring the Standards in line with the International Financial Reporting Standards (IFRS), as issued by the International Accounting Standards Board (IASB).

The following are the major activities undertaken by the Accounting Standards Board (ASB) during the period under Report:

(I) Financial Reporting Standards:

- **Amendments to Ind AS** - Following amendments in Ind AS, recommended by ICAI under section 133 of the Companies Act, 2013, have been notified:
  - ✦ Companies (Indian Accounting Standards) Amendments Rules, 2021, notified on June 18, 2021.
  - ✦ Companies (Indian Accounting Standards) Amendments Rules, 2022, notified on March 23, 2022.
- Amendments to Ind AS 8, *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors*, Ind AS 1, *Presentation of Financial Statements*, Ind AS 12, *Income Taxes*, Amendments to Ind AS 117, *Insurance Contracts and* Editorial Corrections in Ind AS recommended to National Financial Reporting Authority
- Limited amendments to Guidance Note on *Accounting for Derivative Contracts* issued in order to provide necessary guidance w.r.t IBOR Phase II: Post-replacement issues.
- Submitted 17 revised AS submitted to National Financial Reporting Standards (NFRA) in year 2021-22.
- During the Council year 2021-22, as a part of Ind AS Implementation initiatives, under the aegis of erstwhile Ind AS Implementation Committee twelve (12) batches of Online course on Ind AS have been conducted through the Digital Learning Hub (DLH) platform of ICAI. Also, Education Materials on Ind AS 40, *Agriculture* and Publication of *Indian Accounting Standards: An Overview (Revised 2021)* were released.

(II) International initiatives: Forging long lasting partnership

- Comments on the various consultative documents (Exposure Drafts/Discussion Papers/Tentative Agenda Decisions) issued by the International Accounting Standards Board (IASB) and IFRS (IC) were submitted.
- In order to get Indian concerns addressed at the international level, outreach meetings were conducted on IASB consultative documents to understand Indian concerns from the industry and other stakeholders.
- ICAI participated at the 13th Annual AOSSG meeting held virtually on November 22-24, 2021. As outgoing Chair, India handed over the AOSSG Chairmanship to Sri Lanka. The meeting was attended by 21 member

standard-setters of AOSSG and delegates from IASB. ICAI's representatives presented as agenda item on Issues in IAS 7 Statement of Cash Flows.

- ICAI representatives attended Emerging Economies Group (EEG) meetings, IFASS meetings and IFRS Advisory Council (IFRS AC) meetings held during the year.

(III) Building robust relationship with Regulatory Bodies:

- The Board works on building robust relationship with Regulatory Bodies by submitted views on the various accounting issues referred by various Regulators (Ministry of Corporate Affairs, Reserve Bank of India) and, wherever felt appropriate, various accounting issues were taken up with the relevant Regulators.

(IV) Ind AS Implementation Support

During the Council year 2021-22, as a part of Ind AS Implementation initiatives, the following activities were undertaken under the aegis of erstwhile Ind AS Implementation Committee:

- 12 (twelve) batches of Certificate Course on Ind AS were held through the Digital Learning Hub (DLH) platform of ICAI. Online lecture sessions for all the twelve batches have been successfully completed wherein around 2218 members had been trained**.**

During the Council year 2022-23, the Ind AS implementation activities are being undertaken under the aegis of ASB.

(V) Webcasts/Webinars/Outreach Meetings

To create awareness and necessary dissemination of the knowledge on Accounting Standards and Ind AS formulated by the ASB, various webcasts/webinars/outreach meetings were conducted.

(VI) Other Initiatives:

- A new dedicated website as www.asb.icai.org has been designed and launched to provide a common platform for all the information pertaining to ASB, as available on the ASB page on ICAI website, for the benefits of the members and other stakeholders.
- All the Publications of the ASB and video lectures on AS and Ind AS have been uploaded on Digital learning Hub.

(VII) Publications released

- Compendium of Accounting Standards (as on February 1, 2022)
- Compendium of Indian Accounting Standards (as on April 1, 2022)
- E-version of Ind AS Guidance Material
- Educational Material on Ind AS 34, *Interim Financial Reporting*
- Guidance Note on Accounting for Derivative Contracts (Revised 2021)
- Accounting Standards: Quick Referencer for Micro Non-Company Entities
- Technical Guide on Financial Statements of Non-Corporate Entities
- Technical Guide on Financial Statements of Limited Liability Partnerships
- Education Material on Ind AS 40, *Agriculture*
- *Indian Accounting Standards: An Overview (Revised 2021)*

5.2 Auditing and Assurance Standards Board (AASB)

The primary function of AASB is formulating Engagement and Quality Control Standards which are in harmonization with internationally recognized and accepted international standards issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) of IFAC. AASB also formulates and issues other authoritative literature such as Guidance Notes on Auditing and non-authoritative literature such as Implementation Guides to Standards, industry specific/ generic Technical Guides.

(I) Representations/ suggestions to Ministries, Regulators

- Securities and Exchange Board of India (SEBI) issued a Consultation Paper dated 18th February, 2022 on Disclosures for 'Basis of Issue Price' section in offer document under SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for public comments. The Board considered the Consultation Paper. The Board has finalized its response on the Consultation Paper and the same has been submitted to SEBI.
- The Board submitted the response of ICAI on G20 Background Paper and High-Level Principles on Enhancing the Role of Auditing in Tackling Corruption received from Ministry of Corporate Affairs (MCA).
- The Board (jointly with Professional Development Committee) submitted a representation to Indian Banks' Association regarding ICAI suggestions to deal with practical difficulties being faced by auditors in obtaining account balance confirmations directly from various banks in India.

(II) Publications issued

The Board issued the following publications for benefit of the members at large:

- Implementation Guide on Reporting under Rule 11(e) and Rule 11(f) of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014
- Guidance Note on Audit of Banks 2022 edition
- Implementation Guide to Standard on Auditing (SA) 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements
- Implementation Guide to Standard on Auditing (SA) 560, Subsequent Events

(III) Initiatives for the Members

- The Board organized various seminars, workshops, webcasts, virtual CPE meetings, and awareness programmes on auditing standards, bank audit and other auditing aspects for awareness and professional enhancement of the members.
- Like earlier years, this year also the Board constituted an online panel of experts to address the members' queries regarding bank branch audits for the financial year 2021-22. The panel resolved the members' queries from April 1, 2022 till April 15, 2022.
- This year the Board constituted an Expert Panel for Addressing queries related to Statutory Audit pertaining to Auditing Aspects. The Experts of above said Panel will address the queries till 30th September, 2022.
- The Board provided replies/clarifications to various queries on auditing aspects received from the members from time to time.

(IV) International Inititives

- Chairman, AASB and Vice Chairman, AASB participated in Virtual Meeting of IAASB-NSS held in May 11-12, 2022.
- Vice Chairman AASB participated as a panelist in the panel session held on May 3 – 4, 2022 of 3rd conference on auditing less complex entities (LCEs) in Paris.
- Chairman, AASB participated in Virtual webinar of IFAC-IAASB/CAPA/SAFA Roundtable – Proposed Standard for Audits of Less Complex Entities (LCE) held on November 12, 2021
- Vice-Chairman, AASB participated in IAASB-IAAER Roundtable discussion on Exposure Draft of Proposed International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCE) held on November 12, 2021.
- Chairman, AASB & Vice-Chairman, AASB participated in Joint IESBA – IAASB NSS Meeting held on October 28, 2021
- Chairman, AASB & Vice-Chairman, AASB participated in IAASB NSS Meeting held on May 12-13, 2021.
- Chairman, AASB & Vice-Chairman, AASB participated in IESBA – IAASB NSS joint session held on May 12, 2021

5.3 Banking Financial Services and Insurance Committee (BFS&IC)

Banking, Financial Services and Insurance Committee is one of the non-standing Committees of ICAI, constituted for playing a proactive role in the development of financial sector in the country and to equip its members to find a new niche for themselves. The Committee provides inputs to Regulators/Government and other constituents in the financial sector suomoto or as and when called for and handhold their initiatives for reforms. The Committee also interacts with IRDAI, PFRDA, RBI etc. in the context of ongoing financial sector reforms and how the profession of Chartered Accountants can be of help to them in the emerging dynamics.

The Committee conducts a Post Qualification Diploma Course on Insurance and Risk Management for members of ICAI to equip them in the insurance and risk management domain so as to render insurance and risk management advisory services to various constituents of the economy and public at large.

Inititives:-

- The Committee had organised six Eligibility Tests online, to enable the DIRM registered members to complete the requirement of Course to be eligible to appear in the Technical Examination to be held in November, 2022 onwards.
- The Committee had organised Eleven Virtual CPE Meetings, One Residential Refresher Course, One National Conference and Nine seminars on topics having professional relevance and interest, during the period covering

topics on "New Labour Laws: Impact on Business, Financial Services & Relevance for CAs", "Recent Trends and Development in Data Privacy Laws and Impact on Financial Services Sector & CA Profession", "New RBI Circulars and NBFCs Audit", "Preparation of Project Finance Report", "Overview of Statutory Bank Branch Audit, latest IRAC Norms / Circulars & Use of Excel in Analysis of Advances" among others

- The Committee has taken the initiative of organising awareness programme on Banking, Financial Services and Insurance Sectors, for the benefit of members and public at large.
- There were 5457 registrations to the DIRM as on 27th May, 2022.

5.4 Committee for Members in Practice (CMP)

The Committee for Members in Practice (CMP) of the Institute of Chartered Accountants of India is a non-standing Committee formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. The Committee for Members in Practice (CMP) of ICAI was formed with an objective to rejuvenate the Practice portfolio of Practitioners and CA Firms and has been undertaking dedicated endeavours towards that end.

In tune with the vision of ICAI the Committee has its motto for Capacity Building of CA Firms through consolidation and empowering Practicing Members by developing and upgrading their professional competence.

In line with Mission of ICAI to develop skilled professionals with competencies to service clients not only within India but across the globe that requires technical skills as also cross cultural appreciation and understanding of global needs, the Committee conducts workshops / conferences / seminars / certificate courses /brainstorming sessions/interactive sessions to develop ways & means to enhance the knowledge base of Members in Practice to enable them to manage practice in efficient manner and to assist them in identifying emerging and specialized service areas of practice.

The Committee had taken an initiative to arrange for Beneficial Products and/or services for Skill Development, Knowledge Management, Personal/Professional Security/Benefits etc. and such other products/services for professional growth and Development of Members, in association with various entities.

Committee took following Initiatives for the members during the Financial Year 2021-22:

(I) List of products provided for the benefits of Members of ICAI:

- **Insurance Products:** The Committee has tie up for ten Insurance products specially crafted for the Members of ICAI which includes Medical Insurance, Motor Vehicle Insurance, House Holder Insurance, Personal Accident Insurance, Office Protection Shield with New India Assurance, Group Term Insurance with LIC and Health Insurance, Top-Up Insurance, Group Poorna Suraksha from other reputed private companies.
- **Software Products:** In the rapid change in the profession and with the technological advancements over the period, the area of the services rendered by the Chartered Accountants has expanded considerably and the involvement of technology has significantly increased to render the services with ease and accuracy. These arrangements of software's at discounted rates assist our members to automate their offices at reasonable cost. There are many tie up with the Committee where the facility of free software's can be availed for two to three years period.

  The Committee has arrangements for sixteen software's includes Tally, Integrated GRC Product Suit Software, Simplify Practice Management Software, Papilio Software for Practitioners, XBRL Software, Antivirus Protection Facility, GST Annual Return Software, All-in-One Accounting Software, Eff Factor Software, TDS Software, CORDL Practice Management Software, Research Map Software, Automating Account Confirmations and Reconciliation Software, GST Software, Zoho Accounting Software, Count Magic Software.
- **Publications:** The Committee has a tie up with leading publishers and law house wherein our members may avail the special combo officers from a wide range of Tax, Commercial Laws and Budget publications at discounted rates.
- **Loan Facilities:** The Committee has arrangements for free lifetime credit cards from Bank of Baroda and SME Finance from State Bank of India.
- **Healthcare Services:** The discount are offered to ICAI members by leading Hospitals Like Medanta, Max Health Care, etc and Diagnostic and Related Healthcare Tests by Dr. Lal Path Labs.
- **Commercial and Travel Benefits:** The arrangements with Samsung Electronics and Travel portal have been made to extend the product and services at discounted rates.

Details of all the above arrangements are available at https://cmpbenefits.icai.org/

(II) Capacity Building Measures:

- **Development of Digital Audit Tools:**

It is very necessary that Small and Medium Practitioners to be equipped with the suitable technological advancement to enable them to discharge their responsibility more effectively and efficiently. It is worthwhile to note that that SMPs are having very limited financial resources and technical know-how to develop such tools at their end, and it would be more prudent if such tools/software's are developed by the ICAI and provided to them. This will also ensure standardization of practices. The Audit tools will be a breakthrough for the profession and will assist in scaling up the practice of Members.

The Committee is in process of Procurement of Such Software for the benefits of our members the process of which would be completed in due course.

- **Virtual Certificate Courses**

  - **Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning (WMFP)**

The objective of this course is to provide understanding of better financial approach to the members of the Institute. In order to encourage the Chartered Accountants to equip the principles of Management of Wealth as well as devising effective Investment Strategy. This course offers a vide coverage of practical procedural aspects and to construct a level to position as multidisciplinary financial consultants and intendeds to enlighten the members of the SMP segment & CA Firms. (30 Structured CPE hours)

  - **Certificate Course on Working Paper Management**

The objective of this course is to provide exposure to ease of doing practice to the members of the Institute. This course offers a wide coverage of aspects of the working paper management of a CA firm. (30 Structured CPE hours)

  - **Certificate Course on Preparation of Appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies**

This course objective is to enhance the competency level and practical procedural aspects of the members of the Institute. The course offers wide coverage of knowledge base in preparation of appeals, Drafting of Deed, Documents and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies (30 Structured CPE hours)

  - **Details of Virtual Certificate Courses conducted**

The Committee has conducted the batches for the certificate courses as follows:

Name of the Course	**No. of Batches Conducted**
Certificate Course on Wealth Management and Financial Planning (WMFP)	4
Certificate Course on Working Paper Management	4
Certificate Course on Preparation of Appeals, Drafting of Deed & Documents and Representation before Appellate Authorities and Statutory Bodies	1
Total	**9**

(III) Promoting Networking & other consolidation measures of CA firms-

Networking of Firms is a facility provided to CA Firms for collective association to share collective resources for providing better professional services making it available at multi location places. The Committee is promoting Merger, Networking, Practice in Corporate Form for Practitioners/CA Firm spreading knowledge by conducting 2 days Seminar on the same.

(IV) CPE Events of the Committee

- **Live Webinar**

The Committee for Members in Practice had organized 10 webinars on Bank Audit, Schedule III to the Companies Act 2013 and Auditors Report, Emerging Dimensions in Internal Audit and Code of Ethics, GST and Internal Audit etc.

- **Virtual CPE Meetings**

Keeping in view the pandemic and taking it as opportunity the Committee has conducted 74 Virtual CPE Meeting for the capacity building of our members. The various topics includes Building Successful Audit Practice & Writ Petition against notice u/s 148 when and for what, Maximizing wealth through Capital Market and role of CAs in next gen. startups, Faceless Assessments and Reassessments u/s 147 of income tax Act and recent judicial pronouncements and their implications in GST, Strategies for growth of CA Firms and Use of Going Concern in Contemporary Audit, Key Audit Considerations during and post Covid 19 and income tax implications on Share

Transactions, An insight of Valuation Provisions under GST and Transfer Pricing Audits, CARO and Schedule III of Companies Act 2013, IND AS and GST, Risk Management through Insurance for SMPs and learning from Disciplinary Cases etc.

- **National Conference/ National Seminar**

The Committee has conducted fourteen National Conferences and Seminars. One in physical mode. The Topics were GST and Networking Guidelines, MDP and Accounting Standards for Micro/ Small entities, Direct and Indirect Tax, Mentorship Programs for young Members, Women Members etc.

5.5 Continuing Professional Education Committee (CPEC)

Continuing Professional Education Committee (CPEC) has always taken ample initiatives to provide adequate opportunities to its members to boost their professional base. The CPE Committee visualizes the future needs of the society and gearing up the profession to cater to those needs, by encouraging the members to become "Thought Leader" who offers unique guidance, inspires innovation and influences others, based on his/her expertise and perspective in an industry.

The Committee also believes that members of ICAI should look beyond the traditional areas of practice and seek and explore new areas of business & profession and hence, the CPE Committee is mentoring the members by providing guidance through various workshops, Seminars, National Conferences, Background materials, etc. and simultaneously by encouraging young and dynamic professionals to grow as speaker/master of ceremonies, etc. in CPE programmes.

(I) Significant Achievements and Recent Initiatives of the CPE Committee

- **"Train the Trainers" programmes for development of faculty database by CPE Committee jointly with CECL&EA**

The CPE Committee and CECL&EA are organising "Train the Trainers" (Residential/Non-residential) programmes on PAN India basis to train the faculty to provide quality learning in Programmes of the Committee/Regional Councils/Branches at local level.

- **Re-constitution of CPE Regional Monitoring Committees and Interactive meet with CPE Programme Organising Units (CPE POUs)**

The Committee reconstitute the CPE Regional Monitoring Committees for the year 2022-23 in all 5 regions to Review the functioning of Regional Councils/Branches/CPE Study Chapters/CPE Study Circles and to discuss the issues raised/problems faced by them.

- **Issuance of ICAI Continuing Professional Learning Mechanism Brochure and Manual of VCM guidelines for All CPE POUs and also separate specific Manuals for various categories of CPE POUs**

A complete booklet focusing on ways and means to complete the CPE Hours through Structured Learning and Unstructured Learning Activities has been launched which also consists information about the importance of CPE, its global presence, Learning Network of POUs, CPE Hours requirements applicable to various categories of Members, Certificate Courses and Post Qualification Courses of ICAI, and also various links for direct access to the related information.

- **Implementation of decision with regard to formation of Unregistered AOP by CPE Study Circles & Chapters**

The Council of the ICAI, on the recommendations of the CPE Committee, had decided that henceforth the CPE Programmes shall be conducted through separate entities which are unregistered Association of Persons (AOPs) replacing the current structure of CPE Study Circles and CPE Study Chapters.

(II) CPE Statement

Contemporary with Global requirements & Practices, the CPE Credit Hours requirements for various categories of members as applicable from the current block of 3 years (1-1-2020 to 31-12-2022) are as under:-

Category of Members	CPE Hours requirement
Members (aged less than 60 years) who are holding Certificate of Practice (except all those members who are residing abroad)	120 (out of which minimum 60 CPE hours should be of Structured learning) -minimum 20 CPE credit hours of structured learning in each calendar year
Members (aged 60 years & above) who are holding Certificate of Practice	90 (either structured or unstructured learning) - minimum of 20 CPE credit hours either Structured

	or Unstructured Learning in each calendar year
Members (aged less than 60 years) who are not holding Certificate of Practice; and all the members who are residing abroad (whether holding Certificate of Practice or not)	60 (either structured or unstructured learning) -minimum 15 CPE credit hours either structured or unstructured learning in each calendar year

(III) IT Initiatives undertaken by the CPE Committee for Members & CPE Programme Organising Units (CPE POUs) :-

- **CPE Portal (www.cpeicai.org)**

CPE Portal manages entire gamut of CPE of ICAI for grant of Structured and Unstructured CPE Hours to members. Various functions of CPE Portal updated this year alongwith CPE Committee opened the online session "CPE Samadhan": a CPE – QnA e-Solution Forum https://www.cpeicai.org/cpe-qna/ where members can seek guidance on various CPE related issues and on various technical subjects.

- **ICAI-ICE : ICAI Interactive CPE Enabler**

The CPE Committee created awareness amongst members and CPE POUs for use of ICAI-ICE which is an ICAI Interactive CPE Enabler. Members may access ICE portal https://ice.icai.org for each of the CPE programme and may key in their queries before and during the Programme to get the answer during the session by the respective faculty related to his topic, depending upon availability of time.

(IV) Initiative towards Partner in Nation Building

- A global FinTech event "InFinity Forum" was organised by International Financial Services Centres Authority (IFSCA) on December 3 and 4, 2021 in Virtual Mode. IFSCA is a unified regulatory body to regulate financial products, financial services and financial institutions in IFSC's in India, established by the Government of India. CPE Committee encouraged Members and Students to participate in "InFinity Forum". The event was inaugurated by the Hon'ble Prime Minister of India and organised by IFSCA under the aegis of Government of India and in partnership with GIFT City & Bloomberg.
- As part of the country wide initiatives of the Government of India - Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM), to commemorate and celebrate 75 years of India's Independence, its glorious history and progressive growth track. ICAI as a Partner in National Building, is organising various CPE programmes in online/offline mode on Pan-India basis through its various CPE POUs.

(V) Major Events undertaken directly by CPE Committee

- **Online CPE Learning Series-** As a part of CPEC's initiative to provide an apt platform for the exchange of knowledge and ideas on emerging topics amongst the CA fraternity and with an aim to keep them well-informed about the changes taking place in relevant areas CPE Committee completed 2 Learning series of online CPE events Beating the Monday Blues and 360^{o} Learning Series – Wednesday – Words of Wisdom. Total 62 Virtual CPE Meetings (VCM) covering the topics such as Right to information Act-2005, Entrepreneurship and Stock Market, Insights of FCRA, AatmaNirbhar Bharat, Audit of MSMEs and IBC etc have been organised.
  The Committee has also started another Saturday Series of Virtual CPE Meetings for the members to grant Structured CPE hours. A total of 20 VCMs have been organised by the Committee granting a total of 30439 Structured CPE hours to 14842 members of ICAI.
- The CPE Committee had organised a "Three day virtual National Conference "Challenging the Challenges" on 11th -13th June, 2021, which was jointly hosted by Bilaspur Branch with Raipur & Bhilai Branch of CIRC of ICAI and more than 3850 members registered for the same. The Conference was graced by Hon'ble Chief Minister of Chhattisgarh State as Chief Guest of the programme.
- The CPE Committee had organised a "Two day virtual National Conference on Indian Constitution: Economic Laws & Taxation Laws" on 28th-30th December, 2021, which apprised members about the essence & relevance of the Indian Constitution to the Chartered Accountancy profession. This Programme was hosted by Ahmedabad Branch of WIRC of ICAI and more than 2400 members registered for the same. The Chief Guest of this Conference was Hon'ble Former Acting Chief Justice of Gujarat High Court.
- The Committee had organised "Two Day CPE National Conference – 2021 "Abhyudaya: Engage-Envision-Execute" on 26th-27th November, 2021, which was hosted by Bhubneswar Branch of EIRC of ICAI. The Conference was graced by Development Commissioner and Additional Chief Secretary, Govt. of Odisha as Chief Guest and Guest of Honour of the programme was Chairman cum Managing Director, NALCO. The event was also graced by Hon'ble President, ICAI in Virtual Mode.

- As a part of CPE Committee's endeavours to strengthen knowledge of members/Officials working with PSUs, the CPE Committee, jointly with Committee on Public and Government Financial Management had organised a "One day CPE Workshop on Accounting & Auditing of Public Enterprises" on 30th October, 2021, which was jointly hosted by Ranchi, Dhanbad and Jamshedpur Branches of CIRC of ICAI and attended by delegates from big PSUs like Coal India Ltd., Northern/Eastern/ Central Coalfields Ltd., Bharat Coking Coal Ltd etc. The Workshop was graced by Hon'ble President, ICAI in Virtual Mode.
- The CPE Committee organised "Two Day CPE National Conference on 12th-13th March, 2022, which was hosted by Agra Branch of CIRC of ICAI and more than 200 members participated for the same.

(VI) Members Education and Capacity Building

- **CPE Programmes directly by the CPE Committee –**

The CPE Committee organised 132 Physical and Virtual Programmes for the Members to empower and enhance learnings in diversified fields by adding to their skillsets they can offer.

- **Details of CPE Programmes organised by its POUs**

The CPE Committee of ICAI has a strong network base of 645 CPE POUs spread in all over India and Abroad for organisation of CPE programmes and also for helping the members in mofussil/remote areas to undergo CPE activities.

○ **Total CPE Programmes for the benefit of Members**
9904 CPE Programmes were organised for the Members across the country (includes 2381 CPE Programmes in Physical mode from 1st April, 2021 to 30th June, 2022), by the CPE Programme Organising Units of ICAI on various topics of professional interest.

○ **Refresher Courses**

140 Refresher Courses were organised by Central Committees/Board on various topics i.e., GST, FEMA, Accounting Standards, Income Tax Appellate Proceedings, Advanced Excel & Data Dashboard, Data/Forensic Analytics using CAAT Tools, Technology Audit in SAP Environment, Practical Guide to ISA & Data Analysis and Visualisation with Microsoft Excel Power Tools and Power BI.

○ **National Level CPE Programmes and other Important Events were held from 1.4.2021 to 30.6.2022**

Sl. No.	Type of CPE Programme organized	(from 1.4.2021 to 30.6.2022)
1.	Live Webcasts/Webinars by various POUs of ICAI	218
2.	Certificate Courses for the Members by Central Committees of ICAI	155
3.	Post-Qualification Courses by the Central Committees of ICAI	50
4.	National level by Central Committees/Board of ICAI and hosted by the Regional Councils/Branches of ICAI	80
5.	Foreign Languages in online mode – French and Spanish	22
6.	Batches of Pre-registration Education Course by ICAI RVO	12
7.	Batches of Pre-registration Education Course by IIIPI	11

(VII) Supporting Society – Commitment to Nation

ICAI organises various other programmes supporting the initiatives of the Government for effective implementation of the same in various parts of the Country through its strong Network base of CPE Program Organising Units. Major CPE Programmes organised are:-GST and GST Audit, MSME, Ease of doing Business in India, Start-ups, Ethical Standards, Code of Ethics, Professional Ethics, Companies Act, CARO 2020, Investor Awareness, Insolvency and Bankruptcy Code, RERA, Ind AS, Standards on Auditing, Faceless Assessments, Blockchain Technology, Artificial Intelligence, Robotics, Digital & Crypto Currency, Soft Skill Stress Management, Lifestyle Management where Yoga is way of life, Work Life Balance, Business, Banking and Insurance, Financial Services, Sustainability, Demonetization, Black Money, Benami Transactions and Undisclosed Income.

5.6 Corporate Laws and Corporate Governance Committee (CL&CGC)

The Corporate Laws & Corporate Governance Committee has the vision to become an instrument for the empowerment of the profession as well as to accelerate & facilitate a fair corporate regime with the best global practices. The Committee has been making collaborative efforts with the government to strengthen the regulatory framework and regularly interacting with the Ministry of Corporate Affairs and submitting representations/ providing suggestions/ giving inputs regularly on various issues concerning the Companies Act 2013. The Committee aims at updating the knowledge of members relating to corporate laws.

Significant Achievements and Initiatives

(I) Representations/Suggestions/Recommendations to MCA/SEB

- **The Companies Act, 2013**

The Committee regularly interacts with the Ministry of Corporate Affairs for smooth implementation of the Companies Act 2013. The Committee submitted the following representations/ inputs/ opinions/ suggestions to the Ministry of Corporate Affairs.

Representations

- ICAI Recommendations on Consultation Paper on Review of Regulatory Provisions related to Independent Directors issued by SEBI.
- Request to provide clarification on the applicability of provisions of Rule 11 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, to include additional other matters in the Auditor's Report.
- Detailed Study on the Regulatory and operational Framework for Incorporation of Foreign Companies.
- ICAI concerns on the NFRA Consultation Paper on "Enhancing Engagement with Stakeholders" and on the one-sided working of NFRA.
- ICAI Comments and Recommendations on the NFRA Consultation Paper on "Enhancing Engagement with Stakeholders".
- Returning of "Revision of Existing Accounting Standards: Approach Paper (2020) prepared by ICAI" by NFRA and
- Issuance of NFRA Consultation Paper on "Statutory Audit and Auditing Standards for Micro, Small and Medium Companies
- Returning of "Revision of Existing Accounting Standards: Approach Paper (2020) prepared by ICAI" by NFRA and
- Issuance of NFRA Consultation Paper on "Statutory Audit and Auditing Standards for Micro, Small and Medium Companies.
- ICAI Recommendations on Review of Remuneration Structure of Independent Directors (IDs) under the Companies Act, 2013
- Suggestions regarding Server to be kept in India as per Section 128 of the Companies Act 2013 and International position
- Representation in relation to data requirements of Struck off Companies.
- Relaxation of reporting requirements by IFSC companies in foreign currency instead of the Indian Rupee.
- ICAI Suggestions for letter received from National Real Estate Development Council (NAREDCO) regarding anomaly in the method of calculation of dividend for distribution under Section 123 (2) of the Companies Act, 2013 and REIT Regulations, 2016

- **Membership of various Committees and Groups**

- ICAI is a member of Governing Council of the National Foundation for Corporate Governance (NFCG)
- ICAI is a member of the Sub-Group (2) to examine the suggestions about streamlining the Companies Act, 2013
- ICAI is a member of the Secretarial Standards Board (SSB) constituted by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI)
- ICAI is a member of the Committee for drafting Appendix to the Investigation Manual of Serious Fraud Investigation Office
- ICAI is a member of the Working Committee for streamlining working under the Companies Act, 2013
- ICAI is a member of the Group to examine the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014
- ICAI is a member of the Group for Scope of Limited Review and Related Procedure constituted by SEBI
- ICAI is a member of the Company Law and Corporate Governance Committee of PHD Chamber of Commerce and Industry
- ICAI is a member of the Expert Group on Secretarial Standards of ICSI

(II) Supporting Ministry of Corporate Affairs in smooth transition and functioning of MCA 21 v3 Portal

MCA Support Project for Version 3 launch is a flagship initiative of the CL&CGC for the year 2022-23. This would be a first-of-its-kind project where ICAI is working closely with MCA, on a daily basis for enabling a smooth transition. V3 version was significantly enhanced in terms of governance requirements and keeping with the need of the times. This is a large business process change and hence there are challenges in implementation.

The following steps are being undertaken:

- User Acceptance testing in the 1st week of March for LLP Forms filings, issues reported to MCA.
- A google link has been set up where members and users can log in their complaints.

- Review Meeting with MCA with respect MCA 21 Version 3 Portal for LLP Filings
- ICAI also conducted 11 webinars with over 20000+ registrations since March 2022 to till date. The queries received have also been consolidated
- ICAI has also enabled 2 Chat room sessions where members were invited to present their problems on Form 11 which is due for filing by May 30, 2022.
- Train the Trainer Event in May 2022 to create awareness on the MCA 21 Version 3 Portal for LLP filings, wherein around 80 professionals have been identified and trained to undertake trainings (virtually)across various parts of the Country.
- Branch Elected Representatives meet was held in May 2022 wherein President ICAI and JS MCA addressed all elected representatives of ICAI to create awareness amongst their region to enable smooth implementation of MCA-21 Version -3 Portal for LLP Filings and to expedite filings for timely compliance.
- Awareness programs on the MCA 21 Version 3 Portal for LLP filings have been conducted across the Country. As on date 14 programs have been conducted
- Alerts on MCA 21 v3 circulated and updated on ICAI Website- The Committee has hosted following Alerts on ICAI website for clear understanding of certain basics about MCA v3 Portal:

  - ✦ Basics of MCA v3 Portal
  - ✦ Alert 1- AO codes in MCA v3 Portal
  - ✦ Alert 2- Payment Proofs
  - ✦ Alert 3- RUN (V2- Registered User) - FiLLiP (V3- Business User)
  - ✦ Alert 4- How to login to MCA V3 Portal, if registered vide DSC in MCA V2 Portal
  - ✦ Alert-5 on DSC Association
  - ✦ Alert-6 on Steps to be undertaken: If error shows "Form already filed"
  - ✦ Alert-7 on Error: User is already logged in
  - ✦ Alert-8 on Error: Details of the Practicing Professional is not valid

(III) User Acceptance testing of MCA 21 v3 for Company Forms Filing-

A special task team has been formed at the directions of the President based on the request from JS- MCA and is being led by Chairperson CL&CGC to undertake extensive UAT of all the webforms of the Company Module on MCA 21 v3 Portal.

(IV) Suggestions and Recommendations of ICAI on the Report of the Company Law Committee dated 21st March 2022 Issued by the Ministry of Corporate Affairs-

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has constituted Company Law Committee (CLC) to make recommendations to the Government inter alia on changes aimed at facilitating and promoting greater ease of doing business in India and effective implementation of the Companies Act, 2013, the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the Rules made thereunder.

The Ministry has invited suggestions on the recommendations of Report of the Company Law Committee (2022) from the stakeholders.

ICAI Suggestions and Recommendations on the Report of the Company Law Committee were submitted to MCA.

(V) Access to NeSL utility to strengthen the audit process and better Corporate Governance-

National e-Governance Services Private Limited (NeSL) is the only Information Utility registered and regulated by the IBBI; wherein all financial creditors submit their debt information to this utility as it has been mandated under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. At the meeting of the CL&CGC a presentation was made by NeSL.

The Committee decided to undertake this initiative jointly with Committee for members in practice. Full Access to the information of IU in respect of client Company as reported by their Creditors with consent of the Corporate Debtor is provided to members without any cost.

(VI) Access to Corporate Information through Probe Information Services-

As a joint initiative of CL&CGC and CMP ICAI has entered into a tie up with an Online platform provided by Probe Information Services which makes relevant corporate information which is available in MCA records available on call. Basic details of all corporates can be obtained for free and only detailed search by unlock option is charged for the CA user at a concessional rate.

(VII) ICAI Recommendations on Consultation Paper on Review of Regulatory provisions related to Independent Directors issued by SEBI

The Securities and Exchange Board of India (SEBI) had issued a Consultation Paper on "Review of Regulatory Provisions related to Independent Directors" on 1st March 2021 seeking views on proposals including broadening the

eligibility criteria for IDs, process of appointment / re-appointment and removal of IDs, enhancing transparency in the nomination and resignation of IDs, strengthening the composition of Board Committees, etc.

Detailed recommendations of ICAI on the Consultation Paper have been submitted to SEBI in April 2021.

(VIII) Suggestions regarding Investment Clearance Cell (Single Window System)- Initiative by the Government for Simplification of the process of applying for regulatory approvals for the investor with a view to improve the EoDb rankings

The Ministry of Corporate Affairs with a view to improve Ease of Doing Business Rankings is working towards collating the feedback of Stakeholders on the ground with regard to the Incorporation of Company/ Foreign Company through SPICE +. In this regard, a detailed document was prepared capturing various provisions that are applicable on foreign company, FAQs, Issues and International Position for incorporation of a Foreign Company and the differences in requirements of documents in various countries. The same was submitted to MCA.

(IX) ICAI Comments and Recommendations on the Consultation Paper issued by National Financial Reporting Authority (NFRA) on Enhancing Engagement with Stakeholders

The NFRA has issued a Consultation Paper in June 2021 on enhancing the engagements with the Stakeholders, for which a Technical Advisory Committee (TAC) has been set up by NFRA to, inter alia, provide it with inputs from the perspective of users, preparers, and auditors of financial statements; and advise on suitable methods for promoting awareness relating to compliance with accounting and auditing standards.

In this regard, ICAI Comments and Recommendations on the Consultation Paper issued by National Financial Reporting Authority (NFRA) on Enhancing Engagement with Stakeholders were submitted to NFRA in July 2021.

(X) Capacity building programme for Directors of Central Public Sector Enterprises'

The Committee has received request from Department of Public Enterprises, Ministry of Finance to organize Capacity building program for Directors of Central Public Sector Enterprises in the area of "Audit Committee Effectiveness".

The DPE as part of its recommendation by the Department related Parliamentary Standing Committee on Industry in their 290th report on "Professionalization of Boards of CPSE" is required to skill members of Audit Committee of CPSEs.

In this direction, the Department of Public Enterprises, Ministry of Finance has collaborated with the Institute of Chartered Accountants of India to organize various Capacity Building programme for Directors of Central Public Sector Enterprises in the area of "Audit Committee Effectiveness

In this regard the Committee had organized the following trainings wherein around 300 Independent Directors of various PSU's had participated.

- 22nd December 2021
- 28th January 2022
- 22nd March 2022

(XI) Strategic Alliance Review with IICA to enhance the reach of Independent Directors Databank

MCA in association with IICA had introduced a new initiative on Independent Directors' Databank Portal in December 2019.

In this regard, IICA has entered into an agreement with the Institute of Chartered Accountants of India through "Exchange of Letters Agreement" (EOLA) to come together and share respective expertise for development of Independent Directors by identifying and implementing certain development initiatives. Reference materials pertaining to Independent Directors are made available at the ICAI page on IICA website.

(XII) Committee constituted to review public comments on consultation paper on enhancement of audit independence and accountability

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has constituted a committee to examine the comments received on the consultation paper floated by it for enhancing audit independence and accountability in the country.

The President ICAI is a member of the Committee and is participating in the meetings. The Committee has held various meetings during the year 2021-22.

(XIII) Detailed Study on the Regulatory and operational Framework for Incorporation of Foreign Companies.

The Government has decided to simplify the process of applying for regulatory approvals for the investor and at the same time minimize uncertainty associated with the time it takes to obtain required regulatory clearances and in-turn reduce the overall risk of starting business in India.

In this regard, a detailed document has been prepared capturing various provisions that are applicable on foreign company, FAQs, Issues and International Position for incorporation of a Foreign Company and the differences in requirements of documents in various countries. The same has been submitted to MCA in June 2021.

(XIV) Publications

- Guidance Note on Division I, II and III to Schedule III to the Companies Act, 2013
- Technical Guide on Incorporation of Foreign Companies in India-
- Booklet on Relaxation from Regulatory Compliances due to outbreak of Covid-19 pandemic- Series II
- Technical Guide for Easy Incorporation of Companies through SPICe+-

(XV) Updates for professional development of members relating to Corporate Laws

The Committee regularly issues series of update for members towards professional development which includes updates on the Corporate Laws.

The 41st issue of updates up to 31st January 2022 been uploaded on ICAI Website.

Further, several announcements/ analysis of various amendments governing corporate laws have been prepared and uploaded on ICAI website for creating awareness amongst members.

(XVI) Frequently Asked Questions (FAQs) on various Schemes introduced by the Ministry of Corporate Affairs

The Ministry of Corporate Affairs had introduced various schemes for providing relief to companies amid the pandemic-induced disruptions. In this regard for the benefit of its members and stakeholders the Committee had prepared Frequently Asked Questions (FAQs) on the schemes and uploaded the same on the ICAI website.

The list of Schemes for which FAQs have been uploaded are as follows:

- FAQs on Circular regarding Relaxation of time for filing forms related to creation or modification of charges under the Companies Act, 2013 issued by the MCA on 03.05.2021-Revised
- FAQs on Circular regarding Relaxation of time for filing forms related to creation or modification of charges under the Companies Act, 2013 issued by the MCA on 03.05.2021
- FAQs on the Scheme for relaxation of time for filing forms related to creation or modification of charges under the Companies Act, 2013 issued by the MCA on 17.06.2021

(XVII) Programmes/Conferences/Webcast/Courses

1	**National Conferences**
iv.	Two-day National Conference on Corporate organized by CL&CGC and hosted by EIRC on 10th and 11th June 2022.
v.	National Conference on Corporate Law organized by CL&CGC and hosted by Mumbai Branch of WIRC, ICAI from 27th June to 30th June 2021.
vi.	National Virtual Conference on Corporate Law organized by CL&CGC from 14th June to 17th June 2021.
2	**Virtual CPE Meetings**
iv.	Series of Virtual CPE Meetings on Understanding the new way of e-filing for LLP on MCA21 Version-3 portal organized by CL&CGC ICAI jointly with the Ministry of Corporate Affairs. The Committee conducted 13 VCMs on MCA-21 Version 3- Guidance for LLP Filings in March/ April and May, 2022.
v.	The Committee also conducted 13 VCMs and Interactive Meetings on various topics related to Corporate Laws.
vi.	Series of Virtual CPE Meeting on topics related to Companies Act, 2013/ Corporate Laws • The first VCM as part of this series, was held on the topic "Duties and Responsibility of Independent Directors including Women Directors under Companies Act, 2013" on 11th June 2021. • The second VCM as part of this series, was held on the topic Recent Amendments in section 135 and Related Rules under the Companies Act, 2013 on 18th June 2021. • The third VCM as part of this series, was held on the topic Loans Advances, Deposits and Inter Corporate Loans under the Companies Act, 2013 on 25th June 2021.

3	Seminar /Refresher Course/Workshops etc
i.	The Committee conducted 12 Seminar /Refresher Course/ Workshops etc in March/ April and May, 2022 on various topics related to Corporate Laws.
4	**Webinar/Webcast**
i.	Live Webinar on "Clause by clause analysis of Amendments in Schedule III to the Companies Act 2013 and CARO 2020" on 11th April 2021 by CL&CGC, ICAI.
ii.	Live Webcast on Role of Independent Directors and Discussion on the Consultation Paper issued by SEBI on Review of Regulatory Provisions related to Independent Directors on 8th April 2021 by CL&CGC, ICAI in association with IICA.

5.7 Direct Taxes Committee (DTC)

The Direct Taxes Committee (DTC) of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is one of the important Committees of the ICAI which is engaged in the matters related to direct taxes and makes representations to the Government, Central Board of Direct Taxes and at other appropriate forums from time to time on various legislative amendments and issues concerning direct taxes. One of the main activities of the Committee is to disseminate knowledge and honing skills of the membership in the area of direct taxation by way of bringing out new publications and revise the existing publications, organizing seminars, webinars, conference programs etc.

(I) REPRESENTATIONS SUBMITTED BY THE COMMITTEE:

The Committee has been submitting various representations to the CBDT from time to time. Some of the matters represented to CBDT are:

- Submission of representation requesting to consider issuing a benevolent Circular or making appropriate amendments for promoting private sector investment in the healthcare segment and to raise adequate funds by NGOs dedicated to healthcare.
- Certain representations were submitted w.r.t. amend Schedule to the Tribunal, Appellate Tribunal and other Authorities (Qualifications, Experience and other Conditions of Service of Members) Rules, 2020 – Need to lower the minimum qualification period of 25 years applicable to Chartered Accountants to be eligible as Accountant member to 10 years as applicable to an advocate to be eligible as a judicial member & reduction of minimum age limit of 50 years in the Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021 dated 04.04.2021.
- Submission of representation related to concerns of ICAI w.r.t new e filing portal functionality providing option to assessees to remove name of CAs (with reasons) & Issues in simultaneous application/availability of section 10(23C) and section 11 to an assessee.
- Submission of representation requesting to consider waiver of penalty for delay in furnishing of Report of Audit under any provision of the Income-tax Act, 1961 for the A. Y. 2021-22.
- Certain representations were submitted w.r.t issues being faced by stakeholders in furnishing of Reports of Audit under any provision of the Act for the A. Y. 2021-22.
- Submission of representation requesting to consider allowing condonation of delay in filing/submission of Form no. 10-IC for AY 2020-21 (applicable to corporate assessees opting for concessional rate of taxation uls 115 BAA) by using powers uls 119.
- Submission of representation requesting to release E-books of Income-tax Act, 1961 and Income-tax Rules, 1962 on the website of Income-tax department.
- Submission of representation regarding Faceless Appeal Scheme - Process for receiving Orders of Appeals under Faceless Appeals Scheme 2020.
- Certain representations were submitted for enabling rectification/revision window on the e filing portal for Orders issued by CIT(Appeals)
- Submission of ICAI's Inputs on Form No. 3CD.
- Submission of representation requesting to rectify online e-filing utility of Form No. 3CD wherein a particular clause 35 is not in line with Notified Form 3CD.

(II) MEETINGS WITH THE MINISTRY/CBDT

- Under the leadership of former President, ICAI, DTC had a meeting with Finance Minister, CBDT and Infosys team on 22nd June ,2021 wherein substantial number of problems were discussed w.r.t E-filing portal. The compiled issues on e-filing portal were sent well in advance to the CBDT for consideration & necessary action. Suggestions/ input by ICAI was duly praised by the FM.
- A meeting of the ICAI officials headed by Chairman, DTC and officials from Systems team of the CBDT headed by ADG(S)-3, CBDT took place on 13.12.2021. The basic agenda was to understand timeline for seamless functioning of the portal and any further help expected from the ICAI. ICAI officials basically wanted to understand when the portal will work seamlessly. Several issues w.r.t E- filing portal were discussed in the said meeting.

- A meeting of former President, ICAI, the then Vice-President, ICAI & Chairman, Direct Taxes Committee of ICAI was held with Hon,ble Union Minister of States, Finance on 5th August, 2021 to discuss the issues w.r.t direct taxes & the way forward for the same.

(III) ACTIVITIES RELATING TO UNION BUDGET

- Submission of Pre-Budget Memorandum, 2022 to the Government vide ICAI/DTC/2021-22/ Rep-12 dated 13th November 2021.
- Submission of Post-Budget Memorandum, 2022 to the Ministry of Finance.
- Publishing Budget articles in the CA Journal.

(IV) OTHER INITIATIVES

- **Publications**
  - ✦ Handbook on Statement of Donations Received
  - ✦ Technical Guide on Reconstitution of Firms
  - ✦ Technical Guide on Appeal before CIT(A)-Part I & Part-II - FAQ on Technical Guide on Appeal before CIT(A) - Part-II.
  - ✦ Technical Guide on Virtual ITAT Proceedings
- Technical Guide on Taxation of HUFs
  Regular updation of the ICAI website on matters pertaining to the Direct Taxes like circulars, notifications, press releases, orders etc. notified by CBDT from time to time. The Committee also makes monthly contribution of the significant circulars, notifications, press releases, orders etc. issued by CBDT in the CA Journal.
- **Online Refresher Course on Direct Taxes was organised by the Committee.**

Keeping in mind the objective of augmenting the knowledge of the members in discharging their professional duties in a better and effective manner DTC organized two batch of refresher course in July and august 20021 respectively. The same was attended by about 325 participants.

- **Release of Tax Times on monthly basis.**

The Committee started publishing tax times on first day of every month since 1st July,2021 with the view to update members on regular amendments in direct tax, new circulars, notification issue by CBDT time to time.

(V) SEMINARS / CONFERENCES / TAX AWARENESS PRORAMMES /WORKSHOPS

The Committee organizes various seminars, webinars, conference program to disseminate knowledge amongst all the members and concerned shareholders on the new amendments in tax laws, pertinent topics with the aim to provide clarity in topics by removing the ambiguities to the professionals.

The Committee organized various seminars/conference/webcasts/ etc. on topics related to Direct Taxes during the period:

- Live Webcast on “Supreme Court Judgement on Section 148 of the Income-tax Act, 1961 and its Way Forward”,
- Live Webcast on “Issues in Section 148 of the Income- tax Act, 1961 and its way forward (supreme court decision and it’s implications also)”,
- Live Webcast on “Charitable Institutions - New Law on Exemption & Taxation,
- Live Webcast on “Panel Discussion on Practical Aspects of Tax Audit under Income-tax Act, 1961-”,
- VCM on “Deductions under Chapter VI A of Income-tax Act”,
- Virtual CPE meeting (VCM) on Chapter V- Clubbing of Income”,
- Virtual CPE meeting (VCM) on “Income from House Property”,
- Live Webcast on " Issues in Faceless Assessment
- Live Webcast on Faceless Assessment & Emerging landscape in taxation laws and tax litigation,
- “VCM on Finance Bill 2022” , VCM on “Analysis of Union Budget 2022”,
- Webinar on Panel Discussion – Understanding salient features of Union Budget 2022 (Taxation),

5.8 Committee on Economic, Commercial Laws and Economic Advisory (CECL&EA)

The Committee on Economic, Commercial Laws & Economic Advisory (CECLEA), in line with one of the Institute’s objectives "Partners in Nation Building” and with a vision to contribute to economic development of India, aims to undertake such activities to technically equip/broaden the scope of expertise of the members to enable them to derive advantages in the rapidly changing scenario and to enable the members to render various business advisory and support services. The Committee’s mandate inter alia includes serving the multi-functional task of Analysis,

Knowledge dissemination, inputs to regulators on policy formulation, organization of various programs on contemporary issues and certificate courses in the fields of Economic & Commercial Laws.

In pursuit of economic prosperity, progressive organizations need future-focused advisors to help them navigate complexity and deliver positive impact. The CECLEA of ICAI is focussed to encourage Chartered Accountants to shape strategy and policy that unlocks economic, financial and social value, while combining analytical foresight with commercial acumen. One of the core areas of CECLEA is to develop and publish Technical Guidance, Background Materials/Reports, Guides, Commentaries, References, Publications, etc. and to create awareness for professional opportunities for Chartered Accountants in Economic Growth and to suggest various measures for accelerating globalization of Indian Economy.

Significant Achievements and Initiatives

- **Partner in Nation Building:-**

  - During the year the Committee had submitted a representation to Ministry of Home Affairs with a request for giving extension of time for submitting FCRA Annual Return Form C-4 through the designated portal; giving relaxation to submit Form C-4 off-line and waiving penalty for late/off-line submission of the same.

  - Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM) Activities:

  As part of the country wide initiatives of the Government of India - Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM), to commemorate and celebrate the 75 years of India's Independence, the Committee organized many virtual programs for the benefit of the members and other stakeholders covering FDI, Disciplinary and regulatory mechanism of SEBI, Role of CAs in Food Industry, Recover Delayed payments under MSME Act, Real Estate Sector, Induction in Civil Services, Future of US Dollar & Economics of War, etc.

- **Members Education and Capacity Building:-**

  - **Webinars for grant of Unstructured CPE hours**

  Post Covid-19 situation, all Central Committees continued to organize webinars for grant of Unstructured CPE Hours only. The Committee organized total 8 webcasts granting unstructured CPE hours to the members of ICAI.

  - **Virtual CPE meetings for grant of Structured CPE hours**

  The Committee organized various VCMs for members covering areas of Economic & Commercial laws and Economic Advisory, such as Benami & Anti-Money Laundering Laws, RERA, Business planning & Compliances for Start ups, Intellectual Property Rights (IPRs), Opportunities in Mergers & Amalgamations, Annual Compliance under Co. Act 2013, Comprehensive Approach to FEMA, How to Start & Increase Exports, Corporate Governance, Overview of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010, etc. A total of 46 Virtual CPE Meetings have been organised by the Committee granting a total of 69177 Structured CPE hours to 32,900 members of ICAI.

- **Refresher Courses**

The Committee organized the following Online Refresher Courses:

- 4th Batch of Refresher Course on FEMA & FDI in July 2021 : attended by 128 participants
- 3rd Batch of Refresher Course on RERA in August 2021: attended by 142 participants
- 1st Batch of Refresher Course on Real Estate Sector in August 2021: attended by 110 participants

- **Certificate Courses**
  - **Certificate Course on Anti Money Laundering Laws (Anti Money laundering Specialists)**
    - Online Certificate Course on Anti- Money Laundering Laws (Anti Money Laundering Specialist)- Batch 1 held on 5th, 6th, 9th, 10th 11th 12th, 15th, 16th & 18th June 2021.
    - Online Certificate Course on Anti- Money Laundering Laws (Anti Money Laundering Specialist) – Batch 2 held on 1st, 2nd, 3rd, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th & 17th September 2021.
  - **Online Certificate Course on ADR (Arbitration, Mediation & Conciliation)**
    Online Certificate Course on ADR (Arbitration, Mediation & Conciliation) Batch-2 on 22nd 23rd, 24th, 25th, 26th, 28th, 29th, 30th June 21, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 9th July 2021.

- **Physical Seminars**

The Committee organised two seminars on RERA and Intellectual Property Rights on 25th May, 2022 and 11th June, 2022 at Vadodara and Rajkot, respectively.

- **Publications**

The Committee updated/revised the following Background Materials:

- ✦ BGM of Certificate Course on ADR
- ✦ BGM-Vol-II of Certificate Course on AML

- **Celebrating International & State Days**

The Committee has organised CPE programmes to mark International & State days, given below, to provide focused learning and creating awareness on most relevant and contemporary topics for modernizing knowledge of members of our fraternity:

- ✦ Rajasthan Day on 17th April, 2022
- ✦ Intellectual Property Rights on 26th April, 2022
- ✦ RERA on 1st May, 2022
- ✦ Labour Day on 1st May, 2022
- ✦ World Environment Day on 5th June, 2022
- ✦ Food Safety Day on 7th June, 2022

- **Programs with Authorities/Regulators**

The Committee organised Seminar on "Competition & Consumer Laws", in collaboration with Competition Commission of India, hosted by WIRC of ICAI on 27th May 2022 at ICAI Tower, Bandra-Kurla Complex, Mumbai.

- **Series of Virtual Events on Specific Topics**

The Committee has organised Series of Virtual Events to provide comprehensive & focussed learning in the below areas:

- ✦ Virtual Series on Research
- ✦ Comprehensive Approach to FEMA
- ✦ Real Estate Sector Laws

The recordings of all Virtual CPE events are available at www.icaitv.com

5.9 Digital Accounting and Assurance Board (DAAB)

ICAI has constituted "Digital Accounting and Assurance Board" (DAAB) for fostering a cohesive global strategy on aspects related to Digital Accounting and Assurance, through sharing of knowledge and practices amongst members. DAAB is endeavoring to identify, deliberate and highlight on issues in accounting and assurance issues in Digital World. DAAB is developing knowledge base through position papers and articles on issues related to impact of technology on accounting and assurance. Research on potential impact of Artificial Intelligence, Robotics Process Automation, Blockchain, Cloud Computing and Big Data on accounting and assurance is being undertaken to develop concept papers. The purpose is to help chartered accountants expand their knowledge and enhance their skills in new areas of digital era.

(I) Significant Achievements

- **Post Qualification Course on Information Systems Audit**

Post Qualification Course on Information System Audit (DISA), conducted by the Board, was started in the year 2001 to upskill Chartered Accountants in Information Systems Audit which was in increasing demand. DISA course combined technology, information assurance and information management expertise that enabled a DISA qualified Chartered Accountant to become trusted Information Technology advisor and provider of Information Security Assurance services. From 2001 till date more than 32,162 members have qualified this Course. DISA was also conducted at Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka and Institute of Chartered Accountants of Nepal. Digital Accounting and Assurance Board had also updated the syllabus for the Post Qualification Course on Information Systems Audit. Total 44 virtual batches were organized during the mentioned period.

- **Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection**

The Board conducts "Certificate Course on Forensic Accounting and Fraud Detection", and till date around 10,715 members have qualified this Course. The objective of this specialized Course is to help the chartered accountants attain skill of utilizing accounting, auditing, CAATs/ Data Mining Tools, and investigative skills to detect fraud/ mistakes. 39 batches had been conducted during the mentioned period.

(II) Publications Issued

- **Compendium on Forensic Accounting and Investigation Standards**

Released Compendium on Forensic Accounting and Investigation Standards in August 2021 with 23 Standards which gives ICAI members an overview of the domains of Forensic Accounting and Investigations, how to undertake projects and assignments in these areas, how to conclude the work and finally how to report the findings to relevant stakeholders.

- **Concept Papers on:**
  - ✦ Robotic Process Automation- Opportunities and challenges for Accountancy Profession (2021)
  - ✦ Blockchain Technology- Adoption and implications for Accountancy Profession (2021)
  - ✦ ABCD of Technology
  - ✦ A Guide to Internet of Things- Basics & Applications
  - ✦ Guide to Cloud Computing (July 2021)
- **The Board had launched the following eLearning capsule courses at digital learning hub of ICAI:**
  - ✦ **Data Consolidation and Analysis in Microsoft Excel**
  - ✦ **Tabular Data to Table in Excel**
  - ✦ **Excel beyond numbers**
  - ✦ **Logical to Lookups in Excel**
  - ✦ **Pivot Tables in Excel**
  - ✦ Gamified series on Post Qualification Course on Information Systems Audit 3.0

(III) Joint Conclave on Forensic Accounting and Fraud Investigation with National Forensic Sciences University (NFSU)

The Institute had entered in MOU with The Gujarat Forensic Sciences University (Now National Forensic Sciences University) Within the scope of collaboration and as an initiative, the Board is going to organise a Joint Conclave on Forensic Accounting and Fraud Investigation at their Gandhinagar Campus on 2nd and 3rd September 2022. Conference aims to highlight in the areas pertaining to Forensic Accounting, Fraud Detection, Digital Forensics, and other related areas pertaining to the professionals in said field.

- Digital Accounting and Assurance Board had formed a group of experts for coming out with a Guidance Note on Forensic Accounting and Investigation standards for better understanding and outreach of the Standards among the stakeholders. This group will also work on finalizing the syllabus for the Advanced Practical Training Program in Financial Forensic Accounting and Fraud Investigation
- The Board had formed a group for doing a Study on Cryptocurrency where a Concept paper shall be developed covering all the aspects relating to Cryptocurrency like regulations, Taxation matters, Strategies, Security issues etc.

(IV) Webinars, Virtual CPE Meetings, Executive Development programmes, National Conferences conducted by the Board

- **Webinars:**
  - ✦ Data Analytics & Documentation for Bank
  - ✦ Progress and Policy over the years- Need for Forensic Accounting and Investigation Standards
- **Virtual CPE Meeting:**
  - ✦ Journey to Cloud - How to separate Hype from Reality
  - ✦ IT Systems Audit and New Avenues of Practice in Digital Era
  - ✦ ABCD of Technology
  - ✦ Cyber Security-New Avenues of Practice
  - ✦ Big Data and Data Privacy
  - ✦ How to Crack ISA Assessment Test

- ✦ Leading the world in Forensics- Worlds first Forensic Standards
- ✦ Digital Forensics and Information Systems Audit
- ✦ Last minute Marathon- Revision of ISA Exam
- ✦ Digital Assurance
- ✦ Riding the Technology wave by Chartered Accountants
- ✦ Forensic Perspective- NPA Crisis: Understanding the Debt Game
- ✦ Blockchain Technology

- **Executive Development Program:**
  - ✦ Data Analysis and Visualization with Microsoft Excel Power Tools and Power BI
  - ✦ Forensic Analytics using CAAT Tools
  - ✦ Advanced Excel & Data Dashboard
  - ✦ Practical Guide to ISA
  - ✦ Opportunities in Data Analytics for Chartered Accountants
- **National Conference:**
  - ✦ Three days National Conference on Information Technology jointly with Pune Branch of WIRC of ICAI from 2nd to 4th July 2021.
  - ✦ Three days National Conference on "Office Automation in Case of Small and Medium Practitioners jointly with CIRC of ICAI from 15th to 17th July 2021.
  - ✦ Three days Virtual National Conference on Digital Accounting- Transforming Accounting Profession from 16th to 18th August 2021.
  - ✦ Virtual three Days National Conference on ABCD of Technology on 6, 7 and 8 October 2021 with Calicut.

5.10 Ethical Standards Board (ESB)

The ICAI brought the first edition of the Code of Ethics then called 'Code of Conduct' in 1963, which contains the provisions to enable Chartered Accountants to meet their responsibility to act in the public interest. The "*Code of Conduct"* was essentially a set of professional ethical standards regulating the relationship of Chartered Accountants with others. The '*Code of Conduct'* , was called as *'Code of Ethics'* for the first time in its ninth edition in 2001. Since its first edition the Code has been constantly updated from time to time to fine tune it with the changes in legislation, ethical and professional standards. The professional ethics for members prescribe required standards of behavior based on the ethical principles and it is also intended to set out what is expected by the society. In Accounting profession, the public interest is a distinctive characteristic. Chartered Accountant's responsibility is not exclusively to meet the expectations of an individual client or employing organization but of variety of stakeholders also including the very important stakeholder-general public.

The ICAI constituted Ethical Standards Board, then Ethical Standards Committee in 1975 for the formulation of ethical standards for members in response to changing conditions and environment. The objective of Ethical Standards Board is to set up ethical standards for chartered accountants, converge with the International best practices on ethics, subject to local laws, thereby enhancing the quality and consistency of services provided by chartered accountants and strengthening the public confidence in the profession. It works towards evolving a dynamic and contemporary Code of Ethics and ethical behaviour for members while retaining the long cherished ideals of `excellence, independence, integrity' as also to protect the dignity and interests of the members".

(I) Significant Achievements

- CA Connect portal **(www.caconnect.icai.org)** was operationalized on 31.07.2021. CA Connect Portal is an indigenous system of listing of CA Firms / Individual CA Practitioners on the platform of ICAI. The objective of this Website/Portal is to provide an effective platform for listing. This Portal is providing the essential bridge between clients and Chartered Accountants.
- Comments on the Exposure Draft, Questionnaires and other Pronouncements
  The comments on various pronouncements issued by International Ethics Standards Boards for Accountants (IESBA) of International Federation of Accountants were sent by ESB. The comments were sent on the following Exposure Drafts :-
  - ✦ Proposed Technology-related Revisions in the Code

✦ Proposed Revisions to the Definitions of Listed Entity and Public Interest Entity

Further, the views of ICAI were given in IESBA meetings attended by the ICAI representatives, and in the IESBA-NSS meeting. The report on convergence with international standards has been sent to IESBA as per the extant position.

(II) Activities of the Board

- ESB regularly provides awareness column 'Know your Ethics' in the CA Journal.
- ESB has presence on Twitter wherein creative of important topics/matter covering the revised code of Ethics are being regularly shared for awareness of members. The objective behind this is to achieve optimum adoption and implementation of revised Code of Ethics by members.
- ESB has issued various clarifications and Frequently Asked Questions on various topics of Ethical issues and uploaded videos presentation on various topics of Ethical issues.
- ESB has organized 10 Virtual CPE programmes and webinars for making members aware on the provisions of revised Code of Ethics. ESB has organized two global virtual seminars wherein President, IFAC and Director, Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) were invited.
- ESB has organized one Faculty Development Programme on Code of Ethics at Jaipur.
- ESB has issued Quarterly e-newsletter on matters of professional ethics related to members.
- ESB has examined and considered four complaints of members against their unjustified removal as auditors as per procedure evolved and taken necessary steps.

(III) Some Important clarifications by Ethical Standards Board

- It is not permissible for a member in practice to accept the appointment of statutory audit of the society wherein immediate family member i.e., spouse or dependent, of member hold honorary position of one of the managing committee of the institutes governed by the society.
- The Council decided that for the purpose of Appointment of an auditor when he is indebted to a concern, as dealt with under Chapter X of the Council General Guidelines, 2008, the term "auditor' shall not include internal auditor, concurrent auditor or an auditor giving report to the Management. In other words, the provision relating to criteria/limit of indebtedness shall apply only to statutory audits.
- Chartered Accountants in Practice/Firms of chartered accountants are permitted to register on GeM Portal for rendering professional services. The information being published on the portal should be in compliance with the provisions of Code of Ethics.
- Chartered Accountant in practice is permissible to become member of "Board of Management" in Primary (Urban) Co-operative Banks (UCBs) provided the function of members is similar to the Director Simplicitor.

5.11 Expert Advisory Committee (EAC)

While striving towards the aim of financial reporting, viz., true and fair view of financial affairs of an entity, the Accountants often encounter certain specific issues that require a comprehensive understanding and research of the requirements of applicable accounting framework in the specific facts and circumstances of the entity. Visualising these situations, the Council of the ICAI had constituted the Expert Advisory Committee in 1975, to assist its members who encounter such challenges so as to answer their queries on application of accounting/auditing principles in their entity-specific situations. Since then, EAC has been providing independent and objective opinions on accounting, auditing and allied matters in accordance with the Advisory Service Rules to the members and other stakeholders including Government and regulatory authorities, such as, Ministry of Corporate Affairs (MCA), Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Securities and Exchange Board of India (SEBI) etc.

(I) Expert Opinions

As per Rules, the Committee answers queries relating to accounting and/or auditing principles and does not answer queries which involve only legal interpretation of various enactments. The Committee also does not answer queries involving professional misconduct or on a matter pending before the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the Government. These Rules are available on the web-site of the ICAI, at its hyperlink, https://www.icai.org/new_post.html?post_id=495&c_id=142 or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi.

The opinions are finalised by the Expert Advisory Committee on the basis of specific facts and circumstances as supplied by the querist and considering the relevant laws, statutes and applicable accounting/auditing principles prevailing on the date on which an opinion is finalised. Therefore, opinions must be read in the light of any amendments/developments subsequent to such date.

(II) Opinions finalised during the period:

From 01.04.2021 to 30.06.2022, the Committee has finalised opinion on 53 queries on various accounting issues.

(III) Compendium of Opinions/Dissemination of knowledge

In order to make available the accounting guidance contained in the opinions to the members and other stakeholders, the opinions issued by the Committee are periodically published as a Compendium of Opinions. So far, Forty-one volumes of the Compendium of Opinions have been published. These volumes are extensively referred and relied on by the professionals. For easy reference, these opinions have also been compiled and hosted in the form of a search application on the website of the ICAI.

(IV) Activities in Detail

The opinions on the following subjects have been finalised during the period 01.04.2021 to 30.06.2022:

- Accounting treatment of expenditure relating to indirect expenses which are compulsorily required to be incurred for construction of the project. *(Include 9 opinions)*
- Presentation of change in non-current asset in Cash Flow Statement.
- Accounting treatment for backstopping arrangement for compulsorily convertible debentures (CCDs).
- Allocation of manpower cost during project implementation phase.
- Treatment of Investments in Subsidiaries/Associates held through Policyholders' Funds.
- Treatment of dredging and reclamation (site grading) cost on leased land.
- Accounting treatment of construction of facilities for import of additional requirements of Power.
- Capitalisation of borrowing cost during lockdown period.
- Valuation of inventory of non-valuated by-products.
- Estimation of Final Mine Closure Plan and treatment of the same in Books of accounts on year-on-year basis.
- Accounting treatment of Government Grants.
- Treatment of incentive to wallet users under Ind AS 115.
- Accounting treatment of interest free loan received from the State Government as a viability gap funding.
- Accounting treatment under Ind AS for Financial Year 2019-20 for research expenses in case of a new Company formed for setting up of new Urea Plant and is under construction phase.
- Presentation of interest earned from deployment of surplus funds with banks.
- Accounting treatment in the Company's standalone financial statements for the Corporate Guarantee (Deed of Guarantee) issued by the Company being Parent Company to banks/suppliers/service providers on behalf of its Step-down subsidiary company.
- Accounting treatment of assets funded by customers for its use in specific project.
- Accounting treatment of grant under AS 12.
- Accounting treatment in the Company's standalone financial statements for the Corporate Guarantee (Deed of Guarantee) issued by the Company being parent company to banks on behalf of its wholly owned subsidiary company.
- Accounting treatment of expenditure incurred on the assets not owned by the Company.
- Classification of business activity as operating activity or investing activity.
- Accounting for employee benefits covered under DPE Guidelines.
- Non-reversal of impairment in respect of investment in subsidiary in separate financial statements on account of non-reversal of impairment in underlying goodwill.
- Treatment of acquisition cost under the applicable financial reporting framework and capitalisation of borrowing cost in relation thereto.
- Accounting treatment of borrowing costs incurred by parent company in respect of borrowings made for acquisition of investments in subsidiary company.
- Capitalisation of insurance premium in construction projects.
- Classification of an entity as subsidiary or joint venture and consolidation thereof.
- Accounting treatment of perpetual lease in the books of Lessee.
- Classification of land lease.
- Accounting treatment in the financial statements of Employees Provident Fund Trust for degraded investments.
- Measurement of provision for degraded investments of Employee Benefit Trusts and accounting treatment thereof.
- Accounting treatment of change in the Company's obligation under Group Mediclaim Insurance Coverage Scheme (Defined Benefit Plan) on account of change of Plan.
- Presentation of advance given to A Ltd. under Current Assets - other current assets.
- Accounting for Bearer Plants.
- Timing of capitalisation of transmission lines and sub-stations as an item of Property, Plant and Equipment from capital-work-in-progress and also in case of modernisation work.
- Classification of 'stock of track' as inventory or property, plant and equipment.

- Presentation of accrued interest in the Statement of Cash Flows.
- Applicability of Ind AS 108, 'Operating Segments' on section 25 company of the Companies Act, 1956 (now, section 8 of the Companies Act, 2013).
- Accounting treatment of the transactions related to billing, collection and disbursement (BCD) in the capacity as Central Transmission Utility (CTU).
- Applicability of Ind AS 114 and Presentation of Deferred Tax Liabilities on 'Regulatory Deferral Accounts'.
- Disclosure of changes in inventory of scrap in the Statement of Profit and Loss.
- Accounting treatment of stressed investments of Exempted PF Trusts in the financial statements of the Company.
- Accounting treatment of true-up value arising as per Rate Regulations.
- Adoption of 'Net Book Value' method as one of the valuation technique to measure the fair value of investments in equity instruments that do not have a quoted market price in an active market.
- Accounting treatment of delayed payment charges.

5.12 Financial Reporting Review Board (FRRB)

FRRB has been playing a paramount role in improving the financial reporting practices prevailing in India ever since its formation in 2002. The Board reviews the general-purpose financial statements of various enterprises to determine compliance with the reporting requirements of various applicable statutes, Accounting Standards and Standards on Auditing. The Board comprises of members of the Central Council of the ICAI including Government of India nominee. Every year, the representation is received from the office of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), Comptroller and Auditor General of India (C&AG), Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Central Board of Direct Taxes (CBDT), Central Board of Excise and Customs (CBIC) on the Board.

Accomplishments of the year:

(I) Undertaken review (Review of Cases selected on suo motto basis or as Special)

From April 2021 to June 2022, the Board has completed the review of 61 cases selected on suo motto basis or as special case. It includes review of 5 financial statements undertaken as special cases and 44 Ind-AS Financial Statements. Out of these 61 cases, 8 cases have been referred to concerned regulators and Director (Discipline) for further action and in 42 cases, Board decided to issue advisory to the auditor of the enterprise.

Cases considered and finalised by the Board	Cases referred to Director (Discipline) of ICAI for further action where serious non-compliances observed	Cases referred to Regulators (MCA, RBI)	Issued advisories to the auditors
61	8	7	42

(II) Contribution to Society – Commitment to Nation

In its endeavour to support regulators as well as to bring transparency in financial reporting, during the year the FRRB has undertaken, as special cases, review of 27 general purpose financial statement and auditor's reports thereon of various enterprises as referred by regulators, based on media reports and other references received which are on different stages of review.

- **Status of review of cases referred by Regulators**
  - ✦ The Board was requested by Election Commission of India to undertake review of the annual audited accounts of at least 6 National political parties and recognized parties with income/ expenditure exceeding Rs. 10 Crore. Accordingly, ECI has sent the annual audited accounts of those parties every year. During the period, 1 annual audited accounts of a political party has been sent to FRRB.
  - ✦ A list of CA firms was shared by Office of the Comptroller & Auditor General of India with ICAI, which were identified as "Unsatisfactory Performance as auditors of Public Sector Undertakings". The FRRB has undertaken review of the general purpose Financial Statements of 6 enterprises audited by the same auditor which are on different stages of review.
  - ✦ Based on the list of companies under liquidation received from Insolvency & Bankruptcy Board of India (IBBI), the Board has undertaken the review of 17 selected listed companies.

(III) Launching of Web Portal of FRRB: Automation of FRRB workflow using Rule based Analytics

Board has launched, during the period, a portal that automates several processes, which otherwise used to be handled manually. The idea of automation was conceptualized with the objective to smooth the review process and to make it more effective. Some of the key features of the portal are as follows:

- Enable to systematically identify the common non-compliances on the basis of XBRL financial statements by using rule-based analytics.

- Enabling the automation of workflow of FRRB between various review levels.
- Maintaining the repository of non-compliances observed by the Board.
- Monitoring of the review work.
- Consisting of all the Publications of FRRB, FRRB's Articles in Journal, Videos and presentations of past events / webcasts, list of forthcoming events of FRRB, empanelment form of Technical Reviewer and many more.

Over the period, it would help to strengthen financial reporting practices in India which would promote stakeholder's confidence in audited financial statements.

(IV) Publication: Article in Journal

With a view to apprise the members of the Institute and others concerned about the non-compliances observed during the review, the Board initiated a series of articles in journal regarding 'Non-Compliance with various Reporting Obligations'. In view of the same, 3 articles on 'Non-compliances observed in the Ind AS Financial Statements' have been published in the Institute's Journal, 'The Chartered Accountant', in the issue of April, 2022, May 2022 and June 2022. These articles covered Board's observation pertaining to Elements of Balance Sheet i.e Assets, Equity and Liabilities. We are pleased to inform that the content under FRRB Update (in ICAI Journal) was well received by the readers.

(V) Twitter Handle-FRRB

In order to spread awareness among the members regarding the non-compliances observed by FRRB and to give regular updates on the same, a twitter account for FRRB has been created in August 2020 wherein 'Did you know?' series is going on with 3,200 followers as on date. Till date, 241 tweets on the errors observed on the compliance related to Accounting Standards (Ind AS and IGAAP) have been posted.

(VI) Webinars/Seminars/VCMs

- **FRRB-NISM (SEBI) Webinar on Expectations from Listed Companies on Financial Reporting**

FRRB jointly with National Institute of Security Market (NISM)-SEBI has organized a webinar on 'Expectations from Listed Companies on Financial Reporting' on 1st September 2021 at ICAI Bhawan, BKC, Mumbai. Executive Director, SEBI, Dean, NISM, Vice President, NSE, President, ICAI and Past President, ICAI graced the event with their benign presence and shared their words of wisdom with the participants. Chairman, FRRB and Past Chairman and member, FRRB were also present. The objective of the webinar was to spread awareness among the members as well as other stakeholders regarding common non-compliances observed by the FRRB from review of general-purpose financial statements of listed entities. This programme was well attended by more than 1200 participants and was appreciated by participants.

- **Programme on 'Commonly Found Non-compliances of Financial Reporting Requirements'**

To spread the awareness amongst the members about the pertinent issues in the areas of reporting as well as to apprise them about the common non-compliances observed by the Board during review of financial statements various webinar and programmes were held, the details of which are as follows:

- **Virtual CPE Meeting**

Virtual CPE Meeting on "Commonly found Non-compliances of Accounting Standards" was organized by FRRB on 8th-9th October, 2021 and 21st August, 2021 and hosted by Vishakhapatnam branch and Gandhidham branch of ICAI respectively. This programme was well attended by the participants.

- **Seminar/ Programme**

Seminars and Awareness programmes on "Financial Reporting Practices" were organised at Gandhinagar, Himmatnagar, Palanpur, Mehsana, Jalandhar, Amritsar, Bathinda, Bhuj, Kutch, Bharuch, Vadodara, Rajkot, Goa, New Delhi, Sonipat, Jabalpur, Surat, Ratlam and Bhopal. These programmes were well attended by the participants. Further, FRRB had successfully conducted the training prgramme for TRs and members of FRRGs on May 12-13, 2022 at Mumbai which was well appreciated by the participants.

5.13 GST and Indirect Taxes Committee (GST & IDTC)

GST & Indirect Taxes Committee of ICAI is known for supporting the Government, through its rich intellectual and technical prowess, in establishing a fair and simple indirect tax regime in India. The contribution of the Committee during the implementation of GST has been acknowledged by the Government. The Committee is also widely acclaimed for its deep connect with the members. During the year, the Committee made noteworthy contributions in both the areas of its functional domain namely partnering with the Government and empowering the members.

Partnering the Government in Nation Building

(I) Submission of technical inputs to the Government

- Suggestions on the "significant changes in GSTR-1, GSTR-2A, GSTR-2B and GSTR-3B returns & integration, recent changes in registration & refund, new functionalities & tools required and changes in available functionalities for further improvement" were submitted to Consultation Committee of GSTN.
- Inputs on allowability of input tax credit on CSR expenditure were submitted to the Ministry of Corporate Affairs on 3rd June, 2021.
- Suggestions highlighting certain matters for which removal of difficulty orders may be issued by the Government regarding Removal of Difficulties Order, 2022 were submitted to the Government on 29th June, 2022.

(II) Submission of representations to the Government

- Representation regarding determination of time limit in the scenarios given in *Circular No. 162/18/2021-GST dated 25th September, 2021* was submitted to the CBIC on 7th October, 2021 for excluding the starting day for calculating the period of two years for filing the refund application.
- Representation for late fee waiver payable on GST Annual Return and GST Reconciliation Statement for the Financial Year 2020-21, filed on or before 31st March, 2022, was submitted to the CBIC on 24th February, 2022.
- Representations were submitted to State Finance Ministers, Ministers of States representing the State in GST Council and State Commissioners for retaining the requirement of GST Audit by Chartered Accountants in their State GST Law.
- Representations were submitted to all the State Commissioners for issuing guidelines on legal issues pertaining to return scrutiny for tax periods 2017-18 and 2018-19 similar to the guidelines issued by the Office of Commissioner of State Tax, Maharashtra for return scrutiny for tax periods 2017-18 and 2018-19.

(III) Enriching agenda of the Union Budget

- **Post-Budget Memorandum, 2022**: The Post Budget Memorandum, 2022 containing suggestions on the indirect tax proposals contained in the Union Budget 2022-23 was submitted to the Government on 10th March, 2022.
- **Pre-Budget Memorandum, 2022:** The Committee submitted Pre-Budget Memorandum, 2022 containing suggestions on issues in substantive as well as procedural GST law for the consideration of the Government while formulating the tax proposals for the year 2022-23 on 29th November 2021.

(IV) Review of GST Audit SOP and Manual of Madhya Pradesh

Based on the request received from the Department of Commercial Tax, Madhya Pradesh, the Committee reviewed and submitted the GST Audit SOP and Manual of the Department.

(V) Grievance Redressal Committee of the Government at Zonal/State Level

During the year, CA. Rajendra Kumar P, Chairman attended a meeting convened by Tamil Nadu Grievance Redressal Committee and CA. Chandrashekhar V Chitale attended the meetings convened by Pune Grievance Redressal Committee.

(VI) Meetings with national and state leadership, dignitaries to establish rapport

The Committee has been making consistent efforts in reaching out to both Centre and State Governments and discussing ways and means through which the Committee can provide proactive support to them in the policy and implementation of GST.

Chairman and Vice-Chairman of the GST & Indirect Taxes Committee along with other central council members have met senior officers of CBIC, Commissioners of State GST and other senior officers of State Governments to apprise them of the various initiatives taken by the GST & Indirect Taxes Committee with regard to GST and impress upon them the expertise of the Committee in reinforcing the capacity building of their officers.

(VII) Capacity Building Programmes for GST Officers of the State Governments

The Committee has organised following outreach events for the capacity building of the officials of the Department of Commercial Tax/GST of State Governments:

- Training Programme on GST for Department of Commercial Tax, Madhya Pradesh was organised at Indore on 18th April, 2022 which was attended by 178 officials from the level of Assistant Commercial Tax Officer to Joint Commissioner. Commissioner, Department of Commercial Tax, Madhya Pradesh inaugurated the training programme.

- Training Programme on GST for Department of Commercial Tax, Madhya Pradesh was organised at Bhopal on 19th April, 2022 which was attended by 196 officials from the level of Assistant Commercial Tax Officer to Joint Commissioner. Deputy Commissioner, Department of Commercial Tax, Madhya Pradesh inaugurated the training programme.
- Training Programme on GST for Commercial Taxes Department, Bihar was organised from 25th to 29th April, 2022 with special focus on service sectors which was attended by around 100 officials from the level of Assistant Commissioner to Joint Commissioner. Hon'ble Deputy Chief Minister of Bihar inaugurated the training programme.
- Training Programme on GST for Commissionerate of CT & GST, Odisha was organised at Bhubaneswar on 23rd & 24th May, 2022 which was attended by 211 officials from the level of Commercial Tax and GST Officer to Additional Commissioner. Commissioner of CT and GST, Odisha inaugurated the training programme.

All the above programmes have been well received by the participants.

(VIII) Capacity Building Programmes for corporates and other entities

- **Basic Course on GST for officials of TAFE:** An Online Basic Course on GST was organised for the officials of Tractors and Farm Equipment Limited (TAFE) from 15th Oct to 19th Nov, 2021. The Course was designed to impart basic knowledge of select concepts of GST.
- **Faculty Development Programme:** An online Faculty Development Programme on GST was organised for the faculty members of School of Management & Business Studies, Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala from 9th to 14th August, 2021.

(IX) E-Initiatives

- **10 Point GST Series – A new initiative towards GST Knowledge Dissemination:** "10 point GST Series", a short video series has been developed by the Committee, with the objective of creating awareness and spreading knowledge of GST amongst all stakeholders. The videos can be accessed on Committee website and the ICAI Digital Learning Hub.

- **LIVE Webcasts:** The Committee organised five live webcasts on various contemporary topics in GST during the period which were attended by more than 4,000 delegates. Further, a webinar on "Customs Authority for Advance Rulings" was organized by Directorate General of Taxpayer Services, Mumbai Zonal Unit (DGTS, MZU) in partnership with the Institute on 8th December 2021.

- **ICAI Newsletter on GST:** During the year, two editions of the ICAI –Newsletter on GST have been published. As per the practice, 3000 copies of each of the edition were printed and sent to Members of Parliament, GST Council Members, State Cabinet Minister and Government Officials.

- **Indirect Taxes/GST Updates:** With a view to keep the members abreast with such frequent changes, IDT/GST Updates containing the summary of such changes are prepared by the Committee as and when any notification/circular/order/instruction etc. is being issued by the CBIC and mailed to 48,276 users registered on the website of the Committee as also uploaded on the website of the Committee.

- **E-Publications – a tool to update members:** The Committee has uploaded all its publications, all the issues of its GST Newsletter etc. on its website which can be downloaded by any stakeholder free of cost. 47,576 copies of such publications have been downloaded by various stakeholders during the year.

- **E-learning on Goods and Services Tax:** The Committee has launched E-learning on GST at Digital Learning Hub covering various important aspects of GST. This facility is available to all members free of cost facilitating them in learning anytime & from anywhere. 11,335 members have subscribed to this e-learning.

- **Website of the Committee:** The Committee has its website https://idtc.icai.org/ which works as a one stop solution for everyone looking for any information on indirect taxes and GST. The website has been subscribed to by 48,276 users and on an average, more than 400 users visit the website of the Committee every day.

(X) International Initiatives

- **Virtual CPE Meeting (VCM) on "Place of Supply in EU VAT":** The Committee organised a VCM on "Place of Supply in EU VAT" on 29th August 2021 which was attended by 270 members. The VCM was addressed by Ms. Fátima Gouveia, a Portuguese Economist.
- **Webinar on Progressive VAT:** The Committee organised a webinar on Progressive VAT on 9th June, 2022 which was attended by 1400 members. The Webinar was addressed by Professor Rita De La Feria, Chair in Tax Law at the School of Law, University of Leeds.

(XI) Publications - A Research Initiative

During the year, the Committee developed two new useful publications on GST focussing on practical issues and revised 4 of its existing publications including the Background Material on GST as under:

- Practical FAQs on Input Tax Credit - new publication
- Practical FAQs on Supply & Taxability –new publication
- Background Material on GST (BGM) – revision
- Handbook on Refund under GST– revision
- Handbook on Registration under GST– revision
- Handbook on Interest, Late Fee and Penalties under GST – revision

(XII) Programmes and Courses

- **Certificate Course on GST through virtual classes**

  During the year, considering the COVID pandemic, Certificate Course were conducted online to ensure safety and well-being of the members. A total of 10 batches of the Course were organised virtually which were attended by 1,346 members.

  Further, four Assessment Tests for the Certificate Course on GST were conducted online on 25th April, 2021, 5th Sept, 2021, 16th January, 2022 and 8th May, 2022. A total of 1,471 members successfully passed the Assessment Test.

- **Virtual CPE meetings and other CPE events on GST**

  The Committee has organised 44 virtual CPE meetings and other CPE events which were attended by more than 23,000 members during the period.

5.14 Internal Audit Standards Board (IASB)

Today's increasingly complex and risky business landscape has resulted in both elevating the importance of internal audit as well as subjecting it to significant challenges. Internal audit activities have become more critical for organizations for improving efficiency and effectiveness of operations, increasing reliability of financial reporting and promoting compliance with regulations. Considering these developments, the Internal Audit Standards Board of the Institute of the Chartered Accountants of India provides continuous support to ICAI and its members through proactive standard setting and guidance in the area of internal audit, including guidance related to risk management and governance and to conduct cutting edge research and education to help members offer innovative and effective solutions and comprehensively serve needs of all stakeholders.

The Board is working relentlessly to bring out high quality technical literature in the form of Standards on Internal Audit and Technical Guides/ Studies/ Manuals, which constitute an important tool in helping internal auditors to provide effective and efficient internal audit services to the clients and/ or employers.

(I) Standards on Internal Audit (SIAs)

Standards on Internal Audit (SIAs) represent a codification of the best practices for internal auditors. These Standards play a vital role in strengthening and building up the performance benchmarks in internal audit. They provide a framework for internal audit activities, establish the basis for evaluation of internal audit performance, and foster improved organizational processes and operations. The Standards constitute an important tool in helping the internal auditors provide effective and efficient internal audit services to the clients and/ or employers.

These principle-based Standards would support the members in discharging their duties as highly valued, trusted advisors and groom them as stalwarts in the profession. The Internal Audit Standards Board is in the process of issuing the following Standards on Internal Audit:

- Standard on Internal Audit (SIA) 130, Risk Management
- Standard on Internal Audit (SIA) 520, Auditing in an Information Technology Environment
- Standard on Internal Audit (SIA) 530, Third Party Service Provider
- Standard on Internal Audit (SIA) 140, Governance
- Standard on Internal Audit (SIA) 150, Compliance with Laws and Regulations
- Standard on Internal Audit (SIA) 250, Communication with Those Charged with Governance

Further, to mention that these Standards are still in Draft stage:

- SIA 340, Executing Audit Assignments/ Conducting Audit Procedures (Fieldwork)
- SIA 380, Issuing Assurance Reports
- SIA 510, Fraud and Irregularities
- SIA 540, Related Party transactions

- SIA 550, Auditing the Governance Framework
- SIA 560, Auditing the Risk Management Framework
- SIA 610, Quality Assurance in Audit Assignments
- SIA 620, Overall Quality Control and Improvement Process
- SIA 630, Conformance to Standards on Internal Audit
- SIA 640, Peer Review and Third Party Assessment
- SIA 650, Professional Education
- SIA 710, Conducting Operational Reviews
- SIA 720, Special Purpose Reporting
- SIA 730, Review of Budgets and Plan
- SIA 740, Review of Performance by Staff and Management
- SIA 810, Glossary of Terms

(II) Industry Specific and Generic Internal Audit Guides

The Board had constituted study group for the following projects:

- Internal Audit Checklist
- Technical Guide on Internal Audit of Mining and Extractive Industry
- Technical Guide on Internal Audit of Sugar Industry
- Technical Guide on Internal Audit of Educational Institution
- Technical Guide on Internal Audit of Textile Industry
- Technical Guide on Internal Audit of BPO Industry
- Technical Guide on Internal Audit of Retail Industry
- Technical Guide on Auditing Waste Management
- Technical Guide on Internal Audit of Non-Profit Organisations
- Technical Guide on Internal Audit of Hotel Industry

(III) Certificate Course on Concurrent Audit of Banks

The Internal Audit Standards Board of the ICAI is conducting Certificate Course on Concurrent Audit of Banks‖ to enable members to supplement the effort of the banks in carrying out internal check of the transactions and other verifications and compliance with the procedures laid down, improve the effectiveness of concurrent audit system in banks, improve quality and coverage of concurrent audit reports and understand the intricacies of concurrent audit of banks.

The Board had organised 20 batches of Virtual Certificate Course on Concurrent Audit of Banks during the period and around 3,580 participants have successfully completed the course.

(IV) Certificate Course on Internal Audit

The Board is revising Course Structure for "Certificate Course on Internal Audit", which has been completely revamped with new topics and heavy dose of information technology. Videos recordings of all the modules of E-learning of Certificate Course on Internal Audit have been done and uploaded on E-learning platform of the Institute. The Board is currently planning to organise Skill India course on Internal Audit and Self- paced courses on Concurrent audit. Thereafter, the Board will finalise the schedule of batches for this course.

(V) Programmes, Seminars, Conferences and Webinars on Awareness on Internal Audit

With a view to provide platform of dissemination of knowledge among members, the Board has organized 60 Virtual CPE Programs on Internal Audit with the special theme - “Technology As Enabler of Internal Audit”, “Standards on Internal Audit-An Overview”, “Internal Audit from A to Z”, “Internal Audit-Handholding of SMPs”, “Reimagine Internal Audit- Race for Relevance”, “Internal Audit- 360 Degree view”, “Internal Audit-Trends and Challenges”, “Standards on Internal Audit-Benchmark For Quality”, “Global trends in Internal Audit”, “Standards on Internal Audit-Keeping Pace with Reforms” in virtual mode during this period due to the ongoing pandemic situation throughout the country.

5.15 Committee on International Taxation (CITAX)

(I) Representations/ interactions with Government

- Submissions to CBDT – seeking clarification with respect to Significant Economic Presence
- Submissions to CBDT- Seeking relaxations in respect of late submissions of Form 15CA / 15CB due to issues faced owing to shift to the new e-filing portal
- Submission of suggestions pertaining to International taxation for the Pre-budget Memorandum, 2022

- Submission of Post Budget Suggestions pertaining to International taxation for inclusion in the Post-Budget Memorandum 2022
- A meeting was held between Chairman, Committee on International Taxation (CITAX) and Shri. J.B.Mohapatra, Chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT) Requesting to provide the facility to upload the physically filed Form No. 15CA / 15CB in the e-filing portal.

(II) Representations/ suggestions on draft OECD/UN papers on different subjects

- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of Public Consultation on the Globe Implementation Framework (Pillar 2)
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Draft Model Rules for Domestic Legislation on Scope under Amount A of Pillar One
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Questionnaire in respect of Crypto-Asset Reporting Framework and Common Reporting Standard Draft Model Rules for Domestic Legislation on Scope under Amount A of Pillar One
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) - Extractives Exclusion under Amount A of Pillar One
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of the Public Consultation on Pillar One – Amount A: Regulated Financial Services Exclusion
- Inputs to Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) as a part of the Public Consultation on BEPS 2.0 Pillar One – A Tax Certainty Framework for Amount A and Tax Certainty for issues related to Amount A

(III) Conferences/Seminars/Workshops/Webcasts on International Taxation

- **Seminar**
  - ✦ A Seminar on International Taxation hosted by Dehradun Branch of Central India Regional Council of ICAI on 4th June, 2022.
- **National Conference**

✦ A 4 days National Conference on International Taxation was organized by Committee on International Taxation, ICAI and hosted by Nagpur branch of WIRC of ICAI from 2nd August to 5th August 2021.

✦ A 3 days' National Conference on International Taxation (12 hours) was organized by Committee on International Taxation, ICAI and hosted by SIRC of ICAI on 6th January to 8th January, 2022 through VCM.

✦ A 3 days National Conference on International Taxation was organized by Committee on International Taxation, ICAI and hosted by Southern India Regional Council of ICAI from 21st April, 2022 to 23rd April, 2022.

- **Live Webinars**
  - ✦ Live webinar on "Taxation of Income (Salary, House Property & Capital Gain) on Services /Assets outside India by Residents & in India by Non-Residents" on 29th April, 2021
  - ✦ Live webinar on Panel Discussion - "Equalisation Levy –Domestic and International Challenges on 13th May, 2021
  - ✦ Live webinar on Penal Discussion - Black Money Act –Demystifying Regulations and compliances on 28th May, 2021
  - ✦ Live webinar on "Panel Discussion- Fee for Technical Services (FTS) – Concepts and Controversies" on 10th June, 2021
  - ✦ Live webinar on Panel Discussion - Unlocking Mystery of Royalty- Tax Perspective on 25th June, 2021
  - ✦ Live webinar on Panel Discussion - Inbound Investments – FEMA and International Taxation Perspective on 8th July, 2021
  - ✦ Live webinar on Panel Discussion – Outbound Investments – FEMA and International Taxation Perspective on 23rd July, 2021
  - ✦ Live webinar on Panel Discussion – Form No. 15CA/15CB – Issues and Challenges on 13th August, 2021
  - ✦ Live webinar on Panel Discussion – Impact of MLI on DTAA on 26th August, 2021

- ✦ Live webinar on Panel Discussion – Digital Taxation – A discussion on OECD Proposal on 23.9.2021
- ✦ Live webinar on Panel Discussion – Changing Paradigm of Transfer Pricing in the Digital World on 22nd October, 2021
- ✦ Live webinar on Panel Discussion – *Tax Challenges of Digital Economy – Indian Perspective* on 24th November, 2021
- ✦ LIVE Webinar on highlights of tax proposals of Union Budget 2022-23 jointly with Direct Taxes Committee and GST & Indirect Taxes Committee on 1st February, 2022
- ✦ Live Webinar on Panel Discussion – Understanding salient features of Union Budget 2022 (Taxation) on 7th February, 2022
- ✦ Live webinar on Panel Discussion – Impact of recent developments in tax laws of India regarding digital transactions and OECD's proposals on Pillar 1 & 2 – jurisdictional issues, tax incidence and TDS provisions on 19th April, 2022

- **Virtual CPE Meetings**
  - ✦ A Virtual CPE meeting on International Taxation organized by Committee on International Taxation, ICAI and hosted by Sonepat Branch of NIRC of ICAI on 19th June, 2021
  - ✦ A Virtual CPE meeting on International Taxation organized by Committee on International Taxation, ICAI and hosted by SIRC of ICAI on July 6, 2021
  - ✦ A Virtual CPE meeting on International Taxation hosted by Nagpur Branch of Western India Regional Council of ICAI on 10th June, 2022.
- **Workshops**
  - ✦ A Workshop on Taxation of NRI, TDS provision for NRI and Form 15CA and

    15CB was organized by Committee on International Taxation, ICAI and hosted by Kurukshetra Branch of NIRC of ICAI on 24th July, 2021
  - ✦ A virtual two days' workshop on International Taxation was organized by Committee on International Taxation, ICAI and hosted by Ernakulam Branch of SIRC of ICAI on 9th and 10th November, 2021

(IV) Post Qualification Diploma in International Taxation

The Committee has conducted following batches of Diploma Course in International Taxation:

Diploma in International Taxation through Online Mode

Batch No.	Batch Place	Date of commencement of the batch	No. of Participants	Status
Sixth	Online	19.07.2021	195	Completed
Seventh	Online	4.10.2021	127	Completed
Eighth	Online	7.03.2022	168	Completed
Ninth	Online	20.06.2022	140	Ongoing

(V) Other initiatives

- The Committee has conducted series of Online Refresher Courses on International Taxation And Transfer Pricing as per the following details :
  - ✦ Basics of International Taxation
  - ✦ Double Taxation Avoidance Agreements
  - ✦ Withholding Taxes under Section 195
  - ✦ Overview of Transfer Pricing with Reference to UN/OECD/ India Rules
- The Committee has added/updated e-learning modules on some of the important topics as per following details:
  - ✦ Overview of International Taxation
  - ✦ Transfer Pricing Documentation and Drafting

- ✦ Basics of Taxation of Non-Residents
- ✦ Deeming Provisions in respect of Non-Residents - Overview of Section 9 of the Income-tax Act, 1961
- ✦ Significant Economic Presence
- ✦ Presumptive Taxation for Non-Residents
- ✦ Capital Gains -Special exemptions to Non- residents and Foreign Companies
- ✦ Foreign Tax Credit - concept and application

- Revision of the Background Material of Diploma in International Taxation course was undertaken
- The Committee has released its new publication *"*Basics of Permanent Establishment - India Perspective*"*
- The Committee has uploaded following E-books along with audio facility on DLH portal
  - ✦ Basics of Permanent Establishment - India Perspective
  - ✦ Taxation of Non- Residents
  - ✦ Cross Border Transactions and Investments
  - ✦ Technical Guide on BEPS Action Plans and Multilateral Instrument ("MLI")
- An article on the subject "Growing Digital Cross Border Transactions - International Efforts for an Efficient Taxation System" was contributed for 'ICAI International Conference' held on 21st and 22nd January 2022
- Regular updates on the subjects of international taxation and transfer pricing to ICAI members to keep them abreast of the changes happening in the area.

5.16 Committee for Members in Industry and Business (CMI&B)

The Committee for Members in Industry & Business (CMI&B), seeks to encourage and enhance close links between CAs in industry and business and the ICAI. To support this endeavour, the CMI&B has been organizing various knowledge-enriching conferences, industry meets and outreach programmes for the benefit of the members. The primary activities of CMI&B include providing placement opportunities to both young and experienced Chartered Accountants through campus placement programmes and ICAI job portal, organizing the prestigious ICAI Awards to recognize exemplary achievements of Chartered Accountants in business and industry, formation of CPE study circles, etc. Major activities that took place during the period under report are:

PLACEMENT PROGRAMMES:

(I) Campus Placement programme for Newly qualified Chartered Accountants

Organizing Campus Placement programme is one of the prime endeavours of the CMI&B in order to connect and bring together the newly qualified CAs (NQCAs) and the recruiters on a common platform. This programme provides prospective employers and the young members an opportunity to interact and explore the possibility of taking up employment in various organizations.

The period under report includes 53rd, 54th and 55th editions of campus placement programmes. The 55th edition of Campus Placement programme witnessed unprecedented success in the 28th year old history of campus placement programmes.

The brief statistics of the 53rd, 54th & 55th edition of campus placement programme is as below:

	53rd campus placement programme April-May,2021	**54th campus placement programme September-October, 2021**	**55th campus placement programme February-March, 2022**
Number of Qualified CAs	2682	10165	14046
Number of Candidates Registered	1807	7451	10197
Total number of companies participated	32	113	173
Number of interview teams	96	345	504
Number of Jobs Offered	1054	4757	730
Number of Jobs Accepted by the candidates	701	3716	5538
Highest salary (cost to company) offered	INR 15.04 Lac per annum	INR 22.98 Lac per annum for domestic posting INR 33.22 Lac per annum for international posting	Rs.30.30 LPA for domestic posting
Lowest salary	INR 5.5 lakh per annum for bigger centres and INR 4.5 lakh per annum for smaller centres	INR 5.5 lakh per annum for bigger centres and INR 4.5 lakh per annum for smaller centres	INR 6 lakh per annum for bigger centres and INR 5 lakh per annum for smaller centres

Average salary	Rs.8.69 Lac per annum	Rs.10.30 Lac per annum	Rs.10.57 Lac per annum

(II) Career Ascent Programme for experienced CAs

The CMI&B has been organising Career Ascent Programme every year from 2016 onwards to provide placement opportunities to the experienced Chartered Accountants working in industry with at least one year of standing in the profession, with no participation fees from the organisations.

	6th edition – June, 2021	**7th edition – June, 2022**
Number of members registered	6680	2241
Number of recruiting organisations participated	53	98
Number of vacancies offered	1931	4654
Number of jobs accepted	806	82*

*The offers are still in progress and has not been closed by all the companies at all the centers

(III) Placement services provided to Government and other organisations

CMI&B promptly acts upon requisitions that keep coming from Ministries and other organisations for fulfilment of their job requirements and helps them in getting the candidates from out of the pool of candidates available for placement. Details of such services provided during the period under report is as follows:

- Engagement of Young Professionals in the Ministry of Corporate Affairs, New Delhi
- Engagement of Young Professionals in the office of Regional Director, Ministry of Corporate Affairs, Chennai
- Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi
- Election Commission of India
- HUDCO
- Committees of ICAI

(IV) Management Development Programmes for rank holders

- **Three Batches of MDP conducted**

4th, 5th and 6th Batches of MDP for CA-Final Rank Holders were conducted in virtual mode in collaboration with IIM Lucknow. A fee of Rs.45,000 per participant was paid to IIML for 30 hours of teaching for the 4th & 5th batches, whereas for 6th batch, a fee of Rs.75,000/- per participant was paid for 60 hours of teaching, out of which 20% was charged from the students of general category. EWS category students were not charged any fee.

(V) Management Development Programme for Middle level Managers

Two batches of specially designed Management Development Programme for Middle Level Managers with the theme, "Managerial Effectiveness: Developing a Growth Mindset" was organised on weekends from 7th August to 29th August, 2021 with participation of 17 members, and again from 28th September to 19th October, 2021 with 11 participants. The later batch was given 15 structured CPE hours.

(VI) Executive Development Programmes

A new initiative was commenced by CMI&B during the functional year 2021-22 whereby all the pass-outs of final examinations were given opportunity to attend EDPs free of cost. Eminent speakers from India and overseas were brought in to address the participants. Initially, it was decided to hold the said programme for the last two batches of final pass-outs, but looking at the utility, it was decided to extend this for the last 10 batches. During the period under review, 11 batches have been held.

(VII) Business Leadership Development Programme

Another unique initiative of CMI&B during the functional year 2021-22 was organising of Business Leadership Development Programme for those employed as CFOs/ Directors/ senior functionaries in industry with limited participation. The programme titled, "Achieving Transformational & Inclusive Leadership" was held. Total 4 batches for senior level functionaries, CFO/Director level functionaries were held during the year.

(VIII) Master Programme for Independent Directors

Yet another new initiative of CMI&B during the functional year 2021-22 was to hold Master Programme for Independent Directors. Total 3 batches were conducted during the year.

(IX) 15th Awards and Leadership Summit, 2022

The CMI&B organized 15th ICAI Awards, 2021 on 2nd February, 2022 at New Delhi. Hon'ble MoS for Communications was the Chief Guest at the event who gave away the Awards. The occasion was graced by the awardees and members of Governing Council of ICAI including President, ICAI; Vice President, ICAI; Chairman and Vice-Chairman, Committee for Members in Industry & Business.

30 awardees were selected out of total 177 nominations filed, by a Jury which met under the Chairmanship of CMD, IPCA Laboratories on 21st January, 2022 in Mumbai. On the same day a Leadership Summit, 2022 was organised wherein the Chief Guest, MD & CEO, Dalmia Cement Bharat Ltd. presided over the function.

(X) Presentation before Parliamentary Standing Committee

A communication dated 31st August, 2021 was received from Rajya Sabha Secretariat mentioning therein that the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, comprising 31 Members of Parliament and headed by M.P., Rajya Sabha, has decided to hear views/ inputs on the efficacy of the relief and audit measures put in place by the Government of India for various Sectors ***viz.,*** civil aviation, road, shipping, hospitality, heritage and culture, to tackle the difficulties faced on account of the Coronavirus pandemic.

A meeting of members holding senior positions in some of the above industries was held virtually on 6th September, 2021 to discuss the matter. The said members as well as many others were requested to submit written views in the matter. Based on the views collected, President made a presentation before the Parliamentary Standing Committee on 9th September, 2021.

(XI) Programmes Organised

Various programmes, including seminars, webcasts, interactive meets, CFO Meets, etc. were organized on contemporary topics during this period, many of them by virtual mode viz.; Series of TV Talk Show titled, "Chartered Accountants: The Growth Gears" whose 13 episodes were telecast on Zee Business TV, Programmes with State Governments to promote investments, Industry Specific programmes, CFO Meets and other programmes etc.

(XII) New CPE Study Circle for Members in Industry

CMI&B has formed Eastern Region CPE Study Circle of Indian Oil Corporation Ltd. for Members in Industry of ICAI on 04.05.2022 and Mumbai CPE Study Circle of Larsen Tubro Infotech Ltd. for Members in Industry of ICAI on 30.06.2022.

(XIII) Data management of Industry Members

The CMI&B took the initiative of capturing designation and name of organisation in respect of industry members in the database maintained by SSP. Based on recommendations made by CMI&B, the Management Committee and thereafter the Council directed the Members & Students Services Directorate to get the above decision put in place through the Self Service Portal at the earliest.

(XIV) Psychometric test for newly qualified persons

During the functional year 2021-22, a Psychometric Test was conceived especially for young members who are aspiring for their first job, as many prospective employers conduct a psychometric test for the job aspirants to test their temperament, attitude and general suitability in work environment. It was felt important that the candidates for job interview understand the nuances of a psychometric test and thus do well in such tests. Therefore, the CMI&B had tied up with M/s SHL for providing the test to the candidates who have qualified in the July, 2021 CA final examinations onwards. The CMI&B had bought 5,000 logins at Rs.100/- per login and provided the same to the candidates free of cost. Till the 54th edition of Campus placement programme held in September-October, 2021, 3,995 logins had been utilised. At the 55th edition, 2,079 candidates have utilised the logins. For the 56th & 57th editions, 4,000 fresh logins have been bought at the same terms and conditions.

5.17 Peer Review Board (PRB)

The Peer Review mechanism was introduced by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with the setting up of the Peer Review Board in March 2002. The Board is progressing satisfactorily since inception and is continuously providing guidance to the members to enhance the efficiency of assurance services rendered by them.

The main objective of Peer Review is to ensure that in carrying out the assurance service assignment, the members of the Institute (a) comply with Technical, Professional and Ethical Standards as applicable including other regulatory requirements thereto and (b) have in place proper systems including documentation thereof, to amply demonstrate the

quality of the assurance services. The Peer Review is conducted of a Practice Unit by an independent evaluator known as a Peer Reviewer.

The Peer Review auditors are given recognition even by the regulators as stated below:-

- SEBI with effect from April 1, 2010, has made it mandatory for the listed entities, that limited review/statutory audit reports submitted to the concerned stock exchanges shall be given only by those auditors who have subjected themselves to peer review process and who hold a valid certificate issued by the 'Peer Review Board' of the Institute.
- C&AG has recognized Board's work; as it seeks details from the CA firms about their Peer Review Status in the application form for allotment of audit for Public Sector Undertakings. Furthermore, from last few years, the C&AG annually seek details from ICAI of those firms which have been issued certificate by the Board.

(I) Peer Review of Practice Units:

The Board has been making continuous efforts to make the Peer Review mechanism more effective to cover more practice units being peer reviewed. The level of awareness created during the last 20 years has indeed brought about an overall improvement in the quality of attest services rendered by our members. The Peer Review Board has considered and issued 14049 Peer Review Certificates till June 30, 2022.

(II) Peer Review Mandate – Roll Out

The ICAI has mandated Peer Review mechanism for certain categories of firms rendering assurance services to specific class of entities, which will go a long way in enhancing the audit quality. A detailed roadmap has been laid down which classifies Practice Units into four categories and prescribes the implementation of peer review process. The implementation has begun in a phased manner, from April 1, 2022 which covers practice units (Firms) that have undertaken Statutory Audit of enterprises whose equity or debt securities are listed in India or abroad.

Over the next three years, the roll out would steadily cover firms providing assurance services to companies other than those listed on stock exchanges also including the ones conducting audits of branches of Public Sector Banks. A detailed Announcement in this regard is hosted on the website at https://www.icai.org/post/peer-review-mandate-roll-out-revised

(III) Training & Empanelment of Peer Reviewers:

- **Training Programme for Peer Reviewers:**

  The Board conducts training programmes for members to empanel them as Peer Reviewers with the Board. The training sessions guide them the about the methodology of conducting Peer Reviews. During the period from April 1 2021 till June 30, 2022, the Board has organized two Peer Review training programmes physically at Guwahati and Raipur and 9 training programmes through Virtual mode.

- **Online Tests for empanelment of Peer Reviewers:**
  - ✦ Online tests for empanelment of Peer Reviewers are being conducted every month for the members who have attended the training and are eligible to become Peer Reviewers. Total 953 members have cleared the online test held by the Board till now.
  - ✦ E-certificates were generated through the DLH platform which could be downloaded by the members. A hard copy of the certificates along with a copy of the Boards' publications viz Statement on Peer Review; Handbook on Advisories and Peer Review Manual were sent to the members who cleared the Empanelment test till date.
  - ✦ To clarify the doubts of members who want to appear in the online test, FAQs have been hosted on Peer Review page of the ICAI website at https://resource.cdn.icai.org/64784prb-faq-mocktest.pdf

(IV) VCM for Members:

The Board also organises programmes for members desirous of having the knowledge of Peer Review process which would guide them in getting their firm Peer Reviewed. In this regard the Board organised the following programmes through virtual mode:

- VCM on "*Creating Instrinsic Value for firms*" on 22nd May 2021.
- Following seven series of VCM's were organised from 24th July 2021 till 28th August 2021. These were designed for Practicing Firms with Practical approach to overall Assurance Engagement process in Compliance to SQC 1 and Best Practices.

S. No.	Topic	Date
1	How to scale up as a CA Firm	24.07.2021
2	Assignment of Engagement Teams & Engagement	28.07.2021

	Performance	
3	Audit documentation for Small and Medium Practitioners	4.08.2021
4	Complying with Accounting & Auditing Standards	11.08.2021
5	Quick Referencer- Other Assurance Services.	18.08.2021
6	Firm automation - the need of the hour	25.08.2021
7	Understanding QRB; FRRB; TAQRB & PRB	28.08.2021

- To Mark the occasion of *Bharat Ki Azadi Ka Amrit Mahotsav*, an initiative taken to celebrate and commemorate 75 years of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements, the Board organised a Virtual CPE Meeting on the topic "Importance of Peer Review for enhancing the quality of profession" on 16th November 2021.

(V) Revision in Questionnaire and sample selection criteria

The Board has considered and revised the Questionnaire to be submitted by the Practice Units. Part B has been revised to build the procedures and the policies in the Questionnaire itself so that the PU is at the ease of mentioning only Yes/No to the extent possible. The scope for this section has been restricted to SQC 1 guidance and AQMM only. The Board also revised the sample selection criteria for the Peer Reviewers.

(VI) Peer Review of Newly established Practice Units

The Board has recently decided that Peer Review of newly established Practice Units or Practice Units in existance since long but not doing attest assignments in the past can be conducted based on antecedents of partners and policy parameters announced by the Practice Unit for conduct of attest function, wherein a shorter period of validity of Peer Review Certificate should be stipulated.

5.18 Professional Development Committee (PDC)

The Professional Development Committee was established in 1962 with a mission to enhance skill sets of the members of our Institute in the existing and new areas. The Committee in its efforts to explore the unchartered areas for professional opportunities interact with the Government, regulatory authorities etc. requesting them to avail the expertise of the Chartered Accountants and utilize their services in various areas.

(I) Meetings with various Regulators and Ministries:

- **Meeting with Deputy Governor, RBI on 3rd March, 2022**

On 3rd March 2022, delegates of ICAI met Deputy Governor, RBI to discuss various concerns regarding proposed reduction in the audit coverage of funded and non-funded exposure of banks from 90% to 70%.

- **Meeting with Hon'ble Minister of State for Finance on 8th March, 2022**

A meeting was held with Hon'ble Minister of State for Finance to discuss the matter of proposed reduction in coverage of bank branch audits and also other matters affecting the profession.

- **Meeting with Hon'ble Comptroller and Auditor General of India on 25th March, 2022**

A meeting with Hon'ble Comptroller and Auditor General of India was held to discuss the matters related to mutual professional interest including increase in audit fees for the auditors of PSUs and organizing training programme for the officers of O/o C&AG in area of Ind AS.

- **Meeting with Dy. C&AG**

A meeting was held on 25th March 2022 with Dy. C&AG wherein ICAI had a detailed discussion on CAG Empanelment process.

- **Meeting with Hon'ble CVC**

A meeting was held with Hon'ble CVC on 8th April, 2022 wherein ICAI submitted for issuance of suitable guidelines so that minimum fee of professional assignments be mentioned in the tenders and also that statutory audit services be assigned using the Quality & Cost Based selection instead of least cost method. Also, during the meeting ICAI agreed to Support to Ministry for preparing a uniform framework for Cooperatives across states.

- **Meeting with I.A.S., Secretary, Ministry of Cooperation**

On 17th May, 2022, a meeting was held with Secretary, Ministry of Cooperation, I.A.S. During the meeting ICAI offered to prepare an updated accounting and training manual for the Ministry and also provide training to the officers of the Ministry.

- **Meeting with the Hon'ble Governor, RBI**

On 3rd November a meeting was held with the Hon'ble Governor to discuss the various issues concerning bank audits.

- **Meeting with Deputy Governor, RBI and Executive Director, RBI**

A meeting was held with Deputy Governor, RBI and Executive Director, RBI on 3rd November 2021 in Mumbai to discuss the issues like New Norms for SCAs, Audit quality enhancement – ICAI 's Initiatives, Revision of Statutory Audit Fee, Unremunerative concurrent Audit Fee, Anomalies in Appointment of Branch Auditors, Importance of Bank Branch Audit among others.

Similar concerns were also raised by the ICAI during the meeting held with Executive Director, RBI on 8th November 2021 in Mumbai.

- **Meeting with Director-RBI:**

A meeting was held with Director-RBI who promised full support and agreed to take it up with Governor, RBI on our request for fee increase.

- **Meeting with Chairman, Indian Banks Association:**

A meeting was held with Chairman, Indian Banks Association in which ICAI made a presentation on need for revision in fee.

- **Meeting with Dy. C&AG:**

PDC is working with o/o C&AG to revise the pricing for PSU audits in a way that is reasonable. A meeting was held with Dy. C&AG on 02.12.2021, wherein it was determined to collect the details of all PSU audit fees and then analyse the present fee structure before taking any action.

(II) Discussion on Statutory issues during Round Table Meet with RBI held on 24th December, 2021

In the first meeting of Structured Periodical Interaction between RBI and ICAI held on 28th June, 2022 various matters of professional relevance and strategic significance were discussed. Also, various recent Developments in Audit and Accounting in India and across the Globe, were also discussed during the meeting.

(III) Generating Professional Opportunities for Members in Practice:

- **Submission of Panel to Various Authorities:**

The Panel of Chartered Accountants/Firms has been provided to other authorities/agencies. A list of Panel submitted from 1st June 2021 to 30th June 2022 is given below:

- Panel Submitted to Indian Overseas Bank on 7th May, 2021.
- Panel of Delhi Based Chartered Accountants firms submitted to Ministry of Home affairs, BSF on 11th May, 2021.
- Panel of Mumbai Based Chartered Accountants firms submitted to IDBI Bank on 12th May, 2021.
- Bank Branch Auditors' Panel submitted to Indian Overseas Bank on 24thMay, 2021.
- Panel submitted to Deputy General Manager, (Inspection & Audit), Indian Bank, Corporate Office, Inspection Department on June 23, 2021.
- Panel submitted to Dy Supdt of Police, CBI/ACB, Lucknow on August 23, 2021.
- Panel submitted to The Assistant Registrar, Cooperative Societies, J&K, Srinagar/ Jammu on September 28, 2021.
- Panel submitted to Superintendent of Police, Central Range Directorate of Vigilance and Anti-Corruption No. 293, M.K.N. Road, Alandur Chennai – 600016 on October 12, 2021.
- Panel submitted to NABARD on 8th February 2022.
- Panel submitted to Manager, Department of Supervision, RBI, Bhubaneswar 27th May, 2022.
- Panel submitted to (REG-DRO), National Stock Exchange of India Limited on 30th June, 2022.

- **Professional opportunities on PD Portal regarding Tenders:**

The PD Portal (www.pdicai.org) so developed by PDC, provides the members of ICAI with the information that they need to enrich their own practice and provide value added services to their clients. Further, total 1443 tenders were uploaded on PD portal during the period from 1st April, 2021 to 30th June, 2022 which was related to Statutory Audit, Internal Audit and other consultancy services.

(IV) Other Activities:

- **Revision of PD Publications:**

The Committee has revised its following existing Publications:

- ✦ Frequently Asked Questions (FAQs) for NPOs.
- ✦ FCRA Laws and Technical Guide on Accounting of NPOs.
- ✦ The "Quick Insights on Professional Opportunities for Chartered Accountants"
- ✦ Tendering of Professional Services- All that you should know (Edition 2021 & 2022)

- **MOUs with IIMs**:

ICAI has entered into the MoU with IIM -Ahmedabad for conducting residential training programme for Chartered Accountants. Under the MoU with IIM-A, various residential courses have been conducted during the year.

- **Certification Courses on Cooperative:**

PDC conducted **Certificate Course on Co-operatives** for professional development of the members in this field. The Course was completed on 18th June 2022.

- **Suggestions of ICAI on Revised Norms of Statutory Branch Auditors in Public Sector Banks**

The RBI has sought ICAI views and suggestions on Revised Norms of Statutory Branch Auditors in Public Sector Banks regarding category-wise stipulations regarding the number of partners, number of CAs, professional staff, bank audit experience, standing of the firm and number of branches to be allotted to audit firms in various categories etc. so that the matter can be examined by the RBI. To discuss the matter threadbare a dedicated MEF group was formed by the PDC wherein four meetings of the Group were held. Subsequently the norms were discussed in PDC and thereafter approved in the Council and sent to RBI in February 2022.

- **Interactive Meet with MDs and CEOs, EDs (In charge of Audit & Accounts), CFOs of Banks**

Professional Development Committee has also organized an Interactive Meet with MDs and CEOs, EDs (In charge of Audit & Accounts), CFOs of Banks in India in Mumbai on 8th October 2021 at The Taj Mahal Palace Hotel, Gateway of India, Mumbai. The Interactive Meeting was organized with the Top Management of Bankers and regulators to understand their expectations from the profession and to gather suggestions to enhance the effectiveness of statutory audit of banks to bridge the gap between the auditee and auditors.

- **Central Statutory Auditors Meet**

An interactive Meet was organized on 9th February 2022 and 21st March 2022 in New Delhi, wherein SCAs' in very large number from all the Banks had joined in person and virtually. All the matters of interest for bank audits were discussed therein.

- **State Level Coordination Committee (SLCC)**

During the year more than 40 SLCC meetings were held by RBI and were attended by the representatives of ICAI.

5.19 Committee on Public and Government Financial Management (CP&GFM)

The ICAI keeping its mission and vision in mind constituted the Committee on Public & Government Financial Management (CP&GFM) that strives to assist Central & State Governments and Local Bodies in successful implementation of the accounting reforms and public finance management. The Committee primarily focuses on capacity building of the finance officials of various tiers of Government by varied means such as workshops, e-training modules, etc., apart from formulating Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs).This is an initiative of ICAI to meet its social obligations by providing professional services of CAs beyond corporate sector and to the public at large, by being true to its role of being a partner in nation building.

(I) Publications released

- Guidance Note on 'Accounting for Investments' for Local Bodies
- E-book on 'Role of Professional Accountants in Public Financial Management'
- Summary of Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs)
- Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs) at a Glance

(II) Formulation of Accounting Standards for Local Bodies (ASLBs)

The following ASLBs were issued by the ICAI:

- ASLB 35, '*Consolidated Financial Statements*',

- ASLB 37, '*Joint Arrangements*', and
- ASLB 38, '*Disclosure of Interests in Other Entities*'.

Draft of ASLB 40, 'Entity Combinations' is under consideration of the Council of the ICAI.

(III) Technical comments submitted

- Comments submitted on following drafts of International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB):
  - ✦ Exposure Draft 75, 'Leases'
  - ✦ Exposure Draft 76, *Proposed Update to Conceptual Framework: Chapter 7, Measurement of Assets and Liabilities in Financial Statements*
  - ✦ Exposure Draft 77, *'Measurement'*
  - ✦ Exposure Draft 78, *'Property, Plant, and Equipment (PPE)'*
  - ✦ Exposure Draft 79, *'Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations'*
  - ✦ Exposure Draft 80, *'Improvements to IPSAS, 2021'*
  - ✦ Consultation paper on '*Strategy and Work Program 2019-2023, 'Mid-Period Work Program Consultation'*
  - ✦ Exposure Draft 81, '*Conceptual Framework Update: Chapter 3, Qualitative Characteristics and Chapter 5, Elements in Financial Statements'*
- Comments submitted on following GASAB documents/ draft Standards:
  - ✦ Guidance Note on Accounting for Fixed Assets
  - ✦ Draft Strategic Development Plan (SDP) 2022-25
  - ✦ Modified Exposure Draft on IGAS 2: Accounting of Grants-in-Aid
  - ✦ Draft Standard on 'Reserve Funds'
  - ✦ Revised draft on 'Due Process'
  - ✦ Draft 'Disclosure on Disinvestments of Public Assets'
  - ✦ Draft 'Prior Period Adjustment'

(IV) Training Programmes:

The Committee organised the following training programmes:

- Two days' virtual training programme on 'Financial Transparency and Accountability in ULBs' organised for the official of Urban Local Bodies on 9th & 10th June, 2022. The said training programme was attended by the more than 150 participants of various ULBs.
- For the officials of NHPC:
  - ✦ "3 days' training programme on "Corporate Governance: Corporate Laws, SEBI Guidelines, Listing Obligations and Insider Trading Codes" from 8th to 10th September, 2021
  - ✦ 3 days' training programme on "Project Management, Finance & Appraisal" from 15th to 17th November, 2021
  - ✦ 4 days' virtual Training Programme jointly with the Bangalore Branch of SIRC of ICAI for the officials of ULBs of Karnataka State on Double Entry Accounting System from 4th May to 7th May, 2021.

(V) Webinars/VCM:

- The following Webinars were organised by the Committee under the activity of AKAM:
  - ✦ 'Innovative Financing Strategies for Urban Local Bodies' on 18th May, 2022.
  - ✦ 'Mandates for CAs working for Local Bodies' on 19th April, 2022
  - ✦ 'Making Urban Local Bodies self-reliant and self-sustainable' on 22nd March, 2022.
  - ✦ 'Good Governance System in Government – Transparency & Accountability in Government Financial Reporting & Management' on 23rd February, 2022
- One day CPE programme on Accounting and Auditing of Public Enterprises jointly organised with CPE Committee and hosted by Dhanbad, Ranchi and Jamshedpur branch of ICAI at Ranchi on 30th October, 2021.
- The Committee in partnership with the Ministry of Rural Development (MoRD) organised a 5 days' 'Webinar series on "Financial Management of Welfare Schemes of the Government: Focusing on Rural Development" from 23rd to 27th August, 2021. Secretary, DoRD (Chief Guest), DG, National Institute of Rural Development & Panchayati Raj (Guest of Honour) inaugurated the webinar. The said webinar series was viewed live by the officials/staff of Rural Local Bodies and Members of the ICAI.
- Webinar on 'Audit, Tally & Reconciliation and Double Entry Accounting System' was organised on 5th June, 2021 for the officials of Local Bodies. The Webinar was attended by the officials of more than 150 Local Bodies from more than 20 States & Union Territories.

- Webinar on 'E-Panchayat and Role of Professionals' was organised on 14th May, 2021 which was followed up by a Question & Answer session for the benefit of the members.

(VI) E-learning Modules for local bodies

The Committee hosted following e-lectures on the ICAI TV during the period 1st April 2021 to 30th June, 2022:

- Reforming Property Tax System in ULBs
- Effective Utilisation of 15th Finance Commission grants by PRIs
- Impact of 15th Finance Commission Recommendations for ULBs

(VII) Certificate course on Public Finance & Government Accounting

- 11 online batches completed during the period along with 7 online examinations.
- Introduced (Online) Self-paced course on DLH Platform of ICAI for Members of ICAI.

(VIII) Meetings held with various Central/State Government heads during the period

S. No.	Name of the dignitary	Date
1	Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Rural Development (MoRD) and Sh. R D Chouhan, CCA, MoRD	6th May, 2022
2	Additional Secretary, Ministry of Panchayati Raj	26th April, 2022
3	Dy. C&AG and Chairperson, GASAB	22nd April, 2022
4	Director General, Local Bodies, O/o C&AG	8th March, 2022
5	Special Secretary, NITI Aayog	17th January, 2022
6	IAS, Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Karnataka	27th December, 2021
7	Joint Secretary, Ministry of Panchayati Raj	5th July & 14th December, 2021
8	Deputy C&AG, O/o C&AG of lndia	1st July & 17th December, 2021.
9	IAS, Principal Operations Coordination Specialist, Asian Development Bank	14th June, 2021

(IX) Project with NITI Aayog

CP&GFM and ICAI ARF along with NITI Aayog initiated a study on "Transition to accrual accounting: Models and learnings for Urban Local Bodies". Delhi, Gujarat, Karnataka, Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu and Delhi Cantonment Board have been selected for the Study. States were selected on the basis of maturity levels of their reforms as well as their geographical distribution.

(X) Helping Government & others – Assistance provided to PSEs Assam

The Chairman, CP&GFM and Central Council Member, ICAI were nominated to the Task Force constituted by Government of Assam for mentoring and monitoring the finalization of Annual Accounts and Statutory compliance of Assam PSEs. Four meetings of the said Task Force were held in September, 2021.

(XI) Representations/Technical Inputs to Government

Representation to enhance transparency and accountability in Urban Development Authorities (UDAs) and Proposals to several State Governments emphasising the need of organizing the Capacity Building programmes for the officials of Urban Local Bodies as well as Rural Local Bodies, amendments in their respective Municipal Acts with respect to implementation of accrual accounting in the local bodies, and pilot projects for implementation of accrual accounting and ASLBs in ULBs were submitted from time to time.

(XII) Signing of Memorandum of Understanding with National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR), Hyderabad

To enhance capacity building measures and to develop co-operation and collaboration in research, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the National Institute of Rural Development and Panchayati Raj (NIRD&PR) signed a Memorandum of Understanding on 24th March, 2022 to develop and execute projects that improve Accountability & Transparency and effectiveness in implementation of Rural Development Schemes/ Programmes.

(XIII) Other Initiatives:

The Secretariat contributed articles "Empowering Local Bodies - Way ahead for Chartered Accountants" and "Moving in Unison with the Government in Public Financial Management" for April, 2021 and May, 2021 issue respectively of the ICAI Journal.

5.20 Public Relations Committee (PRC)

The mission of the Public Relations Committee is to develop, strengthen and enhance the image of the ICAI as a premier accountancy body and the sole regulatory authority for the profession of Chartered Accountancy in India through various ways and means, as considered appropriate within the framework of the CA Act. The PR Committee further endeavors to foster good relations and aims to bridge the perception gap, to provide better networking opportunities and to enhance the visibility of ICAI.

SIGNIFICANT INITIATIVES/ACHIEVEMENTS

(I) Activities towards commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav (AKAM)

As part of the Government of India's initiative to celebrate 75 years of India's Independence 'Azadi ka Amrit Mahotsav' , the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has been actively participating and organising activities at All-India level through hybrid mode. These activities are in sync with the ethos of remembering the country's Independence struggle and saluting its freedom fighters while highlighting the emergence of a new and resurgent India, Post-Independence.

The ICAI, through the Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) activities has been making its own contribution to make the larger audience aware about the latest developments in the related fields. The activities undertaken stem from new ideas and pledges that have the potential to enable fuelling the spirit of *Aatmanirbhar Bharat* resonating the vision of Hon'ble Prime Minister of India. Under AKAM, series of Seminars & Events were organised by ICAI since September, 2021. The PR Committee on behalf of ICAI, has been coordinating the aforesaid activity with the Ministry of Corporate Affairs.

Taking the initiative forward, the ICAI participated in the Iconic Week celebrations of Ministry of Corporate Affairs.

(II) MCA Iconic Day event on June 7th

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) organised its "Iconic Day" event on June 7th 2022 at Vigyan Bhawan. The event was inaugurated by Hon'ble Minister for Finance and Corporate Affairs in the presence of Hon'ble Minister of State for Corporate Affairs & MoS (I/C) Ministry of Statistics and Programme Implementation and Ministry of Planning and other senior functionaries from the Government.

The ICAI also participated in the said event and was closely associated with the following activities:

- **Technical Session on "Role of Professionals in Corporate Governance and Nation Building"**

  The Session was Chaired by JS MCA. The Moderator of the session was Ms. Mithlesh, Advisor Cost (Cost Audit Branch), Ministry of Corporate Affairs

  Panelist:- President, ICAI, President, ICSI, President, ICOAI

- **Investor Oath**

  An Investor Oath was administered by the Finance Minister from Vigyan Bhawan that was witnessed across 75 locations in India. Out of these 75 locations, 25 locations were ICAI branches from all 5 regions.

- **ICAI Stall**

  A stall was allotted to ICAI in Vigyan Bhawan alongwith other professional bodies. The stall was visited by Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs and MoS, Corporate Affairs. President, ICAI along with Vice-President, ICAI briefed the dignitaries about ICAI initiatives. Appropriate publications were displayed and the Audio Visuals promoting WCOA 2022 and other activities undertaken by ICAI promoting AKAM , were also played.

(III) ICAI Iconic Day Event - June 8th

On the "Iconic Day" programmes were organised by the Institute throughout the day at New Delhi. A diverse range of activities were organised ranging from *Tree Plantation Drive to Jan Jagrukta Awareness on Financial & Tax Literacy* to organising webinars on *Strengthening MSMEs, Strategies for Economic Revival, Women Empowerment and Practical Ideas to make our Planet Sustainable.*

As a Run Up to the main Event, the following activities were undertaken by the ICAI in the months of April & May, 2022.

- "Jan Jagrukta" - Creating awareness on Financial & Tax Literacy (F&TL)
- Padyatra
- Street plays
- "Go Green" - All India Tree Plantation Drive
- Mega Career Counselling Drive, 2022 and Lecture on the Freedom Struggle
- Take the ICAI Sustainability Challenge- Online Competition
- CA Student Talent Search 2022

(IV) Glimpses of Seminars & Programmes organised on ICONIC DAY - June 8th 2022

- Seminar on "Strengthening, Funding & Financing of the Indian Entrepreneurial Ecosystem" organized by Committee on MSME & Start-Up
- Seminar on "Strategies for Economic Revival" organized by Committee on Management Accounting
- Seminar on "Practical ideas to Go Green and make our Planet Sustainable" organized by Sustainability Reporting Standards Board
- Seminar on "Women - From Empowerment to Excellence - Contemporary Perspectives"

The event at New Delhi was inaugurated by the Chief Guest Hon'ble Member of Parliament (Rajya Sabha) and Guest of Honour, Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

A "National Level CA Students' Elocution Contest" was also organised at New Delhi as part of "Azadi ka Amrit Mahotsav" celebrations. The event was graced by Hon'ble Member of Parliament (Lok Sabha), Guest of Honour at the occasion. The event also witnessed a motivational session by Sister , Brahma Kumari on "Role of Youth in making India *Vishwaguru Bharat*".

The PR Committee coordinated and organised the entire activity of ICONIC DAY.

(V) Promotion of AKAM & "Iconic Day" event

- ICAI contribution towards promoting "AKAM" was publicized through advertisements published in major publications all across the country.
- "Financial & Tax Literacy Drive" of ICAI and other activities undertaken as a part of "Azadi ka Amrit Mahotsav were publicized on "FM Channel" covering major cities of the country.
- An AV on ICAI contribution towards nation building by carrying forward various significant initiatives of the Govt. was developed and played at various forum.

(VI) CA Day –July 1ST 2021

The CA Day 2021 was publicized widely through medium of Print/Electronic / Radio and Social Media.

(VII) 8th International Day of Yoga (IDY) - June 21st 2022

ICAI organised 8th International Day of Yoga in a grand manner through its network of 5 Regional Councils and 166 Branches. An Exclusive Session on "Yoga for Work Life Balance" was also organised on June 21st wherein Yogrishi Swami Ramdevji addressed ICAI Members & Students.

A video message of President & Vice-President, ICAI was shared with all RCs & Branches to motivate them.. The same was also hosted on ICAI website and all social media platforms.

The creative(s) promoting 8th IDY celebrations by ICAI were also hosted on all social media platforms.

(VIII) 72nd ICAI Annual Function

72nd ICAI Annual Function was publicized through Print media by publishing advertisement in major publications.

- **Audio Visual on Significant Achievements of ICAI**- The said AV covering significant achievements of ICAI during the year 2021-22 was developed by the Committee. and played during the Annual Function.

(IX) Treasure Trove of Wisdom from Visionaries (Speeches of Past Presidents 1949-2021) – Fifth Edition 2021

The Committee undertook the initiative to update the publication "Treasure Trove of Wisdom from Visionaries" which was last updated in the year 2020. The publication covers speeches of Past Presidents of ICAI delivered during the Annual Function.

(X) ICAI Year Book 2021-22

A comprehensive document capturing significant initiatives undertaken & achievements made by the Institute/Committee's/Deptt.'s/ Regional offices/ Branches during the year was brought out in the publication "Year Book: 2021-22".

(XI) Publicizing "Financial & Tax Literacy Drive" - Year 2021

CA profession with its professional expertise and reach across all strata of the society has an important role to play in building an ecosystem to promote financial and tax literacy amongst all. ICAI initiated the campaign to promote financial literacy through Vitiyagyan – ICAI ka Abhiyaan. The highlight of the drive is that education has been imparted in different vernacular languages using the lucid language, illustrations, and videos which will have better understanding and direct connect with every section of the society.

The Public Relations Committee publicized the Financial & Tax Literacy Drive by creating awareness through publishing advertisement in Publications & Magazines. By using Radio, a popular medium to reach out to the target audience.

(XII) Virtual International Conference 2022- January 20-22, 2022

The Virtual International Conference of ICAI was promoted through

Print Media: The advt.s were published in major publications for creating awareness and for Brand Building.

Audio Visuals: An Audio Visual on "Major Achievements of ICAI" undertaken during the year was conceptualized and developed. The same was played on the virtual platform of the event.

Social Media: The Conference was also publicized on social media platforms.

(XIII) Webinar with International Financial Services Centres Authority (IFSCA)

A Webinar on "Opportunities for Professional Services Providers in International Financial Services Centres Authority (IFSCA)" was organized by the PR Committee in the month of July, 2021 wherein Chairperson, IFSCA and Head Development, IFSCA addressed the participants along with President & Vice-President, ICAI. The Webinar was also promoted through all ICAI social media platforms

(XIV) Virtual Health Awareness Drive for Chartered Accountants

The COVID 19 pandemic has drastically changed the work and lifestyle of professionals. All these lifestyle changes are associated with various risks which may cause several diseases. In most of the cases these diseases go unnoticed till the severity of the same becomes very high therefore, it is important to step up health literacy, awareness and knowledge amongst the members.

Taking note of the fact, the PR Committee along with Ranchi Branch of CIRC organised a "Virtual Heal Awareness Drive for Chartered Accountants." The Webinar was organized on the topic "Lung Cancer Awareness" on January 28, 2022 . The program was well attended.

(XV) ICAI Brand Building

For brand building of ICAI and CA Profession, regular advt.s were published in Newspapers / Magazines- News/ Business/ In-flight, etc. Various initiatives being undertaken by ICAI & key features about the CA course were publicized widely by publishing advt.s.

(XVI) Other Initiatives

- All major initiatives taken by the Institute were promoted through Social media in addition to print/electronic & online media.
- The Media was constantly apprised about the latest developments regarding the curriculum, profession, visit of foreign delegations, other activities and events, etc. through the issue of Press Releases.
- The Committee promoted the potential & scope of Chartered Accountancy Profession in today's dynamic context by way of articles as well as through interactive meetings/releases issued to the press at the national/regional level and through various TV Channels.
- As part of the PR exercise, organized appropriate coverage in Print and Electronic Media for different Seminars/ Programmes/ Events of ICAI.

5.21 Research Committee

The Research Committee of the Institute of Chartered Accountants of India, set up in 1955, is one of the oldest technical committees, that aims to create and support a research culture which will enhance and enrich the quality of services rendered by the profession.

The primary objective of Research Committee is to undertake research and strengthen the institutional capacity in the domain of accounting and other affiliated areas with a view to benefit the profession and nation at large. Research Committee also seeks to create a conducive environment for promoting Research & Innovation activities in the

profession through its various Research projects, programmes, workshops, seminars etc. The Committee is dedicated to sharing and developing strategies to promote collaborative global research in the various areas of international importance.

The Committee also undertakes approved research projects on current and continuous basis in various areas which are generally published in the form of Guidance Notes, Technical Guides, Studies, Monographs, etc. on generally accepted accounting principles and practices.

(I) Project in Progress

Committee has various projects in progress such as -

- Guidance Note on Utilisation of Capital Reserves
- Understanding the Thin Line of difference between Professional Negligence and Criminal Act
- Research Proposal on Finance & Tax Literacy Stat-Ups

(II) Awards

- **ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting**

These awards are being presented annually since 1958. Selection of awardees in specified categories is made through a robust three tier process: first review by Technical Reviewers followed by review of short-listed annual report by Shield Panel and final review by External Jury.

Jury meeting for the competition year 2020-21 was chaired by CMD, NBCC (India) Ltd. The award function to honor the awardees for the year 2020-21 was held on February 9, 2022. The Chief Guest for the function was Hon'ble Minister of State (Independent Charge) of the Ministry of Earth Sciences and Science & Technology, Minister of State in the Prime Minister's Office and Ministry of Personnel, Public Grievance. A total of 25 awards – Four Gold Shield, Ten Silver Shields and Eleven Plaques were given away.

- **ICAI International Research Award**

The Awards could be considered as the World's Largest Cross Border Competition, with an objective to encourage and provide recognition to research scholars across the globe and their contribution in fostering research studies leading to innovation and value creation. This awards is being held with the objective to acknowledge the contribution made in research activities in the area of Accounting, Auditing, Finance, Economics and Taxation.

A Jury Meeting for 'ICAI International Research Awards 2021 was chaired by President, IFAC. The other members of the Jury were Deputy President, IFAC, President, FCM, President, EFAA, Prof. Teerachai Arunruangsirilerts, Deputy President, AFA, President, ICAI & Vice-President, ICAI. The award function to honor the awardees was held on August 31, 2021 which was graced by Hon'ble Governor, Jharkhand. This year a total of 14 awards were given in 4 categories.

(III) Schemes

- **ICAI Doctoral Scholarship Scheme**

It is open for all the members of the Institute who are pursuing PhD and are not more than 40 years of age on the last date of application. ICAI Doctoral Scholarship Scheme provide requisite support to the eligible candidates with outstanding academic credentials, intellectual curiosity and needed discipline to make scholarly contribution. Their contributions will extend not only to business practices, but also to public policy and governance. The scholarship of Rs. 50,000 per month for a maximum period of 3 years will be given to 5 scholars annually.

- **ICAI Research Projects Scheme**

It is open for members having experience of more than 10 years either in practice or in employment. The maximum amount of Rs. 10 lacs will be given. The applicants will be given the time duration of 6 months for completing the research projects after the research proposal is approved by the Research Committee. The scheme is open round the year.

(IV) Publications released during the year

- Evaluating the Effect of Scientific Meditation on Employee Burnout: A Multinational Study
- Compendium on disciplinary case studies

(V) Virtual CPE Meeting/ Virtual National Conference/ Webinars/ Seminars held during the year

Research Committee had organised 4 webinars, 36 Virtual CPE Meetings, 2 Virtual National Conference and 3 Seminars during the year which covered the contemporary topics like Importance of Legal Research methods in

Commercial and Tax Advice, Emerging Areas of Accounting Research, Guide on designing Research Questionnaire, Comprehensive guide on conducting Literature Review in Research, Research Studies on Examining Value Relevance of IFRS and Integrated Reporting, Research Findings on relationship between Direct Tax and Laffer Curve, Research Findings on 'The Digitalization of Tax Administration in China, India and Korea in the Fourth Industrial Revolution, Fundamentals of Research Methodology, Decoding Quantitative Research in accounting, finance and other allied areas, Introduction to the tools and techniques for conducting Statistical Research, Future of Research in Accounting and Finance, Significance of applying Data Collection Methods, Theory of Sampling in Research, Sharing Research findings on research paper on Accounting and Taxation issues of Carbon Credit Transactions, Importance of Data Analysis in Research, Sharing Research finding on Complexities of Form 3CD and way forward etc.

(VI) Capacity Building on Research Methodology through Training Programme on Research Methodology- Usage of Statistical test in Business data Analysis-Beginners' Module and Advance Module

To build the capacity in the field of Research Methodology, Research Committee had organised a 5 Days Training Programme on Research Methodology- Usage of Statistical test in Business data Analysis- Beginner's Module and Advance Module which was held in the month of April 2021 and July 2021 respectively. The Training Programme was structured to provide guidance regarding usage of statistical test like Correlation, Regression, and Factor Analysis in analyzing business data. It provided guidance on business research, steps of business research process, scaling, hypothesis formulate on, its types and errors, which will enable participants for future research studies.

(VII) Virtual Training Programme

The Committee had conducted a Training Programme on "Understanding the issues in the Data of Banking System; through Fund trail, Background Checks and various case studies" for the Investigating Officers of Economic Offence Wing (EOW) Unit in the month of May 13, 2021 and May 28, 2021. The Committee also organized Virtual training program for officers of NBCC (India) Ltd in the month of September, 2021.

5.22 Sustainability Reporting Standards Board (SRSB)

Sustainability Reporting Standards Board (SRSB) has been constituted by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) in February 2020, with the mission to formulate comprehensive, globally comparable, and understandable standards for measuring and disclosing non-financial information about an entity's progress towards United Nations Sustainable Development Goals (SDG) 2030. The Board is working relentlessly to identify and develop opportunities for chartered accountants in Sustainability Reporting, develop audit guidance for non-financial reporting, take adequate steps to enhance knowledge of members and other stakeholders by conducting certificate course, workshops, and seminars.

Significant Achievements and Initiatives

(I) Publications Issued

- **Background Material on Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) - Revised Edition 2021**

The Board has brought out revised edition of "Background Material on Business Responsibility and Sustainability Reporting". The said Background Material provides guidance on disclosure of qualitative information, assurance aspects and adoption of best practices vis a vis BRSR.

- **Sustainable Development Goals – Accountants Creating Sustainable World - Part 2**

The publication "Sustainable Development Goals - Accountants Creating Sustainable World Part 2" contains an overview and related aspects of six SDGs (SDG 6 to SDG 11). The publication would assist members and other stakeholders in finding and developing innovative solutions, incorporating the concepts of sustainable development to mitigate the impending economic and environmental uncertainties and also guide businesses through the transition from theory to action.

- **Sustainable Development Goals – Accountants Creating Sustainable World - Part 3**

Part 3 of the publication "Sustainable Development Goals - Accountants Creating Sustainable World" covers six SDGs (SDG 12 to SDG 17). The publication aims to assist members and other stakeholders in helping organizations identify and act on the full range of priority SDG targets that intersect with their operations and value chains.

- **ICAI Journal - August 2021 Edition on "Business Responsibility and Sustainability Reporting"**

The August 2021 edition of the ICAI Journal has been released on "Business Responsibility and Sustainability Reporting". Major topics of the Articles were - Building Sustainability Reporting Maturity – SRMM Version 1.0, SDG Agenda – Partnerships in the Decade of Action, Aligning Corporate Social Responsibility Initiatives with Sustainable Development Goals, Reporting Frameworks and SEBI Circular on BRSR, BRSR and Disclosure Challenges and ESG and Sustainability – Board oversight.

(II) Meetings/ Interactions with Regulators and International Bodies

- **Submission of Comments to SEBI on the Report submitted by the Technical Group on Social Stock Exchange**

Securities and Exchange Board of India (SEBI) had constituted a Technical Group (TG) on Social Stock Exchange (SSE) and had nominated Chairman, SRSB as a member for developing framework for on boarding Non-Profit Organisations (NPOs) and For-Profit Social Enterprises (FPEs) on the SSE including defining for profit social investing/enterprises, prescribing disclosure requirements relating to financials, governance, operational performance and social impact. The TG had submitted its report with certain key recommendations to SEBI.

- **Submission of comments to IFRS Foundation on Exposure Draft on Proposed Targeted Amendments to the IFRS Foundation Constitution**

IFRS Foundation Trustees have published an Exposure Draft on Proposed Targeted Amendments to the IFRS Foundation Constitution to accommodate an International Sustainability Standards Board (ISSB) to set IFRS Sustainability Standards. The Board has submitted comments to IFRS Foundation.

International Initiatives

- IFAC has published an article in May 2021 on "Sustainability Reporting Maturity Model (SRMM) Version 1.0" released by SRSB.
- President ICAI and Chairman SRSB had meetings with PAFA and UNCTAD for successful collaborations towards Sustainability initiatives.
- Chairman, SRSB participated in 'IFAC & Jeju Group Assurance of Sustainability Roundtable' on 3rd August 2021 and had presented views from Indian perspective. Representatives from Japan, Korea, Singapore, China, Indonesia, Australia and New Zealand also participated. The objective was to understand the extent to which companies are reporting and obtaining assurance over their sustainability disclosures, which assurance standards are being used, and which companies are providing the assurance service.

Participation in Conferences

- Chairman, SRSB has participated in Two days virtual conference on 'Financial Reporting & Control: Recent Developments, Contemporary Issues and Challenges' organised by the Associated Chambers of Commerce & Industry of India (ASSOCHAM) on 6th - 7th May 2021.
- Chairman, SRSB, Vice-Chairman, SRSB have attended the Virtual Chartered Accountants Worldwide (CAW)-Sustainability Conference on 16th June, 2021.

(III) Capacity Building Initiatives

- **Certificate Course on Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR)**

The Board has successfully conducted Ten batches of Online Certificate Course on Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) with participation of more than 800 members. The objective of the course is to understand the current regulatory framework of Business Responsibility and Sustainability Reporting, analyze disclosures made by Indian companies, assurance aspects and discuss best practices adopted.

- **Webinars/Virtual CPE Meetings**
  - ✦ Webinar on "Audit and Assurance of Sustainability Reports – Key Issues and Applicable Standards" to deliberate on current standards and frameworks of Audit and Assurance of Sustainability Reports, issues and challenges and evolving best practices in this area to promote quality and consistency of assurance practices.
  - ✦ Global Webinar on "Sustainability Reporting Maturity Model (SRMM) Version 1.0" to discuss the current scenario of Sustainability Reporting, adoption of SRMM Version as a tool to assist corporates in moving towards higher levels of maturity, and the crucial role of regulators, international organizations, accountancy bodies and corporate leaders in propagating and implementing SRMM Version 1.0.
  - ✦ Webinar on "Save our Mother Earth – Integrate SDGs into Business Practices and Reporting" on the occasion of World Environment Day to deliberate on the need of businesses to prioritize SDGs targets for saving the Mother Earth, ways in which businesses can invest to restore the eco-system, role played by

accountants in stimulating greater interest in the SDGs as well as insights on planning and reporting processes to monitor SDG performance.

- ✦ Webinar on "The Key Role of Regulators - A step towards Greener Economy" to deliberate on the role and importance of Regulators towards sustainable growth and greener economy, offer insights on the present policy framework as well as various challenges at national and sub-national level.
- ✦ Global Virtual Sustainability Summit on the theme - Accelerating Sustainability Agenda: Opportunities for Professional Accountants to deliberate on the need of businesses to adopt sustainability practices; collaborative efforts towards transition to low carbon economy; strengthening efforts towards building harmonized global sustainability reporting system and crucial role of accountants in leading the sustainability agenda.
- ✦ Webinar on "Sustainability Reporting - Emerging Issues and Insights" to emphasize on importance of Sustainability and need for Business Responsibility and Sustainability Reporting as well as on Sustainable Development Goals in the context of businesses.
- ✦ Seminar on "Practical ideas to go green and make our planet sustainable" to encourage members and other stakeholders to contribute to the global agenda and make our planet sustainable for generations to come.

(IV) Initiatives undertaken towards raising awareness in the Sustainability Domain

- Take the ICAI Sustainability Challenge
- All India Tree Plantation Drive – "Go Green"
- ICAI Sustainability Literacy Drive

As part of the ICAI Sustainability Literacy Drive, the Board has developed:

- ✦ Videos on each of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
- ✦ Awareness video - Role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Achieving Sustainable Ecosystem
- ✦ Awareness video - Role of Households in achieving Sustainable Ecosystem

- Corporate Film on "Simple Steps to make our Planet Sustainable"
- Carbon Footprint Challenge

(V) Awards

- ❖ ICAI Sustainability Reporting Awards
- ❖ ICAI International Sustainability Reporting Awards

(VI) Social Audit Standards

Securities and Exchange Board of India (SEBI) had released Framework for Social Stock Exchange (SSE) in September 2021 wherein SSE will be separate segment of the existing stock exchanges to facilitate fund raising by social enterprises in the Securities Market. Further, Social Audit shall be mandatory for entities on SSE. Recognizing the fact that ICAI as a Statutory body has the experience and expertise and core competence to regulate the Auditors with necessary infrastructure, ICAI has been entrusted to develop Social Audit Standards and also prepare the course syllabus for certification of social auditors.

The Board is developing single Comprehensive Framework for Social Audit Standard and area-specific social audit standards on areas mentioned in the illustrative list of 15 areas and sub-areas for taxonomic classification of social objectives (SEBI Technical Group Report on Social Stock Exchange). It covers various related areas of audit of social impact, for example, poverty, nutrition, climate change, etc. Draft Framework for Social Audits and Draft Social Audit Standard (SAS) 2 "Education, Employability, and Livelihoods" is being finalized in consultation with SEBI. Further, other 14 Social Audit Standards are in the process of development with support of expert groups.

5.23 Committee on Financial Markets and Investors' Protection (CFM&IP)

Committee on Financial Markets and Investors' Protection (earlier known as Committee on Capital Market and Investors' Protection) provide suggestions on various Bills, Notifications, Circulars and other documents related to Financial Markets to the Government and Regulators. Besides this, the Committee regularly interacts with MCA, RBI, SEBI, Insurance Regulatory and Development Authority, Non- Finance companies – NBFCs (Department of Non-Banking Finance companies of RBI), Forward Markets Commission and Stock Exchanges on the issues relating to Financial Markets, role of CAs and Investors' Protection.

(I) Partner in Nation Building

To create awareness amongst the public at large and to ensure investors protection, the Committee conducts Investor Awareness Programmes (IAPs) through various Resource Persons (RP) and Programme Organizing Units of ICAI i.e.

Branches/Regional Councils/Study Circles, under the aegis of Investor Education and Protection Fund Authority (IEPFA) of the Ministry of Corporate Affairs (MCA). During the year 21-22, CFMIP had organised 117 IAPs for public at large.

The Committee conducted Train the Trainer Programme for Training of Resource Person on July 2021 for 5 days. The objective of this programme is to brush up the skills and knowledge of Resource persons on financial market domain and other key concepts relevant for investors to conduct the IAPs.

(II) Initiatives for the Members

New professional opportunities as Merchant Banker

The Committee had made representation to SEBI requesting for restoration of the Category – IV, so that Chartered Accountants could register as Merchant bank under erstwhile Category-IV of SEBI (Merchant Bankers) Regulations, 1992. This initiative, would provide new opportunities to our members for professional growth.

Certificate Courses

To enhance the skills of our members and to empower them suitably, the Committee conducts Certificate Course on Forex and Treasury Management, Certificate course on Derivatives, Certificate course on Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research and Certificate course on Financial Markets and Securities laws.

During 21-22, Committee has successfully conducted 7 Online batches through Digital Learning Hub of the Certificate Course on Forex & Treasury Management, Certificate course on Derivatives, Certificate Course on Financial Markets & Securities laws and Certificate course on Fundamental & Technical Analysis of Stocks including Equity Research wherein 581 Members of ICAI has enrolled in the said Certificate Courses.

(III) National Conferences/Seminars/Workshop/Webcast/Residential Refresher Course (RRC) for professional enhancement of members

The on-going spread of pandemic Covid-19 have completely changed role of professionals. This unprecedented situation was not anticipated by any one of us. It is an awakening call for all of us to identify the challenges, create new opportunities so that we, as a profession can grow. Recognising the need of the hour, the Committee has disseminated knowledge among members by way of various Virtual CPE Meetings and webinars. The Committee on Financial Markets and Investor's Protection successfully conducted 42 Virtual CPE Meetings, 06 webinars, 8 National conference/seminar & 3 Residential Refresher Course with support of Branches of ICAI during the year.

5.24 Audit Committee

The Constitution of Audit Committee of the Institute is governed by the Council. Audit Committee reviews the reporting process and disclosure of financial information of the Institute to ensure that the financial statements are true and fair. It appoints auditors for the various units of the Institute, reviews the audit reports, takes follow up and recommends appropriate actions on the reports submitted by the Auditors of various units of the Institute. It ensures the independence and integrity while appointing auditors at various units of the Institute. The Audit Committee operates through five Regional Audit Committees located at each of its Regional Councils.

5.25 Digital Re-Engineering and Transformation Committee (DR&TC)

ICAI Digital Learning Hub – ICAI Digital Learning Hub is a single source of knowledge and functions as a central repository of both professional and academic learning material for members and students. https://learning.icai.org/iDH/icai/

ICAI DIGITAL LEARNING HUB – INTERNATIONAL RESOURCE GATEWAY is striving to Project ICAI and India as a Global Leader, sharing Technical Expertise and Knowledge to Least Developed and Developing Economies by enhancing their Professional Skills and Capabilities in Accounting domain. https://learning.icai.org/committee/irg/
The Skill India Hub under the aegis of the Skill India Initiative is Leveraging ICAI's Digital Learning Hub for customized competency and capacity building of Ministry and Government bodies in accounting and allied areas. https://learning.icai.org/committee/skill-india/

ICAI Mobile App ICAI Now and ICAI Social Media Platforms have been instrumental in Popularization of various ICAI's events, Key ICAI Achievements and Initiatives on no cost basis amongst students, members and other stakeholders of ICAI. https://www.icai.org/mobile/, https://www.icai.org/followus Digitalization of ICAI Records at Pan India Locations Of ICAI, Development & Implementation of Document Management System, Facilitated Online Mode of Service Delivery for Members, Students and Internal ICAI Stakeholders.

(I) Activities

- **ICAI DIGITAL LEARNING HUB –** ICAI Digital Learning Hub is a single source of knowledge and functions as a central repository of both professional and academic learning material for members and students.
  - ✦ Professional and Academic Content in Multiple Formats.
  - ✦ Content Tailored to suit each Niche Learner Segment.
  - ✦ Platform for Interaction with Peers through knowledge sharing engagements.
  - ✦ Single Source of Knowledge Repository of both professional and academic learning.
  - ✦ Use of Technology to disseminate Technology Snippets.
  - ✦ Knowledge Transfer through Publications, Guidance Notes and Courses.
  - ✦ ICAI Digital Learning Hub Link - https://learning.icai.org/iDH/icai/
- **ICAI DIGITAL LEARNING HUB – INTERNATIONAL RESOURCE GATEWAY**
  - ✦ To make ICAI's Digital Learning Platform a Global Repository for Student and Members of Accountancy profession
  - ✦ Projecting ICAI and India as a Global Leader, sharing Technical Expertise and Knowledge to Least Developed and Developing Economies by enhancing their Professional Skills and Capabilities in Accounting domain.
  - ✦ Promote the Indian Accounting Services and Brand Globally
  - ✦ Improving Diplomatic relations with countries to provide Global opportunities for Indian Chartered Accountants globally https://learning.icai.org/committee/irg/

(II) **The Skill India Hub** under the aegis of the Skill India Initiative is Leveraging ICAI's Digital Learning Hub for customized competency and capacity building of Ministry and Government bodies in accounting and allied areas. The Hub provides rich and valuable contents in a holistic manner to help its stakeholders to keep up their continuous professional development, and updates on contemporary practices and innovations. https://learning.icai.org/committee/skill-india/

(III) **ICAI mobile app ICAI now and ICAI social media platforms have been instrumental in popularization of various ICAI's events, key ICAI achievements and initiatives on no cost basis amongst students, members and other stakeholders of ICAI.**

ICAI has embraced Social media to stay connected with its stakeholders from anyplace and at any time. ICAI's stakeholders can Follow ICAI on ICAI Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Koo and Telegram pages to catch up on the latest news, Important Announcements, press releases and updates and to interact with Fellow members and exchange views on matters of professional relevance. ICAI Social Media Networking presence is continuously increasing, and total number of Followers has crossed 16,72,377(As on 13th June 2022) users. Under the able guidance of Digital Re-Engineering & Transformation Committee, the follower count has almost tripled and more will be added in the year 2022-23.

Platform	Followers/Subscribers/Likes Count(As on 13th June 2022)	Links https://www.icai.org/followus
Twitter	**3,36,200**	https://twitter.com/theicai
Facebook	**1,21,350**	https://www.facebook.com/theicai
YouTube	**3,66,412**	https://www.youtube.com/icaiorgtube
LinkedIn	**6,16,347**	https://www.linkedin.com/school/theicai/
Instagram	**1,51,416**	https://www.instagram.com/icaiorg/
Telegram	**66,046**	https://www.kooapp.com/profile/theicai/
Koo	**14,606**	https://t.me/theicai

ICAI Mobile App ICAI Now been instrumental in Popularization of various ICAI's events and Key Achievements and Initiatives on no cost basis amongst students, members and other stakeholders of ICAI.

The app has been downloaded by more than 5 lakhs of Users. It has been rated as 4.3/5 on App Stores and listed in top 100 Free Education Category.

Link for Download - https://www.icai.org/mobile/

(IV) DIGITALIZATION OF ICAI RECORDS AT PAN INDIA LOCATIONS OF ICAI

- Digitize all the hard copy documents present in ICAI Head Office and ICAI Regional Offices
- Preserve and protect these records from damage
- Records are available on the fly anytime, anywhere.
- Will help in reducing the turnaround time for efficient services to all stakeholders.

(V) DEVELOPMENT & IMPLEMENTATION OF DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

- Provisioning for Uploading Scanned PDF Files

- 100% Web Browser based software.
- ICAI users can access documents using standard Web Browser.
- Will help in reducing the turnaround time for efficient services to all stakeholders.

(VI) FACILITATED ONLINE MODE OF SERVICE DELIVERY FOR MEMBERS, STUDENTS AND INTERNAL ICAI STAKEHOLDERS

- Delivery of Certificate courses and Student Lectures in online mode
- Promoting anywhere and anytime learning through the ICAI Digital Learning Hub.
- Ensures Uptime of ICAI in Pandemic Times by launching new modes of Virtual Meeting and Webcasts
- Ensures Service delivery mechanism of ICAI does not stop.
- Great benefits from these Virtual Meeting Modes in ICAI Governance.

5.26 Management Committee

Management Committee, constituted in 2015 as non-standing Committee of the Council, is mandated to consider matters pertaining to formation of Branches, setting up of Chapters abroad, MoUs/ MRAs with national/ international bodies, appointment of central auditors of ICAI, annual accounts of the Institute, matters referred by the Central Government and other regulatory bodies, proposals for amendments in the Chartered Accountants Act, 1949, Rules and Regulations framed thereunder, Regional Councils and Branches matters, Members / CA firms / LLPs / mergers / demergers / networking related matters and proposals received from other committees / departments of the Institute having administrative and policy implications and making its recommendations to the Council wherever required.

5.27 Valuation Standards Board

The Vision of the Valuation Standards Board is to the make the Valuation Standards in India (ICAI Valuation Standards, 2018) at par with the best global practices. To achieve the vision, the Board, evolve, improvise, create awareness and promote implementation of ICAI Valuation Standards 2018, both in India and abroad. The Board also vision to promote Valuation profession and therefore is engaged in exploring opportunities for members in the area of Valuation Standards, both in international and domestic area. Apart from knowledge dissemination, the Board is also working closely with the Government on the initiatives taken by the Government to meet their vision

Significant Achievements and Initiatives

(I) Facilitating the Law Making Process with the Government

- **Engagement with the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)**

The Board is actively engaged with the Insolvency and Bankruptcy Board of India with a view to work on the Regulatory aspects and to create awareness around Valuation Profession.

The Board organised webcasts and VCMs, during the year, wherein the Board invited senior officers from Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) to address the Webcast/VCM and to share their perspective:-

- ✦ Webcast addressed by Chief General Manager, IBBI on "Issues in Valuation under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016" on 23rd April, 2021.
- ✦ VCM conducted by Senior IBBI official on "Learnings from the Observations of Peer Review of Valuation Reports" held on 11th July 2021.

- **Valuation course to be conducted for ICLS officers jointly with ICLS Academy of the Ministry of Corporate Affairs**

Indian Corporate Law Service (ICLS) Academy of the Ministry of Corporate Affairs has desired that ICAI may conduct in-service programme on Valuation for ICLS officers. In this regard, a detailed module has been developed for 6 days duration with a batch size of 20 officers. In-service programme on Valuation will be launched soon.

(II) Submission to the Government/Ministry of Corporate Affairs/ Other Agencies:

- **Reply sent in response to the letter received from the Central Bureau of Investigation (CBI) requesting information in connection with a preliminary enquiry**

The Valuation Standards Board of ICAI was in receipt of a letter dated 26th April, 2022, from the CBI requesting us for submitting response to the letter by 28th April 2022-

In this regard the Board submitted a Brief Note on Valuation of Telecom Tower Companies in India on 28th April 2022 and shared that as of now no detailed guideline is available with ICAI for Valuation of Telecom Towers Industry.

The Board developed and shared "Guidelines for Valuation of Business in Telecom Tower Industry" with CBI on 8th June 2022. The Guidelines include study of overall telecom industry including telecom operators and telecom tower industry, business valuation methodology, valuation approaches and methodologies used, Telecom Tower Industries past history and future trends and also the key drivers impacting the valuation of this industry.

- **Recommendation regarding 'Rationalize Pricing Guidelines' of IVCA submission 2021-22 on providing capital for start-ups, scale-up and growth companies & kick-starting growth investments**

The Ministry of Corporate Affairs had requested the Institute of Chartered Accountants of India to examine suggestions submitted on the subject 'Rationalize Pricing Guidelines' and pragmatic approach on applying fair market value principles in transaction between independent parties and included in the 12th Report of Standing Committee on Finance (2019-2020) on financing the startup ecosystem.

A detailed paper including the recommendations of ICAI regarding 'Rationalize Pricing Guidelines' of IVCA submission 2021-22 on providing capital for start-ups, scale-up and growth companies & kick-starting growth investments, was submitted to the Ministry of Corporate Affairs on 18th August 2021.

- **ICAI's Inputs on International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Valuation and Goodwill Survey submitted with Securities and Exchange Board of India (SEBI)**

The Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide an e-mail dated 8th February, 2022, requested the Institute of Chartered Accountants of India to share its input on a survey conducted by International Organization of Securities Commissions (IOSCO) which included questionnaires on Valuation and Goodwill.

ICAI inputs on both Valuation and Goodwill were submitted on 23rd Feb 2022 with SEBI.

(III) Representation to Regulators/ Banks regarding mandating Valuations and adoption of ICAI Valuation Standards 2018

The Board is in the process of submitting representations to following Regulators requesting them to mandate valuation under respective Laws and Regulations to be carried out by a Registered Valuer and also requesting them for adoption of ICAI Valuation Standards 2018 for such valuation.

- **Ministry of Corporate Affairs -** Request to mandate valuation report under Ind AS, where a separate Valuation Report is required, to be issued by a Registered Valuer and ICAI Valuation Standards 2018 to be followed for such Valuation
- **Securities and Exchange Board of India -** Request to mandate valuation under Regulations and other requirements issued by SEBI to be undertaken as per ICAI Valuation Standards 2018.
- **Reserve Bank of India -** Request for non-inclusion of the International Valuation Standards in the empanelment and to adopt ICAI Valuation Standards for valuation by Registered Valuers.
- **State Bank of India -** Request for non-inclusion of the International Valuation Standards in the empanelment and to adopt ICAI Valuation Standards as National Standards.
- **Central Board of Direct Taxes -** Request to mandate valuation under Income Tax Act, 1961 to be issued by a Registered Valuer and ICAI Valuation Standards to be followed for such Valuation.

(IV) Connecting and collaborating with prominent Universities and top Management Institutes for creating awareness around Valuation as an emerging field of practice and for promotion and implementation of ICAI Valuation Standards 2018 amongst students and young professionals.

The Board has approached 14 prominent Universities and top Management Institutes of India for connecting and collaborating with an objective to create awareness around Valuation as an emerging field of practice and for promotion and implementation of ICAI Valuation Standards 2018 amongst students and young professionals.

The Board plans to organise programmes/seminars/webcasts for the students at these Institutes on various aspects of valuation and ICAI Valuation Standards.

(V) Supporting International Accounting Bodies and Important International Meetings / Conclaves.

- **Member of International Valuation Standards Council, UK**

ICAI has been an active member of the International Valuation Standards Council.

- **Engaging with SAFA countries for outreach of ICAI Valuation Standards 2018 as issued by ICAI**

With a view to have uniform Valuation Standards across SAFA countries and also to promote for the adoption of ICAI Valuation Standards 2018, a presentation was made at the SAFA Accounting Standards Committee Meeting, by the Board on 30th July 2021.

The presentation was very well received, and it was decided that the SAFA Board will consider the adoption of ICAI Valuation Standards 2018 in the next SAFA meeting.

- **Presentation made at meeting with the delegation of CA Maldives held on 8th March, 2022 for the outreach of ICAI Valuation Standards 2018 as issued by ICAI.**

The Valuation Standards Board made a presentation at the meeting with the delegation of CA Maldives led by the Auditor General of Maldives & President of CA Maldives on March 8, 2022. The presentation was about the ICAI Valuation Standards 2018 wherein the journey of formulation of ICAI Valuation Standards and a brief about Valuation was discussed.

The presentation was well received, and it was decided that the CA Maldives will consider the adoption of ICAI Valuation Standards 2018. ICAI also offered to work closely with CA Maldives in the area of valuation and for further strengthening the valuation profession in Maldives.

- **Four Days Mega Conclave on "Valuation and ICAI Valuation Standards 2018" for the members of the Institute of Chartered Accountants of Nepal from 9th June to 12th June 2022**

The Valuation Standards Board of ICAI in collaboration with the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) organised a Four Days Mega Conclave on "Valuation and ICAI Valuation Standards 2018" for the Members of the Institute of Chartered Accountants of Nepal from 9th June, 2022 to 12th June, 2022. The Conclave was organised to create awareness around ICAI Valuation Standards 2018 and also to provide practical and procedural insight in valuation of securities and financial assets to the participants.

(VI) E-learning modules/courses developed on ICAI Valuation Standards 2018 and uploaded on ICAI Digital Learning Hub.

The e-learning courses contains an interactive presentation on the Standards along with machine audio, Frequently Asked Questions and Multiple-Choice Questions for self-assessment with each standard. Ten courses have been uploaded on ICAI DLH for learning and benefit of the members and credit of 1 structured CPE hour shall be granted on successful completion of each course.

(VII) Publications: -

During the Year 2022-23 the Valuation Standards Board has issued 3 publications on topics of importance for the members and other stakeholders in the profession of Valuation.

- **Booklet: Valuation-VCM ATQ's Series 15 on "Valuation of Inventory – Accounting vis-à-vis Valuation Aspects"**

In continuation to the fourteen series issued under the Booklet series Valuation: VCM ATQ's, the Board plans to release Series 15 on "Valuation of Inventory – Accounting vis-à-vis Valuation Aspects". Based on the questions raised during the Live VCM on the above topic on 12th April 2022 the Board has released answers to the questions in the form of Booklet on 1st July.

- **Publication- Technical Guide on the Valuation of Business of Telecom Towers Industry published by Valuation Standards Board of ICAI and ICAI RVO.**

The Technical Guide includes study of overall telecom industry including telecom operators and telecom tower industry, business valuation methodology, valuation approaches and methodologies used, Telecom Tower Industries past history and future trends and also the key drivers impacting the valuation of this industry. The Publication has been released on 1st July.

- **Publication- "Valuation Professionals' Insight Series – VII" published by Valuation Standards Board of ICAI and ICAI RVO.**

This publication aims to provide valuers with knowledge of good practices followed by seasoned professionals in the field of valuation. It contains various articles from Professional Valuers with focuses on pertinent valuation topics and emerging issues like Debt Valuation, Intangible Valuations and ESG Valuation to name a few. This publication like the other Six series is a compilation of the articles on various valuation topics written by experts in this field. The Publication has been released on 1st July.

During the Year 2021-22 the Valuation Standards Board has issued 21 publications on topics of importance for the members and other stakeholders in the profession of Valuation:

- Valuation: VCM ATQ's Series 1 - Disclaimers, Limitations in a Valuation Report- Are they even Real?
- Valuation: VCM ATQ's Series 2 - Is DCF the most popular method for valuation under the Companies Act 2013?
- Valuation: VCM ATQ's Series 3 - Is DCF the only method for valuation of shares under Income-Tax Act?
- Valuation: VCM ATQ's Series 4 - Minority holding valuation: often unsatisfactory?
- Valuation: VCM ATQ's Series 5 - Valuation Reports- Do's and Don'ts- To what extent are they followed?
- Valuation: VCM ATQ's Series 6 - Valuation date, Valuation report date and events between these dates!
- Valuation: VCM ATQ's Series 7 - Learnings from Judicial Pronouncements on Valuation- How far the verdicts and findings relevant now?
- Valuation: VCM ATQ's Series 8 - Learnings from the Observations of Peer Review of Valuation Reports
- Valuation: VCM ATQ's Series 9 - ESOP Valuation - model and issues
- Valuation: VCM ATQ's Series 10 - Valuation of Startups
- Valuation: VCM ATQ's Series 11 - Brand Valuation- How it affects Value?
- Valuation: VCM ATQ's Series 12 - Due Diligence in Valuation
- Valuation: VCM ATQ's Series 13 - Valuation of Complex Securities
- Valuation: VCM ATQ's Series 14 - Fair Value- Purchase Price Allocation
- Publication: "Valuation: Professionals' Insights Series -6"
- Publication: Handbook on Best Practices for Registered Valuers
- Booklet: "Calendar of Trigger Dates of Valuation under Various Laws"
- Publication: Concept Paper on Estimating Discount Rates in Valuation
- Release of Publication: Concept Paper on "Inventory Valuation
- Booklet: "LIBOR Transition – Valuation Guide"
- Release of Publication: "Judicial Pronouncements in Valuation"

(VIII) Programmes/Conferences/Webcast/Courses

During the year 2021-22

- **Four Days Refresher Course on "Valuation and ICAI Valuation Standards 2018"**

The Valuation Standards Board of ICAI had organized following Four Days Refresher Course on "Valuation and ICAI Valuation Standards 2018" with an aims to help members acquire expertise in valuing assets and liabilities through a learning method that blends concepts with applications.

S. No.	VCMs/Training Programme	Held on	Place
1.	1st Batch organised by: Valuation Standards Board, ICAI and Hosted by: Nashik Branch of WIRC of ICAI	2nd June to 5th June 2021	Virtual
2.	2nd Batch organised by: Valuation Standards Board, ICAI and Hosted by: Nagpur Branch of WIRC of ICAI	27th July to 30th July 2021	Virtual

- **Live VCM/Webcast Series - "Sundays with Valuation Experts" launched on 23rd May 2021 by Valuation Standards Board, Six Virtual CPE Meeting held till 30th June, 2021 and many more planned.**

The Valuation Standards Board of ICAI organised Webcast Series - "Sundays with Valuation Experts" wherein the topics of importance for the profession of Valuation is being taken up with the Experts of the profession every Sunday. The details of the VCM's/Webcast are as follows:

- ✦ Series 1 - Disclaimers, Limitations in a Valuation Report- Are they even Real?
- ✦ Series 2 - Is DCF the most popular method for valuation under the Companies Act 2013?
- ✦ Series 3 - Is DCF the only method for valuation of shares under Income-Tax Act?
- ✦ Series 4 - Minority holding valuation: often unsatisfactory?
- ✦ Series 5 - Valuation Reports- Do's and Don'ts- To what extent are they followed?
- ✦ Series 6 - Valuation date, Valuation report date and events between these dates!
- ✦ Series 7 - Learnings from Judicial Pronouncements on Valuation- How far the verdicts and findings relevant now?
- ✦ Series 8 - Learnings from the Observations of Peer Review of Valuation Reports
- ✦ Series 9 - ESOP Valuation - model and issues
- ✦ Series 10 - Valuation of Startups
- ✦ Series: 11 - Brand Valuation- How it affects Value?

- ✦ Series: 12 - Due Diligence in Valuation
- ✦ Series: 13 - Valuation of Complex Securities
- ✦ Series: 14 - Fair Value- Purchase Price Allocation

- Live Webcast on "Issues in Valuation under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016" on 23rd April, 2021 by Valuation Standards Board, ICAI
- Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) activity by Valuation Standards Board, ICAI: Live Webcast on "ICAI Valuation Standards 2018 and Guidelines on Disclaimers, Caveats and Limitations in Valuation Report" on 26th October 2021.
- Live VCM: Virtual CPE Meeting (VCM) on "Valuation and ICAI Valuation Standards 2018" organised by the Valuation Standards Board of ICAI and hosted by Visakhapatnam Branch of SIRC of ICAI on 10th July, 2021.

During the year 2022-23

- One Day Awareness Programme on "Valuation and ICAI Valuation Standards 2018" organised by the Valuation Standards Board of ICAI and hosted by Thiruvananthapuram Branch of SIRC of ICAI on 28th May 2022 at ICAI Bhawan, Thiruvananthapuram.
- Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) activity - VCM on "Valuation of Inventory - Accounting vis-à-vis Valuation Aspects" organised by Valuation Standards Board of ICAI jointly with the Accounting Standards Board of ICAI on 12th April, 2022.
- Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) activity - VCM on "Valuation - Key Aspect under IBC, 2016" organised by Valuation Standards Board, ICAI jointly with Committee on Insolvency and Bankruptcy Code, ICAI on 19th April, 2022.

5.28 Taxation Audits Quality Review Board (TAQRB)

The Taxation Audits Quality Review Board was constituted by the Institute in the year 2018 in order to improve the reporting of compliances under various taxation laws (both Direct as well as Indirect). It is envisaged that the reviews carried out by the Board, will ensure that the members will exercise greater diligence while certifying the various reports prescribed under direct and indirect taxation and in the long-run would improve the overall reporting and certification done by them.

(I) Status of Review of Tax Audit Reports selected during the Council Year 2018-19 & 2020-21:

The Board had selected 100 companies each during the Council Year 2018-19 & 2020-21 for review of their tax audit reports pertaining to Assessment Year 2017-18 & 2019-20 respectively on suo motto basis. In this regard, 189 tax audit reports have been received from the tax auditors. Preliminary Review of 185 reports has been completed by the Technical Reviewers empanelled with the Board. Out of these, 172 preliminary review reports have been assigned to Taxation Audits Quality Review Groups constituted under the convenorship of various Board members for undertaking secondary review of the reports. Reports of these Groups are being considered by the Board.

Based on the review:

- Advisories are being issued to members to ensure that such mistakes are not committed again.
- Suggestions have been identified to be conveyed to CBDT for changes in the Tax Audit Report e-filing utility.
- Suggestions have been identified which can be incorporated in the next edition of Guidance Note on Tax Audit.
- Commonly found irregularities/ non- compliances committed while furnishing Tax Audit Reports have been identified for the purpose of creating awareness amongst the members.

(II) Initiatives for the Members

- **Webinars**

To create awareness amongst the members, the Board has organised the following Live Webinars-

- ✦ *"Section 44AB – Form No. 3CA/ No.3CB – Commonly found irregularities"* on 25.05.2021 (Tuesday)
- ✦ "*Resolution to Queries raised during the webinar held with respect to Section 44AB- Form No. 3CA/ 3CB"* – 16.06.2021 (Wednesday)
- ✦ *"Commonly Found Irregularities - Clauses 1-15 of Form No. 3CD"* on 21.07.2021 (Wednesday)
- ✦ *"Commonly Found Irregularities - Clauses 16-30 of Form No. 3CD"* – 09.08.2021 (Monday)
- ✦ *"Commonly Found Irregularities - Clauses 30A-44 of Form No. 3CD"* - 24.08.2021 (Tuesday)
- ✦ "*Significance of Tax Audit compliances - Taxpayers, Revenue and Chartered Accountants – Panel discussion"* - 12.10.2021 (Tuesday)
- ✦ "*Panel Discussion on Practical Aspects of Tax Audit under Income-tax Act, 1961"* – 04.06.2022 (Saturday)

The Webinars were appreciated by the members at large.

- **Seminars**
  - *Common Errors in Tax Audit Report and Expectations of Taxation Audits Quality Review Board* was hosted by TAQRB along with Cuttack Branch of EIRC of ICAI on 25.08.2021
  - *Tax Audit Report under section 44AB and Commonly Found Irregularities therein w*as hosted by TAQRB along with Siliguri Branch of EIRC of ICAI on 29.08.2021
- **Orientation Programme**
  - An orientation programme was for the members of Taxation Audits Quality Review Groups on 14.05.2021
- **Contribution of Article in Chartered Accountant's Journal**
  - An article on *Strengthening Tax Audit – Enhancing Reporting Quality* was published in the May 2021 edition of the Chartered Accountant's Journal

The steps taken above are expected to improvise the quality of tax audit conducted by the members.

5.29 Committee on Insolvency and Bankruptcy Code (CI&BC)

The Committee on Insolvency & Bankruptcy Code of ICAI has been constituted to give specific focus on Insolvency and Bankruptcy Laws. It is an emerging area and it has created a new professional opportunity for the members. The Committee aims to bring in awareness about this new area of practice in the Insolvency Resolution sphere to the members at large and facilitates in educating the members on the practical aspects and procedures of the Law.

(I) Towards Partner in Nation Building

- ICAI is contributing as a member of the Insolvency Law Committee as constituted by Government of India as Standing Committee for review of implementation of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.
- The Ministry of Corporate Affairs had invited public comments vide its Notice dated 24th November, 2021 on Cross Border Insolvency under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. In this regard, ICAI Suggestions were uploaded on the specified web link provided.
- The Ministry of Corporate Affairs had invited Public Comments on proposed changes to the Corporate Insolvency Resolution and Liquidation Framework under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 vide its Notice dt. 23rd December, 2021. In this regard, ICAI Suggestions were uploaded on the specified web link provided.
- The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had issued a Discussion Paper dt.15th February, 2022 on Engagement and appointment of professionals in a corporate insolvency resolution process and solicited public comments on a proposed amendment in Regulation 27 of the CIRP (Corporate Insolvency Resolution Process) Regulations which had to be submitted electronically. In this regard, ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal.
- The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had issued a Discussion Paper dt. 31st March, 2022 on "Review of Redressal and Enforcement Mechanism" and had sought public comments on the same to be submitted electronically. In this regard, ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal.
- The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had issued a Discussion Paper dt. 8th April, 2022 on "Enhancing effectiveness of Information Utility" and had sought public comments on the same to be submitted electronically. In this regard, ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal.
- The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had issued a Consultation Paper dt. 13th April, 2022 on issues related to reducing delays in the corporate insolvency resolution process and had sought public comments on the same to be submitted electronically. In this regard, ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal.
- The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had issued a Discussion Paper dt. 9th June, 2022 on Remuneration of an Insolvency Professional and had sought public comments on the same to be submitted electronically. In this regard, ICAI Suggestions were uploaded on the IBBI portal.

(II) Release of Publications by the Committee

- **Easy to understand Handbooks on important topics under IBC**
  - Handbook on Moratorium under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
  - Handbook on Resolution Plan under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
  - Handbook on Personal Guarantors to Corporate Debtors under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
  - Handbook on Corporate Insolvency Resolution Process under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

- ✦ Handbook on Do's and Don'ts for IPs under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
- ✦ Handbook on Claims under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
- ✦ Handbook on Liquidation Process and Voluntary Liquidation Process under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
- ✦ Handbook on Pre-packaged Insolvency Resolution Process under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

- The Committee has brought out the Publication- Frequently Asked Questions on the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Revised January 2022 Edition) in collaboration with Insolvency and Bankruptcy Board of India.

(III) IBC Case Laws Update

In pursuance of the initiative taken this year to bring IBC Case Laws Update on a regular basis covering important Case Analysis based on the decisions by Supreme Court, High Courts, NCLAT and NCLT on issues under The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, the Committee has brought out so far thirteen Updates from March 2021 to March 2022.

(IV) Launch of Certificate Course on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Looking at the importance of The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the professional opportunities therein, the Committee has launched Certificate Couse on The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 during the year for the benefit of the members at large.

The Committee has conducted so far four batches of the Certificate Course through Online Mode. The third batch and fourth batch of the Certificate Course was conducted by the Committee in association with Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI).

(V) Three Days Refresher Course for preparation of IBBI Limited Insolvency Examination/Four Days Refresher Course on IBC organized by the Committee

Three Days Refresher Course for preparation of IBBI Limited Insolvency Examination/Four Days Refresher Course on IBC was organized by the Committee and hosted by various branches of ICAI.

(VI) Specialized Course: Preparatory Virtual Course for Limited Insolvency Examination jointly with Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI)

The Committee jointly with IIIPI has organized four batches of Preparatory Virtual Course for Limited Insolvency Examination.

(VII) Residential Refresher Course on Insolvency and Bankruptcy Code

The Committee and IIIPI have jointly organized Residential Refresher Course on Insolvency and Bankruptcy Code on 27th, 28th & 29th August, 2021 at Anand, Gujarat and hosted by WIRC of ICAI.

(VIII) IBC Conclave (Hybrid) Jointly with Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI)

The Committee Jointly with IIIPI organized IBC Conclave (Hybrid) in Physical Cum Virtual Mode on 9th October 2021, hosted by EIRC of ICAI.

(IX) Webcast/Virtual CPE Meetings (VCMs)

The Committee organised Virtual CPE Meetings (VCMs) on Overview and Journey of IBC & Professional Opportunities for CAs under the Code, Recent Developments in IBC and Professional Avenues for CAs under the Code, Insolvency of Personal Guarantors to Corporate Debtors under IBC, Panel Discussion on Pre-Packaged Insolvency Resolution Process for MSMEs under IBC, Latest Developments in Insolvency & Bankruptcy Code, Taxation Aspects for Companies under Insolvency Resolution and Liquidation under IBC, Valuation – Key Aspect under IBC 2016, Voluntary Liquidation Process under IBC - Important Aspects, Liquidation Process under IBC - Important Aspects, Resolution Plan under IBC - Important Aspects and organised Two Days Programme on Insolvency and Bankruptcy Code. A VCM Series was organized by the Committee on IBC i.e. on Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP), Pre-Packaged Insolvency, Opportunities in Stressed Assets and funding of Stressed Assets + Resolution Plan and Liquidation.

5.30 Women Members Empowerment Committee (WMEC)

The Women Members Empowerment Committee (WMEC) is a non-standing Committee of the Institute of Chartered Accountants of India formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act,1949. This Committee was formed in the year 2014 and thereafter has worked under nomenclature of Women Members Empowerment Group or Women Members Empowerment Directorate.

As a true partner in nation building, ICAI has setup a dedicated Women Members Empowerment Committee to formulate and implement plans, policies, and measures for the empowerment of its Women Members. WMEC especially works towards promoting the fulfilment of Women Member's potential through capacity building initiatives, skill development activities, providing awareness of various employment opportunities and by other similar means.

WMEC adopted "Digital Empowerment for Better Tomorrow" as theme for the year 2021-22 and theme for the year 2022-23 is "Women Professionals – Empowerment to Excellence" with the mission to enable Women Chartered Accountants to function effectively to their fullest potential in their chosen professional roles of Professional practice, employment, entrepreneurship or other domains through constant support and motivation from ICAI.

(I) Activities of WMEC for the year 2021-22

- Committee brought out following WMEC Publication- Revised handbook on "Role of Women Directors", Digital Branding for Professional Growth, Booklet on POSH Act & SDG 5, Contemporary Professional Opportunities for New-age Members and Beneficial State Policies for Women Welfare.
- In a novel initiative, since all the toppers of CA Final Examination June 2021 were GIRLS in both old and new courses, WMEC interacted with the toppers to know more about their exam preparation strategy and future plans. Their Insights and feedback were uploaded on Women Portal to motivate and inspire other girl students and members.
- Committee Published Article in ICAI Journal October 2021 on "Empowering Women in Accounting Profession".
- WMEC of ICAI interacted with a few Independent Directors who have been on various Boards across sectors and have seen the evolving role of Independent Directors. Learning/experiences from these successful Independent Directors on the Boards of the Companies have been uploaded on the portal to guide women members who already are or are desirous of holding directorship positions.
- ICAI Women Portal: This portal is functioning under WMEC and helping women members so that they can contribute towards the growth of our profession and economy while simultaneously taking care of their commitments at domestic front. 'A portal for Women Members' provides our women members a medium through which they can post their requirements and can explore "work from home/ part time jobs" working options available for them. WMEC revamped the Women portal with added features & additional information available to keep women members informed and up to date. The portal also includes FAQs on various technical topics covered during VCM ,Success Stories are uploaded on women portal to inspire and motivate women members to set and achieve higher goals, Professional Opportunities available at ICAI platform for members and Quick links of important useful websites such as "Ministry of Women and Child Development- Govt of India", "National Commission for Women", "startupindia", "ICAI Digital Learning Hub", etc
- AzadikaAmritMahotsav initiative: The Committee conducted 5 programs/VCMs on various technical and non-technical topics under themes ie Atmanirbhar Bharat, Vishwaguru Bharat, etc as part of country wide AzadikaAmritMahotsav initiative, envisaged by Government of India to commemorate and celebrate 75 years of India's Independence.
- Success stories of women members: To inspire women members to set and achieve higher goals, the Committee has invited success stories from women members. Till date, WMEC has received a number of stories from women all over the country. These success stories of women CAs who have reached at helm of affairs within and outside of the profession have already been featured on Women portal.
- The Committee uploaded videos under "Setu Series- Making the presence of Women Members felt & visible in Practice Domain" to enrich the knowledge and overall confidence building of Women Members. The Committee also conducted Setu Series VCMs covering the pertinent topics like Introduction to Project Finance, Basics of Income Tax, Indirect Taxes, Online Return Filling, Penalty provisions under Income Tax Act, Accounts & Auditing, and Practical Aspects of Code of Ethics etc.
- The Committee conducted more than 25 webinars/programmes with eminent personalities in diverse fields to create awareness about various professional opportunities for women members at global platforms and to motivate women members at large. The Committee also organised Webinar on "Global Capacity Building Initiatives for professionals with special focus on Women members- International perspective" wherein international speakers from JICPA-Japan, PICPA-Philippines and PAODC-IFAC were invited.

(II) Activities of WMEC for the year 2022-23 (till 30th June 2022)

- International Women's Day Celebration 2022: To commemorate International Women's Day 2022 i.e 8th March 2022, WMEC undertook following activities:
  - ✦ The Committee organized a special VCM on the occasion of International Women's Day. The theme of the VCM was "Women Professionals – Empowerment to Excellence," The eminent speakers of the VCM included CA BhavnaDoshi-, CA R M Vishakha, CA. BhavaniBalasubramanian and CA. Sangeetha Shankaran Sumesh.

- ✦ Video bytes of President ICAI, Vice President ICAI, were recorded and uploaded on women portal for the benefit of all the stakeholders at large. The same was also sent to all the branches across India to be telecasted during the women members programme for motivating and inspiring women members across the country.
- ✦ An informative social media creative was created and uploaded on social media platforms of the Institute and the Women Members Empowerment Committee to publicize and promote ICAI's initiatives towards women members' empowerment.

- Sky High- Symposium: The Committee organises various sessions under Sky High Symposium. Sky High Symposium is a series of VCMs which is conducted every Wednesday for the benefits of Women Members. 12 VCMs have already been organised under Sky High Symposium till the stated date. The pertinent sessions covered includes Recent Amendments in GST Act, Amendments in Finance Act, New CARO 2020, Opportunities in Accounting &Ind AS, Managing Stress Level etc.
- AzadiKaAmritMahotsav- Iconic Day Event: Women Members Empowerment Committee organised a seminar on the theme "Women- From Empowerment to Excellence- Contemporary Perspective" as a part of "Iconic Day Event" on 8th June 2022 at Hotel Lalit, Delhi. The seminar had eminent and renowned speakers- Ms Pallavi Kumar- Executive Director- Multi Organ Harvesting Aid Network (MOHAN) Foundation-Delhi NCR; and Dr Bornali Bhandari- Senior Fellow at National Council of Applied Economic Research (NCAER).
- The Committee recommended for Change in the Nomenclature in ICAI Committee's/Departments – from Chairman to Chairperson in line with SDG5 towards gender equality and the same has been approved by the Council. The required amendments in Section 17 of the Chartered Accountants Act, 1949 has already been forwarded to council affairs. The proposal in this regard will be submitted to the Central Government after approval of the President, ICAI.

5.31 Committee on MSME & Start-up

Overview of the Committee on MSME & Start-up, ICAI

Realising the need of an hour to strengthen the MSME sector the Institute has constituted Committee on MSME & Startup as one of the prominent non-standing Committees of the ICAI. The main objective of the Committee is to undertake capacity building measures by developing a sustainable framework for the Indian MSMEs.

(I) Initiatives of the Committee on MSME & Startup, ICAI

- **ICAI MSME Ecosystem**

To enhance the capacity building measures of MSMEs, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)through the Committee on MSME & Start-up arranged various initiatives pertaining to the MSME Ecosystem.

- **International MSME Day**

Committee on MSME and Start-up organising a series of programmes focussing on the various needs of MSMEs of India and role played by the CA fraternity in bridging those needs on the central theme "CAs as Business Solution Providers for MSMEs: Self Reliant India" on the International MSME Day observed on June 27, 2022.

To commemorate the celebrations on this special occasion, ICAI through its branches organised a series of events on pan India basis focusing on local needs of the MSMEs and popularising the Central and State schemes launched by the Government of India.

Minister of State, Ministry of MSME, Government of India as the Chief Guest & Secretary, Ministry of MSME as the Guest of Honour graced the occasion with their august presence and addressed the CA fraternity at Hotel Le-Meridien, New Delhi in the celebration of International MSME Day

To enhance the capacity building measures of MSMEs, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)through the Committee on MSME & Start-up launched Various Books on State Specific Punjab, Haryana, Goa and Tamil Nadu, ICAI MSME Yatra , ICAI MSME Setu & ICAI MSME Sathi on the International MSME Day on June 27, 2022.

- **MSME ExCHANGE**

MSME ExCHANGE is conceptualized to facilitate a robust platform for value creation in various dimensions vital for the development and sustainability of MSMEs. The platform offers excellent networking, knowledge sharing, skill development, query resolution opportunities and expert guidance to the constituents of the MSME ecosystem.

The three main pillars of the are as under:

- **CA Services Exchange**

In order to address the specialised needs of the MSMEs, the Institute of Chartered Accountants of India through its Committee on MSME and Startup has taken an initiative to bring the expert services of the Chartered Accountants within the reach of any MSME with a click of mouse.

CA Service Exchange is a platform through which any Indian MSME can register with the ICAI MSME ECOSYTEM and search from an array of expert services offered by Chartered Accountants.

✦ **MSME Helpdesk**

The MSME HELPDESK is one of the significant initiatives taken by the Committee under ICAI MSME Exchange to bring the expertise of the large pool of the ICAI members to the MSME doorstep in their local city.

The Branches and Regional Councils which are extended wings of ICAI would facilitate the MSME HELP DESK in branch premises where dedicated experts (qualified and experienced Chartered Accountants) will address the issues of local MSME cluster.

✦ **MSME Illumination**

MSME Illumination is an initiative under ICAI MSME ExCHANGE to facilitate the expert advice on any specific issue faced by MSME registered with the ICAI. The MSME can submit its issues online after following a simple registration process.

Bimonthly programmes will be oragnaised wherein the common issues faced by the MSME will be addressed by the Experts. The MSME can participate in these programmes to interact with the experts for seeking expert advise.

- **ICAI MSME Yatra**

The programmes are curated as part of the 75 days 75 Programmes celebration will be held in the month of August, September, October & November, 2022. The flagging-off event of the ICAI MSME Yatra will be held on August, 2022 at Mumbai on its journey across various states for more than 12000 kms to make people aware about various Government Schemes devised for MSMEs & other endeavours of MSMEs. These programmes are intended to take the 75 Days Celebration to all parts of the country with maximum participation of Stakeholders and public at large.

- **ICAI MSME Setu Programme:**

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through the Committee on MSME & Start-up to establish the linkage between ICAI & Prospective MSMEs in 75 days , 75 Programmes , in 75 Cities as a key strategy for enhancing the productivity and competitiveness as well as capacity building of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and their collectives in the country. With the state as the main driver, the program focuses on the growth of MSME ecosystem, identifies unmanageable fruits for improvement, and measures progress with the aid of Convergence of the Government Schemes & Co-operation of the MSMEs by supporting their needs.

- **ICAI MSME Saathi:**

The Committee on MSME & Satrtup, ICAI has onboarded latest IT tools of Artificial Intelligence(AI) and Machine Learning (ML) for providing assistance and solutions to the issues of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The Committee has implemented AI & ML on its robust Query Redressal System 'ICAI MSME Sathi'. It has emerged as one of the solution provider platforms for the MSMEs in a very short span of time.

- **ICAI MSME Portal**

A dedicated portal to provide an enabled ecosystem for networking, knowledge sharing, query resolution mechanism and exchange of services where any MSME can be benefited from the expertise of the Chartered Accountants.

- **Certificate course on MSME**

The Certificate Course is intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into MSME space themselves; to help achieve the national objectives. The Certificate course will make the Members of ICAI enable to be a business solution providers for MSME Sector.

- **State Specific Books on MSME**

The Committee is coming out with the state specific Books on MSME. These book focus on MSME Schemes, Industrial Schemes relevant for MSMES, Incentives available in various Schemes, Subsidies available in various schemes, Schemes in various clusters across the specific state. The book includes insights to budding entrepreneurs to help organise new and established firms to infuse entrepreneurial intentions in the specific state as well as opportunities available for CAs in the specific state.

- **State Specific Refresher Course on MSME**

The Committee is coming out with the state specific Refresher Course on MSME. The said course will enhanced the knowledge base of state specific MSME & Industrial schemes, Incentives/ Subsidy available in various schemes across the specific state. Recently the Committee organize Refresher Course on Maharashtra Industrial Policy from 9th October to 23rd October, 2021 (Weekend).

(II) Initiatives - Start-up

- **ICAI Startup Gateway**

To enhance the capacity building measures of Startups, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)through the Committee on MSME & Start-up launched various initiatives on Start-up.

✦ **Startup Manthan**

Committee on MSME and Start-up organised 3 days start-up Manthan programme on 31st August, 1st September and 2nd September, 2021. Start-up Manthan is start-up summit where community of start-ups, partners, Unicorns, Influencers, Founders, Investors, leaders, and Entrepreneurs discussed around the future of start-ups, venture capital, artificial intelligence, fintech, and many more.

Former Minister of Commerce & Industry graced the occasion with his august presence as the chief guest and CA. Nirmal Jain, Founder & Chairman, IIFL graced the occasion with his august presence as the guest of honour addressed the CA fraternity during the Start-up Manthan.

✦ **Start-up portal i.e. https://startup.icai.org/**

The Committee has developed a dedicated portal https://startup.icai.org/ to facilitate various exchange services within the constituents namely – Startups, Chartered Accountants(Business consultants), Mentors, Venture Capitalist and Incubation Centres.

The features of the Web portal included Mentors for providing mentoring services to the startups and their empanelment on our portal, Ventures Capitalist for providing financing services to the startups and their empanelment on our portal, Member of ICAI as a business consultant to provide various business consultancy services like Corporate Laws, Valuation, Indirect Tax etc. to the startup registered with ICAI, Expression of interest to associate with ICAI startup ecosystem, Startup success stories of Chartered Accountants to motivate and encourage other members to join the league and many more features with regard to Start-up ecosystem

✦ **Start-up Incubation Centres**

Taking the journey forward to develop the startup ecosystem within ICAI, we have identified and developed Startup Incubation Centres to facilitate start up ideas towards fostering the entrepreneurial spirit and abilities of the Chartered Accountants.

✦ **Certificate course on Startup**

The Certificate Course is intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into Startup space themselves; to help achieve the national objectives. The Certificate course will make the Members of ICAI enable to be a business solution providers for Startup Sector.

✦ **Master Class on Startup**

The Master Class is intended to equip Chartered Accountants to provide professional services as well as entering into Startup space themselves; to help achieve the national objectives. The 4 days Master Class on Angel Investing shall be held from 2nd Feb. to 5th Feb. 2022, will make the Members of ICAI enable to be a business solution provider for Startup Sector.

✦ **MOU BIL-RYERSON TECHNOLOGY STARTUP INCUBATOR FOUNDATION AND THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA (ICAI) FOR CAPACITY BUILDING OF STARTUPS**

The Committee on MSME & Startup, ICAI initiated for Signing of MoU between BRTSIF BIL-Ryerson Technology Startup Incubator Foundation and The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through Committee on MSME & Start-up, ICAI for Capacity Building of Startups. The said arrangements aims to promote startups and support the government of India's vision for entrepreneurship development and innovation culture for the arrangement of mutual integration of Startup Ecosystem.

✦ **MOU- IIM Lucknow Enterprise Incubation Centre AND THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA (ICAI) FOR CAPACITY BUILDING OF STARTUPS**

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) through the Committee on MSME & Start-up, ICAI has signed a MoU with IIM Lucknow-Enterprise Incubation Centre for Capacity Building of Startups. The said MoU aims to promote startups and support the government of India's vision for entrepreneurship development and innovation culture for the arrangement of mutual integration of Startup Ecosystem. The

said MoU has been Signed & exchanged during the 410th meeting of the Council held on 25th March, 2022 in presence of President, ICAI, Vice- President, ICAI, Chairman, Committee on MSME & Start-up, ICAI & other Council Members of ICAI and personnel of IIM Lucknow Enterprise Incubation Centre.

(III) Other Initiatives

- **Constitution Task Force & Groups by the Committee**

The Committee constituted Regional Monitoring Group , State wise Task Force & Branch Level Task Force for Capacity Building of MSMEs & Start-ups.

- **MoUs with the State Governments for Capacity Building of MSMEs in the direction Atmanirbhar Bharat**

The Committee will carry out the Capacity Building of MSMEs though the Signing of MoUs of ICAI with the State Government Concerned with the objective of Encouraging exchange of information and experiences in policy setting and research on the development of MSMEs in areas of mutual interest; To provide the knowledge base endeavours for Capacity Building of MSMEs in the State specific; Stimulating the development of industrial potential surveys and feasibility studies to identify thrust areas and opportunities for development of MSMEs in the State specific; Providing MSME Exchange Programme i.e. MSME Help Desk, MSME Illumination & CA Exchange services for MSMEs in the State specific; Any other endeavour for Development of MSMEs in areas of mutual interest;

- **MoUs with the Universities , IIMs, IITs, State Governments , various departments of Central Government, State Government, organisations of repute, and other entities.**

The Committee will facilitate the Incubation centres & gearing up for proposed tie up with Universities , IIMs, IITs, State Governments , various departments of Central Government, State Government , organisations of repute, and other entities for the facilitating of the same.

- **Programmes of the Committee**

The Committee has organized various programmes w.r.t. MSME Ecosystem and Startup Gateway throughout the year by Virtually and Physically.

6. COMMITTEE FOR DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRADE, SERVICES AND WTO (CDIT & WTO)

(I) Initiatives towards Partner in Nation Building

Supporting and assisting Government

- Participation in India- Japan Financial Symposium on "Financial Reforms and Emerging Opportunities in India" on April 22, 2021, organized by Embassy of India, Tokyo, in association with Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India and Gujarat International Finance Tec-city (GIFT), with support of Japan External Trade Organization (JETRO).
- Meeting with Joint Secretary, MOC on India- UK Free trade Agreement Enhanced trade Partnership (12th July 2021) and follow up inputs
- A meeting with Joint Secretary, Ministry of Commerce and Industry to review the status of implementation of the Champion Services Sector Scheme (CSSS) was held on 2nd November, 2021 which was attended by Acting Secretary alongwith the Secretariat.
- A virtual meeting on technical bilateral DVC focused on Trade Policy Forum for USA was held on 5th November, 2021 in association with Ministry of Commerce and Industry which was attended by Acting Secretary alongwith the Secretariat.
- A virtual Stakeholders meeting on India - Australia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) was held on 3rd December 2021 under the Chairmanship of Additional Secretary, Department of Commerce which was attended by Committee Secretariat.
- Meeting with Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry regarding Canada FTA & Australia FTA on 14th March, 2022.
- Meeting with Joint Secretary, MCA for review of implementation of Champion Services Sector Scheme (CSSS) on 14th March, 2022.
- Meeting with Joint Secretary, Ministry of Commerce & Industry regarding Champion Sector initiatives of ICAI on 29th April, 2022.

Representations / Technical Inputs to Government (other than taxation area)

- 12th Session of India Spain Joint Economic Commission (JEC).
- Dashboard on improving OECD Services Trade Restrictive Index (STRI) in Accounting Services along with a virtual meeting, and filling DMEO STRI Template.
- MRA/MOU in Accountancy Services with Japan.
- Action Plan on agenda item for BRICS Calendar 2021 during India's Presidency and Presentation on roadmap of Cooperation in Professional Services in BRICS Countries.
- 12 Champion Sectors Identified for Development of Indian Standards and Bureau of Indian Standards (BIS) as the National Standards Body.
- Accountancy Services in China.
- USTR's report on Foreign Trade Barriers 2021.
- Comments on opportunities available for India with respect to comprehensive measures taken by Government of Japan for attracting Investments and Financial/ Asset Management companies in International Financial Hub.
- Update on Action Plan for inter-ministerial meeting sent to Ministry of Commerce & Industry.
- India's preferential treatment to Least Developed Countries (LDCs) in trade in services at the WTO.
- Update of 11 ICAI's Schemes to enhance export of Accounting and related services under Champion Sector.
- 2nd Expansion of India- Chile Preferential Trade Agreement (PTA).
- India-Turkey Joint Committee on Economic and Technical Cooperation (JCETC)
- India-UK Free Trade Agreement
- 18th Session of India-Switzerland Joint Economic Commission scheduled on 9th September 2021
- Stakeholder consultations on Trade and Sustainable Development Chapter for upcoming bilateral negotiations
- India - Australia Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) negotiations - Trade in Services
- Document on BRICS Framework for Cooperation in Trade in Professional Services (12th August, 2021)
- Agenda Item for Holding 1st Meeting of India-Costa Rica Joint Economic and Trade Committee (JETCO)
- India-EU BTIA negotiations in services- keys asks/challenges faced by Indian Service Suppliers in the EU
- India-UAE FTA- Trade in services
- India-Mauritius CECPA
- MRA in Accountancy
- 5th meeting of India-Vietnam Joint Sub Commission on Trade (JSCT)
- FTA negotiations on Digital Trade- Model Text for Chapter on Digital Trade
- China's proposals for BRICS Working Group on Anti-corruption (WGAC) 2022
- India-Cambodia Joint Working Group on Trade and Investment (JWGTI)
- United States Trade Representative (USTR) meeting to Ministry of Commerce & Industry
- Agenda items for the 2nd meeting of India-Brunei Joint Trade Committee.
- Agenda item for the 5th meeting of India-Canada Annual Ministerial Level Dialogue on Trade and Investment.
- India-US Trade Policy Forum 2022.
- India Canada Comprehensive Economic Cooperation WTO Partnership (CEPA) negotiations – Trade in Services.
- Trade Monitoring Report for the period mid October, 2021 – May, 2022.
- Formation of dedicated cell for possible reform measures under OECD – Services Trade Restrictiveness Index.
- India Canada EPTA/CEPA : Presentation on Professional Services.
- India – UK FTA negotiations on Trade in services – barriers faced by Indian professionals.
- Trade Monitoring Report for the period mid-October, 2021 – May, 2022.
- India-Mauritius Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement (CECPA).
- India-Ghana Joint Trade Commission (JTC).
- G20 ACWG Questionnaire- Public Participation and Anti-Corruption Education Programmes
- Digital Trade Chapter for ongoing India-UK FTA negotiations.
- Professional bodies on India- AUS and India- Canada FTAs.
- India-US Trade Policy Forum 2022.

(II) Initiatives for the Members/Students

Promoting Foreign Language amongst members

ICAI has made tie ups with official cultural language center for foreign Embassies in India for delivery of Online foreign language courses for our members and students in order to make them more acceptable to foreign opportunities. The status of courses undertaken till date since inception is as under :

- Online Spanish Language Courses through Instituto Cervantes, Spanish Embassy Cultural Centre - 24 batches with 506 candidates of A1.1 Level and 11 batches with 108 candidates of A1.2 Level.
- Online French Language Learning Course through Alliance Française De Delhi - 10 batches with 250 candidates for A1 Level.
- Online Japanese Language Learning Course through the Japan Foundation- 11 batches with 222 candidates for A1 Katsudoo Level and 3 batches with 49 candidates for A1 Rikai Level.
- Online Business English Language Course- 13 batches with 337 candidates

Survey for seeking preference for foreign language course from ICAI members and students

Survey was launched for ICAI Members and Students on 5th March, 2022 with the last date as 15th April, 2022 to give their preference for learning foreign language. 970 members/students gave their response with respect to learning foreign languages, which would help in ICAI in opening up of future batches of foreign language courses.

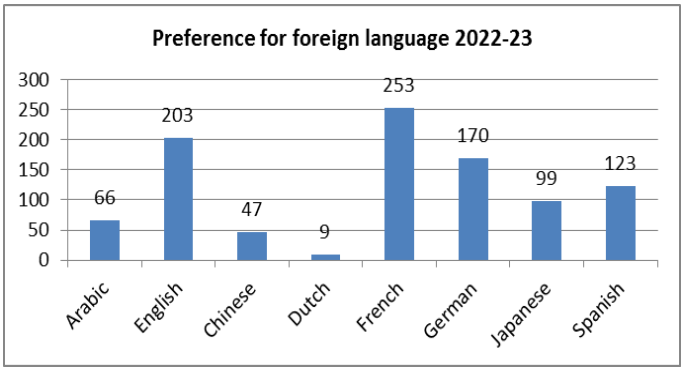

(III) Capacity Building Programme for members

During the period, apart from above initiatives, the Committee had organized the following Webinars:

- Live Webinar on `Role of Chartered Accountants in New Foreign Trade Policy Era' on Saturday, 19th June, 2021
- Live Webinar on "Anti Dumping : Professional Opportunities for Chartered Accountants" on 29th March, 2022.
- Live Webinar jointly with Invest India on "Initiatives Augmenting Ease of Doing Business in India" on 12th April, 2022
- Virtual CPE Meeting on "Tapping Opportunities in Accounting Outsourcing Globally " on 2nd May, 2022.
- Virtual CPE Meeting on "Making India – Accounting & Finance Hub for Global Markets" on 14th June, 2022 in collaboration with Service Export Promotion Council (SEPC)

(IV) Publications

Revision of 2 publications of the Committee:

- Accounting Process Outsourcing- An insight on major economies
- Quick insights on "Professional Opportunities abroad for Indian Chartered Accountants"

7. ACTIVITIES BY OTHER COMMITTEES

7.1 Committee on Management Accounting (CMA)

The main objective of Committee on Management Accounting of ICAI is to enable the members to gain acumen, expertise and in-depth knowledge in the areas of Management and Business Finance. The Committee on Management Accounting provides advanced Knowledge and specialized training on various areas of Management Accountancy and other allied subjects by way of conducting Courses/Webinar/ Seminar etc. The Committee on Management Accounting (CMA) has aligned its various functions / activities and performing its role and responsibilities in perfect harmony and in tandem towards the goal of empowering members.

Activities / Initiatives pertaining to Committee on Management Accounting

(I) Dynamic conspectus of PQC- Diploma on Management and Business Finance (DMBF) Course

The Committee had launched PQC- Diploma on Management and Business Finance (DMBF) course in the year 2019 to impart the nitty-gritties of finance amongst the members of the Institute. The course has been specifically designed to provide an in-depth and comprehensive knowledge of theoretical as well as practical aspects of Management and Business Finance, in a very practical and simplified manner.

Post Qualification Course- Diploma on Management &Business Finance (DMBF) Course is approximately a one-year course which includes:

- 80 hours of classroom training sessions
- 80 hours of e- learning Sessions and
- One Week Residential / 3 weekends online program
- Examination by Examination Department of ICAI with negative marking of 0.25 marks.

The PQC-DMBF curriculum is comprehensive and consists of 6 subjects which are further divided into 34 Modules:

- Subject 1: Strategic Management
- Subject 2: Capital Structuring and Investment Management
- Subject 3: Capital and Financial Markets
- Subject 4: Forex and Treasury
- Subject 5: Valuations, Merger & Acquisition And Restructuring
- Subject 6: Banking and Risk Management

The Committee on Management Accounting had announced and conducted its 3rd batch of PQC- Diploma on Management and Business Finance (DMBF) course through online mode across India for members of ICAI and had also conducted 2nd batch of PQC- Diploma on Management and Business Finance (DMBF) course under Transitional Provision Scheme for participants who have qualified the earlier Course i.e. Certificate Course on Master in Business Finance.

(II) 2 days Residential Programme for 3rd batch of DMBF course in association with JBIMS at Centre of Excellence, Hyderabad of ICAI.

Committee on Management Accounting has organized 3 days Residential Programme in association with Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies (JBIMS), Mumbai from 20th June, 2022 to 22nd June, 2022 for 3rd batch of PQC-Diploma on Management and Business Finance (DMBF) Course to have physical interaction with participants of 3rd batch of PQC-DMBF course where dedicated training at Centre of Excellence, Hyderabad of ICAI with state of art facilities and continuous access to eminent faculty, intense brainstorming under expert guidance provided to the participants.

(III) Seminar on Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM) - Iconic Day Event on 8th June, 2022 organized by Committee on Management Accounting (CMA) of ICAI in Hybrid mode

As part of the country wide initiatives envisioned by the Government of India - Azadi ka Amrit Mahotsav (AKAM), to commemorate and celebrate the 75 years of India's Independence, CMA had organized a Seminar on the topic 'Strategies for Economic Revival' on 08th June, 2022 in Hybrid mode at The Lalit Hotel, New Delhi. Deputy Managing Director, State Bank of India, Mumbai addressed the elite gathering of members across nation.

7.2 Committee for Members in Entrepreneurship and Public Services (CME&PS)

One of the important objectives of the Committee is to provide enabling interface between the ICAI and the Members in Entrepreneurship and ICAI Members in Public Service by factoring their vision and perspective to enhance the efficacy of ICAI and to explore new avenues and opportunities for our members.

The Committee was initially constituted in 2011 with a view to involve and recognize the contribution of our Members in Public Service and successful CA Entrepreneurs. This will enhance interaction with our members in Public Service and Entrepreneurs. It may be of utmost importance to involve them in the Institute activities, who are successful as entrepreneurs and occupying eminent positions in public service and to gain from their rich experience, wisdom and knowledge for the betterment of the profession.

(I) Residential Meet of CA Members in Public Service held on 27th-29th August 2021 at Udaipur (Rajasthan)

The CMEPS Committee every year organizes a Residential Summit for ICAI members in Public Service with the objective of soliciting the suggestions of ICAI Members in Public Service for restructuring the Institute's initiatives towards this niche segment of members and to identify matters of national importance which ICAI can take up for research and further study.

The Committee for members in Entrepreneurship and Public Service (CMEPS) of the Institute of Chartered Accountants of India organized a Residential Meet of CA Members in Public Service from 27th-29th August 2021 at Taj Fateh Prakash, Udaipur (Rajasthan). The Residential meet was attended by about 40 Members (Parliamentarians, Judiciary, Appellate Authority, IAS, IPS, IFS and IRS). There were 4 Parliamentarians, 7 from Judiciary and Appellate Authority, 9 from IAS, 1 IFS, 5 IPS, 13 from IRS and Others) besides President and Vice-President ICAI.

The Inaugural session was graced by Mewar of Udaipur, Hon'ble Member of Parliament & Former Union Minister, Hon'ble Member of Parliament, Lok Sabha and Hon'ble Member of Parliament, Lok Sabha.

(II) Residential Meet of CA Members in Public Service held on 24th -26th June 2022 at Ooty (Tamil Nadu)

The CMEPS Committee had organized a Residential Meet of CA Members in Public Service from 24th - 26th June 2022 at Ooty which was attended by 51 members from varied areas of Politics/Judiciary, IAS, IFS, IPS, IRS, Cost and other Regulatory Services.

The Residential Meet was graced by Hon'ble Former Deputy Chairman, Rajya Sabha and Former Union Ministry of Minority Affairs, Hon'ble member of Parliament, Rajya Sabha & Founding Chancellor of Rishihood University, Hon'ble Retired Judge, Supreme Court of India, Hon'ble Advocate Supreme Court of India, Retired Acting Justice of Gujarat High Court, Hon'ble Judge, Rajasthan High Court, Jodhpur, Hon'ble Technical Member, National Company Law Appellate Tribunal, Hon'ble Member (Technical), National Company Law Tribunal.

During the meet detailed discussions on proposed changes in the scheme of Education and Training were discussed in detail. Further, the meeting dwelled upon the significant issues of Economic Development & Accounting Profession, Role of Accountants in Main Streaming Sustainability in Business, Profession for Better World: Priorities for Transforming Profession, Trust, Transparency and Accountability & the importance of Effective Enforcement system, Panel Discussion – Working to Build Stronger Governance, Panel Discussion – Focusing Governance on Value Creation, Panel Discussion - Maintaining & Enhancing Trust Way – forward and Panel Discussion - Role of CA Profession in Developing Non-Financial Reporting.

(III) Webcast on "Success Stories of Chartered Accountants as Civil Servants" held on 17th July 2021.

The CMEPS Committee had organized a webcast on 17th July 2021 on Success Stories of Chartered Accountants as Civil Servants. The webcast was inaugurated at the august hands of Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha. The webcast dwelled upon the panel discussion by the speakers on" Role Model- CA in Public Administration & Policy Making Reforms". The key panellists were Special Secretary and Financial Adviser, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Govt. of India, Chief Commissioner, Haryana Right to Service Commission and Collector, South Goa. The panel speakers discussed about their journey from being a Member of the Institute to the Civil administration services and how the same helped them in their effective delivery of their services for the Nation. They also shared their experiences and the mantra for success for Members and Students who wish to join civil services as their profession.

(IV) Webcast on "Opportunities in Public Service" held on 23rd January 2022.

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service organized a webcast on 23rd January 2022 on "Opportunities in Public Service". The webcast was addressed by two eminent speakers from public service Additional PS to MoS Finance and ICoAS, Deputy Director, National Pharmaceutical Pricing Authority. Both the speakers dwelled upon the issues of emerging opportunities for members in our profession in civil services.

(V) Webcast on "Success Stories of Chartered Accountants as Civil Servants" held on 8th April 2022.

The CMEPS Committee had organized a webcast on 8th April 2022 on Success Stories of Chartered Accountants as Civil Servants. The webcast dwelled upon the panel discussion by the speakers on" Role Model- CA in Public Administration & Policy Making Reforms". The key panellists were Secretary, Panchyat Raj, Rural Development and Higher Education, Inspector General, National Security Guard, Ministry of Home Affairs, Government of India and Excise Commissioner & Chief Executive Officer of Punjab Bureau of Investment Promotion. The panel speakers discussed about their journey from being a Member of the Institute to the Civil administration services and how the same helped them in their effective delivery of their services for the Nation. They also shared their experiences and the mantra for success for Members and Students who wish to join civil services as their profession.

(VI) Webcast on "Business Model Innovation: From Creativity to Entrepreneurship Specialization" held on 10th May 2022.

The CMEPS Committee had organized a webcast on 10th May 2022 on Success Stories of Chartered Accountants as Civil Servants. The webcast was graced by the Members of ICAI who are successful Entrepreneurs and shared their journey from being Chartered Accountant to successful CA Entrepreneurs. The webcast dwelled upon the panel discussion by the speakers on "Business Model Innovation: From Creativity to Entrepreneurship Specialization". The key panellists were Co-Founder & Group Chief Executive Office Make My Trip Limited, Founder, Meenu Creation and Co-Founder and Chief Investment Strategist, JRL Money. The panel speakers discussed about their journey from

being a Member of the Institute to the enlightened with insights, journey and experiences of our esteemed Members which shall surely motivate us to continuously work towards being a true partner in Nation Building.

(VII) Civil Services Orientation & Mentorship Programme for Chartered Accountant Members and CA Students aspiring to join Civil Services (4 Weekend Online Classes) held on 9th -10th April 2022, 16th -17th April 2022, 23rd -24th April 2022 and 30th April-1st May 2022.

The Committee for Members in Entrepreneurship and Public Service launched an Online Civil Services Orientation & Mentorship Programme for Chartered Accountant Members and CA Students aspiring to join Civil Services from 9th April 2022 for 4 weekends for 2 hours for each weekend. The objective of the Orientation Programme is to provide an overview of the topics covered in the civil services examination by renowned faculties which shall guide and motivate CA Members and Students to take up the civil services course and to provide them basic information on the course content. The Orientation Programme was inaugurated by CA Suresh Prabhu, Hon'ble Member of Parliament in kind presence of President ICAI, Vice-President ICAI, Chairman CMEPS, Vice-Chairman ICAI. The inaugural session was also joined by faculties i.e IRS and IAS and others.

The Orientation Programme was registered by over 3000 members and students. The Orientation Programme shall broadly cover an Overview of Civil Services Exam and how to start preparation, Prelims Examination; detailed overview, NCERTs Strategy, Basic and Advanced Book list, Time Table Notes Making, Approach & Revision Strategy, Current Affairs & Newspaper Reading Approach, GS Mains Approach and Answer Writing Strategy and tips, Commerce & Accountancy and Interview preparation guidance.

(VIII) An Interactive Meet of CA Members in Indian Cost Accounts Service held on 6th May 2022 at Hotel Le Meridien, Janpath, New Delhi.

The Committee organized an Interactive Meet of CA Members in Indian Cost Accounts Service held on 6th May 2022 at Hotel Le Meridien, Janpath, New Delhi. The Committee invited all CA Members in Indian Cost Accounts Service. The Meet was attended by 24 members in person and 6 Members through online. The Interactive Meet was graced by Senior Members in Cost Accounts Service namely; Additional Chief Advisor, Principal Advisor Cost, Advisor Cost who during the course of Meet dwelled upon the issues of Professionalization of Government Business through Chartered Accountants and the increasing role of Chartered Accountants in Indian Cost Accounts Service. The Interactive Meet discussed upon the various measures to increase more professional opportunities for CA Members in Indian Cost Accounts Service. The key issue discussed during the meet was to enhance the role of CA's in Cost Accounts Service and to identify opportunities for CA's in various Government Department and Ministries.

7.3 Legal Directorate

Total number of reference cases disposed of by various High Courts under Section 21 (6) of the Chartered Accountants Act, 1949 (prior to 2006 Amendment) during the period from 01.04.2021 to 31.03.2022 is 6 cases, out of the 6 reference cases, the High Court has agreed with the recommendation of the Council in 4 cases and in 2, the High Court did not agree with the recommendations of the council.

Total number of pending cases in various FORA as on 31.03.2022 are as under:

S. No.	Nature of Case	No. of Pending Cases
1.	Reference Cases filed under Section 21 (5) Of the Chartered Accountants Act, 1949 (prior to 2006 Amendment) pending before different High Courts	163
	Special Leave Petition (SLP)/Appeal filed against the Judgment of the High Court in Reference Cases pending in the Supreme Court	4
2.	Writ Petitions filed arising out of disciplinary action under Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949	204
3.	Court Cases related to Non-Disciplinary Matters pending before various courts	132
4.	Cases arising out of Violation of Section 24 of the Chartered Accountants Act, 1949 pending before various courts	23
5.	Cases arising out of Violation of Section 24A of the Chartered Accountants Act, 1949 pending before various courts	2
6.	Appeals (filed by members of the Institute under Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949) before the Appellate Authority constituted under Section 22A of Chartered Accountants Act, 1949 as amended by the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006	88

	Total Number of Cases	616

The following activities were undertaken by the Legal Directorate:

- Number of Writ Petitions were by the students filed in the Supreme Court with regard to conducting of CA Examinations in July, 2021. Hon'ble Supreme Court had permitted the Institute to conduct the Examinations as per schedule. The Examinations could be successfully completed in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court.
- Submitted the views of the Institute of Chartered Accountants of India to the Standing committee of Parliament for Amendments to the Chartered Accountants Act, 1949.
- Assisted in preparation of Rules & Regulation and preparation of Chartered Accountants (Amendment) Act, 2022.
- Another Transfer Petition was filed by ICAI in the Supreme Court for transfer of Writ Petitions pending in the High Court in the matter of ceiling on tax audits under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961. With this, the total number of Transfer Petitions in Supreme court has risen to 4 Transfer petitions involving 128 individual Members.
- Rendering effective legal assistance in the form of legal opinions, studies and reports, as required from time to time by the Council /Executive Committee / various Non-Standing Committees and departments of the Institute.
- Providing appropriate legal advice on diverse range of substantive and procedural questions of law arising in administrative functioning of the Institute to firmly secure the interest of ICAI, as required by the operational departments.
- Supervising and overseeing the review, negotiations, drafting and vetting of contracts, tender documents and other legal documents, as required by the operational departments and various committees of ICAI.
- Serving on various Standing and Non-standing Committees, Study groups and task force, as required, to take care of legal niceties in framing of policies.
- Advising in the matters of taking recourse to legal remedies whenever necessary and assisting the operational departments and committees in preparing reply to legal notices received.

Important Cases

- **SC permits the Institute to conduct July, 2021 CA Examinations.**

Number of Writ Petitions were filed in the Supreme Court with regard to conducting of CA Examinations in July, 2021. Hon'ble Supreme Court in W.P. 640/202, Anubha Shrivastava Sahai Vs. UOI & Ors. had permitted the Institute to conduct the Examinations as per schedule with certain directions regarding opting out facility and taking care of the candidates affected due to lockdown during the relevant period. The Examinations could be successfully completed in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court.

- **Supreme Court allows the Transfer Petition filed by ICAI with regard to Transfer of pending Writ Petitions in various High Courts to itself in the matter of ceiling on Tax Audits under Section 44AB of Income Tax Act, 1961.**

Several Writ Petitions were filed and interim orders were obtained by Members against initiation of disciplinary action for exceeding the ceiling on tax audits under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961. Basically, the challenge is to the guidelines dated 08.08.2008 issued by the Institute imposing the restrictions on the ground that it impinges upon their right to practice the profession guaranteed under Article 19(1)(g) of the Constitution of India.

In view of the conflicting decisions of the Madras, Kerala, M.P. and other State High Courts, the Institute has moved the Supreme Court by filing Transfer Petitions so that the pending matters in various Courts are transferred to the Apex Court itself and the vexatious issue be settled once for all by the Supreme Court to put an end to the litigation.

A 3 Judge Bench of the Supreme Court has allowed all the Petitions filed by the Institute and transferred to itself the pending Writ Petitions in various High Courts. It was, however, made clear in the order that the interim orders operating in the different Writ Petitions shall be continued till the Supreme Court passes any other order. In the course of the judgment the Hon'ble Supreme Court has observed as under:

"The guidelines which are impugned in the High Court and consequent disciplinary proceedings initiated against various Chartered Accountants throughout the country is an issue of public importance affecting Chartered Accountants as well as the citizens who have to obtain compulsory tax audits. We are satisfied that to settle the law and to clear the uncertainty among tax professionals and citizens, it is appropriate that this Court may transfer the Writ Petition, to authoritatively pronounce the law on the subject."

- **Filing of Civil Suit in the Delhi High Court against Institute of Cost Accountants on the illegal usage of the acronym 'ICAI'.**

Despite the ICAI's efforts to amicably settle the issue, unauthorized and illegal usage of acronym 'ICAI' by the Institute of Cost Accountants is continuing. The Institute had, therefore, filed a Civil Suit in Delhi High Court to protect the rights of ICAI from being infringed upon by Institute of Cost Accountants in the matter of usage of the acronym 'ICAI' for which the ICAI has obtained the trade mark registered in its favour.

The ICAI is taking all the steps necessary to protect its legal rights and interests.

7.4 Infrastructure Development Committee (IDC)

In the year 2014, Infrastructure Development Committee was formed as a non-standing Committee of the Institute. Since 2014, the ICAI has a robust infrastructure policy in place, which ensures financial prudence and discipline. This year, Committee has re-formulated the Infrastructure Policy for Branches and Regional Councils/Offices. The policy defines what all facilities can be provided, composition of local Infrastructure Committees, policy and procedure for acquisition of land/ building, indicative area, permissible grant from Head Office, powers and delegation vested with various authorities within the Institute. Since the policy itself defines the financial powers, all infrastructure projects from the year 2014 onwards are being approved by IDC, instead of the Finance Committee. Since formulation of Infrastructure policy, the ICAI has initiated following projects:

Purchase of new Infrastructure	**Construction proposals approved**
Kannur, Jalandhar, Jabalpur, Goa, Gurugram, Moradabad, Pali, Agra, Gorakhpur, Karnal, Kishangarh, Latur, Patiala, Ujjan, Ratlam, Chengalpattu, Ahmedabad, Kota, Ernakulam and COE Chennai (1.19 Acres) and Himachal Pradesh	Ajmer, Surat, Hubli, Bhopal, Rajamahendravaram, Centre of Excellence Jaipur, Bathinda, Bareilly, Jodhpur, Raipur, Kannur, Ghaziabad, Goa, Moradabad, Guntur, Agra, Gurugram, Rohini, Ratlam, Patiala, Kishangarh, Ujjain, Pali, COE Kolkata, Bengaluru Gifted Property and Ahmedabad

Out of total 166 Branches set up by the ICAI so far, 101 branches are having their own premises which include 13 Branches (presently functioning from Rented Premises) who have procured land on which construction is either commenced or construction is under-way. 14 Branches (functioning from own premises) have procured land where either construction has started or construction is under-way. 52 Branches do not own either land or building. The Region-wise break-up as on 30th June, 2022 is as under:

S. No.	**Particulars**	**Remarks**					
		WIRC	**SIRC**	**EIRC**	**CIRC**	**NIRC**	**Total**
1	Total Nos. of Branches	**35**	**45**	**13**	**49**	**24**	**166**
2	Nos. of Branches having own Premises	21	34	6	30	10	**101**
3	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started (functioning from rented premises)	1	1	0	6	5	**13**
4	Nos. of Branches having land on which construction is started or yet to be started besides the own premises (functioning from own premises)	4	3	1	5	1	**14**
5	Total nos. of Branches having neither land or building	13	10	7	13	9	**52**

7.5 International Affairs Committee (IAC)

(I) Initiatives of IAC for recognition of professional opportunities abroad

In order to spread its wings internationally, ICAI has been entering into qualification reciprocity agreements with accounting bodies globally to recognize qualification of members at either ends. These agreements foster working relations between the two accounting institutes. These agreements are a step forward in increased mobility to professionals at both end and herald a new dimension for business globally.

During the period under report, ICAI has signed qualification reciprocity agreement with the following bodies:

- **Renewal of Mutual Reciprocity Agreement with CPA Australia**

ICAI has renewed the Mutual Recognition Agreement with CPA Australia on 29th July 2021 for a further period of 5 years. The Union Cabinet, chaired by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, had approved the renewal of MRA between the ICAI and CPA Australia on 20th April 2021. The signing ceremony was attended by His Excellency Mr. Manpreet Vohra, Hon'ble High Commissioner of India to Australia as Guest of Honour, Ms. Merran H Kelsall, President and Chairman of the Board, CPA Australia, Mr. Andrew Hunter, Chief Executive Officer, CPA Australia along with ICAI leadership. With this renewal, both ICAI and CPA Australia shall continue to recognize the qualification, training of each other and admit the members in good standing by prescribing a bridging mechanism. The MRA would pave way for enhanced professional opportunities for members at either end.

- **MoU with Chartered Accountants Australia and New Zealand**

ICAI signed MoU with Chartered Accountants Australia and New Zealand (CA ANZ) at a virtual event on September 10, 2021 for a period of 5 years. From ICAI side CA. Nihar N Jambusaria, President and from CA ANZ side, Ms. Nives Botica Redmayne, President, CA ANZ; Ms. Ainslie van Onselen, Chief Executive Officer (CEO), CA ANZ and Mr. Simon Grant, Group Executive, Advocacy & International, CA ANZ were present. This MoU would pave way for enhanced professional opportunities for members at either end.

The following is the list of foreign institutes with which ICAI currently has qualification reciprocity arrangements:

- ✦ Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA Ireland)
- ✦ South Africa Institute of Chartered Accountants (SAICA)
- ✦ CPA Canada
- ✦ Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW)
- ✦ Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN)
- ✦ Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA)
- ✦ CPA Australia
- ✦ Chartered Accountants Australia & New Zealand

In addition, Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ) and Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) have offered Pilot Pathways program for ICAI members. These are unilateral offers in addition to the bilateral qualification reciprocity agreements.

(II) Enhancing ICAI's Global Footprints

- **Enhancing Brand CA Globally through ICAI Overseas Chapters & Representative Offices**

ICAI has 44 Chapters and 33 Representative Offices spread across the globe in order to be able to serve the members better by positioning the Brand India CA globally; to create more professional avenues; to assist in informational resource. ICAI has now etched its presence in 77 cities of the world in 48 countries. During the period, ICAI has inaugurated 5 Chapters namely USA (Chicago), USA (Dallas), Ghana (Accra), Mauritius (Port Louis) and South Africa (Johannesburg). 11 Representative Offices were launched namely Hanoi; Ho Chi Minh; German (Munich) ; Finland (Helsinki); Gabon (Libreville); Ivory Coast (Abidjan); Ang Thong, (Thailand); Sweden (Stockholm); Denmark (Copenhagen) Jordan (Amman) and Netherlands (Eindhoven).

Representative Offices abroad are opened where currently ICAI Chapters cannot be formed thus bringing together ICAI members abroad and enabling effective reach and service to its members, thus aiding to positioning the 'Indian Chartered Accountant' as a 'Brand' worldwide for generating more professional avenues for Indian Chartered Accountants.

- **ICAI Best Overseas Chapter Awards 2022**

Since 2013, the International Affairs Committee (IAC) has been organizing ICAI Best Chapter Awards for its Chapters overseas which are awarded at the ICAI Annual Function every year as a token to appreciate the efforts of the Chapter Managing Committee in enhancing the 'Indian CA' brand and providing members a platform for networking thus creating a feeling of belongingness amongst members in foreign soil. They recognize the distinguished efforts and exemplary achievements of Chapters in furtherance of the horizon of the Chartered Accountancy profession.

The best overseas Chapters are selected on the basis of defined parameters as approved from time to time.

In order to encourage more and more Chapters to perform well and also to encourage the ICAI Chapters to contribute for the successful organization of the upcoming WCOA 2022, the evaluation criteria for Best Chapter Awards this year has been revised.

- **ICAI's Representatives on International Bodies**

  - ✦ CA. Prafulla P. Chhajed, Past President, ICAI has been elected as the Deputy President of Confederation of Asia and Pacific Accountants (CAPA) for a period of two years commencing from November 2021.
  - ✦ CA. (Dr.) Debashis Mitra, President, ICAI has been nominated as the Board Member of Chartered Accountants Worldwide (CAW) for a period of two years commencing from November 2021.
  - ✦ CA. Nihar N Jambusaria, Past President, ICAI has been nominated as Vice President, South Asian Federation of Accountants (SAFA) for a period of one year commencing from January 01, 2022.
  - ✦ CA. Rajesh Sharma, Past Council Member, ICAI has been nominated as Member of the Small and Medium Practices (SMP) Advisory Group of IFAC for a period of three years commencing from January 01, 2022.
  - ✦ CA. Sanjiv Kumar Chaudhary, Past Council Member, ICAI has been re-nominated as Member of International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) for a period of two years commencing from January 01, 2022.

- **Globalizing ICAI's Brand Equity**

Associate Membership of ASEAN Federation of Accountants

ICAI has taken the associate membership of ASEAN Federation of Accountants (AFA) to expand its global outreach and getting foothold in ASEAN Region. The ASEAN Federation of Accountants (AFA) was established in March, 1977, to serve as the umbrella organisation for the national accountancy bodies in the countries which are part of the Association of South East Asian Nation (ASEAN). Membership of AFA would enable ICAI to connect closely with the professional organisations based in ASEAN region and also to promote such initiatives of ICAI which are of global relevance with PAOs in these jurisdictions.

The following is the list of International organizations/ forums, of which ICAI is a member:-

- International Federation of Accountants – Founder
- Confederation of Asian and Pacific Accountants – Founder
- South Asian Federation of Accountants – Founder
- Asian Oceanic Standards Setters Group – Founder
- International Forum of Accounting Standard Setters (IFASS)
- Chartered Accountants Worldwide
- ASEAN Federation of Accountants
- Pan African Federation of Accountants
- Edinburgh Group
- Emerging Economies Group
- International Valuation Standards Council
- Integrated Reporting Council
- XBRL International
- IFRS Foundation

- **Delegations visiting ICAI**

  - ✦ **Visit of delegation from CA Maldives to ICAI**

  A delegation led by Mr. Hussain Niyazy, the Auditor General of Maldives & President of CA Maldives visited ICAI on March 8, 2022.

  CA Maldives has also requested the support of ICAI for getting an in-depth introduction on the working of ICAI in the areas of examination, course structuring, disciplinary mechanism, peer review, Members & students services, Professional development etc. besides the various important initiatives taken by ICAI especially with regard to Sustainability, Forensic accounting, Valuation Standards, Digital Learning Hub. The delegation was very appreciative of the efforts taken by ICAI in this regard.

  CA Maldives has sought support from ICAI for the development of the accountancy profession in Maldives by establishing mutual co-operation between the two Institutes for advancement of accounting knowledge, professional and intellectual development of the professionals in Maldives.

  - ✦ **Meeting between ICAI and the officials of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW)**

  A Meeting was held with officials of the Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) namely Ms. Vandana Saxena Poria, India Advisor, ICAEW, who visited ICAI physically and Mr. Doug Withington Senior Global Business Development Manager, ICAEW & Mr. Daniel Westley, Senior International Business Development Manager, ICAEW who joined the meeting virtually on March 09, 2022.

The meeting focused on the renewal of the MoU between ICAI & ICAEW which is going to expire on October 2, 2022. Discussions were also held regarding the upcoming World Congress of Accountants hosted by ICAI on the Speaker opportunities and Sponsorship Opportunities, besides having delegation from ICAEW and promoting the WCOA in their jurisdiction.

Discussions were also held on the possibility of undertaking Joint Research/Studies and Joint Events/Webinars on some relevant topics such as Sustainability, Valuation and alike. ICAI & ICAEW had earlier collaborated and jointly published a Study titled "Automation in finance functions: lessons from India and the UK".

- **Visit of delegation from CPA Australia to ICAI**

Mr. Leslie Leow, General Manager – Emerging Markets, CPA Australia, visited ICAI on 18th April 2022 at ICAI HO, New Delhi. A Conference call was also held between President & Vice President of ICAI and the leadership team of CPA Australia lead by Mr. Andrew Hunter, Chief Executive Officer of CPA Australia on 21st April 2022. The two Institutes discussed the benefits of Qualification Recognition Agreement signed between the two Institutes since past 12 years and held discussions to conduct Joint Studies and Publications on topics of mutual interest of both the Institutes.

- **Visit of delegation from the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN)**

ICA Nepal delegation lead by CA. Yuddha Raj Oli, President, ICAN and CA. Sanjay Kumar Sinha, Executive Director of ICAN in June 2021 to get the insights on the Examination process of ICAI. ICAI shared its Examination process and committed ICAN to help digitize its Examination process. It is worthy to note that the Institute of Chartered Accountants of Nepal came into being with the technical support provided by the ICAI. The said support, which started from development of Study Material, Curriculum Development, Training structure etc. to ICA Nepal, is still continuing in various areas such Peer Review, ISA Course, Continuing Professional Education process, Examination process, Access to Digital Learning Hub to ICAI members etc. as requisitioned by ICA Nepal from time to time.

(III) Technical Co-operation Agreements

ICAI is also associated in providing framework of Technical Cooperation to countries that lack the accountancy infrastructure. During the period under report, ICAI has signed Technical Co-operation Agreement with the following bodies:-

- **Virtual MoU Signing Ceremony between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and Qatar Financial Centre Authority (QFCA)**

ICAI & Qatar Financial Centre Authority (QFCA) has signed the MoU to enhance cooperation between the two Institutes to work together to strengthen the Accounting profession and entrepreneurship base in Qatar at a virtual ceremony on June 28, 2021.

From ICAI side, ICAI President CA. Nihar N. Jambusaria ;ICAI Vice- President CA. (Dr.) Debashis Mitra addressed at the Ceremony. Shri Manoj Pandey, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs, Government of India addressed the event as Special Guest and Dr. Deepak Mittal, Hon'ble Ambassador of India to the State of Qatar also graced the event with his presence. The event also witnessed the participation of Central Council Members CA. Dayaniwas Sharma, CA. Aniket S. Talati, Shri Vijay Kumar Jhalani, (Govt Nominee), CA. Anuj Goyal, CA.(Dr) Sanjeev Singhal, CA. Chandrashekhar Vasant Chitale, CA. Durgesh Kumar Kabra and CA. Manu Agrawal. From the QFC side Mr. Kamal Naji, Chief Project Officer; Yousuf Mohamed Al-Jaida, Chief Executive Officer, QFC addressed the event.

The MoU endeavours to increase opportunities/ prospects for about 6000 members of ICAI in Middle East and Qatar enabling them to have better recognition together with supporting the growth of Qatar and India's economies.

- **Union Cabinet approval for Memorandum of Understanding between ICAI and The Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan (CAAR)**

The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the Memorandum of Understanding between the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) & The Chamber of Auditors of the Republic of Azerbaijan (CAAR) on September 8, 2021. Both ICAI and CAAR intend to strengthen cooperation in the areas of training of audit, finance and accounting professionals. The MoU is expected to be signed soon.

- **Union Cabinet approval for MoU between ICAI and PIBR, Poland**

The Union Cabinet chaired by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the proposal of Memorandum of Understanding with the Polish Chamber of Statutory Auditors (PIBR) on 1st December 2021. The MoU will help to establish Mutual Co-operation in the areas of Member Management, Professional Ethics, Technical Research, Continuing Professional Development, Professional Accountancy Training, Audit Quality Monitoring, Advancement of Accounting Knowledge, Professional and Intellectual Development between the two Institutes.

- **MoU Signing Ceremony between ICAI and the Institute of Professional Accountants of Russia (IPAR) on December 2, 2021**

In a virtual ceremony on December 2, 2021, ICAI signed an MoU with Institute of Professional Accountants of Russia (IPAR). The MoU aims to establish mutual co-operation in the areas of Professional Accountancy Training, Professional Ethics, Technical Research, Advancement of Accounting Knowledge, Professional and Professional Development of Accountants. The event was graced by Dr. Aseem Vohra, First Secretary – Trade Wing, Embassy of India in Russia as Guest of Honour. CA. Nihar N Jambusaria, President, ICAI; and CA. (Dr.) Jai Kumar Batra, Acting Secretary, ICAI were present from ICAI side. Mr. Gennadiy Ostrovskiy, Vice-President, IPAR, Russia and Ms. Evgeniya Koposova, Director IPAR, Russia attended the event from IPAR side. The agreement is one of the 28 MoUs/bilateral co-operation agreements signed coinciding with the 21st annual India-Russia summit.

- **Renewal of MoU with College of Banking & Financial Studies, Oman**

The MoU between ICAI & College of Banking & Financial Studies, Oman has been renewed on March 31, 2022. The objective of the MoU is to work together for strengthening the accounting, financial and audit knowledge base within Oman under the aegis of the MoU. Having run successfully since 2008; the MoU between ICAI and CBFS has played a very important role in spreading the global footprints of Brand Indian Chartered Accountants in Oman and Gulf region with the presence of more than 500 Chartered Accountants in Oman and ICAI Chapter having 300 plus registered members.

Following is the list of Institutes with which ICAI is having technical collaboration agreements for institutionalization of accounting profession in these countries.

- MoU with Chamber of Auditors of Azerbaijan Republic (CAAR)
- MoU with Polish Chamber of Statutory Auditors (PIBR)
- MoU with College of Banking and Financial Studies (CBFS), Oman
- MoU with Institute of professional accountants of Russia (IPAR)
- MoU with Qatar Financial Center (QFC)
- MoU with Certified Practising Accountants - Papua New Guinea (CPA PNG)
- MoU with Higher Colleges of Technology (HCT), UAE
- MoU with VRC, the Netherlands
- MoU with CPA Afghanistan
- MoU with Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA)
- MoU with Kuwait Accountants and Auditors Association (KAAA), Kuwait
- MoU with Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK)
- MoU with National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tanzania
- MoU with Bahrain Institute of Banking & Finance (BIBF)
- MoU with the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICA Nepal)

MoU with CA Maldives and ICA Nigeria has been approved by the ICAI Council and shall be signed after getting concurrence from the Government of India.

(IV) ICAI International Conference 2022

- **ICAI Virtual International Conference "Accountants Creating a Digital and Sustainable Economy" from January 20-22, 2022.**

ICAI organized a mega International Conference on the theme "Accountants "Creating a Digital and Sustainable Economy" from January 20-22, 2022 in virtual mode. The Conference had participation of more than 3000 delegates from across the globe who attended the event through a specially created virtual platform intended to provide best in class experience to the delegates.

The 3 day mega International Conference had an inaugural session, 17 technical sessions and 6 concurrent sessions and was addressed by over 80 eminent national and international speakers. The Conference aimed to highlight the importance of sustainable development and the need to embrace the technology disruption in contributing towards the economic growth of the nation.

The Conference was inaugurated by Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Union Minister of Road Transport & Highways as the Chief Guest. Ms. Smriti Irani, Hon'ble Union Minister of Women and Child Development and Mr. Alan Johnson, President, International Federation of Accountants addressed the Conference as the Guest of Honour.

(V) Events with MoU/MRA partners

- **Awareness sessions with CPA Australia and ICAEW**

From time to time, ICAI organizes awareness programs jointly in association with CPA Australia and ICAEW under the mandate of qualification reciprocity agreements signed with them for the members to make them aware of the scheme and benefits of these MRAs. These are very well appreciated by the members. Joint programs with CPA Australia are being organized almost once every month.

- **ICAI organized a Webcast with the Institute of Chartered Accountants in England and Wale (ICAEW) on "Automation in Finance Functions" on 11th August 2021**

The International Affairs Committee and Digital Accounting and Assurance Board jointly with the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) organized a Webcast on "Automation in Finance Functions" on 11th August 2021 to understand how MSMEs have navigated COVID -19 pandemic and what solutions have been working for them from an automation perspective. The event was addressed by Ms. Kirstin Gillon, Lead Report Author, ICAEW, Mr. Dinannth Kholkar, Vice President & Global Head – Analytics and Insights, Tata Consultancy Services, Mr. Rahul Bothra, Chief Financial Officer, Swiggy along with ICAI leadership.

- **Webinar in association with Qatar Financial Centre and hosted by WIRC of ICAI**

ICAI in association with Qatar Financial Centre and hosted by WIRC of ICAI had organized a webinar on the theme "Qatar Your Career Destination" on December 16, 2021. The webinar was a step ahead in the direction of collaboration between India and Qatar by way of a collaborative agreement which was signed between ICAI & QFC on June 28, 2021. The webinar enriched the knowledge base of members who wish to shift base to Qatar.

- **A Webinar on Professional Opportunities for ICAI Members in Ireland was organized in association with CPA Ireland on May 4, 2022**

In order to create awareness amongst ICAI members on the various professional opportunities in Ireland, a Webinar on Professional Opportunities for ICAI Members in Ireland was organized in association with CPA Ireland on May 4, 2022 under the MRA signed between ICAI and CPA Ireland. This was the first webinar organized with CPA Ireland. The event was graced with the august presence of H.E. Mr. Akhilesh Mishra and CA. Aniket Sunil Talati, Vice President, ICAI. From CPA Ireland, Mr. Eamonn Siggins, Chief Executive, CPA Ireland – MRA between ICAI and CPA Ireland; Ms. Caroline Moloney, Business Development Executive, CPA Ireland ; Ms. Kellsie Larkin, Business Development Manager, Visa First and CA. Sachin Gupta, Chairman, Ireland Chapter of ICAI.

(VI) Webinars

The Committee organized the following events for the benefit of the profession at large providing them with an opportunity to upgrade their knowledge base and skills set with these events/webinars:-

ICAI hosted SAFA Global SMP Webinar on 27th June 2021

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) hosted the SAFA Global SMP Webinar on "Building Digitalised SMPs in Post Covid Era" on June 27, 2021 to celebrate International SMP day. The event was addressed by CA. Nihar N. Jambusaria, President ICAI, CA. (Dr.) Debashis Mitra, Vice President ICAI, CA. Satish Kumar Gupta, Chairman, Small & Medium Practices Committee, SAFA, Mr. A K M Delwer Hussain, President, SAFA. Mr. Klaus Bertram, Deputy Chair, IFAC SMP Advisory Group gave a presentation on "Digital Transformation of SMPs in the changing World" at the Webinar.

A Panel discussion on "Supporting & Servicing SMPs: Role of Regional bodies" was also held at the Webinar which was moderated by CA. (Dr.) Sanjeev Singhal, Chairman, Committee for Members in Practice, ICAI and participated by CA. Satish Kumar Gupta, Chairman, SMP Committee of SAFA, Mr. Salvador Marin, President, European Federation of Accountants and Auditors for SMEs (EFAA), Mr. Panayotis Alamanos, President, Federation of Mediterranean Certified Accountants (FCM), Ms. Alta Prinsloo, Chief Executive Officer, Pan African Federation of Accountants (PAFA), Mr. Aucky Pratama, Executive Director, ASEAN Federation of Accountants (AFA) Ms. Hina Usmani, Member, SMP Committee of SAFA and Mr. Tishan Subasinghe, Member, SMP Committee of SAFA

The webinar concluded with the Vote of thanks from Vice President, SAFA and Vice Chairman, Committee for Members in Practice, ICAI.

- **SAFA Virtual Training Program: Preparing Students to Face the Future hosted by Institute of Chartered Accountants of India**

ICAI hosted the SAFA Virtual Training Program: "Preparing Students to Face the Future" for the students of SAFA member bodies. The Inaugural session of the Training programme was held on August 7, 2021 and was attended by President, ICAI; Vice President, ICAI, President, SAFA, Vice President, SAFA and Chairman, Committee on Education, Training and CPD of SAFA followed by technical sessions on August 7 & 13. The session was attended by over 1000 students across the globe.

- **ICAI Global Virtual Sustainability Summit on the theme - Accelerating Sustainability Agenda: Opportunities for Professional Accountants" on 17th - 18th November, 2021**

The International Affairs Committee and Sustainability Reporting Standards Board of ICAI in their endeavor to bring both the Indian and global perspective together to dwell deeper into the emerging sustainability reporting ecosystem across the globe jointly organized Global Virtual Sustainability Summit on the theme – "Accelerating Sustainability Agenda: Opportunities for Professional Accountant"s on 17th – 18th November, 2021. The Summit provided a platform to deliberate on the need of businesses to adopt sustainability practices; collaborative efforts towards transition to low carbon economy; strengthening efforts towards building harmonized global sustainability reporting system and crucial role of accountants in leading the sustainability agenda. The Summit was spread over four technical sessions with panel discussions on pertinent topics with eminent speakers from both national and international level.

7.6 Organising Committee on World Congress of Accountants (WCOA)

The World Congress of Accountants (WCOA) held once every four years is popularly known as the "Olympics of the Accountancy Profession" and is one of the most prestigious global events of Professional accountants under the aegis of the International Federation of Accountants (IFAC). IFAC is the global organization for the accountancy profession comprised of 180 organisations as its members and associates covering 135 countries and jurisdictions.

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is the proud host of the 21st World Congress of Accountants 2022 on the theme *"Building Trust Enabling Sustainability"* scheduled to be held from November 18-21, 2022 at Jio World Convention Centre, Mumbai, India.

The WCOA which dates back to 1904, is taking place in India for the first time in the 118 years of history of the Congress and is a proud moment for the country. Being held in hybrid mode, it shall witness participation from about 6000 delegates physically and over 10,000 delegates virtually from across the globe.

The objective of the WCOA is to foster global unity and collegiality among professional accountants. The Congress gives an opportunity to listen to the thought leaders from the world of economics, finance, technology and business, to exchange views with other accounting and finance professionals from around the world, and to debate current issues and trends in the profession.

The theme of 21st World Congress *"Building Trust Enabling Sustainability"* has been developed keeping in mind the continuous engagement and role of the accountancy profession in building trust to support communities, businesses and to build the sustainable resilient economies that we need for the future.

7.7 Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee (SPP&MC)

Strategy, Perspective Planning and Monitoring Committee (SPPMC) is a non-standing Committee of the Institute of Chartered Accountants of India formed under regulatory provisions of Chartered Accountants Act, 1949. The Objective of this Committee is to identify, focus, explore, discuss and develop core competencies of the Accounting Profession in strategic & emerging areas in order to develop & broaden ICAI as a focused and vibrant accountancy Institute. The Committee aims to devise strategic plans for the inclusive growth of the Accountancy Profession by encompassing and empowering the stakeholders in the process.

SPPMC acts as a strategic planning and guiding unit to the core functions of ICAI and to strategise how to increase India's and ICAI's thought leadership internationally. The Committee also aims to work with organizations globally to maintain and increase the relevance of ICAI in global context and continue to improve the international reputation and position of ICA India.

(I) Activities of the Committee during 2021-22:

The Committee conducted a live VCM on "Succession Planning in CA Firms- A Perspective" on 31st January, 2022. The sessions covered during the VCM were

- Value Creation through Succession Planning taken up; and
- Challenges in Succession Planning for Small firms taken up.

The VCM received enthusiastic response from the members with almost 3000 members participating in the program and many members sending their queries for the speakers to address.

(II) Activities of the Committee during 2022-23 till 30th June 2022:

The 6th meeting of Strategy, Perspective Planning & Monitoring Committee (SPPMC) was held at ICAI BKC, Mumbai on 5th April 2022 wherein all members of Central Council were invited to deliberate and plan Institute's strategy for the future. During the said meeting, various inputs were received suggesting Action points and initiatives that can be considered and undertaken by the various Committees/Boards/Departments/ Directorates for improving the overall efficacy and contribution in the best interest of the profession and nation.

7.8 UDIN Directorate

ICAI has pioneered in conceptualizing a unique concept which is called "Unique Document Identification Number (UDIN) - A Seal of Authentication" as fake certification in name of CAs was misleading banks/financial institutions/govt. departments who were relying upon them for various purposes thereby bringing loss to national exchequer. Through this concept, the regulators and stakeholders are able to establish the authenticity of the documents on real time basis by a simple click which will eradicate such malpractices and enhance trust and credibility of CA Profession. UDIN Directorate was set up by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India in the year 2019 to implement and monitor the progress of UDIN and its day-to-day functioining on real time basis. Prior to that, it was part of Professional Development Committee.

(I) UDIN- By Regulators, Banks and Stakeholders

- Various Government Departments and stakeholders have been actively utilizing the services of UDIN Portal to verify the authenticity of the documents. Recently, the Public Works Department of the Government of West Bengal has informed that Govt of West Bengal has mandated mentioning UDIN in section B, Form II (for judging financial capability) submitted by the bidders participating in their tender process. Recently, various State Governments like Govt. of West Bengal and Govt. of Maharashtra have recognized by way of verification of the authenticity of the documents received by them.
- Securities and Exchange Board of India (SEBI) has provided for mentioning UDINs in their forms/certificates issued by the CAs. Similarly, Real Estate Regulatory Authority (RERA) of several states have included provision for providing UDINs in respect of the forms/certificates issued by the CAs.
- Central Board of Direct Taxes (CBDT) has provided the facility of bulk updation of UDIN at the e-filing portal all the IT forms including 15CB forms. Indian Banks' Association has communicated to all the Banks to impress for UDIN in all certificates certified by CAs submitted to them.
- Bank of Baroda agreed to revise the requirement of affixation of four different UDINs for SBA audit report, Ghosh and Jilani Committee report, covering letter of all the certificates and LFAR from the SBAs and accepted only a single UDIN for Bank Audit Report submitted by the SBA.

(II) Initiatives for the Members

- In order to mitigate the hardships faced by the members, the generation of UDIN within 30 days in place of 15 days from the date of signing the documents/ certificates/ reports till 31st December 2021, was permitted. For the documents signed between 1st September 2021 till 31st December 2021, UDINs were allowed to be generated within 30 days of signing of the documents/ certificates/ reports. Further, for the documents/ certificates/ reports signed on or after 1st January 2022, the original guidance for generation of UDIN, i.e., within 15 days of signing the documents was applicable.
- With an aim to align the time limit for generating UDIN with the Standards on Auditing and Standard on Quality Control, the Council at its 405th meeting held on 17th September 2021 decided that the time limit of generating UDIN would be 60 days from the date of the signing of certificates/reports/document instead of 15 days henceforth. Further, for the documents where the respective Regulator/(s) or other stakeholders require UDIN immediately on signing or within a specified period, the same shall be provided by the member. The UDIN portal fully supports the said functionality and the members are able to generate UDIN smoothly within 60 days of signing the documents.
- In order to enable members to adhere to the compliance at the e-filing portal with respect to updation of UDINs, all those forms, wherein UDIN generation was possible from AY 2014-15 onwards, were permitted beginning from AY 2010-11 onwards. However, the forms for which UDIN generation were permitted prior to 2010-11, continued on as is basis.
- Firm Registration Number (FRN) has been made a compulsory field for generating UDIN from 1st February 2022. The purpose of mandating the FRN is to enable the firms to consolidate the total UDINs generated by its partners on its behalf for its clients, prospectively.
- UDIN portal has included a provision for the members to provide the value of the Memorandum of Change (MoC), while generating UDIN for the Audit Report in respect of the Statutory Audit of Bank Branch under the category Audit & Assurance Functions at the UDIN portal. The provision on the portal, however, ensures that the detail of the client remains protected. The information provided at the UDIN portal regarding MOC is mandatory and totally encrypted. It is not visible to any third-party verifier.
- Owing to several instances of invalidated UDINs at the e-filing portal of Income Tax Department, certain technological changes have been made on the UDIN portal. The Members were advised to update those UDINs

which have been invalidated earlier at the e-filing Portal. CBDT has given one-time relaxation in Assessment Year (AY) and Form ID from 13th May, 2022 to 31st May, 2022, which was further extended till 30th June, 2022. This relaxation has enabled Income Tax Assesses to get the process of validation completed by filing with the corresponding UDINs at the e-filing portal. CBDT has further extended the last date for updating UDINs at the e-filing portal till 30th September, 2022 for AY 2021-2022.

(III) Impact of UDIN

After implementation of UDIN, lots of malpractices which were in place by wrongdoers started coming to the limelight. Complaints are being received from stakeholders wherein frauds done by non-CAs in the name of CAs have started unearthing. UDINs are being verified by the regulators / stakeholders for establishing the authenticity of being signed by CAs only.

As generation of UDIN is mandatory for all the Practicing CAs for all the documents issued by them, as on 5th July, 2022 more than 1.33 lakhs CAs have registered at UDIN Portal and have generated more than 3.70 Cr UDINs till 5th July 2022.

(IV) Programmes & Publications

- 3rd meeting of the Task Force to implement UDIN in South Asian Federation of Accountants (SAFA) Member Bodies was held on 22nd June 2021.
- A VCM on Practical Issues in UDIN -Questions & Answers was held on 24th June 2021. A VCM on Practical Issues in UDIN -Questions & Answers was held on 24th June 2021. Around 5000 members registered for the programme and more than 4500 viewed the same.
- A VCM on Practical Issues in UDIN - Questions & Answers was held on 12th May, 2022 and was viewed by more than 12,000 members.
- Report on UDIN (2021-22) & 3rd edition of FAQs on UDIN have been brought out/ revised by the UDIN directorate on 4th February 2022 at the Annual Function.

7.9 Publication & CDS Directorate

The Publication Directorate of Institute primarily caters to following three areas:

- Printing of study materials for students and member-related publications
- Sale and distribution of publications through Centralised Distribution System
- Maintaining Stock account, sales account and reconciliation of stock.

(I) New Publications brought out

During the period under report i.e. between 1st April, 2021 and 30th June, 2022, the Publication Directorate printed the various new publications on behalf of Board of Studies and other Committees, which are hosted on the CDS Portal.

(II) Centralised Distribution System

Since July, 2017, all publications of ICAI including study materials, Revision Test Papers and member-related publications and various kinds of mementoes such as ties, Tie Pin cuff links and lapel pins are dispatched centrally through Central Distribution System Portal (www.icai-cds.org) to the Students, Members and other Stakeholders placing order on the CDS Portal.

(III) Student related publications

Period	Books dispatched against registration	Books sold
01.04.2021 to 31.03.2022	Type of Books – 113 Total Quantity of dispatched Books Against Registration - 2479136	Type of Books – 301 Total Quantity of dispatched Books for Sale - 104688
01.04.2022 to 30.06.2022	Type of Books – 69 Total Quantity of dispatched Books Against Registration – 583233	Type of Books – 117 Total Quantity of dispatched Books for Sale - 14959

(IV) Members related Publications and Mementos

Period	Member Publication	Mementos
01-04-2021 to 31-03-2022	Type of Books - **266** Total Qty. of dispatched books for sale - **9599**	Type of Mementos - **18** Total Qty. of dispatched Mementos for sale - **2858**
01-04-2021 to 30-06-2022	Type of Books - **209** Total Qty. of dispatched books for sale - **3321**	Type of Mementos - **15** Total Qty. of dispatched Mementos for sale - **443**

(V) Future endeavours

The future endeavours of the Directorate include:

- Reduction in Turn Around Time for delivery of ordered material
- Upgradation of CDS Portal

7.10 Centre for Audit Quality Directorate

ICAI over the years has reinforced the role that the accountancy profession plays in providing high quality financial information, facilitating market discipline, and fostering confidence of various stakeholders by being a prudential regulator. ICAI has been focusing on the intrinsic quality of Chartered Accountants through strong regimen of quality education & internationally benchmarked training, continuous professional development of members in niche & emerging areas. It has also been improving Quality of Financial Reporting and Assurance functions through strong framework of standard setting and enforcement. It has become essential to advocate the position of the auditors to the various stakeholders to fill in the expectation gaps to detect financial reporting frauds. In such changing times, in the year 2020, it was thought appropriate to set up Centre for Audit Quality (CAQ), which can play an important role that would further build Investor's confidence and develop public trust at large. As part of ICAI's drive to continue to benchmark the accountancy profession against the best available global practices, we have converged to global standards in great deal while keeping Indian interests in high stead. The future of the profession lies in its ability to change, evolve and adapt to the changing environment, which is a central element of the various reforms.

Initiatives

Following initiatives are taken up by the Directorate during the period ended 30th June 2022:

Part A

- Conducted three batches of the online certificate course "Executive Master Program – New Age Auditors". The course content is being appreciated by the members and getting a good response.
- Launched Audit Quality Maturity Model v 1.0 for the firms to assess their current level of Maturity and Conducted outreaches for panel discussion on AQMM v 1.0
- Conducted awareness Programmes on AQMM v 1.0
- Organised 2 days Training the Trainer's program on AQMM v 1.0 for increasing the faculty base.
- Released Implementation Guide on AQMM v 1.0 for better understanding and bringing out clarity on the interpretation sections.
- Launched Quality Cafe Session- A monthly virtual series on Audit Quality
- In the process of development of Framework on Audit Quality.
- Initiated project for development of Centre for Audit Quality in Colaba, Mumbai

Part B

- **"Executive Master Program – New Age Auditors"**

Three Batches of Online Certificate Course Executive Master Program - New Age Auditors have been successfully completed. The Course has been well appreciated by the participants. The course content has been developed in two parts - Part A - Basics of Accounting and Assurance Governance and Part B- Digital Era in Accounting and Compliance. The course maintains a fine balance between the 'what', 'where', 'when', 'why', 'who' of the standard and 'how' of technology.

- **Audit Quality Maturity Model v 1.0**
  - ✦ Outreach programmes on Audit Quality Maturity Model (AQMM)

  Conducted Various Outreach programmes on Audit Quality Maturity Model v 1.0 in Chennai, Delhi, Kolkata, MP & Chhattisgarh, Jaipur, Pune, and Ahmedabad.

✦ **Issued "Audit Quality Maturity Model – Version 1.0" (AQMM v1.0)**

The Audit Quality Maturity Model -Version 1.0 (AQMM v1.0) is a capacity-building measure initiated by ICAI and the objective of this Maturity model is for the sole proprietors and Audit firms to be able to self-evaluate their current level of Audit Maturity, identify areas where competencies are good or lacking and then develop a road map for upgrading to a higher level of maturity. For now, it is in the recommendatory phase and will become mandatory from the date decided by the council.

✦ **Release of Implementation Guide on AQMM v 1.0**

The Centre for Audit Quality has released the Implementation guide on AQMM v 1.0 to help firms to evaluate their current maturity level using AQMM. The guide provides section -wise detailed guidance for implementation of the AQMM at the firm level.

✦ **Awareness Programmes on AQMM v 1.0**

CAQ has instructed the Regional Councils/Branches for conducting training programmes on Audit Quality Maturity Model v 1.0 for the benefit of members.

✦ **2 days Training the Trainer program on AQMM v 1.0**

CAQ has organized 2 days of Training the trainer program on AQMM v 1.0 to increase the faculty base for awareness programmes.

- **Quality Cafe Session**

With the rising issues regarding the quality of audits, the Centre for Audit Quality decided to have a Quality Cafe Session – A virtual series on Audit Quality (VCM) which discusses on the key elements of audit quality through a series of webcasts.

The following sessions have been conducted on audit quality during the period:

- ✦ Auditors Independence: A cornerstone of Audit Quality on 30th April 2022
- ✦ Audit Documentation- The Saviour on 28th May 2022
- ✦ Audit Reporting on 25th June 2022,

- **Development of Framework on Audit Quality**

A group comprising of experts from auditing has been constituted under the aegis of Centre for Audit Quality for development of Framework on Audit Quality. The framework has been developed on the lines of the framework issued by IAASB with the following objectives:

- ✦ Providing an Overview of audit quality
- ✦ Prescribe the key elements of Audit Quality at every level of an Engagement and audit firms
- ✦ Raise the levels of awareness and understanding of the important elements of audit quality
- ✦ Suggesting the ways or techniques for enhancement of audit quality
- ✦ Support and promote research programs on audit quality.

- **Development Project of Centre for Audit Quality in Colaba, Mumbai**

The Centre for Audit Quality believes that a catalyst in the form of new-age library and research centre is needed to make the CAQ effective in achieving its objective of pursuing Research and Innovation in the area of audit for improving Audit Quality. It is proposed to take up the setup of the CAQ at Mumbai with the world-class research infrastructure.

7.11 Right to Information Act, 2005

The Right to information is implicitly guaranteed by the constitution. However, with a view to set out a practical regime for the citizens to secure information as a matter of right, the Indian Parliament enacted the Right to Information Act, 2005.

The basic object of the Right to Information Act is to empower the citizens, to promote transparency and accountability in the working of every public authority.

The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) a statutory body set up by an Act of Parliament i.e. The Chartered Accountants Act, 1949 is a public authority as envisaged under Section 2(h) of the RTI Act,2005. In compliance of the provisions of the RTI Act, 2005 and direction of the Central Information Commission, officers of the Institute have been designated as Central Public Information Officer, Central Assistant Public Information Officer, First Appellate Authority (FAA) and Transparency Officer.

A large number of RTIs is being received by RTI Cell, ICAI from the students, members, other stakeholders and citizen and the same have been responded.

Disclosure under Section 4(1) (b) of the Right to Information Act, 2005

Further, in terms of the Section 4(1)(b) of the Right to Information Act, 2005, necessary disclosures have been made by the Institute by hosting them on the website of the Institute www.icai.org and the same are updated from time to time.

During the period 2021-22, it is to note that total 1,18,342 (one lakh eighteen thousand three hundred and forty two) applications have been received which include the applications for certified copies of various examinations conducted by the ICAI.

Further, 38 number of hearings of the Central Information Commission have been attended and a good number of orders of First Appellate Authority have been responded.

Additionally, a large number of ICAI inter departmental communications are also made to ascertain facts and information to prepare reply to the RTI applicant and RTI commission.

7.12 XBRL

The XBRL India was incorporated by the ICAI as a section 25 company (currently under Section 8 of Companies Act, 2013). The main objective of the Company includes *viz.* promoting and encouraging the adoption of XBRL in India as the standard for electronic business reporting in India through development of taxonomies, facilitation of education and training on XBRL. Also, considering the growing importance of XBRL internationally, XBRL India has taken membership of XBRL International Inc. to facilitate and get updates of XBRL filing globally. XBRL India is an established Indian jurisdiction of XBRL International.

Currently, XBRL India is developing and maintaining XBRL taxonomies for Ministry of Corporate Affairs (MCA).

(I) XBRL filing requirements by the Ministry of Corporate Affairs (MCA):

Two Taxonomies are applicable for Commercial & Industrial Sector as of now:

- Ind AS Taxonomy
- Existing AS based

Both the Taxonomies were updated twice during the year i.e. once taking into consideration the amendments applicable for the FY 2020-21 and thereafter for the FY 2021-22 and submitted to the MCA. For the financial year 2021-22, the Taxonomies were updated taking into consideration following amendments:

- Amendments in Schedule III
- Amendments in Companies (Auditor's Report) Order
- Amendments in AS/IND AS
- other General improvements

(II) Outreach Program:

Following webinars were conducted during the year:

- Outreach Program on Exposure Draft of Amendments in Ind AS Taxonomy (FY 2020-21)" was organised on June 15, 2021.
- Webinar on "Digital Reporting: XBRL & evolving concepts" was organised on Aug 24, 2021
- Webinar on Exposure Draft of Amendments in XBRL Taxonomies: 2021-22 was organised on January 6, 2022

(III) Comments submission/formulation:

- Comments on the Exposure Draft of IFRS Taxonomies i.e. "Updation in IFRS Taxonomy 2021: Initial Application of IFRS 17 and IFRS 9—Comparative Information", were submitted.
- IFRS Foundation has published a staff draft of Taxonomy on Sustainability Reporting for public comments. A study group has been constituted in this regard jointly with Sustainability Reporting and Standards Board (SRSB) of ICAI to review the draft and formulate comments from Perspective of India.

7.13 ICAI- Accounting Research Foundation (ARF)

ICAI Accounting Research Foundation (ICAI ARF) was established in January, 1999 to be developed as an academy for imparting, spreading and promoting knowledge, learning, education and understanding in the various fields related to the profession of accountancy. The following is the detail of projects undertaken by ICAI ARF during the last year:

- **Indian Railways:** Work completed in the last one year

  - ✦ Framework on Applicability of Ind AS on Accrual Based FS (ABFS) of Indian Railways.
  - ✦ Pilot Study to reconcile investment made by Indian Railways in various subsidiaries, associates companies and joint ventures as on 31st March 2017.
  - ✦ ABFS of Indian Railways for the years 2017-18, 2018-19 & 2019-20.

  and is working on the following:

  - ✦ Pilot Study to reconcile Rolling Stock Data of NR with Railway Board as on 31.03.2017.
  - ✦ Pilot study to develop mechanism for identification of lease assets and owned assets at Northern Railway.
  - ✦ Pilot Study to develop framework for Clearance of CWIP and transfer to FAR to be undertaken over NR based on the CWIP data received in FA-13 as on 31st March 2017.
  - ✦ ABFS of Indian Railways for the year 2020-21
  - ✦ Development, Testing and Rollout of extended IT application over Indian Railways.

  Work is going on all the deliverables and is expected to be completed shortly.

  Also, as an addendum to the said agreement, ICAI ARF has also completed ABFS of Indian Railways for the years.

- A study for NITI Aayog : ICAI along with ICAI ARF is organising a Study on *Transition to Accrual Accounting: Models and Learnings for Urban Local Bodies* for/under the aegis of NITI Aayog. Final approval to release the report is awaited.
- Preparation of Study Material on Financial Reporting and Financial Risk Management for CPA PNG - We have provided all study material of Financial Risk Management. Revert from CPA PNG is awaited regarding permission from IFRS Foundation and approval of the content coverage to provide the material of Financial Reporting.

7.14 ICAI Registered Valuers Organisation

ICAI Registered Valuers Organisation is a section 8 Private Company formed by the Institute of Chartered Accountants of India to enroll and regulate Registered Valuers or valuer member as its members in accordance with the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017, and functions incidental thereto.

(I) Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:

- ICAI Registered Valuers Organisation has been focusing on building its membership base and conducting 50 hours of educational course for its valuer members which is a precondition for becoming Registered Valuers and preparing educational material for the Educational Course.
- In this direction, from 1st April 2021 to 30th June 2022 ICAI RVO has conducted 12 online batches for the 50 hours training for members across the country.
- Till date a total of 57 batches of Educational Course have been conducted.
- As on 30th June 2022, 3664 members have been trained by ICAI RVO for its Educational course of 50 hours.

(II) Online Classes of Educational Course (50 hours) by ICAI Registered Valuers Organisation which is a precondition to become Registered Valuer:

- Due to the outbreak of COVID-19, the Insolvency and Bankruptcy Board of India vide its issuance of guidelines dated 29th March 2022, has permitted to conduct the classes of Educational Course through Online mode till 30th September 2022.
- For the mentioned period ICAI RVO has conducted 12 online batches and trained 600+ members.

(III) Registration of Registered Valuers with IBBI for the Asset Class Securities or Financial Assets:

The Insolvency and Bankruptcy Board of India under the Asset Class Securities or Financial Assets has registered a total of 1893 Registered Valuers and out of which, 946 Registered Valuers are ICAI RVO members as on 30th June 2022.

(IV) Launch and regular updation of ICAI RVO Learning Management System

ICAI RVO has launched its Learning Management System which is an e-learning platform which delivers the concepts of the syllabus prescribed by the Revised Insolvency and Bankruptcy Board of India in the form of study material and supplemented by mock test in Multiple Choice Questions format. This Learning Management System facilitates the members who are primary members of ICAI RVO, in preparing for IBBI Valuer Examination.

The LMS is updated on a regular basis with new presentations and questions.

(V) Publications

ICAI Registered Valuers Organisation jointly with the Valuation Standards Board of ICAI has issued the following Publications:

For the Year 2021-2022

- Valuation: Professionals' Insights Series -6"
- Handbook on Best Practices for Registered Valuers
- Concept Paper on Estimating Discount Rates in Valuation Brought Out by ICAI And ICAI RVO
- Concept Paper on Inventory Valuation
- Technical Guide on Valuation (Revised 2021 Edition)
- LIBOR Transition – Valuation Guide
- Calendar of Trigger Dates of Valuation under Various Laws

(VI) Continuous Educational Program

As a part of its Continuous Educational Program ICAI RVO has organised 56 training programs on various topics related to valuation for its Registered Valuers for the Period 1st April 2021 to 30th June 2022.

(VII) Training Program on Soft Skills for granting COP to Registered Valuers.

The ICAI RVO has organised 6 training programs on Soft Skills for granting Certificate of Practice (COP) to Registered Valuers for the Period 1st April 2021 to 30th June 2022.

(VIII) Webcasts conducted by ICAI RVO under the theme "Atmanirbhar Bharat"

ICAI RVO had conducted the various live webcasts under the theme "Atmanirbhar Bharat", as part of country wide Azadi ka Amrit Mahotsav initiatives, envisaged by the Government of India, to commemorate and celebrate 75 years of India's Independence. Details of the webcasts conducted are as follows:

- Impairment Testing and Valuation on 26th November 2021
- Guidelines on Caveats, Limitations and Disclaimers on 10th December 2021
- Learnings from the observations of Peer Review of Valuation Reports for the year 2021-22 on 3rd June 2022.
- Best Practices for Registered Valuers in Valuation on 17th June 2022

7.15 Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI)

Indian Institute of Insolvency Professionals of ICAI (IIIPI) has completed a successful year of 2021-22. It was awarded with the registration certificate as the First Insolvency Professional Agency of India by Hon'ble Union Finance Minister on 28th November 2016 at Delhi. IIIPI has attracted members from a diverse stream including Chartered Accountants, Company Secretaries, Cost Accountants, Advocates and Management Professionals. IIIPI has also networked with other national and international bodies in furtherance of capacity/knowledge building of stakeholders on one hand and providing value-added policy inputs for evolving law and practice of IBC, on the other.

Out of total 4069 Insolvency Professionals registered with IBBI as on 31st March 2022, 2551, i.e., 62.69% are from IIIPI. IIIPI's members have so far handled 75% of the overall assignments of CIRP/Liquidation/Voluntary Liquidation, including many of the largest cases.

Distribution of membership between IPAs

IPA wise Reg. Member's Status as on date 31-03-2022											
Sl. No.	**Name of IPA**	**31st March 2018**	**%**	**31st March 2019**	**%**	**31st March 2020**	**%**	**31st March 2021**	**%**	**31st March 2022**	**%**
1	**IIIPI**	1100	60.71	1518	61.71	1860	61.71	2184	62.05	2551	62.69
2	**IPA ICSI**	562	31.02	738	30.00	903	29.96	1025	29.12	1142	28.07
3	**IPA ICMAI**	150	8.28	204	8.29	251	8.33	311	8.84	376	9.24
	Total Member's Registered with IBBI	**1812**	**100**	**2460**	**100**	**3014**	**100**	**3520**	**100**	**4069**	**100.00**

(I) Capacity Building Initiatives:

The dialogues and deliberations are crucial to the capacity building of professional members in any profession. It is even more pertinent in the context of the insolvency profession, which impacts multiple stakeholders and is considered one of the most complex professions. On the shoulders of an insolvency professional as an important pillar, lie critical responsibilities, which are onerous at times, during and around the process of rescuing the corporate lives. In this backdrop it can be said that the performance of the IBC ecosystem, to a great extent, is directly linked to the capacity building of IPs. As the key focus, IIIPI's endeavour has been to not only sustain the momentum but also keep launching several capacity building initiatives to meet the expectations of our stakeholders. Following are some of the key initiatives:

- Focusing on developing knowhow through research and studies with the participation of members and other stakeholders. Over last couple of years, following studies have been concluded and shared with members/stakeholders:
  - ✦ Legal & Substantive aspects of Group insolvency: Learning from practical experience
  - ✦ Recommendation on best practices for COC conduct during CIRP
  - ✦ Roles of IPs prior to, during and post PPIRP
  - ✦ FAQs on PPIRP Framework
  - ✦ Background Guidance on Code of Ethics for IPs
  - ✦ Background Guidance on Quality Control by IPs
  - ✦ Strengthening and enhancing role of small sized IPs

Taking the momentum forward, more studies are being planned/conducted around the subjects like best practices in Valuation under IBC, Best Practices and Roles in Individual Insolvency (PG to CD), Improving Outcomes of Avoidance Transactions, etc. Moreover, a dedicated research fund is also being created to focus on targeted research on evolving jurisprudence and allied areas.

- Capacity building of members through sharing knowledge and experience of CIRP by IPs, facilitating interactions on the global practices with IPs, regulators, and multilateral and bilateral institutions. These include:
  - ✦ International conference on IBC in India and International Perspective on 26th March 2022. The panellists at the conference included Cabinet minister and practitioners from USA, UK, Singapore, and Australia.
  - ✦ Programs together with British Council on Cross Border Insolvency, Pre-pack insolvency, etc.
  - ✦ As a measure to build engagement with stakeholders from industry, multiple knowledge sharing webinars were conducted in association with CII, a leading industry association, WASME – a global association for MSMEs and also with media vertical, ET-CFO.
- Realizing the need for equipping professional members to face ever-evolving challenges, three categories of Executive Development Programs (EDP) have been structured. These are, (i) Managing CDs undergoing CIRPs as a going concern, (ii) Imparting legal (drafting, court processes) skills, and (iii) Forensic Skills to Manage Avoidance Transactions. Multiple batches of these programs have been conducted so far.
- For catering to prospective professionals, 'LIE Preparatory Classroom (Virtual Program)' has been redesigned to respond to new syllabus and broad basing the same with practical insights. Jointly with Committee of IBC-ICAI, multiple batches of such training classes, as weekend or weekdays classes, have been conducted so far.
- The quarterly peer-reviewed research journal 'The Resolution Professional', launched in October 2020, is being published every quarter since then. It has been appreciated nationally and internationally for its wholesome source for knowledge, experience and research on insolvency and bankruptcy matters.
- The updates on IBC related jurisprudence have been disseminated through multiple formats viz. weekly Newsletters and Case Law Capsules. Case studies on successful resolutions, developed in association with concerned resolution professionals, have also been published in journal/website.
- IIIPI delivered knowhow and learnings to all its members including members of other bodies through series of webinars on contemporary topics including Technology, public interest/ethics, Successful case studies, Best Practices across CIRP and liquidation, Common Issues Faced During Monitoring and Disciplinary Proceedings, etc. Moreover, multiple roundtable conferences in consultation with IBBI were held on emerging jurisprudence and regulatory changes.
- IIIPI has launched 'Discussion Forum' as a feature on its website for allowing its members to seek/respond queries of professional nature across domains of (i) CIRP, (ii) Liquidation, (iii) Voluntary Liquidation, (iv) Personal Guarantor, and (v) Prepack.
- IIIPI celebrated its 5th foundation day in a physical event hosted in New Delhi, on Nov. 25, 2021. Hon'ble Union Minister, Ministry of Commerce & Industry, Consumer Affairs & Food and Public Distribution & Textiles, graced the occasion as the Chief Guest. The event also witnessed release of publication by IIIPI on Successful CIRP Case Studies.

- IIIPI, jointly with IBBI, organized International Conference (Virtual) on "IBC in India & International Perspective" on 26th March. Hon'ble Union Minister, Ministry of Labour and Employment, and Ministry of Environment, Forest & Climate Change, graced the occasion as the Chief Guest. As the Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on Insolvency and Bankruptcy Bill 2015, he has been one of the architects of the IBC.
- During the conference, three publications were also released viz. Peer Review Policy, Background Guidance on Quality Control Mechanism and Background Guidance on Code of Ethics. Trust, quality and ethical conduct constitute the key benchmarks for assessing credibility of professional services. The insolvency profession is synonym for integrity and independence. These three documents shall help IPs to deliver outcomes in accordance of law and meet stakeholders' expectations in letter and spirit.

(II) Monitoring of Insolvency Professionals:

As per Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Byelaws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, IIIPI is required to monitor the professional activities and conduct of professional members for their adherence to the provisions of the Code, Rules, Regulations and Guidelines issued there-under, the byelaws, the Code of Conduct and directions given by the Governing Board. Insolvency Professionals are monitored on an ongoing basis with respect to Corporate Insolvency Resolution Process and Liquidation Process. Actions are being taken against the members who have not complied with the applicable provisions.

(III) GRC /Disciplinary Mechanism:

IIIPI has received 11 Grievances during the period from 1st April 2021 to 31st March 2022 and a total of 26 Grievances (including Grievances from previous year) were redressed during the period by the Grievance Redressal Committee and as on end of 30th June 2022 there are pendency of 3 GRC matters. Further, 100 (hundred) disciplinary proceedings were initiated by the IIIPI during the period from 1st April 2021 to 31st March 2022 and as on 30th June 2022, 95 (ninety-five) matters were disposed of.

7.16 Quality Review Board (QRB)

In exercise of the powers conferred u/s 28A of the Chartered Accountants Act, 1949, Central Government of India has constituted the Quality Review Board (QRB) on 28th June, 2007 as an independent body to review the quality of services rendered by chartered accountants in the country and its review process contributes towards an increasingly robust and transparent financial reporting system in the country.

U/s 28B of the Chartered Accountants Act, 1949, the Quality Review Board shall perform the following functions:-

- To make recommendations to the Council with regard to the quality of services provided by the members of the Institute;
- To review the quality of services provided by the members of the Institute including audit services; and
- To guide the members of the Institute to improve the quality of services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements.
- To forward cases of non-compliance with various statutory and regulatory requirements by the members of the Institute or firms, noticed by it during the course of its reviews, to the Disciplinary Directorate for its examination.

However, with the formation of National Financial Reporting Authority (NFRA) by the Central Government in the year 2018, the mandate of QRB has undergone a change. Under revised mandate, QRB is now authorized to select audits of private limited companies, unlisted public companies below the thresholds prescribed under Rule 3(1) of NFRA Rules, 2018 and entities referred to QRB by NFRA for carrying out audit quality reviews of such entities.

During the financial year 2021-22, QRB completed 24 reviews of audit quality of 23 entities in India. Out of these 24 completed reviews, QRB issued advisories to concerned Audit firms in 22 cases for improvement of the quality of audit services and adherence to the various statutory and other regulatory requirements in terms of the requirements of clause (c) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949 and the other 2 cases were closed.

One of the functions of the Council under clause (o) of sub-section (2) of Section 15 of the Chartered Accountants Act, 1949 is to consider the recommendations of the Quality Review Board made under clause (a) of Section 28B of the Chartered Accountants Act, 1949 and the details of action taken thereon in its Annual Report.

In accordance with the abovesaid provisions, during the period under Report, the Council received NIL references under Section 28B(a) of the Chartered Accountants Act, 1949 from the Quality Review Board with regard to the quality of services provided by the members of the Institute. The following is the details of action taken thereon:-

- Number of references referred to the Director (Discipline) for making further investigation under the disciplinary mechanism of ICAI – Nil
- Number of references where comments of the Technical Reviewer were decided to be issued as an Advisory to the members / firms – Nil
- Number of references which were decided to be closed – Nil
- Number of references pending for consideration of the Council – Nil

8. OTHER MATTERS

8.1 Chartered Accountants' (CA) Day – 1st July, 2022

ICAI celebrated the CA Day on 1st July 2022 on completion of 73 years of its glorious existence. Main function was organised at Siri Fort Auditorium, New Delhi. It was indeed a great honour for the profession that Hon'ble Comptroller and Auditor General of India graced the occasion as Chief Guest and Secretary, Ministry of Corporate Affairs as Guest of Honour. The Chief Guest and the Guest of Honour addressed a large number of members and students who were present at the Function and those participated through webcast. As part of the celebrations, 2 hours CPE program was organised in which Additional Solicitor General of India (Supreme Court) delivered a lecture on "Way forward for GST in India". Another lecture on "Taxation of Charitable Trusts" was delivered.

On this occasion, a National Mega Tree Plantation drive was also launched targeting to plant about 10,00,000 tress during the current year using the vast network of 5 Regional Councils, and 166 branches. Earlier in the morning, Minister of State for Agriculture & Farmers Welfare addressed the Council and the Members all over India on occasion of Chartered Accountants' Day and a flag hosting ceremony was also held in the front lawn of the headquarters of the Institute.

8.2 Central Council Library

The Central Council Library of the Institute caters to the information requirements of its stakeholders. Its aim is to provide comprehensive and up to date collection of primary and secondary print and non-print material to the present and anticipated members/students, research scholars and officials of ICAI. Library has assumed greater responsibilities of serving committees, departments in imparting knowledge and valuable information through books, e-books, journals, magazines, on-line databases, print newspapers as well as e-newspapers. Central council library is responsible for updating and providing journals and books required for the various committees work.

The Central Council Library is fully computerized and working through Liberty- library management software. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise. These records are available on Internet Online Services www.icai.org under "Central Council Library"-online search OPAC-Liberty for the books, Journals, articles etc. in the library.

Under the Column "Accountants Browser", an index of articles relevant to accounting profession are published every month in the journal "The Chartered Accountant". One may note that The "Accountants Browser" is an index of important/Professional Articles with archives of past articles. Reference service from library is also provided to the Researchers & Scholars, faculties, students and members.

A number of online databases have been acquired by the Library, details of which are available on www.icai.org – Central Council Library. These On-line knowledge databases have been installed in the Central Council Library and can be accessed in house only, to facilitate the search for required material by the Members, Faculties and Research Scholars. Several e-journals have also been subscribed in the Library. Details of the new resources added in the Central Council library at Head office and Noida library respectively for the financial year 2021 – 22 are mentioned as under.

CENTRAL COUNCIL LIBRARY (H.Q).

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print)- national & International	27
2.	Online Resources	18
3.	No. of new arrival Books added during the period	50

CENTRAL COUNCIL LIBRARY SEC.62, NOIDA

S.NO.	Title	Figures
1.	Journals (Print) - national & International	10
2.	Online Resources	14
3.	No. of new arrival Books added during the period	78

Central Council Library is regularly updating its resources to provide the professional Members, students, faculties & other stakeholders with the latest & upto date knowledge and information.

8.3 Editorial Board

The Editorial Board is a non-standing committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) with a MISSION to convey regularly to the members the professional knowledge, matters of interest of profession through the journal `The Chartered Accountant'. The Journal empowers members by enriching their professional knowledge and it is immensely valued amongst the members with circulation at more than 3,50,000 that include e-journal and printed copies.

A symbol of knowledge prowess of ICAI with strong brand equity of the Institute's profile for the members, students and external audiences, The Chartered Accountant today is amongst the best professional Journals. The Editorial Board is working towards its mission to keep the ICAI members and other readers updated on the latest developments to enrich professional knowledge about accounting profession as well as propagate new ideas, perspectives and developments about the profession and ICAI.

The following are the most significant achievements of the Editorial Board during the period 1st April 2021 to 31st March 2022:

Initiatives towards Developing Nation

The editorial board has worked persistently towards developing nation by enhancing competence and capability of its constituents by disseminating professional knowledge as well as introducing global trends and evolving practices through its monthly journal, *The Chartered Accountant*, as well as otherwise. Some significant initiatives in this regard are as under:

(I) Knowledge Enrichment through Articles:

During the period articles on diverse and contemporary professional topics were published in the ICAI Journal, in addition to other regular features of professional interest. With an intent to keep members abreast of latest professional knowledge, special issues were brought out on Aatmanirbhar Bharat, MSMEs, GST, Sustainability and other technical subjects.

(II) 'I GO GREEN WITH ICAI' Initiative

As part of a multifarious sustainability drive, the members and other readers of *The Chartered Accountant* journal were motivated to opt for various electronic versions of the journal while discontinuing the hard copy. The digital version of the ICAI Journal is getting increasingly popular. With the efforts a large number of members are opting for e-journal. There is a significant drop in the number of printed copies from 1,07,979 in April 2021 to 85,537 in March 2022.

Members/Students Initiatives

The Editorial Board has been proactively working for the knowledge enhancement and professional development of the Members and Students through its monthly journal, *The Chartered Accountant*. Some important initiatives in this regard are as under:

(III) Qualitative coverage in *The Chartered Accountant* Journal:

Blend of themes covered: During the period, 145 articles on the various themes and professional topics were included in the ICAI Journal. In addition, the journal also included other regular features that covered updates about the ICAI and its activities in coordination with various ICAI Committees.

- **July 2021 Issue brought Out as Collector's Edition:** On the eve of the CA Day, The July 2021 issue, was brought out as Collector's Edition. The special issue exemplified the essence of celebrations by publishing as many as 10 articles specially authored by widely acclaimed personalities related to accountancy profession. The journal also carried inspiring CA Day messages from twelve important dignitaries that included Hon'ble Vice-President of India; Hon'ble Speaker, Lok Sabha; Hon'ble Home Minister of India; Hon'ble Minister Environment, Forest & Climate Change and Information & Broadcasting; Hon'ble Minister of Education; Comptroller & Auditor General of India; Hon'ble Minister of State (Independent charge), Labour & Employment; Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment; Hon'ble Minister of State for Rural Development; Hon'ble Member of Parliament, Rajya Sabha and Prime Minister's Sherpa to G 7 and G 20.

  Main attraction of the July 2021 issue was feature – In Conversation covering interview of Chairman, Reliance Industries Ltd., five articles from leaders of global accounting bodies including articles from Chair, IESBA, IFAC, Chair SMP Advisory Group, IFAC, Chair, PAIB Advisory Group. Articles covering perspectives of five Past Presidents were also included in the issue.

- **Legal Update section of the journal:** Case reports in the journal were made succinct with the introduction of headnotes. Simultaneously, complete summaries of the case laws were published online on the Committee page on Institute's website.

(IV) Many Aspects of Digital Versions of *The Chartered Accountant*- Journal Upgraded for the convenience of Members and Students:

- **Journal in PDF format:** As a valued added alternative to readers, particularly for separate content-wise downloads, the journal continues to be hosted in the PDF format. The archives of digital journal are available on ICAI website from July, 2002 onwards.
- **Journal on Digital Learning Hub:** The electronic version of Journal, is available online on ICAI website www.icai.org as user-friendly e-magazine, is included in the Digital Learning Hub. This helped in providing knowledge through ICAI Learning Management System, besides supporting the Sustainability Drive of the ICAI. E-journal in form of flip-book is also hosted providing aesthetically attractive content.

- **Journal Highlight Emailers:** The highlights of every issue of journal in capsule form and the President Message in the journal are mass-emailed to all the members.
- **Journal on Mobile:** The e-journal is also available on mobile, compatible on iOS (IPad/IPhone etc.) and Android devices. The same can be accessed at http://www.icai.org/ under 'e-journal' tab. The e-journal is also available on ICAI Mobile App.

9.MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2022, 23,357 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 3, 50,438 as on 1st April, 2022.

During the year ended 31st March 2022, 5,826 Associate members were admitted as Fellow members, in comparison to the figure of 4,254 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2022

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	91421	56394	147815
In Part-time Practice	2177	4845	7022
Not in Practice	15965	179636	195601
Total	109563	240875	350438

9.2 Convocation 2021-22

Since November 2008, the Institute has been organizing Convocation to confer membership certificates to newly enrolled members. However, the Convocation could not be organized for the year 2020 due to COVID-19 Pandemic and restriction on public gathering by Central and State Governments.

During the year 2021-22, ICAI has successfully organized "Convocation 2021" inviting members enrolled from November, 2019 to August, 2021 at 11 places at Mumbai, Pune, Ahmadabad, Chennai, Hyderabad, Bengaluru, Kolkata, Kanpur, Indore, Jaipur and Delhi.

9.3 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund provides financial assistance to needy members of the Institute as well as their dependents on meeting the prescribed criteria, for maintenance of their emergent educational and medical needs etc.

During Covid-19 Pandemic times, the Institute has also tried to help eligible members or their dependents who were in distress and released financial assistance for treatment of Corona Disease and also one-time Ex-gratia/ Monthly financial assistance to the dependents of the deceased members.

The financial and other particulars of the Fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31st March, 2021	1,38,835
2.	Total Life Members as on 31st March, 2022	1,39,875
3.	Total Additions of New Life Members (as on 31st March, 2022)	1040

Details of Financial Particulars

	During the year ended 31st March, 2022(Rs.)	During the year ended 31st March, 2021 (Rs.)
1. Total Assistance provided	11,91,64,000	3,96,56,000
2. Surplus of the Fund during the year	(9,00,10,000)	(1,35,82,000)
3. Balance of the Fund	(3,47,93,000)	5,52,17,000
4. Balance of Corpus	20,27,10,000	22,71,03,000

9.4 S. Vaidyanath Aiyar Memorial Fund

The number of life membership of the Fund as on 31st March, 2022 is 10,578. The balance in the credit of the Fund was Rs. 76,74,000/- as on 31st March, 2022 as against Rs. 70, 12,000/- as on 31st March, 2021.

9.5 Chartered Accountants Student's Benevolent Fund (CASBF)

The Fund was established in August, 2008 with the aim and objective to provide financial assistance to the students registered with ICAI. The balance in the credit of the general fund was Rs.16,52,75,000 /- as on 31st March, 2022 as against Rs. 15,87,36,000/- as on 31st March, 2021.

STATISTICS MEMBERS AS ON 01/04/2022

FELLOWS :	In Full Time Practice	91421
	In Part-time Practice	2177
	Not in Practice	15965
		109563
ASSOCIATES :	In Full Time Practice	56394
	In Part-time Practice	4845
	Not in Practice	179636
		240875
TOTAL MEMBERSHIP :		350438

Region	FELLOWS				ASSOCIATES				Grand Total
	In Practice				In Practice				
	Full Time	Part Time	Not In Practice	Total	Full Time	Part Time	Not In Practice	Total	
Western	26939	580	4441	31960	18908	1684	63283	83875	115835
Southern	19205	593	3761	23559	9862	1080	36123	47065	70624
Eastern	8207	166	1418	9791	3748	337	13278	17363	27154
Central	18891	343	2346	21580	12798	783	32690	46271	67851
Northern	18179	495	3999	22673	11078	961	34262	46301	68974
TOTAL	**91421**	**2177**	**15965**	**109563**	**56394**	**4845**	**179636**	**240875**	**350438**

10. BOARD OF STUDIES

10.1 BOARD OF STUDIES (ACADEMIC)

Major Initiatives

(I) Exemption of CA Course fee for students who have lost their parents during Covid-19 pandemic

The Council of the Institute has exempted the registration fee of CA Course at all levels including ICITSS [consisting of Information Technology (IT) and Orientation Course (OC)] and AICITSS [consisting Advanced Information Technology (Advanced IT) and Management and Communication Skills (MCS) Course] for such students who have lost their any parent during Covid-19 pandemic after submission of requisite documents while registering in the CA Course. This scheme is applicable for the period 1st April 2020 to 31st March 2023.

(II) 75% Concession in Registration Course Fee for all levels of CA Courses for the wards of demised members of ICAI.

The Council of the Institute has extended 75% fee concession on registration fees to the wards of demised members of ICAI w.e.f. 1st April, 2022 for pursuing the CA Course at all levels subject to annual income of family is Rupees Five Lakh or less than Rupees Five Lakh. All other Fees except the registration fee will have to be paid by the beneficiary student.

(III) Renewal of 75% Concession in Registration Course Fee for all levels of CA Courses for the Candidates/ Students from Union Territories of Jammu & Kashmir, Ladakh and for North-Eastern States.

The Council has renewed 75% Concession in Registration Course Fee for all levels of CA Courses for the Candidates/Students residing in Union Territories of Jammu and Kashmir, Ladakh and North-East States, namely, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura till 31st March, 2025. The Council has also extended 75% fee concession to the students registering from Andaman and Nicobar Islands from 1st April, 2022 till 31st March, 2025 as well.

(IV) Proposed Scheme of Education and Training

The Council, at its 400th meeting held on 18th March 2021, approved the formation of Committee for Review of Education and Training (CRET). The constitution of CRET at an earlier point of time, i.e., after seven years instead of the normal ten years, is primarily due to revolution in information technology including emergence of artificial intelligence necessitating changes in the expected skills of chartered accountants; changes necessitated in the manner of imparting education and conducting examination in the post COVID 19 scenario; the need to make the curriculum globally relevant consequent to launch of international curriculum; changes necessitated due to implementation of National Education Policy, 2020; increasing emphasis on corporate governance and business ethics; and opening up new avenues for the profession, such as carbon accounting, CSR accounting and auditing, and environmental reporting.

The MCA has accorded its in-principle approval on the Proposed Scheme of Education and Training and draft amendments in the Chartered Accountants Regulations related thereto on 26th May, 2022. Through an announcement hosted on the website, pubic comments have been invited and the stakeholders have been requested to send their suggestions/objections in regard to the proposed scheme latest by 1st July, 2022 for consideration of the Council.

Outreach meetings were also held by Regional Councils and Branches to spread awareness on the proposed scheme of education and training and invited the views of stakeholders. 103 Outreach Meetings have been conducted by 83 branches.

In addition, National outreach webinars were conducted on 9th June, 2022 separately for members and students. Virtual Outreach meetings with Past Presidents of ICAI and Overseas Chapters of ICAI were held on 14th June, 2022 and 19th June, 2022 respectively. Moreover, one National Outreach Meeting for giving clarification to all stakeholders on the Proposed Scheme is scheduled on 28th June, 2022 and 24780 comments were received from stakeholders through online form till 1st July, 2022.

Initiatives for the Students

(I) Free Live Coaching Classes

The Board of Studies with an objective to assist students in their learning efforts, has been conducting Free Live Coaching Classes since July 1, 2020.

Schedule and Timings:

Course	Session I	Session II
Foundation	11.00 AM- 1.00 PM	2.00 PM – 4.00 PM
Intermediate	7.00 AM – 9.30 AM	6.00 PM – 8.30 PM
Final	7.00 AM– 10.00 AM	6.00 PM – 9.00 PM

Notable Features

- Classes can be accessed live or viewed later as recorded lectures through hand-held devices such as smart phones, laptops, iPads, tablets, etc. anytime anywhere.
- Recorded Lectures with Unlimited Access.

- Sessions taken by Renowned Subject Experts.
- Separate section of Notes/Assignment/MCQs.
- Ask doubt during live classes and faculty will answer the queries.
- Exam oriented focused approach

The classes are conducted using the Zoom video conferencing app and streamed on the ICAI CA Tube channel were made available to the students as well as on the ICAI BOS Mobile app and Live Coaching Classes web portal in a user-friendly manner.

Live Coaching Classes views statistics are as under:-

Course	Total Views as on date
Foundation*	361163
Intermediate (Batch-5)	109316
Final ((Batch-4)	204232

*Foundation (Batch 4) June 2022 attempt.

(II) ICAI-BOS Mobile App

The Board of Studies (A), ICAI has launched its mobile application "ICAI BOS" on 1st July 2021 which is a one-stop solution to get all learning material with a single click. Till date, more than 2.3 lakhs students have installed the ICAI BOS Mobile, and 6647 subject Specific queries have been answered under Ask Your Query.

(III) Revamping of BOS Knowledge Portal

The Board has upgraded the BoS knowledge portal. The new BoS knowledge portal is a single platform for seamless course and paper wise access of live and recorded lectures, syllabus, announcement, study materials, revision test papers, mock test papers, schedule, important news, student journal, other portals, etc. The updated version of BOS Knowledge Portal was launched on 1st July, 2022.

(IV) Computer Based Test for Assessment of Practical Training

Due to COVID-19 pandemic, centre-based tests could not be conducted since 2020. Hence, it was decided to conduct home-based practical training assessment, the first ten tests in this series were conducted from October, 2020 to May, 2022 in which around 1,50,000 students have appeared at both the levels.

(V) e-Books on Digital Learning Hub

The Board has launched audio enabled e-Books for all the three levels of CA Course through ICAI Digital Learning Hub. The students can listen to the text of theoretical subjects without having the need to read it.

(VI) Quick Referencer Capsules

The Capsules published in the Students Journal since 2017 have been compiled in Quick Referencer Capsules for Intermediate and Final level group-wise and paper-wise and have been webhosted in the BoS Knowledge Portal on the Institute website.

(VII) Release of Publications / Study Material

- Booklets on MCQs and Case Scenarios
- Case Study Digest at Final level
- Silver Jubilee of Student Journal

(VIII) Events

- **The Board of Studies (Academic) has organized –**
  - ✦ Live Webinar on "How to face CA Exam - Plan, Prepare and Perform" for students who were appearing in May 2022 exam on 25th April 2022 (Monday).
  - ✦ LIVE webinar on "ICAI In Conversation with its Students" on 23rd January, 2022.
  - ✦ Organized Live Webcast on "Learning Strategy for Excelling in Examination" for Foundation, Intermediate and Final course students on 31st August, 2021. The objective of the webcast is to provide an insight to CA aspirants to adopt examination-oriented approach and manage their studies accordingly.
  - ✦ Webinar on Career Opportunities under IBC, 2016 was jointly organized with Insolvency Bankruptcy Board of India (IBBI) on 27th August 2021.

10.2 Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations)

The professional course of Chartered Accountancy is built on a strong edifice of theoretical education blended with hands on practical training. Students Skills Enrichment Board (SSEB) was set up to impart world class training to Chartered Accountancy Students for overall growth of the personality besides academic excellence. SSEB organizes Orientation, Information Technology, Advanced Information Technology and Management & Communication Skills courses to equip CA students with competencies and professional skillsets looked up by business houses in view of the ever-evolving business environment. The Board also conducts various activities apart from conducting the IT and soft skills training such as Conferences, Seminars, National Talent Hunt competitions, students' festival, sports activities, etc. for imbibing essential skills sets to enhance the overall confidence of the students. The digitalization of Scholarship process was launched on 1st April 2021 for the Intermediate and Final Students of ICAI. The students can apply online for the Scholarship grant by login at Self Service Portal (SSP). The students will be facilitated to submit online application.

Major Initiatives

(I) CA Students National Talent Search, 2021 – Elocution Contest and Quiz Contest

The Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) organized CA Students National Talent Search, 2021 comprising of Elocution and Quiz Contest. The Elocution and Quiz Contest was organized first at Branch Level and Winners of Branch level competition participated in Regional Level Elocution and Quiz Contest at second level organized by five Regional Councils of ICAI. Finally, the Grand Finale of CA Students' National Talent Search, 2021 was organized by the Board at Puri (Odisha) on 28th August, 2021 wherein 40 Winners (20 winners of each activity) of Regional Level Elocution and Quiz Contests participated. Further, the Winners of Grand Finale (Elocution and Quiz Contests) of CA Students National Talent Search, 2021 participated in SAFA Elocution and Quiz Contests held on 6th and 7th November, 2021 through virtual mode and represented ICAI. Winners of Grand Finale of Elocution Contest also bagged 1st and 2nd position in SAFA Elocution Contest.

(II) CA Students National Talent Search, 2022 (Phase II) – Debate Competition and Best Presenter (PPT)

Taking into consideration the overwhelming participation of students in Branch Level, Regional Level and Grand Finale of CA Students National Talent Search, 2021 – Elocution Contest and Quiz Contest (Phase I) held on 28th August 2021, the Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) organized CA Students National Talent Search, 2021 (Phase II) comprising Debate Competition and Best Presenter (PPT). The Branch Level Debate Competition and Best Presenter were organized between 15th to 31st October, 2021, Regional Level Competitions were organized by Regional Councils between 27th December, 2021 to 3rd January, 2022 and the Grand Finale of CA Students National Talent Search, 2022 (Phase II) was organized by the Board on 16th January, 2022 at Hyderabad wherein 20 participants of Debate Completion and 15 Winners of Best Presenters (PPT) represented their respective Regional Council.

(III) ICITSS and AICITSS Courses

The Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (ICITSS) consisting of Information Technology (IT) and Orientation Course (OC) and Advanced Integrated Course on Information Technology and Soft Skills (AICITSS), consisting of Advanced Information Technology (Advanced IT) and Management and Communication Skills (MCS) Course, each of 15 days duration, forms one of the most important component of the Chartered Accountancy course, which every student has to undergo at intermediate and final level of the Chartered Accountancy course respectively.

Students trained for the ICITSS & AICITSS courses during the period from 1st April, 2021 to 30th June, 2022 is as under:

Course	No. of POU	No. of Batches	No. of Students
MCS Course	130	1232	47608
Advanced ITT	130	1330	44878
Information Technology	148	1635	55171
Orientation Course	146	1433	56654
Grand Total		5630	204311

(IV) Article Placement & Industrial Training Portal The Students Skills Enrichment Board (Board of Studies – Operations)

Regulations 51 of CA Regulations, 1988 amended and the period of industrial training has been fixed between nine months to eighteen months from earlier nine months to 12 months, making students "Industry-ready Professionals" along with dedicated portal Articleship & Industrial Training Placement Portal for empowering student fraternity. This portal is a one stop destination for the Article assistant and the companies who intend to engage them as industrial training. It is a platform to provide opportunity to both students and companies to interact with each other for selection of company vis-a-vis students. The portal grants online approval to industries who intend to impart industrial training to CA aspirants as per our Chartered Accountants Regulations.

(V) Four Weeks Residential Programmes organised at Centre of Excellence Jaipur and Hyderabad.

After a gap of 2 years, due to Covid-19 pandemic, the 63rd, 64th, 65th and 66th Batches of Four Weeks Residential Programmes successfully organized by Students Skills Enrichment Board (Board of Studies) at CoE Jaipur and Hyderabad and the next 67th and 68th batches of the Residential programmes will be commencing from 4th July, 2022 at both CoE Jaipur and Hyderabad. To attract large number of students to undergo the Four Weeks Residential Programme, on the recommendation of the Board, the Council approved a discount upto 75% in course fee on existing fee of Rs.48,000 for first three months (May, June & July, 2022). Based on the approval of Council, fee of Rs.12,000/- charged from the students registering the course for the first three months (May, June & July, 2022).

(VI) Practical Training Modules for CA Students

An initiative to aid and standardize the practical aspects of Practical Training for CA. Students undergoing Articleship, a series of live Webinars were organized by Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) on every Sunday from 10.30 AM to 1.00 PM and first of such Live Webinar commenced on 8th May, 2022 and till 30th June, 2022, 8 such live webinars were organized. During the Live Webinars eminent subject experts were invited to address the students wherein various topics i.e. Practical Training on Module- GST Registration, Module 2 - All about PAN, Module 1 - GSTR1, Module 1 Guided Tour in Income tax portal, Module 2 –Input Tax Credit and Accounting Series, Module - ITR1 – Salaries Part, Module - Reconciliation of Input Tax credit on GSTR Portal, Module "Income from House Property & other sources) chosen for discussion.

(VII) International Conference for CA Students

Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) organized International Conference for CA Students at Kolkata in physical-cum-virtual mode on 29th and 30th January, 2022 with the theme *"Aim, Act, Achieve*" which was hosted by EIRC & EICASA of ICAI. Conference attracted around 6500 participants from across the globe along with 243 students delegates from International Accounting Bodies, the highest ever registration in the history of International conference of CA students of ICAI. The conference witnessed esteemed Presence of Chief Guest MLA & Editor in Chief, Sanmarg Newspaper, Kolkata and Guest of Honour Former Indian Cricketer along with President, ICAI and Vice-President, ICAI. There were 4 Growth Sessions having prolific and eminent speakers. The Conference was attended by the Central Council Members and other board members along with managing committee members from EIRC and EICASA of ICAI. The Conference was attended by students from other Accounting Bodies, 11 students from The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka, 7 students from The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh, 223 students from The Institute of Chartered Accountants of Pakistan and 4 students from The Institute of Chartered Accounts of Dubai, UAE. The International Conference was a grand success.

(VIII) Celebration of Azadi ka Amrit Mahotsav - Iconic Day

Commemorating 75 years of India's Independence, Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations) organized Grand Finale of CA Students National Talent Search, 2022 (Elocution Contest) wherein 20 Winners of Regional Level Elocution Contest were participated. At primary level, the Elocution Contest were organized by branches of ICAI, followed by winners of Branch Level competing in Regional Level organized by Regional Councils of ICAI and the Grand Finale was organized by Board wherein 20 winners from five Regional Councils of ICAI participated. The inaugural session was addressed by Shri Rahul Kaswan, Hon'ble Member of Parliament, Govt. of India. After Grand Finale of Elocution Contest concluded, there was a Motivational Session from 3.00 PM to 5 PM addressed by Eminent Speaker from Brahma Kumari on the topic *"Role of Youth in making India Vishwaguru Bharat".* Top three Winners of Grand Finale were awarded with cash prizes and certificates of participation were awarded to all participants who were winners at Regional Level and the event was a grand success.

(IX) Students Activity Portal

The Student Activity Portal helps the students to register for various students' programmes being organised by Regional Councils and Branches. It helps in the systematic management of student activity at the level of programme organising units and Students Skills Enrichment Board (Board of Studies-Operations). During the period of the report 1355 Programmes have been registered on the portal.

(X) Digitalization of Scholarship Process & disbursement of scholarship grant

The digitalization of Scholarship process was launched on 1st April 2021 for the Intermediate and Final Students of ICAI. The students can apply online for the Scholarship grant by login at Self Service Portal (SSP). The students will be facilitated to submit online application with no manual intervention for selection of Scholarship. As of now, total 7043 students have been benefitted from the Scholarship scheme during the period 1.4.2021 to 30.6.2022 through this automated process and more than Rs.6 Crores has been released to beneficiaries through scholarship instalments on quarterly basis.

(XI) National Conference and CA Student Conference for CA students

Students Skills Enrichment Board (Board of Studies- Operations) organized Student Conferences all over India. Due to the COVID pandemic, Student Conferences were organized through virtual mode / physical mode/ virtual cum

physical mode, based on the Government guidelines. For the year 2021-22, 4 National Conferences were organized by the Board and hosted by Agra Branch, Guwahati Branch, Mangalore Branch and Surat Branch of ICAI. In addition to 4 National Conferences, 13 CA Students Conferences were organised by the Board and hosted by Ahmedabad Branch, Baroda Branch, Chandigarh Branch, EIRC of ICAI, Ernakulam Branch, Ghaziabad Branch, Goa Branch, Nagpur Branch, Pune Branch, Salem Branch, SIRC of ICAI, Vijayawada Branch and WIRC of ICAI. The Conferences were attended by around 14000 students at large.

11. COMMITTEE ON CAREER COUNSELLING

(I) ICAI Commerce Quiz 2021:

ICAI Commerce QUIZ 2021 (Online) was successfully conducted by the Committee on Career Counselling on 5th September 2021 with the following objectives:

- To gauge the Skills, Abilities and Knowledge of Students.
- To identify talent in Students and encourage them towards Commerce Education.
- To develop a sense of achievement amongst the students.

The Quiz was conducted online for the students at 4 different levels as under:

- Level 1: Class IX
- Level 2: Class X
- Level 3: Class XI
- Level 4: Class XII

More than 32000 students registered from across 21 nations in the QUIZ competition. The Quiz was a grand success.

(II) ICAI Commerce Wizard 2021:

ICAI Commerce Wizard 2021 was successfully conducted on 16th January 2022 for Level I and 30th January 2022 for Level II. Total of 17790 candidates have been registered for the ICAI Commerce Wizard 2021. The online test for both the Levels was conducted for the students of Class IX, Class X, Class XI, Class XII and Graduation.

(III) Interactive meet with the Principals of the Schools and Colleges:

The Committee had also celebrated the Teacher's Day on 5th Sep 2021 by organising an interactive meeting between ICAI leadership and principals & vice-principals of more than 50 schools & colleges from across the nation. The objective of the meeting is to promote the Commerce education amongst the students and communicating the ICAI's vision for associating and working closely with them for mutual benefit and organising Career Counselling activities in their schools & colleges respectively.

(IV) Memorandum of Understanding (MoUs)

The Committee has also signed Memorandum of Understanding with Education Departments of Government of Telangana & Punjab. The objective of the MoUs is to establish cooperation between the parties for the advancement of commerce education amongst the students of government and government aided Secondary and Higher Secondary Schools and Colleges.

(V) New interactive website of the Committee on Career Counselling:

The all-new interactive website of the committee has been developed and launched on 4th February 2022 on the occasion of the Annual Day of ICAI. The new website provides one stop solution to the aspiring students about the Chartered Accountancy course. The website also hosts the videos and quotes of the dignitaries to inspire students.

The website can be accessed at https://ccg.icai.org/

(VI) Virtual Mega Career Counselling Programmes conducted:

Sl No.	City	Number of Participants	Event Date
1	MUMBAI	15000	19-12-2021
2	DELHI	51453	20-12-2021
3	DELHI	77180	16-12-2021
4	PUNE	2000	28-08-2021

5	CHENNAI	7000	28-08-2021
6	CHENNAI	30000	09-04-2021

(VII) Career Counselling Programmes (Virtual cum Physical) conducted in schools and colleges:

The Committee had conducted 567 Career Counselling programmes during the period from 12th February 2021 to 11th February 2022 by 36 Branches and Regional Councils of ICAI. Around 105599 students have participated during these counselling sessions.

12. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

The ICAI has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively. Currently it has 166 Branches.

Award for Best Regional Council, Best Branch of Regional Council, Best Students'Association and Best Branch of Students'Association

These awards are given by the ICAI every year. The awards are given on the basis of overall performance and established norms. For the year 2021, these Shields were awarded at the Annual Function held on 4th February, 2022 to the following winners:-

S. No.	Particular	Name of Unit	Award
1	**Best Regional Council**	Western India Regional Council	1st Prize jointly with SIRC
		Southern India Regional Council	1st Prize jointly with WIRC
		Northern India Regional Council	2nd Prize jointly with CIRC
		Central India Regional Council	2nd Prize jointly with NIRC
2	**Best Students' Association**	Western India Chartered Accountants Students' Association	1st Prize jointly with SICASA
		Southern India Chartered Accountants Students' Association	1st Prize jointly with WICASA
3	**Best Branch of Regional Council (Mega Category)**	Ahmedabad Branch of WIRC of ICAI	1st Prize
		Indore Branch of CIRC of ICAI	2nd Prize Jointly with Pune Branch of WIRC
		Pune Branch of WIRC	2nd Prize Jointly with Indore Branch of CIRC
4	**Best Branch of Regional Council (Large Category)**	Ernakulam Branch of SIRC of ICAI	1st Prize
		Vijayawada Branch of SIRC of ICAI	2nd Prize
5	**Best Branch of Regional Council (Medium Category)**	Amritsar Branch of NIRC of ICAI	1st Prize
		Aurangabad Branch of WIRC of ICAI	2nd Prize
		Bhilai Branch of CIRC of ICAI	2nd Prize
		Siliguri Branch of EIRC of ICAI	2nd Prize
6	**Best Branch of Regional Council (Small Category)**	Sonepat Branch of NIRC of ICAI	1st Prize
		Salem Branch of SIRC of ICAI	2nd Prize
7	**Best Branch of Regional Council (Micro Category)**	Sivakasi Branch of SIRC of ICAI	1st Prize
8	**Best Branch of Students' Association (Mega Category)**	Ahmedabad Branch of WICASA of ICAI	1st Prize
		Pune Branch of WICASA of ICAI	2nd Prize

9	**Best Branch of Students' Association (Large Category)**	Ernakulam Branch of SICASA of ICAI	1st Prize
		Kozhikode Branch of SICASA of ICAI	2nd Prize
10	**Best Branch of Students' Association (Medium Category)**	Rajkot Branch of WICASA of ICAI	1st Prize Joint with Vadodara Branch of WICASA of ICAI
		Vadodara Branch of WICASA of ICAI	1st Prize jointly with Vadodara Branch of WICASA of ICAI
		Jodhpur Branch of CICASA of ICAI	2nd Prize jointly with Mangalore Branch of CICASA of ICAI
		Mangalore Branch of CICASA of ICAI	2nd Prize jointly with Jodhpur Branch of CICASA of ICAI
11	**Best Branch of Students' Association (Small Category)**	Salem Branch of SICASA of ICAI	1st Prize
		Amritsar Branch of NICASA of ICAI	2nd Prize jointly with Aurangabad Branch of WICASA of ICAI
		Aurangabad Branch of WICASA of ICAI	2nd Prize jointly with Amritsar Branch of NICASA of ICAI
12	**Best Branch of Students' Association (Micro Category)**	Sivakasi Branch of SICASA of ICAI	1st Prize
		Nanded Branch of WICASA of ICAI	2nd Prize jointly with Pimprichinchwad Branch
		Pimprichinchwad Branch of WICASA of ICAI	2nd Prize jointly with Nanded Branch of WICASA of ICAI

II. Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the ICAI has set up Five Decentralised Offices as under:-

Mumbai Chennai Kolkata Kanpur New Delhi

13. FINANCE AND ACCOUNTS

The Balance Sheet as on 31st March, 2022 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

14. APPRECIATION

The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees, persons nominated on the Boards/ Committees constituted under the Chartered Accountants Act, 1949, the Regional Councils, its branches, and their members, and to the non-members who assisted the Council during the year 2021-22 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2021-22.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various Central and State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/ being initiated by them, pursuant to such initiatives.

The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2021-22 and thereafter by all officers and employees of the ICAI.

STATISTICS AT A GLANCE

MEMBERS REGISTERED

(From 1st April, 2007)

TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1st April, 2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841
1st April, 2008	Associate	32364	19203	7939	10045	14642	84193
	Fellow	17646	14034	6738	9472	13398	61288
	Total	50010	33237	14677	19517	28040	145481
1st April, 2009	Associate	34294	20666	8193	10578	15951	89682
	Fellow	18442	14516	7002	10007	13951	63918
	Total	52736	35182	15195	20585	29902	153600
1st April, 2010	Associate	36390	21733	8512	11252	17104	94991
	Fellow	19181	15076	7192	10615	14461	66525
	Total	55571	36809	15704	21867	31565	161516
1st April, 2011	Associate	38608	22998	9154	12329	18547	101636
	Fellow	19831	15612	7406	11182	14943	68974
	Total	58439	38610	16560	23511	33490	170610
1st April, 2012	Associate	45273	25505	11069	15963	23332	121142
	Fellow	20510	16132	7578	11720	15431	71371
	Total	65783	41637	18647	27683	38763	192513
1st April, 2013	Associate	52846	28020	13258	20606	27743	142473
	Fellow	21522	16918	7815	12327	16051	74633
	Total	74368	44938	21073	32933	43794	217106
1st April, 2014	Associate	56595	29401	14035	22978	29467	152476
	Fellow	22313	17460	8007	12915	16508	77203
	Total	78908	46861	22042	35893	45975	229679
1st April, 2015	Associate	60229	30126	14514	24702	31137	160708
	Fellow	22838	17864	8137	13441	16986	79266
	Total	83067	47990	22651	38143	48123	239974
1st April, 2016	Associate	64235	31919	15046	27353	32774	171327
	Fellow	23700	18495	8223	14071	17521	82010
	Total	87935	50414	23269	41424	50295	253337
1st April, 2017	Associate	67746	33591	15580	30036	34632	181585
	Fellow	25742	19711	8718	15618	18933	88722
	Total	93488	53302	24298	45654	53565	270307
1st April, 2018	Associate	70683	34733	15606	32094	36988	190104
	Fellow	26736	20280	8912	16494	19667	92089
	Total	97419	55013	24518	48588	56655	282193
1st April 2019	Associate	72296	34352	15547	33522	37129	192857
	Fellow	28747	21437	9418	18337	20895	98841
	Total	101043	55789	24965	51859	58024	291698
1st April 2020	Associate	74285	38405	15735	38453	40877	207755
	Fellow	28860	21495	9295	19017	20816	99483
	Total	103145	59900	25030	57470	61693	307238
1st April 2021	Associate	79234	42606	16436	41589	43479	223344
	Fellow	30022	22393	9485	20199	21638	103737
	Total	109256	64999	25921	61788	65117	327081
1st April 2022	Associate	83875	47065	17363	46271	46301	240875
	Fellow	31960	23559	9791	21580	22673	109563
	Total	115835	70624	27154	67851	68974	350438

MEMBERS

(From 1st April, 1950)

TABLE II

Year (As on)	Associate	Fellow	Total
As on 1st April, 1950	1,120	569	1,689
As on 1st April, 1951	1,285	672	1,957
As on 1st April, 1961	4,059	1,590	5,649
As on 1st April, 1971	7,901	3,326	11,227
As on 1st April, 1981	16,796	8,642	25,438
As on 1st April, 1991	36,862	22,136	58,998
As on 1st April, 2001	51,603	44,789	96,392
As on 1st April, 2002	54,666	47,064	1,01,730
As on 1st April, 2003	60,619	49,637	1,10,256
As on 1st April, 2004	63,384	52,707	1,16,091
As on 1st April, 2005	68,052	55,494	1,23,546
As on 1st April, 2006	73,778	57,168	1,30,946
As on 1st April, 2007	81,049	58,792	1,39,841
As on 1st April, 2008	84,193	61,288	1,45,481
As on 1st April, 2009	89,682	63,918	1,53,600
As on 1st April, 2010	94,991	66,525	1,61,516
As on 1st April, 2011	1,01,636	68,974	1,70,610
As on 1st April, 2012	1,21,142	71,371	1,92,513
As on 1st April, 2013	1,42,473	74,633	2,17,106
As on 1st April, 2014	1,52,476	77,203	2,29,679
As on 1st April, 2015	1,60,708	79,266	2,39,974
As on 1st April, 2016	1,71,327	82,010	2,53,337
As on 1st April, 2017	1,81,585	88,722	2,70,307
As on 1st April, 2018	1,90,104	92,089	2,82,193
As on 1st April, 2019	1,92,857	98,841	2,91,698
As on 1st April, 2020	2,07,755	99,483	3,07,238
As on 1st April, 2021	2,23,344	1,03,737	3,27,081
As on 1st April, 2022	2,40,875	1,09,563	3,50,438

STUDENTS REGISTERED

(From 31st March, 2010)

During the year	Foundation / CPT		PCC/IPCC & IIPCC/ Intermediate			Final / New Final		ATC	Total
	Foundation	CPT	PCC	IPCC & IIPCC	Intermediate	Final	New Final		
2009-10	-	1,67,073	1,860	80,745	-	24,172	-	3,376	2,77,226
2010-11	-	1,55,217	329	67,984	-	57,175	-	1,906	2,82,611
2011-12	-	1,61,712	-	85,053	-	47,515	-	2,099	2,96,379
2012-13	-	1,61,084	-	1,02,406	-	45,102	-	2,615	3,11,207
2013-14	-	1,54,742	-	96,285	-	39,348	-	3,209	2,93,584
2014-15	-	1,41,241	-	66,570	-	36,950	-	881	2,45,642
2015-16	-	1,25,140		77,962	-	31,669	-	1,249	2,36,020
2016-17	-	1,07,392		81,886	-	27,611	-	1,430	2,18,319
2017-18	9,788	73,804	-	22,657	63,693	26,291	14,056	-	2,10,289
2018-19	45,048	-	-	-	53,654	-	27,966	-	1,26,668
2019-20	63,228	-	-	-	87,949	-	67,090	-	2,18,267
2020-21	1,09,968	-	-	-	46,563	-	26,366	-	1,82,897
2021-22	1,21,365	-	-	-	69,967	-	32,527	-	2,23,899

COMPOSITION OF THE COUNCIL - (2022-2023)

	Members of the Council	
President	**Elected Members**	
CA. (Dr.) Debashis Mitra	CA. (Dr.) Rajkumar Satyanarayan Adukia	Mumbai
	CA Chhajed Piyush Sohanrajji*	Mumbai
	CA. Chitale Chandrashekhar Vasant	Pune
	CA. Vishal Doshi	Vadodara
Vice-President	CA. Durgesh Kumar Kabra	**Mumbai**
CA. Aniket Sunil Talati	CA. Dheeraj Kumar Khandelwal	Mumbai
	CA. Purushottamlal Hukamichand Khandelwal	**Ahmedabad**
	CA. Mangesh Pandurang Kinare	Thane
	CA. Priti Savla	Mumbai
	CA. Umesh Ramnarayan Sharma	Aurangabad
	CA. Aniket Sunil Talati	**Ahmedabad**
	CA. Dayaniwas Sharma	Hyderabad
	CA. Sridhar Muppala	Hyderabad
	CA. Prasanna Kumar D	Visakhapatnam
	CA. Rajendra Kumar P.	Chennai
Secretary to the Council	CA. Cotha S Srinivas	Bengaluru
CA. (Dr.) Jai Kumar Batra	CA. Sripriya Kumar	Chennai
Secretary	CA. Ranjeet Kumar Agarwal	Kolkata
	CA. Sushil Kumar Goyal	Kolkata
	CA. (Dr.) Debashis Mitra	Guwahati
	CA. Rohit Ruwatia	Jaipur
	CA. Abhay Kumar Chhajed	Bhopal
	CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
	CA. Gyan Chandra Misra	Vaishali
	CA. Prakash Sharma	Jaipur
	CA. Kemisha Soni	Indore
	CA. Sanjay Kumar Agarwal	New Delhi
	CA. (Dr.) Raj Chawla	New Delhi
	CA. Hans Raj Chugh	New Delhi
	CA. Pramod Jain	New Delhi
	CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
	CA. (Dr.) Sanjeev Kumar Singhal	New Dehli
Government Nominee	Shri Sanjay Kumar Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Corporate Affairs	New Dehli
	Shri Ritvik Ranjanam Pandey Joint Secretary Ministry of Finance	New Dehli
	Shri Manoj Pandey, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs	New Dehli
	Ms. Ritika Bhatia, Principal Director (Commercial-II) O/o Comptroller & Auditor General of India	New Dehli
	Shri Rakesh Jain, IA & AS, Dy. C&AG (Retired)	Jaipur
	Dr. P.C. Jain, Retired Principal SRCC, Delhi University	New Dehli
	Adv. Vijay Kumar Jhalani	New Dehli
	Shri Chandra Wadhwa CMA, Former President (ICoAI)	New Dehli

Elected to the 25th Council from Western India Regional Constituency in the bye-election held in September 2022 and the same has been notified vide Notification No.54-BYE-EL(1)/9/2022 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 27th September, 2022.

Ray & Ray
Chartered Accountants

Ravi Rajan & Co LLP
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Council of The Institute of Chartered Accountants of India

Report on the Audit of the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of the Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute"), which comprise the Balance Sheet as at March 31st 2022, the Statement of Income and Expenditure and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements are prepared in all material respects in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949, and give a true and fair view of the state of affairs of the Institute as at March 31, 2022, its surplus and its cash flows for the year then ended. in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the *Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements* section of our report. We are independent of the Institute in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements and we have fulfilled our ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of Management for the Financial Statements

The Institute's Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with the Chartered Accountants Act, 1949 and for such internal controls as management determines, is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the management is responsible for assessing the Institute's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Institute or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The management is responsible for overseeing the Institute's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.
- Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Institute's internal controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of the management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Institute's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Institute to cease to continue as a going concern.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal controls that we identify during our audit.

Other Matters

a) There are number of study circles, study chapters authorized by the Institute to operate in India and abroad. The Institute has represented to us that these Chapters/ study circles are separate entities and accordingly their financial statements are not required to be consolidated. We have relied on this representation.

b) We did not audit the financial statements of the Institute's Decentralized offices, Computer Centers, Students Associations, Regional Councils and their Branches (Collectively known as Branches) whose financial statements reflect total assets of Rs. 1,06,771 Lakhs, total revenue of Rs. 10,670 Lakhs and cash & bank balances as on 31st March, 22 of Rs. 3,769 Lakhs as considered in the financial statements. The financial statements of these branches have been audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the management. Our Opinion on the financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these Branches is based solely on the reports of the other auditors.

Our opinion on the financial statements, and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of the above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the financial statements certified by the management.

Report on Other Regulatory Requirements

Further, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of account have been kept by the Institute so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Decentralized offices, computer centers, students' associations, Regional Councils and their branches.

c) The Institute's Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, and Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts.

For Ray & Ray
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 301072E

Sd/-
CA Anil P. Verma
Partner
Membership No. 090408

UDIN- 22090408AQJDFB5038

Place: New Delhi
Date: 30.08.2022

For Ravi Rajan & Co. LLP
Chartered Accountants
Firm Reg. No. 009073N/N500320

Sd/-
CA Deepak Gupta
Partner
Membership No. 516002

UDIN-22516002AQJIQH9069

Place: New Delhi
Date: 30.08.2022

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANT OF INDIA

ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi -110002

BALANCE SHEET

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021
I	**SOURCES OF FUNDS**			
	i SURPLUS AND EARMARKED FUNDS			
	a. Reserves and surplus	3	1,63,899	1,46,155
	b. Earmarked funds	4	1,16,048	1,03,828
	ii. NON - CURRENT LIABILITIES			
	a. Other long-term liabilities	5	1,838	1,483
	b. Long-term provisions	6	29,718	27,597
	iii. CURRENT LIABILITIES			
	a. Trade payables	7	6,730	6,386
	b. Other current liabilities	8	24,708	16,383
	c. Short-term provisions	6	1,376	1,165
	TOTAL		**3,44,317**	**3,02,997**
II	**APPLICATION OF FUNDS**			
	i. NON - CURRENT ASSETS			
	a. Property, plant and equipment	9	67,369	62,949
	b. Intangible assets	10	414	43
	c. Capital work-in-progress	11	3,569	6,292
	d. Non-current investments	12	1,84,307	1,38,342
	e. Assets held for other funds	13	5,806	5,665
	f. Long-term loans and advances	14	3,774	3,869
	g. Other non-current assets	15	5,096	3,852
	ii. CURRENT ASSETS			
	a. Current investments	12	14,432	11,004
	b. Assets held for other funds	13	38,627	39,160
	c. Inventories	16	801	431
	d. Cash and cash equivalents	17	11,042	23,515
	e. Short-term loans and advances	14	4,351	4,237
	f. Other current assets	15	4,729	3,638
	TOTAL		**3,44,317**	**3,02,997**

Significant accounting policies and accompanying notes 1 to 27 form part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava Batra	**CA. (Dr.) Jai Kumar**	**CA. Aniket Sunil Talati**	**CA. (Dr.) Debashis Mitra**
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

In our report referred to even date

For Ray & Ray	**For Ravi Rajan & Co LLP**
Chartered Accountants	Chartered Accountants
Firm registration number:301072E	Firm registration number:
009073N/N500320	
Sd/-	Sd/-
CA. Anil P. Verma	**CA. Deepak Gupta**

Partner, Membership No. 090408 Partner, Membership No. 516002

New Delhi, 30th August, 2022

STATEMENT OF INCOME AND EXPENDITURE

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Note No.	For the year ended March 31,	
			2022	2021
I	**INCOME**			
	a) Fees	18	67,642	52,848
	b) Seminars	19	2,319	1,694
	c) Other income	20	18,853	16,926
	Total income		**88,814**	**71,468**
II	**EXPENSES**			
	a) Seminars and training programmes	21	2,593	1,186
	b) Employee benefit expenses	22	14,913	13,677
	c) Printing and stationery		5,246	3,706
	d) Professional fees paid to examiners and consultants		10,511	8,652
	e) Depreciation and amortisation expense	9-10	3,648	3,291
	f) Other expenses	23	22,753	19,729
	Total expenses		**59,664**	**50,241**
III	**Net surplus (I-II)**		**29,150**	**21,227**
IV	**Appropriation to funds / reserves:**			
	a) Education Fund [Refer Note 2.06 (ii)]		7,164	5,456
	b) Employees Benevolent Fund [Refer Note 2.06 (iii)]		94	92
	c) Earmarked funds and other funds (Net of expenses)		6,879	6,352
	d) Information Technology Training Reserves [Refer Note 2.06 (vi)]		1,462	939
	e) Sinking Fund [Refer Note 2.06 (vii)]		2,075	2,248
	f) World Congress of Accountants (WCOA)2022(Refer Note 24.15)		-	1,500
	g) General Reserve		11,476	4,640
	TOTAL		**29,150**	**21,227**

Significant accounting policies and accompanying notes 1 to 27 form part of the financial statements

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	**CA. (Dr.) Jai Kumar Batra**	**CA. Aniket Sunil Talati**	**CA. (Dr.) Debashis Mitra**
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

In our report referred to even date

For Ray & Ray

Chartered Accountants
Firm registration number:301072E
009073N/N500320

Sd/-
CA. Anil P. Verma

Partner, Membership No. 090408

For Ravi Rajan & Co LLP

Chartered Accountants
Firm registration number:

Sd/-
CA. Deepak Gupta

Partner, Membership No. 516002

New Delhi, 30th August, 2022

CASH FLOW STATEMENT

(₹ in Lakhs)

	Particulars	For the year ended March 31,	
		2022	2021
I	**Cash Flow from operating activities**		
	Net surplus after prior period adjustments	29,150	21,227
	Adjustments for:		
	-Depreciation and amortisation expense	3,648	3,291
	-Provision no longer required written back	(22)	(131)
	-Provision for employee retirement benefits	1,862	1,577
	-Provision for branch employee scheme	700	700
	-Provision for doubtful advances	38	35
	-Provision for obsolete publication stock	294	-
	- Reconciliation impact transferred to reserves	180	1,151
	-Interest income	(15,762)	(14,155)
	-Entrance fees from members directly allocated to reserves	462	386
	Operating surplus before Working Capital changes	**20,550**	**14,081**
	Changes in working capital:		
	Adjustments for (increase) / decrease in operating assets:		
	-Inventories	(370)	49
	-Long-term loans and advances	134	(757)
	-Short-term loans and advances	(446)	19
	-Other current assets	(1,535)	(199)
	Adjustments for increase / (decrease) in operating liabilities:		
	-Other long-term liabilities	355	(629)
	-Long-term provisions	(230)	(3,449)
	-Trade payables	366	1,573
	-Other current liabilities	8,329	(3,873)
		27,153	**6,815**
	Income tax (paid) / received (net)	(39)	733
	Cash generated from operating activities (A)	**27,114**	**7,548**
II	**Cash Flow from Investing Activities**		
	-Sale / redemption / (purchase) of non-current investments	(45,965)	(28,585)
	-Sale / redemption / (purchase) of current investments	(3,428)	(2,995)
	-Capital expenditure on Property, Plant and Equipment (including CWIP (net)	(5,729)	(3,098)
	-Proceeds from sale of Property, Plant and Equipment	9	110
	-Increase/ (Decrease) in Assets held for other funds	392	28,069
	-Interest income received	14,962	13,473
	Cash (used in) investing activities (B)	**(39,759)**	**6,974**
III	**Cash Flow from financing Activities**		
	-Donation received for buildings	-	1
	-Contribution received	172	76
	-Other fund received/(utilisation)	-	168
	Cash from financing activities (C)	**172**	**245**
	Net Increase / (Decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	(12,473)	14,767
	Cash and Cash Equivalents at beginning of the year	23,515	8,748
	Cash and Cash Equivalents at closing of the year	**11,042**	**23,515**

Significant accounting policies and accompanying notes 1 to 27 form part of the financial statements

Notes: Cash and Cash Equivalents represent cash on hand and balances with banks (Refer Note. 17).

For and on behalf of the Council

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	**CA. (Dr.) Jai Kumar Batra**	**CA. Aniket Sunil Talati**	**CA. (Dr.) Debashis Mitra**
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

In our report referred to even date

For Ray & Ray
Chartered Accountants
Firm registration number:301072E
009073N/N500320

Sd/-
CA. Anil P. Verma
Partner, Membership No. 090408
No. 516002

For Ravi Rajan & Co LLP
Chartered Accountants
Firm registration number:

Sd/-
CA. Deepak Gupta
Partner, Membership

New Delhi, 30th August, 2022

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS

1. General Information

The Institute of Chartered Accountants of India ("the Institute or ICAI"), having its Head Office at New Delhi, was established on 1st July 1949 under an Act of Parliament viz The Chartered Accountants Act, 1949 for the purpose of regulating the profession of Chartered Accountants in India. In terms of the said Act, the Council of the Institute is entrusted with the task of managing the affairs of the Institute. For this purpose, the Council has constituted 5 Regional Councils, one each at Mumbai, Kolkata, Kanpur, Chennai and New Delhi, 5 Decentralised Offices, 2 Centre of Excellence Offices,164 branches and 2 overseas offices in Dubai & Singapore.

2. Summary of Significant Accounting Policies

2.01 Basis of Preparation

The financial statements comprising Balance Sheet, Statement of Income and Expenditure, Cash Flow Statement and Notes thereon are prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP) and The Chartered Accountants Act,1949. Indian GAAP here comprises of the accounting standards and other pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India.The financial statements are prepared on going concern, under the historical cost convention and on accrual basis unless other wise stated. The accounting polices adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous year,unless stated otherwise.

2.02 Use of Estimates

The preparation of the financial statements in conformity with Indian GAAP requires the Management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) and the reported income and expenses of the year. The Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from the estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognised in the periods in which the results are known / materialised.

2.03 Inventories

Inventories comprise publications, study materials, stationery and other stores. Inventories are valued at the lower of cost based on first in first out method ("FIFO") and the net realisable value after providing for obsolescence and other losses, where considered necessary.

Cost includes all charges in bringing the goods to the point of sale, including other levies, transit insurance and incidental charges.

2.04 Cash and cash equivalents

Cash comprises cash on hand and demand deposits with banks. Cash equivalents are short-term balances (with an original maturity of three months or less from the date of acquisition), highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to insignificant risk of changes in value.

2.05 Cash Flow Statement

Cash flows are reported using the indirect method, whereby net surplus is adjusted for the effects of transactions of non-cash nature and any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments. The cash flows from operating, investing and financing activities of the Institute are segregated based on the available information.

2.06 Appropriation to Reserves and Allocation to Earmarked Funds

i) Donations received for buildings are credited directly to the Infrastructure reserve account.

ii) 25% of the Distance Education Fee, not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education Fund.

iii) 0.75% of Membership Fee (Annual and Certificate of Practice Fee) due on accrual basis is transferred to the Employees' Benevolent Fund.

iv) From the earmarked funds the following transfers are made to Education Reserve Account:

a)	From Accounting Research Building Fund	100% of cost of additions (net of deductions if any) to Building Fund relating to Accounting Research Building Fund.
b)	From Education Fund	50% of cost of additions (net of deductions if any) to Fixed Assets.

v) Income from investments of Earmarked Funds is added to Earmarked Funds. The income is allocated based on opening balances of the respective earmarked funds on weighted average basis.

vi) 25% of the Information Technology Training (ITT)/Advance Information Technology Training course Fee received during the year is transferred to Other Reserves for replacement of computers and other ITT centre infrastructure.

vii) A sum equal to depreciation for the year (excluding amount transferred to the ITT Reserve) is transferred to Sinking Fund for repair and replacement of assets.

2.07 Property, Plant and Equipment

Property, Plant and Equipment is recognised when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Institute and the cost of the item can be measured reliably. Property, Plant and Equipment are carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. The cost of Property, Plant and Equipment comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use. Other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying Property, Plant and Equipment up to the date the asset is ready for its intended use are also capitalised.

2.08 Intangible Assets

Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and accumulated impairment losses, if any. The cost of intangible assets comprises its purchase price net of any trade discounts and rebates, import duties and other taxes (other than those subsequently recoverable from the tax authorities), directly attributable expenditure on making the asset ready for its intended use, other incidental expenses and interest on borrowings attributable to acquisition of qualifying assets up to the date the asset is ready for its intended use. Subsequent expenditure on intangible assets after its purchase / completion is capitalised only if such expenditure results in an increase in the future benefits from such asset beyond its previously assessed standard of performance.

2.09 Capital Work in Progress

Expenditure incurred on construction of assets which is not ready for their intended use is carried at cost less impairment, if any, under Capital Work-in-Progress. The cost includes the purchase cost including import duties, non-refundable taxes, if any, and directly attributable costs.

2.10 Depreciation and amortisation

A) Depreciable amount for assets is the cost of an asset, or other amount substituted as cost.

Depreciation on Property,Plant and Equipment is provided montly prorata on the written down value method at the following rates as approved by the Council.

	Class of Property,Plant and Equipment	**Rate of Depreciation**
i)	Buildings	5%
ii)	Lifts, electrical installations and fittings	10%
iii)	Computers	60%

iv)	Furniture and fixtures	10%
v)	Air conditioners and office equipments	15%
vi)	Vehicles	20%
vii)	Library books	100%

B) Carrying amount of building on Leasehold land is amortised over the shorter of the lease term or its useful life.

C) Intangible assets are amortised over their estimated useful life on straight line method over three years.

2.11 Revenue recognition

The Revenue is recognised as follows:

i) Distance education fee received from the students is recognised pro-rata over the duration of the respective courses.

ii) Class room training fee comprises fee received for Management Communication Skills Course ("MCS"), Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("ICITSS"), Advanced Integrated Course on Information Technology & Soft Skills ("AICITSS") and Orientation Programme ("OP").The income for classroom training and coaching classes is recognised when services are rendered and related costs are incurred.

iii) Examination fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the examinations are conducted.

iv) Seminar fee is recognised as revenue when the Institute renders the related service i.e. when the seminars are conducted.

v) Membership fee comprising of annual membership fee (including fee for certificate of practice and restoration fee) and entrance fee is recognised as under:

a) Annual membership fee (including fee for certificate of practice) is recognised as income when it becomes due for the year. Restoration of membership fee is recognised when it is received.

b) Entrance Fee:

- entrance fee for received for admission as fellow members of the Institute is directly credited to Infrastructure Reserve Account ; One third of entrance fee collected at the time of admission as associate member is recognised as income in the year of admission and the balance is recognised in Infrastructure Reserve.

vi) Student registration fees is recognised when student is admitted for the course.

vii) Revenue from post qualification and certificate course is recognised in the period in which services are rendered.

viii) Contributions received with a specific direction are treated as part of that fund only.

2.12 Other income

a) Income from sale of publications are recognised when the risk and rewards are transferred to the buyer which normally coincide with delivery of goods. Income includes consideration received or receivable, net of discounts and other related taxes, (if any).

b) Income from students news letter and journal subscription is recognised on pro-rata basis over the period of subscription.

c) Income from campus interviews and expert advisory fee are recognised when services are rendered and related costs are incurred.

d) Interest Income is recognised on a time apportionment basis.

2.13 Investment

a) The Institute's investments comprise of instruments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments, fixed deposits with scheduled banks domiciled in India and shares in Not-for-Profit entities.

b) Investments are classified as current and long term investments in accordance with AS 13 Investments. Current investments are those that are readily realisable and intended to be held for not more than one year from the date on which such investments are made. A long term investment is an investment other than a current investment.

c) Investments are initially recorded at cost and the cost includes acquisition costs such as brokerage, fees and duties. Accrued interest paid at the time of purchase is setoff against first receipt of interest.

d) Investments in the form of domestic government securities issued by Central and State Governments are available for use freely at the discretion of the Council except to the extent of total of the earmarked funds.

e) At each balance sheet date, current investments are carried at lower of cost and fair value. The fair value is determined on an individual basis. The Long term investments are usually carried at cost. However,when there is a decline, other than temporary, in the value of a long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. The premium paid at the time of purchase is amortised over the remaining maturity of the investments. Amortisation of premium is adjusted against the income under head 'Interest from Investments.

2.14 Foreign Currency Transaction

Transactions in foreign currencies are accounted at the exchange rates prevailing on the date of the transaction.

Foreign currency monetary items outstanding at the balance sheet date are restated at the year-end rates. Non-monetary items are carried at historical cost.

Exchange differences arising on settlement / restatement of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised as income or expense in the Statement of Income and Expenditure.

2.15 Employee benefits

Employee benefits include provident fund, gratuity fund, compensated absence, long service awards, pension scheme and post-employment medical benefits.

i) Short term employee benefits

The undiscounted amount of short-term employee benefits (i.e. salary, allowances, exgratia etc) expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the year when the employees render the service. The short-term employee benefits are expected to occur within twelve months after the end of the period in which the eligible employee renders the related service.

The cost of short-term compensated absences is accounted as under :

a) In case of accumulated compensated absences, when employees render the service that increase their entitlement of future compensated absences; and

b) In case of non-accumulating compensated absences, when the absences occur.

ii) Post-employment benefits

Post-employment benefits are the benefits to eligible employees, other than termination benefits, which are payable after the completion of employment. Accounting of post-employment benefits depends upon the classification of relevant plans as either defined benefit plan (DBP) or defined contribution plan (DCP). The post-employment benefit plans where the Institute pays fixed contributions into a separate entity or fund and it will have no obligation to pay further contributions if the separate entity or fund does not hold sufficient assets to all employee benefits relating to employee service in the current and prior period. On the other hand, post-employment benefit plans other than those classified as DCP are classified as DBP.

Defined Benefits Plans

a) Gratuity (Funded)

For defined benefit plans in the form of gratuity, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains and losses are recognised in the Statement of Income and Expenditure in the period in which they occur. Past service cost is recognised immediately to the extent that the benefits are already vested and otherwise is amortised on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit obligation recognised represent the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognised past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to past service cost, plus the present value of

available refunds and reductions in future contributions to the schemes. Gratuity liability is funded with Life Insurance Corporation of India.

b) Provident Fund

The contribution towards provident fund scheme to The Institute of Chartered Accountants of India Provident Fund Trust ('the Trust') is considered as defined benefit plan and charged as an expense based on the amount of contribution required to be made and when services are rendered by the eligible employees. The Trust is managed by the governing body elected by the Institute and settles claim of the employees as and when they arise. Any shortfall arising out of actuarial liability of the PF Trust and any shortfall in return on investment during the year as per the valuation report is claimed by the trust and is paid by the Institute.

The present value of the defined benefit obligations are ascertained by an independent actuary as per the requirements of Accounting Standard (AS) - 15 Employee Benefits.

c)Pension scheme (unfunded)

The Institute offers its eligible employees benefits in the form of pension. The present value of the obligation as at the balance sheet date is recognised based on the actuarial valuation.

d) Post retirement medical scheme benefit to retired employees and spouse

The Institute offers employee benefits to its retired employees in the form of medical scheme.

e) Other Long-term employee benefits- Compensated Absences (unfunded)

Compensated absences which are not expected to occur within twelve months after the end of the period in which the employee renders the related service are recognised as a liability at the present value of the defined benefit obligation as at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

2.16 Leases

The Institute classifies the leases as Finance and Operating Lease for accounting and disclosure purposes. The leases where the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as finance leases. The leases where the lessor and not the Institute assumes substantially all the risks and rewards of the ownership are classified as operating leases.

Lease rental under operating leases are recognised in the statement of income and expenditure on straight-line basis over the lease term. In case of Finance Lease, assets are capitalised at lower of fair value of the leased asset and present value of minimum lease payments. The lease payments are apportioned between the finance charge and repayment of lease liability. Leased assets are depreciated over the shorter of lease term or useful life of the asset.

2.17 Impairment of Property, Plant and Equipment and intangible assets

The carrying value of assets at each balance sheet date are reviewed for impairment. If any indication of impairment exists, the recoverable amount of such assets is estimated and impairment recognised, if the carrying amount of these assets exceeds their recoverable amount. The recoverable amount is the greater of the net selling price and their value in use. Value in use is arrived at by discounting the future cash flows to their present value based on an appropriate discount factor. When there is indication that an impairment loss recognised for an asset in earlier accounting periods no longer exists or may have decreased, such reversal of impairment loss is recognised in the statement of income and expenditure.

2.18 Taxes on income

During the year, the Institute has obtained re-registration for exemption from Income Tax under section 10(23C)(iv) of the Income Tax Act, 1961. As such, no provision for income tax is made and no provision for deferred tax asset and liability is considered necessary.

2.19 Provisions and Contingencies

A provision is recognised when there is a present obligation as a result of past events and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made.

Contingent liability is a possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Institute, or is a present obligation that arises from past event but is not recognised because either it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be

made. Contingent liabilities are disclosed and not recognised.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed.

NOTE # 3 RESERVES AND SURPLUS

(₹ in Lakhs)

Particulars	General As at March 31,		Education As at March 31,		Infrastructure As at March 31,		Others* As at March 31,		Total As at March 31,	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**	**2022**	**2021**
Balance at the beginning of the year	**85,650**	**77,976**	**46,842**	**46,130**	**6,962**	**6,673**	**6,701**	**5,594**	**1,46,155**	**1,36,373**
Add: Appropriation from Statement of Income and Expenditure	11,476	4,640	-	-	-	-	1,462	939	**12,938**	5,579
Transfer from / (to) General Reserve, Infrastructure Reserve and Other Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer from / (to) Earmarked Funds	(335)	1,785	4,164	712	-	-	335	-	**4,164**	2,497
Admission fees and allocated Entrance fees (Refer Note 2.11 (v) (b)	-	-	-	-	462	386	-	-	**462**	386
Donation received for buildings	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
(Utilization)/Addition	(19)	1,249	-	-	24	(98)	175	168	**180**	1,319
Balance at the end of	**96,772**	**85,650**	**51,006**	**46,842**	**7,448**	**6,962**	**8,673**	**6,701**	**1,63,899**	**1,46,155**

* Others include Library Reserve, Information Technology Training (ITT) Reserve, Foreign Currency Translation Reserve etc.

NOTE # 4 EARMARKED FUNDS

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at March 31,	Research Funds	Accounting Research Building Fund	Education Fund	Medals and Prizes Funds	Students Scholarship Funds	Members Benevolent Fund	Employees Benevolent Fund	Sinking Fund for Repair and Replacement of Assets	Other Funds	Total

Balance at the beginning of the year	**2022**	**3,140**	**1,082**	**47,085**	**341**	**11,043**	**-**	**1,236**	**28,335**	**11,566**	**1,03,828**
	2021	**2,886**	**997**	**39,221**	**289**	**10,231**	**3,384**	**1,070**	**24,149**	**8,374**	**90,601**
Appropriation from Statement of Income and Expenditure	2022			7,164				94	2,075	-	9,333
	2021			5,456				92	2,248	1,500	9,296
Transfer from / (to) Reserves and Surplus	2022	-	-	(4,164)	-	-	-	-	-	-	(4,164)
	2021	-	-	(712)	-	-	(3,384)	-	-	1,599	(2,497)
Contribution received / Addition during the year	2022	-	-	-	37	1	-	-	-	134	172
	2021	-	-	-	46	-	-	-	-	30	76
Interest income during the year appropriated through Income and Expenditure	2022	242	105	3,649	22	825	-	96	2,178	179	7,296
	2021	254	85	3,120	23	817	-	85	1,938	72	6,394
Utilised during the year	2022	-	-	-	(22)	(378)	-	(16)	-	(1)	(417)
	2021	-	-	-	(17)	(5)	-	(11)	-	(9)	(42)
Balances at the end of the year	**2022**	**3,382**	**1,187**	**53,734**	**378**	**11,491**	**-**	**1,410**	**32,588**	**11,878**	**1,16,048**
	2021	**3,140**	**1,082**	**47,085**	**341**	**11,043**	**-**	**1,236**	**28,335**	**11,566**	**1,03,828**

Note

1. Total earmarked funds of ₹.116048/- Lakhs (Previous year ₹ 1,03,828/- Lakhs) are held in Government Securities (Refer Note 12 & 13).

(₹ in Lakhs)

NOTE # 5: OTHER LONG-TERM LIABILITIES	As at March 31,	
	2022	2021
Fees received in advance i) Education fees ii) Journal subscription	1,8317	1,4749
Total	**1,838**	**1,483**

NOTE # 6: PROVISIONS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	Long-term	**Long-term**	**Short-term**	**Short-term**
Provisions for employee benefits :				

a)	Post employment benefits				
	i) Gratuity	**497**	704	**48**	81
	ii) Pension	**16,530**	15,023	**667**	506
	iii) Provident Fund (Refer Note:- 2 [b])	**178**	178	**-**	-
b)	Provision for leave encashment	**5,410**	5,059	**661**	578
c)	Provision for Branch Employees (Refer Note-24.12)	**5,600**	4,900	**-**	-
d)	Provision for Pay Revision (Refer Note-24.14)	**1,503**	1,733	**-**	-
	Total	**29,718**	**27,597**	**1,376**	**1,165**

NOTE # 7: TRADE PAYABLES	**As at March 31,**	
	2022	**2021**
Trade payables:		
-total outstanding dues of micro,small and medium enterprises (Refer note 24.18)	**1,410**	1,015
-total outstanding dues of other than micro,small and medium enterprises	**5,320**	5,371
Total	**6,730**	**6,386**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 8: OTHER CURRENT LIABILITIES	**As at March 31,**	
	2022	**2021**
A) Fees received in advance		
i) Membership fees	**1,352**	1,054
ii) Education fees	**11,984**	10,191
iii) Examination fees	**7,322**	1,140
iv) Journal subscription	**16**	17
v) Post qualification courses fees	**152**	455
vi) Certificate courses fees	**106**	118
vii) Seminar fees :		
a) Seminar Members	**129**	133
b) Seminar Students	**55**	45
viii) Class room training fees	**779**	242
ix) Coaching class fees	**102**	71
x) Other fees	**126**	68
Sub Total (A)	**22,123**	**13,534**
B) Other liabilities		
i) Payable for Capital Items	**40**	44
ii) Provident fund and professional tax payable (Refer Note: 24.12)	**139**	146
iii) Withholding taxes	**699**	473
iv) GST Payable	**437**	787
v) Security and earnest money deposit	**567**	711
vi) Retention money payable	**131**	94

vii) Others	**572**	594
Sub Total (B)	**2,585**	**2,849**
Total (A+B)	**24,708**	**16,383**

NOTE # 9:Property,Plant and Equipment

(₹ in Lakhs)

Particulars	Gross Block					Depreciation Block				Net book value at end of the year
	As at March 31,	Cost at the beginning of the year	Additions during the year	Transfers / Deletions during the year	Cost at the end of the year	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Charged for the year	Transfers / Deletions during the year	Accumulated depreciation at the end of the year	
Freehold land	2022	18,671	931	-	**19,602**	-	-	-	-	**19,602**
	2021	21,090	433	(2,852)	**18,671**	-	-	-	-	**18,671**
Leasehold land	2022	10,352	2,494	-	**12,846**	1,063	363	-	**1,426**	**11,420**
	2021	7,518	100	2,734	**10,352**	939	149	(25)	**1,063**	**9,289**
Buildings	2022	40,897	3,122	-	**44,019**	12,198	1,823	-	**14,021**	**29,998**
	2021	40,644	253	-	**40,897**	10,635	1,563	-	**12,198**	**28,699**
Lifts, electrical installations & fittings	2022	2,416	292	(12)	**2,696**	1,487	114	(4)	**1,597**	**1,099**
	2021	2,436	-	(20)	**2,416**	1,391	108	(12)	**1,487**	**929**
Computers	2022	7,458	88	(37)	**7,509**	6,603	512	(61)	**7,054**	**455**
	2021	7,261	233	(36)	**7,458**	5,779	859	(35)	**6,603**	**855**
Furniture and fixtures	2022	5,360	538	(20)	**5,878**	2,900	274	(11)	**3,163**	**2,715**
	2021	5,043	331	(14)	**5,360**	2,667	245	(12)	**2,900**	**2,460**
Air conditioners & office equipments	2022	6,092	371	(30)	**6,433**	4,063	329	(11)	**4,381**	**2,052**
	2021	5,878	235	(21)	**6,092**	3,755	323	(15)	**4,063**	**2,029**
Vehicles	2022	138	15	-	**153**	121	4	-	**125**	**28**
	2021	138	-	-	**138**	117	4	-	**121**	**17**
Library books	2022	1,089	14	(2)	**1,101**	1,089	14	(2)	**1,101**	-
	2021	1,081	13	(5)	**1,089**	1,081	13	(5)	**1,089**	-
Total	**2022**	**92,473**	**7,865**	**(101)**	**1,00,237**	**29,524**	**3,433**	**(89)**	**32,868**	**67,369**
	2021	**91,089**	**1,598**	**(214)**	**92,473**	**26,364**	**3,264**	**(104)**	**29,524**	**62,949**

Note - A) Leasehold land includes ₹ 6.17 lakhs paid for the plot of land in Indraprastha Estate, New Delhi (adjacent to existing head office) allotted by Land and Development Authority, New Delhi. Office is following up the Authority for execution of Memorandum of Agreement and Lease Deed for the said land.

Note - B) Land measuring 225 sq. mtrs area of ICAI Bhawan Faridabad, had been acquired by DMRC in January 2013 for which, Faridabad branch had requested for another piece of land, adjacent to the branch in compensation against the acquisition by DMRC.Faridabad Branch of NIRC of ICAI is following up the matter with DMRC and Haryana Shahari Vikas Pradhikaran.

Note - C) Depreciation for the year interalia includes of ₹ 341 lakhs related to depreciation/amortization on buildings/leasehold land of earlier years.

(₹ in Lakhs)

NOTE # 10: INTANGIBLE ASSETS	As at March 31,	
	2022	2021
Cost at the beginning of the year	**836**	796
Additions	**583**	40
Transfers/Deletions	**(19)**	-
Cost at the end of the year	**1,400**	**836**
Amortisation at the beginning of the year	**793**	766
Charge for the year	**215**	27
Transfers/Deletions	**(22)**	-
Amortisation at the end of the year	**986**	**793**
Net book value at the end of the year	**414**	**43**
Net book value at the beginning of the year	**43**	**30**

NOTE # 11: CAPITAL WORK IN PROGRESS	As at March 31,	
	2022	2021
Opening balance	**6,292**	4,816
Add: Addition during the year	**1,219**	1,800
Less: Amount capitalised/adjusted during the year	**(3,942)**	(324)
Closing balance	**3,569**	**6,292**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	As at March 31,		As at March 31,	
	2022	2021	2022	2021
	Non-current	Non-current	Current	Current
A. Central Government Securities				
Quoted Securities				
1 7.80% Government of India 2021	-	-	-	2,501
2 7.40% Government Of India 2035 (1)	**532**	534	-	-
3 7.40% Government Of India 2035 (2)	**540**	543	-	-
4 8.83% GOVT.STOCK 2041	**1,247**	1,259	-	-
5 9.23% GOI 23/12/2043 (1)	**1,260**	1,272	-	-
6 9.23% GOI 23/12/2043 (2)	**1,260**	1,272	-	-
7 9.23% GOI 23/12/2043 (3)	**6,375**	6,438	-	-
8 9.23% GOI 23/12/2043 (4)	**2,535**	-	-	-
9 8.17% GOVT STOCK 2044	**5,758**	5,791	-	-
10 7.16% GOI 2050	**1,079**	1,082	-	-
11 8.24% GOVT STOCK 10-11-2033	**5,752**	5,816	-	-
12 8.30% GS 2042 (1)	**4,086**	4,114	-	-
13 8.30% GS 2042 (2)	**1,751**	1,763	-	-
14 8.30%GOI-2040	**5,211**	5,250	-	-
15 7.69% GOI 17/06/2043	**3,338**	3,354	-	-
16 7.26% GSEC 14 JAN 2029	**7,864**	7,917	-	-

17 7.57% GS 2033	**5,470**	5,512	-	-
18 8.33% GOI 2036 (1)	**1,177**	1,189	-	-
19 8.33% GOI 2036 (2)	**2,236**	2,260	-	-
20 8.24% GOI 2033	**576**	582	-	-
21 7.73% GOI 2034	**559**	564	-	-
22 7.69% GOI 2043	**2,745**	-	-	-
23 8.17% GOI 2044	**2,893**	-	-	-
24 8.30% GOI 2042	**2,324**	-	-	-
25 8.33% GOI 2036 (3)	**2,851**	-	-	-
26 8.30% GOI 2042 (1)	**1,160**	-	-	-
27 8.30% GOI 2042 (2)	**581**	-	-	-
28 8.83% GOI 2041 (1)	**1,214**	-	-	-
29 8.83% GOI 2041 (2)	**1,820**	-	-	-
30 6.67% GOI 2050 (1)	**2,468**	-	-	-
31 6.67% GOI 2050 (2)	**2,874**	-	-	-
32 6.67% GOI 2050 (3)	**1,886**	-	-	-
33 6.67% GOI 2050 (4)	**967**	-	-	-
34 6.67% GOI 2050 (5)	**7,138**	-	-	-
35 6.67% GOI 2050 (6)	**2,885**	-	-	-
36 6.67% GOI 2050 (7)	**4,636**	-	-	-
37 6.67% GOI 2050 (8)	**1,391**	-	-	-
38 6.67% GOI 2050 (9)	**4,635**	-	-	-
39 6.76% GOI 2061	**972**	-	-	-
40 7.72% GOI 2049	**5,466**	-	-	-
Sub-Total-1	**1,09,512**	**56,512**	-	**2,501**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
Unquoted Securities				
1 8.00% Government of India Taxable Bonds- cumulative	**11,200**	11,200	-	-
2 8% Saving (Taxable) Bond 2003-non cumulative	**44,000**	44,000	-	-
Sub-Total-2	**55,200**	**55,200**	-	-
Book Value (A) (1+2)	**1,64,712**	**1,11,712**	-	**2,501**
Market Value				
Quoted	**1,05,782**	55,718	-	2,502
Unquoted(Book value)	**55,200**	55,200	-	-
	1,60,982	**1,10,918**	-	**2,502**

NOTE # 12: INVESTMENTS	As at March 31,		As at March 31,	
	2022	2021	2022	2021
	Non-current	Non-current	Current	Current
B. State Government Securities				
Quoted Securities :				
1 8.39% Rajasthan Uday SDL 2022	-	-	-	1,509
2 8.44% Uttar Pradesh Uday 2023	-	1,002	**1,001**	-
3 8.45% Karnataka SDL 2024	**3,027**	3,038	-	-
4 8.45% Karnataka SDL 2024	**2,018**	2,025	-	-
5 8.45% Punjab SDL 2023	-	2,529	**2,514**	-
6 8.49% Andhra Pradesh P SDL 2020	-	-	-	-
7 8.62% Maharashtra SDL 2023	-	506	**503**	-
8 8.75% West Bengal GS 2022	-	-	-	503
9 07.79% Himachal Pradesh SDL 2022	-	-	-	997
10 6.94% Odisha SDL 2021	-	-	-	1,495
11 7.93% Chattisgarh SDL 2024	**1,508**	1,512	-	-
12 8.18% Haryana SDL UDAY 2024	**45**	46	-	-
13 8.21% Haryana Uday 2022	-	-	-	1,496
14 8.25% Uttar Pradesh UDAY BOND 2023	**502**	505	-	-
15 8.27% Rajasthan SDL SPL 2023	**193**	194	-	-
Sub-Total-1	**7,293**	**11,357**	**4,018**	**6,000**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	As at March 31,		As at March 31,	
	2022	2021	2022	2021
	Non-current	Non-current	Current	Current
16 8.37% Odisha SDL 2022	-	1,001	**1,000**	-
17 8.39 Rajasthan Uday 2022	-	-	-	1,498
18 8.45% Gujarat SDL 2023	**2,526**	2,545	-	-
19 8.86% Punjab SDL 2022	-	1,006	**1,002**	-
20 8.90% Andhra Pradesh SDL 2022	-	2,510	**2,503**	-
21 8.92% Himachal Pradesh SDL 2022	-	1,006	**1,002**	-
22 8.95% Assam SDL 2022	-	1,510	**1,503**	-
23 8.97% Bihar SDL 2022	-	504	**502**	-
24 9.01% Karnataka SDL 2024	**512**	518	-	-
25 9.01% West Bengal SDL 2022	-	504	**501**	-
26 9.04% West Bengal SDL 2021	-	-	-	502
27 9.13% Gujarat SDL 9/5/2022	-	2,412	**2,401**	-
28 9.18% Punjab SDL 2021	-	-	-	503
29 8.51% UP UDAY 2023	**743**	747	-	-
30 6.61% MP SDL 2037	**495**	-	-	-
31 6.68% Haryana SDLs	**2,441**	-	-	-
32 7.88% AP SDL 2031	**1,077**	-	-	-

33 6.80% JK SDL 2035	**502**	-	-	-
34 6.99% WB SDL 2036	**508**	-	-	-
35 7.08% AP SDL 2035	**1,008**	-	-	-
36 7.43% HR 09/03/2041	**505**	-	-	-
37 6.96% TN SDL 2056	**975**	-	-	-
Sub-Total-2	**11,292**	**14,263**	**10,414**	**2,503**
Book Value (B) (1+2)	**18,585**	**25,620**	**14,432**	**8,503**
Market Value	**18,743**	**27,174**	**14,716**	**8,777**

Refer Note No-24.08

(₹ in Lakhs)

NOTE # 12: INVESTMENTS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
C. Investment in equity instruments of subsidiaries - (fully paid up)				
i. Institute of Insolvency Professionals of ICAI 10,00,000 Ordinary shares of Rs. 100 each	**1,000**	1,000	-	-
ii. Investment ICAI Registered Valuers Organisation	**10**	10	-	-
Book Value (C)	**1,010**	**1,010**	-	-
Total (A+B+C)	**1,84,307**	**1,38,342**	**14,432**	**11,004**

NOTE # 13: Assets held for other funds	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
Fixed deposits with banks	**5,806**	5,665	**38,627**	39,160
Total	**5,806**	**5,665**	**38,627**	**39,160**

NOTE # 14: LOANS AND ADVANCES (Unsecured, considered good)	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
a) Security deposits	**71**	79	**385**	388
b) Tax deducted at source	**2,028**	1,989	-	-

c) Input Tax Credit	**-**	-	**1,951**	2,330
d) GST on advances received from members	**-**	-	**277**	278
e) Other loans and advances				
i) Loans and advances to employees	**1,431**	1,421	**-**	-
ii) Other receivables	**244**	380	**1,811**	1,276
Less: Provision for doubtful receivables	**-**	-	**(73)**	(35)
Total	**3,774**	**3,869**	**4,351**	**4,237**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 15: OTHER ASSETS	**As at March 31,**		**As at March 31,**	
	2022	**2021**	**2022**	**2021**
	Non-current	**Non-current**	**Current**	**Current**
a) Interest accrued				
i) on fixed deposits with banks	**-**	-	**574**	626
ii) on investments	**4,821**	3,612	**3,370**	2,330
iii) on loans to employees	**260**	240	**-**	-
b) Prepaid expenses	**15**	-	**785**	682
Total	**5,096**	**3,852**	**4,729**	**3,638**

NOTE # 16: INVENTORIES (At lower of cost and net realisable value)	**As at March 31,**	
	2022	**2021**
a) Publications and study materials	**1,045**	386
Less: Provision for obsolete publication stock	**(294)**	-
b) Stationery and stores	**50**	45
Total	**801**	**431**

NOTE # 17: CASH AND CASH EQUIVALENTS	**As at March 31,**	
	2022	**2021**
a) Cash on hand	**22**	24
b) Balances with banks in savings and current accounts	**7,020**	8,491
c) Fixed deposits with maturity of less than three months	**4,000**	15,000
Total	**11,042**	**23,515**

NOTE # 18: FEES	**For the year ended March 31,**	
	2022	**2021**
a) Distance education	**28,655**	21,824
b) Students registration	**765**	607
Less:- contribution to CASBF Refer Note 24.03	**(189)**	(182)
c) Class room training	**8,567**	7,533
d) Coaching	**590**	557

e) Examination	**15,942**	9,493
f) Membership	**13,267**	12,944
Less:-Discount on E Journal	**(1,397)**	(1,225)
g) Entrance : Refer Note No. 2.11 (v) (b)	**164**	130
h) Post qualification courses	**458**	299
i) Certificate courses	**820**	868
Total	**67,642**	**52,848**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 19: SEMINAR INCOME	**For the year ended March 31,**	
	2022	**2021**
a) Members	**1,534**	1,324
b) Students	**212**	159
c) Others	**573**	211
Total	**2,319**	**1,694**

NOTE # 20: OTHER INCOME	**For the year ended March 31,**	
	2022	**2021**
a) Interest income		
i) on bank deposit held in other funds	**2,085**	2,395
ii) from investments	**6,308**	5,278
iii) from investments held in earmarked funds	**7,296**	6,394
iv) on loans to employees	**73**	88
b) Sale of publications	**1,055**	1,000
c) News letters	**112**	118
d) Journal subscription	**36**	30
e) Campus interview	**1,359**	289
f) Expert advisory fee	**61**	50
g) Provision no longer required written back	**22**	131
h) Miscellaneous income	**355**	377
i) Income support services	**6,149**	6,048
Less:- Expense support services	**(6,149)**	(6,048)
j) Prior period income	**91**	776
Total	**18,853**	**16,926**

NOTE # 21: SEMINARS AND TRAINING PROGRAMMES	**For the year ended March 31,**	
	2022	**2021**
a) Members	**1,969**	949
b) Students	**535**	197
c) Students activity expenses	**89**	40
Total	**2,593**	**1,186**

NOTE # 22: EMPLOYEE BENEFIT EXPENSE	For the year ended March 31,	
	2022	2021
a) Salary, pension and other allowances	**13,885**	12,622
b) Contribution to provident and other funds	**885**	889
c) Staff welfare expenses	**143**	166
Total	**14,913**	**13,677**

(₹ in Lakhs)

NOTE # 23: OTHER EXPENSES	For the year ended March 31,	
	2022	2021
a) Postage and telephone	**2,962**	2,378
b) Rent, rates and taxes	**7,078**	6,499
c) Domestic travelling	**854**	794
d) Overseas expenses:		
i) Overseas travelling	**26**	-
ii) Membership fees for foreign professional bodies	**691**	651
iii) Others	**70**	63
e) Repairs and maintenance	**3,144**	2,877
f) Class room training expenses	**2,649**	1,919
g) Coaching class expenses	**81**	62
h) Advertisement and publicity	**265**	166
i) Meeting expenses	**156**	215
j) Merit scholarship	**128**	167
k) Audit fees : Head office	**15**	15
: Other offices	**60**	45
l) Payments from earmarked funds	**417**	42
m) GST on expenses	**1,299**	1,133
n) Provision for doubtful advances	**38**	35
o) Provision for obsolete publication stock	**294**	-
p) Donation expenses	**-**	1,500
q) Prior period expenses	**373**	196
r) Election expenses	**1,017**	-
s) Other expenses	**1,136**	972
Total	**22,753**	**19,729**

Disclosure under Accounting Standards

24 Additional Notes to the Financial Statements

24.01 Contingent liabilities and commitments

(₹ in Lakhs)

a. Contingent liabilities	2021-22	2020-21
i) Claims against the Institute not acknowledged as debts	**2,084**	**2,600**

ii) In financial year 2018-19,The Institute received two show cause notices of ₹ 15,797 lakhs from the Additional Director General, Goods and Service Tax Intelligence for payment of service tax on annual fee, certificate of practice fee, entrance fee, Seminar Fees and Coaching Class Fees etc. The Institute is of the opinion that it is not liable to service tax and filed writ petition No. 3957/2019 in High Court of Delhi in April 2019. Additional Director General, DGCEI, Kochi filed a Counter affidavit against the aforesaid writ petition in October 2019 against which the Institute filed a rejoinder affidavit in December 2019. Due to Covid-19 pandemic, the matter being adjourned from time to time was heard in July 2022 wherein Hon'ble High Court gave directions that the respondent should file the Counter Affidavit within four weeks and rejoinder affidavit thereafter and scheduled

the next hearing on 19th December, 2022.

b. Capital Commitments	**2021-22**	**2020-21**
Capital Commitments (Net of advances)	**7,560**	**4,996**

24.02 Other Receivables in Note 14 # under long term loans and advances include ₹ 243.75 Lakh for stamp duty refund receivable on cancellation of principal and supplementary agreements of acquiring property at Nagpur which has been rejected by the Joint District Registrar (JDR),Nagpur. The Institute has filed two appeals before the Chief Controlling Revenue Authority, Pune under section 53 of Maharashtra Stamp Act challenging the orders passed by JDR, Nagpur which are still pending for final adjudication. The Institute has been advised that it has a good legal case to receive the refund of stamp duty.

24.03 Out of the fee received from the students towards Students Registration Fee, a sum of ₹ 250 per student in respect of students registered after 1st April, 2009, is remitted to Chartered Accountants Students Benevolent Fund.

24.04 Contributions received from Members towards Chartered Accountants Benevolent Fund (CABF) is recorded as payable and likewise disbursements made to members towards claims of financial assistance paid on its behalf is recorded as receivable. Accounts with CABF are settled on a regular basis.

24.05 In case of cancellation before commencement of the Certificate/ Post Qualification Course/Diploma Course, 10% of the fee is deducted and in case the course has commenced, no fee is refunded but the member is given an option to attend remaining part of the course in subsequent batches.

24.06 The Institute had initiated a process for digitization of entire activities by undertaking a project referred as 'Project Parivartan'. For this purpose, Institute had appointed a global integrated service provider (vendor) supervised by a globally reputed project management consultant at a total cost of ₹ 3,981 lakhs. A sum of ₹ 867 lakhs was incurred up to March 31, 2015.

Since the service provider did not carry out the development of digitization as per the requirement even after extended periods, the Institute cancelled the contract and encashed the bank guarantee of ₹ 295 lakhs in the month of June 2015 and the balance amount of ₹ 572 lakhs was written off in the year ended March 31, 2015.

The vendor submitted a proposal requiring the Institute to pay ₹ 807 lakhs including the amount encashed Bank Guarantee which has been rejected by the Institute and the agreement with service providers in February, 2017. No communication has been received from the vendors after contract was terminated.

During 2018-19, Institute had sent a legal notice dated 31.10.2018 to the vendor requiring it to pay an amount of ₹ 2,140.79 lakhs along with applicable interest towards loss incurred on account of non execution of the project. The vendor in its response dated 20.03.2019 has contested that claim of Institute is time barred. The opinion from the legal advisor is under consideration.

24.07 A detailed review of the various reserve funds and earmarked funds created in the earlier years and related earmarked investments is under progress to restructure these funds as per the present requirements and functioning of the Institute.

24.08 The quoted investments in Government securities have been made for the long term. The market price of these bonds fluctuate on a day to day basis, since the intention of the Institute is to hold these securities for long term, any temporary decline in the value of these securities against the cost is not provided for as the management is confident that in the long run the market price of these securities will be more than its cost.

24.09 The impact of inter unit reconciliation of ₹ 19 lakhs (₹ 1,249 lakhs) and ₹ 24 lakhs (₹ 98 lakhs) has been transferred from/to General reserve and Infrastructure reserve respectively in Note#3. In the case of inter unit accounts relating to assets and liabilities, the unreconciled differences aggregate to ₹ 413 Lakhs in debit and ₹ 466 Lakhs in credit. The net difference of ₹ 53 Lakhs has been included under 'Provision for Inter Branch' in Trade Payable.

24.10 In view of the Management, the study circles, study chapters and overseas chapters are separate entities and their accounts are not consolidated.

24.11 Physical verification of fixed assets and reconciliation with book balances at the Head office is being taken up.

24.12 The Branch Employees Scheme 2006 has been replaced by new Branch Employees Scheme 2014 which has been approved by the Central Council which was not implemented and is under revision. Since 2014-15, a provision of ₹ 700 lakhs per year is being made in the accounts adding upto ₹ 5,600 lakhs as on March 31,

2022. The shortfall excess of provision including leave encashment and gratuity will be determined when the revised scheme is fully implemented.

Some of the branches have deducted PF contribution from the branch employees. Pending approval of the registration of the 5 Regional Provident Fund Trust from the Income Tax Department, the amount of PF along with matching employer contribution and interest amounting to ₹ 132 lakhs (₹ 122 lakhs) could not be deposited with the PF Trust. However, for the time being, a Fixed Deposit of ₹. 123 lakhs (₹. 110 lakhs) bearing interest rate @ 5.40% has been earmarked for the above mentioned purpose.

24.13 Ineligible input tax credit, input credit attributable to exempted supplies has been charged off to the Income and Expenditure Account under 'GST on expenses'.

24.14 The balance amount of ₹ 1,503 lakhs payable pertaining towards gratuity and leave encashment of retired employees, the computation of which is under progress.

24.15 As per the estimates made in FY 2018-19, out of surplus from 2018-19 till 2020-21, ₹ 4,500 lakhs (₹ 1,500 Lakhs each year) was appropriated to meet the financial requirements for organising the World Congress of Accountants scheduled in November 2022. No appropriation has been made in the current financial year.

24.16 Lease period of land for certain units have expired, for which steps are being taken to renew the same. Renewal Lease Premium shall become due once confirmation is received from the relevant authorities.

24.17 Steps are being taken to prepare the comparative analysis of actual income expenditure with budget estimates as required by Regulation 197(5) of The Chartered Accountants Regulations 1988.

24.18 During the year, as part of the process regarding compliance with Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006.initiated earlier, the Institute has received information from certain vendors at head office stating their status as vendors registered with notified authority under Micro, Small & Medium Enterprises Development Act 2006.

The disclosure required under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006 is given as under :

(₹ in Lakhs)

S No	Particulars	As at March 31st 2022
1	**Principal amount due** to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	1,410
2	**Interest due** to suppliers registered under the MSMED Act and remaining unpaid as at year end	0.40
3	**Principal amounts paid** to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	213
4	**Interest paid,** other than under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	Nil
5	**Interest paid,** under Section 16 of MSMED Act, to suppliers registered under the MSMED Act, beyond the appointed day during the year	Nil
6	**Interest due and payable** towards suppliers registered under MSMED Act, for payments already made	0.40
7	**Further interest remaining due and payable for earlier years**	Nil

With regard to the vendors at branches and other locations, steps have already been initiated for the identification etc of vendors and the same will be complied with once the process is complete.

25 Employee Benefits

Defined Benefit plans

The Institute has recognised an amount of ₹ 740 lakhs for the year ended March 31, 2022 (Previous year **₹** 831 lakhs) towards contribution to Provident Fund.

The Institute has provided the following defined benefit plans to its employees

Gratuity : Funded

Post retirement Pension : Non-Funded Compensated Absence: Non-Funded

25.1 Details of the Gratuity Plan are as follows

(₹ in Lakhs)

	Description	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**				
	a. Obligation as at beginning of the year	**4,480**	**4,003**	3,905	3,298
	b. Current service cost	**449**	**429**	279	266
	c. Interest cost	**284**	**257**	272	239
	d. Actuarial (gain)/loss	**(422)**	**180**	208	442
	e. Benefits paid	**(541)**	**(389)**	(661)	(340)
	f. Obligation as at end of the year	**4,250**	**4,480**	4,003	3,905
2.	**Change in fair value of plan assets**				
	a. Fair value of plan assets as at beginning of the year	**3,694**	**4,171**	3,513	2,277
	b. Expected return on plan assets	**256**	**268**	303	188
	c. Actuarial gain/(loss)	**13**	**6**	(57)	4
	d. Contributions made by the Institute	**141**	**49**	961	1,045
	e. Benefits paid	**(399)**	**(800)**	(549)	(1)
	f. Fair value of plan assets as at end of the year	**3,705**	**3,694**	4,171	3,513
3.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**				
	a. Present value of obligation	**4,250**	**4,480**	4,003	3,905
	b. Fair value of plan assets	**3,705**	**3,694**	4,171	3,513
	c. Amount recognised in the balance sheet Asset/(Liability)	**(545)**	**(786)**	168	(392)

25.1 Details of the Gratuity Plan are as follows (contd.)

4.	**Expenses recognised during the year**				
	a. Current service cost	**449**	**429**	279	266
	b. Interest cost	**284**	**257**	272	239
	c. Expected return on plan assets	**(256)**	**(268)**	(303)	(188)
	d. Actuarial (gain)/loss	**(435)**	**174**	265	438
	e. Expenses recognised during the year	**42**	**592**	513	755
5.	**Investment details**	**% invested**	**% invested**	**% invested**	**% invested**
	a. Others - Funds with Life Insurance Corporation of India	**100**	**100**	100	100

6.	**Assumptions**				
	a. Discount rate (per annum)	**7.20%**	**6.75%**	6.75%	7.62%
	b. Estimated rate of return on plan assets (per annum)	**7.16%**	**7.07%**	7.80%	7.65%
	c. Rate of escalation in salary	**Basic / DA : 10%**	**Basic / DA : 10%**	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
	d. Attrition rate	**2%**	**2%**	2%	2%
	e. Mortality table	**IAL 2012-14 Ultimate**	**IAL 2012-14 Ultimate**	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

25.2 Details of the Post Retirement Pension Plans (Contd.)

(₹ in Lakhs)

	Description	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**				
	a. Obligation as at beginning of the year	**15,529**	**14,840**	12,363	11,890
	b. Interest cost	**1,027**	**980**	920	874
	c. Actuarial (gain)/loss	**1,304**	**351**	2,085	79
	d. Benefits paid	**(664)**	**(642)**	(528)	(480)
	e. Obligation as at end of the year	**17,196**	**15,529**	14,840	12,363
2.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**				
	a. Present value of obligation	**17,196**	**15,529**	14,840	12,363
	b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	**(17,196)**	**(15,529)**	(14,840)	(12,363)
3.	**Expenses recognised during the year**				
	a. Interest cost	**1,027**	**980**	920	874
	b. Actuarial (gain)/loss	**1,304**	**351**	2,085	79
	c. Expenses recognised during the year	**2,331**	**1,331**	3,005	953
4.	**Assumptions**				
	a. Discount rate (per annum)	**7.25%**	**6.75%**	7.60%	7.50%
	b. Mortality table	**LIC 2012-14 Ultimate**	**LIC 1996-98 Ultimate**	LIC 1996-98 Ultimate	LIC 1996-98 Ultimate

25.3 Employee Benefits (Contd.)

Details of Leave Encashment

	Description	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19
1.	**Reconciliation of opening and closing balances of obligation**				
	a. Obligation as at beginning of the year	**5,638**	**5,535**	5,104	4,137
	b. Current service cost	**403**	**397**	410	221
	c. Interest cost	**369**	**366**	374	301
	d. Actuarial (gain)/loss	**10**	**(434)**	39	851
	e. Benefits paid	**(349)**	**(226)**	(392)	(406)
	f. Obligation as at end of the year	**6,071**	**5,638**	5,535	5,104
2.	**Reconciliation of fair value of plan assets and obligations**				

a. Present value of obligation	**6,071**	**5,638**	5,535	5,104
b. Amount recognised in the Balance Sheet Asset/(Liability)	**(6,071)**	**(5,638)**	(5,535)	(5,104)
3. Expenses recognised during the year				
a. Current service cost	**403**	**397**	410	221
b. Interest cost	**369**	**366**	374	301
c. Actuarial (gain)/loss	**10**	**(434)**	39	851

25.3 Employee Benefits (Contd.)

Details of Leave Encashment

(₹ in Lakhs)

d. Expenses recognised during the year	**782**	**329**	823	1,373
4. Assumptions				
a. Discount rate (per annum)	**7.20%**	**6.75%**	6.75%	7.62%
b. Rate of escalation in salary	**Basic / DA : 10%**	**Basic / DA : 10%**	Basic 3% : DA 6%	Basic 3% : DA 6%
c. Attrition rate	**2%**	**2%**	2%	2%
d. Mortality table	**IAL 2012-14 Ultimate**	**IAL 2012-14 Ultimate**	IAL 2012-14 Ultimate	IAL 2012-14 Ultimate

26 Segment Reporting

The Institute's operations are confined to "regulation of the profession of Chartered Accountancy" and predominantly spread in India. Hence all its operations fall under single segment within the meaning of Accounting Standard (AS) - 17 Segment Reporting.

27 Previous year's figures have been regrouped / reclassified wherever necessary to correspond with the current year's classification / disclosure.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. Sudeep Shrivastava	**CA. (Dr.) Jai Kumar Batra**	**CA. Aniket Sunil Talati**	**CA. (Dr.) Debashis Mitra**
Joint Secretary	Secretary	Vice-President	President

In our report referred to even date

For Ray & Ray

Chartered Accountants
Firm registration number: 301072E

For Ravi Rajan & Co LLP

Chartered Accountants
Firm registration number: 009073N/N500320

Sd/-
CA. Anil P. Verma
Partner, Membership No. 090408

Sd/-
CA. Deepak Gupta
Partner, Membership No. 516002

New Delhi, 30th August, 2022

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./297/2022-23]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.03 16:18:36 +05'30'